राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का सत्तरवां दिवस [संख्या : 20

बुधवार

13 अप्रैल, 2005

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री ओ.पी. महेन्द्रा।

गंगानगर शुगर मिल में हुई अनियमितताओं की जांच

209. श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगानगर शुगर मिल, श्रीगंगानगर की मरम्मत एवं रख-रखाव पर वर्ष 2000 से 2004 तक कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गंगानगर शुगर मिल, श्रीगंगानगर से उत्पन्न प्रदूषण समस्या के निवारण के लिये सरकार द्वारा क्या कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त शुगर मिल में कोई शीरा घोटाला हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच करवाई गई व उसके क्या परिणाम रहे ? उस समय मिल के महाप्रबन्धक पद पर कौन अधिकारी कार्यरत था ? क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच की गई ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री वीरेन्द्र मीणा) : (1) शुगर मिल श्रीगंगानगर की मरम्मत व रख-रखाव पर वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक व्यय की गई राशि का विवरण निम्न अनुसार है :-

वर्ष	राशि (लाख रूपयों में)
2000-01	45.97
2001-02	46.53
2002-03	109.04
2003-04	45.21

(2) गंगानगर शुगर मिल की प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए निम्न कदम उठाये गये हैं :-

(अ) जल प्रदूषण नियन्त्रण के लिए वर्ष 1993-94 में एफ्ल्युएंट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के प्रथम चरण की स्थापना की गई।

(ब) एफ्ल्युएण्ट ट्रीटमेन्ट प्लाट के द्वितीय चरण के लिए भी टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे किन्तु इसी दौरान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा नवीनतम नार्म्स निर्धारित किये गये। एफलयुंएट ट्रीटमेन्ट प्लांट प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के नवीन नार्म्स द्वारा लगाया जाना अनिवार्य है।

(3) वर्ष 2001-02 में श्रीगंगनगर डिस्टलरी के भौतिक सत्यापन पर शीरा की कमी पाई गई थी जिसकी जांच आबकारी विशेष जांच दल से करवायी गयी। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर 18 अधिकारियों व कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी कर विभागीय जांच की जा रही है। वर्ष 2001-02 में शुगर फैक्ट्री, श्रीगंगानगर के महाप्रबन्धक के पद पर श्री आर.एस. रघुवंशी, आर.ए.एस. कार्यरत थे। जांच में इनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई दोष नहीं पाया गया। अतः उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अप्रैल, 2000 में फिजीकल वेरीफिकेशन के बाद डिस्टलरी की डिग्गी में 31575 क्विंटल शीरा मौजूद था फिर एक साल तक

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

लगातार, 8 मार्च, 2001 तक आने वाला शीरा (मुलासिस) उसमें डाला जाता रहा। शीरा डालने का स्टाक रजिस्टार में दर्ज रहता है। क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि यह शीरा 9 मार्च, 2001 को जो शीरा समाप्त हो चुका था, कितना था और क्या यह जो आप जांच बता रहे हैं यह इसके लिये कोई एफ.आई.आर. उस समय किसी ने करायी थी, सरकार ने करायी थी, जी.एम. ने करवायी थी या किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने करवायी थी। क्या शीरे से रेक्टीफाइड बनता है और रेक्टीफाइड से देशी शराब बनती है। क्या शीरे की चोरी हो सकती है ? अगर शीरे की चोरी नहीं हो सकती है तो इतना जो शीरा गायब हुआ है उससे कितने रुपये की शराब बनती है, क्या वास्तव में शराब की चोरी हुई है ?

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें, भाषण नहीं।

श्री ओ. पी. महेन्द्रा : माननीय अध्यक्ष, मैंने प्रश्न पूछा है इससे सम्बन्धित। यह गंगानगर शुगर का 7 करोड़ रुपये की शराब का घोटाला है। बहुत ही सेंसेटिव विषय है। 2001 में वास्तव में शीरा गायब नहीं हुआ बल्कि उसकी कीमत मार्केट से...

श्री अध्यक्ष : आपने तो पूछा रख-रखाव का खर्चा, अब आप घोटाले की बात कर रहे हैं।

श्री ओ. पी. महेन्द्रा : मेरा तीसरा बिन्दु यह है, इस घोटाले से सम्बन्धित। शराब का जो घोटाला हुआ है। उससे सम्बन्धित है। पहले दो बिन्दुओं का जवाब सही है। तीसरा जो जवाब मंत्रीजी ने दिया है इस सम्बन्ध में मैं मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि केसरीसिंहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, इस सन्दर्भ में अप्रैल, 2001 में शीरे की कमी के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई। जिसके अन्दर 30-5-2001 और 4-6-2001 को 4 अधिकारियों की जांच कमेटी गठित की गयी शीरे के फिजीकल वेरिफिकेशन हेतु। 13-7-2001 को मामला गम्भीर होने पर एक्साइज

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

कमिशनर द्वारा अतिरिक्त आबकारी दल गठित किया गया और जनवरी, 2002 में कम्पनी अधिकारियों की कमेटी गठित कर उसकी रिपोर्ट जून, 2002 में आयी जिसमें 18 अधिकारियों के खिलाफ आरोप-पत्र जारी कर दिये और जांच अभी चल रही है।

दूसरा, माननीय सदस्य के एफ.आई.आर. के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये हैं। इसमें वहां जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं श्री सोनी साहब हैं, उनके द्वारा एक एफ.आई.आर. 9-8-2001 को लॉज करायी गयी थी जिसके अन्दर सोमनाथ धींगड़ा, सुरक्षा अधिकारी व बी.पी. तोमर, केमिस्ट एवं उप प्रबन्धक, शराब गोदाम, इसमें इस तरह से 6-7 व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी थी। इस एफ.आई.आर. के अन्दर इनको निर्दोष पाया गया और फिर बाद में इसमें एफ.आर. लगा दी गयी। फिर भी माननीय सदस्य की भावनाओं को जानते हुए मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि 18 अधिकारी, जिनको आरोप पत्र दिया गया है उनकी जांच चल रही है और उनके बयानों के अनुसार जो भी जांच सामने आयेगी और जिन अधिकारियों का आप नाम ले रहे हैं, वे अगर दोषी हैं तो निश्चित ही उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : 18 में से रिटायर कितने हो गये, यह भी बता दो।

श्री ओ. पी. महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर शुगर मिल से 16 हजार क्विंटल शीरा गायब हुआ जिसकी एफ.आई.आर.. दर्ज हुई, जिसकी जांच कर रही है सरकार। 16 हजार क्विंटल शीरा गायब नहीं हुआ बल्कि 7 करोड़ रुपये की शराब गायब हुई। शीरा गायब होना सम्भव नहीं है। 7 करोड़ रुपये की शराब गायब हुई और तत्कालीन बिना जी.एम., बिना सिक्योरिटी आफिसर की मिली भगत से गायब नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर। 7 करोड़ रुपये की शराब का मामला है, अध्यक्षजी, और वह अधिकारी अभी गंगानगर में बैठे हुए हैं। तो क्या मंत्रीजी उन दोनों अधिकारियों को निलम्बित करके उनके खिलाफ जांच कराने का विचार रखते हैं या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र मीणा : निश्चित ही, मैंने आपको बताया कि 18 अधिकारियों के खिलाफ जो आरोप-पत्र जारी हुए हैं उनकी पूरी रिपोर्ट आ जाए। जांच के अन्दर विलम्ब का कारण यह है कि कुछ अधिकारी जी.एस.एम. के जयपुर में बैठते हैं, कुछ गंगानगर में बैठते हैं। तो जांच को स्पीड-अप करके निश्चित रूप से वे दोषी पाये जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही कठोर से कठोर की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : 4 साल हो गये, 2001 का मामला है, 4 साल हो गये।

श्री ओ. पी. महेन्द्रा : अध्यक्षजी, जिन अधिकारियों के लिये माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं, जी.एम., शुगर मिल गंगानगर है और सिक्योरिटी आफिसर भी गंगानगर है। इन दोनों अधिकारियों के बिना मिलीभगत के 7 करोड़ रुपये की शराब गायब हो सकती है क्या ? दोनों अधिकारी गंगानगर में हैं। क्या इनको तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करके उनके खिलाफ जांच करने का विचार रखते हैं या नहीं ? मेरा तो एक सीधा सा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री वीरेन्द्र मीणा : अध्यक्षजी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसकी जांच चल रही है। शीघ्र से शीघ्र इसकी जल्दी से जल्दी जांच करवाकर इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसका मैं सदन में आश्वासन देता हूं। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी उस 7 करोड़ के घोटाले में लिप्त हैं, अब वही अधिकारी वहां पर लगे हुए हैं तो वह उस जांच को प्रभावित करेंगे। तो मंत्रीजी, क्यों नहीं उन घोटाले करने वाले अधिकारियों को वहां से हटायें और हटाने के बाद अधिकारियों की जांच करानी चाहिए। यदि उनके सामने जांच होगी तो मामला 7 करोड़ का है। माननीय सदस्य सही बात कह रहे हैं कि उनको हटाकर फिर जांच करवायी जाए। उनको हटाकर जांच होगी तभी सही मामला निकलकर आयेगा। अन्यथा मामला सही निकलकर कैसे आयेगा। (व्यवधान) 2001-02 का मामला है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम, धोद।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन 17 अधिकारियों की जांच चल रही है आपने उनको आरोप-पत्र....

श्री अध्यक्ष : 18, 17 नहीं 18 हैं।

श्री अमराराम (धोद) : 18 आदमियों के खिलाफ जो जांच चल रही है वह जांच...(व्यवधान)

श्री ओ. पी. महेन्द्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें ये 2 अधिकारी शामिल नहीं हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है, 2 अधिकारी शामिल नहीं है। एफ.आई.आर. वहां पर हुई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दो मंत्रियों का इनको संरक्षण प्राप्त था। आर.एस. रघुवंशी और सोमनाथ धींगड़ा, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दो प्रभावशाली गंगानगर के मंत्रियों का इसमें हाथ है। (व्यवधान) और उन्होंने जांच को प्रभावित करके एफ.आई.आर. से इन दोनों को बाहर निकलवाया है।

श्री अमराराम (धोद) : 18 महीने आपको हो गये आये, आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : वे पूछ रहे हैं, उन्हें पूछ लेने दें।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है उनको भी, 2002 से 2005, तीन साल हो गये हैं और उन्होंने आज तक जवाब नहीं देने के क्या कारण रहे और क्या जिनके जांच अधिकारी लगा रखे हैं, तीन साल में भी जांच पूरी नहीं हुई, एक यूनिट की। गंगानगर शुगर मिल की जांच, आज तक तीन साल हो गये, आप कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री की और पूर्व सरकार की, आपकी सरकार को भी 18 महीने हो गये, इन्हीं अपराधियों को, जिन्होंने करोड़ रुपये का घोटाला किया जिन अधिकारियों ने, उनको यह सरकार भी बचाना चाहती है वरना आप तारीख बताइये कि किस तारीख को आपने तारीख दी और उन्होंने जवाब कितनी तारीख को दे दिया और आगे क्या कार्यवाही हुई, इसमें यह बता दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय. जांच की जो प्रक्रिया है उसके अन्दर 23-8-2003 को सर्वप्रथम पेशी पर आरोपित कर्मचारियों को आरोप एवं अभिकथनों का विवरण पढ़ कर सुनाया गया। 6-9-2003 को अभियोजन पक्ष की तरफ से दस्तावेज एवं गवाहों की सूची प्रस्तुत करने हेतु पेशी निश्चित की गयी। इस प्रकार से अभी हाल ही में....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : तीन साल हो गये उसको भी। 2003 को भी तीन साल हो गये।

श्री वीरेन्द्र मीणा : 15-3-2005 एवं 16-3-2005 को प्रस्तुत अधिकारी द्वारा श्री वीरेन्द्र राय की अभिसाक्षी करायी गयी। दिनांक 16-3-2005 को श्री मोबिन अंसारी, कम्पनी सचिव की अभिसाक्षी करायी गयी जो पूर्ण नहीं होने के कारण आगामी पेशी 6-4-2005 को मुख्यालय पर रखी गयी। जो शीघ्र से शीघ्र....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 6.4 तो गयी। 6.4 गयी, इसका मतलब आप भी घोटालेबाज अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 6.4 चली गयी, आज तो 13.4 है। क्या हो गया इन्हें ?

श्री अमराराम (धोद) : जब तक आप, अध्यक्ष महोदय, आप जांच कराएंगे तो यह रिटायर भी हो जाएंगे। यह जांच जब तक पूरी नहीं होगी जब तक यह अधिकारी तमाम रिटायर नहीं हो जाएंगे। जब तक पूरी नहीं होगी। और यह घोटाले दबाने, पूर्व सरकार ने भी, आपने भी, दोनों ने मिलकर घोटालेबाजों से हिस्सा कर लिया है इसलिए नहीं हो रहा है वरना 18 महीने में जांच क्यों नहीं पूरी होगी ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अमरारामजी, जांच कर रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, यह धामी गनि के समाचार बंद किये जाएं, जल्दी से जल्दी जांच की जाए इस प्रकार की।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, एक आर्थेटिक विधायक आपको यह कह रहे हैं कि दो अधिकारी, बड़े अधिकारी इसमें लिप्त हैं तो सरकार को क्या तकलीफ है ? छोटे वालों पर तो आप एक्शन ले रहे हो और इनको माफ करने का क्या सवाल है ? (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : मंत्रीजी, इनको सस्पैण्ड क्यों नहीं करते। सात करोड़ रुपये का घोटाला है। 2003 से लगातार लम्बित है। आपको उनको सस्पैण्ड करना चाहिए।

श्री ओ. पी. महेन्द्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एफ.आई.आर. की कापी मौजूद है जिसमें दो प्रमुख अधिकारी - जी.एम. और सिक्योरिटी आफिसर के भी नाम हैं और यह जी.एम., शुगर मिल ने वहां पर जांच करायी, उसकी कापी भी मेरे पास उपलब्ध है। एफ.आई.आर. की कापी उपलब्ध है। दोनों मंत्रियों के प्रभाव का इस्तेमाल करके, इसमें दोनों अधिकारी जो मुल्जिम हैं, जी.एम. शुगर मिल और वह, दोनों, इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, जांच से बाहर निकाला। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अब कौन जांच में बचा रहा है इनको ? अब कौन बचा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, बोलने दीजिए इनको।

श्री ओ. पी. महेन्द्रा : क्या माननीय मंत्रीजी इन दोनों अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित करके इनके खिलाफ जांच करने का विचार रखते हैं या नहीं ? मेरा एक ही प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी दो माह के अन्दर-अन्दर जांच करवाकर निश्चित रूप से जो भी अधिकारी दोषी पाये जाएंगे उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करके सदन को अवगत करा देंगे। (व्यवधान)

श्री ओ. पी. महेन्द्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न जो है, मंत्रीजी, इसको दायरे में शामिल ही नहीं कर रहे हैं। दो अधिकारी जो हैं

(श्री ओ. पी. मेहन्द्रा)

जी.एम. शुगर मिल और सिक्योरिटी आफिसर, इनको जांच के दायरे में ही शामिल नहीं कर रहे हैं। इनके बयान लेकर देंगे। तुरन्त प्रभाव से इनको जांच के दायरे में शामिल करके अगर गंगानगर शुगर मिल के दोनों अधिकारी हैं, तुरन्त उनको निलम्बित करें, इन दोनों को जांच में शामिल किया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इनका जवाब तो आने दीजिए।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मांग है माननीय मंत्रीजी से।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : माननीय मंत्री महोदय, आप कार्यवाही तो बाद में करना, पहले आप इनको हटाइये। माननीय, उनको हटाइये आप।

श्री अध्यक्ष : करौली से आने वाले माननीय सदस्य, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य, आप इनका जवाब आने दीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : गलत बात है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : गलत बात है, आप जवाब तो आने दीजिए। (व्यवधान) देंगे क्यों नहीं, देंगे ? मैं इनको हटाने की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब तो आने दीजिए, जवाब देंगे, क्यों नहीं देंगे ? (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : दो महीने नहीं, अभी यह सस्पैण्ड किये जाएं।

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सारी पत्रावली में 15 दिन के अन्दर-अन्दर मंगाकर इसकी जांच करके नियमानुसार जो भी कार्यवाही होगी तुरन्त प्रभाव से अगर यह दोषी हैं अधिकारी तो उनको निलम्बित किया जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा : 18 महीने तक आप क्या कर रहे थे यह तो बताओ ? 18 महीने तक क्या कर रहे थे ?

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्रीजी से इतना ही जानना चाहता हूं कि जब यह घोटाला हुआ, उस समय मैनेजिंग डाइरेक्टर जो....(व्यवधान).

श्री संयम लोढ़ा : अगर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने किया था तो 18 महीने तक आप क्या कर रहे थे ? आप इनको बचाने का काम कर रहे हो 18 महीनों से, सारे घोटाले, अब आपका शासन है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : कांग्रेस के समय का घोटाला है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वे जांच को प्रभावित कर रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : एक-एक घोटाले सामने आएंगे तो उसकी जांच होगी और निलम्बित होंगे। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस के लोग इतने उत्तेजित हो रहे हैं और चार साल तक उन्होंने उसे दबाये रखा। हमारी सरकार तो इतनी फास्ट कर रही है, इन दोनों अधिकारियों को जांच के दायरे में लाया जाए परन्तु इसके प्रमाण मौजूद हैं तो...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : डेढ़ साल से आप नहीं हटा रहे हो क्योंकि वह दूध दे रहे हैं। मैनेजिंग डाइरेक्टर जो सबसे बड़ा अधिकारी है। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : आप करना चाहते हो ? हटाकर जांच कराइये। मैं मांग करता हूं, हटाकर जांच कराइये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वे भी नहीं हटा रहे हैं।

श्री हेमराज मीणा : मंत्री महोदय, इनको हटाइये और कृपा करके जांच कीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : जो सुरक्षा अधिकारी है, जो न इन्होंने हटाया और न आप हटाना चाहते हो क्योंकि वह दूध देती गाय है। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : इन अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाए।

श्री हेमराज मीणा : कृपा करके जांच करवाइये।

श्री अमराराम (धोद) : हटाइये आज ही। जांच में जो, मुख्य अधिकारी है और जो सुरक्षा अधिकारी है, मैनेजिंग डाइरेक्टर जिनकी उपस्थिति में यह घोटाला हुआ है और उनको नहीं हटाने का मतलब है कि जांच को वे प्रभावित करेंगे और अगर यह सही है तो आज ही सदन में घोषणा कीजिए कि इनको सस्पैण्ड किया जाता है। जांच बाद में होगी।

श्री हेमराज मीणा : वे जांच को प्रभावित कर रहे हैं, पहले आप हाउस में घोषणा करें, उसके बाद...(व्यवधान) उनको हटाने की घोषणा करें, उसके बाद जांच करवाये नहीं तो सात करोड़ का मामला है, वह जांच प्रभावित होगी। 2002-2003 का मामला है, सात करोड़ का घोटाला है और दोनों अधिकारी उन सीटों पर जमे हुए हैं उनको हटाकर आप जांच करवायें अगर आप सस्पैण्ड नहीं करें तो उनको हटा तो दीजिए वहां से। (व्यवधान) हटाकर ही जांच करवाये बल्कि उनको सस्पैण्ड करना चाहिए, पुराना मामला है। कांग्रेस के राज का मामला है, कांग्रेस के मंत्रियों की सैटिंग है उनसे तो....(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : कह दिया कि 15 दिन में करवा देंगे जांच तो भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि ....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह बताओ कि इस सरकार में सैटिंग कौन कर रहा है ? कांग्रेस सरकार की तो छोड़ो, अब तो करो कार्यवाही।

श्री सुरेश मीणा : सात करोड़ का मामला है।

मोहममद माहिर आजाद : आपने कहा कि इन दोनों मंत्रियों, पिछली सरकार के दबाव में नहीं हटाया, अब आप तो यह बताओ कि 18 महीनों से, 15 महीनों से किन मंत्रियों के दबाव में इनको नहीं हटा रहे हो ? अब आप पर किन का दबाव है ?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : यह मामला दबा हुआ था और अब मंत्रीजी ने कह दिया कि 15 दिन में कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्रीजी ने जब स्पष्ट कह दिया कि प्रकरण पुराना है, दो महीने के अन्दर-अन्दर जांच करवाएंगे और...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 15 दिन कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 15 दिन के अन्दर-अन्दर यह पत्रावली अपने पास मंगवा कर गुणावगुण के आधार पर दोष देख लेंगे और अगर जिन दो अधिकारियों को और सम्मिलित करने की, जांच में शामिल करने की बात कही है, अगर आवश्यकता होगी तो उसको भी शामिल किया जाएगा। यह प्रकरण चार साल पुराना है। चार साल तक सामने बैठे हुए लोगों के समय का घोटाला और एक दिन में फैसला चाहते हैं, दो महीने का समय, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं है इसलिए अगला प्रश्न आप पुकारें। नहीं, दो महीने का समय ज्यादा समय थोड़े ही है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ और कांग्रेस बचा रही है इसलिए माननीय मंत्री महोदय, आप तत्काल सस्पैण्ड करिये जिससे आपकी इंटलीजैंस पता पड़े। आप भी तत्काल घोषणा करिये। बताइये आप आज, आपको क्या तकलीफ है ? करिये घोषणा आप। आप खुद बचाना चाहते हैं। गंगानगर शुगर मिल को बन्द करना चाहते हैं, यह आपका षड्यंत्र है इसलिए करना नहीं चाहते हैं, खड़े होकर कहिये आप, इन सारी चीजों को बताइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, 15 दिन के अन्दर सारी पत्रावली गंगानगर शुगर मिल की....(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : यह षड्यंत्र के रूप में है। आप बतायें खड़े होकर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गुणावगुण के आधार पर जो लिप्त होगा अगर उसको हटाने की जरूरत होगी तो हटाएंगे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, तत्काल सस्पैंड करिये। एक सदस्य कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है तो तत्काल सस्पैण्ड करिये। क्यों रोक रहे हैं ?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, एम.डी. जो सबसे बड़ा अधिकारी है, सुरक्षा अधिकारी है, जिनकी उपस्थिति में यह घोटाला हुआ, अभी पांच साल पूरे हो गये और उनके रहते हुए घोटाला हुआ और उनके रहते हुए ही जांच हो रही है तो आप निर्णय दे दीजिए कि क्या जांच निष्पक्ष हो जाएगी ? जिनकी उपस्थिति में घोटाला हुआ और वे ही अधिकारी वहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रमुख अधिकारी, दोनों को बगैर हटाये कोई सही जांच नहीं हो सकती और आप भी नहीं हटाना चाहते, इससे यह स्पष्ट है सरकार की मंशा जाहिर होती है।

डा. सी. पी. जोशी : आप भी घोटाले में शामिल हो ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप भी इसमें, सरकार शामिल है, इससे ज्यादा नहीं कहना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया कि जिन दो अधिकारियों को सम्मिलित होने की बात यह कह रहे हैं, 15 दिन के अन्दर-अन्दर सारी पत्रावली मंगाकर प्राइमाफेसी यह देखा जाएगा कि उसमें उनका कितना दोष है और उससे कोई (व्यवधान) दोषी है तो शामिल किया जाएगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कांग्रेस के लिए आरोप लगाये हैं कि कांग्रेस के मंत्री इन्वाल्व हैं। आज इनके मंत्री इन्वाल्व हैं, जो बचाना चाहते हैं तो आज इनके मंत्री इन्वाल्व थे जो बचाना चाहते हैं, सस्पैण्ड करके अभी, यदि आप सम्मिलित नहीं है तो आप सस्पैण्ड करिये। सस्पैण्ड करिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जब सरकार में थे, जब यह घोटाला हो रहा था, और जब यह घोटाला हो रहा था तब तो...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप बेईमान आदमियों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सस्पैण्ड करिये आप उनको।

श्री अमराराम (धोद) : सरकार आपके हाथ में है।

डा. सी. पी. जोशी : सस्पैण्ड करिये, कार्यवाही करिये, कौन रोक रहा है आपको ? कौन रोक रहा है आपको ? अध्यक्ष महोदय, सदन में घोषणा करवाइये। हम बेईमान थे, कार्यवाही हो जाएगी, यह ईमानदार हैं तो घोषणा करें नहीं तो यह सरकार भी बेईमान आदमियों के साथ मिली हुई है, यह मेरा सरकार पर आरोप है।

एक माननीय सदस्य : जांच विचाराधीन है, जांच पूरी होने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वैसे तो जोइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपको व्यवस्था देनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। दे रही हूं न।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बेईमानी की है, कांग्रेस के मंत्री बेईमान हैं तो... वह बी.जे.पी. की सरकार भी बेईमान है। 11 महीने से कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आप तत्काल सस्पैण्ड करिये। तत्काल सस्पैण्ड करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घोटाले करने वाले अपने गिरेबान में झांककर देखो। घोटाला आप करो।...(व्यवधान) घोटाला आप करो, चार्ज हम पर लगाओ। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : सस्पैण्ड करिये। आप बेईमानी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? आप खुद मिले हुए हो इसलिए करना चाहते हो। हिम्मत करिये... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, अगर आनन-फानन सस्पैण्ड कर देंगे तो कोर्ट से स्टे मिल जायेगा।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हिम्मत नहीं है। गंगानगर शुगर मिल के नाम पर आबकारी नीति में सरकार मिली हुई है।....(व्यवधान) भ्रष्टाचार कर रही है सरकार, कोई हिम्मत नहीं है, खड़े होकर सस्पैण्ड करिये। (व्यवधान) करिये सस्पैण्ड, घोषणा करिये। सस्पैण्ड करिये, घोषणा करिये। (व्यवधान) हिम्मत है तो सस्पैण्ड करिये। (व्यवधान) हिम्मत है तो खड़े होकर बोलिये। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सदन के साथ इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। एक आरोप लगा दें और खुद सरकार बेईमानों को प्रोटेक्ट करे, यह सरकार...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का षड्यन्त्र है। गंगानगर शुगर मिल को बन्द करने का षड्यन्त्र रच रही है। (व्यवधान) प्राइवेट वालों को दिया है और इस साल 75 फीसदी काम देकर आप गंगानगर शुगर मिल को खतम करने का षड्यन्त्र रच रही है। आप पिछले साल देशी मदिरा के उत्पादन का 25 फीसदी काम...(व्यवधान) इस साल 75 फीसदी देकर आप गंगानगर शुगर मिल...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, अगर आनन-फानन में सस्पैण्ड कर दिया अधिकारियों को तो फिर कोर्ट से स्टे मिल जायेगा। सस्पैण्ड करो...(व्यवधान)

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि 15 दिन में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर सदन के अन्दर ही किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की बात हो, अब तक जो जांच है, जांच के साक्ष्य के आधार पर अगर कोई लिप्त पायें तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। मैंने 15 दिन का समय इसलिए मांगा है अध्यक्ष महोदय, अगर आनन-फानन में किसी अधिकारी के खिलाफ...(व्यवधान) कोर्ट में स्टे हो जायेगा।...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : सरकार की...(व्यवधान) बेईमानी करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य।...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता।...(व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : उन्हें तुरन्त प्रभाव से हटाया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मकराना से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजें। कभी-कभी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों, इस कदर उलक्ष जाते हैं कि आसन निस्सहाय हो जाता है, असहाय हो जाता है। मैंने कई बार प्रयत्न किया खड़े होकर कुछ कहने का, लेकिन आपस की नोक-झोंक में कुछ नहीं कह पाई। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगी मंत्रीजी, वैसे तो ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है। दूसरे, वरिष्ठ मंत्री हैं, अनुभवी मंत्री हैं, वह भी कह सकते हैं किसी बात को, लेकिन एक बात भी जरूर मैं सत्ता पक्ष से कहना चाहूंगी, मंत्री मण्डल से कहना चाहूंगी कि 7 करोड़ का मामला है। मैं सस्पैण्ड करने की बात नहीं कहती। मैं कहती हूं उन्हें वहां से हटाकर और जांच कराने में क्या आपत्ति है ? 7 करोड़ का मामला है, हटा दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अगर आसन की यही इच्छा है, उनको एक बार वहां से हटाकर जांच करा दो। हटाकर जांच करवा लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, बस जांच करा लीजिये। क्या दिक्कत है उसमें ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं और सदन की भावना का सम्मान करते हुए निश्चित रूप से जो इसमें अपराधी हैं, उनको उस स्थान से हटाकर इसकी पूरी प्रक्रिया को, अगर वह दोषी हैं तो दण्डित होंगे, इसमें क्या दिक्कत है।

(प्रश्न संख्या - 210)

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष : इतनी तो बात है और क्या ? बस ठीक है। उसमें क्या है ? नैक्स्ट क्वेशन। श्री रामचन्द्र सराधना का क्वेश्चन स्थगित हो गया। माफ करियेगा। ऐसा था, मेरी बात सुनेंगे। आसन की सुनेंगे न पहले। (व्यवधान) पहले आसन को सुन लीजिये फिर आपको कुछ कहना है तो कह दीजियेगा। ऐसा था आपने एड्रेस किया है यह सहकारिता मंत्री को और यह क्वेश्चन सम्बन्धित है एग्रीकल्चर से और एग्रीकल्चर मंत्रीजी का आज डे नहीं है, इसलिये इसे स्थगित किया गया है।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी सुन लीजिये। मेरा निवेदन है इसमें कि मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें सहकारिता और कृषि छांटने का काम प्रश्न बनाने वालों की तरफ से ही था। फिर भी मेरा प्रश्न यह था सहकारिता में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 3,40,806 रुपये का प्रीमियम लिया गया।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिये। ऐसा है एड्रेस आपने ही किया था सहकारिता मंत्री को, लेकिन मैं यह व्यवस्था करूंगी कि इस प्रश्न को इस सत्र के दौरान इसका जवाब दिलावा सकूं, मैं व्यवस्था करूंगी।

श्री रामचन्द्र सराधना : फिर एक दिक्कत मेरे दिमाग में और आयेगी, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष : अब क्या बात रह गयी, जब मैंने कह दिया जवाब दिला दूंगी।

श्री रामचन्द्र सराधना : बात तो सुन लीजिये मेरी। सुनेंगे जब मालूम पड़ेगा न। ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से खड़ी फसल का काश्तकारों से 3 लाख 40 हजार मंजूर किया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फसल बीमा पर कल पूरी कह चुके हैं मंत्रीजी। इसके बाद भी जब मैं आपको कह रही हूं इसी सत्र के दौरान मैं आपको जवाब दिलवा दूंगी। फिर क्या बात रह गयी ?

श्री रामचन्द्र सराधना : यह प्रीमियम सहकारी समिति ने जमा किया है माननीय अध्यक्षजी, इसलिए सहकारी समिति से सम्बन्धित सवाल है। मेरा निवेदन यह है कि फिर आप कल यह कहेंगे कृषि में जमा नहीं हुआ। सहकारी समिति के माध्यम से 3,40,806 रूपये जमा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : फिर आप वही बात कर रहे हैं। जब मैंने स्थगित कर दिया तो आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री रामचन्द्र सराधना : जवाब कौन देगा फिर कृषि देगा या सहकारिता देगा ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया है। प्रश्न स्थगित है। (व्यवधान) स्थगित किया। नैक्स्ट क्वेश्चन श्री हरिमोहन शर्मा।

समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय राशि

96. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सी.एस.एस. स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 1 अप्रैल, 2004 के अवशेष सहित आई.सी.डी.एस. (जनरल) आई.सी.डी.सी. (डब्ल्यू.बी.) एवं प्रशिक्षण मद में इस वर्ष राज्य सरकार को कितनी राशि अब तक अनुदान के रूप में केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई और उसमें से सरकार द्वारा कितनी राशि अब तक जारी कर दी गई तथा कितनी राशि दिनांक 31 जनवरी, 2005 तक व्यय कर दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सी.एस.एस. स्कीम के तहत वर्ष 2004-05 में विभिन्न स्कीम के लिये कितनी राशि का बजट प्रावधान है, उसमें से कितनी राशि व्यय की गयी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सी.एस.एस.) में

(श्री कनकमल कटारा)

विभिन्न योजनाओं में भारत सरकार से प्राप्त राशि दिनांक 1-4-2004 को अवशेष राशि एवं 31 जनवरी, 2005 तक व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	1-4-2004 अवशेष राशि	15 मार्च, 05 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान राशि	योग	राज्य सरकार द्वारा 15-3-05 तक जारी राशि	31-1-05 तक व्यय
1.	आई.सी.डी. एस. (जनरल)	973.28	7849.67	8822.95	8822.95	5959.81
2.	आई.सी.डी. एस. (डब्ल्यू.डी.)	548.30	4013.50	4561.80	4561.80	1929.26
3.	प्रशिक्षण	651.60	-	651.60	651.60	90.61
	योग	2173.18	11863.17	14036.35	14036.35	7979.68

(2) वर्ष 2004-05 में सी.एस.एस. अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के बजट प्रावधान व व्यय की स्थिति निम्न प्रकार है :-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2004-05	व्यय राशि 31-3-05 तक
1.	आई.सी.डी.एस. (जनरल)	8952.70	8109.35
2.	आई.सी.डी.एस. (डब्ल्यू.डी.)	2499.09	2833.20

(श्री कनकमल कटारा)

1	2	3	4
3.	प्रशिक्षण	556.80	153.61
4.	स्वयं सिद्धा	25.00	25.00
5.	बालिका समृद्ध योजना	.01	-
	योग	12033.60	11121.16

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक तो यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने दिनांक 1-4-2004 को अवशेष बताया है वह 1-4-2005 को इन विभिन्न योजनाओं का क्या अवशेष है ? दूसरा, इन योजनाओं के अन्तर्गत महिला, बच्चों एवं पोषाहार केन्द्रों पर फूड की जो वहां पर मुरमुरे हैं, इनकी सप्लाई करने के लिये कब टेण्डर हुआ था और उस टेण्डर को आपने कब रि-टेण्डर किया और उस रि-टेण्डर को आपने क्यों स्थगित किया, यह दो प्रश्न हैं मेरे।

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 दोनों की अवशेष राशि आई.सी.डी.एस. सामान्य, जिसकी अवशेष राशि 713.21 लाख रुपया, आई.सी.डी.एस. विश्व बैंक की अवशेष राशि 1728.60 लाख रुपया, प्रशिक्षण की अवशेष राशि 497.99 लाख रुपया यानि कि कुल 2949.80 लाख रुपया, यह अवशेष राशि वर्ष के प्रारम्भ अवशेष प्लस वर्ष के प्राप्त अनुदान राशि दोनों का योग और बजट का 2005, यह कुल मिलाकर के इसमें से व्यय राशि और 5 और 7 क्रमांक है उसका, बचत कुल 2949.80 लाख रुपया।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न किया है जिसका आपने मुझे आदेश दिया था कि एक वक्तव्य दें। पोषाहार का टेण्डर जो हुआ था, उस वक्तव्य के बारे में मुझे निवेदन किया था। मैंने आप से भी और माननीय उपाध्यक्ष महोदय से भी तीन-चार दिन से प्रयत्न कर रहा हूं लेकिन समय नहीं मिलने के कारण से....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वो आज दिलायेंगे। वो आज देना है आपको। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : दे दीजिए। अभी टाइम है, क्वेश्चन आवर में वक्तव्य थोड़ी होगा। नहीं-नहीं, अभी नहीं होगा।

श्री कनकमल कटारा : आपकी इजाजत हो तो मैं अलग से...

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं। बाद में, हां। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी नहीं, बाद में। अध्यक्षजी जो समय निर्धारित करें, तब।

श्री अध्यक्ष : हां, वो कर दिया, आज दिलायेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने जो प्रश्न उठाया था उसी से सम्बन्धित उठाया है कि आपने महिला बाल पोषाहार से जो पोषाहार था, उसकी समय अवधि बढ़ायी क्यों तो यही इनका पहले, पहले जो इन्होंने उठाया वह भी सवाल उसी से सम्बन्धित है फिर दोबारा स्टेटमेन्ट की आवश्यकता क्या है।

श्री जुबेर खान : तो आज वक्तव्य कराने को तैयार हैं क्या इस पर ? आज आप वक्तव्य करा दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : है न, सवाल वही उठाया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, यह अलग प्रश्न है, वह अलग प्रश्न था... (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : आप इसको अलग से वक्तव्य देने के लिए अलग से समय....

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, इनको कुछ पता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरक प्रश्न के माध्यम से वही बात पूछी है इन्होंने।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, या तो व्यवस्था यह कर दें कि माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लें, उन प्रश्नों को समाहित करते हुए आप वक्तव्य दिला देंगे तो दो-तीन प्रश्न पूछने दें उनको। यह कोई तरीका ठीक है ? प्रश्न पूछने दो, अध्यक्ष महोदय, इनको।

श्री अध्यक्ष : आसन से पूर्व में व्यवस्था हो चुकी है, इसके बारे में वक्तव्य दिलाया जायेगा, इसलिए वक्तव्य दे देंगे वो आप।

डा. सी. पी. जोशी : ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बिलकुल आज दे देंगे लेकिन प्रश्नकाल में वक्तव्य नहीं होता है, परम्परा यह रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन समय निश्चित कर दे, हम तैयार हैं। तैयार हैं, वक्तव्य से कौन मना कर रहा है। आसन समय तय कर दे। (व्यवधान) पर इसी से सम्बन्धित सवाल...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप क्यों अभी कराना चाहते हो ? आप चाहते हो बाकी के प्रश्न नहीं आवें।

श्री अध्यक्ष : आज जीरो आवर के बाद इस पर...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन जरूर करेंगे कि वक्तव्य के बाद माननीय सदस्य को सवाल पूछने का मौका दिया जाना चाहिए वरना वक्तव्य देकर यह खतम कर देते हैं, फिर मतलब क्या निकला।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, जरूर देंगे आपको।...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : डिटेल में कहा, डिटेल में दे देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह नियमों में व्यवस्था है उसके अनुसार होगा।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल करने हैं वह वक्तव्य में जवाब आ जायेगा, आप कर लें सवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगले क्वेश्चन पर आओ।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दें, जवाब दें।

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा इसी सन्दर्भ में है तो वक्तव्य में पूरी बात डिटेल में है इसकी, अगर आप चाहें तो उसी समय मैं दे दूंगा।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे उसके उत्तर आ जाने चाहिए, वक्तव्य अलग चीज है। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि टेण्डर आपने कब कराया, नहीं कराया, उसका जवाब दे दें। कम से कम इसका जवाब दें, टेण्डर वाला है उसका जवाब आप दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन का समय जाया होगा, और कोई बात नहीं है।

श्री कनकमल कटारा : आप चाहें वह डिटेल में वक्तव्य में दे दूंगा।

श्री जुबेर खान : संसदीय मंत्रीजी, आप बीच-बीच में माहौल क्यों बिगाड़ते हो ? जब मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आप खड़े होकर कुछ न कुछ कहने लग जाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे सदन के समय की चिंता है इसलिए कह रहा हूं। सदन का समय जाया होगा, वक्तव्य दिला रहे हो उन्हीं के बारे में पूरक प्रश्न कर रहे हो तो मतलब क्या रहा ?

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, या तो इनके प्रश्न का जवाब दें या मुझे प्रश्न पूछने की इजाजत दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी, बोलिये खड़े होकर।

श्री कनकमल कटारा : मैं तो वही कह रहा हूं कि जैसा आदेश अध्यक्ष महोदय दें उसके अनुसार। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वो वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जो पूछे हैं इनका तो जवाब दे दीजिए।

श्री कनकमल कटारा : आपका पोषाहार सम्बन्धी पूरा है, टेण्डर कब हुए थे, क्या स्थिति रही, क्या है, इसका पूरा विवरण उस वक्तव्य में देने के लिए तैयार हूं और आप समय निर्धारित करें, उस समय दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : हां वक्तव्य में दीजियेगा आप, ठीक है।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य देंगे फिर आप हम को प्रश्न पूछने के लिए अलाऊ नहीं करेंगे। यह जो हमारा प्रश्न है, आप यह फैसला कर लीजिए कि वक्तव्य के बाद हमें प्रश्न पूछने का मौका देंगे, हम मान लेंगे। (व्यवधान) आप उस समय प्रश्न के उत्तर नहीं देने देंगे। अभी आप कह रहे हैं वहां दे देंगे, दो चीजें नहीं हो सकती। या तो हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : इनका वक्तव्य इतना काम्प्रीहेंसिव होगा कि आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी प्रश्न पूछने की।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आपने इनके वक्तव्य के कन्टेन्ट को भी समझ लिया, इसके लिए धन्यवाद, पर हमारे प्रश्न क्या हैं, उनको समझा है क्या आपने ? हरिमोहनजी, रुको न एक मिनट। हमारे प्रश्न क्या हैं, उसके कन्टेन्ट भी आप समझ रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : देखिये, वैसे तो वक्तव्य के बाद में कोई चर्चा तो नहीं होती है।

डा. सी. पी. जोशी : तब ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, चर्चा नहीं होती है इसलिए आपको पूछना है तो पूछ लीजिए अभी प्रश्न आप।

डा. सी. पी. जोशी : आप अलाउ करेंगे उस समय प्रश्न ? पूछो पूछो, आप पूछो।

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रश्न मैंने पूछ रखा है न। (व्यवधान) हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था...

श्री अध्यक्ष : स्थगन की तो बात हो रही है न, अब आप पूछ लीजिए जो पूछना है।

मोहम्मद माहिर आजाद : दोबारा रिपीट कर दो।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दीजिए न इनको, मंत्री महोदय।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय कुछ कह रहे हैं जवाब के लिए।

श्री कनकमल कटारा : मैंने तो आपसे निवेदन यही किया, अध्यक्ष महोदय, अगर आप पूरा समय वक्तव्य के लिए, तो वक्तव्य मैं देने के लिए तैयार हूं अगर आप छोटे रूप में पूछना चाहा है कि कब-कब क्या स्थिति थी, छोटे रूप में प्रश्न उसका उत्तर भी मैं, वह भी दे सकता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : उत्तर दे दीजिए आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दो फिर।

श्री अध्यक्ष : क्या दे दो ? अभी वक्तव्य थोड़ी दे देंगे ?

एक माननीय सदस्य : उत्तर, उत्तर।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, वक्तव्य नहीं। वह तो वक्तव्य के लिए कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे देंगे।

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, जुलाई, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक टेण्डर की अवधि थी। एक अप्रैल, 2004 से 30-9-2004 तक 6 माह प्रथम बार यह बढ़ायी गयी थी। इस दौरान सी.एफ.टी.आर.आई. सम्बन्धी यह अन्य राज्यों से जानकारी प्राप्त की जानी थी। इसमें यहां से, विभाग से अधिकारियों को भेजा था, उसमें भी समय लगा।

श्री अध्यक्ष : इसका कोई इस प्रश्न से सम्बन्ध है ही नहीं।

श्री कनकमल कटारा : वह पूछ रहे हैं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप दोबारा सुन लीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : इन्होंने पूछा कि टेण्डर कब हुए, स्थगित हुए। उन्होंने पूछा, अध्यक्ष महोदय, आपने अलाऊ किया है पूछना। अध्यक्ष महोदय, आपने अलाऊ किया है, या तो डिसअलाऊ किया जाए अलग से पूरक।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अब और क्या क्वेश्चन पूछेंगे, समझ में नहीं आ रहा।

श्री अध्यक्ष : टेण्डर का कोई सम्बन्ध नहीं। आपने जो पूछा है उससे कोई सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि टेण्डर किये कि नहीं किये ? किये हैं तो कब किये ? नहीं किये तो क्यों नहीं किये ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब मंत्रीजी वक्तव्य देने को तैयार हैं तो बार-बार यह क्या...

डा. सी. पी. जोशी : मंत्री को बोलने दें न। मंत्री को ही नहीं बोलने दे रहे हैं। आप प्रश्न पूछो।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह इससे सम्बन्धित इसलिए है कि आप मेरे प्रश्न एक को ही देख लो कि इसमें यह राशि किस प्रकार व्यय की गयी है ? इसमें लिखा हुआ है। तो व्यय करने के लिए...

श्री अध्यक्ष : नहीं, राशि, आपने कहा कितनी राशि ली, कैसे व्यय हुई, कितनी बची ? आपने यही पूछा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां। यह पूछा है तो वह व्यय कैसे हुई, यह तो पूछूंगा न, अध्यक्ष महोदय।

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, जो पूरा पूछा था उसका तो मैंने दे दिया और अवशेष राशि किस क्षेत्र में थी, वह भी मैं बताने के लिए तैयार हूं।

डा. सी. पी. जोशी : क्या मंत्रीजी, आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपने कहा कि जुलाई, 2003 से 31 मार्च, 2004 का टेण्डर था फिर आपने 6 माह टेण्डर बढ़ाया, जब पहले से यह टेण्डर की प्रक्रिया चल रही थी तो क्या कारण था कि आपने टेण्डर को 6 महीने एक्सटेंड किया और टीम को बाहर भेजने का काम किया ? यह आपने किस आधार पर निर्णय किया जिसके कारण उन्हीं लोगों को आपने दोबारा आर्डर दे दिये ?

श्री कनकमल कटारा : इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पूरी डिटेल इसके अन्दर है। आपको जवाब उस समय वक्तव्य में पूरा आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था मानने का उनसे पालनार्थ समय इसमें लगा और उसके कारण से निमित्त पोषाहार देने की स्थिति में भी आवश्यक था नहीं तो पोषाहार नहीं देते तो बच्चे भूखे रहते, क्योंकि कांग्रेस के समय में भी 18 महीने तक यह टेण्डर नहीं होने से उनको पोषाहार नहीं दिया गया था...

श्री अध्यक्ष : आप टेण्डर की बात ही क्यों कर रहे हैं ? यह कन्सर्न ही नहीं है इस क्वेश्चन...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : और हम नहीं चाहते कि समय पर पोषाहार नहीं मिले इसलिए निमित्त रखने के लिए हम उसकी कार्यवाही पूरी कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय. सुप्रीम कोर्ट ने कब काग्निजेंस लिया इसका ?

श्री कनकमल कटारा : मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं, मैं पूरा वक्तव्य में दे रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी : आप सुनिये। अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के नाम पर एक्सटेन्शन की बात करना, सरासर गलत है। यह सुप्रीम कोर्ट की जो बात कर रहे हैं यह एक बहाना है, अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का।

श्री कनकमल कटारा : मूल प्रश्नकर्त्ता ने जो प्रश्न पूछा उससे अलग से प्रश्न है....(व्यवधान) इसमें पूरा विवरण है, पूरा मैं बता दूंगा।

डा. सी. पी. जोशी : मंत्री महोदय, आप एक का जवाब दे दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का किस तारीख का जजमेन्ट है ?

श्री मदन दिलावर : यह अलग से प्रश्न है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : क्यों अलग से प्रश्न है यह ? खाने का प्रश्न अलग से प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का बताओ किस तारीख का फैसला है ? (व्यवधान) हेमराजजी, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट का कौनसी तारीख का जजमेन्ट है और कौन से ईयर का है जिसके कारण आपको यह रोकना पड़ा ?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, रिलेवेंट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह तो अलग से प्रश्न है। अलग से प्रश्न है।

डा. सी. पी. जोशी : रिलेवेंट क्या, फैसला करना रिलेवेंट है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अभी 29 तारीख को एक एफेडेविट पेश किया राजस्थान गवर्नमेंट ने। आप यह कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमने टेण्डर रोक दिया था, उस एफेडेविट में राजस्थान गवर्नमेंट ने लिखा है : "The State Government is presently procuring....

श्री अध्यक्ष : जब आपके पास सारी इन्फोर्मेशन है तो मांग क्या रहे हो इनसे ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह बता रहे हैं क्या साहब, इन्होंने हमको यह बताया है कि (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अन्दर हमने टेंडर को स्थगित किया है और सुप्रीम कोर्ट में 3 मार्च को यह एफेडेविट देते हैं कि-

"The State Government is presently procuring the distributing commodity as supplementary nutrition except in WFP districts from the manufacturers through open tendering process."

(श्री हरिमोहन शर्मा)

यह इन्होंने एफेडेविट दिया है और यहां कह रहे हैं यह और वहां कह रहे हैं वह और आधार यह बताते हैं कि हमने स्टे इसलिए किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां की जो लोकल यूनिट्स हैं या वहां पर जो महिला संगठन हों.....

श्री अध्यक्ष : आप यदि इनके आन्सर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप अन्य नियमों में आइए।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, कौन से नियम ?

श्री हरिमोहन शर्मा : नियम कौनसा ? दो नियम हो गये।

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, सुनिए आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमने टेंडर एक्सटेंड किया। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट यह लिखकर भेज रही है कि हम यह काम कर रहें हैं, जो इनके प्रश्न का उत्तर है बिलकुल उल्टा मामला है। यह सरासर अध्यक्ष महोदय, एक साल तक बिना टेंडर के मनमाने लोगों को, मैन्युफैक्चरर को बेनीफिट देने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं आप। एक तरफ तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, दूसरी तरफ भी सुप्रीम कोर्ट का एफेडेविट दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर का (व्यवधान) इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था कर दें, हमें कुछ नहीं बोलना। आप जो स्टेटमेन्ट करवा रहे हैं उस स्टेटमेन्ट के अन्दर भी हमारे इन प्रश्नों का उत्तर पूछने का अधिकार दिया जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं। (व्यवधान) आप इस पर फैसला कर लीजिए कि जब यह जवाब देंगे तो उत्तर में आप हमें अलाउ करेंगे, नहीं तो जब भी आप फैसला करते हैं उत्तर का फिर आप वाइंड अप कर देते हैं। हम मंत्री के उत्तर से पूर्ण सन्तुष्ट होंगे। वक्तव्य दें, वक्तव्य के बाद हमारे प्रश्नों का जवाब दें। आप इसका फैसला कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप अन्य नियमों में आइये, आधा घंटे की चर्चा कराइये, दूसरे तरीके से दीजिए। नैक्स्ट क्वश्चन।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप नियमों की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, करोड़ रुपये का घोटाला है यह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह परम्परा, प्रश्नों में एक लिमिट तक..... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप नियमों की बात करते हैं, आप परम्परा की बात करते हैं यह परम्परा (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य ने इस सदन में आरोप लगाया है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। यह माननीय सदस्य जो रामगंज मण्डी से आए हैं उन्होंने हाउस के अन्दर रिकार्ड पर लिखवाया है कि इसमें सबसे भ्रष्टाचार हुआ है। हमारा खुद का एप्रीहेंशन है कि बिना टेंडर के खरीद के भ्रष्टाचार किया जा रहा है और आप कह रहें हैं नियमों में आएं। भ्रष्टाचार को बचाने के लिए नियम चाहिएंगे। आपको रिलेक्सेशन देना चाहिए, आपको बड़प्पन बताना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि वक्तव्य के बाद उत्तर दिलाएंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी के पास यदि इन्फार्मेशन नहीं है....

डा. सी.पी. जोशी : हमारे पास है, भ्रष्टाचार हो रहा है (व्यवधान) मना कर दें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन तब आता है (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : जो क्वेश्चन पूछा था, उसके जवाब में (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपकी पार्टी के सदस्य ने रिकार्ड पर कहा है। रिकार्ड के अन्दर रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, प्रोसीडिंग उठाकर देख लीजिए कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि सात करोड़ का भ्रष्टाचार है यह तो दो सौ करोड़ का भ्रष्टाचार है (व्यवधान) दो सौ करोड़ का भ्रष्टाचार है, अध्यक्ष महोदय, सात करोड़ के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से (व्यवधान) सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देश जारी किए थे उनके अनुसार इनका एक्सटेंशन करना जरूरी था. (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह तो ट्रांसपेरेंट सरकार है। राजस्थान पत्रिका ने आज एडिटोरियल लिखा है उसमें सरकार पर रिफलक्शन करता है कि सरकार कैसे काम कर रही है। यदि आई.सी.डी.एस. के बारे में सरकार साफ तौर से निकलकर नहीं आती है तो हम कहते हैं कि राजस्थान पत्रिका का जो एडिटोरियल है वह एडिटोरियल सही बात कहता है कि +++ बन गयी है यह। यही मतलब है ? अध्यक्ष महोदय, आप बताएं इस बात को (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, यह जो टैंडर प्रोसेस था (व्यवधान) यह बढ़ाया गया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन के नियमों में समाचार पत्रों के आधार पर कोई बात सदन में नहीं उठाई जा सकती। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : राजस्थान पत्रिका जो सबसे बड़ी क्रेडिबल पत्रिका है उसने आज एडिटोरियल लिखा है...

श्री महिपाल यादव : करोड़ रुपए का घोटाला है।

श्री कनकमल कटारा : टैंडर प्रोसेस में था (व्यवधान) इसमें तो शर्त नम्बर-6 मैंने पढ़कर बताया है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है।

श्री जुबेर खान : आधे घंटे की चर्चा।

श्री कनकमल कटारा : शर्त नम्बर-6 है उसमें यह मैंने...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने कहा है कि आधा घंटे की चर्चा या तो आप इस सवाल को आधा घंटे की चर्चा में ले लीजिए,

(श्री जुबेर खान)

कुछ तो निर्णय आपको करना पड़ेगा। +++ आधा घंटे की चर्चा ले लीजिए (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आधा घंटे की चर्चा आप मांगोगे जब ही तो...

श्री जुबेर खान : आपने स्वयं ने...

श्री कनकमल कटारा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पोषाहार आई.सी.डी.एस. में उपलब्ध राशि में शामिल है इस पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

श्री महिपाल यादव : आधे घंटे की चर्चा करा लो, अध्यक्ष महोदय।

प्रश्न संख्या : 211

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष : संयम लोढ़ा का प्रश्न स्थगित किया गया। इसलिए किया गया है कि...

डा. सी.पी. जोशी : व्यवस्था क्या दी है आपने ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मैंने आपसे कह दिया अन्य नियमों में आइए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री जुबेर खान : आधा घंटे का...

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपसे यह आशा नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, +++ आपसे आशा नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको प्रोटक्ट करना चाहिए। सदन में भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन पैरों पर है।

श्री जुबेर खान : आधा घंटे की चर्चा आप करा सकते हैं ना।

श्री अध्यक्ष : आधा घंटे की चर्चा कोई यूं थोड़े ही जाती है।

श्री जुबेर खान : इस तरह से भ्रष्टाचार के घोटाले को अगर इस सदन में उजागर नहीं होने दिया जाएगा इस सदन का अर्थ क्या रह जाएगा। जब आन पेपर रिकार्डेड है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो क्यों नहीं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं।

डा. सी.पी. जोशी : कोई आदेश नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं टेबल करने को तैयार हूं (व्यवधान) बिना मतलब कोई तथ्य ही नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं कराना चाहती। (व्यवधान) प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया, यह रिकार्ड पर है। आप चर्चा नहीं कराना चाहते (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जिस आदेश के तहत नये नीति निर्देश ज़ारी क़िए थे। आप कहो तो टेबल करने को तैयार हैं। बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, बिना किसी आधार के आरोप लगा रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : कोई आदेश नहीं है, हां कोई आदेश नहीं है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं पढ़कर सुनाऊं ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप बताओ कौनसी तारीख के आदेश हैं, कौनसी तारीख के आदेश हैं ?

डा. सी.पी. जोशी : सुनाइये, आदेश सुनाइये।

श्री जुबेर खान : कौनसी तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एस.पी. सिविल रिट याचिका संख्या 196 दिनाक 7-10-2004 को पारित निर्णय में पोषाहार को क्रय करने में (व्यवधान) कुछ निर्देश जारी किए गए थे।

श्री हरिमोहन शर्मा : जिन फर्मों का टाइम बढ़ाया है वह सी.एफ.सी.आर.आई. से एप्रूव नहीं हैं एक भी फर्म। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : रखिए, यहां रखिए (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कुछ निर्देश जारी किए गए थे। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : पटल पर रखिए, यहां रखिए, सदन में रखिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : सुप्रीम कोर्ट का आदेश पटल पर रखिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राठौड़ साहब, आप अपना कागज रखिए, आप वाला कागज रखिए। राठौड़ साहब आप पढ़ रहे हैं यही रख दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी हाउस में...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप रिकार्ड पर ले लीजिए। सदन के पटल पर रख दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए।

श्री सांगसिंह भाटी : एक तरफ तो यह एस.सी., एस.टी. की वकालत करते हैं और दूसरी तरफ एस.सी., एस.टी. का, जनजाति का ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप रिकार्ड पर दे दीजिए। आप सदन के पटल पर रख दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कापी यहां रख दीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री रखना चाहते हैं तो रखें, कौन मना कर रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) की पत्नी टोल टैक्स के तीन करोड़ रुपए खाकर बैठी हुई है (व्यवधान) बूंदी जिले से आने वाले माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आवश्यकता पड़ी तो टेबल भी कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : तीन करोड़ रुपए टोल टैक्स के हरिमोहनजी की पत्नी खाकर बैठी हैं। तीन करोड़ रुपए टोल टैक्स का क्यों नहीं दे रहे हैं और ऐसे भ्रष्ट लोगों को...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसकी संख्या है वह बताना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हरिमोहनजी तीन करोड़ रुपए खाकर के बैठे हो और बात कर रहे हैं (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, कागज ले करवाइये यहां। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जरूरत पड़ी तो टेबल कर देंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : इनकी सरकार के मंत्री से जांच करवा लो और वह अगर यह फाइनल करते हैं तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो मदन दिलावर का इस्तीफा लो। (व्यवधान) मदन दिलावर इस्तीफा दे। मदन दिलावर इस्तीफा का चैलेंज स्वीकार करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, संसदीय मंत्रीजी से वह रिकार्ड तो करवाइये।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

डा. सी.पी. जोशी : हम इंगित नहीं करना चाहते पर मामला क्या चल रहा है, आप देख लीजिए कौन इन्वाल्व है, कौन इन्वाल्व नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है। यहां बैठकर चर्चा कर लें, हम कहना नहीं चाहते।

श्री सांगसिंह भाटी : एक तरफ तो वकालत करते हैं एस.सी.एस.टी. की, जनजाति की और दूसरी तरफ एस.सी.एस.टी. का हमारा मंत्री है उसकी बात यह सुनना नहीं चाहते। जान-बूझकर दबाना चाहते हो।

श्री कनकमल कटारा : माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 196/2004 दिनांक 7-10-2004 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, मंत्रीजी आसन पैरों पर है (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पांवों पर। माननीय सदस्यगण, न तो जितनी बेलोसिटी और जितनी ताकत आप लोगों की आवाज में है, न तो आसन के पास इतनी ताकत और इतनी बेलोसिटी है और इतनी जोर-जोर से एक साथ आप लोग बोलते हैं। आसन को तो कुछ सुनाई ही नहीं देता है। इस सदन को नियमों से चलाने की जिम्मेदारी कोई आसन की अकेले की नहीं है। आप सभी लोगों की है। माननीय सदस्यों की सब की है। एक-एक करके यदि माननीय सदस्य बोलें तो अपनी बात कहने का सबको मौका मिले। लेकिन आप तो इतनी जोर से बोलने लग जाते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। एक साथ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपने पढ़ लिया वर्डिक्ट....(व्यवधान) सुनिये प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वह आपने पढ़ लिया, अब माननीय मंत्रीजी भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ही पढ़ना चाहते हैं इसलिये जरा उन्हें भी सुन लिया जाए...(व्यवधान) इन्हें भी सुन लिया जाए। सुन लिया जाए, क्या दिक्कत है...(व्यवधान) देखिये मंत्रिमंडल में जोइंट रेस्पांसिबिलिटी होती है। वह नये हैं, वह पुराने हैं, यदि वह सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो...(व्यवधान) माननीय पी.ए.डी. मिनिस्टर... (व्यवधान) हां, तो अब बैठे-बैठे नहीं बोलें...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इनको अलाउ किया है, आपने संसदीय मंत्रीजी को अलाऊ किया है....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वह सुनायेंगे। मैं तो कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान) कौन मना कर रहा है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : संसदीय मंत्रीजी को आसन ने इजाजत दी है और इनको...(व्यवधान) क्या हो गया। यह आसन के आदेश की अवहेलना है। यह टाइम दे रहे हैं उन्हें, वह ढूंढ रहे हैं। उनके पास कागज नहीं है, वह ढूंढ रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अब आप क्यों आ रहे हो बीच में। मंत्री हो गये ? आप मंत्री हो गये क्या ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन नियमों और परम्पराओं से चले। सदन के माध्यम से एक सीमा है उस सीमा में वह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनका समाधान नहीं हो, आधा घण्टे की चर्चा है। तो जो इस प्रकार के लम्बे मामले हैं उनको आप वक्तव्य देने के बाद कह सकते हैं...(व्यवधान) उनका सारा स्पष्टीकरण जब तक नहीं हो सकता। हां, हा-हुल्लड़ में...

श्री अध्यक्ष : हा-हुल्लड़ नहीं होगा...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि केवल हम आरोप-प्रत्यारोप लगाकर चले जाएं, कोई यह उचित नहीं होगा...(व्यवधान) सुनो तो सही। 12 बजे क्वेश्चन आवर समाप्त हो जायेगा...(व्यवधान) मैं मना नहीं कर रहा हूं। सिर्फ यह बोल रहा हूं कि 12 बजे क्वेश्चन आवर समाप्त होने के बाद फिर इस पर आगे हम बोलेंगे....(व्यवधान) इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि हम पहले तो...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप, महावीरजी इसलिये बोल रहे हो, कागज फिर भी नहीं मिलेंगे, आप पूरी देर तक बोलें फिर भी नहीं मिलेंगे...(व्यवधान) कोई आरोप नहीं है। आप तो आसन के आदेश की पालना होने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपने संसदीय मंत्रीजी को अलाउ किया है कि वह अपनी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो कहना चाहते हैं वह रखें और नये संसदीय मंत्री कहां से आ गये...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, हालत देख लीजिये आप... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप पढ़िये...(व्यवधान) टेबल कीजिये उसको। कुछ नहीं है इनके पास...(व्यवधान) नियमों में आओ...

श्री हेमराज मीणा : इनको बोलने का मौका नहीं दिया, जबरदस्ती बोल रहे हैं, इनको बंद करो...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हिंडौली से आने वाले माननीय सदस्य की पत्नी तीन करोड़ रुपये खाकर बैठी हुई हैं टोल टैक्स के। तीन करोड़ रुपये.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपने संसदीय मंत्रीजी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति के लिये कहा था...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : तीन करोड़ हिंडौली से आने वाले माननीय सदस्य की पत्नी खाकर बैठी हुई है राजस्थान सरकार के टोल टैक्स के और आरोप लगा रहे हैं। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : करोड़ का घोटाला जो बाल विकास विभाग ने किया है उसको दबाने चाहते हैं। यह आज की महिलाओं के साथ...(व्यवधान) दस करोड़ का घोटाला, तिरेपन करोड़ का घोटाला...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : शर्त संख्या छह में लिखा हुआ है कि इसको क्षेत्र में एक वर्ष बढ़ाया जाए और इसी काम के लिये बढ़ाया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है। 7-10-2004 का आदेश है जिसमें निरन्तर यह पोषाहार आपूर्ति करने के निर्देश हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब तक सब माननीय सदस्य शांत नहीं हो तब तक मंत्रीजी कुछ भी कहने से मतलब नहीं है। सब शांतिपूर्वक सुनें तो आप बोलिये....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था सर्वोच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 196/2001, दिनांक 7-10-2004 को एक निर्णय दिया। निर्णय की प्रतिलिपि मैं टेबल करने को तैयार हूं....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : 2004....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, 7-10-2004 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 2004...(व्यवधान) नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे नहीं बोलें और बीच में भी न बोलें। बीच में भी नहीं बोलेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय. संसदीय कार्य मंत्री ने बताया... (व्यवधान) यह टेंडर किया है। 1-4-2000 और कोट कर रहे हैं 7.10 को, कहां के मंत्री हैं आप ? यह टेंडर आपने 1-4-2000 को दिये हैं और कोट कर रहे हैं...(व्यवधान) काहे को गुमराह कर रहे हैं आप। आप बड़ा विद्वान समझ रहे हैं। सदन को गुमराह कर रहे हो, बात कर रहे हैं। यह टेंडर, री-टेंडर किये हैं 1-4-2000 को....(व्यवधान) 1-4-2000 का टेंडर है और 7-10-2004 को कोट कर रहे हैं। यह टेंडर की डेट...(व्यवधान) यह टेंडर, री-टेंडर करने की बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का दे रहे हैं...(व्यवधान) खाली सदन को गुमराह करना चाहते हैं। आप इसको टेबल करवाइये कागज को। अध्यक्ष महोदय, ले करवाइये...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : टोल टैक्स के तीन करोड़ हिंडौली से आने वाले माननीय सदस्य की पत्नी के नाम हैं और वह दे नहीं रही हैं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, कागज़ को टेबल कराइये। माननीय मंत्रीजी ने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया है उसको आप टेबल कराइये...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस तरह से मिसगाइड, सदन को गुमराह करना, यह सरासर गलत है। आप टेबल कराइये इनसे...(व्यवधान) आप निर्देश दीजिये मंत्री महोदय को कि वह कागज रख दें...

श्री अध्यक्ष : चूंकि इस प्रश्न से सम्बन्धित ही दूसरे प्रश्न पर वक्तव्य देंगे मंत्रीजी इसलिये मैं नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार रही हूं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप उत्तर दिलाइये ना। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं होगा...(व्यवधान) भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। (व्यवधान) अत्याचार नहीं चलेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेश मीणा...(व्यवधान)

<u>प्रश्न संख्या 212</u>

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से कागज तो ले करवा दीजिये। क्वेश्चन अगला पुकारा, आप लें, मंत्रीजी ने जो सुप्रीम कोर्ट का दिया है वह तो टेबल करवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने व्यवस्था दी थी उनको वह फैसला पढ़ने की...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : यह मामला सीधा-सादा भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है। कांग्रेस पार्टी चाहती है....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी वक्तव्य देंगे ना। मंत्रीजी वक्तव्य देंगे इसके बारे में। वक्तव्य होगा...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : सदन चाहता है....(व्यवधान) मेरी सुन लीजिये आप। अब सारा सदन चाहता है कि भ्रष्टाचार से पर्दा उठे। मेरा जहां तक ख्याल है भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी भी चाहेंगे कि भ्रष्टाचार राजस्थान से खतम हो और यदि वह हमसे सहमत हैं, इसके ऊपर मंत्रीजी वक्तव्य दें और इसके बारे में सारे तथ्य सदन को अवगत कराएं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वक्तव्य देने को तैयार हैं....(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : तब जाकर सही बात होगी। इस प्रश्न को स्थगित करके दूसरा प्रश्न लें, मेरा सवाल नहीं है। सवाल इसको स्थगित करने का नहीं है...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : इनको तकलीफ एस.टी., एस.सी. के जनजाति मंत्रीजी है। तकलीफ है आपको, आप उनको सुनना नहीं चाहते हैं, दबाना चाहते हो। तकलीफ आपको होती है कि एस.टी., एस.सी. का जनजाति का मंत्री क्यों बना हुआ बैठा है। तकलीफ आपको यह है...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : यह भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है वह सारा निंदनीय है और इसमें सारा सदन मिलकर ऐसा काम... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर...(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 213

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामनारायण मीणा : मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे मामले में आसन पार्टी नहीं बने। आसन से हम सुरक्षा चाहते हैं। आसन से हम विनती करते हैं...(व्यवधान) ऐसे मामले में...(व्यवधान) सरकार को आदेश दे। हम इनको सहन नहीं करेंगे और मेरा जहां तक ख्याल है इस तरह से प्रश्न पुकारने से....(व्यवधान) सारी स्थिति सामने आ जायेगी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री समर्थ लाल। श्री समर्थ लाल...(व्यवधान)

रैणी एवं राजगढ़ (अलवर) पंचायत समिति की फार्म हाउस योजनान्तर्गत लम्बित कृषि कनेक्शन

214. श्री समर्थ लाल मीणा (राजगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति रैणी एवं पंचायत समिति राजगढ़ (अलवर) में फार्म हाउस योजना में पिछले तीन वर्षों में कितने कनेक्शन दिये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार फार्म हाउस योजना को नियमित करने का विचार रखती है ?

(3) पंचायत समिति राजगढ़ व रैणी में फार्म हाउस योजना में कनेक्शन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त आवेदन पत्रों में से कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये? शेष आवेदकों को कब तक कनेक्शन स्वीकृत कर दिये जायेंगे ?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह) : (1) पंचायत समिति रैणी एवं राजगढ़ (अलवर) में पिछले तीन वर्षों में फार्म हाउस योजना के तहत जारी किये गये कनेक्शनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(श्री गजेन्द्र सिंह)

वित्तीय वर्ष	दिये गये कनेक्शनों की संख्या (फार्म हाउस श्रेणी)	
	पं.सं. राजगढ़	पं.सं. रैणी
2002-2003	34	38
2003-2004	25	61
2004-2005	27	70
कुल	**86**	**169**

(2) जी हां। फार्म हाउस योजना एक नियमित योजना है। नयी कृषि कनेक्शन नीति, 2004 (संशोधित 18-9-2004) के अनुसार शहरी क्षेत्रों में फार्म हाउस योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी एवं विशेष श्रेणी योजना लागू है। इस नीति को अभी संशोधित करने का कोई विचार नहीं है।

(3) पंचायत समिति राजगढ़ व रैणी में फार्म हाउस योजना के तहत प्राप्त आवेदन जारी किये गये कनेक्शन व निरस्त किये गये एवं शेष रहे आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

पंचायत समिति	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी किये गये कनेक्शनों की संख्या	शेष आवेदनों की संख्या	निरस्त पत्रावलियों की संख्या
राजगढ़	230	86	137	7
रैणी	431	169	244	18
कुल	**661**	**255**	**381**	**25**

शेष आवेदकों को जिनके डिमाण्ड नोटिस जमा हो चुके हैं, कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है तथा जिनके डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं हुए हैं उनके डिमाण्ड नोटिस कृषि कनेक्शन नीति, 2004 (संशोधित 18-9-2004) के अनुसार शीघ्र जारी कर दिये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में फार्म हाउस श्रेणी में

(श्री गजेन्द्र सिंह)

लम्बित आवेदक श्रेणी के समकक्ष माने जावेंगे तथा विशेष श्रेणी के सभी प्रावधान लागू रहेंगे।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न संख्या पुकारा है मेरा...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है भ्रष्टाचार जिसमें मंत्री शामिल हो...

श्री अध्यक्ष : आपकी बात मैंने सुन ली उप नेता महोदय और मैंने कहा वक्तव्य...

श्री रामनारायण मीणा : सवाल भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पुकारा है मेरा...(व्यवधान) मैंने पूछा है। मैंने बोला है प्रश्न संख्या 213 । अध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछना नहीं चाहते...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मेरा प्रश्न लगा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गया, गया (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : +++ यह कोई उचित थोड़ी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : हम तो चाहते हैं...(व्यवधान) पर सदन चाहता है ऐसे मामले को, आप सदन की भावना से अवगत हैं...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हिंडौली से आने वाले माननीय सदस्य की पत्नी टोल टैक्स के तीन करोड़ खा गयीं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप क्यों खड़े हो रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री, क्यों खड़े हैं आप...(व्यवधान) स्थान ग्रहण करें। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

स्थान ग्रहण करें...(व्यवधान) मैं आपसे ही कह रही हूं। आप स्थान ग्रहण कर लें...(व्यवधान) हिंडोली से आने वाले माननीय सदस्य, बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मैंने प्रश्न पुकारा है मेरा। +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय संसदीय मंत्रीजी ने अपनी बात रखी है सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैं कहना चाहता हूं...

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं इस से दुखी होकर स्वयं चला कर हाउस का बायकाट करता हूं। दुखी हो गया हूं यह चर्चा सुन करके...(व्यवधान)

(श्री रामप्रताप कासनिया, सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो आरोप श्री मदन दिलावर ने लगाये हैं या तो वह उनको साबित करें और नहीं तो इस्तीफा दें और अगर उन्होंने आरोप साबित कर दिये तो मैं इस्तीफा दूंगा। नहीं तो यह +++ इस्तीफा दें...(व्यवधान) यह +++ इस्तीफा दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री रामनारायण मीणा : पार्टी और उसके सदस्यों को जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात पर बचाया जा रहा है, हम सब उसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में बहिर्गमन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री संयम लोढ़ा एवं 22 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों के आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में।

   उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

2. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अनेक ग्राम विद्युतीकृत होने के उपरान्त भी कृषि एवं घरेलू कनेक्शन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

यह आप क्या कर रहे हैं ? आपको मालूम होना चाहिए कि जब आसन पांवों पर होता है, nobody can leave the House and nobody can enter the House.

उपरोक्त प्रस्ताव इतनी गम्भीर प्रकृति का नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री जुबेर खान को अपने प्रस्ताव के विषय पर 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन नियमों की अवज्ञा करते हैं, अवहेलना करते हैं। नम्बर कट जायेंगे आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक कहलाने में और बनने में।

(श्री अध्यक्ष)

प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं, मैं उनका विवरण दे रही हूं।

1. श्री नवनीत नीनामा, सदस्य की ओर से तहसील घाटोल की पंचायत समिति पीपलखूंट को माही डेम से पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य की ओर से नवलगढ़ की सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में।

3. डा. सुरेश चौधरी, सदस्य की ओर से दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. में पिछले कुछ माह से हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में।

4. श्री रामरतन बैरवा, सदस्य की ओर से विधान-सभा क्षेत्र शाहपुरा में 32 के.वी. सब स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में।

5. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से नगरपालिका चिड़ावा के चेयरमैन एवं ई.ओ. को हटाने के सम्बन्ध में।

6. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, सदस्य की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों में घटिया सामग्री लगाये जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री मदन राठौड़, सदस्य की ओर से पाली से जोधपुर के लिये प्रस्तावित नेशनल हाईवे संख्या-65 के निर्माण में विसंगति के सम्बन्ध में।

8. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से चौमूं के सामुदायिक चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के अतिरिक्त पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

9. श्री केसर देव बाबर, सदस्य की ओर से सहकार मार्ग, जयपुर से नगर निगम मुख्यालय को जाने वाले मुख्य मार्ग पर शौचालय/मूत्रालय का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

10. श्री कन्हैया लाल पाटीदार, सदस्य की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न मदों में बढ़ोतरी करने के सम्बन्ध में।

11. श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर ग्रामीण एवं सराड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांवों का किये गया थाना परिसीमन निरस्त करने के सम्बन्ध में।

12. श्रीमती ममता शर्मा, सदस्य की ओर से जिला बूंदी की ग्राम पंचायत जाखूमण्ड के खनन कार्य को तत्काल बंद किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री जुबेर खान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो हम 23 सदस्यों के द्वारा आपकी सेवा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में किस रूप से व्यवस्था संचालित हो रही है। सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के खिलाफ वारंट हैं। अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आसन जानकारी प्राप्त करेगा।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री के दाहिने तरफ ऐसे अदालत के भगोड़े बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं बोलने की अनुमति नहीं दूंगी।

श्री संयम लोढ़ा : क्यों ?

श्री अध्यक्ष : मैं इसलिए नहीं दूंगी, सुनिए आप। बैठें आप। आप बैठें। जब मैंने यह व्यवस्था दे दी कि मैं जानकारी प्राप्त कर रही हूं। जानकारी प्राप्त होने के बाद मैं इस बारे में व्यवस्था दूंगी तो आपको बोलने का इस

(श्री अध्यक्ष)

समय कोई हक नहीं है। मैं विधान सभा का सत्र खतम होने से पहले व्यवस्था करके इस बारे में व्यवस्था दिलाऊंगी।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह साधारण प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : साधारण नहीं है इसलिए तो जवाब दे रही हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान में पुलिस का मनोबल गिर रहा है। अदालत के भगोड़े और अपराधी किस्म के लोगों को उनके द्वारा, पुलिस द्वारा एस्कोर्ट करनी पड़ रही है।

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है। (व्यवधान) आप बैठ जायें। (व्यवधान) अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना कर रहा हूं कि आप जिस दिन चाहें, जितना समय (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : xxx

श्री अध्यक्ष : आपके मंत्री बोल रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इस विषय में हर प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में हूं। और मैं आपको अपने तथ्यों से यह प्रमाणित कर दूंगा और आपको संतुष्ट करने के बाद ही सदन के बाहर जाऊंगा। मैं इसकी गारंटी आपको दे रहा हूं। केवल प्रचार करने मात्र से इस विषय को आप फेंकना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। इसमें हर आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास है। इस मुकदमें के बारे में है, पूर्व की सरकारों के बारे में किये हुए काम हैं, आपके द्वारा और हमारे द्वारा उठाये हुए मुकदमे हैं, आप जिस सवाल को खड़ा करेंगे, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। आप जिस दिन चाहें, इसके बारे में आपकी सन्तुष्टि के लिए मैं हर समय तैयार हूं। आसन को व्यवस्था करनी है।

श्री अध्यक्ष : 15 तारीख को गृह विभाग के साथ मांग पर चर्चा होगी सदन में और उसी दिन इस बारे में जवाब दिया जाय।

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री अध्यक्ष : ऐसा है आप देखें। आप नियमों की थोड़ी जानकारी करें। ऐसे हर किसी वक्त खड़ा नहीं हुआ जाता है। आप एक बार स्थान ग्रहण करें, आपको अपनी बात कहने का मौका दूंगी लेकिन समय पर। अभी नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री अध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : जब उन्होंने एश्योर कर दिया, आपको आश्वस्त कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : जिस व्यवस्था को आप मानते हैं, वह मानते हैं, मैं कैसे कहूं उन्हें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर यह लगता है कि उस दिन समय पर्याप्त नहीं मिलेगा तो मैं आसन से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप जिस समय चाहे, जिस दिन चाहे उस समय मैं आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है कि मैं तथ्यों से आपको संतुष्ट करूंगा कि जो मैंने किया, वह कानून और नियम मुझे जो अधिकार देते हैं, उसके तहत किया है। आप जब चाहे, जिस समय चाहे समय तय करे, कोई जरूरी नहीं कि आप मांग के दिन तय करें, अगर आसन व्यवस्था करें तो मैं बाकी समय पर भी देने को तैयार हूं, आज चाहे तो भी तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री अध्यक्ष : यह सदन नियमों से चलता है। लेकिन आज नियमों का पालन नहीं हो रहा है, आसन असहाय बना हुआ है। मैं आप सबसे बहुत नम्र शब्दों में निवेदन करती हूं कि सदन को नियमों से चलने दें, आसन की गरिमा बनाए रखें और आसन की व्यवस्था का पालन करें। ऐसे कैसे काम चलेगा, आप बताइएं। आप लोग बिलकुल ऐसे खड़े हो जाते हैं, चाहे जब खड़े हो जाते हैं, चाहे जो कुछ बोलने लग जाते हैं, जब एक बार बात हो गई, आपको गृह मंत्रीजी ने बिलकुल कह दिया कि मैं आप सबको संतुष्ट करूंगा, आपकी एक-एक बात का जवाब दूंगा फिर भी आप खड़े हो जाते हैं और बोलने लग जाते हैं।

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री रघुवीर सिंह मीणा : x x x

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैं देख रही हूं कि आप मेरी जेनरोसिटी का फायदा, दोनों ही पक्ष उठा रहे हैं। (व्यवधान) मैं सोचती हूं आप ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, बिलकुल नहीं सुनते हैं आप लोग। मैंने कहा कि यह सदन नियमों से चलता है। नैतिकता की बात आप करते हैं तो जब उन्होंने नैतिकता के प्रश्न पर जब कह दिया कि मैं उसका भी जवाब दे दूंगा तो क्या और किस बात की बहस है ? चाहे जो खड़ा हो जाए, आसन की व्यवस्था माने नहीं। आपको लगता है कि मैं आसन की व्यवस्था बनाए रखने में अक्षम हूं तो कोई मुझे एतराज नहीं है, किसी और को बैठा दो यहां पर, उसे बैठा कर आप अपना संचालन कर लो लेकिन यह अव्यवस्था मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे मजबूर कर रहे हैं आप कोई न कोई कठोर कदम उठाने के लिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, आप बैठा सकते हैं किसी और को यहां पर, मुझे रत्ती भर भी इस बात का वह नहीं है लेकिन यह क्या तरीका है कि आप, आसन की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है, यह आसन इस सदन में सर्वोपरि है और इसके द्वारा दी गई व्यवस्था का आप पालन नहीं करें, नियमों का पालन नहीं करें तो कैसे चलेगा सदन, आप मुझे बताइए ? खैर, कोई गलत जवाब दे, नहीं दे, आपको अपनी बात कहने का हक है लेकिन यह कोई मतलब थोड़े है कि आप शोर मचाए चले जा रहे हैं और किसी दूसरे की बात को सुन ही नहीं रहे हैं, यह थोड़े मतलब है ? अपन सब जानते हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं वह जानते हैं कि सदन नियमों से चलता है और मंत्री के जवाब से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप दूसरे नियम में आ सकते हैं, आधा घण्टे की चर्चा करवा सकते हैं लेकिन यह थोड़े मतलब हो गया कि आप एक बात पर कहे चले जा रहे हैं, जो मर्जी आए वह शोर मचाते चले जा रहे हैं, यह व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय जुबेर खान, आपको बोलना है ? मैं अब किसी को नहीं सुनूंगी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : x x x

श्री अध्यक्ष : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें, मैंने जुबेर खान का नाम पुकार लिया है।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा, मेरी अनुमति के बिना कुछ अंकित नहीं होगा यहां, कहने दो, इनको जो कुछ कहना है।

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री अध्यक्ष : क्या नहीं किया, किसने नहीं लिया ? आप मेरे चेम्बर में मिलिएगा, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी कि आपको क्या करना है। मैं आपको तरकीब बताऊंगी, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए।

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री अध्यक्ष : आप मेरे चेम्बर में आएं। (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें। आप मुझे मेरे चेम्बर में मिलिएगा, मैं आपको बताऊंगी, जानकारी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। बताऊंगी आपको।

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री अध्यक्ष : मैं बताऊंगी आपको क्या करना है।

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर) : x x x

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान। (व्यवधान) चेम्बर में मिलिएगा, चेम्बर में बताऊंगी आपको।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

श्री कालीचरण सर्राफ : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

श्री मदन दिलावर : x x x

श्री जयराम जाटव : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

श्री कालीचरण सर्राफ : x x x

श्री बद्रीलाल जाट : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री कालीचरण सर्राफ : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : नहीं। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : बाद में आपको अलाउ करूंगी।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री कालीचरण सर्राफ : x x x

श्री अध्यक्ष : नहीं दी मैंने।

श्री कालीचरण सर्राफ : x x x

श्री अध्यक्ष : मैंने परमिशन नहीं दी है। अंकित भी नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर : x x x

श्री सांगसिंह भाटी : x x x

श्री जयराम जाटव : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री सांगसिंह भाटी : x x x

श्री कैलाश त्रिवेदी : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, क्षमा चाहती हूं इस बारे में नहीं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : जो आसन की अवहेलना करेंगे वो चाहे सत्ता पक्ष के हों और चाहे प्रतिपक्ष के, मैं उनको बिलकुल बोलने का मौका नहीं दूंगी।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी, अब आप क्या बात कहना चाहते हैं ?

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री मदन राठौड़ : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी, मैंने यह कह दिया कि राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा है और जानकारी कर रही हूं और इस बारे में व्यवस्था दूंगी, कम से कम आप, कल छुट्टी है।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा। बैठे-बैठे नहीं बोलें, आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : कहां-कहां जानकारी देने को तैयार हूं।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : उन्होंने यह कहा कि मैं आपको इस बारे में सदन को संतुष्ट करूंगा, आपकी सारी भ्रांतियों को दूर करूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बताऊंगा, यह कहा है उन्होंने।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री कुछ भी कहें, आसन जब व्यवस्था देगा और कहेगा कि अब आप इस बारे में कहिए, तभी कहेंगे वह।

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री अध्यक्ष : यह सत्र खतम होने से पहले यह कहा है, सत्र खतम होने से पहले।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी बोलने की और अंकित भी नहीं हो रहा है, अंकित नहीं करना।

श्री अमराराम (धोद) : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : आसन के नियमों का पालन तो करें नहीं, व्यवस्था आप मानें नहीं और फिर कहें, बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री कालीचरण सर्राफ : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय, आज आपको उद्योग पर कुछ कहना नहीं दिखता है और खनिज पर भी कुछ कहना नहीं दिखता है, ऐसा लगता है।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री भवानी सिंह राजावत : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री भवानी सिंह राजावत : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए। आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस स्थगन प्रस्ताव में साफ आपने लिखा है कि राज्य में पुलिस का मनोबल गिर रहा है, पुलिस लाचार है, पुलिस तामील नहीं करा पाई और फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हैं पुलिस का मामला नहीं है और आप यह देखिए।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : एक तरफ तो आप यह स्वीकार कर रहे हैं और न नियमों की परवाह है आपको।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : न नियमों की परवाह है आपको, आपको अपनी बात कहनी है, न नियमों की परवाह है। यदि आज आपको सारे दिन यह फैसला कर लिया है कि आपको खड़े ही रहना है तो वहां जाकर खड़े हो जाओ, कम से कम बीच में तो मत खड़े हों, यही फैसला कर लिया है आज आपको कि खड़ा ही रहना है।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री दाताराम गुर्जर : x x x

श्री भागीरथ चौधरी : x x x

श्री रामप्रताप कासनिया : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री वासुदेव देवनानी : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री मदन राठौड़ : x x x

श्री रामप्रताप कासनिया : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री वासुदेव देवनानी : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मेरी एब्सेंस में मेरे सम्बन्ध में माननीय सदस्य माहिर आजादजी ने कुछ कहा, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। माहिर आजाद साहब सामने बैठे हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांतिपूर्वक कहें जो कहना हो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : मैंने जो कुछ यहां कहा था, बिलकुल सच कहा था और इन्होंने केन्द्र सरकार सें ऐसे कारतूस भरने वाली फैक्ट्रियों को इल्लीगल रूप से नाजायज फायदा पहुंचा करके बारूद दिलवाया और बारूद को बाद में उग्रवादियों ने पंजाब में सप्लाई किया और उससे बहुत घटनाएं हुई हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनका अंकित करो। अंकित करो इनका। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : साथ में यह कह रहे हैं कि मंत्री...(व्यवधान) लेकिन मैं निवेदन करूं कि इनके आयुर्वेद मंत्री जिनको

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

सुप्रीम कोर्ट ने व्याभिचारी, तस्कर और झूठा, षड्यंत्रकारी सुप्रीम कोर्ट ने जिनको साबित कर दिया उनकी अपील भी कहीं नहीं हो सकती और ये किस मुंह से यह बात कह रहे हैं कि यह हमारे वाले मुकदमों में वांछित हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : आपने लोकतंत्र को मजबूत किया, आपने आज तक ऐसे अपराधी को सम्मानित करके मंत्री बनाया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी ठहराया। (व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने उस आदमी को दोषी ठहराया उसको आपने मंत्री बनाकर प्रजातंत्र को...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : विश्वास तो आपने खो दिया, आप खो चुके। ऐसे आदमियों को जो अपराधी साबित हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट से, उनको मंत्री पद पर सुशोभित करके आपने जनतंत्र को क्या मजबूत किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी बात सुनी, लोकतंत्र की बात सुनी, लोकतंत्र का बेसिक कंसेप्ट सहिष्णुता है। एक आदमी के 51 वोट आते हैं, एक के 49 आते हैं, 49 वाला चुपचाप गर्दन नीची करके चला आता है या नहीं आता है? मुझे आप बताइये। लेकिन आपको अपनी बात कहने का हक है और बहुमत को भी चाहिए कि वो प्रतिपक्ष की बात को सुनें लेकिन प्रतिपक्ष का यह अड़ियल रवैया कि मैं खड़ा ही रहूंगा, अपनी बात कहता ही रहूंगा। जब मैंने कह दिया, व्यवस्था दे दी और जब मंत्रीजी ने आपको आश्वस्त कर दिया कि यह सत्र समाप्ति से पहले आपकी तमाम बातों का जवाब देकर के आपको संतुष्ट करके यहां से जाऊंगा तो फिर क्या बाकी रह गया था कि आप इसके लिए हठधर्मी कर रहे हैं ? (व्यवधान) लोकतंत्र की बात कर रहे हो उसका बेसिक कंसेप्ट है सहिष्णुता। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : पुलिस लेकर जा रही है पुलिस, पुलिस एस्कोर्ट कर रही थी इनको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : आप गुरुजी बैंगन खाये और दूसरों को बुरा बताये। आप तो मंत्री बना सकते हो। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : माननीय सदस्य, ये तो अभी भी कोई सजायाफ्ता नहीं है, पिछले वाले तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रूव्ड अपराधी घोषित थे, उनको मंत्री बना करके आपने कौन सा पैगाम दिया है जनता को ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : और फिर आप कह रहे हो कि पुलिस से सम्बन्धित नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी जा चुकी है और व्यवस्था देने के बाद में आपको हठधर्मी करने का कोई अधिकार नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : आप चाहते तो इस तरह से आधा घंटा जाया नहीं होता। माननीय सदस्य.....

श्री जुबेर खान : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अध्यक्ष : आपको अपनी बात कहनी नहीं है, ठीक है आगे चलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज फिर गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उस बात को दोहराई और आपने उसको रिकार्ड भी कराया है। (व्यवधान) मुझे मेरी बात कहने नहीं दोंगे क्या, मैं मेरी बात कहूंगा, आप मुझे मेरी बात कहने दीजिये। मैं मेरी बात कह रहा हूं। आप बैठिये पहले। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो मुझे कुछ कहना था वह कह चुका लेकिन आज उन्होंने उस बात को फिर दोहराया है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय की जो घटना बताई है, उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री और आज के महामहिम भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार थी...

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : यह केन्द्र सरकार का मामला था और उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा, मैं मेरी बात कह रहा हूं, मेरी बात भी रिकार्ड पर आनी चाहिए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनका भी रिकार्ड कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : ....तो मैं फ्लोर पर खड़ा हूं तो मेरा पजेशन है फ्लोर पर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नगर से आने वाले माननीय सदस्य को बोलने दें। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको कुछ कहना हो, बीच में नहीं टोकें, उसके बाद में भले ही कहें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ऐसे कैसे कहते हो कि बैठ जाओ।

श्री बंशीलाल खटीक : सदन में सदन की गरिमा से बोलो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हां, बिलकुल आपकी आज्ञा का पालन करेंगे वह, बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उन्होंने जो घटना बताई, वह 1989-90 की बताई, उस समय राजस्थान में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे, उनकी सरकार थी और केन्द्र में जनता दल की सरकार थी।

श्री अध्यक्ष : 1989 में कांग्रेस की सरकार थी, यह 90 में आई है।

श्री जीतराम : 1990 में थी, फरवरी में बनी थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : 1989 में केन्द्र में सरकार बन गई थी, यह 1990 में आई थी।

श्री अध्यक्ष : हां, केन्द्र में बन गई थी। हां, केन्द्र में बन गई थी। यहां हरिदेवजी जोशी की सरकार थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : 27 फरवरी को चुनाव हुए थे और चार दिन बाद यहां पर सरकार बनी। मैं यह आपसे निवेदन कर रहा था कि मामला 1989-90 का बता रहे हैं, 1990 का बता रहे हैं। उस समय यहां भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार थी और केन्द्र में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंहजी की सरकार थी जिसको भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था। मैं आज भी खुली रूप से चुनौती देता हूं पूरी सरकार को कि आप इसकी जांच करा लो, कहीं भी लैश मात्र भी मेरा अगर डाइरेक्ट-इनडाइरेक्ट किसी भी तरह का कोई मिल जाये तो मैं सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं और वरना इस तरीके से मनगढंत बातें इस हाउस में नहीं की जानी चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जांच कराइये। सदन की समिति से, चाहे सी.बी.आई. से करा लीजिये। जिस एजेंसी पर आपका विश्वास हो, उससे करा लीजिये। चाहे आपके संसदीय कार्य मंत्रीजी से करा लें, चाहे आप उद्योग मंत्रीजी से करा लें, किसी से भी जांच करा लें, मैं पूरी जांच को स्वीकार करता हूं और जांच में अपने आपको प्रस्तुत करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह माना, स्वीकार किया कि जनता दल के मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

और उस समय ये उस कथित फैक्ट्री के मालिक को, राजस्थान हाउस का रिकार्ड बता देगा कि इनके साथ में रूके हुए थे और...

मोहम्मद माहिर आजाद : कौन, नाम बताओ ना, कौन ?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : उसको गृह मंत्रीजी से ले जाकर मिलाने वाले ये थे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नाम बताइये ना आप। आप तो नाम बताइये ना, कौन है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : क्योंकि मैं प्रत्यक्ष गवाह था उस चीज का। और उसके बाद, उस चीज के बाद में उसको एक्स्ट्रा कोटा जो अमूमन मिलता है, उससे अधिक, स्पेशल कोटा, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने एज ए केन्द्रीय गृह मंत्री,...

मोहम्मद माहिर आजाद : नाम बताओं ना अध्यक्ष महोदय, कौन था ?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : गृह मंत्री के रूप में उसको बारूद का कोटा एक्स्ट्रा रिलीज करवाया और उससे आज आपको पता है कि पंजाब में जो आतंकवाद जितनी भयंकर गति से चल रहा था, उसमें बारूद का, कभी भी यह राज्य सरकार के वैसे अण्डर में नहीं आता लेकिन वह कह रहे हैं कि चुनौती है जांच करवा लें तो मैं भी कह रहा हूं कि निष्पक्ष जांच हो जाये कि उस फैक्ट्री के मालिक को किन-किन नियमों में कब-कब कितना-कितना बारूद मिला है और उसको, उस फैक्ट्री में कारतूस बनता भी है या नहीं बनता है, यह भी निर्णय हो जायेगा और माननीय सदस्य, आपको भी मैं चुनौती देता हूं, जैसा आपने कहा था, मैं भी इस्तीफा तो क्या, राजनीति को छोड़ दूंगा लेकिन राजनीति नहीं छोडूंगा अगर वह दोषी नहीं पाया गया तो....

मोहम्मद माहिर आजाद : नाम बताइये, नाम बताइये कौन है ? सारी डिटेल बताइये और फिर बीच में भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार रह गई, क्यों नहीं कार्यवाही कर ली आपने ? अब करवा लीजिये। बताइये, नाम बताइये अब।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : आप ही बता दो ना। क्योंकि वह गंगानगर का था इसलिए आपका तो कोई लेना-देना नहीं था।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपका था क्या ? अब यह गंगानगर पर आ रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : लेकिन आपने शीशरामजी ओला को हराकर राजस्थान में बड़ा इतिहास रचा था और उसके बाद में आपने सीधे गृह मंत्रीजी से उनको मिलवाया और उनको एक्स्ट्रा.....

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, आप नाम बताइये ना।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : यह जांच हो सकती है कि उस दिन अगर उसको एक्स्ट्रा कोटा नहीं मिला हो तो भी मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप जांच करवा लें। अध्यक्ष महोदय, ये नाम क्यों नहीं बता रहे हैं ? गंगानगर का था तो आप लेकर गये होंगे उसको, कौन है वह ?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : मैं कहां से लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाता तो क्या मैं आप पर आरोप लगाता ?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कह रहे हैं कि जनता दल में था तो नाम बताइये उसका ?

श्री सुरेन्द्रसिंह राठौर : तो जनता दल में तो था मैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : केवल एक और बता दूं कि गंगानगर में केवल एकमात्र ही यह कारतूस बनाने की फैक्ट्री है और वे यह सब जानते हैं, इसलिए मेरे से क्यों कहलवा रहे हो ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : गंगानगर में आपकी पार्टनरशिप है उस फैक्ट्री में, बताइये फिर कौन है वह, क्या है ?

डा. सी.पी. जोशी : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : ये कह रहे हैं कि गंगानगर का है, मुझे क्या पता, यह बतायें। ये बतायें और आप बतायें। कौन है वह, नाम बतायें अगर हिम्मत है तो, नाम बतायें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्षजी ने भी पूछा है कि नाम बतायें, कौन है वह ?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : अध्यक्षजी नाम पूछेंगे तो मैं अध्यक्षजी को नाम बता दूंगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप नाम बताइये ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : पूछो ना इनसे, आप इनसे पूछिये, मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : वह बतायें, सुरेन्द्रजी बतायें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : क्या, मैं पार्टनर था, ये मुझे बता रहे हैं कि मैं पार्टनर था ? नहीं, आपने क्या कहा कि मैं पार्टनर था ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं तो आप नाम बतायें कौन है ? अध्यक्षजी ने नाम पूछा, नाम बताइये, वह नाम बतायें। आप बीच में कहां से आ गये जबरदस्ती में। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : मैं आपको पूरा मौका दे चुकी हूं, अब अलाउ नहीं करूंगी।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री रामप्रताप कासनिया : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : x x x

श्री रामप्रताप कासनिया : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री कालीचरण सर्राफ : x x x

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : आप तो आसन को धमकी दे रहे हैं। आप तो आसन को धमकी दे रहे हैं कि आप नहीं चाहते तो सदन नहीं चले। यह धमकी है, और क्या है।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं तो हाउस नहीं चलेगा। आपने कहा कि यदि हमारी बात नहीं सुनेंगे तो सदन नहीं चलेगा।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री कालीचरण सर्राफ : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : मेरे लिये क्या ठीक है और क्या बेठीक है, इसको मैं समझती हूं और जानती हूं।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री कालीचरण सर्राफ : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री नन्दलाल मीणा : x x x (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री सी.डी. देवल : x x x

श्री रामप्रताप कासनिया : x x x (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : x x x (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित करें इनका।

श्री नरपतसिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, काफी आरोप-प्रत्यारोप लगे हैं, हाउस के अन्दर जिस प्रकार का वातावरण होना चाहिए ताकि आगे कार्यवाही हो सके, वह माहौल में थोड़ा-सा अंतर पड़ा है। अभी गृह मंत्रीजी ने कहा, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और माहिरजी, आप भी हमारे ही साथी हैं, भाई हैं, जो बातें कही

उसमें स्पष्ट तौर पर नहीं कहें, डिस्सेटिस्फाइड हों तो किसी भी अगर विधायक के, माननीय सदस्य के सम्मान में ठेस पहुंचती है तो वह अकेले उस विधायक की नहीं, पूरे सदन का अपमान है। उस पर अगर आप स्पष्टीकरण, पूरा संतुष्ट नहीं हों तब तो अपन उस चीज पर आगे बहस भी करें, उसके बाद आगे खुलासा भी करें लेकिन उसी बात को लेकर कि अभी अलग से वक्तव्य दें या नहीं दें, हर चार्ज पर, अलग-अलग लगाये गये पर, अलग से वक्तव्य देना, अगर यह परिपाटी सही है, भविष्य में आपको भी यहीं पधारना है, हम लोगों को भी यहीं आना है। इसलिए कृपया थोड़ा-सा इस सदन की कार्यवाही आगे चलने दें और इसके ऊपर गृह मंत्रीजी निश्चित तौर पर कहेंगे, हम सब लोग भी यह चाहते हैं कि इस पर खुलासा हो, बात कर लेंगे और आपके चेम्बर में आकर भी बात कर लेंगे, माननीय प्रतिपक्ष के नेता से, उप नेता से भी बात कर लेंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आगे की कार्यवाही चलने दें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है, मैंने सभी सदस्यों के लिए कहा है।

डा. सी.पी. जोशी : x x x (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो कहा है, मैंने सभी सदस्यों के लिए कहा है। आगे चलने दें, सोचें थोड़ा। मैंने सभी सदस्यों के लिए कहा है।

श्री जुबेर खान : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आसन की व्यवस्था की उपेक्षा और अवहेलना चाहे कोई पार्टी करें और चाहे व्यक्ति करे, आसन उसे एक ही तरीके से देखता है। क्योंकि जब व्यवस्था दी जा चुकी है, जब गृह मंत्रीजी ने

(श्री अध्यक्ष)

आपको आश्वस्त कर दिया, उसके बाद कौन सी बात बाकी रह गई है, कल हो जायेगा, कल हो, गृह विभाग की डिमांड्स भी हैं, कल हो जायेगा। क्या बात हुई। अब मैं पुकार चुकी थी...

डा. सी.पी. जोशी : x x x (व्यवधान)

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री भवानी जोशी, सदस्य को सत्रांत तक सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर मैं जुबेर खान का नाम पुकार चुकी थी लेकिन आप बोलना नहीं चाहते, जुबेर खान बोलना नहीं चाहते और 295 को जब तक पुकारूं, उससे पहले मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री भवानी जोशी, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण 01 अप्रैल, 2005 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

विधान सभा सदस्यों से टोल टैक्स वसूला जाना

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था विष्णु मोदी का। श्री विष्णु मोदी ने लिखा उन्होंने...

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री जुबेर खान : x x x (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप तैयार होकर

आये हैं कि उद्योग विभाग पर बोलना नहीं है...(व्यवधान) खनिज पर बोलना नहीं है। खनिज और उद्योग विभाग पर आपको बोलना नहीं है...

श्री जुबेर खान : x x x

श्री अध्यक्ष : इसी सदन में पूर्व में जब हरेन्द्र मिर्धा जी सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि टोल टैक्स विधायकों पर नहीं लगेगा। तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री हरेन्द्र मिर्धा ने यह घोषणा की थी। अभी भी विष्णु मोदी का एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ है और उनसे 50 रुपये बगरू के टोल टैक्स पर लिये गये। मैं चाहूंगी कि सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी इस बारे में यहां पर कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वास्तव में जितने विधायक हैं वो इससे एग्जम्पटेड हैं, यदि एग्जम्पटेड हैं तो आप कृपया घोषणा कर दें और नहीं हैं तो आप कह दें। अब अंकित हो।

(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्य सदन कूप में आकर बोलने लगे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, 26-12-2002 को राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी करके राज्य की सड़कों और पुलों पर जितने भी टोल लगाये गये हैं उन सभी के टोल से वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद उनके निजी उपयोग में आने वाले हलके वाहन को पूर्णतया मुक्त किया गया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर दो तरह के टोल हैं एक टोल राजस्थान सरकार के द्वारा निर्मित सड़कों पर है दूसरा टोल राजस्थान के नेशनल हाईवे से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से हैं। अध्यक्ष महोदय, जो राष्ट्रीय राजमार्ग...।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्षजी तो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। जब मामले आएंगे तो आपकी चीर-फाड़ हो जाएगी। आपको यही पता नहीं है। अध्यक्षजी तो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। जब गृह मंत्रीजी बोलेंगे तो चीरफाड़ करेंगे, आपरेशन करेंगे तो आपने क्या-क्या कुकर्म किये हैं वो सब सामने आयेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जोशीजी, आज फंस गये आप। जोशीजी, फंस गये आज। फंस गये। माफी मांग लो। अध्यक्षजी तो बचाना चाह रही हैं आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारे कुकर्म सामने आएंगे, अध्यक्षजी तो आपको बचाना चाह रही हैं। क्या बात कर रहे हो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सादर आमन्त्रित हैं, विराजें। आमरण अनशन चालू। आमरण अनशन ?

श्री अमराराम (धोद) : टाइम तय कर दो चार बजे का, टाइम। टाइम में क्या है, चार बजे दे देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परसों वक्तव्य दिलायेंगे, परसों, कल की छुट्टी है। पुलिस पर वक्तव्य आएगा उस दिन सारी बात आ जाएगी।

श्री अमराराम (धोद) : आज डिमाण्ड पास होने के बाद दे दें। मंत्रीजी कह रहे हैं कि तैयार हैं तो मांग पास होने के बाद दे दें मंत्रीजी, कहां दिक्कत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नो-नो, यह दादागीरी रहेगी क्या ? अध्यक्ष महोदय, आपने मुझसे जानकारी चाही है कि राजस्थान में वर्तमान विधायकों को टोल टैक्स से गुजरने पर उनके वाहन से टोल लिया जाए कि नहीं लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या आंखें निकाल निकाल कर मुझे डरा रही हैं।

श्री अमराराम (धोद) : लिया जाए। टोल टैक्स लिया जाए क्योंकि जब जनता से लिया जा रहा है तो एम.एल.ए. से भी लिया जाए। जब राजस्थान की पांच करोड़ जनता से लिया जा रहा है तो विधायकों से भी लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : कल कराऊंगी मैं, कल। नहीं, आज नहीं। (व्यवधान)...

माननीय सदस्यगण कल कोई जीरो आवर नहीं होगा और प्रश्नों के तुरन्त बाद इस बारे में गृह मंत्रीजी वक्तव्य देंगे। अब आप अपने-अपने स्थान पर जाएं। यू हैव लोस्ट योअर टर्न। आपने अपनी बारी खो दी।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कहा था पर व्यवस्था नहीं थी, अब मुझे दो मिनट...।

श्री अध्यक्ष : अब 295, अब आप देखो, अब फिर आप जिद कर रहे हैं।

श्री जुबेर खान : अगले दिन अलाउ कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब आप जिद कर रहे हो। आपने पूरा डेढ़ घण्टा इस तरह से खो दिया है और अब आप फिर वहीं बात कर रहे हो; देखो। (व्यवधान)...प्लीज उप नेता महोदय, प्लीज।

श्री रामनारायण मीणा : एक लाइन।

श्री अध्यक्ष : नहीं। एक लाइन बाद में बोलियेगा। मैंने जैसे कहा कि सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी; इस बारे में आप स्पष्ट कर दें कि टोल टैक्स विधायकों पर लागू है यह कर दें ताकि सबको पता लग जाए... (व्यवधान)...आप क्या बात करते हो, आप सुनते भी नहीं हो। आप कुछ कहने से पहले खुद खड़े हो जाते हैं।

श्री रामनारायण मीणा : ....(व्यवधान)...सरकार का आदेश है, सरकार के आदेश की पालना नहीं करें तो आप क्या करोगें ? यह तो आर्डर हमने पहले ही देख लिया, हमारे पास पहले ही है। माननीय भैरोंसिंह शेखावत के समय का ही है। आपके अधिकारी उसकी पालना नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : शेखावत जी के समय का क्या है ?....(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा : टोल टैक्स वाले लूट रहे हैं, जनता को, विधायकों को ही नहीं, उसके बारे में आप क्या करने जा रहें हैं ? ये तो आप नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वो बाद का प्रश्न है, सवाल एग्जम्पशन का है कि वे एग्जम्पटेड हैं कि नहीं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे निर्देश दिया कि मैं इस बारे में सरकार की नीति स्पष्ट करूं कि जो निर्वाचित विधायक हैं उनके वाहनों से टोल टैक्स लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 26-12-2002 को राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी किया था कि राज्य की सड़कों और पुलों पर जो टोल टैक्स लगा है उनमें से वर्तमान विधायक व वर्तमान सांसद इनके निजी उपयोग में लिये जाने वाले वाहनों से किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लिया जाता। अध्यक्ष महोदय, दो तरह के टोल राजस्थान की सड़कों पर हैं। एक तो वो सड़कें हैं जो राज्य सरकार के अधीन हैं और दूसरी वो सड़कें हैं जो केन्द्रीय सरकार की हैं और जिन पर नेशनल हाईवे अथोरिटी द्वारा टोल निर्मित किये गये हैं। भारत सरकार ने भी अपने राजपत्र में दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 को अधिसूचना जारी की थी उसके अनुसार अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्यों, विधान सभा व परिषदों के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर जाने वाले टोल से एग्जम्पटड हैं, बाकी सब टोल देय हैं। माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता ने जो बात कही कि टोल टैक्स मे कई तरह की शिकायतें हैं। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत है तो जिस एजेंसी से वो कहेंगे उस एजेंसी से मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं और पुनः मैं निर्देश जारी करवा दूंगा कि जितने भी वर्तमान विधायक और सांसद हैं पूर्व के परिपत्र का दुबारा रिट्रीट करके उनसे उनको दुबारा निर्देश दे देंगे कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार के साथ-साथ टोल से उनके हलके वाहन मुक्त रहें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे वालों का क्या होगा ? नेशनल हाईवे पर क्या मंत्रीजी ?

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य श्री विष्णु मोदी जी से पैसा वसूल किया गया है अध्यक्ष महोदय, उन्होंने उसकी रसीद लगायी है। क्या कार्यवाही करेंगे आप उनके खिलाफ ?

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे वाले टोल टैक्स ले रहे हैं, एम.एल.एज. से तो नेशनल हाईवे वालों का क्या करेंगे आप ?

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि विधायक अपनी कांस्टीट्युएन्सी का ही विधायक नहीं होता वो राजस्थान में एम.पी. और विधायक हैं वे राजस्थान के विधायक हैं, राजस्थान भर के मसले विधान सभा में उठाते हैं, कभी कहीं घटना हो जाती है तो वो वहां मौके पर जाते हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि कइयों की कांस्टीट्युएन्सी तो ऐसी है जहां पर टोल टैक्स है ही नहीं, सड़कें बनी ही नहीं टोल टैक्स वहां लगता ही नही है, बीच में आता ही नहीं है। इसलिए स्टेट के मामले में तो आप यह आदेश जारी कर देंगे कि विधायकों को अपनी कांस्टीट्युएन्सी के अलावा भी सारे स्टेट में जाने पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। एक तो आप इसको स्पष्ट कर के निर्देश में यह स्पष्ट करें कि राजस्थान में वो कहीं भी जाएंगे तो उन पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा केन्द्र सरकार का जो 20 दिसम्बर, 2003 का हवाला दिया है जिस आदेश का तो मैं चाहूंगा कि आप केन्द्र सरकार को भी एक पत्र लिख कर सुझाव दें कि चूंकि एम.पी. और विधायक पूरे स्टेट में घूमते हैं और यदि वो इस तरह से टोल टैक्स देने लग गये, दिल्ली भी जाना पड़ता है उनको तो आधी तनख्वाह तो उनकी उसी में पूरी हो जाएगी इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इस तरह का परिपत्र लिख कर भेजें कि जनप्रतिनिधि अपने काम के लिए नहीं जा रहा है, जनता के काम के लिए रोज इनको जाना-आना पड़ता है इसलिए विधायकों से और एम.पीज से किसी भी केन्द्र सरकार की भी जो सड़कें हैं उन पर जो टोल टैक्स लागू है उससे उनको एग्जम्पट किया जाए, उन पर लागू नहीं हो। इस तरह का आप पत्र लिख कर उनसे आग्रह करें और उस पर लागू करवाने का प्रयास करें। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में आप जो भी कहें।

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, इस परिपत्र में जो लिखा है मंत्री महोदय, इस परिपत्र में लिखा है कि लोक सभा सदस्य, विधान सभा सदस्य के अपने निर्वाचन क्षेत्र में टोल नहीं लगेगा अब अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही अगर हम भीलवाड़ा से जयपुर आते हैं तो टोल देना पड़ेगा। हमारा निर्वाचन क्षेत्र बनेड़ा है तो बनेड़ा के अन्दर कोई टोल है, उन्होंने परिपत्र बताया टोल वालों ने कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में अगर टोल लागू है तो वहां नहीं लगेगा

(श्री रामलाल)

बाकी आप चाहे भीलवाड़ा शहर में जाएं तो लगेगा, इधर अजमेर आयें, जयपुर आयें तो लगेगा। अभी हम परसों वापस आये तो उन्होंने परिपत्र निकाल कर बताया इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि लोक सभा सदस्य और विधान सभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में, केवल इतना ही लिखा हुआ है इसके लिए आप पूरा बतायें और वो जबरन वसूली करते हैं, इस सम्बन्ध में आप बतायें।

श्री अध्यक्ष : ये तो थ्रू आउट राजस्थान होना चाहिए।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। 10 तारीख को उन्होंने मेरे से टोल नहीं लिया। और उन्होंने दोनों जगह एन्ट्री की। फिर जब 11 तारीख को मैं वापस आया तो किशनगढ़ टोल पर।

श्री अध्यक्ष : आपके पत्र पर ही तो यह सब बात हो रही है।

श्री विष्णु मोदी : मैं वही बताना चाहता हूं, मंत्री महोदय जरा स्पष्ट जवाब दे दें। हमें टोल देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें टोल देना है तो हम देंगे और अगर नहीं देना है तो आप इसको स्पष्ट कीजिए कि कांस्टीट्युएन्सी है या क्या है। मैं विजयनगर मेरी कांस्टीट्युएन्सी से आ रहा था और वही चार लाइन हांईवे है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, जब हम दिल्ली जाते हैं वहीं नेशनल अथोरिटी नहीं लेती है। मनोहरपुरा में लिखा हुआ है, वह नहीं लेते हैं। बिलासपुर-हरियाणा में नहीं लेते हैं। वही नेशनल अथोरिटी है और यह यहां फिर अजमेर की तरफ क्यों लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कोई दादागिरी करते होंगे, इसलिए लेते होंगे।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था। मंत्री महोदय, अधिकारियों से कहीं न कहीं कोई त्रुटि हो गई, राजस्थान में पुराना सर्कुलर है और राजस्थान में ही नहीं मध्य प्रदेश में, जिस-जिस स्टेट में हम जाते हैं, साफ लिखा हुआ होता है माननीय विधायकों से टोल टैक्स की

(श्री रामनारायण मीणा)

वसूली नहीं होगी, यह जनरल आर्डर है। यह दुर्भाग्य है हमारा कि आपके अधिकारियों ने कह दिया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में। राजस्थान में पहले से ही एग्जेम्पट है। हम माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत के समय भी सदस्य रहे हैं उस टाइम हमने मांगा था टोल टैक्स के बारे में।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में बात हो गई अब, अब आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : जब पुराना सर्कुलर पहले से हीं है उस सर्कुलर को क्यों नहीं निकालते हैं आप, उसको जारी क्यों नहीं करते हैं आप। टोल टैक्स वालों की जो ज्यादतियां हो रही हैं और आप तो उनके जुर्माने माफ करना बन्द कर दो उसी से वह कब्जे में हो जायेंगे। जुर्माने माफ हो रहे हैं, किस तरह की चर्चाएं होती हैं। कौनसा टोल टैक्स ऐसा नहीं है जहां जनता के साथ ज्यादतियां नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : अब हो गई बात।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन छोटा सा है। नेशनल हाइवे पर गंगराल में एक टोल टांका बना है। वहां पर स्पष्ट लिखा है कि विधायकों से टोल नहीं लिया जायेगा और वही रोड, वहीं केन्द्र सरकार की सड़क किशनगढ़ पर लिखा हुआ नही है। अलग-अलग जगह पर अलग-अलग लिखा हुआ है, कृपया इसको स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : बस हो गई बात। माननीय मंत्रीजी, इसको स्पष्ट कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस राष्ट्रीय राज मार्ग की चर्चा माननीय विधायक कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण ने यह सड़क बनाई थी और 7 जुलाई, 1998 का इनका एग्रीमेन्ट हुआ था। उस एग्रीमेन्ट में जिनको एग्जेम्पट किया है उसकी उन्होंने पूरी सूची दी है खण्ड दो में और उसमें लिखा है सांसद, विधान सभा और परिषद के सदस्य उनके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निर्वाचन क्षेत्र के भीतर। जो उन्होंने माननीय सदस्यों से टोल टैक्स लिया है वो जो करार हुआ है और भारत का जो राजपत्र है जो मेरे पास है आप कहें तो मैं टेबल कर दूं, उसके अनुसार लिया है। निश्चित तौर पर माननीय सदस्यों की भावना बिलकुल ठीक है कि राष्ट्रीय राज मार्गों से भी माननीय सदस्य गुजरते हैं और चूंकि राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई सारी सड़कें चाहे वह टोल रोड हो उसमें तो एग्जेम्प्ट है ही, इन पर भी एग्जेम्प्ट होना चाहिये। मैं मेरी तरफ से एक पत्र विशेष तौर पर जिस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की है उसके अलावा और भी कोई राष्ट्रीय राजमार्ग होगा जहां पर टोल टैक्स लिया जा रहा है, मैं मेरी तरफ से पत्र नेशनल हाईवे अथोरिटी को लिखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्यों को राजस्थान से गुजरने वाले सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या दूसरे मार्ग हों वहां टोल टैक्स नहीं देना पड़े।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पत्र लिखा है वह सिर्फ इस बात का लिखा है आप आगे भविष्य में क्या करेंगे उसकी हमें कतई जरूरत नहीं है आप करें या नहीं करें। लेकिन जो परसों वस्तुस्थिति बनी आप जो एग्रीमेन्ट पढ़कर सुना रहे हो तो उस एग्रीमेन्ट में राजस्थान सरकार पार्ट थी। क्या राजस्थान सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र बनता है या नहीं बनता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं बनता।

श्री विष्णु मोदी : नहीं बनता तो आप साफ कहिए फिर हम टोल देंगे, हमें क्या तकलीफ आ रही है। आप घुमा फिराकर कह रहे हो कि 98 में हुआ था, उसकी कहां जरूरत आ रही है। पूर्व में अगर हरेन्द्र मिर्धा साहब ने वह परिपत्र जारी किया था तो वह गलत किया था, यह भी कहिए साथ में।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा जिसका मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दे दें। मैं दिल्ली जाता रहता हूं, मेरे पास एक्स एम.पी. का पास था। हरियाणा और दिल्ली सरकारों ने जहां टोल टैक्स लगा हुआ है इस नेशनल अथोरिटी पर वहां पर उन्होंने एम.पी. के लिये और एक्स एम.पी. के लिये भी उन्होंने वहां छूट दे रखी है तो राजस्थान में

यह छूट क्यों नहीं है, मुझे यह समझ में नहीं आता। जब दिल्ली में यह छूट हो सकती है, हरियाणा में यह छूट हो सकती है तो राजस्थान में यह छूट क्यों नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : लाल बत्ती को छूट है, लाल बत्ती कोई भी लगाकर जा रहा है उसको कोई नहीं रोक रहा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : ...(व्यवधान)...बोर्ड लगा हुआ है उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है विधायक महोदय। बिलासपुर-हरियाणा में टोल टैक्स के बाहर लिखा हुआ है जिनको छूट दी जायेगी उनमें विधायक भी लिखा हुआ है और वह आइडेंटि कार्ड देखकर जाने देते हैं।

श्री रामलाल : वह कहते हैं लाल बत्ती की गाड़ी होगी उस पर टोल टैक्स नहीं लगेगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन स्टेट्स में या तो एग्रीमेन्ट डिफरेंट हो सकता है मुझे मालूम नहीं है। उनका एग्रीमेन्ट क्या है और राजस्थान सरकार का एग्रीमेन्ट क्या है, एग्रीमेन्ट डिफरेंट हो सकता है। यदि एग्रीमेन्ट डिफरेंट है तो आप उस एग्रीमेन्ट में यह चीज एड कराइए। जो एग्रीमेन्ट आपने किया है उसमें स्टेट गवर्नमेंट पार्ट है तो आप एड करवाइए अदरवाइज यह जो अपना फंक्शन है एम.एल.ए. और एम.पी. का, जो जनता के लिये फंक्शन करते हैं वह अपने दायित्व को, कर्तव्य को पूरा नहीं कर पायेंगे क्योंकि वह बचेंगे कि मैं यहां जाऊंगा, ज्यादा घूमूंगा-फिरूंगा तो इतना टोल टैक्स देना पड़ेगा इसलिए भी जरूरी है कि खुले रूप में, स्वतन्त्र रूप से वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके और इसलिए दूसरी स्टेट में अगर यह छूट है तो राजस्थान में दिलाने के लिये आप एग्रीमेन्ट में इस शर्त को डालिए ताकि यह छूट सब जगह राजस्थान में भी लागू हो।

श्री नंदलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, आप कह रहे हो कि टोल टैक्स अनिवार्य है, देना पड़ेगा ऐसी कोई छूट आपकी तरफ से नहीं है, नेशनल हाइवे अथोरिटी वाले छूट नहीं दे रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एम.एल.ए. को गाड़ी पर लगाने के लिये जो स्टीकर दिये जाते हैं उसमें हरियाणा और पंजाब में यह लिखा होता है कि एम.एल.ए. को लाल बत्ती लगाने की छूट है। अगर आप टोल टैक्स नहीं देना चाहते तो आप हमारे को लाल बत्ती अलाउ करो क्योंकि जब हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में कोई भी आम आदमी भी लाल बत्ती लगाकर जा रहा है उसको तो आप अलाउ कर देते हैं और एम.एल.ए. से आप टोल लेना चाहते हैं, इस तरह की आप व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : टोल टैक्स से आप लाल बत्ती पर आ गये, क्या बात हुई।

श्री विजय बंसल : अध्यक्ष महोदय, प्रबोधन में यह बताया गया था कि विधायक का दर्जा चीफ सैक्रेटरी से ऊपर है। कलक्टर को तो लाल बत्ती लगाने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपके हित की बात कह रही हूं। आप एक पत्र लिख दीजिए, केवल 200 व्यक्तियों का ही तो सवाल है, लिख दीजिए उनको पत्र कि हमने चूंकि एग्जेम्प्ट किया है आपके यहां पर भी इनके टोल टैक्स नहीं लगाये जाये, खतम हो गई बात, इतना तो मानेंगे ही।

मैं एक बात और निवेदन कर दूं 2-3 दिन पहले आसन से यह व्यवस्था दी जा चुकी थी कि विभागों के प्रतिवेदन समय पर नहीं आते हैं और उसकी वजह से जो माननीय सदस्य बहस में भाग लेना चाहते हैं उनको कई सूचनाएं प्राप्त हो पाती हैं। फिर खनिज विभाग का यही आ गया। आज सवा 11 बजे इनका प्रतिवेदन आया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कम से कम 3 दिन पहले इस बारे में व्यवस्था दी जा चुकी थी तो आपको विभाग को ताकीद करके समय से पूर्व प्रतिवेदन यहां पहुंचा देना चाहिये था। भविष्य में किसी भी विभाग का अगर इस तरह समय पर प्रतिवेदन नहीं आयेगा तो इसको बहुत गम्भीरता से लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आसन की आज्ञा शिरोधार्य है। आपने जो कहा चूंकि भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण में है इसमें राजस्थान का कोई लेना-देना नहीं है फिर भी पत्र लिखेंगे और पत्र लिखकर उनको कहेंगे कि इनको एग्जेम्प्ट किया जाये और आपने जो प्रतिवेदन के बारे में कहा अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश के बाद हमने सब जगह निर्देश दे दिये थे और भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा कि समय से प्रतिवेदन आ जाये।

श्री अध्यक्ष : आज 295 को पढ़े हुए मान लिये जाये।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 1 देखें)

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है आज मान लो चर्चा है और कल रात को हमें लिट्रेचर देते हैं, तीन दिन पहले दे दें तो हम उसको अच्छी तरह से पढ़ पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह बात ठीक है आपकी। एक दिन पूर्व दे दें तो भी देख सकते हैं सदस्य, लेकिन यह तो सवा 11 बजे आज आ रहा है।

श्री शांतिलाल चपलोत : रात को 10 बजे जा रहे हैं, नवरात्रि का समय अलग है। अब कब तो हम देखेंगे और कब बात करेंगे। तीन दिन पहले दे सकते हैं इसको।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04

श्री अध्यक्ष : श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (शिक्षा राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा 32(4) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नरपत सिंह जी राजवी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42-उद्योग एवं मांग संख्या 43-खनिज

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 85 करोड़ 59 लाख 82 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मी नारायण दवे।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34 करोड़ 35 लाख 76 हजार तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मांग संख्या 42 एवं 43 पर विचार

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो बोलना चाहें।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 और मांग संख्या 43 पर चर्चा हो रही है। सभी को विदित है कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार से है कि राजस्थान में कहीं पर तो रेगिस्तान है, कहीं पर पहाड़ है और राजस्थान में कहीं पर वन हैं। वैसे भी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई प्रकार की विभिन्न बातें हैं जिसमें राजस्थान समाया हुआ है।

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

राजस्थान का खनिज, जो हमारे यहां उपलब्ध है यह राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान के आर्थिक विकास में काफी अच्छा सहयोग करता है। राजस्थान देश में पांचवां स्थान रखता है, जिसके पास में ऐसे महत्वपूर्ण खनिज हैं।

(13.32 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यदि हम बात करें तो आप सभी को मालूम है कि राजस्थान की जनसंख्या का 75 प्रतिशत भाग गांवों में रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, जब गांवों के अन्दर आधारभूत सुविधाओं की कमी रही, शिक्षा के हिसाब से, सड़क के हिसाब से, लोग धीरे-धीरे पलायन करके शहरों की तरफ आने लगे, इसी कारण से अव्यवस्था बनी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, खनिज ही ऐसा स्रोत है कि आज धीरे-धीरे जिस प्रकार से खनिज विभाग ने तरक्की की है और आगे बढ़े हैं इससे काफी लोग जो गांव छोड़कर शहर की तरफ आने की कोशिश करते हैं उनको हम वहीं पर, गांव में खनिज के माध्यम से रोजी-रोटी देकर वहां पर रोक सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे हम देखें तो कई ऐसे खनिज हैं जो 100 प्रतिशत सिर्फ राजस्थान में ही होते हैं। जस्ता, ग्रेनाइट, जिप्सम, फास्फोराइट 93 प्रतिशत, सोफ्ट स्टोन 82 प्रतिशत, अयस्क 90 प्रतिशत, सिल्वर 59 प्रतिशत, जिप्सम 99 प्रतिशत, कापर 28 प्रतिशत। इस प्रकार खनिज की दृष्टि से राजस्थान में काफी मात्र में पाया जाता है और यह हमारे राजस्थान के विकास में काफी सहयोग करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में जिस प्रकार से तेल के भण्डार हमारे यहां बाड़मेर जिले में मिले हैं इससे भी राजस्थान को काफी आय होगी और राजस्थान के लोगों का जीवन स्तर उठाने में हम काफी आगे बढ़ सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, संगमरमर के मामले में भी, हम देश का 90 प्रतिशत यहां पर उत्पादन करते हैं। जालौर जहां से मैं आता हूं, वहां पर सबसे

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

ज्यादा क्योंकि बरसात के समय में खेती नहीं हो पाती है तो लोग-बाग खनिज की तरफ आकर्षित होते हैं। ग्रेनाइट जालौर में इस प्रकार से है कि वहां पर काफी लोग ग्रेनाइट के धन्धे में लगे हुए हैं और ग्रेनाइट के अन्दर भी काफी कलर हैं। अभी झांकी निकली थी तो उसमें जालौर के लिए क्या प्रसिद्धि है उसमें भी ग्रेनाइट पत्थर बताया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग की आय 1974-75 में 12.43 करोड़ थी वह वर्ष 2001-02 में बढ़कर 412.98 हो गई, 2003-04 में 513.72 करोड़ हुई जो काफी अच्छा रहा है, 2004-05 में 612 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में 36 प्रकार के प्रधान खनिज यहां पर पाये जाते हैं, करीब 22 प्रकार के उप प्रधान खनिज यहां मिलते हैं। मैं चूंकि जालौर, से आता हूं, जैसा कि मैंने कहा ग्रेनाइट की वहां काफी माइंस हैं, काफी काम होता है लेकिन मुझे यह देखकर काफी अफसोस होता है कि ग्रेनाइट का जो मलवा है उस मलबे को सड़क पर डाल देते हैं। गर्मी के समय जब हम लोग वहां से निकलते हैं, इधर से पसीना आया हुआ होता है, इधर हवाएं काफी तेज चलती हैं तो उन हवाओं के माध्यम से जो पाउडर होता है वह हमारे शरीर पर चिपक जाता है। जिससे वहां चलने वाले, हरेक को परेशानी होती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के वैस्ट मैटेरियल वहां पर निकलते हैं कम से कम उनको रखने के लिए अलग से जगह की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार से जो संगमरमर, ग्रेनाइट के टुकड़े हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उन दिनों में मंत्रीजी का दौरा करवाएं आप।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा और इसी प्रकार से दूसरे वैस्ट मैटेरियल है उनको भी वहां डाल देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस हाउस में भी बार-बार यह प्रश्न उठता है कि खनिज के मामले में, राजस्थान में काफी प्रचुर भण्डार है लेकिन

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि खनिज हमारे देश में ऐसी सम्पदा है जिससे हमारे यहां के लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में, बार-बार इस सदन में अवैध खनन की बात चलती है। यह अवैध खनन, यदि माननीय मंत्रीजी इस पर लगाम रखे और अवैध खनन को रोका जाए तो मैं समझता हूं कि, विभाग के जो आ रही है काफी अच्छी आ रही है लेकिन इससे डबल हो सकती है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। लोग-बाग जो खनन कार्य के पट्टे, लीज अपने नाम से डीड कराते हैं उसके बाद में वह यह प्रयत्न करते हैं कि उनकी खुद की जो माइंस है वह तो पड़ी रहे और पास में जो वन क्षेत्र या दूसरी माइन है वहां वह खानों पर काम करते हैं जिससे उनको तो लाभ होता है लेकिन सरकार के पास जो रेवेन्यू आनी चाहिए थी वह नहीं आ पाती। इसके लिए वह ठेकेदार, वह मालिक तो जिम्मेदार है ही। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि उसके लिए हमारे कुछ अधिकारी भी जिम्मेदार हैं क्योंकि यह कुछ काम ऐसे होते हैं कि वह बिना अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, कई बार हमने शिकायत की कि यहां पर अवैध खनन हो रहे हैं लेकिन जैसे ही हमारी शिकायत का पत्र उनके पास पहुंचता है उनको इत्तला हो जाती है हमारे से पहले ही कि आपके यहां पर चैकिंग करने आ रहे हैं। वह अपना जहां पर जो-जो सामान है सब समेट लेते हैं। वही व्यक्ति जिसने शिकायत की है, जो शिकायत पर जांच करने जाता है वह यह लिखता है कि जी हां, मैं वहां पर गया, मैंने जांच की, वहां पर किसी प्रकार का अवैध खनन करता नहीं पाया गया। यह सबसे बड़ी समस्या राजस्थान के खनिज विभाग की है।

मैं आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से वनों की कटाई होती है, जो अभी शेरों का मामला उठा वह यह का यह मामला है। जब तक वहां पर हम उन अधिकारियों पर अंकुश नहीं रखेंगे, अधिकारी कई सालों से वहां पर बैठे हुए हैं।

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

मैं यह कहना चाहूंगा कि जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं उनका दो साल के अन्दर ट्रान्सफर कर देना चाहिए क्योंकि वह वहां पर कई सालों तक रूकते हैं, वह अपनी एक लाइन बना देते हैं, उनके कई लोगों से सम्पर्क हो जाते हैं और राजस्थान की आय जो सरकार में आनी चाहिए वह नहीं आकर उनकी खुद की जेबों में चली जाती है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह अनुरोध करूंगा कि यह जो इस प्रकार का कार्य हो रहा है तो इस पर रोक लगाई जाए।

विशेष तौर से यह ग्रेनाइट और यह है, क्योंकि हम तो रोज वहां पर भुगत भोगी है इसलिए मंत्रीजी आप कोई ऐसी जगह बनवा दें कि जिसमें वैस्ट मैटीरियल डाला जाए। अभी बाकी तो आपके खनिज विभाग की मांग के बारे में जो पुस्तिका आई थी, अभी 11 बजे ही आई है। मैं तो सिर्फ जालौर के बारे में यही कहते हुए कि इस प्रकार से जालौर के ये वैस्ट मैटीरियल्स और विभाग में जो अवैध खनन पूरे राजस्थान में होता है, उसकी रेवेन्यु को रोककर राजस्थान के विकास में लगायें। इतना ही मुझे कहना है, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथुसिंह गुर्जर।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरी पर्ची थी। और पर्ची 4 माननीय सदस्यों की लाटरी में निकलती है और पर्ची में आपने कोई व्यवस्था ही नहीं दी। अब उसकी व्यवस्था तो दें, आज नहीं तो कल उस पर्ची का नम्बर आयेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची की व्यवस्था हो चुकी है, वह समय निकल गया। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : कहां ? व्यवस्था हुई ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, समय निकल गया लेकिन पर्ची की व्यवस्था तो दी जानी चाहिए। माननीय सदस्य रोज सुबह साढ़े नौ बजे आते हैं, लाटरी में डालते हैं। लाटरी के बाद पर्ची आती है उस पर चर्चा की जानी चाहिए। यदि आप पर्ची में व्यवस्था नहीं दो, परसों के दिन दी जानी चाहिए व्यवस्था। मैं बहुत सवाल आर.एस.ई.बी. में

(श्री हेमराज मीणा)

जो बैकलाग का सवाल था, एस.टी., एस.सी. लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है बैकलॉग में, राजस्थान विद्युत वितरण निगम में, उसके बारे में मेरी पर्ची आयी थी। मैं उस पर्ची के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। सरकार की मंशा है इसमें प्रमोशन होना चाहिए। (व्यवधान) लेकिन सरकार की मंशा होने के बाद भी अधिकारियों ने उस पर टालमटोल कर रखी है और बैकलाग पूरा नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री हेमराज मीणा : और कांग्रेस के जमाने से नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पर व्यवस्था दें ताकि पर्ची के माध्यम से मैं सरकार के सामने बात रखूं। क्योंकि जयपुर विद्युत वितरण निगम में यह व्यवस्था है और बाकी जो 5 विद्युत वितरण कम्पनियां हैं उन कम्पनियों में लगातार प्रमोशन हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं करें, अंकित नहीं होगा।

श्री हेमराज मीणा : x x x

श्री जीतमल खांट : x x x

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आपकी कोई बात अंकित नहीं हो रही है। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं पाइण्ट आफ आर्डर उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, अब इसमें क्या पाइण्ट आफ आर्डर है, चपलोत साहब।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं पाइण्ट आफ आर्डर उठा रहा हूं। बहुत अनियमितता की बात है। जो हमको बुक्स दी गयी हैं खनिज विभाग द्वारा, यह आज, 2003 से मार्च, 2004 तक, आंकड़े खनिज ईकाई, पंज-7, उसमें रेण्ट और रायल्टी लक्ष्य रखा है, उपलब्धियां, ऊपर लाखों में लिखा है और उसमें

(श्री शांतिलाल चपलोत)

लिखा है, लाखों का मतलब 2526869 लाख, उसको अब एक लाख से भाग देंगे, दो बिंदियां नहीं, उसमें दो जगह बिन्दु लगायेंगे तो 25268 करोड़ हमारी रायल्टी हो जायेगी। (व्यवधान) यह 25268 करोड़ रायल्टी है नहीं हमारी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चपलोत साहब, माननीय चपलोत साहब। अब इस बारे में डिमाण्ड पर वाद-विवाद होगा आप उस समय जो भी गलतियां हैं वह बता देना तो आप उस समय...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं कह रहा हूं, यह पाइण्ट आफ आर्डर इसलिये उठा रहा हूं कि यह व्यवस्था का सवाल है, नेग्लीजेंस है। हम कैसे कहेंगे। हमं इसका मतलब आपके सामने असत्य बोलेंगे यहां।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें आप उसको झुठला देंगे, आपको जवाब दिया जाएगा।

श्री शांतिलाल चपलोत : जब हम बोलेंगे तब हम क्या असत्य आंकड़े पेश करेंगे। इसी तरह से जिप्सम विकास शुल्क, 129181 लाख कोटड़ा लीज मनी, 186710 लाख। सानु लाइम स्टोन या तो आप देख नहीं रहे हैं। इसलिये इस बात को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। यह हमारे राइट्स हैं। हमारे राइट्स को इन्फ्रीज नहीं किया जा सकता। और इस तरीके से इन्होंने गलत आंकड़े देकर के सदन को गुमराह करने का प्रयत्न किया है विभाग ने। आप इनको ताड़ना दीजिए और इसके लिये खेद प्रकट करें। यह क्या बात हुई, लाख रूपयों में बता रहे हैं आप। (व्यवधान) सहस्त्रों में बताना चाहिए था, और लाखों में लिखा है इन्होंने, कैसे करेंगे हम। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी बात कह दी, माननीय सदस्य।

श्री शांतिलाल चपलोत : किस बात की तैयारी करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सम्बन्धित मंत्री इसका जवाब देंगे। उसमें आपकी बात कहेंगे वे।

श्री शांतिलाल चपलोत : आप व्यवस्था दें इसमें, आप व्यवस्था दीजिए कि आखिर हम इसमें किस प्रकार के आंकड़े बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अभी इस पर तुरन्त निर्णय नहीं दिया जा सकता है। मंत्री महोदय आपका जवाब देंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : आप देखिये नां तो, देखिये आपके सामने हैं, रिकार्डेड हैं यह सब चीजें।

श्री उपाध्यक्ष : जब मौका आयेगा तब देंगे जवाब। (व्यवधान) बोलना, आपको बोलने का मौका मिलेगा और उस समय आप उठाना इस बात को।

श्री शांतिलाल चपलोत : रिकार्डेड चीजें हैं। अब मेरे को तो बोलना है ही, अब कैसे बोलूंगा, मुझे बताओ आप।

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं सबसे पहले तो। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के जो मुख्य इनकम के सोर्स हैं उनमें खनिज सम्पदा भी एक मुख्य सोर्स है और बार-बार हमने कोशिश की है कि यह खनिज सम्पदा और इससे इनकम बढ़े। राजस्थान सौभाग्यशाली प्रदेशों में से एक है कि इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो खनिज और एक पर्यटन। यह दो ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो प्रकृति ने दी हैं और इसलिये राजस्थान की इन्कम का भी मुख्य सोर्स है। हमारे यहां जहां 1950-51 में 17 खनिजों का उत्पादन किया जा सकता था, अब हम 36 प्रकार के प्रधान और 22 प्रकार के अप्रधान खनिजों का उत्पादन कर रहे हैं। खनिजों के उत्पादन में देश में राज्य का पांचवां स्थान है और यह रोजगार का मुख्य स्रोत है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जिप्सम का शत-प्रतिशत राजस्थान में होता है। फास्फोराइट 93 प्रतिशत, सोप स्टोन 82 प्रतिशत और एस्बेस्टोस के एम्फीबोल किस्म के भण्डार केवल मात्र राजस्थान में ही उपलब्ध है। मार्बल और ग्रेनाइट संगमरमर मार्बल 90 प्रतिशत का उत्पादन करते हुए राजस्थान दूसरे प्रदेशों की तुलना में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। हमारे यहां पर 77.22 लाख टन का 2003-04

(डा. एन.एस. गुर्जर)

में उत्पादन हुआ है। इसी तरह सेण्ड स्टोन में भी देश में राज्य का प्रथम स्थान है। 10 प्रकार के ग्रेनाइट हम देश से बाहर निर्यात कर रहे हैं। इसलिये हम बहुत सौभाग्यशाली हैं उपाध्यक्ष महोदय कि हमको यह प्राकृतिक सम्पदा राजस्थान में मिली है।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। सदन में 40 सदस्य कोरम के लिये होने चाहिए और 40 नहीं हैं, 37 सदस्य हैं। इसलिये कोरम पूरा नहीं है और सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : हैं ना, हैं।

श्री जुबेर खान : गिन लो 40 हों तो। गिन लो अभी तो नहीं हैं।

श्री राकेश मेघवाल : अभी भेजा आपने।

श्री जुबेर खान : आप बुला लें, आप घण्टी बजाइये, कोरम की।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : माननीय सदस्यजी, अभी-अभी आपके आदमी 5 आदमियों को बुलाकर लेकर गये हैं, तुरन्त ही। यह कोई बात थोड़ी हुई। तुरन्त बुलाकर ले गये हैं। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : प्रतिपक्ष तो बहिर्गमन कर गया था। अब किसको सुनाएंगे, प्रतिपक्ष तो बहिर्गमन करके चला गया।

श्री राकेश मेघवाल : आपके ही नहीं हैं, हमारे तो हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। आप वाले नहीं मान रहे हैं।

डा. भंवरसिंह राजपुरोहित : आपने स्वयं तो चलाकर भेजा 5 माननीय सदस्यों को।

श्री राकेश मेघवाल : इनको तो देखो, कितने हैं ये, चार।

श्री बंशीलाल खटीक : पक्ष के बैठे हैं, और बोल रहे हैं कोरम पूरा नहीं है। जिनका काम है वह तो बोलते नहीं हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : इन्होंने चलाकर भेजा है, चलाकर भेजा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री जुबेर खान : मैंने ध्यान आकर्षित कर दिया उपाध्यक्ष महोदय का।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : मैंने खुद देखा है कि वे लेकर गये हैं।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : कोरम प्रतिपक्ष का बराबर नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कई माननीय सदस्य खाने के वास्ते मुझसे पूछकर गये थे कि हम खाना खाने जा रहे हैं। यह बात करके गये हैं और कोई बात नहीं करके गये हैं। जो बात है, कोरम नहीं था मैंने उठा दिया। अब हो गया। यह तो उपाध्यक्ष महोदय के देखने का काम है।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : नहीं, नहीं गिनती करवा लीजिए, हमारे तो पूरे हैं।

श्री अमराराम चौधरी : आप गिनती तो करो पहले से ही थे। आप तो अब कह रहे हो। आपने गलत कहा है, पहले ही कोरम पूरा था।

श्री जुबेर खान : अब आप बहस मत करिये, 37 आदमी थे। मैंने जिम्मेदारी से कहा है। आज तक तो कभी नहीं कहा। आप यह गलत मत कहिये। आप गलत मत करिये। जो सत्य था, जिम्मेदारी से गिनता हूं।

श्री अमराराम चौधरी : लेकिन आपने गिनती की नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम के लिये 10 प्रतिशत की जरूरत होता है, 20 प्रतिशत की जरूरत नहीं होती है। 10 प्रतिशत से 20 की जरूरत होती है कोरम के लिये, 40 की जरूरत नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप सुनिये, 20 की आवश्यकता है और कोरम पूरा है सदन का। (व्यवधान) आप नहीं आये तो भी थे यहां पर।

मोहम्मद माहिर आजाद : 10 प्रतिशत, 1/10 है नियम में।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : तय कर लो 10 परसेंट होती है और 10 परसेंट है।

श्री राकेश मेघवाल : प्रतिपक्ष के जो सदस्य हैं वे आपस में तय कर लें कि 10 परसेंट होनी चाहिए या 20 परसेंट होनी चाहिए। यह तय कर लीजिए आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो नागौर में तय होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने 40 की संख्या मानकर जो प्रश्न उठाया था उसमें 20 की आवश्कता है। वे सदन में हैं। सदन में बराबर कोरम पूरा है।

एक माननीय सदस्य : कार्यवाही से हटाया जाए इसको। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे यह पता चलता है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कितने उपस्थित हैं, यह उद्योगों के प्रति कितने चिन्तित हैं, यह माइनस के प्रति कितने चिन्तित हैं, यह कितने उद्योगों से रोजगार प्राप्त करे लोग, उसके लिए चिन्तित हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : टोड़ारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, एक चम्मच शहद एक किलो गोबर से अच्छा होता है।

डा. एन.एस. गुर्जर : वह ठीक है। यह गोबर उधर है या इधर है, यह कौन तय करेगा ? यह गोबर उधर है या इधर है, कौन तय करेगा ? आप ही तय कर लेंगे ?

मोहम्मद माहिर आजाद : कम किधर है और ज्यादा किधर है।

डा. एन.एस. गुर्जर : इसका मतलब आप पिछली बार बहुमत में थे तो आप गोबर थे क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी की बात करो, अभी की।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप गोबर थे क्या पिछली बार ?

मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसे ही तुलना की बात है यह।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह क्या है, जब आप बहुमत में होते हैं तो डेफिनेशन दूसरी हो जाती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बदल भी जाती है।

डा. एन.एस. गुर्जर : माइनोरिटी में होते हैं तो डेफिनेशन दूसरी हो जाती है।

श्री जीतमल खांट : कृषि प्रधान देश में गोबर का ज्यादा महत्व होता है।

श्री उपाध्यक्ष : गुर्जर साहब, यह पिछली बार भी इधर ही थे और अब भी इधर ही हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं पिछली बार भी इधर ही था।

डा. एन.एस. गुर्जर : उनके भाग्य में प्रतिपक्ष ही लिखा हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो सत्ता पक्ष में होकर भी विपक्ष में हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा तो नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं कोई विपक्ष में नहीं हूं। मैं सत्ता पक्ष में हूं और संगठन में हूं। पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं, आपको पता होना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं भी हूं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप विराज जाओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि इनका कोई इण्टरेस्ट नहीं है इसलिए पाइंट आउट किया था कि उद्योग और खनिज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, लघु उद्योगों पर है। आप लोगों ने अपने शासन काल में बड़े मेले लगाये थे उद्योग लगाने के और बहुत पैसे खर्च किये थे और उसके बाद जब आज इस पर चर्चा हो रही है तो यह आपके सारे लोग नदारद हैं इसलिए मैंने यह एक पाइंट आउट किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि लिग्नाइट भी हमारे यहां पर, लगभग जो खोज हुई है, हमारे, 3100 मिलियन टन भण्डार

(डा. एन.एस. गुर्जर)

सिद्ध कर लिये गये हैं, इसके कारण जगह-जगह पर कई सौ मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए, बीकानेर के अन्दर है, दूसरी जगह है, बिजली पैदा हम उससे करने लगे हैं। जैसलमेर में स्टील, ग्रे-लाइमस्टोन के 600 मिलियन टन भण्डार होने की पुष्टि हो चुकी है। इस तरह कई जगह हैं और इसके कारण माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्राकृतिक देन, भगवान की, ईश्वर की राजस्थान को मिली है, इसके कारण राजस्थान को बहुत फायदा हुआ है।

मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताना चाहूंगा कि 1995-96 में जहां 214.52 करोड़ रुपये की इससे इनकम होती थी, राजस्थान में आय होती थी, उसके बदले यह आय 2003-2004 में बढ़कर 513.72 करोड़ रुपये हो गयी। यह करीब 514 करोड़ रुपये, मतलब जस्ट डबल से भी ज्यादा कहा 214 करोड़ रुपये 1995-96 से। 2003-04 आते-आते 514 करोड़ के आसपास और 2004-2005 के अन्दर 625 की हमने आय आंकी थी कि यह आय 625 करोड़ रुपये के आस-पास हमको होगी लेकिन इसके बदले माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आयी और इसमें 638.7 करोड़ रुपये की आय हमको हुई। यह हमारी सरकार की उपलब्धि थी कि जितना लक्ष्य तय किया था, लक्ष्य था 625 करोड़ रुपये का उसके बदले 638.7 करोड़ रुपये इसकी इनकम हुई। इस बार जो लक्ष्य किया गया है वह 728 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी राशि इस खनिज सम्पदा से राजस्थान को मिल रही है और इसके लिए सरकार को बहुत सारे प्रयत्न किये, उन प्रयत्नों के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार को धन्यवाद अवश्य देना चाहूंगा कि जो प्रयत्न किये, अनधिकृत खनन के 523 प्रकरण बनाये, 83 में एफ.आई.आर. दर्ज की अनधिकृत खनन एवं निर्गम प्रकरण 1594, अनधिकृत खनन एवं निर्गम प्रकरणों से वसूली आय 81.2 लाख, यह जो अनधिकृत खनन होता था उससे वसूली की और इसी तरह से बाकी कई कदम उठाये गये, उसके आधार पर यह इनकम बढ़ी। जितना हमने तय किया था उसके

आधार पर उससे ज्यादा बढ़ी और रायल्टी का जो रिवीजन किया उसके आधार पर प्रधान खनिजों के मामले में 15 करोड़ रुपये और अप्रधान खनिज के मामले में 35 करोड़ रुपये की आय आगामी वर्षों में प्राप्त होगी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह जो वृद्धि हुई है यह राजस्थान के, इस सरकार के विशेष प्रयासों से हुई है इसलिए मैं इस सरकार को, मंत्रीजी को और जितने भी अधिकारी हैं, इस सम्बन्ध में उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और उनको बधाई देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ यह इनकम हो गयी। यह सब कुछ हो गया लेकिन चिन्ता का जो विषय हमारे लिए सबसे बड़ा है, धीरे-धीरे यह जो माइनिंग है इसमें कई जगह, यह जब माइनिंग होने लगी तो इसमें अन्तरराष्ट्रीय एजेंसीज ने काम करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों भारत में मार्बल सबसे ज्यादा राजस्थान में उपलब्ध है, अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएं सक्रिय हो गयीं और उन्होंने यहां पर जितने भी एन.जी.ओज. हैं उन एन.जी.ओज. को उकसाना शुरू किया और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एन.जी.ओज. डवलप, सक्रिय कहां हुए, जहां पर खनिज सम्पदा ज्यादा निकलती थी देश के अन्दर, वहां-वहां के एन.जी.ओज. सबसे ज्यादा सक्रिय हुए और उन्होंने इन द नेम आफ एन्वायर्नमेंट, इन लोगों ने पहले राज्य सरकारों पर दबाव बनाया कि एन्वायर्नमेंट के आधार पर इन खानों को बन्द करो। जब एन्वायर्नमेंट के आधार पर राज्य सरकार दबाव में नहीं आयी तो यह लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गये। मैं यह पूछना चाहता हूं और मैं यह जानकारी सदन में जानना चाहता हूं, सदन के माननीय सदस्य भी जानकारी देंगे, सरकार भी इस सम्बन्ध में जानकारी दे कि इन एन.जी.ओज. के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े-बड़े वकील तय करती है। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर कई वर्षों तक यह लोग केस लड़ते हैं। फटे हुए झोले लगाकर घूमते हैं एरिया में और घरों में ए.सी. गाडियां खड़ी रहती हैं। इन एन.जी.ओज. ने क्योंकि इटली का मार्बल जब पिटने लगा हिन्दुस्तान के

(डा. एन.एस. गुर्जर)

मार्केट में और इण्डिया का मार्बल आगे चलने लगा, ग्रेनाइट हमारी चलने लगी, उस समय उन्होंने एक साजिश रची और इटली के मार्बल को चलाने के लिए वापस इन एन.जी.ओज. के मार्फत राजस्थान की खनिज सम्पदा को नुकसान पहुंचाने के लिए, खानें बन्द करवा दीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन खानों को बन्द होने के कारण...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको याद है न कि इटली से हैलीकाप्टर खरीदा जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा, आपको याद है या नहीं है ? मैं तो याद दिला रहा हूं केवल आपको।

डा. एन.एस. गुर्जर : हैलीकाप्टर की बात कर रहे हो, हमने तो वह आपके अध्यक्ष को ही आयात कर लिया। हमनें तो आपके अध्यक्ष को ही आयात कर लिया, आप हैलीकाप्टर की बात कर रहे हो। हमने तो इटली वाली महारानी ही बुला ली। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : कम से कम जब आपको हमारा अध्यक्ष इटली का है तो आपको इटली से कोई चीज मंगानी ही नहीं चाहिए फिर भी आप वहां से हैलीकाप्टर मंगा रहे हो।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं-नहीं, क्यों नहीं मंगाना चाहिए, क्यों नहीं मंगाना चाहिए।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : आप यह मानते तो हो कि आपके अध्यक्ष इटली के हैं, यह मान तो रहे हैं न आप।

डा. एन.एस. गुर्जर : दिल्ली में जो सरकार चल रही है, देखिये मुझे ज्यादा, मैं गया हूं, अब मैं ज्यादा इतिहास नहीं खोलना चाहूंगा। नहीं तो आप लोग चिढ़ जाएंगे। उनके फादर की कौन से कार्नर पर एक दुकान थी? वहां पर कौनसी कण्ट्री के अन्दर ? इसलिए मैं यह नहीं चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खनिज पर आना चाहता हूं। आप मुझे प्लीज छेड़िये मत, नहीं तो मैं सारी हिस्ट्री जानता हूं।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 1991-92 के अन्दर जो कुल खानें स्वीकृत हुई थीं वह 730 खानें टोटल स्वीकृत थीं। 1991-92 तक। जैन कमेटी ने सर्वे किया वहां पर एन.जी.ओज. ने जो रिट-पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट में, 262 खानें बन्द हुई 1-11-1993 में, वहां के सरिस्का के जो डाइरेक्टर थे उन्होंने लिख दिया कि हमारा एरिया तो बढ़ा हुआ है, पहले 866 स्क्वायर किलोमीटर था, उसको बढ़ाकर उन्होंने बता दिया कि हमारा एरिया ज्यादा है, ज्यादा एरिया होने के कारण यह 866 किलोमीटर से 1145 किलोमीटर बढ़ाकर बता दिया गया। उसके बाद 215 खानें सम्पूर्ण रूप से और 47 खानें, 293 में आंशिक-रूप से बन्द हो गयीं। यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह डिमार्केशन नहीं हुआ था कि रेवेन्यू की कौनसी लैण्ड है, फोरेस्ट की कौनसी है, सैंक्चुरी की कौनसी है इसलिए आज तक यह उलझते रहे और इस चीज के लिए जब फोरेस्ट एरिया है ही नहीं, रेवेन्यू लैण्ड है, सिवाय चक है, चरागाह है, उसमें भी अगर कोई माइनिंग चाहिए तो एन.ओ.सी. सबसे पहले लो। फोरेस्ट से भी एन.ओ.सी. लो, उससे भी एन.ओ.सी. लो। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, इस मामले में कि पिछले दिनों इन्होंने पिछले सदन में यह जब मामला आया उन्होंने घोषणा की, इस सरकार ने, मैं मुख्य मंत्री महोदय को और मंत्रीजी, दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा। सदन में घोषणा की कि हम परमानेन्ट डिमार्केशन करवा रहे हैं और परमानेन्ट डिमार्केशन इस बात का, कि फोरेस्ट एरिया कौनसा है, नोन फोरेस्ट एरिया कौनसा है ताकि हमेशा-हमेशा के लिये फोरेस्ट से एन्वायर्नमेंट से आलतू-फालतू चीजों से जो एन.ओ.सी. की समस्या है, यह एन.ओ.सी. की समस्या हमेशा-हमेशा के लिये समाप्त हो जाये। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और खानों को जो बार-बार बन्द किया जाता है इन द नेम आफ एन्वायर्नमेंट और यह जो एन.जी.ओज. पीछे लगे हुए हैं इससे इन खानों को मुक्ति मिलेगी और राजस्थान की आय में बढ़ोतरी होगी।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, 12-12-1996 को सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश आया, जिसमें उन्होंने कहा कि फोरेस्ट एक्ट के अनुसार आप

(डा. एन.एस. गुर्जर)

फोरेस्ट और डि-फोरेस्ट डिफाइन करिये और फोरेस्ट एक्ट के अनुसार फोरेस्ट एरिया डिफाइन नहीं था। जब फोरेस्ट एरिया डिफाइन नहीं था तो उन्होंने कहा अगर इस प्रकार डिफाइन का प्रोवीजन नहीं है तो आप आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इसको डिफाइन करिये। आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जब इसको डिफाइन किया गया तो उसमें डिफाइन करने के आधार पर उन्होंने कह दिया कि इसके अनुसार डिफाइन करके आप खानों को फिर चालू करिये और उस आदेश के अनुसार 225 खानें उस समय बन्द हुई। 30-10-2002, 9-12-2002 को 290 खानें बन्द हुई। आदेश के कारण 17-3-2004 को फिर 115 के करीब खानें बन्द हुई और 17-3-2004 को यह आदेश आ गया कि 16-2-2002 के बाद में जितनी भी स्वीकृत खानें हैं, उन खानों को बन्द किया जाये और उस आदेश की गफलत में राजस्थान में लगभग 20 हजार खानें बन्द हो गयीं। 20 हजार खानें बन्द होते ही खलबली मची। जब इनकी सरकार थी तब 20 हजार खानें एकदम बन्द हो गयीं। 20 हजार खानें बंन्द होने के कारण क्योंकि इन्होंने अच्छी तरह से उस कानून को नहीं पढ़ा।

श्री विष्णु मोदी : आप विस्तार से बतायें कि क्या जजमेंट हुआ, फिर उन्होंने इसको समझा नहीं और आनन-फानन में बन्द करा दी। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं इसलिए कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि शुरू से ही इस सरकार का जो इंटेंशन था वह इंटेंशन ठीक नहीं रहा। इन्होंने हमेशा खनिज विरोधी नीति अपनाई जिसके कारण, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी आऊंगा कि खानें चलने के कारण कितना लाभ होता है, कितना नुकसान होता है। लेकिन जब-जब आदेश आये, 1996 में एक आदेश जब आया था एक केस में, मैं बताना चाहता हूं, यह जो आदेश आये, बीच में, उस सरकार ने न तो अर्थ समझा, न उसको अच्छी तरह से लीगली एग्जामिन किया जिसके कारण...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, आपको अच्छी तरह याद है कि आप पंचायती राज मंत्री थे, भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे, यह खानें तभी बन्द हो गयी थीं और इसका ही परिणाम है कि जब भैरोंसिंहजी यात्रा लेकर निकल रहे थे तो अलवर में उन्होंने थानागाजी में मीटिंग करके कहा था कि मेरी सरकार के आते ही मैं दुबारा चालू करूंगा। आप आठ साल राज में रहे, पांच साल 1993-98 तक रह गये, नहीं हुआ था। यह भैरोंसिंहजी की सरकार के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने 200 खानों को बन्द करने के आदेश दिये थे, न कि कांग्रेस सरकार में।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप पूरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, (व्यवधान) एक मिनट नाथूसिंहजी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, to keep the record straight. रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जो टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा 1996 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो खानें बन्द हुई थीं, वह फोरेस्ट लैण्ड से रिलेटेड था, लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के वक्त में जो फैसला अरावली के ऊपर आया, उसमें उन्होंने उसका इन्टरप्रिटेशन नहीं किया। उसको सही ढंग से समझा नहीं और पूरे राजस्थान की, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, उसमें कहीं अरावली नहीं आती है, लेकिन जोधपुर डिवीजन में, पूरे राजस्थान में, कोटा में अरावली नहीं है, भरतपुर में अरावली नहीं है, लेकिन उसको बगैर समझे हुए उन्होंने पूरे राजस्थान की जितनी खानें थीं, वह बन्द कराई और उससे करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बता रहा था कि 1996 में इन्होंने इसका गलत इन्टरप्रिटेशन किया और जो फैसला आया था उसके बाद 2000....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : 1996 was only related to the Forest.

श्री जुबेर खान : किसने इन्टरप्रिटेशन गलत किया ? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट सुनो। फोरेस्ट के बाद जो आया, जो आप कह रहे हो, 2000, उसमें अरावली की जो खानें बन्द की, 20 हजार खानें बन्द हुई, यह सरकार थी। पूरे राजस्थान में अरावली जहां थी ही नहीं, इन्होंने गलत इन्टरप्रिटेशन किया, ये लड़े नहीं और इन्होंने आगे कोई कार्यवाही नहीं की। इस सरकार ने आते ही उनमें से 16 हजार खानें स्पेशल कैम्प लगाकर एनवायरनमेन्ट एन.ओ.सी. दिलाकर और 16 हजार खानें इस सरकार को वापस चालू कराईं। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : माननीय सदस्य भैरोंसिंहजी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। भैरोंसिंहजी इस सदन में नहीं है। इसलिए उचित नहीं है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। आपकी सरकार की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : 1996 में आपकी सरकार थी। भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे, आप भी मंत्री थे।...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बता रहा हूं न। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : 1996 में कौन था मुख्य मंत्री ?...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्य, इटली के इशारों पर चलना इनकी मजबूरी है। इटली के इशारों पर चलते हैं यह तो। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह जो अरावली का फैसला आया है, यह अरावली का फैसला आपकी सरकार के समय आया। हमारी सरकार के समय नहीं आया।

श्री सी.डी. देवल : 1996 में आपकी सरकार थी। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : भैरोंसिंहजी की सरकार में पंचायत राज मंत्री थे, इनको पूरा ज्ञान है, आपको ज्ञान नहीं है, आप माननीय सदस्य,

(श्री राकेश मेघवाल)

उस समय सदन के सदस्य नहीं थे। (व्यवधान) आप उस समय सदन के सदस्य नहीं थे।

डा. एन.एस. गुर्जर : हाथ जोड़ूं, आप तो बिराजो।

श्री सी.डी. देवल : 1996 में आपकी सरकार थी। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आपके ज्ञान की महिमा का कायल हूं, बिराज जाओ।

श्री सी.डी. देवल : और इन्होंने, मोदीजी ने मिलकर गलत डिसीजन किया।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपके ज्ञान की महिमा का मैं कायल हूं, आप बिराज जाओ। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इनको यही पता नहीं है कि 1996 के फैसले में क्या था और यह अरावली का फैसला क्या है ? अरावली के फैसले के कारण 20 हजार खानें बन्द हुईं और यह कांग्रेस गवर्नमेंट के समय पर आया यह अरावली का फैसला। हमारे समय में दूसरा फैसला था। मैं भैरोंसिंहजी की बात,. अलवर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे उस समय मैं भी मंत्री था, मुझे याद है। उपाध्यक्ष महोदय, उसके पहले भी माननीय भैरोंसिंहजी और हम जाकर आपको ध्यान होगा, जब शुरू-शुरू में ही अलवर की खानें बन्द हुई थीं तो भैरोंसिंहजी और मैं था, हमने जाकर नारायणी माता में मीटिंग करके हजारों लोगों का प्रदर्शन किया और खान बन्द कराने के विरुद्ध हमने आपकी सरकार के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने के लिये वहां आह्वान किया। जब आपकी सरकार थी तो स्व. माननीय हरिदेवजी जोशी मुख्य मंत्री थे, और उस समय हमने आन्दोलन करके कहा कि हम प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन कन्धे से कन्धा मिलाकर आपका साथ देंगे। आप केन्द्र सरकार से लड़ो और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो और यह खानें चालू करवाओ आप। यह हम थे, आप क्या कर रहे हो ? जब आपकी सरकार थी तो आपने खानें बन्द कराई तो कोई कार्यवाही नहीं की और आज भी आप बैठे हुए हो। सुप्रीम कोर्ट

(डा. एन.एस. गुर्जर)

के उल्टे फैसले आते हैं और कुछ कोई चीज आती है, आपने एक भी आन्दोलन नहीं किया कि खानें चालू कराई जाये। आपने सुप्रीम कोर्ट में, आपकी केन्द्र सरकार से कभी जाकर दबाव डाला कि राजस्थान में क्या हो रहा है ? लखनऊ में रीजनल आफिस हैं और वहां के रीजनल आफिसर ने एक चिट्ठी लिख दी 2003 के अन्दर, कि राजस्थान की खानें बन्द। किस आधार पर ? पांच किस्म की उन्होंने बताया कि इन-इनके अन्दर खानें चालू, बाकी बन्द और उन्होंने किस आधर पर बन्द कर दी ? हरियाणा के अन्दर नहीं, हिमाचल के अन्दर नहीं, लेकिन उन्होंने राजस्थान के अन्दर खानें बन्द कर दीं। हरियाणा की खानें बंन्द नहीं हुईं, हिमाचल की खानें बन्द नहीं हुई। गुडगांव हरियाणा में आता है, वही नोटिफिकेशन गुडगांव में काम नहीं कर रहा है, राजस्थान में वही नोटिफिकेशन काम कर रहा है। आज गुडगांव बैंकाक बना हुआ है देश का और राजस्थान की क्या हालत है? उसी नोटिफिकेशन के कारण एक ही नोटिफिकेशन, राजस्थान में खानें बन्द हो जाये, हरियाणा में खानें बन्द नहीं हों। आठ रीजनल आफिस हैं। लखनऊ का जैसा आफिस है, वैसे देश के अन्दर एक भी रीजनल आफिस ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानकर कहीं भी यह आदेश नहीं निकाला।

आज छत्तीसगढ़ के अन्दर हमारे राजस्थान के लोग, जिनकी खानें अरावली में थी, बन्द कर दी। यहां पर बन्द हो गयी थी। आपकी सरकार की गलतियों के कारण वह सारे खान मालिक आज राजस्थान छोड़कर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चले गये। आज यहां पर उनकी करोड़ की मशीनें जंग खा रही है। लोग लूट-लूटकर उन मशीनों को ले जा रहे हैं। उसके कारण लाखों की संख्या में जो ट्रक थे, लाखों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गये। कोई ट्रक चलाते थे, ट्रकों के मालिक थे, कोई खलासी था, कोई ड्राइवर था, कोई होटल चलाते थे, कोई खानों के अन्दर काम करता था, कोई क्रेन बनाता था, कोई खानों की मशीन बनाता था, कोई कुछ करता था। यह सब लोग बेरोजगार हो गये। गैंगसा चल रह थे, गैंगसा ठप्प हो गये। क्रेन बनाने वाली फैक्ट्रियां बन्द

(डा. एन.एस. गुर्जर)

हो गयीं। आज विश्वकर्मा और मकराना में जाकर देखो, उदयपुर जाकर देखो, क्या स्थिति हो गयी इन कारखानों की। उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ रुपये की सम्पत्ति का राजस्थान को नुकसान हो गया और जब 1991-92 के बाद केवल एक अकेले अलवर जिले में ही खान बन्द होने से राजस्थान सरकार को जो आय होती थी, उस आय का यदि आकलन किया जाये तो करीब एक हजार करोड़ रुपये की आय का राजस्थान की सरकार को नुकसान, केवल सरकार को नुकसान हुआ है। बाकी जनता और इण्डस्ट्रियलिस्ट को और दूसरे उद्योग-धन्धे चौपट हुए हैं, उनमें नुकसान हुआ जो तो हुआ उसके कारण, निर्णय क्या हुआ ? बैंकों का पैसा डूब गया। जिन लोगों ने बैंकों से लोन ले रखा था, वह बैंकों का पैसा डूब गया। आज यह स्थिति हो गयी, क्योंकि यह डिफरेन्ट जो निर्णय आये, सुप्रीम कोर्ट के, उसके कारण यह सब जगह-जगह उन्होंने खानें बन्द करा दीं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि डाइवर्जन के लिए अलवर के लोगों ने, माइन ओनर्स ने एक एप्लीकेशन लगायी। डाइवर्जन 99, 1999 के बाद केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दे दिये थे। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य उठ कर चले गये, माननीय सदस्य भी जा रहे हैं, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं जब 1999 में केन्द्र सरकार ने डाइवर्जन करने का अधिकार और फोरेस्ट से डि-फोरेस्ट करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया तो यह कांग्रेस की सरकार जब यह खानें बन्द हो रही थीं, जब यह फैक्ट्रियां बन्द हो रही थीं, जब एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और गरीब तबके के लोग बेरोजगार हो रहे थे उस समय यह सरकार मूकदर्शक बनी हुई थी। इस सरकार ने क्या किया ? इन्होंने क्यों नहीं आदेश निकाले डि-फोरेस्ट के, डाइवर्जन क्यों नहीं किया ? इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, बल्कि मांग करना चाहूंगा कि जितने भी, जहां-जहां से भी राजस्थान में डाइवर्जन के केसेज बन कर आपके डिपार्टमेंट में एन्वायर्नमेन्ट एन.ओ.सी. के लिए पड़े हुए हैं,

(डा. एन.एस. गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, आज कह रहे थे कि जंगल क्यों कम हो रहे हैं, बाघ क्यों गायब हो रहे हैं, वन्य जीव क्यों कम हो रहे हैं, इसका कारण यह माइंस, उस समय मसुदा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था

What is the relation between the forest and mines ? यह फोरेस्ट एण्ड माइंस मेंजो रिलेशनशिप है, मेरा तो सुझाव था, उनका भी सुझाव था, मैं उनका स्वागत करता हूं कि फोरेस्ट, एन्वायरर्नमेन्ट और माइंस, इन तीनों की डिमांड पर एक ही दिन चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह कोरिलेटेड सब्जैक्ट्स हैं इसलिए इन पर एक ही दिन चर्चा होनी चाहिए और इनको कोरिलेट करके सरकार को इस पर देखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सात साल से यह एन्वायर्नमेन्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है ? एन.ओ.सी. देना बन्द कर दिया। एक भी एन.ओ.सी. नहीं। उसके बाद इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा जब यह 20 हजार खानें बन्द हुई इन्होंने स्पेशल कैम्प्स लगवाये और उन कैम्प्स के अन्दर करीब 16 हजार खानों की एन.ओ.सी. देकर उन खानों को चालू करवाया। अब भी मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो एन्वायर्नमेन्ट एन.ओ.सी. नहीं मिल रही है, अभी आप देखें कि कितने केसेज एन.ओ.सी. के लिए एन्वायर्नमेन्ट डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं, यदि सौ बाई सौ मीटर की खान है और उसके अन्दर दो मीटर का एरिया, उपाध्यक्ष महोदय, सिवाय चक का आ गया तो वह कह देते हैं यह तो चरागाह नहीं है, सिवाय चक आ गया इसलिए हम इसको रेगुलराइज नहीं करेंगे, इसको एन.ओ.सी. नहीं देंगे, अब चरागाह और सिवाय चक में एन.ओ.सी. देने में क्या प्राब्लम है, फोरेस्ट एरिया है नहीं, लेकिन नहीं देते। आज इतना भ्रष्टाचार एन्वायर्नमेन्ट में व्याप्त है, कोई आज से नहीं है, पहले से ही है, आप इनको चैक कराइये। यदि आप वहां 10 हजार रुपये दे देते हो तो फोरेस्ट हट जाता है और 10 हजार नहीं दो तो फोरेस्ट की बिंदी लग जाती है कि यहां तो पेड़ हैं, एन.ओ.सी. नहीं देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक सैकण्ड, नाथूसिंहजी। चरागाह में एन.ओ.सी. फोरेस्ट देता है क्या ?

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, सब में फोरेस्ट की एन.ओ.सी. चरागाह में नहीं देता।

श्री हरिमोहन शर्मा : फिर ?

डा. एन.एस. गुर्जर : लेकिन अगर सिवाय चक आ गयी तो उसमें जरूरी कर रखा है। कानून में प्रोविजन कर रखा है कि उसको एन.ओ.सी. लेनी पड़ेगी, यह है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, तो फोरेस्ट से तो नहीं लेना पड़ेगा ना, वह तो कलक्टर देगा एन.ओ.सी.।

डा. एन.एस. गुर्जर : फोरेस्ट से क्या, एन्वायर्नमेन्ट से लेना पड़ेगा। आप पूरी बात सुनिये, आपका ध्यान पता नहीं कह है। मैं बोल रहा हूं, आप कहीं ध्यान में, ख्यालों में, बैदजी बगल में बैठ गये तो आपके खयालात कहीं और घूम रहे हैं। अब वैदजी कौनसे सुन्दर-सुन्दर सपने आपको दिखा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, उनमें आप खो रहे हैं, इसका मेरा दोष थोड़ी है। बैदजी, ऐसे सपने हम को भी दिखा दिया करो कभी-कभी ताकि हम भी विचरण करें अच्छे सपनों में।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आज ही लो।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो हो ही सपनों पर जिंदा, हम तो तथ्यों पर, लेकिन आप तो सपनों पर चल रहे हो।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह मैं ही नहीं, पूरी दुनिया ही सपनों पर जिंदा है।

श्री जुबेर खान : आप तो सपनों के सौदागर हो।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, मैं तो सौदागर हूं लेकिन आप तो पता नहीं सपनों में क्या-क्या करते हो, मैं तो सौदागर ही हूं। सपने कई तरह के होते हैं,

मैं सपनों का सौदागर हूं, आप लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो लेकिन अभी चार साल तो कम से कम इन्तजार करना ही पड़ेगा।

श्री जुबेर खान : साढ़े तीन साल।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो डाइवर्जन के केसेज पड़े हैं और जो एन.ओ.सी. के केसेज पड़े हुए हैं एनवायर्नमेन्ट में, आप उन पर ध्यान दीजिए।

माननीय सदस्य, जरा मंत्रीजी को सुनने दीजिए, बाद में चर्चा कर लीजिए। जब बहस चले तो मंत्रीजी को फ्री छोड़ा करिये। ट्रांसफर के मामले बाद में ही करा लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का ध्यान नहीं है, थोड़ा सा इनको कहिये।

श्री उपाध्यक्ष : खारची से आने वाले माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि डाइवर्जन के केसेज पड़े हुए हैं उन पर ध्यान दीजिए। एन.ओ.सी. के लिए सैंकड़ों केसेज पड़े हुए हैं। माइन ओनर्स की सारी मशीनरी, बैंक्स की प्रोपर्टी अटकी हुई है इसलिए डाइवर्जन के केसेज के मामले में आप देख कर एन.ओ.सी. में पड़े हुए हैं उनको आप क्लीयर करवाएं। आप कर सकते हैं, 1999 के बाद आपको अधिकार मिल गये और यदि कोई और दिक्कत आ रही है तो अभी नमो नारायणजी का स्टेटमेन्ट था, जो केन्द्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि यदि राज्य सरकार कोई प्रस्ताव भेजेगी तो हम विचार, सौभाग्य से....

श्री जीतमल खांट : माननीय सदस्य, एक मिनट। अभी नमो नारायणजी मीणा ने तो बांसवाड़ा का दौरा किया था, उन्होंने यह स्पष्ट बोला है भाषण में कि जितना भी आदिवासियों का कब्जा 1980 से पहले जितनी भी भूमि चल रही है उस पर राज्य सरकार की तरफ से तो केन्द्र को कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा है। तो, मंत्रीजी, इतना बड़ा आरोप लगाया है और केन्द्रीय मंत्री

(श्री जीतमल खांट)

मीणाजी ने कि कोई राजस्थान सरकार से आदिवासियों का जमीन के लिए नियमन करने के लिए उस सम्बन्धी कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। यह बताएं। आरोप लगाया।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि यह राजस्थान सरकार की तरफ से 5466 प्रकरण हैं, उनको रेगुलराइजेशन के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजा गया था और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी अपना मानस बनाया था, सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, यह स्थगन के कारण इसके मामले रुके हुए हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जानकारी दी, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं लेकिन डाइवर्जन के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से पैरवी ठीक ढंग से करें, यह जो खानें बन्द हुई हैं।

आज इंदिरा गांधी केनाल है, चम्बल है, नर्बदा आ रही है, इनके आस-पास अगर हम इतना ही फोरेस्ट एरिया डवलप कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं कि इतने फोरेस्ट के बजाय हमने इतना ज्यादा फोरेस्ट डवलप कर दिया है...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकंट की, इनको जानकारी देना चाहता हूं 2004 में अश्वनी चौबे वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान में 20 हजार माइंस बन्द हुई थीं, हमने एन्वायर्नमेन्ट और हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के कैम्प लगा कर 16 हजार माइंस की क्लीयरेंस की। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मंत्रीजी, आप बात कर रहे थे तब मैंने आपको धन्यवाद दिया है इसके लिए, आपने सुना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए तो धन्यवाद।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं यही कह रहा हूं कि मैंने आपको बधाई दी है और धन्यवाद दिया है जब आप बातचीत कर रहे थे।

श्री हरिमोहन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपका पता नहीं कब धन्यवाद देते हो और कब आलोचना करते हो। एक बात पर आओ न।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह बात मैं आपको कह चुका था जो आप बोल रहे थे। मैंने धन्यवाद भी दे दिया आपको लेकिन मैंने कहा कि वे माननीय सदस्य आपके पास बैठे हुए थे इसलिए मैंने उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट किया कि मंत्रीजी को सुनने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद का काम पहले कर दिया।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : माननीय सदस्य, एक मिनट। आपने 16 हजार माइंस चालू की, ऐसा मंत्रीजी ने, उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बताया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा में कितनी माइंस फोरेस्ट में चालू की ? कृपया थोड़ी जानकारी दें। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : बाद में पूछ लेना।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : अभी तक कोई माइंस फोरेस्ट विभाग से बांसवाड़ा, त्रिपुरा सुन्दरी में एक भी माइंस चालू नहीं हुई है, चार-पांच माइंस जो चालू है वहीं है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह डाइवर्जन की खानों के मामले में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है लेकिन, मंत्री महोदय, कई मामले ऐसे हैं जो छोटी-मोटी चीजों के कारण एन.ओ.सी. के कारण एनवायर्नमेन्ट डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं है। वह एरिया फोरेस्ट के बाहर है, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कोई रोक नहीं लगा रखी है, उन मामलों में आप एन.ओ.सी. दिलवा कर उन माइंस को चालू करवाएं ताकि राजस्थान को, आपकी सरकार को भी रेवेन्यू का लोस नहीं हो और जो बाकी लोग हैं उनको भी नुकसान नहीं हो।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे फोर एग्जाम्पल निवेदन करना चाहूंगा अलवर का केस है, जमवारामगढ़ का केस है, जमवारामगढ़ की खानें हैं, फोरेस्ट के बाहर ही एरिया है, अब कैसी-कैसी अनूठी योजनाएं बनाते हैं डिपार्टमेंट के अधिकारी, सरिस्का अभ्यारण्य को रणथम्भौर अभ्यारण्य से जोड़ेंगे और इस तरह का एक बेतुका सा आदेश उन्होंने निकाल दिया जिसके कारण सारी माइंस बन्द हो गयीं। आज वहां चोरियां कर-कर के ले जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए माइनिंग उनसे रायल्टी वसूल करता है, उनसे कई चीजें वसूल करता है, आपने उनकी मशीनरी की सुरक्षा के लिए जहां-जहां खानें बन्द हुई हैं, मंत्री महोदय, उस एरिया में उन माइन ओनर्स की मशीनें पड़ी हुई हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं ? आपके मैंने आंकड़े देखे हैं जिसमें मैं आपको दोष नहीं देना चाहता। पिछली सरकार के भी आंकड़े देखें हैं, मैं आंकड़ों में नहीं उलझना चाहता, माननीय सदस्य कहेंगे अभी कि इतना लम्बा समय ले रहे हो। वन प्वाइंट समर्थिंग का खर्चा जो माइनिंग का डवलप करने का खर्चा सरकार की तरफ से, चाहे सरकार आपकी रही हो चाहे हमारी रही हो, उनमें डवलपमेन्ट के लिए, सड़कें बनाना, बिजली लगाना, पानी की व्यवस्था करना, टेलीफोन व्यवस्था करना, उनके मजदूरों की वैलफेयर की स्कीम, डिस्पेंसरी, उनके इलाज की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था उनके ऊपर नेग्लिजिबल खर्चा होता है। दूसरा, जहां-जहां एरियाज में यह खानें बन्द हो गयी हैं, हो सकता है यह पुनः चालू हों, उस समय तब तक इनकी सारी मशीनरी गायब हो जायेगी तो उनको दोबारा बैंक से लोन लेकर के मशीनरी लगानी पड़ेगी। तो आपके पास जब इतना उनसे लिया पैसा सरकार ने तो उस मशीनरी की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, उनकी मशीनरी चोरी नहीं की जाए इसलिए उनकी व्यवस्था आप करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर भी आप ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से राजस्थान भर में एक सर्वे करवाया गया और सर्वे करवाकर के जितनी खानें बन्द पड़ी हैं कृपया वह कैसे चालू हो

(डा. एन.एस. गुर्जर)

सकें इसके लिए कोई कमेटी बनाकर के और कौन-कौन से रास्ते हो सकते हैं जिसके कारण यह खानें चालू हों इस बात का आप प्रयास करेंगे ताकि एक तरफ सरकार की आय बढ़ेगी, दूसरी तरफ हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार के कारण बाकी यह अलग-अलग इनडाइरेक्टली परोक्ष रूप में रोजगार में लोग इससे बहुत जुड़े हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो चोरी से अवैध खनन हो रहा है फोरेस्ट एरिया में, अगर आपने अवैध खनन को रोक दिया, फोरेस्ट एरिया में अवैध माइनिंग हो रही है जिसके कारण आपको राजस्व की हानि हो रही है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं मेरे टोंक डिस्ट्रिक्ट का जहां से मैं आता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार समाचार पत्रों में आया, अवैध माइनिंग जब हो रही थी वहां के अधिकारियों ने उसको नहीं रोका, पांच मजदूरों की मौत हो गयी अवैध माइनिंग के कारण, उसके बाद एक्शन हुआ। आज मैं जानना चाहता हूं जितने भी माइनिंग एरियाज हैं वहां कितनी-कितनी अवैध माइनिंग चल रही है ? टोंक जिले के अन्दर कोई तहसील ऐसी नहीं है जिनमें अवैध माइनिंग नहीं हो रही हो। वहां क्रेन लगी हुई है। हमको दिखती है, गांव वालों को दिखती है लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को नहीं दिखती है वह क्रेन। फैक्ट्रियां लगी हुई हैं फैक्ट्रियां चल रही हैं अलग अलग किस्म के पत्थरों की सरेआम अवैध माइनिंग।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार को नुकसान हो रहा है दूसरी तरफ जो कानून के अनुसार काम करना चाहते हैं उनको नुकसान हो रहा है और अवैध माइनिंग करके लोग उनको ले जा रहे हैं इसलिए आज देवली के अन्दर आप जाइये देवली के पास यह जो उनियारा का क्षेत्र है उनियारा के अन्दर सरेआम नोन फोरेस्ट और फोरेस्ट एरिया में अनआथोराइज खानें चल रही हैं मेरे एरिया में अनआथोराइज खाने चल रही हैं। इसलिए इनको रोकने के लिए सडन मंत्रीजी एक दल बनाइये यहां पर ईमानदार आफिसर्स की स्टेट लेवल पर एक टीम बनाइये, चार-पांच टीमों का गठन करिए उसमें आप छांटिए कुछ ईमानदार आफिसर्स को...

एक माननीय सदस्य : कहां से लाएंगे ?

श्री बाबूलाल नागर : शुगर मिल से दोनों को हटा रहे हो, उनसे काम ले लो आप।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरफ मंत्रालय का पूरा ध्यान है और इन दो दिनों में काफी इन्होंने किया है इसमें।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैंने धन्यवाद दे दिया ना। मैं सुझाव दे रहा हूं और मैं सुझाव यह देना चाहता हूं कि आप कमेटी बनाकर अचानक इन अलग-अलग जिलों में जहां-जहां आपके केस ध्यान में आते हैं, कोई शिकायत करता है अगर लोकल लेबल पर सूचना होते ही उनको अलर्ट कर देते हैं कि भाग जाओ छोड़कर के और वहां अवैध माइनिंग बन्द हो जाती है। जाते हैं, हमें अवैध माइनिंग नहीं पाई गई, यह रिपोर्ट दे देते हैं और इसलिए यहां एक टीम बनाइये, जिले के अधिकारियों को बिलकुल पता मत लगने दीजिए। आप अचानक घर पर बुलाइये और उनको कहिए कि मेरे साथ चलिए या ज़िम्मेदार अधिकारियों को लगाएं कि चुपचाप फलां जगह ले जाओ इनको, बताओ मत कहां जा रहे हैं और वहां जाकर के छापे डालेंगे तो यह अवैध माइनिंग रूक पाएगी और उसके बाद अपनी इनकम बढ़ेगी। इसलिए इसके सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही राजस्थान सौभाग्यशाली प्रदेश है विशेष रूप से इस सरकार के आने के बाद राजस्थान के अन्दर तेल मिला। एक नई चीज मिली है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, पैट्रोलियम की खोज 47 वर्षों में 124 कुओं की खुदाई हुई टोटल और इस पन्द्रह महीने के अन्दर-अन्दर 64 कुओं की खुदाई हुई है। कहां तो 47 वर्ष में 124 कुएं खुदे और कहां केवल 15 महीने में 64 कुएं खोदे। उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री बृजकिशोर शर्मा : यह राजस्थान सरकार ने खोदे थे या केन्द्र सरकार ने खोदे थे ?

डा. एन.एस. गुर्जर : यह राजस्थान सरकार की पहल पर खुदे हैं वर्ना दिल्ली की सरकार तो पहले भी बैठी हुई थी।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैं तो आपसे जानकारी, आप ज्ञानी हो हम अज्ञानी हैं इसलिए आपसे ज्ञान लेना चाह रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : राजस्थान सरकार, आपको यह पता होना चाहिए कि अभी केन्द्र सरकार ने यह मान लिया है करीब-करीब वह सहमत हो गए हैं वित्त आयोग के, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने जो सुझाव दिया हैं कि पचास प्रतिशत इसका जो पैसा है वह स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। आपको यह जानकारी होगी शायद।

श्री बृजकिशोर शर्मा : पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पैसे देने-लेने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो इतना सा पूछ रहा हूं कि यह केन्द्र सरकार ने खोदे या राज्य सरकार ने खोदे। इससे ज्यादा नहीं पूछ रहा।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बता रहा हूं ना। न केन्द्र ने खोदे, न राजस्थान सरकार ने खोदे, कम्पनियों ने खोदे हैं, केयर्स एनर्जी ने और जिनको उनका ठेका दिया हुआ हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : कम्पनियों को ठेका केन्द्र सरकार ने दिया है कि राज्य सरकार ने ?

डा. एन.एस. गुर्जर : यह न मैं खोदने गया हूं, न आप खोदने गए हों, यह कम्पनियों ने खोदा हैं और वह कम्पनियां आपकी गवर्नमेंट के समय में क्यों बैठी हुई थीं चुपचाप ?

श्री बृजकिशोर शर्मा : यहां पर राजस्थान सरकार के आप काम गिना रहे हो तो वह भी कम्पनियां ही कर रही हैं, सरकार नहीं कर रही हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप विराजिए, मैं बता रहा हूं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैं आपको जो बता रहे हो उसी का निवेदन कर रहा हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपका विशाल ज्ञान है उसको जब आप भाषण दें तब उस समय बताना। मैं आपको बता रहा हूं ना, आप पूरी बात सुनना, उसके बाद काउन्टर आपके पास जवाब है तो काउन्टर करना लेकिन आप बीच में बार-बार, उपाध्यक्ष महोदय, डिस्टर्ब कर रहे हैं। रोकिए इनको।

श्री उपाध्यक्ष : इनकी आदत हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आप चेयरमैन हो और वह मैम्बर हैं इसलिए इंटरप्ट कर रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : अब तक नौ तेल क्षेत्र ही खोज पाए थे और एक वर्ष में चार तेल क्षेत्र खोदे हैं और इसी तरह से बाड़मेर-सांचौर बेसिन में 300 मिलियन टन तीस कुओं में, 300 मिलियन टन तेल के भण्डार सिद्ध हुए हैं। पचपन कुओं की खुदाई की इनमें से तीस कुओं मे 300 मिलियन टन तेल के भण्डार और उनका व्यावसायिक दोहन इसी वर्ष से शुरू हो जाएगा। यह राज्य सरकार के प्रयास हैं और आप जानना चाहते हो तो राज्य के मुख्य मंत्रीजी ने कितनी बार केन्द्र को पत्र लिखे, कितनी बार मिली, कितनी बाद दबाव दिया यह उसी का परिणाम है। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, एक साजिश चल रही थी पाकिस्तान के अन्दर तेल निकल रहा है लेकिन राजस्थान में तेल नहीं निकल रहा है। बोर्डर के उस तरफ निकल रहा है तेल, इस तरफ नहीं निकल रहा है। मिडिल ईस्ट में जितनी कम्पनीज काम कर रही हैं उनका दबाव था इण्डिया क्योंकि इमर्जिंग कन्ट्री है, बहुत फास्ट इमर्ज कर रही है डवलप कन्ट्री, विकसित देश होने के लिए इसलिए विदेशों का दबाव था, मिडिल ईस्ट की कम्पनियों का दबाव होने के कारण पाकिस्तान के अन्दर तो तेल, यही कम्पनियां वहां तो तेल निकाल रही थी और राजस्थान में तेल नहीं निकाल रही थी। यहां राज्य सरकार के प्रयास से उन कम्पनियों को चेतावनी दी गयी, केन्द्र सरकार के ऊपर दबाव डाला गया कि या तो इनको कहो कि यह तेल निकालें, खोज करें वर्ना इनका काम बन्द करवा करके इनको वापस रवाना करो और दूसरी कम्पनियों को इसका ठेका दीजिए। जब यह दबाव बढ़ा केन्द्र के ऊपर, इन कम्पनियों के ऊपर दबाव बढ़ा उसका परिणाम था कि इन कम्पनियों ने काम करना शुरू किया और जो मैं आंकडे दे रहा हूं यह उसी का परिणाम है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री बृजकिशोर शर्मा : टोडारायसिंह से आने वाले सदस्य से मैं पूछना चाहूंगा कि यह जितनी तेल की खोज हुई है, आपके पन्द्रह महीने में इनका कान्ट्रेक्ट कब दिया, कब काम शुरू हुआ और कब आपके मुख्य मंत्रीजी ने पत्र लिखा, इसकी जानकारी देने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलोगे जब बता देना।

श्री बृजकिशोर शर्मा : बात आज की है उसका जवाब तो मांगना पड़ेगा ना।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप सुनिए, आप बैठिए मैं बता रहा हूं। 30 नवम्बर, 2004 को मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर को पत्र लिखकर राज्य में एस.सी.ज़ेड की स्थापना के लिए रिफाइनरी लगाने का अनुरोध किया (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : यह नहीं लिखा है।

डा. एन.एस. गुर्जर : इसी तरह रूकिए ना। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, आपके कोई चुम्बक लगा हुआ है क्या ? इसी तरह से इन्होंने सारे जो हमारे माननीय पार्लियामेंन्ट के मैम्बर थे उनकी मीटिंग ली और मीटिंग लेकर के उनको कहा कि इस सम्बन्ध में आप केन्द्र पर दबाव डालिए और उन्होंने यह तेल निकालने के लिए जो बेसिन की आप बात कर रहे हैं यह प्रथम भारत सरकार के महानिदेशक यह जब इन्होंने दबाव बनाया वहां पर उनके बाद महानिदेशक हाइड्रो कार्बन ने राजस्थान में खनिज तेल एवं गैस की उपलब्धियों को देखते हुए राज्य की तीन पैट्रोलियम सम्भावित बेसिनों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया और बम्बई, गुजरात और असम के समकक्ष उनको लाने की स्थिति की।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका परिणाम है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, आप सरकार में केन्द्र में रहे होंगे तो आपने प्रयास नहीं किए होंगे, आपकी सरकारें रही होंगी तो आपने प्रयास किए होंगे लेकिन आपके प्रयास सफल नहीं हो पाए और हमारे प्रयास सफल हो गए। मैं मुख्य मंत्रीजी को

(डा. एन.एस. गुर्जर)

इसके लिए बधाई देना चाहूंगा इनके प्रयास सफल हो गए। आपके प्रयास मुझे मालूम नहीं, क्यों नहीं सफल हुए।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जो इससे इन्कम होगी उस इन्कम की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, ज्यादा शोर्ट में...

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : आपने समय ही नहीं बताया उसका।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं बार-बार। कभी कोई क्या बोलते हैं, कभी कोई क्या बोलते हैं।

बेसिन में, उपाध्यक्ष महोदय, 2005-06 पांच हजार बैरल प्रतिवर्ष निकलेंगे इसमें यह बीस प्रतिशत रायल्टी की इससे 57 करोड़ रुपए बिक्री कर के 11.5 प्रतिशत की दर से हिसाब लगाएं 33 करोड़ रुपए कुल राजस्व आय 90 करोड़ 2005-06 में, यह 2010-11 तक बढकर यदि चालीस हजार बैरल प्रतिवर्ष तेल का उत्पादन होता है तो रायल्टी और बिक्री कर से 724 करोड़ की राजस्थान को इन्कम होगी, यह तो इससे है। लेकिन चूंकि यह तो तब था जब राज्य सरकार ने यह प्रयास नहीं किये थे कि हमें फिफ्टी परसेंट इसमें हिस्सा दिया जाए। उसके पहले की स्थिति थी। आज स्थिति बदल गयी। 12वें फाइनेंस कमीशन के सामने हमारी सरकार ने जोरदार पक्ष रखा। हमारे वित्तीय प्रबंधन को फाइनेंस कमीशन ने देखा। उसके आधार पर जब हमने तर्क दिये कि राजस्थान की जीवन रेखा है यह तेल और उसके आधार पर हमारे पहले जितना रेगिस्तान था वहां हम अकाल के नाम पर, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो उस क्षेत्र से आते हैं, करोड़ रुपये हमको खर्च करना पड़ता था। आज वही क्षेत्र सोना उगल रहा है, सोना उगलेगा। इसलिये जब यह तर्क दिये राजस्थान सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्रीजी सारे आकडें जुटाकर जब उनके सामने स्थिति रखी, उसके बाद फिफ्टी परसेंट, उन्होंनें सैद्धांतिक रूप से यह मान लिया कि फिफ्टी परसेंट हिस्सा स्टेट को मिलना चाहिये। उसके बाद केन्द्र सरकार ने भी सिद्धान्ततः उस पर सहमति व्यक्त कर दी। मैं केन्द्र सरकार को इसके

(डा. एन.एस. गुर्जर)

लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने फिफ्टी परसेन्ट पर सहमति व्यक्त की है। आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि यह काम जितना जल्दी हो, आपकी दिल्ली में सरकार है, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करिये और राजस्थान को इसका लाभ मिले, इसके लिये आप दबाव बनाएं। हमारी मुख्य मंत्रीजी प्रयत्न कर रही हैं। उनको प्रयत्न में सफलता भी मिली है इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं और आप भी जोर लगाइये। हम भी जोर लगाते हैं। यह मैं कहता हूं राजस्थान किसी एक व्यक्ति की, किसी एक पार्टी की या किसी एक दल की बपौती नहीं हैं, राजस्थान सारी जनता की बपौती हैं। आप और हम ट्रस्टी हैं। आज हम इधर बैठे हैं, कल इधर कौन बैठेगा, कोई नहीं जानता। सरकार आती हैं, कल आप इधर बैठे थे, अदला-बंदली होती हैं। इसलिये मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। राजस्थान की जीवन रेखा यह तेल के भण्डार, खनिज सम्पदा जो हमको मिली है इसके कारण यदि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं। सब लगा रहे हैं, बीच में नहीं...

डा. एन. एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, लिग्नाइट के भण्डार, तेल और खनिज सम्पदा, यह तीन चीज ही ऐसी हैं जो राजस्थान के भाग्य को बदल सकती हैं, राजस्थान की तकदीर बदल सकती हैं।

लिग्नाइट के कारण राजस्थान की बिजली की समस्या भी दूर हो सकती है इसलिये इन चीजों को विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े उद्योग लगाने के लिये हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन जब तक बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक सफिशियेंट वाटर की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक आवागमन की व्यवस्था नहीं होगी, हमारे पास गुजरात में अभी हमारे प्रयास से भुज के पास एक नया बन्दरगाह बनाया। मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी कोई इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि हमको ट्रांसपोर्टेशन, बिजली, पानी, यह बेसिक

(डा.एन. एस. गुर्जर)

इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खड़ा कर देंगे तो सारे उद्योग धन्धे स्वत: ही राजस्थान में आने की तरफ प्रयासरत होंगे। आज हम चाहे विदेशों में जाकर प्रयास कर लें, चाहे राज्यों में उनको बुला लें, जब तक फैसिलिटीज नहीं देंगे तब तक कोई भी उद्योगपति राजस्थान में नहीं आयेगा। इसलिये मैं, पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में हमको दलीय भावना से ऊपर उठकर विचार करना पड़ेगा सबको। सबको संयुक्त प्रयास करने पड़ेगे कि राजस्थान में उद्योग धन्धे कैसे लगें।

मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि फिर इन्होंने घोषणाएं की हैं इन उद्योग धन्धों के बारे में हम प्रतिवर्ष एक लाख नौजवान लोगों को रोजगार देंगे। आज सरकारी नौकरियों में रोजगार नहीं हैं। ज्यादा हम उसमें अवसर भी नहीं बढ़ा सकते सरकारी नौकरियों इसलिये प्राइवेट सैक्टर है जिसमें उद्योग धन्धे हैं, खनिज है, यह जो तेल भण्डार निकलेंगे इनमें रोजगार के नये अवसर निकल रहे हैं। इनका हमें पूरा प्रबन्ध करना चाहिये, पूरा प्रयत्न करना चाहिये और उद्योग धन्धे ज्यादा से ज्यादा लगें इसके लिये एटमोसफियर क्रियेट करना चाहिये राजस्थान में।

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो उस क्षेत्र से आते हैं जहां पशुपालन बहुत ज्यादा है। कृषि और पशुपालन मेन रीढ़ की हड्डी है। मैं आंकड़े देख रहा था। मुझे था कि कहीं 70 परसेंट ही रह गयी हो, करीब 77 प्रतिशत पापुलेशन राजस्थान की आज कृषि और पशुपालन में आज गांवों में रहती है। उनमें से अधिकतर जनता या तो छोटे उद्योग धन्धे, कुटीर उद्योग या कृषि और पशुपालन, इन पर निर्भर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप किसान हैं। अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि हम कुटीर उद्योगों को ज्यादा महत्व देंगे, यदि हम कृषि और पशुपालन पर आधारित उद्योगों को ज्यादा महत्व देंगे तो स्वत: ही हमारे राजस्थान के अन्दर रोजगार के अवसर ज्यादा क्रियेट होंगे और इसका लाभ भी राजस्थान को मिलेगा। इसके लिये हमको जो वर्षा का पानी हैं, सतही जल है, उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। हम सदुपयोग करेंगे तो इसके लिये बड़े बांध

(डा. एन. एस. गुर्जर)

बनाने पड़े, मीडियम बांध बनाने पड़े, छोटे एनीकट बनाने पड़े, वाटर को रिचार्ज करना पड़े, कुछ भी करना पड़े लेकिन एक मिली जुली प्रतिक्रिया, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं।

खानें जहां माइनिंग हो रही हैं वहां पानी निकलता है। यह पानी वेस्टेज जाता है। मैं तो यह चाहूंगा कि खानों के अन्दर जो पानी निकलता हैं, पम्प सैट चल रहे हैं, जहां-जहां माइनिंग चल रही है, उस पानी का उपयोग वहां पर कोई आस-पास बांध बनाकर उस पानी को उन बांधों के अन्दर डाल दिया जाए और आस-पास के इलाकों में उसको खेती के काम लिया जाए तो उस पानी का सदुपयोग हो पायेगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमको इन सारी चीजों पर कि किस तरह कुटीर उद्योग पनपें, किस तरह कृषि और पशुपालन आधारित राजस्थान के अन्दर छोटे उद्योग लग सकें, इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा।

आज बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल्स आ रही हैं। जब से डब्ल्यू.टी.ओ. पर हमने हस्ताक्षर किये हैं, 2005 के बाद हमारे ऊपर एक बहुत बडा संकट आने वाला है। उसकी तरफ ध्यान दिलाकर मैं मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं।

यह इतना बडा संकट है कि आज डब्ल्यू.टी.ओ. के आधार पर जो विकसित देश हैं वह दुनिया की कृषि के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, वह दुनिया की दवाइयों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। नीम तक को पेंटेट कराया और उसके आधार पर बहुत लम्बी लडाई लड़नी पड़ी तब नीम उससे छुटकारा पा सका। आज हमारे देश की जो भौतिक सम्पदा है उसके ऊपर डब्ल्यू.टी.ओ के माध्यम से कुछ कण्ट्रीज मोनोपाली करके कब्जा करना चाहते हैं। इसलिये डब्ल्यू.टी.ओ के आने के बाद आज चाहे हमारी दवाइयां हों, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे और चीज हो, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे मोची का कार्य करते हैं, चाहे लकड़ी का काम करते हैं, हमारे जो कृषि से सम्बधित छोटे-छोटे औजार बनाने

(डा. एन. एस. गुर्जर)

वाले लोग हैं वह चाहे चर्म का उद्योग करते हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। इससे हम कैसे बचें, किस तरह से बच सकते हैं, इसकी हमें चिन्ता करनी पड़ेगी। उतने ही तेज राजस्थान को प्रयास करने पड़ेंगे और इन सब चीजों में दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करना पड़ेगा तो राजस्थान हमारा धीरे-धीरे प्रगति की ओर जायेगा। रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे, सरकार की आमदनी बढ़ेगी जिसके कारण राजस्थान एक विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आयेगा। आज हम राजस्थान को देखें तो विकास की दृष्टि से नवें स्थान पर, तेरहवें स्थान पर आपने पहुंचा दिया था आपकी सरकार ने, नवें स्थान पर हम लाये हैं उसको। हमारी मुख्यमंत्रीजी कोशिश कर रही हैं जिस तरह का बजट दिया है और जिस तरह मंडीज में अलग-अलग यह कांसेप्ट हमारी पिछली बार सरकार में, आपको ध्यान है जब माननीय भैंरोसिंह जी शेखावत की सरकार थी उस समय भी हमने इस कंसेप्ट पर विचार किया था कि जहां टमाटर पैदा हुए, टमाटर की इंडस्ट्री लगायी जाए। जहां मिर्ची ज्यादा पैदा होती हैं, मिर्ची की इंडस्ट्रीज लगायी जाए और फिर उसके विपणन की व्यवस्था सरकार खुद सपोर्ट करके करे ताकि किसानों को पूरा उचित लाभ मिले।

आज मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस कार्य योजना को सफल क्रियान्विति की ओर ले जा रही हैं इसलिये भी मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। मेरी शुभकामना है कि सभी मिले-जुले प्रयत्न जिसमें आपकी भी भूमिका हो सकती है महत्वपूर्ण, यदि आप हमें सहयोग करें और हम सब मिल करके राजस्थान को विकास की दृष्टि से महाराष्ट्र के समकक्ष, गुजरात के समकक्ष, कर्नाटक के समकक्ष, जो विकसित प्रदेश हैं उनके समकक्ष ही नहीं, बल्कि राजस्थान में जो प्राकृतिक सम्पदा है उसको देखते हुए हम राजस्थान को प्रथम श्रेणी में विकास की दृष्टि से लाकर खड़ा करें, इस बात के हम सबको प्रयत्न करने चाहिये।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री बृजकिशोर शर्मा : आपका मंत्रिमंडल में जरूर नम्बर आ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर (अनुपस्थित)

श्री बृजकिशोर शर्मा : अब सवाल यह है कि खनिज का बनेंगे, कि तेल मंत्री बनेंगे, यह पता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (अनुपस्थित) श्री बृजकिशोर शर्मा...

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप फिक्र मत करो... (व्यवधान) बन जायेंगे, आप चिन्ता मत करो।

श्री जोगाराम पटेल : प्रतिपक्ष के नेता बन जायेंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा : आपकी दुआ रही और आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर बनेंगे।

डा. एन. एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इनके फेमिली बैंक ग्राउंड का पता है। इनके पिताजी बहुत ही लर्नेड, बहुत ही सीजेंट पालिटिशियन हैं और मैं चाहता हूं कि यह भी उनके कदम, पदचिन्हों पर चलकर वैसे ही बनें। इसलिये कंह रहा हूं कि आप भी स्टडी करके उनकी ही तरह सौम्य, उसी तरह का व्यवहार रखकर आप बोलें। मेरी आपको बहुत-बहुत शुभकामना है।

श्री उपाध्यक्ष : तो आपको अनुभव नहीं हो रहा है।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह नहीं चाहूंगा कि उस उम्र में आप गवर्नर बनें। मैं यह नहीं चाहूंगा इस उम्र में गवर्नर बनाए पार्टी आपको। अभी आपका भविष्य बहुत लम्बा पड़ा है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : आपको बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा और उससे पहले मैं उनको बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वन और खनिज

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

मंत्रालय का भार सम्भालने के बाद निश्चित रूप से राजस्थान के लिए कुछ करने की कोशिश की है। वह उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं ज्यादा सदन का समय नहीं लेते हुए बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले के अन्दर 1988 में कुछ खानों का अलाटमेंट हुआ और कुल खानें 698 के करीब 1991-92 तक हो गयी। इन 698 खानों में से 372 खानें मार्बल की थी और इन 372 खानों में 8-4-1992 को जैन कमेटी, सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा और सुप्रीम कोर्ट ने यह जो खाने अलाट की थी मंत्रीजी, उसमें विशेष बात यह रही है कि यह खाने फोरेस्ट से एन.ओ.सी. लेकर के अलाट हुई, उसके बाद वैद्य रूप से माइनिंग किया गया। चार साल बाद किसी पी.आई.एल. के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जैन कमेटी का गठन किया। एम.एल.जैन कमेटी का, उस कमेटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करीब 262 खानों को बन्द कराया और यह मानते हुए बन्द कराया कि उसमें से कुछ खानें (व्यवधान) मेरे पास 262 की हैं, हो सकता हैं आप सही हों 225 हो उसमें से। फिर जैन कमेटी ने अन्त में उनमें से 144 खानों को चालू कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार एन्वायर्नमेंट की एन.ओ.सी. लेना जरूरी किया गया और इन खानों के मालिकों ने मेरी जानकारी के मुताबिक 132 खान वालों ने एन्वायर्नमेंट की प्रोपर एप्लीकेशन 1998 में सरकार को सबमिट कर दी और उसके रूल के तहत यह था कि आज इस एप्लीकेशन का निस्तारण तीन माह में नहीं किया गया तो यह आटोमेटिकली डीम्ड फिट मानी जायेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि न तो केन्द्र सरकार ने और

(14.43 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

न राज्य सरकार ने इस पर कोई कारगर कदम उठाया। खानें जो चल रही थी उनको 16-12-2002 को फिर बन्द करा दी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने मंत्री का चार्ज लेने के बाद, खनिज मंत्रालय आपके पास आने के

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

बाद आपने इसमें पहल की और मैं आपसे उम्मीद करना चाहता हूं, आपसे आशा करना चाहता हूं कि इन खानों के बन्द होने की वजह से वहां पर हजारों मजदूर इस अकाल के समय पर अकाल से जूझ रहे हैं, आपसे निवेदन है चूंकि वन मंत्रालय भी आपके पास में है, इस विसंगति को दूर करें। विसंगति कुछ भी नहीं है, वन की डेफिनेशन को किस तरीके से मैनुपुलेट किया जाये, उसकी क्या डेफिनेशन हो, इसको लेकर आठ साल से इस विसंगति को दूर नहीं किया गया। आपसे निवेदन हैं कि इस ओर विशेष ध्यान दे।

सभापति महोदय, दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फोरेस्ट में जो कुछ खानें आपने मानी, हालांकि वह फोरेस्ट में नहीं थी, फोरेस्ट की एन.ओ.सी. लेने के बाद ही उन्होंने वैध माइनिंग चालू की थी। उन केसेज में भी कुछ खान वालों ने डायवर्सन का केस एप्लाई किये हुए हैं और उनके फैसले आज तक नहीं हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपया उन केसेज का भी जल्दी निस्तारण करवाया जाये। सभापति महोदय, आपने जो बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 42 पर विशेष तौर से अपनी बात कहूंगा क्योंकि हमारा जो पाली है वह राजस्थान में टैक्सटाइल में नम्बर वन पर है। लेकिन जो संकट है पाली में और जो समस्या है, उस संकट को यदि दूर कर दें और उस समस्या का निराकरण कर दें तो आज पाली राजस्थान में नम्बर वन पर है उसके बाद पाली हिन्दुस्तान में नम्बर वन पर निश्चित रूप से खड़ा हो सकता है। हमारे पाली के उद्योगों में इतनी ताकत इतना दम है, वैसे पूरे हिन्दुस्तान में पाली का नाम है टैक्सटाइल में और यही नहीं कि पाली का कपड़ा पूरे हिन्दुस्तान में बिकता हो, पाली का कपडा आज की तारीख में दुनिया के 62 देशों में निर्यात होता है।

सभापति महोदय, लेकिन मैं यह कह दूं आपको कि जो संकट है उससे यदि उबारा सरकार ने, जो सबसे बड़ा संकट है पानी का संकट है और मैं

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा कि हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। जिसके लिए पाली की जनता ने कई बार आन्दोलन किया, प्रदर्शन किया और इस बजट में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पाली के लिए 347 करोड़ की योजना को मंजूर करके पेयजल की व्यवस्था तो कराई। लेकिन मेरा निवेदन है कि आपने पेयजल के लिए बहुत बड़ी योजना मंजूर कर दी, पानी की जो छीजत होती थी, चोरी होती थी, वह इससे बच जायेगा। यह जो पानी है, जो चोरी चला जाता है, जो छीजत में चला जाता था इसको कुछ हिस्सा इंडस्ट्री के लिए आरक्षित कर दें क्योंकि हमारा सारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पानी पर आधारित है, टैक्सटाइल में पानी मिल जाये तो कहां से कहां पहुंच जायेगा। जब यह योजना पेरी हो जायेगी, पाइप लाइन की तो पानी बचे उसे आरक्षित करें इंडस्ट्री के लिए और जब कोई संकट आया है, आपने खनिज की बात की थी, ऐसा ही फैसला हमारे पाली की टैक्सटाइल उद्योग पर किया था और एक बार पाली की लगभग 300 इंडस्ट्री को क्लोजर के नोटिस दे दिये गये थे। ज्यों ही यह बात मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचायी, उन्होंने गम्भीरता से लिया और इस बात की चिन्ता की कि पाली का उद्योग धन्धा कहीं बन्द नहीं हो जाये। कैबिनेट की सब कमेटी बनाकर के पाली की इंडस्ट्री की रक्षा के लिए वहां उस कमेटी को भेजा। किस प्रकार पाली की इंडस्ट्री को हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी बन्द नहीं करवाया जा सके। इस बात के लिए वह गहनता से अध्ययन करें और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सब कमेटी पाली गयी। हाई कोर्ट का जो फैसला था उसका अध्ययन किया और उसमे से रास्ता निकाला और एक भी इंडस्ट्री को बन्द नहीं होने दिया। यह बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए सरकार को माननीय मुख्य मंत्रीजी को, माननीय उद्योग मंत्रीजी को विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय, हाई कोर्ट का जो फैसला था और हमारे अधिकारियों ने बिना गहनता से लिये सीधे क्लोजर के नोटिस दे दिये। आदेश दिये थे हाई कोर्ट ने कि जिन इंडस्ट्री का पानी ट्रीटमेंट प्लांट में ना जाकर जमीन में जाता हो, ऐसी इंडस्ट्री को बन्द कर दिया जाये तो हमारा एक फर्स्ट फेज का इंडस्ट्री एरिया है, जो रीको ने खुद ने डवलप किया है। रीको ने बनाया। वहां का पानी कच्चे नाले के माध्यम से ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता था। लेकिन उसके बावजूद

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

भी वहां क्लोजर के नोटिस दे दिये जबकि उन सारे लोगों ने प्लाट रीको से खरीदे थे। हमारे कमेटी गई थी पाली में तो उसके सामने जब यह बात रखी तो उन्होंने सहयोग दिया, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम समस्या के बारे में अधिकारियों से वार्ता कर रहे थे सर्किट हाउस के कमरा नम्बर एक में, तो कुछ अधिकारी जो जयपुर से आये थे, मेरी एक दो-बात पर वह कह रहे थे कि यह तो फैक्ट्री बन्द होगी। माननीय उद्योग मंत्रीजी ने उस समय स्पष्ट कहा कि यह निर्णय आप नहीं करेंगे, आप अपनी राय दीजिए, कौनसी इण्डस्ट्री बन्द होगी और कौनसी नहीं, यह निर्णय सब कमेटी करेगी, कितनी अच्छी मानसिकता है। उन्होंने पूरे इण्डस्ट्रियल एरिया का घूमकर निरिक्षण किया और रास्ता भी ढूंढ निकाला और इसलिए आज मैं कहता हूं कि पाली की पूरी जनता और उद्यमी आपके आभारी हैं कि उन्होंने वहां के उद्योगों को जीवित रखा।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ऐसे कुछ आदेश हैं जिनमें शहरी क्षेत्रों में, कृषि भूमि पर जो इकाइयां बनी थीं उनके लिए माननीय हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि ऐसे उद्योग जो कृषि भूमि या शहरी क्षेत्र में बसे हैं उनके लिए नया रीको एरिया घोषित किया जाए और वहां उन इकाइयों को स्थानान्तरित किया जाए। हमारी सरकार ने बहुत तत्परता से इसको लिया और बहुत बड़ी भूमि, लगभग 600 बीघा भूमि, कुछ सरकार की और कुछ काश्तकारों की, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए आरक्षित कर दी और बहुत जल्दी वहां लोगों को भूखण्ड मिलने वाले हैं। मेरा उद्योग मंत्रीजी से विशेष तौर पर आग्रह रहेगा कि जिन इण्डस्ट्रियों को माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों के कारण स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है उनके लिए वे विशेष रियायतें दें, भू-खण्ड भी रियायती दर पर दें। मेरा विशेष निवेदन है कि यदि आप भूखण्ड किश्तों पर दे सकें, मकान भी अपन किश्तों पर देते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनको वहां जाना है, उनकी अपनी इण्डस्ट्री चल रही थी, हाई कोर्ट के आदेशों की पालना में उन्हें दूसरी जगह स्थानान्तरित होना है

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

इसलिए पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त स्थान का भूखण्ड उन्हें मिले जितना इण्डस्ट्री लगाने के लिए आवश्यक है। उनको रियायती दर पर भूखण्ड मिल जाए, बाकी उनकी मांगों को प्राथमिकता दी जाए। किश्तों पर रियायती दर पर उनको भूखण्ड मिल जाए तो शायद उनको बहुत ज्यादा सुविधा मिल जाए वरना उनका जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसको बेचने में और पैसा अर्जित करने में लम्बा समय लग जाएगा, जल्दबाजी में फैक्ट्री बेचने का उन्होंने प्रयास किया तो उनको उसकी पूरी कीमत नहीं मिलेगी।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि अब भी बहुत कम पड़ेगी क्योंकि काफी सालों से पाली में नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। आप उसके आजू-बाजू की भूमि भी देखें। हमने आपको ऐसी भूमि दिखाई जहां हजारों बीघा भूमि है फोर्स फेज इण्डस्ट्रियल एरिया ये चिपती भूमि है, पास में नदी भी है, ट्रीटमेंट प्लांट भी है तो आप उस भूमि को अधिग्रहित करने का प्रयास करें। मुझे पता है कि पाली में ज्यों ही यह नया रीको एरिया घोषित हुआ, हर उद्योगपति इण्डस्ट्री के लिए जमीन चाहता है और यह जमीन उनके लिए पर्याप्त है, वरना काफी लोग वंचित रह जाएंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप और जमीन अधिग्रहीत करें।

मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि आज जो हालत बनी हुई हैं उनमें लघु उद्योग इकाइयों की परमीशन तो आप दे रहे हैं लेकिन पावर प्रोसेस के एक्सपंशन पर आपने रोक लगा रखी है जबकि आज मार्केट पावर प्रोसेस के अनुरूप है, उसके बढ़ने के चांस भी हैं, उनका कपड़ा भी बहुत बड़ी मात्रा में बाहर बिकता है, वह निर्यात भी करते हैं लेकिन पोल्यूशन वाली समस्या के चलते पावर प्रोसेस पर आप एक्सपंशन की परमीशन नहीं दे रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप पाली पधारे थे तो आपने यह सारा देखा था उसके बाद में प्रदूषण की समस्या ठीक कैसे हो उसका अध्ययन भी किया और रीको की टीम भी मेरे निवेदन पर आपने पाली भेजी थी, पाली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने के लिए साढे नौ करोड़ रुपए की मंजूरी दिलवा दी, जब आपने इतना काम कर

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

दिया, उस मंजूर राशि से पक्का नाला बन रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेड हो रहा है तो जो पावर प्रोसेस पर एक्सपंशन चाहते हैं यदि आप उनको परमीशन दे दें तो वह अपनी ओर से योगदान देने को भी तैयार हैं, जितना भी ट्रीटमेंट प्लांट पर खर्चा आने वाला है, उन्होंने बिल्कुल सहमति दी है, सरकार प्रदूषण निवारण उपायों के लिए जितना खर्चा मांगेगी, उद्यमी देने के लिए तैयार हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पाली के उद्यमी पिछले 17 सालों से ट्रीटमेंट प्लांट चलाने का पूरा खर्चा अपनी ओर से दे रहे है। उनके द्वारा प्रति गांठ 50-60 रुपए की एक राशि तक हैं, वह अपनी ओर से दे रहे हैं, वह सरकार से कुछ मांगने वाले नहीं हैं। आपसे और माननीय पर्यावरण मंत्रीजी से निवेदन है कि आपके पास जो फाइल रखी है एक्सपंशन की, उसकी आप निश्चित रूप से स्वीकृति दें, यह पाली के उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है, उसको पूरा करने का प्रयास करें। मुझे इसकी पूरी उम्मीद भी है कि हमारे उद्योग मंत्रीजी और पर्यावरण मंत्रीजी इस दिशा में अच्छे कदम उठायेंगे। मैं पुनः पाली की जनता की ओर से और पाली के उद्यमियों की ओर से उद्योग मंत्रीजी का विशेष तौर पर उन्होंने पाली के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए, बहुत सफल प्रयास किए, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, हालांकि मन में तो था कि पहले खान पर चर्चा करूं लेकिन पाली का विषय आ गया, उद्योग का विषय इन्होंने लिया है तो मैं भी उद्योग ही पर पहले चर्चा करना चाहूंगा। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि उद्योग के लिए पानी रिजर्व रखा जाए लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जवाई बांध किसानों के लिए बनाया गया हैं और उसका पानी किसानों के लिए है, पेयजल के लिए है, जो पानी शेष बचे पेयजल के बाद वह किसानों को मिलना चाहिए, यदि नहीं मिला तो किसान जवाई बांध से पानी को नहीं निकलने देंगे, इससे पाली जिला और पूरा क्षेत्र पेयजल से वंचित हो जाएगा। यह बात बिलकुल सही है कि हम चाहते हैं

(श्री मदन राठौड़)

कि उद्योग पनपे लेकिन यह किसानों की कोस्ट पर नहीं, किसानों की भूमि को बरबाद करके नहीं। यह बात बिलकुल सही है कि पाली में जो टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं और उनके जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं वह एलकली पानी को शुद्ध करने के लिए लगे हैं लेकिन वहां पर ऐसी फैक्ट्रीज लगी हैं जो एसिडिक वाटर उत्सर्जन करती हैं, एसिडिक वाटर को शुद्ध करने के लिए वह ट्रीटमेंट प्लांट सक्षम नहीं हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी और सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार का ट्रीटमेंट प्लांट वहां लगाया जाए जो एसीडिक पानी को शुद्ध कर सके। जो एसीडिक पानी नदियों में छोडा जा रहा है उससे आसपास के किसानों की भूमि बंजर हो रही है, जमीन बरबाद हो रही है, कुओं से कलरफुल पानी बह रहा है और ऐसा ही नदियों में बह रहा हैं। इसको कोई समिति यहां से जाकर देख सकती है। इस बारे में प्रयास होने चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय, नवम्बर, 2002 से फरवरी, 2003 तक 84256 लघु उद्योग इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया उसमें से 37871 बन्द पाई गई, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, 622 वृहद और मध्यम इकाइयों मे से 268 बन्द पाई गई। यही नहीं 31 जनवरी, 2003 तक 142 स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज बन्द पाई गईं।

इनको पुनः चालू करने के लिए कोई स्कीम पुरानी सरकार ने नहीं बनायी थी। मैं हमारी सरकार और इस समय के जो उद्योग मंत्री हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा उन्होंने इस प्रकार की रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के लिए एक पैकेज घोषित किया।

माननीय सभापति महोदय, 15 वर्षों में 180 सीमेंट के प्लांट लगे और प्लांट लगाने की भरमार, बाढ सी आ गई थी, सभी- क्षेत्रों में सीमेंट के प्लांट लगने लगे। उसमें से आज केवल 42 चालू हैं, 138 सीमेंट प्लांट बन्द हैं। इसमें जनता का पैसा लगा है, सरकार का पैसा भी लगा है, बैंकों का पैसा लगा है इसके बारे में किसी ने चिन्ता नहीं की। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा जब इतनी बड़ी राशि इसमें फंसी हुई है, वे प्लांट आज सड़ रहे

(श्री मदन राठौड़)

हैं, इन प्लांट्स को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, इसके बारे में चिन्ता करनी चाहिए। इसके लिए कोई मार्गदर्शन या सहयोग कर सकें तो उद्योग मंत्रीजी अपने जवाब में इसका खुलासा करने का प्रयास करें।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में पहले भी चर्चा हुई थी। विगत चार वर्षों से 6254 प्रार्थना-पत्र बेरोजगारों ने आवेदित किये उनमें से 4641 उद्योग विभाग ने और जिला उद्योग केन्द्रों ने विभिन्न बैंकों को भेजे। केवल 2025 उद्योग स्थापित कर सके क्योंकि बैंकों ने उनको स्वीकार नहीं किया। उनके द्वारा स्वीकार किये जाने के बावजूद भी उनको रिजेक्ट करके भेज दिया। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो स्कीम बनी है उसमें भी सहयोग किया जाना चाहिए।

अभी अप्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित करने के लिए एकल खिड़की योजना शुरू कर रहे हैं। एकल खिड़की योजना हमारी सरकार ने शुरू की। तो मैं यह चाहूंगा कि उसकी हर 15 दिन में मोनीटरिंग होनी चाहिए। किसी ने भूमि के लिए आवेदन किया तो उसको भूमि उपलब्ध करवायी जानी चाहिए, किसी ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है तो उसको चक्कर नहीं काटना पड़े, पानी भी उपलब्ध कराया जाए और उनको लोन भी दिया जाए। आज जब बैंक बढ़-चढ़कर लोन देना चाहते हैं, कम ब्याज पर भी लोन देना चाहते हैं तो बराबर मोनीटरिंग होनी चाहिए ताकि एकल खिड़की योजना सफल हो सके, तब हम अप्रवासी राजस्थानियों को हमारे यहां उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।

राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी घोषित हुई है। उसका भी लाभ हमारे उद्यमों को मिले इसके लिए जिला उद्योग केन्द्र यह प्रयास करे कि वो भी प्रेरित करे, जानकारी दे, इस पालिसी के बारे में उद्यमियों को और प्रशिक्षित करे ताकि उद्यमी इसका लाभ ले सकें।

कर प्रणाली का हमने सरलीकरण करने का भी प्रयास किया हैं। सरचार्ज और टर्न ओवर टैक्स को हटाया है, प्रदेश कर को भी तार्किक किया

(श्री मदन राठौड़)

है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एक थोडी-सी विसंगति है। कोई ट्रेडर राजस्थान के बाहर से यदि कैमिकल खरीदता है तो इनको 4 प्रतिशत सी.एस.टी. देना पड़ता है और 2 प्रतिशत आर.एस.टी. देना पड़ता है। इस प्रकार उसको 6 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कोई फैक्ट्री का मालिक, कोई कारखाने का मालिक वही कैमिकल बाहर से मंगवाता हैं तो उसको 4 प्रतिशत तो सी.एस.टी. देना पड़ता है और साथ में 4 प्रतिशत प्रवेश कर देना पड़ता है यानी उसको 8 प्रतिशत टैक्स देना पड रहा है। इस विसंगति को कम किया जाना चाहिए। जब ट्रेडर, रिसेल करने वाला मंगवाता है तो उसको 6 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता हैं और फैक्टी का ओनर खुद मंगवाये तो उसको 8 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता हैं। मैं सोचता हूं यह उसके साथ न्याय नहीं है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। यदि इसमें भी 2 प्रतिशत प्रवेश कर कर सकें तो मैं सोचता हूं उनके लिए ठीक होगा।

निवेश करने वाले उद्यमियों को 10 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार देती हैं। वे जो कर्जा लेते हैं उस कर्जे पर 5 प्रतिशत पुनर्भुगतान किया जाता हैं। यदि राजस्थान सरकार भी उनको 2 प्रतिशत अनुदान दे सके तो निश्चित रूप से अप्रवासी राजस्थानियों को, निवेशकों को आमंत्रित किया जा सकेगा और ये उद्योग स्थापित किये जा सकेंगे।

विनियोजकों की समस्या को सुलझाने के लिए भी भारतीय उद्योग परिसंघ से समझौता किया है, यह भी लाभप्रद रहेगा। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।

8146 हथकरघा और बुनकरों का बीमा कराने का निर्णय लिया है और इनके इलाज के लिए 416 बुनकरों पर 73 लाख रुपये खर्च किया, इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं खनन विभाग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। 2000 में अवैध खनन के 401 मामले पकड़े गये उनमें से

(श्री मदन राठौड़)

केवल 10 की एफ.आई.आर. दर्ज हुई। आश्चर्य होगा कि 401 मामले पकड़े, 10 की एफ.आई.आर. दर्ज हुई और 9 का चालान हुआ। 2001 में 532 मामले अवैध खनन के पकडे, 29 के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की और केवल 12 के खिलाफ चालान पेश किये। 2002 में 628 अवैध खनन के मामले पकड़े, 27 के खिलाफ केवल एफ.आई.आर. दर्ज की, केवल 12 के खिलाफ चालान पेश किया गया। 2003 में 252 मामले पकडे जिसमें एफ.आई.आर. केवल 42 के खिलाफ दर्ज करायी और केवल 18 के खिलाफ चालान पेश किंया। तो यह समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं इन्होंने बाकी सबके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी ? उनके खिलाफ चालान क्यों नहीं पेश किये गये ? किस तरीके से जो अवैध खनन के मामले इनके ध्यान में आये थे और उनके खिलाफ किस तरह से समझौता करके उनको छोड दिया, यह मेरी समझ में नहीं आया।

मैं हमारे वर्तमान खान मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस वर्ष 621 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 7 मार्च तक 515 करोड़ 91 लाख का खनिज राजस्व राजस्थान सरकार को दिया। इको फ्रेंडली खनन पालिसी भी तैयार की और 57 प्रधान खनिज पट्टे, 56 अप्रधान, 46 क्वेरी लाइसेंस और 6690 एस.टी.पी. के पट्टे वितरित किये। यही नहीं खनिज रायल्टी वसूली के लिए इन्होंने 300 ठेके दिये। ठेकों के माध्यम से चोरी होने की सम्भावना कम रहती है। इस प्रकार के प्रयास किये। पारदर्शिता बनी रही, नहीं तो रायल्टी की चोरियां पहले बहुत होती थीं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि नागौर में इन्होंने अवैध खनन को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल मिनरल फर्म को रायल्टी पैड की स्टाक अनुमति दी और उसकी आड़ में उन्होंने 97,91,790 टन अवैध खनन करके उसका विक्रय कर दिया। यह 2002 की बात है। वहां पर इस प्रकार का स्टाक लाइसेंस दे दिया, रायल्टी पैड का लाइसेंस दे दिया और उसकी आड़ में वे अवैध खनन करते रहे और अवैध खनन करके वह बचता

(श्री मदन राठौड़)

रहा। इस प्रकार की चोरियां पहले होती रही। उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकरण में अभियन्ता, नागौर, खनि अभियन्ता (सतर्कता), जोधपुर, अतिनिदेशक (खान), जोधपुर जिम्मेदार पाये गये. उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही जरूर करें क्योंकि यह बात स्वीकार की गई है, सरकार ने स्वीकार किया है कि यं जिम्मेदार पाये गये। जिस प्रकार से वह उद्यमी अवैध खनन कर रहा था और दुरूपयोग कर रहा था तो वह इनकी सब देखरेख में हो रहा था और ये जिम्मेदार पाये गये थे, इनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, 2002-2003 में इन्होंने केवल 674 के बदले 55 लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी' 2003-04 में 566 की तुलना में केवल 33 के खिलाफ दर्ज करायी। यह बडा आश्चर्यजनक मामला है कि ये क्या करते रहे। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि एक ऐसा नियम है जैसे चाइना क्ले रेड आकर का अवैध खनन हो रहा है, प्रचुर मात्रा में हो रहा है, 1994 के पश्चात....

डा. सी.पी. जोशी : कम्पाउण्ड नहीं हो तो राज का रेवेन्यू नहीं होगा। अभी तो आपने मंत्रीजी को धन्यवाद दिया है कि इतना रेवेन्यू कराया। रेवेन्यू करने के लिए कम्पाउण्ड केस नहीं होंगे तो रेवेन्यू नहीं होगा।

श्री मदन राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता था कि यह कम्पाउण्ड किया नहीं है। उस समय कम्पाउण्ड किया होता तो आप इसमें यह बताते कि इतना राजस्व इनसे प्राप्त हुआ। अवैध खनन के साथ कम्पाउण्ड करते है क्या ? यदि करते हैं तो राजस्व कितना प्राप्त किया यह आपने नहीं दर्शाया। यह पुरानी बात है जो मैंने आपको बतायी। मै चाइना क्ले रेड आकर के बारे में बात कर रहा था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो रेवेन्यू बताया हुआ है उसमें वह इंक्लूडेड होता है। उसके लिए अलग से नहीं बताते।

डा. सी.पी. जोशी : गुजरात सरकार शराब चालू कर दे तो राजस्थान की रेवेन्यू घट जाएगी।

श्री मदन राठौड़ : मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए तब अवैध खनन रोकेंगे। जो रायल्टी से आय प्राप्त है रायल्टी से वसूल होती है, अवैध खनन के खिलाफ तो यदि मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे या उन पर पेनल्टी इम्पोज नहीं करेंगे तो अवैध खनन तो बढ़ता जाएगा। खैर, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान में चाइना कले का अवैध खनन हो रहा है। एक इसमें प्रोविजन यह है कि 1994 के पश्चात् किसी भी वर्ष में किसी भी चाइना क्ले खननकर्ता ने किसी एक वर्ष में पहले के वर्षों की तुलना में कभी भी एक टन से अधिक खनन किया है तो उसको एन.ओ.सी. लेनी पडती है राजस्थान सरकार से तो इस प्रकार के केवल 21 खननकर्ता ने एन.ओ.सी. ली हैं और 329 ऐसे उद्यमी हैं ऐसे खान के मालिक हैं जिन्होंने राजस्थान सरकार से एन.आ.सी. नहीं ली है जब कि उन्होंने 1994 से पहले किसी वर्ष में पहले की तुलना में अधिक खनन किया हैं तो जब एन.ओ.सी. नहीं ली फिर भी यह खननकर्ता खान चला रहे है, खनन कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से अवैध खनन की श्रेणी में आता है और इसके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारे राजस्थान में जो कच्चा माल उपलब्ध है, जो रा-मेटेरियल उपलब्ध है, वह रा-मेटेरियल बाहर से नहीं लाने दिया जाना चाहिए और यदि बाहर से आये तो उस पर अधिक प्रवेश कर या टैक्स लगाया जाना चाहिए तब हमारे राजस्थान का खनिज या राजस्थान का खनिज उद्यमी सफल हो सकेगा। अन्यथा बाहर से जो, जैसे लाइमस्टोन की बात करूं, हमारे पाली जिले में प्रचुर मात्रा में लाइमस्टोन मिलता है और लाइमस्टोन निकलता है बहुत मेहनत से निकलता हैं, बहुत मुश्किल से लाइमस्टोन निकलता है और वह बाहर से लाइमस्टोन आ जाता है और वह उनको सस्ता पड़ता है तो हमारे यहां का जो खनन कार्य है वह प्रभावित हो रहा है इसलिए मेरा यह निवेदन है कि उन पर

(श्री मदन राठौड़)

अधिक टैक्स लगाया जाना चाहिए व प्रवेश कर अधिक लगाया जाना चाहिए तो हमारे राजस्थान का खनिज उद्योग सफल हो सकेगा। यही नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने और जो वेस्ट होता है जैसे कोई इण्डस्ट्रीज चल रही है खान की लाइमस्टोन व डोलोमाइट वह ग्राइंड होता है अलग-अलग मैथ साइज है और तीन सौ मैथ साइज का, दो सौ मैथ साइज का अलग-अलग मैथ साइज का काम में आता है क्योंकि टी.वी. ट्यूब बनती हैं उसमें काम आता है, कोई ग्लास इण्डस्ट्रीज के लिए काम आता हैं, कोई मुर्गी दाने बनाती है, कोई मछली दाने बनाती है, ये सारे लाइम स्टोन से बनती हैं तो जब यह उद्योग एक यह है कि मुर्गी कोई उद्योग बनाता है, मुर्गी तभी दाना खाएगी, वैसे तो कोई पत्थर का दाना खाती नहीं है मुर्गी लेकिन मक्की का आटा कोटेज किया जाता है तब जाकर मुर्गी वह खाना खा सकती है। मुर्गी वह दाना खाना खाती है तो जितना भी खाना खाएगी उतने ही अंडे दे देगी। यह वेजीटेरियन एग कहलाता है तो इस उद्योग को सफल करने के लिए इसको भी करमुक्त किया जाना चाहिए और इससे वेस्ट निकलता है, सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि लगभग 30 प्रतिशत वैस्ट निकलता है, 10 टन यदि माल वह ग्राउंड करेगा कोई उद्यमी तो उस पर निश्चित रूप से 3 टन वेस्ट निकलेगी तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान सरकार को और खान मंत्रीजी को कि इस वेस्ट का उन्होंने टैक्स फ्री किया है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या-42 और 43 खनिज एवं उद्योग के ऊपर चर्चा हो रही है और हमारे कई माननीय सदस्य अपने सुझाव रख चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप आसन पर विराजमान हो गये, आप द्वारा जो भाषण शुरू किया गया था, माननीय टोडारायसिंह के माननीय सदस्य

(श्री जुबेर खान)

द्वारा, यह सब की चिन्ता है कि यहां खनन कार्य हो, लोगों को रोजगार मिले, यहां की सरकार की भी आय हो और यहां के उद्यमियों को और श्रमिकों को सब को काम मिले और उसके लिए खनिज और उद्योग दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं। आज इस सदन में हम यह चर्चा करके कि आपने यह नहीं किया, आपने वह नहीं किया यह तो पिछले 10-15 साल में दोनों सराकारें अदल-बदल हो रही हैं, 90 से लेकर 1998 तक आप रहे और 1998 से 2003 तक कांग्रेस रही तो आज चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि किस तरह से राजस्थान में यह समस्याएं हैं औद्योगीकरण के मामले में आ रही हैं, खनिज के मामले में आ रही हैं, इसका हम सब मिलकर कैसे प्रयास करके इसको दूर करने की कोशिश करें। सभापति महोदय, माइंस के बारे में अलवर जिला हरियाणा से लगता हुआ है और जब कभी भी कोई भी सरकार हो, कोई सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से आदेश आ जाता है उस आदेश की गहनता से उसकी पढ़कर उसके तह तक नही जाकर सुओ-मोटो अधिकारी भी कोर्ट से आया है, सुप्रीम कोर्ट से आया है, यह परवाह किए बगैर कि इसको लागू करने से किस तरह से लागू किया जाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी बात रह जाए और अननेसेसरेली बिना किसी कारण माइंस बन्द नहीं होनी चाहिए, वह बन्द हों। अब आपको उदाहरण दूंगा क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि खातेदारी की, जो निजी खातेदारी में जो खनन कार्य हो रहे हैं उन पर रोक लगा दी जाए लेकिन क्योंकि फरमान आता है और न तो सरकार में बैठे मंत्री यह चिन्ता करते हैं, न अधिकारी और सीधे सब खानों को बन्द कर दिया जाएगा। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 2002 के बाद तो शायद ही बहुत कम खानों की स्वीकृति मिली हो, न के बराबर क्योंकि आपका पर्यावरण जो झालाना डूंगरी में उसमें तो कितने ही प्रपोजल आ जाएं, वहां पड़े होते हैं, कोई एन्वायर्नमेंट क्लियरेंस नहीं दी जाती हैं। अगर माइंस में कहीं स्वीकृति मिली है तो वहीं मिली हैं जहां फोरेस्ट नहीं हैं, जहां फोरेस्ट विभाग यह कहता है कि वन विभाग का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है और यह वन विभाग क्षेत्र में नहीं आता है तभी उसको एन.ओ.सी. देते हैं और तभी उसको खनन का पट्टा मिलता है। अब आपका अभी हाल ही में

(श्री जुबेर खान)

एक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया है कि कोई 18 खानों का, 20 खानों को लेकर कोई पी.आई.एल. हुई, अब आपने सब जगह यह लागू कर दी हैं, खनन कार्य जो भी 2002 के बाद में चल रहे हैं उनको बन्द कर दिया जाए तो मंत्री महोदय, मेरा एक निवेदन है कि आप जब चिन्ता करते है यहां के राजस्थान के लोगों की तो आपको यह देखना चाहिए कि उन आदेशों को लागू उसी आधार पर किया जाए क्योंकि बिलकुल एक क्लीन उसमें नहीं कर दिया जाए कि आदेश आ गया, सब बन्द कर दी।

अब आपसे मैं निवेदन करूंगा कि खातेदारी कहीं 50 मीटर या सौ मीटर बीच पहाड़ पर तो होती नहीं है, 1975 और 77 के बीच में 20 पाइंट प्रोग्राम के तहत स्वर्गीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने अनुसूचित जाति, जनजाति और भूमिहीन लोगों को अलाटमेंट किए, अलाटमेंट ऐसे भी किए उसमें जहां गैर मुमकिन पहाड़ के क्षेत्र में आते थे जहां प्लेन जमीन थी, थोडे बहुत पत्थर होते थे लोगों ने 75 में कब्जे ले लिए, पट्टे ले लिए उनको खातेदारी अधिकार मिल गये और किस्म परिवर्तन होकर बारानी अवल या दोयम दर्ज हो गई, आपका जो सर्कुलर है। 1992 का उस सर्कुलर के आने के पहले ही वहां खातेदारियां दर्ज हो गईं सिवाय चक उसमें खातेदारी बारानी अवल और बारानी दोयम और कहीं-कहीं थोड़ा बहुत पत्थर भी होता हैं। अब माननीय मंत्री महोदय, आपकी सरकार ने रोक लगा दी पर्यावरण विभाग ने कि हम कहीं एन.ओ.सी. नहीं देंगे तो मजबूरी में वहां पत्थर भी चाहिए मकान बनाने के लिए, काम भी चाहिए लोगों को और आप हरियाणा तो जहां ज्यादा अरावली है, जहां ज्यादा ग्रीनरी है वहां खुलेआम माइंस चलें, क्रेशर चलें, डम्पर चलें और राजस्थान जो दिल्ली से इतना दूर होते हुए वहां आप किसी को काम नहीं करने दें, मैं मानता हूं कोई भी सरकार रही हो, सरकारों के द्वारा भी पक्षपात किया गया है। आप इसमें यह देखिए, आप किसी की निजी खातेदारी की माइंस को कैसे बन्द कर सकते हैं, उसको अपने खातेदारी के खेत में चलो कहीं नीचे ही निकले थोड़ा-बहुत पत्थर निकला, अपना काम चलाया है,

(श्री जुबेर खान)

उन्होंने अपनी मांइस ले रखी है इसलिए आपसे निवेदन है कि आपको इसके लिए कोई भी कदम उठाना पडे, जिन्होंने निजी खातेदारियों में अपनी माइंस ली हुई हैं उनको बन्द नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण देना पड़े चाहे उनसे निवेदन करना पड़े। दूसरा, मेरा निवेदन है कि अलवर जिले में सरिस्का के नाम से 50-50 किलोमीटर दूर तक सरिस्का की टाइगर सैंच्युअरी आती है, आज वहां औद्योगीकरण हो रहा है, नीमराना में काफी बड़े-बड़े उद्योग लग रहे हैं, बहरोड में लग रहे हैं, भिवाड़ी में लग रहे हैं, एम.आईए. में इण्डस्ट्रियल एरिया लग रहा है, राजगढ में लग रहे हैं और वहां बड़ी-बड़ी यूनिटें चल रही हैं, लोगों को रोजगार चल रहा है, अब आप बताइए जब आप माइंस को बन्द कर देंगे तो वहां पत्थर चिराई कहां से होगी ? आपको इस व्यावहारिकता को भी देखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में अगर गवर्नमेंट को करना पडे तो करिए कि हम लोग लाएंगे कहां से ? जहां एक भी पेड नहीं हैं वहां भी आप एन ओ सी नहीं देते और जो माइंस चल रही हैं उनको भी आप सुप्रीम कोर्ट की आड़ में बन्द करते जा रहे हैं। यह गलत है इसको ठीक से दिखाइये।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सदन में कहा था और आपकी इच्छा शक्ति भी है कि डिमार्केशन सैंक्चुरी और फोरेस्ट एरिया का हो, आप इसको तुरन्त कराइये। जो फोरेस्ट एरिया नहीं है, एक भी पेड़ नहीं हैं और दूर-दूर तक कुछ भी नहीं हैं उनको वन क्षेत्र से मुक्त कराइये। आज स्थिति क्या हो रही है, सभापति महोदय, आप भी जानते हैं, 500-600 साल से बसे हुए गांव जहां लोगों की खातेदारी की जमीन हैं, बिजली के कनेक्शन हो रखे हैं, टेलीफोन लग रखें हैं और आज वहां पर आप सड़क नहीं बनने देते। प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क मंजूर होकर के आ रही है, विधायक कोटे से लोग मंजूर कर रहे हैं, सांसद कोटे से मंजूर कर रहे है, ग्राम पंचायत अपने कोटे से कर रही है और रेवेन्यू रिकार्ड में रास्ता है और आज से नहीं, 500 साल से वहां रास्ता चल रहा है, कच्ची सड़क भी बनी हुई है और पी.डब्ल्यू.डी.

(श्री जुबेर खान)

वहां काम करने जाए तो आपका फोरेस्ट काम नहीं होने दे। या तो आप उन गावों को वहां से हटाइये या कैसे करेंगे। आज प्रधान मंत्री सड़क योजना में अलवर जिले में काफी गांव वंचित रह रहे हैं। पैसा आया हुआ पड़ा है और आपके फोरेस्ट वाले कहते हैं कि एन.ओ.सी. लाइये और चाहे प्राइवेट आदमी उसमें कुछ भी बना ले। यह तो उल्टा हो गया चोर तो कुछ भी कर ले और साहूकार को कुछ करने नहीं दो। आप इसकी भी व्यवस्था करिये। जब आपके रेवेन्यू रिकार्ड में है, अब वे कहते है कि जी टी शीट में होनी चाहिए, अब यह जी टी शीट किसानों को गावों में पता नहीं कि क्या है। या तो इसके ऊपर कोई प्रशिक्षण लगाइये, जी टी शीट कब बनी, पता नहीं शेरशाह सूरी के टाइम में बनी या कब बनी, यह कोई व्यवहारिक बात नहीं है। आप इसको दिखलाइये और इसके लिए जो भी कार्यवाही करनी हो वह करें। आज खुद पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी बैठे हैं, कितना पैसा...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह डिमार्केशन का है, यह टाइम लिमिट में आप करिये मंत्रीजी। डिमार्केशन यह नहीं कि लम्बा ही चलता रहे। डिमार्केशन कब तक होगा ?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : मैं कह रहा हूं घोषणा की थी डिमार्केशन करवाने की। कोई टाइम तय हुआ नहीं है।

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं कि उसका टाइम बाउन्ड हो।

श्री जुबेर खान : सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, कई जगह सार्वजनिक निर्माण विभाग काम नहीं करा पा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की गाइड लाइंस के मुताबिक उनको चेतावनी आ रही है कि आपने इतने दिन के अन्दर यह काम शुरू नहीं करवाया तो हम पैसा वापस ले लेंगे और आगे आपको पैसा देने में फर्क पड़ेगा और वही ग्राम पंचायत वगैरह वगैर एन.ओ.सी. के कराये तो करा सकती है। इसलिए यह गलत बात है। उन गावों को आप हटा नहीं सकते, आप उन गांव के लोगों को कहीं दूर नहीं कर सकते। चलिये कोई कोर एरिया में हो, सैंक्चुरी में हो वहां की बात समझ में बैठे।

(श्री जुबेर खान)

इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी आ रही हैं। मुझे अलवर जिले की जानकारी है इसकी भी आप कोई न कोई व्यवस्था कराइये।

एक मेरा आपसे निवेदन है कि अलवर जिले में मेरे खयाल से 8-10 साल पहले एक अरावली परियोजना लागू की और अरावली परियोजना के लिए जापान या कहीं से पैसे भी आये होंगे आपके पास, आपने वहां प्लांटेशन किया, सब किया लेकिन जो एरिया आपने अरावली परियोजना से बाहर रख दिया, जो छोटी-छोटी पहाडियां थीं क्योंकि आज इस श्रृंखला के अलावा भी छोटी-छोटी पहाड़ियां एक-एक, दो-दो किलोमीटर के एरिया में होती है उनमें कोई आपका अरावली क्षेत्र नहीं आता लेकिन क्योंकि अलवर जिले में है और राजस्थान में हैं उनमें भी आप अरावली की अधिसूचना को लागू कर देतें है। इसको भी आपको देखना पड़ेगा। उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिला दिल्ली के नजदीक है और खनिज मंत्रीजी, हरियाणा, आज जैसे कि टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बैंकाक या सिंगापुर बन रहा है गुड़गांव, आज वहां जितनी भी सप्लाई हो रही है वो हरियाणा से हो रही हैं। वो तो कर रहे हैं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हो रही और आप अलवर से नहीं होने दे रहे जबकि आज हमको इसका लाभ लेना चाहिए कि जितना वहां हो रहा है, हमारे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को रायल्टी मिलेगी, आय मिलेगी क्योंकि भारी मात्रा में वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, अलवर जिला एन.सी.आर. में आता है। एन.सी.आर. के नाम से आज अगर राजगढ़ तहसील से 50 किलोमीटर दूर गांव में भी कोई अपनी जमीन आदमी कन्वर्ट कराने के लिए जाता है तो एन.सी.आर. के चक्कर में दिल्ली तक फाइल जाएगी और वह कन्वर्ट नहीं करा सकता। वह इल्लिगल कुछ भी बना ले लेकिन उसका उपयोग रेजिडेंशियल के लिए या कामर्शियल के लिए या इण्डस्ट्रियल के लिए नहीं होगा क्योंकि एन.सी.आर. लग गई उसकी वजह से डीजल, पैट्रोल महंगा हो गया लेकिन यह एन.सी.आर. का फायदा क्या हो रहा है।

(श्री जुबेर खान)

एन.सी.आर. का तात्पर्य तो यही था कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है इसमें केन्द्रीय राजधानी दिल्ली की तरह लोगों को सुविधा मिले। पानी की मिले, बिजली की मिले, ट्रांसपोर्टेशन की मिले। आज औद्योगिक क्षेत्र में जो भिवाड़ी एरिया है, शाहजहांपुर है, बहरोड़ है, एम.आई.ए. है, आज उसकी क्या हालत हो रही है ? आपसे हमने अनेको बार निवेदन किया कि एम आई ए बिल्कुल डेजर्ट हो गया है, बिलकुल बर्बाद हो गया है। एक दिन वहां आप प्रोग्राम बनाइये, वहां मीटिंग लीजिये उद्यमियों और अधिकारियों की कि किस तरह से उसको रिवाइव किया जाए क्योंकि दिल्ली के इतना नजदीक होते हुए भी आज उसको हम अगर रिवाइव नहीं कर पायेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव ली, आपके रीको ने उसको मल्टीप्लाई करके उद्यमियों को भारी रेट पर बेचा। आज न वहां उद्योग चल रहे हैं और न खेती हो रही हैं। जमीन खाली पड़ी है। जब आप एक्वायर करते जा रहे है, माननीय मंत्री महोदय, एक्वायर किसलिए करते हैं ? आपके अधिकारी सोचते हैं कि एक्वीजिशन के बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होगा और कार्यवाही होगी तो इनको तो कमीशन मिल जाएगा लेकिन उद्योग लगा क्या ? आपने थानागाजी में उद्योग के लिए काफी लोगों की जमीनें ले लीं। जहां 132 का जी एस एस बना हुआ है वहां सारी जमीन पड़ी है खाली। आपने एक्वायर करके डाल ली। न उनमें कोई खेती हो रही है, न आपका कोई उद्योग लग रहा है, जमीन पड़त हो रही है, बंजर हो रही हैं। तो आप क्यों एक्वायर करते जाते हैं जब आप उद्योग लगाने की स्थिति में नहीं हैं। आपकी जमीन कोई खरीदता ही नहीं हैं। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आज एम आई ए में जितने रुपये में जमीन मिल जाती हैं एक हजार मीटर , उससे ज्यादा पैसा तो रजिस्ट्री के लिए देना पड़ता है। आप इसकी व्यवस्था करिये। डी एल सी की मीटिंग होती हैं हर 6 महीने में आंर रेट बढ़ते जा रहे हैं। जब एम आई ए पीक पर था और यह भिवाड़ी का हाइवे नहीं बना था तब वहां सही मायने में रेट ज्यादा थीं लेकिन आज क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी अच्छा डवलप हो गया, नीमराना हो गया, बहरोड़ हो गया, चोपानकी हो गया, खुशखेडा-टपूकडा हो गया तो आज

(श्री जुबेर खान)

यहां कोई आता नहीं है। आपकी डी एल सी रेट वो ही है उससे लोग परेशान हैं। जो सिक यूनिट को खरीदता है वो कहता है कि जितने रुपये में हमने यूनिट खरीद ली, जमीन खरीद ली उससे ज्यादा तो रजिस्ट्रेशन चार्जेज मांग लेते हैं, यह विसंगतियां क्यों हैं ? आपसे हमने पहले भी निवेदन किया हैं, कलक्टर साहब से बात करो तो वो कहते है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं रेट कम करना, बढ़ा तो सकता हूं। तो फिर व्यवहारिक दृष्टि से आप देखिये, कोई कमेटी बनाइये, इसकी जांच कराइये कि इसकी वास्तविकता क्या हैं। वहां इतनी रेट है भी या नहीं है। यह कितनी गलत बात है कि वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट में होकर और लोग कहते है कि सरकार इससे आधी रेट पर हमसे ले ले। आज जिस रेट पर हमें रजिस्ट्री करा रहे हैं इसकी आधी रेट पर सरकार ले ले, हम देने को तैयार हैं। आप लेने को तैयार नहीं है। रजिस्ट्री कराओ तो हाई रेट पर कराओ नहीं तो दो नवम्बर में जो अपने एफिडेविट वगैरह का कराकर करो। यह गलत विसंगति है इसको आपको ठीक करना पड़ेगा।

एक आपसे निवेदन करूंगा कि भिवाड़ी में आज यह कम्पीटिशन का जमाना है, आपने जोधपुर में यह जो फर्निशिंग और रोलिंग मिल हैं इनको तो होलीडे टैक्स दे दिया और भिवाड़ी में खतम कर दिया। अब आप देखिये, रोलिंग मिल और फर्निशिंग जो यूनिट हैं इनको यू.पी. के गाजियाबाद के साथ कम्पीट करना पड़ता है, हापुड के साथ करना पड़ता है। वहां जिस स्थिति है जैसी स्थिति है वहां सेल्स टैक्स देते नहीं। वहां बिजली के बिल देते नहीं और कई जगह तो गैस की पाइप लाइन है उससे काम होता हैं क्योंकि इसमें लोहा या बिजली की ही खपत होती है। अब यहां बिजली भी मंहगी, यहां सेल्स टैक्स भी ज्यादा और यहां रा-मैटेरियल पर एंट्री टैक्स भी ज्यादा है। एक आदमी तो कुछ पैसे दिये बगैर प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है और एक आदमी हर जगह टैक्स दे रहा है, बिजली के बिल दे रहा है। आप बताइये, मार्केट में कम्पीटिशन में वह कैसे टिकेगा ? जब दिल्ली में जो सरिया या इस तरह लोहे की चीज हापुड़, मेरठ या गाजियाबाद से सस्ती मिलेगी, आपके अलवर जिले के जो उद्योग हैं इनसे कौन खरीदेगा ? इसलिए आप यह भी व्यवहारिकता देखिये कि आज जो आदमी हमारा पैदा कर रहा है वह कहीं

(श्री जुबेर खान)

लेकर जाएगा तो वहां सस्ती मिलती है इसलिए हमारे उद्योग पनप नहीं पा रहे हैं। आप वहां या तो गैस की व्यवस्था कराइये। मेरे ख्याल से भटिण्डा वाली लाइन है यह गैस पाइप लाइन भिवाड़ी के पास से गुजर रही है। कोई न कोई व्यवस्था कराइये वहां गैस पाइप लाइन की व्यवस्था हो या फिर किसी तरह के ऐसे कदम उठाइये कि वहां के लोगों को, उद्यमी आज कम्पीट कर सके दूसरे लोगों के साथ, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता था।

आप जानते हैं कि अलवर जिले में विकास के नाम पर अलवर जिले के लिए, पूर्वी राजस्थान के लिए जो सरकारों का सोच है, चाहे वह आपकी सरकार रही हो चाहे पिछली वाली सरकार रही हो, आज अलवर जिले में सिंचाई के नाम पर, पेयजल योजना के नाम पर, इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर राज्य सरकार को जितनी इनकम वहां जिलों से होती है, उसके अनुपात में आप तुलना कर लीजिये, हमारे जिलों के साथ में भारी अन्याय हो रहा है। अलवर जिला एक फर्टाइल जिला है, चाहे और हो सकते हैं क्योंकि हरियाणा और दिल्ली से लगता हुआ है इसलिए आपसे निवेदन यह है कि आप अलवर आकर एक दिन का प्रोग्राम बनाइये और उद्यमियों के साथ में और अधिकारियों के साथ में और सम्बन्धित लोगों के साथ में बैठकर विचार करें कि किस तरह से यहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सकते हैं और कैसे रोजगार मिल सकता है। आज क्या हो रहा है कि रोजगार नहीं मिलने की वजह से क्राइम बढ रहे है। आज स्थिति यह हो गई है कि अलवर जिले में क्राइम की रेट रोजाना बढ़ती जा रही हैं इसलिए कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हो गया। वहां के क्रिमिनल्स भी यहां भागकर आ रहे हैं और औद्योगीकरण के कारण वहां बाहर के लोग, बिहार के, उडीसा के, आसाम के और न जाने कहां-कहां के आ गये। अब वहां उन्होंने परिवार बसा लिये। उद्योग बन्द हो रहे हैं, अब क्राइम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ? कहीं डकैतियां हो रही हैं, कहीं चोरी हो रही हैं, कहीं नकबजनी हो रही हैं, कहीं लूट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा हैं तो इसलिए हमारे जिले में ला एण्ड आर्डर को सिचुएशन भी बहुत बिगड़ती जा रही है, इसलिए आपसे निवेदन है कि यहां औद्योगीकरण के माध्यम से रोजगार लोगों को मिले, खनन कार्यों के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, यह सारे काम हों, यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री जुबेर खान)

अगर सही मायने में आप चिंतित हों तो आप लोगों को कुछ करना चाहिए और खाली आरोप-प्रत्यारोप तो लगाते ही रहे हैं, आगे भी लगते रहेंगे, जनता राज बदलती रहेगी, इस उम्मीद के साथ कि नया शासन शायद कुछ करे। वह खुद पांच साल कुछ करे नहीं, दूसरी सरकार को कहता रहे, गाली देता रहे, उसके बाद उनको भी बदल देते हैं तो यह परम्परा बन गई है, इसको दूर करिये और कुछ न कुछ कठोर कदम उठायें। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : यह परम्परा जो आप बता रहे हैं, इस परम्परा को तोड़ेंगे।

श्री जुबेर खान : मैंने तो कभी देखी नहीं। मैं तो 15 वर्ष से यही हूं।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं भरतपुर जिले की तरफ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि भरतपुर जिले में सिमको, जी.ई.डब्ल्यू. और डालमिंया फैक्ट्री, ये तीनों फैक्ट्रीज बन्द हो चुकी हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं और साथ ही मधुमक्खी पालकों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी क्योंकि मधुमक्खी पालन एक कृषि पर आधारित उद्योग है। भरतपुर जिला राजस्थान में शहद उत्पादन में सबसे आगे है और यह मधुमक्खी पालन खुले आसमान के नीचे गर्मी-सर्दी-बारसात को झेलते हुए मधुमक्खियों की विशेष देखभाल से इस उद्योग का संचालन होता है। कड़ी मेहनत के उपरान्त जब शहद का उत्पादन होता है तो उस समय बड़े-बड़े शहद एक्सपोर्टर्स के शोषण का शिकार होना पड़ता हैं जिसमें उल्लेख यह हैं कि इन एक्सपोर्टर्स के द्वारा 90 प्रतिशत शहद विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है और ये एक्सपोर्टर्स मधुमक्खी पालकों से बहुत सस्ते दामों पर शहद को खरीद लेते हैं। इसी शहद को देश-विदेश में जब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो काफी मोटी रकम

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

हासिल करते हैं। इसकी वजह से ये मधुमक्खी पालक आर्थिक दृष्टि से उभरकर नहीं आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि आज इस शहद का उचित मूल्य नहीं मिलने की वजह से ये आर्थिक दशा में नीचे ही रह जाते हैं इसलिए मैं चाहूंगी कि राज्य सरकार जिस प्रकार से कृषि उत्पादन को यानी गेहूं और सरसों का समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, उसी तरह से शहद का सही मूल्य दिलाया जाये जिससे मधुमक्खी पालकों को शहद का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाये ताकि ये मधुमक्खी पालक सही ढंग से चल सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह भी ध्यान दिलाना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहारनपुर को शहद जोन घोषित करके वहां के मधुमक्खी पालन के लोगों को काफी आगे बढ़ाया है। उसी तरह से भरतपुर जिले को भी शहद- जोन घोषित किया जाये ताकि इस क्षेत्र में जहां बहुत से लोग बेरोजगार हो गये हैं क्योंकि वहां पर उद्योग नहीं है, इन लोगों की संख्या बढ़ाई जाये जिससे और संस्था आकर के इनको लोन मिल जाये और इस तरह से बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। इसलिए माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हैं तो ये छोटे-छोटे उद्योग हैं, मैं चाहता हूं कि इन पर ध्यान दें आप और आगे भविष्य में भी इन पर विचार रखें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : धन्यवाद सभापति महोदय, मांग संख्या 42 मांग संख्या 43, उद्योग और खनन पर जो बोलने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वहां पर उन्होंने ग्रामीण हाट की शुरूआत करवाई और उसका उदघाटन करवाया। इस ग्रामीण हाट की वजह से

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

जो भी जिले में स्वयं-सहायता समूह जो अपने गांव में उत्पादन करते हैं, उनको विपणन की जगह मिली और इस कारण से वहां पर स्वयं सहायता समूह की संख्या में काफी वृद्धि हुई और ये ग्रामीण हाट वहां पर भीलवाड़ा के अन्दर बहुत अच्छे और सफलतापूर्वक चल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है और करीबन 50,000 व्यक्ति सीधे या परोक्ष रूप से वस्त्र. उद्योग से जुडे हुए हैं क्योंकि वहां मुख्य उद्योग वस्त्र का ही है और इतने बड़े उद्योग, आज सबसे बड़ी उद्योगों के सामने दिक्कत आ रही हैं, वह पानी की आ रही है। पानी की समस्या, पूरा पानी नहीं होने की वजह से वहां के उद्योंगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं क्योंकि महीने में लगभग पांच करोड़ मीटर कपडा भीलवाड़ा में बनता हैं और उसके लिए लगभग तीन करोड़ लीटर पानी रोज चाहिए और तीन करोड़ ही भीलवाड़ा की जनता के लिए जरूरत हैं और तीन करोड़ लीटर पानी उद्योगों के लिए जरूरत हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि वहां पर कोई न कोई परमानेंट पानी की योजना लाये जिससे उद्योगों की मांग की पूर्ति हो सकें, वहां पर वह दिलवाई जाये। उसमें सारे उद्योपति भी सहभागी बनने को तैयार हैं और जितना उसका शेयर हैं, उस योजना में बनेगा, वह उसमें सब देने के लिए तैयार हैं ताकि इस उद्योग को, भीलवाड़ा के उद्योग को बचाया जा सके।

दूसरा, यही स्थिति वहां पर पोल्यूशन की आ रही हैं। आज पाली में दिक्कत है तो पाली में तो सरकार द्वारा एक कामन एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया गया है परन्तु भीलवाड़ा में ऐसा कोई कामन एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है तो ऐसे कामन एफ्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी भीलवाड़ा में बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आसपास में जो बनास के पास में जितनी भी जमीन है, वह सब धीरे-धीरे खराब होने लग गई हैं इन उद्योंगों के प्रदूषण की वजह से तो एक कामन ट्रीटमेंट प्लांट की वहां स्वीकृति दी जाये और उसको भी सरकार उद्योगपतियों की सहभागिता के आधार पर और उसका

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

जो भी खर्चा होगा, वह सब उद्योगपति स्वयं उठाने को तैयार हैं। उसके आधार पर कोई ऐसी प्लान, स्कीम वहां पर चालू की जा सकती है।

इन उद्योगों में आज सबसे बड़ी एक दिक्कत आ रही हैं विद्युत शुल्क के बारे में तो मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विद्युत शुल्क अगर केप्टिव पावर प्लांट है तब तो ठीक है लेकिन यदि किसी ने स्टैण्ड बाई के लिए लिया है, उसके आर.एस.ई.बी. से या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्शन लगा हुआ है लेकिन जब भी पावर नहीं आता हैं तो चलाता है तो उस पर विद्युत शुल्क नहीं लिया जाये जिन्होंने आर.एस.ई.बी.से या इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड से या जो डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी है, डिस्काम है, इनसे कनेक्शन नहीं लिया हुआ है तब तो उद्योग पर विद्युत शुल्क लगे क्योंकि उनका केप्टिव हैं लेकिन जिन्होंने स्टैण्ड बाई अरेंजमेंट कर रखा है, उन सब इकाइयों को विद्युत शुल्क से माफी दी जाये। यह बहुत क्योंकि उन्होंने केवल उनको पूरी विद्युत सप्लाई सरकार द्वारा नहीं मिलने की वजह से यह स्टैण्ड बाई लगाये हैं। एक बार और माननीय उद्योग मंत्रीजी का आपके माध्यम से बहुत-बहुत आभार क्योंकि आपके आने के बाद और माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के कारण जो उद्योगों को प्रोत्साहित, क्योंकि आज उद्योग विभाग की जो स्थिति हो गई है और पहले जो इनकी स्थिति थी पूरी रेगुलेटरी, रेगुलेशन ही देते थे, प्रमोशन कुछ नहीं करते थे, उस रेगुलेटरी की जगह आजकल इनका जो रोल हो गया हैं वह प्रमोशन हो गया है उद्योग विभाग का और ज्यादा से ज्यादा जितने भी उद्यमी आते हैं, उनको यह बराबर सहयोग कि किस हिसाब से उसको दिक्कतें आ रही हैं और कैसे उनको अपन निकाल सकें, इस बारे में इनका आजकल सहयोग बढ़ने लगा है। यह मानसिकता चेंज करने के लिए राज्य की सरकार को बहुत-बहुत आभार। एक मान्यवर, जो रूग्ण अधिग्रहीत इकाइयां हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आर.एफ.सी. रीको और इनके द्वारा इन इकाइयों के तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच साल तक ताले लगे रहते हैं और उसकी वजह से सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हो रहा हैं। यह बिकते इसलिये नहीं हैं क्योंकि ऋण देने वालों ने तो

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

आनन-फानन में बहुत ज्यादा ऋण दे दिया और उस ऋण देने के हिसाब से इन इंस्टीट्यूशंस ने उसकी एम.आर. वेल्यू निकाल ली और यह उस एम.आर. वेल्यू से नीचे इसको बेच नहीं सकते। भले ही ओपन आक्शन हो और ओपन आक्शन में कोई खरीददार उस वेल्यू का नहीं आये तो भी नहीं बेचते हैं। तो मेरा यही है कि ऐसी इकाइयां जो रुग्ण हैं और अधिग्रहीत होने का ऐसा कोई नियम बना लें कि एक साल के अन्दर-अन्दर जो भी भाव में बिके, उसमें जितना भी जैसा आक्शन हो, फारमलेटीज पूरी करके उनका आक्शन करके जो भी पैसा उसका मिले वह खड़ा किया जाय ताकि अपने इस सरकारी नुकसान से बचा जाय।

अब खान विभाग की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय, भीलवाड़ा जिले के अन्दर काफी बड़ी मात्रा में सेण्ड स्टोन की बहुत खानें हैं और वहां खानों में, अभी यह प्रतिवेदन मैं पढ़ रहा था खनिज विभाग का, इसमें एक लाइन जो पेज नम्बर छह पर है, विभाग उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित विवादों को निपटाने में तत्परता से कार्यवाही कर रहा है। इसका एक बहुत बड़ा आपको उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने नियमों की अनदेखी करके सिंचित क्षेत्र में कुछ खानों का आबंटन किया। माननीय खनिज मंत्रीजी के ध्यान में वह बात मैंने लाई तो उन्होंने तत्परता से उसकी जांच कराई और वह धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इमीजियेट उन खानों को निरस्त कर दिया। परन्तु निरस्त करने के बाद विभाग के अधिकारियों ने, कितने तत्पर हैं कि जो खान पार्टी थी वह एक्स-पार्टी हाई कोर्ट से स्टे ले आई, अपने विभाग के अधिकारी सोते रहे या क्या करते रहे, मालूम नहीं लेकिन एक्स-पार्टी स्टे ले आये और जो सरकार ने, माननीय मंत्रीजी ने प्रयास किये थे उसे निरस्त करने का, उसका कोई भी परिणाम सरकार को नहीं मिला। इस बारे में माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि मामले की जांच कराई जाय और कहां लापरवाही है, इसको तय किया जाय। इसके अलावा वहां बिजौलिया क्षेत्र में फर्जी आदमी, जो

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

कहीं आदमी है ही नहीं, फर्जी नाम से खानों का आबंटन हुआ है और वह खानें चल रही हैं और उनके मालिकों का मालूम ही नहीं। तो ऐसी जो बातें हैं, जिनकी डिपार्टमेंट में जानकारी के लिए भेजा था लेकिन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कोई भी पेपर देने के लिए भी, सूचना के अधिकार के तहत पेपर देने के लिए भी मना कर दिया। यह स्थिति है। तो मैंने माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारे में भी माननीय मंत्री महोदय पूरी कार्यवाही करवायेंगे। माननीय खान मंत्री महोदय के प्रयासों से, क्योंकि बिजौलिया में जितना भी अवैध खनन हो रहा है उस पर काफी रोक लगी है और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक जो चारागाह भूमि का भी आबंटन होने वाला था, जो पिछली सरकार ने करीब-करीब फाइल पूरी कर ली थी, उस आबंटन को आपने सक्रिय रहकर उस गलत आबंटन को रूकवाया, इसके लिए भी माननीय मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार।

लास्ट में भीलवाड़ा में जो खान की सड़क है, एक सड़क भीलवाड़ा जिले के अन्दर नन्दराय से कंकोलिया 1990-91 में स्वीकृति हुई थी लेकिन उस सड़क पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। पिछले बजट में भी, मैं माननीय खान मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पिछले बजट में भी इसमें दस लाख रुपये का, टोटल बजट 71 लाख की हैं स्वीकृति, लेकिन दस लाख का आबंटन किया गया था परन्तु एक नया पैसा भी उस पर खर्च नहीं किया। इस बार भी इस सड़क के लिए 2005-06 में 22 लाख 56 हजार के बजट का आबंटन किया गया है, पिछले वर्ष की जैसे इस बार भी ऐसा नहीं हो जाय, इसका थोडा सा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सड़क, जितना इस बार आबंटन हुआ, उतनी तो उस सड़क पर लग जाय ताकि थोडा-बहुत वह सड़क जो कंकोलिया से जो काफी बड़ा खनन क्षेत्र है उससे नन्दराय जुड़ जाय। एक बार पुनः आपका बहुत-बहुत आभार, सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री विष्णु मोदी। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : माननीय सदस्य, बांसवाड़ा की समस्या की तरफ भी आप थोड़ा ध्यान आकर्षित करना क्योंकि आप विशेष तौर से हमारे मेहमान हैं इसलिए।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : पूरा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और 43 पर चर्चा में मैं पहले अपने आप को इण्डस्ट्रीज तक कन्फाइन्ड रखना चाहूंगा।

डा. सी.पी. जोशी : आज तो रिकार्ड टूट गया। You are expert of mines and you are confiding to industries !

श्री विष्णु मोदी : Mining relates with the industry. So...

डा. सी.पी. जोशी : इण्डस्ट्रीज तो कोलेप्स हो चुकी हैं, इण्डस्ट्रीज के नाम की कोई चीज ही नहीं है, इण्डस्ट्रीज में तो अब ट्रेडिंग बचा है। आप तो माइनिंग पर बोलो।

श्री विष्णु मोदी : .....if you are talking about industry,...

डा. सी.पी. जोशी : I am interested to know your new vision. What's your new vision. How we can flourish industry along with mines.

श्री नरपत सिंह राजवी : You already know his past vision so new vision...

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा उच्चारण। (व्यवधान) ऐसे करने से क्या है, थोड़ा समझना चाहिए न।

श्री सभापति : कई चीजें नहीं समझो तो ही ठीक रहता है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, वर्ष एक-उपलब्धियां अनेक। एक वर्ष प्रतिवेदन का, इस किताब को मैं पढ़ रहा हूं। राज्य की नई औद्योगिक नीति, निर्यात नीति तथा व्यापार नीति का प्रारूप तैयार किया गया जो अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है। फिर आगे, एकल खिड़की स्वीकृति

(श्री विष्णु मोदी)

प्रणाली को वैधानिक स्वरूप देने के लिए सिंगल विन्डो क्लियरेंस एक्ट बनाया जाना प्रक्रियाधीन है। विनियोजकों को तत्काल भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भूमि बैंक की स्थापना प्रक्रियाधीन है। राज्य की नई औद्योगिक नीति जारी करने का निर्णय हो गया है। लेकिन अभी तक तो 16 महीने हो गये, राज्य की नई औद्योगिक नीति मेरे पढने में तो नहीं आई, जारी हुई या नहीं हुई, यह तो मंत्रीजी बतायेंगे। राजस्थान हस्त शिल्प विकास बोर्ड के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

डा. सी.पी. जोशी : आप पुराना तो नहीं लाये, 03-04 की तो नहीं हैं।

श्री विष्णु मोदी : तारीख तो नहीं हैं जोशी साहब, लेकिन एक फोटो है उस पर दिनांक 8 फरवरी, 2004 का फोटो है, तो पुरानी तो नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, यह 2005-06 तक लेटेस्ट हो जाती न, तो उसमें जो अंडर कंसीडरेशन है, वह एक्जीक्यूशन में पढ़ लेते....

श्री विष्णु मोदी : राजस्थान हस्त शिल्प विकास बोर्ड के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेले लगाने हेतु ट्रेड फेयर अथारिटी की स्थापना प्रक्रियाधीन हैं।

डा. सी.पी. जोशी : वह तो अपन ने कहा कि पांच साल में करेंगे। एक साल में करने के लिए थोड़े ही कहा था। न, बाई द वे, मैं जब भाषण सुन रहा था कि जो कुछ भी चुनाव घोषणा पत्र में कहा हैं वह हमने एक साल में करने के लिए थोड़े ही कहा था, पांच साल में करने के लिए कहा है। तो मैं समझा घोषणा पत्र की वह नकल हो गई होगी, इसलिए पांच साल में सब अंडर कंसीडरेशन एक्जीक्यूशन हो जायेंगे।

श्री जोगाराम पटेल : हो रहा है अंडर कंसीडरेशन, एक्जीक्यूशन, सब की हो रही है पालना।

श्री विष्णु मोदी : राजस्थान का हस्त शिल्प निर्यात का व्यापार इस वर्ष 1800 करोड़ के अन्त तक पहुंचा है। माननीय सभापति महोदय, जब

(श्री विष्णु मोदी)

मंत्रीजी जवाब दें तो स्पेसिफिकली किस सैक्टर में एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इसमें इण्डस्ट्रीज का ही लिया है और क्या प्रक्रिया है, क्या उनका तंत्र है जो कि इन्फोर्मेशन इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास में इकट्ठी होती है कि हमारे स्टेट से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, किन-किन देशों को हो रहा है, किन-किन चीजों का हो रहा है, वह बतायेंगे तो सदन को लाभ मिलेगा।

(15.50 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान के दूरस्थ संस्थानों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने का निर्णय जिससे गैर सरकारी संस्थाओं व निजी निवेश के ट्रस्ट आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा, किस फील्ड में प्रोत्साहित करेंगे? अब हालत यह है कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा सितम्बर, 2004 तक 300 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृत के लक्ष्य के विरुद्ध 136 करोड़ रुपये स्वीकृत एवं ऋण वितरित किये मतलब स्वीकृत की कैटेगरी भी हैं तो हम 300 करोड़ के 50% के आस-पास भी नहीं पहुचे और 200 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 87.33 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये। रीको द्वारा चालू वित्त वर्ष सितम्बर, 2004 तक 62 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 23.60 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये हैं। 900 एकड भूमि को विकसित करने के लक्ष्य के विरुद्ध 405.59 एकड भूमि विकसित की है। प्लाट आबंटन के 1200 के लक्ष्य के विरुद्ध 558 प्लाट आबंटन किये गये हैं। 160 करोड़ रुपये की ऋण वसूली के लक्ष्य के विरुद्ध 77.92 करोड़ रुपये के ऋण वसूली की गयी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निश्चित मानना हैं कि जब तक जिस प्रदेश में उद्योग नहीं लगेंगे तो उसकी उन्नति सम्भव नहीं है टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी, रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे और पिछले 16 महीनों में मैं नहीं समझ पाया कि इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा पाया है। हालत यह है कि इण्डस्ट्रियल एरिया में जो इण्डस्ट्रीज नहीं लगी हुई हैं जो टाइनी सैक्टर में, स्माल स्केल सैक्टर में जो रूरल फीडर पर हैं जहां आपका

(श्री विष्णु मोदी)

औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं है वहां उनको 6 घंटे, 5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती। हमेशा यह सुनने को आता है कि इंस्पेक्टर राज खतम करेंगे। आज भी 32 इंस्पेक्टर उद्योगों पर लगे हुए हैं। बिजली की व्यवस्था नहीं है, आर.एफ.सी. रीको के अपने टारगेटस पूरे नहीं हैं, बडा इन्वेस्टमेंट आया नहीं। एक खाली हिन्दुस्तान ने इतनी तरक्की की कि उसका एक्सपोर्ट खाली साफ्टवेयर और हार्डवेयर के कारण हुआ। काल सेन्टर्स गुडगांव में तो लग गये लेकिन राजस्थान में कुल मिलाकर दो काल सेन्टर हैं और अभी बड़े जोर से सुनने में आ रहा है कि नालेज कारीडोर बनेगा और साफ्टवेयर कारीडोर बनेगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी जवाब दें तो इस सदन को यह जानकारी भी करायें कि कितने लोगों ने अब तक रिक्वेस्ट की, कितने लोग यहां आना चाह रहे हैं और क्या आपने योजना बनायी है। हंगामा तो पूरा मचा हुआ यहां से यहां तक कि एक किलोमीटर की करेंगे, जमीन में वो करेंगे, तो क्या यह बी.डी. का फैसला है, या उद्योग विभाग का फैसला है या स्वायत्त शासन विभाग का फैसला है या जे.डी.ए. का फैसला है तो कम से कम इस भ्रान्ति को आप जब अपना जवाब दें तो मैं समझता हूं कि इससे सदन को लाभ ही मिलेगा।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी। इतने वरिष्ठ जो सदस्य हैं सत्ता पक्ष के इतनी अच्छी बातें उन्होंने कह दीं तो अब डिमाण्ड में आगे क्या बचा है, न उद्योग लगे, न ऋण बंट रहे हैं, न ये चीजें हो रही हैं तो अब क्या, अध्यक्ष महोदय, अपन डिमाण्ड को, मैं तो कह रहा हूं कि ये जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वो ही उनका उत्तर मानकर मतदान करके पास करा देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : तो आप सुनें तो सही, यदि अच्छी बात कह रहे हैं तो सुनिये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात में भी शर्म नहीं है कि मैं कहूं कि राजस्थान में इंडस्ट्रियल कल्चर ही नहीं है। इंडस्ट्रीज

(श्री विष्णु मोदी)

लगाने के लिए आदमी अगर सही मायने में कोशिश करे तो वो इंडस्ट्रीज लगा नहीं सकता। अनेक कठिनाइयां हैं। सिंगल विंडो सिस्टम जब से मैं कुछ समझने लगा मेरे जीवन में कि सिंगल विंडो सिस्टम लेकिन आज भी एक इंडस्ट्रीज लगाने के लिए 50 जगह जाना पड़ता है और सिंगल विंडो तो सिर्फ कहने के लिए, लिखने के लिए और सिंगल विंडो कभी हुआ नहीं है। हां है सिंगल विंडो सिस्टम, गुजरात में आप चले जाइये तो वहां का जो अधिकारी है उद्योग विभाग का, वो आपको वहीं दफ्तर में बैठे-बैठे पहले तो आपसे पूछेगा कि आप कहां ठहरे हुए हैं, ठहरने की आपकी समुचित व्यवस्था है कि नहीं, नहीं तो वो सर्किट हाउस में इन्तजाम करेगा। आपके वापस जाने का क्या कार्यक्रम है तो उसकी हवाई जहाज की या रेलवे की टिकट तक बुक करायेगा और फिर आप वहां किस बात की इंडस्ट्रीज, कितना उसमें लगाना चाहते हैं। तो आपने कहा कि मुझे 5 एकड़ में लगानी है तो आपको 10 एकड़ जमीन वही टेबल पर अलाट होगी। आपने कहा कि मैंने तो 5 एकड़ के हिसाब से पूंजी की व्यवस्था की थी तो 5 एकड़ की पूंजी की व्यवस्था डेफर हो जाएगी और जब वो उठेगा वहां से तो मेमो आफ अण्डरस्टेन्डिंग ड्राफ्ट हो जाएगा उसमें दस्तखत हो जाएंगे, उसमें जो टैक्स रिवेट मिलनी है वो, जमीन मिलनी है, पावर का कनेक्शन मिलना है, और तो और, उसमें वो अपनी तरफ से जो उन्होंने एक बोर्ड बना रखा है कि इसमें इतने परसेन्ट इक्विटी गुजरात सरकार खरीदेगी तो आज आलम यह है कि गुजरात में बिजली महंगी लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र से जो बेकलाग आ रहा है, महाराष्ट्र से जो लोग आये वो आज गुजरात, पहले महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल प्रदेश माना जाता था, पंजाब माना जाता था लेकिन आज देश में गुजरात नम्बर-1 हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जो लिखा हुआ भाषण आप विभाग से लेकर आये हैं वो तो उपलब्धियां भी मैंने पढ़ दी हैं लेकिन वास्तव में आपकी क्या मंशा है। 16 महीने का लम्बा समय होता है क्योंकि 60 साल की सरकार होती हैं तो 16 माह में 25% तो समय आपका चला गया।

डा. सी.पी. जोशी : ....(व्यवधान) आप 60 साल बोले गये आपका हिसाब-किताब गलत हो गया। माइनस वाला आदमी इंडस्ट्रीज पर बोल रहा है गलत होगा ही।

श्री विष्णु मोदी : सारी। 60 साल नहीं, 60 महीने। उसमें 16 महीने बीत चुके हैं तो अब क्या आप इस तरह से इस विभाग में इन्वेस्टमेंट इस स्टेट में लाना चाह रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और ये जो बिजली की और ये जो समस्याएं हैं वो कैसे दूर होगी ? अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, I come to the mines. At the outset, I want to congratulate the Hon' ble Minister, the Secretary, the D.M.G. and his team.

पिछले 8 सालों में डिपार्टमेंट के टारगेटस कभी पूरे नहीं हुए और मैं तो उस व्यवसाय से जुडा हुआ हूं। मार्च के महीने में हर बार अप्रैल और मई की जो रायल्टी बनने वाली थी उसका भी चैक और ड्राफ्ट लिया करते थे अब के उलट हुआ कि मार्च शुरू होते-होते ड्राफ्ट तो ले लिये लेकिन उन्होंने जमा नहीं कराया और 20 तारीख के आने के बाद राजस्थान के इतिहास में खान विभाग में यह हुआ कि माइनिंग इंजीनियर या दूसरे जो सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर हैं फोन करके यह कहा कि अब आपके ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है आप इसको वापस ले जाएं तो इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में बड़ा काम हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पिछले कार्यकाल में भी हाउस में रही हैं 1996 में इस खनिज जो डिपार्टमेंट है या खनन पट्टाधारी हैं या लीज वाले हैं उनके ऊपर ग्रहण लग गया। कहीं का कोई फैसला था सुप्रीम कोर्ट में, राजस्थान उसमें रिलेटेड नहीं था, लेकिन 1996 में फोरेस्ट एरिया को लेकर एक फैसला आया कि Henceforth the mines which are running without permission should be closed.

तो उस वक्त वो खानें बन्द कर दी गयीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं

(श्री विष्णु मोदी)

भैंरोसिंहजी की सरकार को कि उन्होंने उस वक्त कैलाशजी मेघवाल खनिज मंत्री थे उन्होंने माइनस डिपार्टमेंट ने और फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने एकजुटता दिखाते हुए और इतने सारे प्रपोजल्स सब लोग अनभिज्ञ थे तो उन्होंने प्रपोजल्स फारवर्ड किये और उसका नतीजा था कि तीन महीने के बाद से लगातार खानें चालू होती चली गयी फिर उसके बाद में एक फैसला 2000 में आ गया वो भी सुप्रीम कोर्ट का था उसमें वो था गुड़गांवा का अरावली के सम्बन्ध में वो ही जापानी सहायता के अभी माननीय सदस्य श्री जुबेर खान जी जिक्र कर रहे थे तो वहां की एक रिपोर्ट पेश हुई तो उस रिपोर्ट में उन्होंने पूरे अरावली में खानें सब बन्द करा दीं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि गलत करायी या ठीक करायी उसके बाद में फिर एक एन्वायर्नमेंट डिपार्टमेंट का फैसला आ गया कि जब एन्वायर्नमेंट की परमीशन नहीं है तो उनको बन्द करा दिया। कुल मिलाकर स्थिति एक के बाद एक पेचीदी बन गई और मुझे अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कभी भी ढंग से पेश ही नहीं हुआ। अभी एक आदेश आया, इसके पहले सतना बिहार सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। न तो कभी उसका ठीक ढंग से इन्टरप्रटेशन हुआ और न हमारा केस ठीक तरह से डिस्कस हुआ। अभी जो फैसला आया है वह फैसला सिर्फ इस आधार पर आया कि उसी फाइल में यह कोई पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन है उसमें राजस्थान सरकार के दो एफीडेविट, एक एफीडेविट डील कर रहा है 1100 समथिंग माइनस का। दूसरा एफीडेविट है 600 कुल खानों से सम्बिन्धत। ही गोट इरिटेटेड, उन्होंने कहा कि 26-2-2002 के बाद की जो खाने हैं तुरन्त बन्द कर दी जायें। मैं आपके माध्यम से माननीय खनित मंत्रीजी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप एक एडिशनल डाइरेक्टर माइनस के इक्विलेन्ट आदमी को दिल्ली में बीकानेर हाउस में बैठाइए। आपका माइनिंग इंजीनियर लेवल का आदमी सुप्रीम कोर्ट के लिये आफिसर आन रिकार्ड, क्या करेगा वह माइनिंग इंजीनियर जैसा आदमी। उसमें केस है उदयपुर का तो आपको सुविधा है कि अलवर माइनिंग इंजीनियर इज द आफिसर आन रिकार्ड। क्या जानकारी है उस माइनिंग इंजीनियर, अलवर को।

(श्री विष्णु मोदी)

जब 1996 में फैसला आ गया, फिर 2000 में आ गया, एन्वायर्नमेंट का आ गया, सनता का आ गया और फिर अब यह एक नया फैसला आ गया। आपका केस वहां प्रजन्टेशन ही ढंग से नहीं होता और आपको जो एन्वायर्नमेंट की ओर फोरेस्ट की क्लियरेन्स है वह भी नहीं आती क्योंकि आपका परश्यु करने वाला कोई अधिकारी ही नहीं है। और तो और, अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है इस बात का कि विभाग के पास, एटरेन्डम अगर यह बता दे कि कितनी खाने कब बन्द हुई और उनकी क्या-क्या स्थिति है वह तक जानकारी नहीं है। क्योंकि कोई सीरियसनेस ही नहीं है। जिसकी बन्द है, है। फोरेस्ट वालों का अपना एक क्लोज कम्पार्टमेंट है। एन्वायर्नमेंट एक दूसरा डिपार्टमेंट है, माइन्स एक डिपार्टमेंट है। कहीं स्टेट की चिन्ता तो किसी को है ही नहीं। मेरी यह गुजारिश है कि स्टेट का इंटरेस्ट पहले होना चाहिये और वह जब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप एक कन्जरवेटर रेंक के अधिकारी को फोरेस्ट में, एन्वायरमेंट में क्लियरेंस को थ्रू कराने के लिये नहीं लगायेंगे और एक एडिशनल डाइरेक्टर माइन्स का आप वहां दिल्ली में हैड क्वार्टर नहीं करेंगे। आप माइनिंग इंजीनियर, अलवर को सबमें आफिसर आन रिकार्ड नहीं बनायेंगे, बनायेंगे तो यही हश्र होगा जो आज तक होता आ रहा हैं। 1996 से हमने 9 साल का सफर तय किया है आगे भी वही सफर तय करने वाले हैं। दूसरा कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। सभी लोगों ने अनोथराइज्ड माइनिंग की, इल्लिगल माइनिंग की। जब भी कभी यह सब्जेक्ट डिसकस हुआ है तो यह बात हमेशा उठी है। यह बीमारी एक नासूर बन गई है लेकिन पिछली बार मंत्रीजी ने एक विशेष दल बनाया और कुछ गाडियां दी, कुछ आदमी दिये और उससे कुछ फर्क पड़ा है। जब से यह सरकार आई है, जब से दवे साहब इस विभाग के मंत्री बने हैं उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि अनआथोराइज्ड माइनिंग बन्द हो। लेकिन यह सिर्फ आपके कहने से, अधिकारियों को जोर से डांटने से नहीं बन्द होने वाला हैं आप जब तक इस पर साधन नहीं लगायेंगे, जब तक आप इसमें अतिरिक्त लोग नहीं लगायेंगे,

(श्री विष्णु मोदी)

आपका माइनिंग इंजीनियर क्या करेगा, वह रेवेन्यु भी वसूल करेगा, प्रपोजल भी भेजेगा या वह डे टू डे काम करेगा या अनआथोराइज्ड रोकने जायेगा और अब तो हालात यह है कि आपके माइनिंग डिपार्टमेंट में मेरी कांस्टीट्युएंसी मसूदा में सामने हो गये और पीटा और, पुलिस भी साथ थी तो भी वहां के खनिज अभियन्ता को, वहां के सर्वेयर को, वहां के दूसरे लोगों को वहां अनआथोराइज्ड करने वालों ने पीटा, इतने हौसले बुलन्द हो गये हैं। भीम में, अजमेर में पर्टीक्रुलर ब्यावर में एक गेंग हो गई है। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक और बात है कि वह गांड़ी भागेंगी, पकडते हैं, यह करेंगे, चालान कम्पाउन्ड करेंगे लेकिन अल्टीमेटली उस माल का क्या हो रहा है कि आकर वह फैक्ट्री में ग्राइंड हो रहा है। जब तक आपके कानून में प्रावधान है, जब तक आप फैक्ट्री के ऊपर भी शिकंजा नहीं कसेंगे तो आप कैसे उसमें सफल हो पायेंगे। आप कृपा करके बताने का कष्ट करें कि आपने पिछले साल में यह खनिज निकाल कर कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि कुछ बन जायेगी, कुछ पार हो जायेगा। अगर फेस्पायर निकल रहा है, क्वार्टज निकल रहा है, बिल्डिंग स्टोन का तो फिर भी समझ में आता है कि मकान में लग जायेगा लेकिन यह जो मिनरल है जैसा टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वह आखिर कहां कंज्युम हो रहा है, कौन उसको खरीद रहा है और उस पर आपके विभाग ने क्या कार्यवाही की है। जब तक यह सम्मिलित प्रक्रिया नहीं होगी तब तक मैं नहीं समझ सकता कि आप सफल होंगे। हां, आप सख्त हैं, फर्क पडा, कम हुआ लेकिन बन्द नहीं हुआ। आपने जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी लेकर कुछ जीपें, कुछ आदमी, एक्स मिलट्री मेन लगाये और बन्द हुई। उस पर भी समाप्त नहीं हुआ था लेकिन काफी हद तक उसमें कम हो गया था। एक तो वह व्यवस्था जो गाड़ी और एक्स आर्मी मेन लगाये थे, वह व्यवस्था फिर से लागू करें, 12 महीने करें और अगर कहीं प्रावधान हो सकता हो तो आप वह खर्चा आये वह उसी अनआथोराइज्ड से वसूल करो जिससे ज्यादा भार भी नहीं पड़ें और इसके साथ जो उस माल को काम में ले रहा है, जो निकाल रहा है वह तो दोषी है ही लेकिन जो काम में ले रहा है वह उससे भी ज्यादा बडा दोषी है, तभी आप इसमें कुछ सफल हो पायेंगे।

(श्री विष्णु मोदी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जगह-जगह जब मिनरल निकलते हैं तो उसके साथ वेस्ट मिनरल भी निकलता हैं आप अगर झालावाड़ जाये तो रामगंज मण्डी के पास से ही आपको सड़क से ही बड़े-बड़े ढेर नजर आने लग जायेंगे, वह वेस्ट मिनरल है। मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है कि जहां कहीं वेस्ट मिनरल को कोई उपयोग ले रहा है, या लेना चाहता है तो आप उसको रायल्टी से फ्री कर दीजिए। इससे आपको एन्वायर्नमेंट में भी फायदा मिलेगा, वेस्ट से निपटने में भी फायदा मिलेगा। नहीं तो, जैसे अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने एक आर्डर पास कर दिया था क्योंकि जोधपुर बेंच में और जयपुर बेंच में जो न्यायाधीश आते हैं उनको चूंकि वहां से पास करना होता है तो उनको एक नोटिस ज़ारी हो गया था तो किसी दिन यह नोटिस आयेगा कि आप इस वेस्ट का क्या कर रहे हैं। अगर यह प्रेक्टिकल हो, यदि आपके कानून में यह फिटइन हो सकता है तो आप इस वेस्ट को रायल्टी से फ्री कर दें।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य अभी नहीं हैं, जब आदरणीय नाथूसिंहजी बोल रहे थे तो वह कह रहे थे किस गवर्नमेंट ने कुएं खुदवाये। राजस्थान सरकार ने कुए खुदवाये या भारत सरकार ने। किस गवर्नमेंट ने ठेका दिया, किस गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया। सन् 1947 में देश आजाद हो गया था। राजस्थान में रियासतें थीं। 52 में या 54 में राजस्थान भी बन गया था ।

श्री अध्यक्ष : 49 में बन गया था राजस्थान।

श्री विष्णु मोदी : सब्जेक्ट टू करेक्शन। उसके बाद से आज तक जब तक वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनकर नहीं आई थीं, सिर्फ सुनते थे कि राजस्थान में तेल निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं 1993 से 98 तक विधायक था, इसी सदन का सदस्य था। उस समय मैंने सदन के नेता माननीय भैरोंसिंहजी शेखावतजी को बहुत लम्बे पत्र लिखे। पाकिस्तान जहां हमारी बार्डर है उसके उस पार्ट में सूई गैस का बहुत बड़ा एक्सप्लोरेशन हो रहा हैं जो दुनिया की one of the richest sites. और माननीय स्वर्गीय मथुरादासजी माथुर जो इस

(श्री विष्णु मोदी)

सदन के बहुत लम्बे अर्से तक सदस्य रहे हैं उनके दामाद जो कि अजमेर के रहने वाले हैं और वह वहां सी.ई.ओ. रहे हुए हैं। उन्हीं विष्णु सिंगलोट साहब ने जैसलमेर ओ.एन.जी.सी. से अपना कैरियर शुरू किया था। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला तो मुझे उन्होंने बाकायदा नक्शे पर बताकर यह जो हाइड्रो कार्बन होता है जिसमें से आयल और गैस निकलती है तो उसमें बताया कि Rajasthan is one of the very, very potential States. और अमेरिका में नैचर नाम से एक मैग्जीन छपती हैं उसमें जब भी दुनियां के पैट्रोलियम डिपोजिट्स की बात होती है तो उसमें नैचर में राजस्थान का बहुत बडा नाम होता है। उसमें मैंने आदरणीय भैरोसिंहजी को मैप बनाकर, मार्क करके चिट्ठी दी फिर उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि आप फालतू बकवास करते हो या इसमें असलियत है। मैंने कहा कुछ नहीं, साहब, आप तो एक काम कर दीजिए, एक अधिकारी हैं आपके यहां लेकिन वह उदयपुर में बैठा हुआ है, एडिशनल डायरेक्टर लेवल का आदमी है। जी.पी. माथुर साहब थे। मैंने कहा आप डायरेक्टर पैट्रोलियम बना दीजिए और फिर देखिए आप इसका नतीजा। मुझे इस बात की खुशी हैं कि उन्होंने नेक्स्ट बजट में ही डायरेक्टर पैट्रोलियम की स्थापना की। उसके बाद डायरेक्टर पैट्रोलियम ने उस सारी स्थिति को चेंज किया। चेंज करने का नतीजा हुआ कि यह कुछ एक्टिविटी शुरू हुई लेकिन यह तो आदरणीय वसुन्धराजी का पगफेरा था कि, पहले इतने कुए खुदे उसमें तेल नहीं निकला, फिर यह उनका पगफेरा था कि उनके आते ही तेल निकला, तो इसका क्रेडिट तो वसुन्धरा राजे सिंधिया को जाता है। ठेका किसी ने दिया हो, लाइसेंस किसी ने दिया हो, कुएं किसी ने खोदे हो...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह नोट कर लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : नोट कर ली। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, रिफाइनरी की चर्चा तो हमने यह सुनी थी कि भटिण्डा चली गई। काफी बयान भी आए थे और यहां सदन में भी चर्चा हुई थी...Again I want to congratulate Hon' ble Minister,

(श्री विष्णु मोदी)

Mr. Dave and the Hon' ble Chief Minister. कि दवे साहब ने तो यहां तक बयान दे डाला कि मैं पाइप लाइन ही नहीं निकलने दूंगा। मैं उनसे दो-चार, पांच दिन बाद में उनसे मिला, मैंने कहा आपका यह बयान गलत हैं, अनकांस्टीट्यूशनल हैं। मैंने कहा, पेडल स्ट्रक्चर है तो उसने कहा कि भई कानूनन गलत होगा, लक्ष्मीनारायण दवे जब तक मंत्री हैं तब तक यहां का तेल भटिण्डा नहीं जाएगा। इस इच्छाशक्ति से और उतनी ही इच्छाशक्ति मुख्य मंत्रीजी ने दिखाई। अब तो रिफाइनरी लगाने के लिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन पार्टियां राजस्थान सरकार के दरवाजे पर खड़ी हैं। (व्यवधान) जोशी जी, गफलत में रहना तो सबसे बड़ी बात है।

डा. सी.पी. जोशी : यह भी नोट कर लिया जाए कि रिफायनरी कांग्रेस राज में ही लगेगी चाहे कितनी नकली बातें कर ले अपन। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : सी.पी. साहब, आप राज की कल्पना कर रहे हो। (व्यवधान) आप राज की कल्पना कर रहे हो, कल्पना के शीशमहल में नाचे मन की कठपुतली।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे हैं कि कांग्रेस के राज में निकलेगी, (व्यवधान) तो कांग्रेस का राज बरसों तक रहा था।

डा. सी.पी. जोशी : और कांग्रेस के राज में ही लगेगी। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : धरती के पेट में काला सोना बरसों से पड़ा था अब निकलने का क्या कारण (व्यवधान) मैं बताऊंगा मेरे को अवसर मिलेगा जब, आज मुझे भी बोलना है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड : प्रोफेसर का जवाब प्रोफेसर तगारामजी ने सुना ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस झगड़े में नहीं पड़े कि किसके राज में लगेगी, लगने दीजिए।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह इच्छाशक्ति दिखाई...

डा. सी.पी. जोशी : मैडम सारी, मैं कहना नहीं चाहता, माननीय सदस्य जब कांग्रेस के सदस्य थे तब नक्शे दिये भैरोंसिंहजी को और जब बी.जे.पी. में गये जब यह इनको ध्यान रखना चाहिए कि जब इनके नक्शे से निकल रहा है वह नक्शे कांग्रेस के सदस्य के रूप में इन्होंने दिये थे इसलिए रिफाइनरी भी कांग्रेस में ही आएगी, कांग्रेस का राज आएगा तभी लगेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप आजकल बहुत व्यवधान डालने लगे हो।

डा. सी.पी. जोशी : आज ही, आज के बाद नहीं डालूंगा।

श्री तगाराम चौधरी : कांग्रेस का राज आना-जाना न तो जोशीजी के हाथ में है न तगाराम के हाथ में है, जनता के हाथ में है। जो भी फैसला जनता करेगी वह ही होगा और वो ही सपना कोई भी देख सकता है। कब होगा, क्या होगा वह तो भगवान ही जाने। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार रेवेन्यू मैप, फोरेस्ट मैप, उसको कम्पोजिट करेंगे उस पर देख लेंगे। हर सदस्य ने एन.ओ.सी. के बारे में जिक्र किया। यह कई वर्षों से यह बात चली आ रही है कि रेवेन्यू मैप के ऊपर फोरेस्ट को रिइम्पोज कर देंगे और वह सब जगह दे दिया जाएगा जिससे कोई एन.ओ.सी. और उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज हकीकत है कि एक पर्टिकुलर जगह पर, एन.ओ.सी. दी, मैं डूंगरपुर जिले की बात कर रहा हूं कि फोरेस्ट ने एन.ओ.सी. दे दी कि हमारा फोरेस्ट नहीं है, वहां पर माइंस डवलप हो गई। उसके बाद बोले कि यह तो हमारे वियरिंग गलत थे यह सारा क्षेत्र वन क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही सिवाणा में एक फूलन गांव है वहां पहले फोरेस्ट का कुछ काम हुआ, फोरेस्ट लगा ही नहीं, वहां एक बड़ी पहाड़ी है। अब वहां दो-तीन माइंस डवलप हो गई तो वापस फिर इस सिरे से कोशिश की जा रही है कि यह फोरेस्ट है। तो मैं आपके माध्यम से, इस वक्त खनिज मंत्रीजी,

(श्री विष्णु मोदी)

वन मंत्रीजी का एक ही व्यक्ति है, तो आप कम से कम एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम, यह तो मैं खुद 15 साल से सुन रहा हूं कि सुपर इम्पोज करायेंगे, यह करेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। आप जब अपना जवाब दें और ठीक समझे तो आप टाइम बाउण्ड प्रोग्राम में राजस्थान का रेवेन्यु मैप के ऊपर, आपके जैसे आफिसेज हैं, या जैसा आप ठीक समझते हैं डिस्ट्रिक्ट को यूनिट लें ले, तहसील को ले लें और उसको एक साल में, डेढ साल में, दो साल में, सुपर इम्पोज करके हर जगह लटका दीजिए। फोरेस्ट में भी लटका दीजिए, माइनिंग में भी लटका दीजिए, सबको पता हो जाएगा, तो उसमें यह तकलीफ दूर होगी। एक बार पुनः माननीय खनिज मंत्रीजी का और उनकी सारी टीम का धन्यवाद करते हुए उनको साधुवाद देते हुए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रहलाद गुंज़ल (अनुपस्थित)

श्री खुशवीर सिंह।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे भी बोलने का समय मिला धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे मात्र एक-दो सुझाव हैं।

मैं उद्योग मंत्रीजी से यह अनुरोध करना चाहूंगा, एक तो जहां कहीं पर भी उद्योग लगते हैं और तुरन्त कुछ समय बाद वह बन्द हो जाते हैं उसका कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कहीं मात्र सब्सिडी का ही तो फायदा नहीं ले रहे हैं, जिस उद्देश्य से उद्योग लगाया गया वह काम नहीं आ रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक स्थान पर उद्योग लगा हुआ है, मारवाड जंक्शन पर। लगभग 80 प्रतिशत इकाइयां बन्द पडी हैं, ताले लगे हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके बारे में आप जानकारी कर, उन रूग्ण इकाइयों को दुबारा कैसे चालू किया जाए।

साथ ही मेरा एक सुझाव है कि उद्योगों से, यह जो पत्थर उद्योग है इसके पिसने से जो मलवा निकलता है, मेरा अनुरोध है कि उस मलबे के

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

निस्तारण के लिए कोई न कोई उपाय जरूर निकालना पड़ेगा अन्यथा आने वाले 10 वर्षों के बाद में हालत इतनी खराब हो जाएगी कि उस एरिया के आस -पास में आपको कोई खेती योग्य भूमि या उपजाऊ, नहीं मिलेगी। नदियां पूरी पट जाएगी इस मलवे से। उस मलवे का क्या उपयोग हो सकता है, उसका दूबारा रियूज, उसका किसी अन्य चीज में कैसे उपयोग लिया जा सकता है, उसके लिए मंत्री महोदय आप जरूर विचार करें। इसके लिए चाहे नये सिरे से शोध करानी पडे, कुछ भी कराना पड़े, इसको गम्भीरता से लें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पत्थर की पिसाई का काम चल रहा हैं। लोगों ने नदियों के अन्दर मलवा डाल दिया। ज्यादातर कुओं में पानी चार्ज होता हैं वह उन नदियों के माध्यम से ही होता हैं और नदियों मलवा डालने से पूरा का पूरा सिलटप हो गया। पानी जमीन में नहीं जा रहा। पूरा का पूरा एरिया सूखा हो गया उससे। तो मेरा अनुरोध है इसके बारे में कुछ न कुछ आप जरूर सोचें। साथ ही पाली जिले में यह रंगाई की जो इकाइयां लगी हुई हैं और उससे निकलने वाला एसिड का पानी, 10-10 किलोमीटर दूर के जो कुएं हैं उनमें उस रंग का पानी निकल रहा है जो नदी में बहकर जा रहा है और आपने ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगा रखें हैं सिर्फ शो-पीस हैं वे। उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। न जाने क्या पता कुछ होता हैं तो उसके लिये आप और नयी इकाइयां लगाने की मांग हो रही हैं। लेकिन उससे पहले इसका निस्तारण होना बहुत ही आवश्यक है।

माननीय खान मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा खान की मांग पर, हालांकि मेरे क्षेत्र में कहीं हैं नहीं। इसमें सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की कि अनाधिकृत रूप से अवैध खनन हो रहा है। मंत्रीजी ने बहुत ठोस कदम उठाये। अपनी योग्यता का परिचय दिया और इसमें बहुत कुछ सरकार की रेवेन्यू भी हुई है लेकिन मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कब तक आप हर बार अधिकारियों को बुला-बुलाकर निर्देश देते रहेंगे। इसके लिए मेरा अनुरोध है कि माइन्स एण्ड मिनरल्स डिपार्टमेंट रेगुलेशन एक्ट जो

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

1957 सैक्शन 4-ए 21, 23-सी में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को अधिकृत किया हुआ है कि आप अपने हिसाब से नियम बनाकर इन अवैध खननकर्ताओं को आप दण्डित करें। लेकिन आज दिन तक राज्य सरकार ने इसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की। अधिकारी चाह रहे हैं कि अवैध खनन होता रहे इसलिये इस चीज से सभी, चाहे पहले की राज्य सरकार रही हो, चाहे अभी है लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से यह कार्यवाही हो रही है। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसके तहत आप नियम बनाकर ताकि उनको और दण्डित किया जा सके और कठोर कदम उठाया जा सके। दूसरा, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि पिछले सदन में भी मैंने वन विभाग और इसके डिमार्केशन की बात कही थी और काल अटेंशन भी लगाया था मैंने। वन विभाग में आपने अलग से एक पोस्ट क्रियेट कर रखी है 1996 से, प्रिसिंपल चीफ और वह सिर्फ लैण्ड सैटलमेंट करेगा। लेकिन आज दिन तक अपन कहते हैं कि वन विभाग की भूमि हमारे पास 11.7 प्रतिशत है कुल भू-भाग की। वह मात्र हवा में आंकड़े बता रहे हैं। अपने पास में आज दिन तक कोई रिकार्ड नहीं है। न आपका वन विभाग का नक्शा बनकर तैयार हुआ है, एक भी रेंज का नक्शा वन विभाग ने नहीं बनाया आज दिन तक। और उसी से आज सभी समस्याएं सभी सदस्यों ने, चाहे किसी भी क्षेत्र से हों, सभी सदस्यों ने अपनी समस्याएं रखी हैं। तो कृपया कर मंत्री महोदय, राजस्थान का सौभाग्य है कि दोनों ही विभाग आपके पास में हैं। तो आप इस समस्या का निश्चित रूप से समाधान करेंगे। आज विज्ञान कितनी तरक्की कर चुका है लेकिन खान विभाग के अन्दर वही पुराने तरीके जो सौ साल पचास साल पहले पुराने काम में लिए जा रहे थे, जैसे पेस्मेटिक कम्पास से खनन पट्टों का डिमार्केशन होना। मैंने खुद ने सिरोही के अन्दर देखा मंत्री महोदय, मैं वहां कोई कार्यक्रम में गया था। वहां एक खनन चल रही थी, वहां पास में ही हमारा कार्यक्रम था तो मैंने पूछा कि यह बन्द कैसे, मुझे बताया कि यह बन्द नहीं है, बन्द करवायी गयी है वहां के आपके एम.ईज. वगैरह जो भी होते हैं उन्होंने, कि यह तो नाम में इधर हो गया, उधर हो गया। क्यों, क्योंकि पिलर भी चेंज हो जाते हैं। विज्ञान कितनी

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

तरक्की कर चुका है आपके पास जी.पी.एस., ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हैं और विभाग ने खरीद रखें हैं। लेकिन विभाग उनका उपयोग नहीं करना चाहता है क्योंकि उन निचले स्तर के अधिकारियों की फिर मोनोपॉली खतम हो जायेगी, जो भी व्यवस्था है सुविधा, वह भी समाप्त हो जायेगी। तो इसके हिसाब से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि नये आधुनिक तरीके निकल गये तो उनका उपयोग आप इसमें जरूर करें। मैं एक सबसे महत्वपूर्ण है, खनिज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बजरी नदियों से ले जाई जा रही है, आपके विभाग की इन्कम होती है निश्चित होती है लेकिन उससे ज्यादा आने वाले समय में जो नुकसान होगा इस राज्य की जनता को उसकी भरपाई इन चन्द पैसों से, मंत्री महोदय नहीं हो सकेगी। नदियां पूरी की पूरी खाली हो रही हैं और वहां पत्थर नीचे निकल गये और बिना बजरी के जमीन के अन्दर पानी चार्ज नहीं हो सकता है। एक तरफ तो मलबा आ रहा है। उसके ऊपर और दूसरी तरफ जो बजरी बची है वह फैक्ट्रियों में और सभी लोग लेकर जा रहे हैं और आपके विभाग को रेवेन्यू भी हो रही है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो पत्थर की पिसाई से मलबा निकल रहा है वह सीमेंट में उसका उपयोग किया जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दोनों मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय दोनों मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाय।

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गयी, सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री मदन दिलावर : वह तो गुजर गये।

श्री अध्यक्ष : यह क्या शब्द बोलते हैं आप, गुजर गये। क्या होता है गुजर गये।

श्री मदन दिलावर : गुजर का मतलब, यहां से गुजर गये, चले गये।

(16.27 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

मांग संख्या 42 एवं 43 पर विचार

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, मैं अनुरोध कर रहा था कि इसके लिये जो उद्योग से पत्थर की पिसाई से जो मलबा निकलता है उसका उपयोग सीमेंट में बजरी के स्थान पर हो सके तो उसके बारे में भी विचार करना चाहिए ताकि लोगों को आने वाले समय में जो पानी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वह पानी नदियों के द्वारा चार्ज होता है तो वह जमीन में पानी जाए और हम उसका उपयोग कर सकें।

मंत्री महोदय, सुना है, खनन जो महत्वपूर्ण है, खनिज वह अब मात्र खातेदारी जमीन में ही लोगों के रहा है। बाकी अन्य स्थान पर सभी बड़े-बड़े और पहले लोगों को अलाट हो चुके है। तो ऐसी खातेदारी भूमि के आपके सेक्शन 5.4, पेज नम्बर 44, मिनरल्स पालिसी का है कि खनन पट्टा खाली लाइसेंस आवेदन इसके खातेदारी भूमि में खान विभाग अगर दिया जाए और वह किसी करणवश बन्द हो जाता है या वह खातेदार नहीं कर पाता है, बन्द कर देता है तो उसके बाद में वह भूमि माइन्स विभाग की नहीं होकर उस खातेदार की ही रहनी चाहिए। यह मेरा एक छोटा सा सुझाव है। आपने मुझे बोलने के लिये, समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद, माननीय श्री राकेश मेघवाल

श्री राकेश मेघवाल : सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और मांग संख्या 43 पर आज चर्चा हो रही है इसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री शांतिलाल चपलोत : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि कितनी देर में हमारा भी नम्बर है कि नहीं है, बस इतना सा ही जानना है, जिससे तैयारी करूं।

श्री सभापति : आपका नम्बर है, आप धैर्य रखें।

श्री शांतिलाल चपलोत : कितनी देर है। कितनी देर बाद में, मैं कोई किताब मंगवा रहा हूं।

श्री सभापति : थोड़ी देर में, घण्टे भर बाद में।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : और हमारा ?

श्री जोगाराम पटेल : सभापति महोदय, हमारा नम्बर ?

श्री सभापति : सबका नम्बर है।

श्री तगाराम चौधरी : मेरा नाम तो कटमोशन में बहुत पहले है और देरी हो रही है।

श्री सभापति : आप सबको बुलाते है अभी। आप पांच-सात मिनट में कन्क्लूड़ करें। सबको बुलाना है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : सभापति महोदय, दशम राजस्थान विधान सभा का भी मैं सदस्य रहा हूं और उस समय मार्बल पर टैक्स 16 परसेंट था। माननीय मुख्य मंत्री भैरोसिंहजी शेखावत ने 2 परसेंट घटाकर उसको 14 परसेंट किया, फिर पांच साल सरकार अशोकजी गहलोत की रही। एक परसेंट भी टैक्स कम नहीं किया और उसके बाद में राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे बनीं और उन्होंने राजस्थान के सभी मार्बल व्यापारियों, मार्बल एसोसिएशनों और राजस्थान की जनता और राजस्थान के बाहर ले जाने वाले व्यापारियों की मांग को मद्देनजर रखते हुए 14 परसेंट से घटाकर टैक्स 9 परसेंट किया, उसके लिए मैं तहेदिल से राजस्थान के व्यापारियों, मार्बल एसोसिएशनों के पदाधिकारियों और राजस्थान की जनता और पूरे देश में जाने वाले मार्बल व्यावसायियों की ओर से बधाई देना चाहता

हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और आजकल राजस्थान में देश के कोने-कोने से आने वाले व्यापारी भी राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी की और उद्योग मंत्रीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, इसके लिए पूरे राजस्थान की ओर से बधाई, पूरे देश की ओर से बधाई।

माननीय सभापति महोदय, आंकड़े एन.एस. गुर्जर साहब ने बता दिये और विष्णु मोदीजी ने बता दिये। विष्णुजी मोदी और हम 1994 में इण्टरनेशन मार्बल एग्जिबिशन में इटली गये थे और वहां इटली का मार्बल देखा था तो राजस्थान के मकराना के मार्बल के बनिस्पत वह मार्बल जीरो था और वहां क्रेक माल को भी फिलिंग करके यहां इण्डिया में भेजा और ज्यादातर मकराना के सफेद मार्बल को फेल करने के लिए भेजा गया। यह एक बहुत बड़ा आर्डर मिला था मकराना में, उसमें भी उस एजेंसी ने, एन.जी.ओ. ने करीब आधा आर्डर कैन्सिल करा दिया लेकिन आज इटली का मार्बल एकदम राजस्थान में मकराना के मार्बल के बनिस्पत कम्पीटीशन में फेल हो गया, उसके लिए भी राजस्थान में अगर कोई संगमरमर है तो वह मकराना का मार्बल है। जिस मार्बल की मूर्ति से भगवान के मंदिर में पूजा-अर्चना की जाती हैं और मकराना के मार्बल से मूर्ति बनती है।

इण्टरनेशनल मार्बल एग्जिबिशन में पूरे विश्व के व्यापारी थे और कैलाशजी मेघवाल खनिज मंत्री थे उस समय। माननीय कैलाशजी मेघवाल ने उस समय यह पूछा था, इण्टरनेशल मार्बल एग्जिबिशन में कि इसमें मार्बल सबसे कहां का बढ़िया है ? तब तपाक से मैंने यह कहा था, सभापति महोदय, कि पूरे विश्व में अगर कोई संगमरमर है तो राजस्थान में, इण्डिया में राजस्थान है और राजस्थान में मकराना है इसलिए मकराना को विश्व के नक्शे पर लाया जाए। माननीय सभापति महोदय, आज विश्व से भी कई पर्यटक मकराना आते हैं तो मकराना को पर्यटक स्थल पर भी लाया जाए।

मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इन्होंने मेरे निवेदन पर तत्काल 91 लाख रुपये की औद्योगिक विभाग से एक

(श्री राकेश मेघवाल)

सड़क स्वीकृत की है, उसके लिए मैं तहेदिल से आपका आभारी हूं और इनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, पिछले राज में, कांग्रेस के राज में परबतसर और औद्योगिक क्षेत्र विदयाद के बीच में एक रीको एरिया डवलप किया था। यहां पर विश्व विख्यात पशु मेला भारत का भरता था। वहां पर रीको एरिया में सड़कें बना दीं, आफिस बना दिये खुद का लेकिन वह पशु-पालन विभाग से जो विश्व विख्यात पशु मेला भरता था वहां बनाया उन्होंने। आज तक एक भी इकाई उस एरिया में नहीं लगी और पूरी चरागाह और वन विभाग की जो जमीन थी उसको पूरा एक्वायर करके, किसानों की थी पड़ोस में, वह लेकर बना दिया लेकिन एक भी इकाई वहां नहीं लगी। उसके लिए भी माननीय उद्योग मंत्री कोई न कोई वहां योजना, जो मार्बल की उद्योग लगाने की चालू की जाए और वहां उद्योग इकाई लगाई जाए।

एक यह आपके खादी ग्रामोद्योग से 25 लाख रुपये आप गैंगसा पर लोन देते हैं। आजकल गैंगसा एक करोड़ रुपये की लागत से लगता है। 25 लाख से वह छोटी लगती है। छोटी लगती है तो वह उससे छोटे पत्थर चिराई होते हैं, वह उनके रोजी-रोटी में या उस इकाई को चलाने में, चिराई में 25 लाख में लगती नहीं है, वह पर्याप्त नहीं है इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि 25 लाख से बढ़ाकर उसको पचास लाख किया जाए।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, मकराना में औद्योगिक क्षेत्र है विदयाद। विदयाद में कम से कम एक हजार डायमंड्स, वहां ही पास में खानें लगी हुई हैं। कई कटिंग मशीन्स, छोटे-छोटे उद्योग और बड़ी-बड़ी गैंगसा भी लगी है लेकिन जब से रीको का उद्योग, यह डायमंड्स लगी, जब से बनी हुई सड़क है। एक बार आपके द्वारा पूरी सड़क के वापस नवीनीकरण हो जाए और पेवर सड़क बनायी जाए ताकि देश के कोने-कोने से आने वाले व्यापारियों को देखने को यह मिले कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र विदयाद में पेवर सड़कें भी हैं।

श्री सभापति : अब आप कन्क्लूड करें।

श्री राकेश मेघवाल : अभी तो चालू किया है बोलना, माननीय सभापति महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण का भी बोलने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसमें ही दिया है कि आप अपने दो ध्यानाकर्षण हैं, यह आप मांग पर बोलें। दो ध्यानाकर्षण हैं, यह आप कहो तो मैं टेबल कर दूं।

श्री सभापति : 20 माननीय सदस्यों को और बोलना है।

श्री राकेश मेघवाल : उसका मेरे पास इलाज नहीं है।

श्री सभापति : आप फटाफट बोलिये।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रीजी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुचामन से मंगलाना, मंगलाना से परबतसर और परबतसर से रूपनगढ, किशनगढ़ होते हुए स्टेट हाईवे नम्बर-7 सड़क जो जाती है, वह हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तक जाती है। उसमें एक बीच में जो रीको लगा हुआ है, बीच में एक बाइपास सडक चार किलोमीटर की सड़क है रीको औद्योगिक क्षेत्र परबतसर में। वह एक और स्वीकृत आप करें, उसका प्रपोजल करीब एक करोड़ का है, वह सड़क की और स्वीकृति दें, आपकी मेहरबानी होगी।

परबतसर औद्योगिक क्षेत्र विदयाद मकराना, यह स्लरी और पाण्डु डालने की, यह कोई भी खेत में डाल देते हैं, किसी के प्लाट में डाल देते हैं और तालाब में डाल देते हैं, उसकी भी बहुत दिक्कत है और यह कई बार तो यह होता है कि किसी के निजी खेत हैं, उसमें भी रात को ट्रेक्टर से डाल दिया जाता है पाण्डु, तो उसके लिए भी एक जिस तरह से किशनगढ़ में आपने अभी उदघाटन किया है डम्पिंग यार्ड का, ऐसा डम्पिंग यार्ड परबतसर और मकराना के बीच में, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र भी बीच में आ जाए, वहां डम्पिंग यार्ड बनाया जाए जिससे यह स्लरी और मलबा डालने के लिए पर्याप्त मात्रा में वहां स्थान हो जाए। औद्योगिक क्षेत्र विदयाद पूर्ण रूप से विकसित करवायें और मकराना मार्बल पर जो संकट मण्डरा रहा है, उसकी और भी कई रूग्ण इकाइयां हो गयीं, उस पर भी माननीय उद्योग मंत्रीजी ज्यादातर पूरा ध्यान मकराना, परबतसर और औद्योगिक क्षेत्र विदयाद पर केन्द्रित करें, ताकि सबसे

(श्री राकेश मेघवाल)

पहले अगर कोई हिन्दुस्तान में मार्बल निकला था तो राजस्थान में, सबसे पहले मकराना का निकला था जिससे मार्बल की पहचान हुई है और जिससे ताजमहल बना है और प्रत्येक मंदिर में मूर्ति बनी है।

मैं माननीय खनिज मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक साल के कार्यकाल में आपने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आंकडों में तो मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि आंकडे पूरे मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य श्री विष्णु मोदी ने बता दिये और टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य श्री नाथूसिंहजी गुर्जर ने बता दिये। समय के अभाव में आंकडों में नहीं जाना चाहता।

मकराना से नागौर जिला मुख्यालय को जो सड़क जाती है, बाइपास रोड 1993 में जब मुख्य मंत्री भैरोसिंहजी शेखावत थे, उस समय 35 फीट सड़क को 70 फीट चौंडी किया था। कइयों के गोदाम तोड दिये, लोगों की बिल्डिंग तोड़ दी थी और उसको 70 फीट चौडा किया गया था। आठ माइन्स उस रोड पर आती हैं। उस समय तत्कालीन कलक्टर मंजीत सिंह थे उन्होंने एक नोटिस दिया था खान मालिकों को कि इसमें आप पचास फीट सड़क के इधर और पचास फीट सड़क के उधर 100 फीट के एरिये में दीवार निकालें। अपनी दीवार निकालकर उसको पूरा मलबे से भरें ताकि सड़क सुरक्षित रह जायें। आज वहां 8 खानें हैं, 10 फुट बाकी है, आधी इधर से कटिंग कर दी, आधी उधर से कटिंग कर दी तो कभी भी सड़क दुर्घटना हो सकती है। इसलिए माननीय खनिज मंत्रीजी, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग ने भी थाने में मुकदमा दर्ज करा रखा है और कई बार प्रयास किया, लेकिन आपके विभाग की शिथिलता से वह खान खालसा हुई और खानें खालसा होने के बाद आपके ए.डी.एम. के यहां अपील की सचिवालय में और वहां वापस बहाल हो गयी। इसलिए आप दिखवाइये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : अब आप वाइन्ड-अप करें।

श्री राकेश मेघवाल : सभापति महोदय, अब जो मैंने ध्यानाकर्षण दिया, जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, उस पर पांच मिनट और लेऊंगा।

श्री सभापति : आपके कोई सुझाव हो तो दीजिये। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : सुझाव ही दे रहा हूं मैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय खनिज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने आपको एक पत्र दिया था, वह पत्र आपने जांच के लिये भेजा था और उस पत्र की कापी जांच होने से पहले, जिसके खिलाफ मैंने लिखा था, आपने उसको मार्क किया था, वह उसके पास काफी पहले ही पहुंच गयी। उसने जिस तरह से कुमकुम पत्रिका बाटंते हैं शादी में, उस तरह से सब लोगों को यह कापी बांटी कि राकेश मेघवाल क्या कर लेगा, खनिज मंत्रीजी ने इस पर जो नोट लिखा है वह कुछ नहीं हो सकता। उस खान के ताला लगाया था, थाने में मुकदमा दर्ज था और ताला लगाया। ताला तोडकर खान से माल चोरी हो गया और उस पर पाबन्दी नहीं हुई। इस खान का नम्बर है 217/1 गुणावती रेंज में हैं। रतनाराम पुत्र धन्नाराम मेघवाल। उसकी शिकायत की थी मैंने। दो बार की थी, दोनों बार ही वह अगले के सामने चली गयी और कुमकुम पत्रिका की तरह पत्र बांट रहे हैं। उसमें माइन्स फोरमैन है सुरेश शर्मा, उसने पहले 14 लाख रुपये का अवैध खनन बताया। उसने रिश्वत लेकर फिर उसको रिकार्ड पर 8,60,124 रुपये कर दिया। 14 लाख से घटाकर 8,60,124 रुपये कर दिया और वह 8,60,124 रुपये का नोटिस दिया था एम.ई. मकराना ने कि 15 दिन में जमा करा दिया जाये। 15 दिन की जगह 15 महीने हो गये, सभापति महोदय, न तो वह 8,60,124 रुपये जमा हुआ, न.एल.आर. एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और कुछ नहीं हुआ। "ढाक के तीन पात", वह कागजों में रह गये और मेरी वहां सब लोगों को शिकायत कर दी। यह माननीय मंत्रीजी को पत्र दियां मैंने दो बार। पत्र की जांच हो गई, सामने वाले के पास वह चली गयी।.....(व्यवधान)

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें, प्लीज। माननीय डा. भंवरलाल राजपुरोहित।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, एक बार और निवेदन किया था माननीय खनिज मंत्रीजी को। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आपको 20 मिनट हो गये हैं, अब बैठो।

श्री राकेश मेघवाल : दूसरी जो राजस्थान में जितनी मंडियां हैं, उसमें रायल्टी की विसंगति है, वह विसंगति आप दूर करें। पूरें राजस्थान में रायल्टी जैसे मान लो राजनगर हो, नाथद्वारा हो, करौली हो, मकराना हो, किशनगढ़ हो, रायल्टी का एक नियम होना चाहिये, एक रूल होना चाहिये जिससे मकराना पर दोहरी रायल्टी की मार नहीं पड़े।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री राकेश मेघवाल : आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : डा. भंवरलाल राजपुरोहित। आप 5-7 मिनट में अपने कोई सुझाव हैं तो दें।

श्री संयम लोढ़ा : आन ए पाइंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, आसन द्वारा राज्य सरकार को बार-बार निर्देश दिया जा चुका है कि जिस विभाग की जिस दिन सदन में चर्चा हो, उससे कम से कम एक दिन पहले माननीय सदस्यों को विभाग के प्रतिवेदन और आय-व्यय के सम्बन्ध में .... (व्यवधान)

श्री सभापति : वह चर्चा हो चुकी है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है कि आइन्दा पुनरावृत्ति नहीं होगी।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, यह तीसरे बार है इसी सत्र में।

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय ने आज व्यवस्था दे दी है। हां, बोलिये आप।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : सभापति महोदय, मेरा कटमोशन लगा हुआ है, कल भी नम्बर नहीं दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें। हां, आप बोलियें।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : मैं मांग संख्या 42-43 में भाग लेते हुए जो अनुदान की मांग की है, उसका समर्थन करते हुए सर्वप्रथम फिर राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं जिस महकमे पर, जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग, जिसमें अरबों रुपये की इनकम इसके संरक्षक के रूप में मंत्री की नियुक्ति की है, मैं देख रहा हूं अधिकांश कई वर्षों से, जो खनन मंत्री बने हैं, वह शिकायत के शिकार हुए हैं, उन पर कोई न कोई एलीगेशन लगा है। मैं उन्हें धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। उन्होंने ऐसे मंत्री का चयन किया, जो एक ईमानदार, विद्वान एवं कर्मठ व्यक्ति को नियुक्त किया जिससे हमें विश्वास बंधा है कि राजस्थान में खनन विभाग में जो इनकम पैदा होगी, जो विकास होगा, उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा।

राजस्थान राज्य खनिज के संग्रहालय के रूप में जाना जाता है और इसकी धरती पर धात्विक-अधात्विक सजावटी पत्थर के रूप में खरबों रुपये की सम्पत्ति इसमें छिपी पडी है और जो राजस्थान में 1949 में खनिज भण्डार से हमको सिर्फ 38 लाख रुपये पैदा होते थे, वह 2003 में 4 अरब 49 लाख रुपये पैदा हो तो इतनी इनकम यानि राजस्थान की जो इनकम है, इनकम के स्रोत हैं, उसका एक चौथाई स्रोत उस राज्य में खनन की वजह से इस राज्य को प्राप्त हो रहा है। यह भाग्यशाली प्रदेश है जहां पर खरबों रुपये का भण्डार है। कृषि के बाद में सबसे ज्यादा इनकम कोई है और हमारे राजस्थान का भविष्य इस पर निर्भर है। मान्यवर, इस राज्य में कई प्रकार के खनन निकलते हैं जिसमें मुख्यतः आपको बताऊं ग्रेनाइट, लाइम स्टोन, मार्बल, जिप्सम, मशीनरी स्टोन, पट्टी कातला, आयल लाइट, सैंड स्टोन, क्ले स्टोन, कापर, तांबा, आयरन, यह धातु सिल्वर धातु, मैगजीन, सोना-आदि हैं। इसमें राजस्थान में नागौर जिले में सबसे अधिक मात्रा में लिग्नाइट और ग्रेनाइट, लाइम स्टोन, मार्बल, टंगस्टन डेगाना में इसका एक अतुल भण्डार है। मैं इन सब बातों पर इनकी क्या इनकम होती है, वह तो आकड़ों में हैं, बताना उचित नहीं समझता सबको पता है।

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

आकडों में पता लग जायेगा। मैं नागौर के मकराना से आता हूं। विश्व की सबसे प्रसिद्व संगमरमर की नगरी, मार्बल की जो सैकडों खानों में स्थित है, बसी हुई है। उसके विकास के लिये और उस पर आधारित उद्योग हैं, उसके बारे में संक्षेप में कहूंगा। मकराना मार्बल राजस्थान को 35 करोड़ रुपये सालाना इनकम देता हैं। नागौर, जिसमें सबसे ज्यादा इनकम देने वाला रायल्टी और टैक्स से देने वाला है। मान्यवर, मैं खनिज मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, खनिज मंत्रीजी, आप इस बात को ध्यान रखें कि राजस्थान में नागौर का इतना बडा टाउन, जो 35 करोड़ रुपये आपको देता है, वहां की लेबर का, वहां के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे माइन्स आनर हैं, चाहे लेबर हैं, उस माइन्स के विकास के लिये लोडिंग अनलोडिंग के विकास के लिये कम से कम 1-2 सड़क तो बनाइये। इतना 35 करोड़ रुपये हम देते हैं और आप सड़क की तरफ ध्यान नहीं देते। वहां की लेबर के वेलफेयर के लिये वहां भवन बनायें। वहां एक्सीडेंट अमूमन हुआ करते हैं, क्योंकि माइन्स है तो उसके लिए हास्पिटल का भी निर्माण होना चाहिये। जब हम 35 करोड़ रुपये दे रहे हैं और इतनी मात्रा में, हिन्दुस्तान में एक चीज देते हैं जिसका नाम संगमरमर है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं इससे आधारित जो टैक्स था, मैं मान्यवर, दवे साहब को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि जो 14 प्रतिशत टैक्स हमारे ऊपर था, जब हमने और व्यापारियों ने अप्रोच किया तो इतने हाई टैक्स से हमारे मकराना की मंडी बैठ गयी थी। उसकी अगुवाई में जब हम मुख्य मंत्रीजी से मिले तो 14 को 9 प्रतिशत हमारी प्रार्थना पर किया। उनको मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। इससे हमारी मंडी पर भी बहुत बडा फर्क पड़ गया। रोटेशन इसमें हो गया।

अब मैं दूसरा जो छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि एक हमारे मकराना के अन्दर जो कलर माल आता है, उसमें चाहे आपका उदयपुर का हो, चाहे डूंगरपुर का ग्रीन है, चाहे यलो है, जितना भी माल आता है, वह रायल्टी पेड आता है। फिर भी एक हठधर्मी है सरकारी अधिकारियों की

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

और एक हठधर्मी की बात है। इसके बारे में हम मंत्री महोदय से मिले और हम सी.एम. साहब से भी मिले हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं शीघ्रातिशीघ्र आप हमारे जब 35 एम.एम. वाला मामला था जिसकी वजह से हड़ताल हुई, आपने हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। अब इस मसले को भी आप हल कीजिए जिससे मकराना के मार्बल का भविष्य वापस जगह पर आ जाए और वह हटना इसलिए जरूरी है, उस काम्पीटिशन में किशनगढ़ में उस माल का, ग्रीन माल पर टैक्स नहीं लगता और जब हमारे मकराना में टैक्स लगता है तो हम को उस ट्रक पर 15 हजार रुपये अधिक देने पड़ते हैं तो व्यापारी हमारे क्यों आयेगा ? हमारी मण्डी महंगी हो जायेगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं आप इसमें विशेष रूचि लेकर सब बातों से इम्पार्शल होकर और डिपार्टमैंट की बात को जाने दें, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और वहां के व्यापारियों का डवलपमैंट और आपका जो पैसा पडा था उसके रोटेशन की तरफ ध्यान रखते हुए आप इस अडामेंट हो जाइये, यह हमारी मांग बिलकुल जायज है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर ध्यान दें और यह जो डबल रायल्टी टैक्स है इसको कम करें और ध्यान दें।

एक हमारे यहां वापी पट्टे हैं, हमारे मकराना की सबसे बड़ी समस्या है, वापी पट्टे हैं उनको रेगुलराइज होना चाहिए। वह पैसे भी नहीं देते और आप रेगुलराइज भी नहीं कर रहे हो, रेगुलराइज हो जायेंगे तो सरकार को बहुत बड़ी रेवेन्यू प्राप्त हो जायेगी।

एक वहां पर पचासों वर्षों से ढर्रा चल गया, अब जो माइनिंग आपने दी उसकी बढ़ोत्तरी नहीं हो रही। बढ़ोत्तरी का मतलब है खनन को आगे, नयी उनकी भूमि को अलाटमेंट करने की बात है जिसको चौड़ान कहते हैं, इस पर आप ध्यान दें। खनन की वजह से खानें छोटी हो गयी हैं और खानें यूं होरीजेंटल चल रही हैं इसलिए इस वजह से, यदि चौड़ान नहीं करोगे तो आस

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

पास खान का मालिक झगड़ेगा क्योंकि वह होने से उसका ऐसे 90, अगर आप देखने जाओ तो उसकी खान पहुंच जाती है इसलिए खनन में आप चौड़ान के लिए इस पर ध्यान दें, मंत्रीजी, खनन में आपका चौड़ान होना बहुत आवश्यक है।

एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं। हमारे यहां एम.ई. की पोस्ट है और ए.एम.ई. की पोस्ट भी है, हमारे वहां इतने मुकदमे हो गये हैं कि एम.ई तो हाई कोर्ट में फिरता रहता हैं, महीने में 20 पेशियां होती हैं। अब वहां एम.ई. नहीं है, कई समस्याएं होती हैं। हमारे यहां भू-माफिया और खान माफिया इतने हो गये हैं, मंत्री महोदय सुनें, हमने कई दफे निवेदन किया है कि एक 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखा कर अच्छी से अच्छी खान पर कई भू-माफिया और खान माफिया बैठ जाते हैं और फिर वहां गोलियां चलती हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे हम को बचाएं। आप एम.ई. को हिदायत दें, स्टाम्प पर लिखाने वाला जो यह पद है, इसको खतम करें, जो लीज होल्ड और लाइम होल्ड हैं उसी को ही काम करने देवे। इस तरह के आदेश सख्ती से पारित करें जिससे हमारे यहां न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो। वह एक सेंसेटिव एरिया है, हमारा मक्राना बारूद का ढेर हैं और कभी ऐसी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है इसलिए इसमें आप सख्ती से काम लें। ऐसे आदमियों को वहां पर आने नहीं दें। एम.ई. को कहें जो इस तरह के अनोथराइज आदमी हैं, उनको वहां पर अन्दर घुसने नहीं दें।

श्री सभापति : धन्यवाद।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : धन्यवाद तो मैं आपको दूंगा, सभापति महोदय।

एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यह वेस्ट मैटेरियल की जो बात चली, अभी एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा, यह वेस्ट मैटेरियल का भविष्य क्या होगा ? मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप माइंस की लीज देते

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

आ रहे हो, आपने कभी यह सोचा है कि वैस्ट मैटेरियल कहां जाकर गिरेगा ? वह मर्जी आये जहां डाल देते हैं उस वेस्ट मैटेरियल को। आप उस खान मालिक को कहिये कि आपको खान चलानी है तो आप जमीन मोल लेकर और उस वेस्ट मैटेरियल को वहां डालिये। वह चोरी छिपे कभी स्कूल में, कभी तालाब में, कभी नदी में, कभी रास्ते में, कभी सड़कों पर डाल देते हैं।

दूसरी बड़ी प्राब्लम मकराना की हो रही है, मकराना की नहीं है जहां यह गैंगसा है, चाहे वह धौलपुर हैं, चाहे कांकरोली है, चितौड है या उदयपुर है, जहां भी है, जहां यह मशीन चलती हैं वहां यह जो स्लेरी होती है, मंत्री महोदय, स्लोरी से एनवायर्नमेंट खराब हो रहा है। वह सफेद पट्टी जगह-जगह गिरायी जा रही है। उस पोल्युशन से लोगों को टीवी हो जायेगी। यह तो ठीक है अभी हाई कोर्ट में जाकर इसमें रिट नहीं की वरना सरकार को कोर्ट आडे हाथ लेती कि यह कोई तरीका हुआ, आप न्यूसेंस करते हैं। आपकी मशीन से पैदा हुई स्लेरी है इसको जाकर आप कोई जमीन मोल लेकर डालिये उसमें। उसको पाबन्द कर दीजिए मशीन मालिक को कि यदि आपको मशीन चलानी है तो उस स्लेरी को अलग जमीन पर डालना पड़ेगा। मर्जी आये जहां ढेर कर रहे हैं और डूंगर के डूंगर लगे है। आप देख रहे हैं, आपको हमने दिखाया हैं। मंत्रीजी, मैं आपको सही कहता हूं कि आपके पास तीनों डिपार्टमेंट हैं, एनवायर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके पास है, आप सख्ती से इस बात को कीजिए कि जिसको खान चलानी है, जिसको मशीन चलानी है वह जमीन मोल ले, उसमें स्लेरी डाले।

सभापति महोदय, इन्ही शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रघुवीर सिंह।

श्री भागीरथ चौधरी : सभापति महोदय, सब जगह नहीं है, माननीय सदस्य कह रहे हैं सब जगह है। हमारे किशनगढ़ में तो डम्पिंग यार्ड बने हुए हैं उसमें स्लेरी डालते हैं। सब जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीच में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराडा) : सभापति महोदय, मांग संख्या-42 और 43 पर डिबेट चल रही है, इसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में खानों से जो मिनरल निकलता है उससे हमारी राज्य सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है और साथ ही रोजगार भी प्राप्त होता है, साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा विस्तार हो रहा है। इसके साथ-साथ दूसरी तरफ पर्यावरण पर भी हम को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज जिस तरह से कोर्ट फैसले दे रहे हैं माइनिंग क्षेत्र में सारे उद्यमी हैं वे डरे हुए हैं, बहुत सारे मजदूर बेरोजगार भी हो गये हैं और कइयों को डर है। इसके बारे में समय-समय पर सरकार को उचित समय पर उचित कदम उठाकर भी विचार करना चाहिए और खानों की सुरक्षा भी करनी है, साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी ध्यान रखना है।

मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं। मेरे क्षेत्र में हिन्दुस्तान जिंक का प्रोजेक्ट पट्टा है जावर माइन। पहले-पहले काम चला तो पास में से एक नदी जा रही थी, नदी अभी भी बहती है पर उसमें से बहुत सारा वेस्ट टेलिंग जाता रहा। नीचे जितने भी गांव थे उनके इतनी परेशानी खड़ी हो गयी, फिर जैसे-जैसे प्रशासन के ध्यान में आया और बात करके और उस टेलिंग को बिलकुल व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया और फिर सूख गया उसके बाद उसी टेलिंग में वृक्षारोपण करके और उसको बिल्कुल पहाड़ी की तरह कर दिया। इस तरह से जो भी वेस्ट मैटेरियल है, टेलिंग है उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा।

आज हमारे माइंस के अलावा जितने कटर्स लग रहे हैं या गैंगसा हैं उनका जो वेस्ट निकल रहा है, स्लेरीज निकलती है वह तरल पदार्थ के रूप में निकल कर बहता-बहता कहीं नालियों से, कहीं नालों से, कहीं नदियों से, खेतों में जाता है या जहां-जहां पानी बह कर जाता है वहां तक जाता है और नीचे की चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो और दूसरी हो, वह दिनों-दिन लैंड खराब होती जा रही हैं। यही नहीं, पीने के पानी में भी बहुत ही नुकसानदायक असर करती जा रही है इसलिए इस बारे में भी बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

मैं उदयपुर डिवीजन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि वहां काफी मात्रा में मार्बल की खानें हैं, सोप स्टोन की भी हैं परन्तु जैसा कि मंत्रीजी ने कल प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जनजाति उप योजना क्षेत्र में चूंकि वहां रहने वाले लोग करीब 68 परसेंट से भी ज्यादा हैं और आपके उस क्षेत्र में लगभग 824 खानें हैं मेरी सूचना के अनुसार तो 824 में से मेरे खयाल से 9 या 10 या 11 माइंस ओनर ऐसे हैं जो रिजर्व क्लास से हैं, एस.टी. से समझ लें। उप योजना क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो आप जो बात कह रहे थे कि 10 प्रतिशत उनके लिए प्रावधान है तो मेरी जिज्ञासा रहेगी यह जानने की कि क्या कारण है कि इससे ज्यादा उद्यमी हैं नहीं या उनको दी नहीं गयी खानें या उन्होंने एप्लाई नहीं किया या किसी न किसी तरह से कोई न कोई बेरियर है उसकी वजह से वहां के लोग उसका फायदा उठा नहीं पा रहे हैं और आपकी जो मंशा है, जो संविधान की मंशा है या सरकारी की जो मंशा है उस मंशा के अनुसार वहां के लोगों को फायदा नहीं मिल रहा हैं। कई लोग ऐसें हैं, नाम अवश्य उनका है परन्तु केयर आफ करके शहर का एड्रेस दिया। इसका मतलब यह है कि शहर का व्यापारी उस ट्रायबल के नाम से खान अलाट करके काम चला रहा है तो उसको क्या मिल रहा है ? हम वहां के आदमी को मजदूर बनाकर काम कराना चाहते हैं पर उसको सेठ बनाना नहीं चाहते या उसको आर्थिक रूप से सम्पन्न हो जाए, ऐसा बनाने की हमारी मंशा नहीं है। इसलिए, मंत्रीजी, मेरा सुझाव यह है कि आपका क्षेत्र जितना भी होता है, जी.टी. शीट के अनुसार आपको ईयरमार्क कर देना चाहिए कि यह एरिया माइनिंग विभाग का है, इसमें इतनी माइंस है और इन माइंस में अगर आप 10 परसेंट और 15 परसेंट का रिजर्वेशन रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें प्रावधान करना चाहिए, एडवरटाइजमेंट करना चाहिए कि इतनी माइंस इन-इन वर्गों के लिए आरक्षित है तो निश्चित तौर पर लोग आयेंगे।

अब आप आरक्षित वर्ग के लोगों की बात करते हो, वह कहां जायेगा, कहां एन.ओ.सी. के लिए जायेगा ? आपको स्वयं को आगे बढ़ कर अगर कोई रिजर्व फोरेस्ट में या प्रोटेक्ट फोरेस्ट में, किसी भी फोरेस्ट में माइंस आती है तो सरकार को अपने स्तर से प्रयास करके उस एरिये को बाहर करवाकर उन

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

लोगों के लिए प्रावधान करना चाहिए कि वह लोग एप्लाई करें वहां, एप्लाई करके काम करें और काम करके आर्थिक रूप से वह सक्षम भी होएं और उसके लिए सरकार को निश्चित तौर से प्रावधान भी करना चाहिए। उसकी मशीनरी खरीदने के लिए लोन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। आज होता क्या है उनको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है और इसलिए तैयार नहीं होता है कि यह रिजर्व क्लास से है यह लोन जमा कराएगा कि नहीं कराएगा। यह जो शंकाएं हैं ना, यह शंकाएं इस भेदभाव को, इस खाई को बढ़ाती जा रही हैं।

हमारे उस क्षेत्र में जितनी भी जमीन है लगभग ट्राइबलों की है और माइन्सें चाहे ऋषभदेव के आस-पास ले लो, ग्रीन मार्बल का एरिया ले लो। चाहे सलूम्बर के आस-पास ले लो, बांसवाड़ा ले लो, व्हाइट का ले लो। जितना भी ले लो, ट्राइबल एरिया है वहां किसी न किसी तरह से प्रभावशाली लोगों ने जमीनें सस्ते में खरीद ली। खरीद कर वहां माइन्सें शुरू कर दीं। माइन्सें शुरू करके उसका जितना वेस्ट निकलता है, खेतों में, पालियों में जहां मर्जी आए पटक दिया और उसकी वजह से वह आदमी बिलकुल ही

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेहरबानी करो, दो तीन मिनट तो हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका सहारा कोई नहीं बनता है। अभी मेरे क्वेश्चन के जवाब में मैंने डिटेल्स मांगी थी उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में नठारा करके एक गांव हैं उसमें खातेदारी भूमि में एक सोप स्टोन की माइन्स चल रही है। उस प्रश्न के उत्तर में मैंने पूरा देखा परन्तु कहीं दर्ज नहीं है कि वहां सोप स्टोन की माइन्स चल रही हैं। परन्तु वह सेठ इतना सक्षम है कि उस ट्राइबल की जमीन जो खातेदारी भूमि है, रिकार्ड में खातेदार है पर उसको इतना डरा डरू कर नाजायज रूप से वहां ब्लास्टिंग करता है। उसके मकान पर पत्थर पडते हैं, सब कुछ करते हैं। थक थकाकर ट्राइबल ने अपने बिलकुल प्रयास छोड़ दिए कि मेरी तो कोई मदद करने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट को बिलकुल चाहिए कि निगरानी रखे कि अवैध रूप से कौन काम कर रहे हैं। अभी सोप स्टोन की खानें देखो। एक मैं मेरे प्रश्न के उत्तर में देख रहा था एक व्यक्ति ऐसा है

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

जिसने पूरे इलाके में पांच सात माइन्सें अलाट करा रखी हैं अब उसके रिवीजन का जो टाइम है वह पूरा हो गया 2002 में परन्तु आज भी वह माइन्सें चल रही हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज भी वह चालू हैं। इसका मतलब यह है कि जहां रवन्ना कटता है या रायल्टी के लिए जो भी चालान हैं दूसरी माइन्स का जहां अवैध खानें चल रही हैं वहां उसका चालान उस पर काम लेकर गाड़ियां निकाल रहा है।

तो इस तरह से जितना भी हो रहा है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। डिपार्टमैंट के अधिकारी हैं, नीचे का स्टाफ है, उसको चौकसी करनी चाहिए। परन्तु यह बात सही है कि परिवार में छोटे जो व्यक्ति होते हैं संस्कार सीखते हैं मुखिया से। मुखिया जिस तरह से करता है छोटे भी ऐसे ही करते हैं। मैं कोई आरोप लगाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं परन्तु मैं यह निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग के मुखिया हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक में कितने मुकदमें दर्ज हैं, 295/2000, 296/2000, 523/2000, 139/2000, 168/2000 यह मुकदमें अलग-अलग, पद का दुरुपयोग, लापरवाही से कार्य करना, विभाग को रेवेन्यू का नुकसान करना, इस तरह से कई आरोप हैं। तो हमारे अगर मुखिया पर ही इस तरह से ए.सी.डी. में मुकदमें दर्ज होंगे तो फिर नीचे का स्टाफ क्यों डरेगा वह भी वैसा ही काम करेगा जैसा ऊपर वाले कर रहे हैं।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री जोगाराम पटेल।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : इसलिए हमें कुछ करना चाहिए और मेरे कहने का मतलब उस ट्राइबल बैल्ट में जैसे ऋषभदेव का उदाहरण दूं, 23 करोड़ 4 लाख में ठेका गया सिर्फ रायल्टी वसूल करने का तो वहां के लोग जो रह रहे हैं उनके लिए हम क्या पर्सेण्टेज फिक्स कर रहे हैं। ट्राइबल बैल्ट में जो खानों से रायल्टी वसूल की जा रही है उसका कुछ पर्सेण्ट तो वहां रखना चाहिए ना। आधारभूत सुविधाओं को तैयार करने में, रोड्स बनाने में, रोड बनाने चाहिए वहां गांवों में, स्कूल के कुछ कमरे बनाने चाहिए। ऐसी आधारभूत सुविधा जो भी पेयजल की व्यवस्था, कुछ तो प्रावधान करना चाहिए।

श्री सभापति : श्री जोगारामजी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : एक मिनट में मेरी बात खतम कर दूंगा। वहां के करोड़ रूपए हम वसूल तो कर रहे हैं पर वहां जिसके खेत मे से हम माल निकाल कर ला रहे हैं उसको कोई सुविधा नहीं दे रहे इसलिए मेरी मांग भी है मंत्रीजी से कि यह जो रायल्टी वसूल करते हैं उसका कुछ पर्सेण्टैज वहां के लोगों के लिए रखना चाहिए। उस पैसे से वहां के रोड बनाने चाहिए या जो भी आधारभूत सुविधा है वह तैयार करें। साथ ही आपकी जो यह घोषणा है दस प्रतिशत और पांच प्रतिशत रिजर्वेशन के अलाटमेंट की वह आपकी नई नीति में निश्चित तौर पर आप समाहित करेंगे। समाहित क्या आलरेडी प्रावधान है परन्तु आप समता बनाम आन्ध्र का जो फैसला उसके अनुरूप आपने अगर इस नीति में कोई प्रावधान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां के लोगों का भला होगा। बाकी उनको मजदूर बनाकर रखना चाहो तो अलग बात है।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : उद्योग के बारे में मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, उद्योग मंत्रीजी तो है नहीं यहां पर फिर भी मैं निवेदन कर ही देना चाह रहा हूं कि आप एकल खिड़की की बात करते हैं। एकल खिड़की पर जैसे विष्णु मोदीजी ने प्रकाश डाल ही दिया परन्तु हमारे अरविन्द सिंघलजी एक उद्यमी हैं, पेस्टीसाइड का उनका प्लांट है। वह अपने प्रोजेक्ट का एक्सपांशन करना चाह रहे थे तो उन्होंने काफी प्रयास किया उसके उपरान्त भी वह नहीं कर पाए और उन्होंने एक प्रोजेक्ट अहमदाबाद में डाला है। क्यों, जैसा उन्होंने कहा अहमदाबाद में खाली उन्होंने सरकार के किसी अधिकारी से टेलीफोन पर बात की बातों-बातों में बात की। वहां का आदमी उसकी अटैची लेकर यहां पहुंच गया कि कहां हैं साहब, यहां हैं। बोलो साहब कहां क्या लगाना है कितनी आपको जमीन चाहिए, कितना क्या चाहिए, यहीं बैठकर, उदयपुर में बैठकर वह तय करके सारा सब कुछ करके गया और हमारे यहां जूते घिस जाएं उसके कल आना, साहब हैं नहीं, परसों आना साहब हैं नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारे उद्योगों का भला नहीं होगा।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

दूसरा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मंत्री महोदय, गांवों में लोग जो नीडी हैं, आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है ज्यादातर गांवों में, गांवों में दसवी पास-बारहवीं पास लडकें घूम रहे हैं और वह प्रधानमंत्री रोजगार योजना के चक्कर में जिला उद्योग केन्द्र में एप्लाई करते हैं। वहां से पास भी करते हैं, टार्गेट भेजते हैं बैंक में। बैंकों ने सिर्फ आज की तारीख में कार्मिशयल परपज शुरू किया हैं फाइनैंस का सिर्फ कामर्शियल और कोई नहीं की। बेरोजगारों को भी लोन दें, नहीं देंगे, किसी सेठ के बच्चे को दे देंगे। उसने भी एप्लाई किया था सेठ आलरेडी पहले से ही मजबूत हैं उसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे पर बेसंहारा का हाथ पकडकर उसको मजबूती, उसको आर्थिक रूप से सम्बल दें ऐसा काम नहीं करतें हैं। इसके लिए सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान रखकर चैक करना चाहिए और इसके लिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। यही मुझे निवेदन करना है। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-42 उद्योग और मांग संख्या 43 खनिज पर जो सुबह से माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर डिस्कशन चल रहा हैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए जैसा कि आसन का निर्देश है अति संक्षिप्त में बिन्दुवार अपनी बात कहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, यह जो खनिज है यह देश और प्रदेश के विकास में अपना बहुत बडा महत्व रखता है और इंडस्ट्री एण्ड सोशियों इकोनोमिक डवलपमेंट के लिए इसका अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। यह रा मैटेरियल ही प्रोवाइड नहीं करता है, आयात को घटाता है, निर्यात को बढ़ाता हैं। रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता हैं। मल्टीपरपज इस उद्योग रूपी खनिज को लिया जाए। यह खनिज जो है वह अपने आप में बहुत बड़ा सैक्टर हैं और आदि काल से इसकी पैदावार हो रही है। कब, कितनी और किस तरह इसका यूटिलाइजेशन हुआ यह एक अलग मुद्दा हो सकता है। विशेषकर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में खनिज का अलग ही महत्व है। अलग-अलग तरह के

(श्री जोगाराम पटेल)

खनिज अलग-अलग क्षेत्रों में खनिज, अलग-अलग निकालने वाले और अलग अलग पालिसीज के तहत खनन निकल रहे हैं। इस सम्बन्ध में भारत का जब संविधान बना तो से वन्य शिड्यूल के सैकिण्ड क्लाज में आर्टिकल 23,50 और 54 में इसका प्रावधान बनाया गया और स्टेट को इसका अधिकार दिया गया। उसी के तहत समय-समय पर इस सम्बन्ध में कानून भी बने हैं। सन् 1957 में सबसे पहले माइनस एण्ड मिनरल्स रेगुलेशन डवलपमैंट एक्ट, 1957 बनाया गया था और सर्वप्रथम 1990 में मिनरल पालिसी बनी थी जिसका रिवाइजेशन 1993 में हुआ था। इन पालिसीज का अगर अध्ययन किया जावे चाहे 1990 की पालिसी हो, चाहे 93 की पालिसी हो उस वक्त तक राजस्थान की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। पर सन् 94 के बाद राजस्थान में जो मिनरल्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ी। आज अगर ध्यान से अवलोकन किया जाए तो श्रीमान, यह पाया जावेगा कि जस्ता, केलसाइट, मोलसाइट और जिप्सम, यह ऐसे खनिज हैं जो एक मात्र प्रदेश में पैदा होते हैं, भारत के अन्य किसी भी क्षेत्र में पैदा नहीं होते हैं।

जिस क्षेत्र से मैं बिलौंग करता हू सैंड स्टोन पत्थर एक मात्र यहीं से निकलता है। विश्व में एक मात्र जोधपुर जोन ऐसा है जो सेंड स्टोन पैदा करता है और सबसे ज्यादा इनकम सेंड स्टोन की है। इसी तरह ग्रेनाइट, दस प्रकार के ग्रेनाइट हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं और संगमरमर 90 प्रतिशत भारत में पैदा होता है।

मैं श्रीमान से निवेदन करूंगा कि राजस्थान प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में खनिज का कितना महत्व है। मैं मौजूदा सरकार, मुख्य मंत्रीजी और वन मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि खनिज उद्योग से सम्बन्धित, खनिज विभाग से सम्बन्धित विभिन्न पत्रावलियां जो विचाराधीन थीं। जो लम्बे समय और यहां यह कहूं कि 1978 से विचाराधीन थी पत्रावलियां, 12-8-1994 को राजस्थान प्रदेश में मिनरल पालिसी बनने के बाद की जितनी भी पत्रावलियां विचाराधीन थी करीब 11-12,000, निश्चित संख्या मुझे ध्यान नहीं हो सकती है, वह पहली बार तुरन्त स्तर पर निपटायी गयीं। जैसा कि

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय सदस्यों ने आपके सामने निवेदन किया कि अवैध खनन के मामले सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से रोके गये हैं तो पहली बार मौजूदा सरकार और खनिज मंत्रीजी ने रोके हैं। इसके लिये मैं उनको बहुत-बहुत साधुवाद दूंगा।

इतना ही नहीं, बिना किसी प्रोपोगेंडा के, बिना कोई अखबारबाजी किये, किसी को कुछ कहे बिना अपनी पालिसीज के तहत अपने अधिकारियों को निर्देश देकर मूलभूत अवैध खनन की समस्या को कम से कम करने का प्रयास किया है। उसके लिये बहुत धन्यवाद देता हूं।

समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए मैं विशेष रूप से श्रीमान् से इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि दो विभाग एक दूसरे के विपरीत हैं फोरेस्ट एण्ड माइंस। खनिज चाहता है आगे से आगे बढ़ें और खान मिले और फोरेस्ट डिपार्टमेंट चाहता हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं आएं। यह पहला अवसर है कि माननीय मंत्रीजी दोनों विभागों को बड़ी कुशलता से सम्भाल रहे हैं।

जोधपुर के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति है जिसका निवेदन मैं मंत्रीजी से अवश्य चाहूंगा। जोधपुर में जोधपुर स्टेट के टाइम से माइंस चल रही हैं। सबसे पहले 1956 में मिनरल्स डवलपमेंट के नाम से एरिया अलाट हो गया, उस वक्त तक उस एरिये में कोई फोरेस्ट नहीं था। माइंस डिपार्टमैंट का 20-3-2004 का एक विस्तृत पत्र, सभी पूर्व के आदेशों, निर्देशों और नोटिफिकेशंस को, एरिये को सम्मिलित करते हुए फोरेस्ट डिपार्टमैंट को लिखा गया कि 1956 से हमारी जो खानें चल रही हैं यह फोरेस्ट नहीं है, कृपया इस पर आप कोई कार्यवाही नहीं करें। परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो टी.एन. गोडावर्मन बनाम यूनियन आफ इंडिया का जो 1996 का फैसला है उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले में यह अवश्य कहा है-

"This scription covers all recognied forest whether designed as a reserved, protected or otherwise." दो तरह की फोरेस्ट होती है। एक रिजर्व फोरेस्ट है, एक प्रोटेक्टेड फोरेस्ट है। रिजर्व फोरेस्ट पहले से ही है, उसमें

(श्री जोगाराम पटेल)

तो कोई विवाद ही नहीं है। परन्तु जो प्रोटेक्टेड फोरेस्ट है उसमें सैक्शन 31 (1) में यह प्रावधान है कि जब कभी भी आप प्रोटेक्टेड फोरेस्ट डिक्लेयर करोगे, प्री एग्जिस्टिंग जो राइट है चाहे वह माइंस हैं, चाहे मकान हैं, चाहे खेत है, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे स्कूल है उसको आप पहले डिक्लेयर करोगे और सैटलमैंट आफिसर फोरेस्ट डिपार्टमैंट का उसकी प्रोपर इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद उसका डिक्लेयरेशन करेगा और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचेगा कि यहां किन किस व्यक्तियों के कौन-कौनसे प्री एग्जिस्टिंग राइट्स हैं। सैक्शन 31 में लिखा हुआ है, 1962 के फोरेस्ट डिपार्टमैंट से जारी नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि प्री एग्जिस्टिंग राइट को डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा। परन्तु जोधपुर फोरेस्ट के जो अधिकारी लगे हुए हैं वह इस कानून, अपने स्वयं के नोटिफिकेशन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टी.एन. गोडावर्मन के फैसले को नजरंदाज कर अपनी हठधर्मिता से उस क्षेत्र को भी फोरेस्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं जो वास्तव में और कानून के अनुसार फोरेस्ट नहीं है। क्योंकि 1956 में जब खान एरिया डिक्लेयर हो गया था, 1962 में जब फोरेस्ट का सर्वप्रथम डिक्लेयरेशन आया, नोटिफिकेशन आया, फोरेस्ट की अधिसूचना आयी, उससे पहले से ही वह माइंस चल रही थी, ऐसी स्थिति में भले ही वह फोरेस्ट है इसलिये आप एज ए प्रोटेक्ट फोरेस्ट डिक्लेयर हो गया हो परन्तु जो प्री एग्जिस्टिंग राइट है चाहे वह माइंस के रूप में है, चाहे मकान, चाहे खेत, खलिहान, मंदिर के रूप में है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा। उन पर अटैक नहीं किया जायेगा। उनको माना नहीं जायेगा कि यह फोरेस्ट हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से फिर भी निवेदन करूंगा, हालांकि आपने इस सम्बन्ध में बहुत ही प्रयास किये हैं, कानूनी कार्यवाही भी देख रहे हैं, पुनः मैं निवेदन करूंगा कि आप इस सम्बन्ध में जांच कराएं कि प्री एग्जिस्टिंग फोरेस्ट को यह कानून या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अफैक्ट करता हैं या नहीं ? मेरा निवेदन है कि गोडवर्मन वाला जो फैसला है 1996 का आनरेबल अपैक्स कोर्ट का, वह इसको कहीं भी अफैक्ट नहीं करता है। इसको देखा जावें।

साथ ही साथ दो निवेदन मैं माननीय मंत्री महोदय से और करूंगा कि जोधपुर में मैसनरी स्टोन के नाम से कोई लीज दी गयी थी परन्तु लीज देने

के बाद वहां खनन किया गया तो पता लगा कि वहां सेंड स्टोन है। मैसनरी स्टोन के नाम से जो लीज दी गयी थी वह लीज होल्डर सेंड स्टोन की लीज लेना चाहते हैं क्योंकि वहां खोदने पर पता लगा कि वहां तो सेंड स्टोन है। इसमें जो डिफिकल्टीज हो रही है, मैं निवेदन करूंगा कि सेंड स्टोन की लीज जारी की जाए। इसमें राजस्व की प्राप्ति होगी, सरकार को कोई दुविधा नहीं होगी और खानधारियों को सुविधा होगी।

तीसरा मेरा निवेदन है। पहले के प्रावधान में अब एक नोटिफिकेशन के द्वारा विवाद खड़ा कर दिया गया है। किसी खानधारी की डैथ होने पर उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा शपथ पत्र देने पर यह मान लिया जाता था कि खानधारी की डैथ हो गयी है परन्तु अब मजिस्ट्रेट का वेरीफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट के वेरीफ़िकेशन में कई डिफिकल्टीज आती हैं सभी मैम्बर्स को लाओ, कब डैथ हुई यह प्रमाण पत्र लाओ, बयान कराओं, इससे खानधारी जो अपना नाम ट्रांसफर कराना चाहता है क्योंकि लीज भी अपने आपमें एक सक्सेसर है, जो लेना चाहता है इसमें डिफिकल्टी होती हैं।

एक निवेदन और है। माइंस का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है रूल 18(6) में और उसमें लिख दिया गया है कि मंदिर से पांच सौ मीटर में कोई खान नहीं होगी जब कि कानून में पैंतालीस मीटर लिखा हुआ है। 45 मीटर को गलत इंटरप्रियेट करके उन्होंने जो गलत कर दियां है उसी को किया जावें।

साथ ही साथ मेरा निवेंदन एक और रहेगा....

श्री सभापति : माननीय श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री जोगाराम पटेल : एक मिनट में बात खतम कर रहा हूं।

बूजावर, गांगाना, रोयलाकला, चौदह तहसील, लूणी व जिला जोधपुर के आसपास अनेक खानधारी हैं जिनको फोरेस्ट की लैंड नहीं होते हुए भी इस आधार पर बन्द कराने का प्रयास किया जा रहा है, उसको रुकवाया जाए। वहा कभी माइंस एरिया था भी नहीं, वहां कभी फोरेस्ट एरिया था भी नहीं तो मेरा निवेदन है उस सम्बन्ध में भी ध्यान दिया जावे।

(श्री जोगाराम पटेल)

मैं मुख्य मंत्रीजी और वन मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि 1974-75 में जो 12.43 की जो आमदनी थी वह अब मौजूदा बजट 2004-2005 में 621 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है वह 1974-75 के अगेन्स्ट कई गुना बडा है।

इतना ही नहीं पारदर्शिता, सख्त निर्णय और तुरन्त कार्यवाही से जो कण्ट्रोल किया गया है उसके लिये भी मैं इनका बहुत-बहुत आभारी हूं। विशेष रूप से जोधपुर में जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके लिये भी मैं आभार प्रकट करूंगा। इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि फोरेस्ट और माइंस का जो विवाद है उसको जल्दी सुलझाया जावे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय शांति लाल चपलोत।

श्री शांति लाल चपलोत (मावली) : माननीय सभापति महोदय, आज दो मांगें हैं। उद्योग की मांग संख्या 42 और खनिज की मांग संख्या 43 । इन दोनों पर मैं अपने विचार संक्षिप्त में ही रखना चाहूंगा क्योंकि लेट ही नम्बर आता है हमारा तो हमेशा, यह बराबर देखने में आ रहा है।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से दोनों विभागों में चुस्त-दुरुस्त मंत्री महोदय लगे हुए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ काम किये हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उद्योग में भी उल्लेखनीय काम अभी हो रहे हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान में अभी कुल मिलाकर 262884 लघु एवं दस्तकारी इकाइयां हैं जिसमें 4070 करोड़ रूपया लगा हुआ है और करीब-करीब 11 लाख लोग रोजगार पर लगे हुए हैं और इस साल जब से मंत्रीजी आये हैं तब से 2004-05 में 11391 लघु उद्योग इस राजस्थान में लगे हैं और 43561 व्यक्तियों को रोजगार मिला हैं। 235 करोड़ का राजस्थान में इन्वेस्टमेंट हुआ है। यद्यपि यह काफी नहीं है, और प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता हैं। मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चुस्त-दुरुस्त हैं, विभाग भी है। पर कई बार हमारे यहां देखने में आया है कि राजस्थान में लोग उद्योग

(श्री शांति लाल चपलोत)

लगाने में आनाकानी करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मुझे भी लंदन में श्री लक्ष्मी मित्तल साहब मिले उनको मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में असमर्थ हूं। वहां बार-बार फिराई होती हैं, मैं प्लेन लेकर आऊंगा तो कितना महंगा पड़ता है शांतिलालजी, मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अशोकजी गहलोत ने भी प्रयत्न किया हैं और वह आये भी थे लक्ष्मी मित्तलजी, पर हुआ कुछ नहीं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे राजस्थान के लोग सारी दुनिया में झंडा गाड़े हुए हैं। दुनिया का कोई कोना नहीं है जिसमें अप्रवासी राजस्थानियों ने बहुत बड़े उद्योग नहीं लगाये हों और वह राजस्थान में क्यों नहीं आना चाहते। इस बात पर हमें गम्भीरतापूर्वक आज विचार करने की आवश्यकता हैं। यदि हमने प्रयत्न किया तो कोई मुश्किल नहीं है कि 15-20 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में नहीं हो। सिंघानियांजी यहां के, बिडलाजी यहां के, बांगडजी यहां के, मित्तल जी यहां के, कौन यहां के नहीं हैं। इसलिए इस पर विशेष सम्पर्क करके काम किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्रीजी का और मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि पहले उद्योग पर आर.एफ.सी., रीको 18 प्रतिशत, 21 प्रतिशत इंट्रेस्ट लगता था। आदमी सरवाइव नहीं कर सकता था। आपने इंट्रेस्ट रेट 8 प्रतिशत, 12 प्रतिशत कर दी है। उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे यह प्रसन्नता है कि आपने पांच सेंटर 20 कलेस्टर डायग्नोस्टिक के आपने छांटे हैं। उसमें से पांच कैथून कोटा में कोटा डोरिया के, तलवाडा में पत्थर की मूर्तियों का, बानसूर में चर्म रंगाई का, हमारे यहां, यह इसलिए नाम लिया है कि हमारे यहां यानि चितौड़ जिले में आकोला में रंगाई-छपाई का काम बहुत बडा है। उसको भी आपने उसमें लिया है। उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, माननीय उद्योग मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हो सकता हैं आप मुझसे एग्री नहीं हो, राजस्थान में कई लोग रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको जो पैसा मिलता है, पेंशन का, उस पैसे

(श्री शांति लाल चपलोत)

का वह क्या करें, बैंकों में जमा करते हैं तो 6-7 प्रतिशत मिलता हैं क्यों नहीं आर.एफ.सी. और रीको आपके माध्यम से लेंवें, सरकार की गारंटी हो और उस पैसे को आप राजस्थान की गरीब जनता की बहबूदी के लिए उनको कर्ज दें। छोटे-छोटे उद्योग यदि गांव में नहीं लगें, आपने औद्योगिक क्षेत्र में तो उद्योग लगा दिये पर हर गांव में औद्योगिक क्षेत्र आप बना नहीं सकते इसलिए जनता को छोटे उद्योग लगाने के लिए, मेरे गांव में यदि मुझे किसी को कहना हैं कि तुम पापड का उद्योग लगाओ, महिला है तो सिलाई का उद्योग लगा, छोटा उद्योग लगा तो उसके लिए सिक्योरिटी क्या होगी तो उनके मकान की वोलेव्रल सिक्योरिटी आप ले सकते हैं। इस बारे में भी आपको विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आप कल शहरों में औद्योगीकरण कर देंगे उससे काम नहीं चलने वाला है। जब तक हम दीन हीन, गरीब, असहाय, सबसे नीचे व्यक्ति, अंत्योदय व्यक्ति को उठाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रयास नाकाफी साबित हो जायेगा। इसलिए मेरा इस बारे में आपसे अनुरोध है कि आप कोलेटरल सिक्योरिटी लेकर के या उनके खेत लेकर के किसी न किसी प्रकार से उनको आप सहायता दें जिससे वह ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लगा सकें। कई बाते हैं पर अभी समय की सीमा है और मैं इसलिए इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। जैसा कि अभी माननीय विष्णुजी बोल रहे थे उन्होंने कहा था कि गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप तो हैं ही पर गुजरात के लोगों के कल्चर में ही आ गया है कि हम किस प्रकार से लोगों का इन्वेस्टमेंट करवायें, बच्चों का एडमिशन, किराये का मकान, किराये का मकान, किराये का मकान नहीं मिल रहा है तो किराये का मकान भी वह आफिसर ढूंढ देगा और वहां पर उनको सारी की सारी फैसिलिटी अवलेबल करा देंगे। इसलिए आज गुजरात नम्बर एक पर आ गया है। जो उदयपुर से लगा हुआ है पर किसी का एक्सीडेंट हों जाता है तो आदमी को फटाफट गुजरात जाना पड़ता है।

(श्री शांति लाल चपलोत)

सभापति महोदय, वहां के कल्चर को भी हमारे अन्दर भी अफसर भी डवलप करने की कोशिश करें नहीं तो हमारे प्रयास नाकाफी साबित होंगे। इन उद्योगों के बारे में कई बातें कहना चाहता हूं पर समय की कमी कहकर मैं माइनस पर आना चाहता हूं। माइन्स, पर्यावरण और वन तीनों आपके पास हैं। मैं मंत्रीजी का बहुत-बहुत स्वागत करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। उन्होंने आने के पश्चात् बहुत अच्छा काम किया। चाहे वह रायल्टी के लिए किया हो और चाहे कोई और काम किया हो। चाहे माइनिंग के लोगों को सुविधा देने का काम किया हो और जिस राजस्थान में 1949-50 में केवल 38 लाख की सालाना आमदनी हुई हो आज वह सवा 500 करोड़ के आस पास पहुंच गयी है। उसके लिए मैं मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। 638 करोड़ तो इस साल के लिए आपका टार्गेट है, बहुत अच्छी बात है, टार्गेट ही है ना आपका। आगे और करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

सभापति महोदय, आपने पेट्रोल के लिए बहुत कोशिश की है, आपने यहां तक कह दिया कि यहां से पाइप लाइन नहीं जाने दूंगा। यह आपकी दृढ़ निश्चय का परिचायक है और मुख्य मंत्रीजी का भी निश्चय है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मैंने मुख्य मंत्रीजी के सामने उनके घर पर जब मीटिंग बुलाई थी तो हमने यह कहा था कि हम अपने पेट्रोल के लिए रायल्टी की मांग 50 प्रतिशत की मांगे क्योंकि हमारा राजस्थान पहले ही पिछड़ा हुआ है। दूसरा लम्बा मीलों 51 प्रतिशत जिस प्रांत में रेगिस्तान हो। और वह रेगिस्तान, नंगी पहाडी, सबसे नीचे के लोग ऐसे में यदि रायल्टी 50 प्रतिशत नहीं दी जायेगी तो किस प्रकार से काम चलेगा। इसलिए हमको इसमें सख्त होना चाहिए। पहले भी मैंने आपसे इस विधान सभा में भी निवेदन किया, आपसे घर पर भी चर्चा की, 12 प्रतिशत, 15 जो आप रायल्टी ले रहे हैं, 50 प्रतिशत रायल्टी के लिए सरकार के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरा, हमको रिफाइनरी लगाने के लिए पुरजोर प्रयत्न करना चाहिए। कोई कहता है कि दो अरब बैरल तेल है, कोई कहता है

(श्री शांति लाल चपलोत)

20 अरब बैरल तेल है। धरती का धन है किसी ने उसको देखा नहीं है। अब हमारे यहां किसी-किसी ने जान-बूझकर के, बेईमानी करने के लिए या राजस्थान को नीचा दिखाने के लिए कह दिया होगा कि पांच वर्ष का ही इसमें तेल डिपाजिट है। लेकिन उसके बाद सारे आंकड़े आये हैं 25 वर्ष का तो तेल माना है। हमारे यहां रिफाइनरी अच्छी तरह से लग सकती है। कम से कम 15-20 हजार लोग उसमें काम कर सकते हैं। आयल के कारण दुबई आज जैसे डवलप हुआ है उसी तरीके से हमारे देश में राजस्थान और मारवाड़ का सारा इलाका बहुत अच्छी तरह से डवलप हो सकता है।

संभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मांइनिंग में आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी रायल्टी भी बढ़ी है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मान लो मैंने माइन्स ढूंढी है, मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया हैं, मैंने अप्लीकेशन लगाई है और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो आक्शन करेंगे। आप कुछ ऐसे क्षेत्र भी छोड़े जहां लोगों को रोजगार मिल सके, छोटे उद्यमी और छोटे माइन्स आनर को भी काम मिल सके, आप इस प्रकार से भी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

सभापति महोदय, आपका यह पर्यावरण मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, पर्यावरण के नाम पर हर के गले पर बैठ जाते हैं। हालांकि मुझे इस तरह ने नहीं कहना चाहिए। लेकिन 10-5 हजार रूपए इनकी जेब में डालो तो पर्यावरण सुधर भी जाता है। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि एक फैक्ट्री जिसके बारे में उन्होंने कहा कि आपका खराब हैं, मैं जाकर उस एफ्ल्यूएंट का जो पानी बाहर निकल रहा था उसका पूरा एक गिलास पीया, मुझे कोई असर नहीं हुआ जबकि पर्यावरण वालों ने मार-मार कर, मार-मार कर उसकी फैक्ट्री को बन्द करवा दिया उदयपुर के पास। वह 55 करोड़ रूपए की फैक्ट्री इससे आज बिलकुल जलालत में चली गई, यह तो एक उदाहरण है। वे लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दे दिया लेकिन वही ढाक

के तीन पात। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से कई फैक्ट्रियां मरणासन्न हो जाती हैं, छोटी-छोटी बातों में पर्यावरण का मामला अटका दिया जाता है या फिर वन विभाग का अटका दिया जाता है।

माननीय मंत्रीजी, हैण्डपम्प लगाना हो तो वन विभाग से पूछो रोड बनानी हो तो वन विभाग से पूछो. कोई डवलपमेंट का काम करना हो तो वन विभाग से पूछो। मैं एक छोटा सा एनीकट बनवा रहा हू तो कहे कि साहब वन विभाग की भूमि आ गई तो किस प्रकार से काम चलेगा ? इस बारे में आप कोई न कोई विशेष गाइड लाइन तय करें। आपने वन को बढ़ाया है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपने काम भी किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, आपने माइनिंग में काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन छोटी-छोटी बातों के लिए बार-बार सरकारी आफिसों में चक्कर खाना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय पर ध्यान दें।

श्री सभापति : कृपया आप वाइण्ड अप करें।

श्री शांतिलाल चपलोत : मेरी बात तो बहुत लम्बी चौड़ी है, इतने नोट बनाकर लाते हैं पर वैरी सारी टू से, मेरा नाम पहले नहीं आता और जो पहले पहले बोलते हैं उनको एक-एक डेढ़-डेढ़ घण्टा चलता रहता है, खाली इस प्रकार की इधर-उधर की गपोड़ों में टाइम खराब कर देते हैं।

श्री सभापति : अगर मैं पहले बैठा होता आसन पर तो ऐसा नहीं करने देता।

श्री शांतिलाल चपलोत : यह मेरा दुर्भाग्य है।

आज राजस्थान में चूना पत्थर और स्टील ग्रेड पत्थर जिससे स्टील बनता है, मिल रहा है, इनका हम ठीक ढंग से दोहन करने का प्रयास करें और इसके लिए हम आगे से आगे लोगों को यहां आने के लिए आकर्षित करें। हमारे यहां सारी चीजें मौजूद हैं तो क्यों नहीं हमारे यहां भी स्टील के कारखाने लगे ?

(श्री शांतिलाल चपलोत)

हमारे राजस्थान में लिग्नाइट के बहुत बड़े भण्डार हैं, 2900 मिलियन टन के भण्डार बीकानेर के कोलायत के आसपास मिले हैं और इससे थर्मल पावर बनाया जा सकता है, हमारे राजस्थान में बिजली की जो मांग है इससे पूरी की जा सकती है पर मुझे लगता है कि इस दिशा में हमारी गति बहुत कम है। जयसिंहपुरा आदि में सोप स्टोन की उपलब्धता है। लाल पत्थर, पीला पत्थर पाया गया है झालावाड़ में, जैसलमेर में पाया गया है, हरा पत्थर हमारे डूंगरपुर और खैरवाड़ा, ऋषभदेवजी में है। इसी प्रकार के अन्य पत्थर हमारे यहां पाए गए हैं।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहां राजस्थान में उदयपुर में राक फास्फेट मिला है, सोप स्टोन भी बहुत है और भी कई प्रकार के मिनरल्स हैं जिन पर हमारी मोनोपाली है। राक फास्फेट निकालने में जो मैटेरियल वेस्ट होता है....।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय की सीमा है, आप विराजें।

श्री शांतिलाल चपलोत : खानेज मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों टन ओवर बर्डन पड़ा हुआ है, उसमें 12-12 प्रतिशत का पी टू ओ फाइव राक फास्फेट का होगा, उसको आप अपग्रेड करके 32 और 30 प्रतिशत बनाएगें और उसकी मार्केटिंग करें। हमारे जो-जो माइन्स और मिनरल्स हैं उनकी हम मास्टर प्लान बनाएं कि अगले 20 साल में हम राजस्थान में इस प्रकार से इतनी खुदाई करना चाहते हैं। मान लो आपने ज्यादा खुदाई कर दी तो बहुत ज्यादा मैटेरियल वेस्ट हो गया और बाद में आपके पास डिपोजिट नहीं रहेंगे। इसलिए आपने साइन्टिफिक माइनिंग के लिए प्रयत्न करने चाहिए। साइन्टिफिक माइनिंग से मैटेरियल वेस्ट नहीं होता है।

आप बार-बार इशारा कर रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहता हूं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। आप इसकी चिन्ता न करें कि आप पर आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं, यह तो लगते ही रहते हैं, मर्दों पर ही लगेंगे, तांगे वाले पर कभी कोई आरोप नहीं लगाएगा, जो सक्षम होगा

उसी पर तो आरोप लगेंगे। इसलिए मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूरी मर्दानगी के साथ आगे आएं और सर्वजन हिताय, बहुजन सुखाय, सबके हित में, बहुजन के सुख में आप काम करें, इन्ही शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मुझे भी समय दीजिए।

श्री सभापति : विराजिए।

श्री तगाराम चौधरी : विराजने से क्या होगा ?

श्री सभापति : आपका नम्बर आएगा तब बुला देंगे।

श्री तगाराम चौधरी : मेरा नम्बर तो पहले आना चाहिए था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 42 उद्योग और 43 खनिज पर आपने मुझे चर्चा में शामिल होने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से राजस्थान में वर्तमान में उद्योगों की जो स्थिति है, वह चिन्तनीय है। हमारे राज्य के प्रवासी राजस्थानियों ने पड़ौसी राज्यों में अनेकों उद्योग स्थापित किए और उसके बूते पर उन राज्यों ने देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी नाम कमाया। जबकि हमारे राज्य में न तो संसाधनों की कमी है, न खनिज सम्पदा की लेकिन फिर भी सही दिशा में कार्य न होने के कारण आज हम औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं जबकि वे राज्य जो गत समय में प्राकृतिक आपदाओं के शिकार रहे फिर भी आज तरक्की कर रहे हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक छोटी सी घटना कितना बड़ा रूप ले लेती है, यह उदाहरण है, इस बात से सम्बन्धित नहीं है। कोटा जिला और शहर में एक छोटी सी कोचिंग इन्स्टीट्यूट की शुरूआत ने बढ़ते-बढ़ते यह

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

रूप ले लिया कि आज राजस्थान के कोने-कोने से छात्र-छात्रा वहां कोचिंग के लिए जाते हैं और उनके द्वारा ले जाई गई राशि करीब 250 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष वहां पहुंचती है और खर्च होती है जिसके बूते पर कोटा जिले का सर्वांगीण विकास हो रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि स्थानीय स्तर पर संसाधनों का सही उपयोग करें तो हमारे राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण जो कष्टकर जीवन हमारे आम जन को जीना पड़ता है उसमें सुधार आ सकता है। मैं अपनी बात को संक्षेप में व्यक्त करता हुआ निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर जिले के लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। उस जिले में बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनका विकास यदि सही दिशा में हो तो उस जिले की तरक्की हो सकती है। आज ऊन का बहुत बड़ा व्यवसाय बीकानेर जिले में होता है।

उस ऊन की बदौलत उत्तर प्रदेश का भदौई और मिर्जापुर तरक्की करके विश्व में अपना नाम अर्जित कर चुके हैं। यदि जो प्रोसेस यूनिट गत समय में बीकानेर में लगी, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन की चर्चा गत समय में चल रही थी अगर वहां पर माननीय मंत्री महोदय अपने प्रयासों से स्थापित करें तो निश्चित रूप से ऊन से सम्बन्धित उसके उत्पाद वहां पर तैयार हो सके और एक्सपोर्ट हो सके जिससे हमारे जिले का नाम रोशन हो सके और वहां की स्थिति में सुधार आ सके, चाहे वो कारपेट उद्योग की बात करें, चाहे हम ब्लेंकेट्स की बात करें या उससे जुड़े हुए अन्य किसी और उत्पाद की बात करें। इसी के साथ-साथ वहां की छोटी-छोटी चीजें जो बड़ी मशहूर हैं भुजिया, पापड़ इस तरह के उत्पाद हैं जो दुनिया भर में पसन्द किये जाते हैं और जो वर्तमान में उत्पादन हो रहा है वह इतना आर्गेनाइज्ड सैक्टर के हाथ में नहीं है, कुछ लोग हैं जो आर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे वहां के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसी के साथ-साथ जिस प्रकार से वहां पर जिप्सम की उपलब्धता है, क्ले की उपलब्धता है, जो सिरेमिक यूनिट्स वहां पर लगी हुई हैं उनको और

सुविधाएं वहां पर मिले तो जिस प्रकार से आज गुजरात राज्य सिरेमिक इंडस्ट्री के अन्दर अपना नाम रखता है, आने वाले समय में सही दिशा में कार्य हो तो बीकानेर जिला और राजस्थान राज्य इस उद्योग में भी अग्रणी हो सकता है।

आज जिप्सम का खनन तो हो रहा है, जिप्सम के खनन के बाद में पाउडर बनाने की यूनिट्स भी बहुत लग रही हैं, लेकिन वो आर्गेनाइज्ड वे में अभी नहीं लग रही हैं, मैं इस ओर भी माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि वे इस ओर अपना ध्यान दें।

इसी के साथ-साथ बार-बार एक चर्चा चलती रही है, ~~हमारे~~ यहां पर गत समय में तेल की प्राप्ति रही और उसके साथ-साथ रिफाइनरी की स्थापना की बात भी बार-बार उठी। इसी सम्बन्ध में लूणकरणसर के आसपास के क्षेत्र को चिन्हित किया गया हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से और वहां पर भी रिफाइनरी लगायी जाए इस बात का अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि वो स्थान सुविधाजनक है। अगर वहां पर रिफाइनरी लगे क्योंकि वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी स्थिति है, उनकी पानी की आपूर्ति भी वहां पर होती है और इसी के साथ-साथ जहां आगे ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए उसके भी मार्ग में वह स्थान आता है। मेरे लिए खुशी की बात हैं कि उद्योग मंत्री महोदय का गृह जिला बीकानेर है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं... मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को अभी उठाया भी था कि राज्य में 3 पैट्रोलियम कम्पनियां हैं जो यहां पर रिफाइनरी लगाना चाहती हैं (व्यवधान) ऐसे में माननीय मंत्री महोदय अपना प्रयास करें तो जिले की जो कठोर परिस्थितियां हैं उनके निराकरण में सहायक सिद्व होगा, इतना बड़ा उद्योग स्थापित होने से वहां की सम्पन्नता बढ़ेगी।

इसी के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खनिज की वहां पर हमारे जिले में यह स्थिति है कि जिप्सम के अतुल भण्डार हैं, लेकिन जिप्सम का अवैध खनन अधिक हो रहा है और राज्य को जो इससे आय होनी चाहिए वह आय तो दूर की बात है लेकिन हमें इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

उसकी ओर हमें मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हर जगह पर जहां कहीं पर इल्लिगल माइनिंग हो रही है उसको पाउडर बनाने के प्रोसेस में पकाने के लिए जो यूनिट लगी हुई हैं उनमें वनों की अवैध कटाई हो रही है, जंगल के जंगल भेट चढ रहे हैं यह भी एक चिन्तनीय विषय है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो पालिसी वर्तमान में बनायी जा रही है उसके तहत खानों के आबंटन की प्रक्रिया शुरू की जाए और स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे माइनिंग आनर्स को भी इसके अन्दर हम प्रोत्साहन दें तो निश्चित रूप से यह हमारे जिले के विकास के लिए उचित कदम होगा। आज अन्य उद्योगों के साथ-साथ बीकानेर जिले में मीनाकारी का कार्य भी बहुत अधिक होता है। यदि हम इसका भी ध्यान देकर ज्यादा प्रोत्साहित करें तो निश्चित रूप से उचित कदम होगा। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री सुभाष चन्द्र शर्मा। आप 5 मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : आप कहेंगे तो 3 मिनट में ही कर दूंगा। मांग संख्या 42 और 43 उद्योग और खनिज के ऊपर मैं अपनी बात आपके सम्मुख रखते हुए आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में उद्योगों को जिस प्रकार से आपने बढ़ावा दिया है और आपने आने के बाद में जिस प्रकार से पालिसी तय करके बड़े और मझोले उद्योगों को बढ़ाने की योजना बनायी है मैं निश्चित रूप से आपको इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं और आपके उन प्रयासों का धन्यवाद करता हूं जिससे आप इस कोशिश में लगे कि राजस्थान में और उद्योग लगें और उद्योगों को बढ़ावा मिले। इस सम्बन्ध में मैं आपसे थोड़ा और निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो राजस्थान छोड़कर बाहर रह रहे हैं, राजस्थान में आकर उद्योग लगाना चाहते हैं, राजस्थान के उद्योग जगत के इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन सरकार को पालिसी तय करनी चाहिए कि उनको यहां पर जो सुविधाएं वे चाहते हैं वे सुविधाएं उनको मिले और उन सुविधाओं के आधार पर वे यहां आकर राजस्थान में उद्योग स्थापित कर सकें।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

कई जगह जब हम बाहर गये और वहां पर जो उद्योगपति मिले, उनसे जो बातें सुनने को मिलीं, पिछली सरकार के समय जब उनको बुलाकर यहां जो मीटिंग रखी गई थीं और उस मीटिंग में जो बातें उनके सामने रखी गई थीं और जो सुविधाएं देने की बात की गई थीं और जब बहुत सारे उद्योगपतियों ने यहां आकर उद्योगों के लिए प्रार्थना-पत्र दिये लेकिन उन सारे प्रार्थना-पत्रों की निस्तारण की प्रक्रिया को ठीक करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सरकारों की मन की इच्छा होती है, आवश्यकता इस बात की है कि जब आप प्रशासनिक तंत्र में यह सुधार नहीं करेंगे तब तक आप के यहां उद्योग नहीं पनप पाएंगे।

अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने एकल खिड़की योजना की बात कही। मैं निवेदन करना चाहूंगा एक उद्योगपति जब अपना प्रार्थना-पत्र यहां पर देता है तब से लेकर उसकी स्वीकृति मिलने तक कई महीने और साल लग जाते हैं और उसको उद्योग की परमिशन उसको नहीं मिल पाती है। आखिर वह थक-हारकर 10-20 लाख रुपये खर्च करके वापस अपने यहां पलायन कर जाता है। इसलिए मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए निःसन्देह आपको प्लेटफार्म देना पड़ेगा। जब तक आप वो प्लेटफार्म नहीं देंगे तब तक राजस्थान में उद्योग नहीं पनप पाएंगे और राजस्थान में उद्योग नहीं पनपेंगे तो लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पाएगा।

इसी के साथ दूसरा पहलू मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की विपुल सम्भावनाएं हैं उद्योगों के माध्यम से जो छोटे-छोटे उद्योग लगाकर उनको दे सकते हैं। माननीय उद्योग मंत्रीजी, राजस्थान के अन्दर छोटे-छोटे उद्योग हैं, चमडे का काम है, दरी बुनाई का काम है, गलीचे बुनाई का काम हैं, जूते बनाने का काम है, शहद का काम है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आम आदमी को हम गांव में जोड़ सकते हैं। मेरे कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों की महिलाएं हैं जो दरी बनाने का काम अपने घर में बहुत बढ़िया तरीके से कर सकती हैं, लेकिन उनके पास न तो मैटेरियल सप्लाई का साधन है, न उनके पास मैटेरियल बनाने के बाद विपणन की

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

व्यवस्था है और वो उस कारीगरी को अपने यहां तक सीमित रखकर अपने जीवन को और उस चीज को वे खतम कर लेती हैं। महिलाओं को इतना बड़ा रोजगार इसमें मिल सकता है। मेरे क्षेत्र में और बराबर में बैराठ विधान सभा क्षेत्र के गांवों में मूर्तिकला का, छितौली के अन्दर बहुत बड़ा उद्योग है, जमुवारामगढ में है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। इससे बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शहद के लिए मधुमक्खी पालन का इतना बढ़िया तंत्र स्थापित किया जा सकता है कि राजस्थान में आने वाले समय में इसकी बहुत विपुल सम्भावना है। पंजाब और हरियाणा में जिस प्रकार से राज्य सरकारों ने इन उद्योगों में जो मदद की है, इन उद्योगों की जो सहायता की है उसके माध्यम से आम आदमी को फायदा मिला है। आज उसके लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वहां से 100 खांचे लेकर आता है और वो आदमी एक साल के अन्दर एक-डेढ़ लाख रुपये का शहद बेचकर अपने परिवार की जीविका चला सकता हैं। क्यों नहीं हम ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देते, क्यों नहीं हम राजस्थान में इस प्रकार के लोगों को उसके साथ जोड़ने की बात करते 9 ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के रोजगार की बहुत विपुल सम्भावनाएं हैं। माननीय मंत्री महोदय, निश्चित रूप से आपको पालिसी बनानी पड़ेगी। आज प्रधान मंत्री रोजगार योजना की जो बात हो रही थी, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बात में, यह आपने अपने प्रश्न के जवाब में भी कही, केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं और केन्द्र सरकार की योजनाओं में बैंकों के द्वारा की जा रही प्रताड़ना और बैंकों के द्वारा किये जा रहे शोषण के मामले में अपन कुछ नहीं कर सकते लेकिन क्या राज्य सरकार जिन बैंकों में पैसा जमा कराती है, राज्य सरकार का धन जिन बैंकों में पड़ा रहता है, क्या राज्य सरकार उन बैंकों के ऊपर पाबन्दी नहीं लगा सकती कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना में होने वाले भ्रष्टाचार को वह रोक सके, किस प्रकार से हमारे बेरोजगार भाइयों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं और आज गांवों में अगर आप जाकर देखेंगे और गांवों में उन बेरोजगार भाइयों के जिनके 20-20 फार्म आप बैंकों में

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

भेजकर और आप उनको रोजगार देने की बात करते हैं, आप अगर उनको बुलाकर और उनसे सारी बात पूछेंगे तो वह सारा चिट्ठा खोलकर बता देंगें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बात के लिए कि कब करेगी सरकार यह निर्णय ? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। केन्द्र सरकार को आप लिखें वह अलग प्रक्रिया है लेकिन अपने स्तर पर भी आप इसमें कार्यवाही कर सकते हैं, जो डिपोजिट आप उन बैंकों को दे रहे हैं, जो बैंक आपको को-आपरेट नहीं कर रहे हैं, आप निसंदेह उसकी डिपोजिट रोककर किसी दूसरे बैंक को आप देने की व्यवस्था कर सकते हैं, आपको करना चाहिए इस बात के लिए, एक आदमी रोजगार की तलाश में जयपुर चलकर या जिला हैडकवार्टर पर चलकर जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से वह जब काम करने की बात करते हैं, फार्म भरता है वहां तक उसके कम से कम एक हजार रुपये खर्चा हो जाता है और वापस उसको 6 महीने के अन्दर प्रधान मंत्री रोजगार योजना का पैसा बैंक से मिलता है तो बैंकों में यह चीज तय हो जाती है सब्सिडी जो दी जा रही है, सब्सिडी में पहले तय कर दिया जाता है कि अगर सात हजार की सब्सिडी दी जा रही है तो विभिन्न स्तरों पर वह सब्सिडी का पैसा उन बैंकों के या बीच में जो लोग हैं वह अपना तय करके उससे ले लेते हैं तो वह स्वीकृति हो जाती है वरना नहीं हो पाती है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रक्रिया को सरलीकृत करिए और आम आदमी को उससे जोड़कर और आम आदमी की जरूरत के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाइए, निःसन्देह राजस्थान के अन्दर एक बहुत बड़ी बहबूदी आ सकती है और जो आपकी सरकार ने जिस प्रकार से एक साल में एक लाख दो लाख रोजगार देने की बात कही हैं, मैं कहता हूं अगर ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोगों को उसके साथ जोड़ा जाएगा तो निःसन्देह आप एक साल में रोजाना अगर हर साल हर विधान सभा क्षेत्र में हर महीने में एक-एक मेला लगाकर आप 50 आदमियों को भी रोजगार देते एक-एक हजार आदमी महीने के अन्दर आपको रोजगार के साधनों की उपलब्धि होगी, आप उनको रोजगार दे सकते हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बात के लिए कि अपनी पालिसी

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

में आपके ग्रामीण क्षेत्र को इस तरीके से जोड़िए कि जहां बड़े उद्योग लगें, मध्यम दर्जे के उद्योग लगें उसके साथ-साथ हमारे ग्रामीण कुटीर उद्योग भी आगे बढें जिससे आम आदमी को, आम महिलाओं को, आम लोगों को हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। इसके अलावा खनिज के मामले में भी मैं दो मिनट मेरी बात कहना चाहूंगा। खनिज के क्षेत्र की बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, वन विभाग की मांग पर भी काफ़ी चर्चा हुई उस दिन भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने खनिज की बात कही, खनिज मंत्री हमारे बीच विराजमान है। खनिज मंत्रीजी, काम आप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन कई स्तरों पर देखने में यह आया, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा हैं और मैं तो मेरे क्षेत्र का ही आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अवैध खनन हो रहा हैं और अवैध खनन को जिस प्रकार से रोकने की प्रक्रिया आपने करने की कोशिश की है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इस बात के लिए कि राजस्थान में ऐसा कौन सा कारण आ गया कि पूरे राजस्थान में माननीय सदस्यों में से ज्यादातर लोगों ने इस अवैध खनन के मामले में बातें की, आप बाहर भी देखेंगे और, कही पर समाचार पत्रों में या मीडिया के माध्यम से आप देखेंगे तो हर जगह आपको यह बात मिलेगी और आपके रिकार्ड में बहुत सारी बात आई हुई हैं, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कई बार आपको निवेदन कर चुका, आपने खुद ने पत्र लिखकर सरकारी अधिकारियों को इसके लिए पाबन्द करने की कोशिश की लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता हैं इस बात के लिए माननीय मंत्री महोदय, आपका जो जवाब मेरे पास आया इस जवाब के अन्दर यह लिखा हैं कि कोटपूतली विधान सभा में कही भी अवैध खनन नहीं हो रहा हैं लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आप अभी मेरे साथ चलिए, कितना अवैध खनन पकड़ना चाहते हैं, मैं पकडवाता हूं। मैं नहीं चाह रहा था इस बात को इस तरीके से कहने का लेकिन लम्बे समय तक जब यह बात चलती रहती हैं इसका मतलब या तो अधिकारी आपकी नहीं मान रहे और या फिर आप लोग उनके ऊपर यह कार्यवाही करने के लिए ढिलाई बरत रहे हैं। कोई न कोई कारण है इसमें। इतने सारे लोग क्षेत्र मे जहां कम से कम 15

जगह से ज्यादा 20 जगह से ज्यादा अवैध खनन चल रहा हो, कौन सी चौकी आपने स्थापित की, कितने लोगों की आपने पैनल्टी काटी, कितने लोगों की आज तक कम्पाउंडिंग की। जब आपने एक रसीद और जवाब में यह दे दिया कि जी नहीं, कोई अवैध खनन नहीं है तो आपने एक भी भी पैनल्टी किसी आदमी की नहीं काटी, इसका मतलब आपके भ्रष्टाचारी अधिकारी उस अवैध खनन में लिप्त होकर और किस प्रकार से वहां सरकार को चूना लगा रहे हैं, किस प्रकार से सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका ध्यान नहीं कर रहे हैं आप। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2002 से जो प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं वह आज भी लम्बित हैं और क्या कारण आ गया कि वर्ष 2003 के प्रार्थना-पत्र जिसमें हरियाणा और गुडगांवा के लोगों ने आकर यहां पर खान की लीज ले ली और 2002 से लम्बित पड़े हैं क्यों नहीं आज तक उन 2002 के फार्मों को आज तक इन्होंने निस्तारण किया, इसका मतलब अवैध खनन यह बढ़ावा देना चाह रहे हैं इनके अधिकारी चाहते हैं और इस बात के लिए कि इन फाइलों का निस्तारण नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में अवैध खनन चलता रहे। माननीय मंत्री महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके काम करने की योग्यता में कोई कमी नहीं है और आपकी दृढ इच्छाशक्ति है, निःसन्देह यदि काम करना चाहते हैं लेकिन जब तक जो नीचे काम करने वाले अधिकारी हैं उनके ऊपर आपका कन्ट्रोल नहीं होगा, आपने यहां पर कह दिया कि काम की अकाउंटेबिलिटी मैं फिक्स करूंगा और फिर उसके बावजूद आपके अधिकारी अगर आपको अंधेरे में रखकर इस प्रकार के जवाब इस पवित्र सदन में दिलवा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह इस प्रदेश के साथ बहुत बड़ी बात होगी।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : मैं आपका ध्यान इसी ओर आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में ऐसे गरीब लोग जो मजदूरी करके जिनको ये खनन करने वाले लोग मजदूरी पर ले जाते हैं उन लोगों को, उन मजदूरों के माननीय सभापति महोदय, दो-दो, ढाई-ढाई हजार रुपये की

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

रसीदें काट दी गई और जो अवैध खनन करने वाले हैं वह मौज मार रहे हैं, वह आनन्द कर रहे हैं और पैसा लुटा रहे हैं वह माल निकाल रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं, हज़ारों ट्रक महीने के अन्दर निकल कर वह जा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहन लाल गुप्ता।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : आप उन गरीब लोगों को जिनके दो-दो, ढ़ाई ढ़ाई हजार रुपये की पर्चियां काटी हैं, मैं आपको प्रमाण सहित दूंगा, आप कम से कम उसकी जांच करवाकर उन सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें कि मजदूर आदमी जिसके घर में ट्रक नहीं, जिसके घर में साधन नहीं जो फावडा लेकर मजदूरी करने के लिए उस ट्रक पर बैठकर वह ले जाते हैं उसकी तो दो हजार ढ़ाई हजार की पर्चियां काट दी और जो ठेकेदार हैं जो माल निकाल रहे हैं, जो सरकार को चूना लगा रहे हैं और अधिकारी वहां के जयपुर से लेकर वहां तक बैठे हुए हैं वह नि:सन्देह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं चाहूंगा इस बात के लिए कि आपकी योग्यता और आपकी एफिशिएंसी इस बात में भी होगी कि आप उन अधिकारियों के खिलाफ जब तक कार्यवाही नहीं करेंगे नि:सन्देह आपका जो प्रयास है और आपका यह जो भागीरथ प्रयास है, इस प्रदेश के अन्दर जो लाना चाहते हैं वह सफल ये नहीं होने देंगे और मैं उम्मीद करता हूं इस बात के लिए आपने इस पद पर आने के बाद जिस प्रकार से काम करने का जो मानस दिखाया है, नि:सन्देह आप उसको पूरा करेंगे और माननीय मुख्य मंत्री ने आपके ऊपर जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर आप पूरा उतर पाएंगे। इसी भावना और इसी विश्वास के साथ माननीय उद्योग मंत्री से मैं पुन: यह निवेदन करते हुए कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कुटीर उद्योगों में आप अपनी पालिसी तय करें। माननीय मंत्रीजी, आप तजुर्बेकार आदमी हैं, लम्बे समय से आपका जीवन आम आदमी से जुड़ा हुआ है और आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति है।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहन लाल गुप्ता।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : आप गरीबों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं निःसन्देह आप यह पालिसी तय करके और उन गरीबों को कुटीर उद्योगों से जोड़ेंगे, इसी भावना और इसी विश्वास के साथ, माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-42 और 43 के समर्थन में अपनी बात कुछ कहना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान ....

श्री सभापति : जो आपके सुझाव हैं वह बता दें आप, लम्बा चौड़ा नहीं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया आप जो कह रहे हो। मैं बैठ जाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति : भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : बोलने दो मेरे को।

श्री सभापति : हां, बोलें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : राजस्थान भामाशाहों की भूमि है, राजस्थान उद्योगपतियों की भूमि है, राजस्थान ऐसी भूमि है जहां जिसने व्यापार और उद्योगपति पैदा किये हैं, उन्होंने जाकर बाहर झंडे गाड़े हैं। राजस्थान ने औद्योगिक विकास में बहुत सहयोग किया है तो आखिर क्या कारण है कि जिसके कारण से हमारा राजस्थान औद्योगिक विकास में पीछे रहा है। उसका मुख्य कारण है उद्योग में एक इण्डस्ट्रीज यदि यह लगाते हैं तो मुख्य कारण यह है कि इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए मैन पावर चाहिए, मैटेरियल चाहिए, मनी चाहिए, मोरल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर चाहिए। उसी के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पावर चाहिए, आयल चाहिए, रोड्स चाहिए और पोर्ट्स चाहिए। ये सब हमारे राजस्थान में उपलब्ध हैं। ये सब यदि हम स्पेसिफिक योजना बनाएं, मैंन मैटेरियल, मनी, मोरल ये इण्डस्ट्रीज में जरूरी हैं लेकिन हमारे यहां उन आदमियों को छांटने की जरूरत है कि हमारा उद्योगपति

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

स्पेशलाइज कौन-कौन से फील्ड में कौन-कौन सा उद्योगपति है और वह क्या काम कर सकता हैं। बीकानेर में ऊन का उद्योग स्थापित हो सकता है, सिकंदरा में स्टोन का उद्योग स्थापित हो सकता है, बूंदी में चावल का हो सकता हैं, अलवर में मत्स्य का हो सकता है, मकराना में मार्बल का हो सकता है। वन क्षेत्र है वहां बांस, बीड़ी, पत्तल-दोने का काम हो सकता हैं, गंगानगर में शुगर मिल और एग्रो फूड बेस काम हो सकता है, बीकानेर में जिप्सम का काम हो सकता है, नीमराना में एक्सपोर्ट पार्क का काम हो सकता है, जयपुर से गुड़गांव तक उद्योग, शिक्षा, परिवहन का व्यवसाय हो सकता हैं, जोधपुर में हैण्डीक्राफ्ट का काम हो सकता हैं, भीलवाड़ा में, किशनगढ़ में कपड़ा और पावरलुम का काम हो सकता हैं, सांभर में नमक का काम हो सकता हैं। विभिन्न जो हमारे क्षेत्र हैं, विभिन्न हमारे जिले हैं उनमें विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित हो सकते है। आवश्यकता है वह उद्योगपतियों को छांटने की। ये बाहर नहीं मिलेंगे उद्योगपति, राजस्थान के बाहर नहीं मिलेंगे, भारत के बाहर नहीं मिलेंगे। हमारी अगर पॉलिसी सही होगी तो हमारे यहां का जो उद्योगपति काम कर रहा है उसको आवश्यक सुविधाएं देने की आवश्यकता है, उसको छांटने की आवश्यकता कि वो किस उद्योग में है और वह कहां जाकर के कितनी रिस्क लेकर के किस क्षेत्र में जाकर के अपना उत्पादन कर सकता है। जहां मैटेरियल है उसको भी हमको देखने की आवश्यकता है। मैंनें बताया है कि ऊन जहां है, चावल जहां है, विभिन्न प्रकार के रा मैटेरियल है उनका भी हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, उनको उद्योगपति को क्रय करने का बताये और वहां यह जो सुविधा मैटेरियल की है वह भी उनको दें।

इसी के साथ आर.एफ.सी., रीको जिस प्रकार से लोन उपलब्ध करा रहे हैं उसमें लोगों को असुविधा होती है वहां जाने-आने में। एकल खिड़की योजना का कितने लोगों ने लाभ उठाया ? आखिर प्रत्येक उद्योगपति को चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उसको एकल खिड़की के तहत सारी सुविधा मिलनी चाहिए। उसको जमीन के लिए अलग चक्कर काटना पड़े, उसको पावर के लिए

अलग चक्कर काटना पड़े, उसको रा मैटेरियल के लिए अलग चक्कर काटना पड़े, उसको विभिन्न प्रकार की बैंको की सुविधा लेने के लिए अलग चक्कर काटना पड़े, बर्किंग कैपिटल के लिए अलग से लोन लेना पड़े, फिक्स कैपिटल के लिए अलग से लोन लेना पड़े, मशीनरी के लिए कहीं उधर जाना पड़े, आयात यदि वह करता है तो निर्यात ड्यूटी घटाने के लिए उसकी सुविधा प्राप्त करने के लिए उसको इम्पोर्ट डिपार्टमेंट जाना पड़े, विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट में जाकर के चक्कर खाते-खाते जूते घिस जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह बड़े उद्योगपति की बात नहीं हैं, यह छोटे उद्योगपति, छोटे-छोटे लोग प्रधान मंत्री रोजगार योजना के नाम पर बैंकों के चक्कर खाने पड़ते है। अपनी टैक्नीकल रिपोर्ट देनी पड़ती है। विभिन्न प्रकार की चीजें उनको देनी पड़ती हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि एकल खिड़की योजना एकमात्र उपाय है जिसके तहत चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको सारी सुविधा वहां मिले तो राजस्थान का निश्चित रूप से औद्योगिक विकास हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उद्योग यदि बढ़ेंगे तो हमारे रोजगार के साधन भी बढेंगे, उद्योग यदि बढ़ेंगे तो विभिन्न प्रकार के टैक्स भी राजस्थान गवर्नमेंट को प्राप्त हो सकेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से इस बजट में एक लाख रोजगार के नये अवसर देने की घोषणा की है उसका मैं स्वागत करता हूं। नालेज कारीडोर और नालेज पार्क की स्थापना की घोषणा की है उसका मैं स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, किशनगढ़ में मार्बल कलस्टर की स्थापना के लिए 37 करोड़ रुपये इस बजट में दिये हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, खादी और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में 4 करोड़ की जगह 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आखिर खादी के माध्यम से 9 करोड़ रुपये की सहायता हमारे उद्योगपतियों को मिलेगी, उसका मैं स्वागत करता हूं।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

माननीय सभापति महोदय, कैथून में कोटा डोरिया का क्लस्टर, तलवाड़ा में पत्थर की मूर्ति का क्लस्टर, बानसूर में चर्म रंगाई का कलस्टर सिकन्दरा में स्टोन पार्क, बीकानेर में सिरेमिक सैण्टर, इनकी घोषणा की गई है उसका मैं स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मार्बल और कोटा स्टोन उद्योग में 14 प्रतिशत से 9 प्रतिशत, कुम्हारों को ईंट बनाने में कर मुक्ति की घोषणा की है। मकान की इण्डस्ट्री हैं उसमें इस बजट में 14 प्रतिशत से 9 प्रतिशत टैक्स की जो घोषणा की हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। आखिर यह बड़ी इण्डस्ट्री है। मकान बनाने की भी इण्डस्ट्री हैं। हजारों-लाखों को मकान चाहिए। उसमें उद्योगपति इण्डस्ट्रियलिस्ट अपना इन्वेस्टमेंट करे तो निश्चित रूप से काफी लोगों को मकान भी मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसमें बजट में जो घोषणा की गई टैक्स कमी की उसका मैं स्वागत करता हूं। पैकिंग मैंटेरियल बहुत बड़ी इण्डस्ट्री हैं। आज सब जगह पैकिंग की आवश्यकता हैं। पैकिंग मैंटेरियल के लिए जो पांच प्रतिशत से चार प्रतिशत की घोषणा की हैं, वास्तव में इस पैकिंग मैंटेरियल इण्डस्ट्री को बढ़ावा देने का एक अच्छा कदम हैं। पत्थर के व्यवसाय में स्टोन स्लरी को पूर्णतः कर मुक्त किया हैं इसका मैं स्वागत करता हूं। वास्तव में इससे पत्थर व्यवसाय को बहुत फायदा मिलेगा।

कागज और जूट के बैग को पूर्णतः कर से मुक्त कर दिया गया। आज हम प्लास्टिक के बैग ले जा रहे हैं। कागज और जूट के बैग को पूर्णतः कर से मुक्त किया है, वास्तव में यह बहुत अच्छी घोषणा है। मैं समझता हूं कि ये घोषणाएं जो बजट में की गई हैं वो बहुत ही अच्छी घोषणाएं हैं। इनके तहत हमारे राजस्थान में उद्योगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज हम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान का विकास कांग्रेस ने नहीं किया, राजस्थान का विकास बी.जे.पी. ने नहीं किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि न कांग्रेस करेगी, न बी.जे.पी. विकास करेगी, हम सब लोग मिलकर के यदि राजस्थान का विकास करना चाहेंगे, राजस्थान में उद्योगों का विकास करना

चाहेंगे तो उसके लिए एक चिन्तन करना पड़ेगा, एक सोची समझी रणनीति बनानी पड़ेगी, एक सोची समझी योजना बनानी पड़ेगी, उद्योगपतियों को गले लगाना पड़ेगा। उनको दर-दर की ठोकरें खाने के लिए कई विभागों में नहीं छोड़ना पड़ेगा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं आंकड़े देख रहा था, सभापति महोदय, बड़े विचित्र आंकड़े हैं। सन् 2003-04 की तुलना में हमारा औद्योगिक उत्पादन घी का 22 प्रतिशत बढ़ा, दूध का तीन प्रतिशत बढ़ा, चावल का 150 प्रतिशत बढ़ा, दलहन का 10 प्रतिशत बढ़ा लेकिन खाद्य तेल का माइनस छह प्रतिशत हुआ, इसके अलावा खल का माइनस दस प्रतिशत हुआ, स्प्रिट का माइनस चौदह प्रतिशत हुआ, सूती कपड़े का उत्पादन माइनस पचास प्रतिशत कम हुआ। आखिर क्या कारण हैं कि सूती कपड़े का उत्पादन हमारे कम हुआ ? मैं उद्योग मंत्रीजी से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि सूती कपड़े का उत्पादन हमारा कम क्यों हुआ। इसी के साथ-साथ काटन का 93.75 प्रतिशत कम हुआ। सूती धागे का 42.53 प्रतिशत कम हुआ और मैं कहना चाहता हूं कि यूरिया का 11.29 प्रतिशत कम हुआ, सभी प्रकार की गैसों का 43.21 प्रतिशत कम हुआ, इंसुलेटर का 41.64 प्रतिशत कम हुआ, लाइम का 74.76 प्रतिशत कम हुआ। इसके साथ डेयरी मशीनरी उपकरण का 20 प्रतिशत बढ़ा, बाल बियरिंग का उत्पादन 11.47 प्रतिशत बढ़ा। मैं कहना चाहूंगा कि मोनोब्लाक 98 प्रतिशत कम हो गये।

श्री सभापति : अब आपके 10 मिनट हो गये हैं, विराजें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं यह कहना चाहूंगा कि पानी के मीटर 140 प्रतिशत बढ़े हैं, हड्डियों का चूरा 8 प्रतिशत कम हुआ है, बहुमूल्य पत्थरों का 35 प्रतिशत कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह कम उत्पादन या तो इन्होंने उत्पादन कम किया है या उनकी उत्पादन की मांग कम हो गई। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आखिर हमारे इस राजस्थान में इतनी सारी चीजों का उत्पादन हो रहा है.....

श्री संयम लोढ़ा : गुप्ताजी, आप तो जयपुर के महापौर रहे हो, आप तो इस पर बोलो कि राजस्थान में वैट लागू नहीं किया है, राजस्थान की इण्डस्ट्री पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप तो वो बताओ। आपसे तो यह सुनना है हमको।

श्री सभापति : सुनते रहो इनकी बातें। माननीय श्री तगाराम जी, आप विराजो। माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आखिर यह जो हमारे उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है, डेयरी का उत्पादन काफी बढ़ गया। दो करोड़ टन दूध हमारे...

श्री सभापति : माननीय तगारामजी। विराजो।

श्री मोहन लाल गुप्ता : ....यहां डेयरी से सम्बन्धित उद्योग हमारे खूब लग सकते हैं।

श्री सभापति : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : डेयरी से सम्बन्धित उद्योग हमारे काफी लग सकते हैं। डेयरी का उत्पादन खूब बढ़ा है। घी, दूध, मक्खन, आइसक्रीम, चाकलेट्स, कन्फेक्शनरीज, ये खूब बढ़ सकते हैं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आखिर इस क्षेत्र में उत्पादन की बहुत आवश्यकता है। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर और जयपुर शहर के आसपास में जो उद्योग लगे हुए हैं उनमें काटेज इण्डस्ट्री, ज्वैलरी, हैण्डीक्राफ्ट, मार्बल की मूर्ति का काम करने वाले और विभिन्न प्रकार की सांगानेर और बगरू की छपाई का काम करने वाले, चांदी और सोने का काम करने वाले लोग काफी मात्रा में जयपुर शहर में काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जयपुर में इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए, इनको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। किसी भी शहर में चले जाइये, ज्वैलरी का एक बहुत बड़ा हब बना हुआ है। पहले जौहरियों के यहां विदेशों से व्यापारी खरीदने के लिए आते

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

थे। कभी यह सुनते थे कि आज यह व्यापारी आया है, आज यह व्यापारी आया है, विदेशों का व्यापारी उतर रहा है और माल खरीदकर यहां से जा रहा हैं लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गई है। यहां का जवाहरात का व्यंवसायी यहां का प्रोडक्शन ले जाकर के बाहर बेच रहा हैं और बाहर वह दर-दर की ठोकरें खा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि यहां वर्ल्ड सैण्टर स्थापित हो, ज्वैलरी ब्यूरो स्थापित हो, यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड सैण्टर की स्थापना हो, यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शनी का स्थल बने तो हजारों-लाखों लोग बाहर से प्रदर्शनी देखने के लिए यहां आ सकते हैं, यहां का हैण्डीक्राफ्ट और ज्वैलरी का प्रोडक्शन देखने के लिए आ सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री तगारामजी चौधरी।

श्री मोहन लाल गुप्ता : तो उनके लिए वर्ल्ड ट्रेड सैण्टर और ज्वैल्स ब्यूरो की स्थापना हो। माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में कहना चाहता हूं कि बगरू और सांगानेर का उद्योग, यह एक बहुत बड़ा उद्योग है। यहां के कपड़ा, यहां की चादरें और यहां का टैक्सटाइल ......

श्री सभापति : एक मिनट, माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। आखिर में इतनी तैयारी करके आते हैं और आप मुझे एक्सप्रेस गाड़ी की तरह, 100 की स्पीड से दौड़ाना चाहते हैं, यह बात मैं खतम नहीं करना चाहता। जयपुर के बगरू और सांगानेर.....

श्री सभापति : सभी माननीय सदस्य मेरे लिए बराबर हैं। सभी को 8-8 मिनट दिये हैं, आपको 12 मिनट दे दिये हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप भी जयपुर से परिचित हैं ......(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : राजधानी के माननीय सदस्यों के लिए समय की अलग से व्यवस्था करो साहब।

श्री सभापति : सभी के लिए यही व्यवस्था है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : नहीं, राजधानी की बात नहीं है। जयपुर में सांगानेर और बगरू बहुत बडा सेन्टर बन सकता है अभी आपने बजट में घोषणा की है कि हम यहां पर एप्रेल कलस्टर की स्थापना करेंगे। अप्रैल कलस्टर के साथ-साथ बगरू प्रिन्ट की चादर, सांगानेर प्रिन्ट की चादर और विभिन्न प्रकार की जो यहां टैक्सटाइल की चीज बनती हैं। आज सांगानेर उद्योग वालों को एक बहुत बडा खतरा है। वह यह कह रहे हैं कि हमको बाहर ले जायेंगे, प्रदूषण के नाम पर बाहर ले जायेंगे। मैं उद्योग मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने केवल 30 इकाइयों को चिन्हित किया है, केवल 30 इकाइयों को बाहर जाना पड़ेगा। बाकी छोटे-छोटे उद्योगों को और मझोले उद्योंगों के लिए आप लोगों ने जो घोषणा की है कि उनके द्वारा पानी दूषित नहीं हो रहा है। इस बात का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जयपुर शहर में मेरे क्षेत्र में मूर्तिकार बने हुए हैं। मूर्तियां विश्व में सारी जितनी भी जगह भगवान की मूर्तियां हैं, भगवान की सारी मूर्तियां हमारे क्षेत्र में हैं, किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में हैं और उनके लिए माननीय उद्योग मंत्री महोदय ने एक मूर्तिकार योजना की स्थापना की है। यहां पर मूर्तिकारों के लिए 250 प्लाट्स उन्होंने दिये हैं। मैं उद्योग मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि 1000 एप्लीकेशन्स हमारे पास पैंडिंग हैं। 1000 से ज्यादा आप उन लोगों के लिए उस योजना में एक्सेटेंशन करके उन मूर्तिकारों के लिए भी एक बहुत बड़ी योजना बनायें कि वहां पर कोई उनका क्राफ्ट सेन्टर हो, डिजाइन सेन्टर हो, उनका प्रशिक्षण केन्द्र हो, उनके खरीदने के लिए एक वेबसाइट हो और जो व्यापारी यहां खरीदने के लिए मूर्तियों के लिए आये, उनके लिए कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो कि उनको दर-दर की ठोकरें खानी नहीं पड़े और आर्टिस्टों से उन्हें अच्छी और सुन्दर भगवान की मूर्तियां उनको प्राप्त हो सके।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री तगारामजी चौधरी। प्लीज, अब आप विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : ज्वैलरी और हैण्डीक्राफ्ट के साथ-साथ.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूं कि आप विराजिये। आपको एक मिनट भी नहीं मिलेगा। माननीय श्री तगारामजी चौधरी।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि....

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या-42 उद्योग और मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अब आप खडे हो गये बीच में। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। प्लीज। दो मिनट में अपनी बात खतम करना चाहता हूं।

श्री सभापति : अब आप विराजिये। माननीय सदस्य, समय की सीमा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : जयपुर शहर में कागज का जो उद्योग है, कागज का उद्योग, है खादी ग्रामोद्योग की तरह जो कागज उद्योग है.......

श्री सभापति : ऐसा है माननीय सदस्य, सबसे ज्यादा समय आपने लिया है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आखिर सलीम कागजी जयपुर शहर के प्रसिद्ध आदमी हैं। और कागज की थैलियां, कागज के गते, बुक्स, कापियां, यह सब हमारे जयपुर शहर में बनती हैं। यह काटेज इण्डस्ट्री हैं माननीय सभापति महोदय, और इस कोटेज इण्डस्ट्री को बढ़ाने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने के लिए मैं अपने मन की बात नहीं बोलूंगा तो सभापति महोदय, उन्होंने मुझे वोट देकर भेजा हैं तो आखिर मुझे उनकी बात को कहना पड़ेगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री तगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, आप माननीय गुप्ताजी को विराजने का फरमायें।

श्री सभापति : तो आपको स्टार्ट ही वहां से करना चाहिए था। आप बिना भूमिका बनाये जयपुर की बात पर आ जाते।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आखिर उन उद्योगों को निश्चित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे यहां चूडियां भी बनती हैं। लाख के बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। छोटे हैण्डीक्राफ्टस के आइटम्स बनते हैं। आज जोधपुर में हैण्डीक्राफ्ट की स्थापना के लिए 28 करोड़ रुपये दिये गये। आज एस.ई. जैड अगर जयपुर में स्थापित हो जाये......

श्री तगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, बाड़मेर में कुटीर उद्योग......

श्री मोहन लाल गुप्ता : एस.ई. जैड अगर स्थापित हो जाये जयपुर में तो 2000 करोड़ रुपये का हैण्डीक्राफ्ट का जयपुर में फर्नीचर का एक्सपोर्ट है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हजारों-लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। तगारामजी, आप कृपया बैठें। मैं यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय, उद्योग मंत्रीजी, अपने बजट भाषण में जयपुर शहर में हैण्डीक्राफ्ट, ज्वैलरी, कागज, लाख, मूर्तिकला इत्यादि को प्रोत्साहन के लिए निश्चित रूप से घोषणा करेंगे। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद, जय भारत।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, आपकी मौजूदगी में किसानों पर अत्याचार हो रहा है।

श्री सभापति : माननीय श्री तगारामजी।

श्री तगाराम चौधरी : मैं आपकी अनुमति से, माननीय उद्योग मंत्रीजी, बाड़मेर में कुटीर उद्योग से लेकर और बड़े उद्योग तक के लिए निवेदन करना चाहूंगा। माननीय उद्योग मंत्रीजी, इनकी जानकारी के बारे में क्या कहूं, इनके महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, जी श्वसुर लगते हैं, वे कहीं बैठे-बैठे भी पूरा राजस्थान उनके ध्यान में हैं, उन्हीं से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है इसलिए

(श्री तगाराम चौधरी)

राजस्थान में कहां-कहां क्या उद्योग की सम्भावना है, वह तो इनसे छिपी हुई है नहीं। मैं विशेष रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में कुटीर उद्योगों की बहुत ही उपलब्धता है और आवश्यकता तो है ही परन्तु मैं शुरू करूं उन बुनकरों से जो अनुसूचित जाति कि हैं और बहुत अच्छी नौकार बुनते हैं। यह पूरे जिले में कहीं भी नौकार भेज दी जाये तो दुनिया में इसकी तारीफ होगी। इस प्रकार की नौकार कहीं बुनी नहीं जा सकती। वहां का नक्शी फर्नीचर मेरे अन्दाज में दुनिया में विख्यात है और रंगाई-छपाई भी बाड़मेर की बहुत अच्छी है और कशीदाकारी है, वह भी बाहर निर्यात होती है। इसलिए इस प्रकार के कुटीर उद्योगों को ज्यादा बल देने के लिए मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। एक मैंने पिछली बार भी आपको निवेदन किया था और आप बाड़मेर पधारे थे उद्योग मंत्री बनने के तुरन्त बाद मेरे यहां बायतू में, उस समय भी मेरे वहां पर एक नई बात विकसित हो सकती है रेशा। आग का अंकवाले का, खींप के अंकवाले का, सीणिया के अंकवाले का। मेरे यहां एक इस तरह का युवा हैं वह तैयार हुआ है भीमड़ा में, वह इस प्रकार का प्रयत्न कर रहा है और उनको सहयोग मिले तो वह नया आविष्कार होगा, उस क्षेत्र के लिए एक वरदान सिद्ध होगा जिसमें किसान को, गरीब जनता को और मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और एक नया कागज बनाने का या रेशा तैयार करने का अवसर मिलेगा , उसके लिए ध्यान दिया जाये और उद्योग अधिकारी को भी निर्देश प्रदान करावें कि इस तरह का उपयोग नया लग सकता है जिसकी खोज करके उनका सर्वे करके, उनको देखकर उन्हें प्रोत्साहन दिलाया जाये।

आज कवास के जिप्सम आधारित प्लास्टर आफ पेरिस की भी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, उनमें से आपकी पहले से कृपा है ही और खनिज मंत्री महोदय की भी उसमें कृपा चाहिए, वह है जिप्सम के बारे में आप दोनों का मिला-जुला प्रयास होगा तभी बात पार पड़ेगी। मोटे उद्योगों के लिए मैं निवेदन करूं, बाड़मेर जिले में भी खनिज हैं। वह कई जगह तो ऊपरी सतह पर हैं वह पहाड़ी

(श्री तगाराम चौधरी)

है जैसे मकराना हो चाहे कोटा का हो चाहे और कई जगहों का हों, वह तो ऊपर है लेकिन भूमिगत भी खनिज पदार्थ हैं, उसमें कोयला है, जिसको लिग्नाइट बोलते हैं या मुलतानी मिट्टी है या बेंटोनाइट है और सबसे मुख्य बात है वह अभी काला सोना निकला है, वह तो एक किलोमीटर से लेकर चार किलोमीटर की गहराई में निकल रहा है तो उन्हें भी उद्योग की आवश्यकता होगी।

बिजली के बारे में मैं निवेदन करूं, अभी गिरल में बहुत ही बिजली तैयार होने का कारखाना, एक इकाई अभी पूर्ण होने को है। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां पधारी थी चार अप्रैल को, उस समय उन्होंने हवाई सर्वेक्षण से निरीक्षण किया था और कपूरड़ी में लिग्नाइट भण्डार हैं, वह बहुत बडा भण्डार है, उससे भी आप और बिजली का कारखाना लगवायें जिससे कि बिजली की आवश्यकता पूरी होगी और बार-बार यह आवाज उठती हैं, बिजली वसुन्धराजी कितनी तैयार करेगी वहां तो मेरा निवेदन हैं कि एक और कारखाना आप लगायें। गिरल वाली भी आप दूसरी इकाई शुरू करवाकर यदि उसमें जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये तो वहां के लोगों को मजदूरी भी मिलेगी और उद्योग पनपेगा।

एक मुख्य बात है तैल की बात आती है कि कौन क्या कर रहा है। मैं यह कहूंगा,. "मिनख मिनख सब एक हैं मिनख मिनख मैं फेर। एक नगरी बसाय दे दूज्योडो खुद को घर देय बखेर।" मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि माननीय वसुन्धराजी जो हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री हैं, दूरदर्शी मुख्य मंत्री हैं, बहुत ही होनहार मुख्य मंत्री हैं और अभी जब आज मांगें पारित हो रही हैं, मंत्रीगण यहां विराजे हैं, एक दूसरे से बढ़-बढ़कर मंत्री हैं जिनकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है यह सब नेतृत्व का कमाल है। माननीय मुख्य मुत्री वसुन्धराजी राजे के नेतृत्व में उद्योग मंत्री, खनिज और वन मंत्री दोनों मंत्री आज यहां विराजमान हैं, इनकी कार्यकुशलता का भी कोई पार नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि अपन बजट पर अब विचार कर रहे हैं, सदन बजट पर

विचार कर रहा है, किस तरह से राशि एकत्रित की जाए और किस तरह से व्यय किया जाए, उसका मैं उदाहरण दूं। एक गृहिणी है जो सामान कम हो तो उसको बड़ा बनाकर, अच्छा बनाकर भी बहुत अच्छा खाना बना सकती है। और एक को दे दो तो वही उदाहरण होगा जो मैंने पहले दिया है। इसलिए इनकी करामात, इनकी सोचने की शक्ति माननीय वसुन्धरा राजेजी की, और इनकी हिम्मत, तो वह तो आप सब ने परिर्वतन यात्रा में ही देखी हैं पूरे राजस्थान में। उन आंधियों में, धूप में इन्होंने परवाह नहीं की और मेरे अन्दाज से दो सौ के दो सौ विधान सभा क्षेत्रों को छाना। मैं इतना आभारी हूं माननीय वसुन्धराजी का कि मेरे क्षेत्र में तो उन्होंने सबसे ज्यादा बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में समय दिया था। उस समय भी और फिर भी बार-बार वहां पधारने का बहुत उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री हरीसिंह रावत।

श्री तगाराम चौधरी : अभी शुरू ही तो किया है।

श्री सभापति : बहुत अच्छा बोले, धन्यवाद।

श्री तगाराम चौधरी : तेल की बात पूरे देश के हित में, पूरे देश को आगे बढ़ाने वाली है। राजस्थान को तो आगे बढ़ाएगी ही, परन्तु मैं निवेदन करूं कि यह सब कुछ हुआ है वह भगवान की और वसुन्धराजी जैसी लक्ष्मी देवी की, मैं तो कहूंगा दुर्गा, और क्या कहूं।

श्री सभापति : सब कुछ कह दिया आपने। अब विराजें।

श्री तगाराम चौधरी : लेकिन उनके पगफेरे के और शेरनी भी कहूंगा मैं तो उनके पगफेरे से उन लक्ष्मी के पगफेरे से यह भूमिगत तेल है वह बाहर आया और उसका कारण बताऊं आपको। मेरे को माननीय खनिज मंत्रीजी, पैट्रोलियम मंत्रीजी लक्ष्मीनारायणजी दवे साहब हैं उन्होंने और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि यह बहुत ही सुनहरा अवसर है और तेल निकल रहा है तो किसानों को यह कहा।

श्री सभापति : आप तगारामजी विराज जावें। प्लीज आप विराज जाएं। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप से आप विराज जाएं।

श्री तगाराम चौधरी : आज तो पांच मिनट तो लूंगा, आपको जो कहना है कहो।

श्री सभापति : आपको जो कहना हैं कह दिया।

श्री तगाराम चौधरी : पांच मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता और आप मेरे बीच में......

श्री सभापति : अब आप विराज जाएं।

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दो।

श्री तगाराम चौधरी : मैं अनुशासित हूं लेकिन आप मेरे को पांच मिनट तो दीजिए।

श्री सभापति : आपने दस मिनट ले लिये।

श्री तगाराम चौधरी : तो क्या हुआ था, तेल निकला इतने वर्ष क्यों नहीं निकला।

श्री सभापति : तेल निकल गया।

श्री तगाराम चौधरी : निकल नहीं गया, अभी और निकलेगा और आगे आप सुनिए। वह तेल निकलने में जमीन दी काश्तकारों ने वह एक बहुत अनोखी बात है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में यदि कोई मीठे पानी का क्षेत्र हैं जिसमें जीरा अधिक से अधिक पैदा होता है वह है जहां पर निकला था वह मंगला-1 और मंगला-1 निकलते ही भारत के पैट्रोलियम मंत्री और मुख्य मंत्री महोदया वहां पर पधारे और उन्होंने यही निर्देश दिया, वन मंत्री, उद्योग मंत्रीजी भी साथ में थे तो उन किसानों को मैंने प्रेरित किया कि यह एक सुनहरा मौका है और राजस्थान के लिए हमारे क्षेत्र के लिए यह एक सुनहरा अवसर है और इसे तेल की जो आवश्यकता है वह कम नहीं है और यहां पर तेल निकला यह

बड़ी खुशी की बात है इसलिए आप खुशी-खुशी से जमीन दीजिए वहां पर आप जाकर के देखो किसानों की जमीन है वह किराए पर तो क्या दे देवे एक बीघा भी कहीं बेचते नहीं है जिन्होंने दी तब जाकर के निकला। नहीं तो कोई यूं ही तेल निकल जाता तो फिर तेल निकला क्यों नहीं। पहले कई वर्षों तक कम्पनियां फिरी थीं और मैं कहूं......

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। माननीय श्री हरिसिंहजी रावत।

श्री तगाराम चौधरी : प्रतिपक्ष भी यह कह रहा है कि पहले से शुरू था, यह था लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कि माननीय लक्ष्मीनारायणजी दवे साहब वहां पर पधारे थे और मैंने निवेदन किया.....

श्री सभापति : आप स्टार्ट करें। आप विराजें माननीय तगारामजी।

श्री तगाराम चौधरी : उन किसानों को जमीन का किराया है वह दुगुना दिलाएं।

श्री सभापति : माननीय बाड़मेर से आने वाले सदस्य, मुझे मजबूर नहीं करें आप, विराजें।

श्री तगाराम चौधरी : मेरे पांच मिनट तो पूरे नहीं हुए।

श्री सभापति : कोई पांच मिनट नहीं, आप विराज जाएं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप विराज जाएं।

श्री तगाराम चौधरी : मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और खनिज मंत्री महोदय को रिफाइनरी खुलवाने के लिए और पूरे सदन को बधाई देता हूं कि उन्होंने सभी दलों को एक करके रिफाइनरी का वहां पर किया है बाड़मेर में। इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं वहां की जनता के लिए जिन लोगों ने खेत दिए जहां पर तेल निकल रहा है और बहुत निकल रहा है और वहां पर रिफाइनरी खोलने के लिए आप जो कृपा कर रहे हैं। सभी मिलकर के इसके लिए मैं आपको और

(श्री तगाराम चौधरी)

सदन को बधाई देता हूं और ज्यादा मुख्य मंत्री महोदय को देता हूं और वन, पर्यावरण, पैट्रोलियम, उद्योग सबको....

श्री सभापति : एक बार धन्यवाद दे दिया।

श्री तगाराम चौधरी : आप सबको मैं निमंत्रण देता हूं कि आप वहां पधारे और तेल कैसे निकल रहा है, कितना निकल रहा है वह दिखलाएं। मैं आपकी बहुत मिजमानी करूंगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) : सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और 43 पर मुझे बोलने के लिंए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, मैंने बचपन में पढा था अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि भारत एक भाषाओं का अजायबघर है वैसे ही मैं सोचता हूं कि राजस्थान भी हमारा खनिज का एक अजायबघर है। आज खनिज के मामले में हमारा जो राजस्थान प्रदेश है वह विश्व विख्यात है। इस खनिज की वजह से ही आज हमारे करोड़ों की आय होती है केवल खनिज के एक्सपोर्ट से होती हैं और इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में तो होता ही है। मैं सोचता हूं अगर इस खनिज का अपन अच्छी तरह विस्तार करें क्योंकि हर क्षेत्र में अलग-अलग टाइप के खनिज निकलते हैं। तो मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में जिस टाइप का खनिज मिलता है उसी टाइप के वहां कुटीर उद्योग लगाए जाएं या वहां ट्रेनिंग कैम्प लगाए जाएं तो मैं सोचता हूं कि जो बेरोजगारी है अपने यहां उस बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा और हर हाथ को जो काम और हर पेट को रोटी जो कांग्रेस के टाइम में इनका भाषण था वह अपन इसको पूरा कर सकते हैं।

जिस प्रकार स्विट्जरलैण्ड में आज हर घर में घड़ियों का विकास, हर टाइप के अलग-अलग पुर्जे बनाकर घड़ी बनती है उसी प्रकार आज अपने राजस्थान में खनिज का यदि सही ढंग से विकास किया जाए तो मैं सोचता हूं हमारे आस-पास में जो बेस है गांव में, जिलों में जाते हैं, बाहर प्रदेशों में जाते

(श्री हरीसिंह रावत)

हैं शायद वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में हर टाइप के जैसे आज कार्विंग स्टोन का काफी अच्छा धौलपुर और करौली में होता है। उसी प्रकार कोटा में कोटा स्टोन है, जालोर में ग्रेनाइट है और हमारे राजसमन्द में भी काफी मात्रा में मार्बल निकलता है स्लेट स्टोन, सैंड स्टोन भीलवाड़ा में तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार अपने यहां भी हर जगह ट्रेनिंग कैम्प लगाए जाएं रीको के हिसाब से तो एक लघु कुटीर उद्योग का काफी अच्छा विस्तार हो सकता है। तो एक लघु कुटीर उद्योग का काफी अच्छा विस्तार हो सकता है। मैं इसके सम्बन्ध में अपने जो उद्योग मंत्रीजी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भी रीको के माध्यम ये या रूडा के माध्यम से इसकी काफी विस्तृत इसका भी अपन विकास कर सकते हैं और हर क्षेत्र में या हर पंचायत वाइज इस टाइप का ऐसा कुटीर उद्योग का समावेश करें तों इससे भी काफी अच्छा रोजगार मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं विशेषकर जो हमारे राजसमन्द में मार्बल है उसके बारे में विशेष आपसे बात करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो मकराना के बाद राजसमन्द ही शायद मैं सोचता हूं कि राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्र होगा जहां से डेली कम से कम 4-5 सौ ट्रक लोड होकर जो एक बहुत बड़ी मंडी हो गयी है किशनगढ़ में आता है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि वहां पर भी जिस प्रकार स्लरी की एक समस्या पैदा हो रही है किशनगढ़ में उसी प्रकार हमारे वहां भी समस्या है तो मैं चाहूंगा कि जो छोटे-छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं उनको पनपाया जाए तो स्लरी डंपिंग की समस्या रही है उसका भी समाधान होगा और जो लघु कुटीर उद्योग की वजह से छोटे-छोटे लघु कुटीर उद्योग रोजगार वाले हैं उनको भी इसका रोजगार मिलेगा तो इसका खनिज मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो छोटे-छोटे टुकडे जो वेस्टेज जो जाते हैं उसके ऊपर रायल्टी कुछ न कुछ की जाए और वहां के जो लघु कुटीर उद्योग वाले हैं उनको इसको पनपाने के लिए योगदान दिया जाए तो यह छोटे-छोटे जो टुकडे होते हैं वेस्टेज होते हैं उससे कई टाइप के जो छोटे-छोटे

(श्री हरीसिंह रावत)

आइटम्स बनते हैं खिलौने बनते हैं या इस टाइप की मूर्तियां बनती हैं उसको प्रोत्साहित किया जाए तो मैं समझूंगा कि काफी अच्छा इसका विकास होगा। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में सल्फर का काफी मात्रा में भण्डार है और उस सल्फर का भी पूरा दोहन होकर आज महाराष्ट्र और गुजरात में जाता हैं तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका भी विस्तार के लिए हमारे वहों रीको इण्डस्ट्रियल की स्थापना की जाए तो जिससे क्या है कि वहां पर भी काफी फैक्ट्रियां लगेंगी और माल जो पूरा रा-मैटेरियल है जो महाराष्ट्र और गुजरात जो जाता है वो नही जाकर और हमारे क्षेत्र में ही इन फैक्ट्र्यों का अगर विकास होगा तो इस विकास के तहत जो पॉटरी फॉर्म का डवलपमेंट होगा साथ-साथ ही सैनेट्रीज का होगा, ग्लासवेयर्स का होगा तो इस प्रकार की फैक्ट्रियां अगर हमारे यहां लगेंगी तो हमारे रोजगार का भी काफी अच्छा साधन हो सकेगा और हमारे व्यक्तियों को जो आज बाहर प्रदेशों में जाते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सभापति महोदय, आज कुछ क्षेत्र वन क्षेत्र में पड़ते हैं वो वन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक भी पेड़ नहीं है। मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन क्षेत्रों को भी आप वन विभाग से निकाल कर उनको भी आप अगर खनन पट्टा जारी करेंगे तो उनके भी रोजगार का अच्छा जरिया होगा और काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। मैंने देखा हैं कि यूरोपियन पैटर्न के हिसाब से अगर अपन भी उसी पैटर्न पर अगर खनन पट्टा जारी करें और जितना आपका एरिया होता है मान लो पांच हैक्टेयर है या 10 हैक्टेयर है उतना ही एरिया जब उनको लीज दिया जाये तो यह उनसे तय किया जाए कि उतना ही एरिया वन का आपको बना कर देना पड़ेगा तो मैं सोचता हूं कि शायद इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी अपने वन का विकास भी होगा और साथ-साथ खनन भी होगा क्योंकि खनन तो एक सम्पदा है। यह कोई फैक्ट्री नहीं हैं जिसमें इसका प्रोडक्ट लिया जाता है। यह तो धरती धन है यह तो प्राकृतिक धन है तो यह चीज तो मान लो अगर जंगल है तो जंगल में ही होगी कोई अपन चाहें कि चलो और कहीं शिफ्ट कर सकते हैं तो वो पासिबल

(श्री हरीसिंह रावत)

नहीं है इसलिए आपसे निवेदन है कि इस सल्फर को या जो भी वन क्षेत्र में मार्बल आता है इस टाइप की जो भी चीजें आती हैं तो उसको आरक्षित करके और वहां पर इनको अलाटमेंट की जाए तो एक अपने साधन मिल सकता है रोजगार मिल सकता है।

सभापति महोदय, रूडा के हिसाब से भी, जो रूडा के जो ये चले हैं वो भी हमने देखे हैं रूडा द्वारा सम्पादित कराये जा रहे कार्य ग्रामीण दस्तकारों को संगठित करना, ग्रामीण हस्तशिल्प तकनीकी विस्तार करना तो इस टाइप के जो भी हैं मैं चाहता हूं कि रूडा के अन्तर्गत भी हर पंचायत पर ऐसे प्रोग्राम बनाये जाएं और ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जो आज हमारी कई ऐसी माता-बहनें हैं जो शिक्षित हैं लेकिन वो बेरोजगार हैं अगर हर पंचायत में इस टाइप के अगर कुटीर उद्योग और जो जिस टाइप की जो जिसमें रूचि रखती हैं उनको उस टाइप का धन्धा उनको बताया जाए सिखाया जाए और वहां मार्केट डवलप किया जाए और वैसे हमारे एरिया में इस टाइप के काफी ट्रेनिंग कैम्प भी लगे हैं लेकिन उन कैम्पों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब तक मान लो उनको ट्रेनिंग तो दे दी गयी है लेकिन कभी उनको रा-मैटेरियल सप्लाई नहीं हुआ हैं तो उनको रा-मैटेरियल सप्लाई किया जाए और रा-मैटेरियल के बाद ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो खुद ही कोई संस्था या एन.जी.ओज इस टाइप की फिक्स करें कि एन.जी.ओज उनका माल परचेज करे और मार्केटिंग करे तो आपसे निवेदन है उद्योग मंत्रीजी से कि हमारे इस टाइप के गृह उद्योग हैं या कुटीर उद्योग हैं और गृह उद्योगों में भी अपने जैसे लिज्जत पापड़ हैं बाम्बे उस टाइप की इसी टाइप अगर अपने यहां भी हर क्षेत्र में जहां पर अनएम्प्लायमेंट है और इस टाइप की संस्था अगर खोली जाए तो मैं सोचता हूं कि इससे भी एक विकास में एक गति मिलेगी और काफी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री सभापति : बस, धन्यवाद।

श्री हरीसिंह रावत : सभापति महोदय, एक अन्त में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा खनिज मंत्रीजी से कि जिस प्रकार

(श्री हरीसिंह रावत)

आर.एस.टी.सी. ने जो पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन का एक प्रोग्राम बनाया है और इस जिले में भी इनका अभी फ्यूचर में बनाने का प्लानिंग है तो मेरा निवेदन है कि इसी टाइप की योजना हमारे भी क्षेत्र में अगर लगायी जाए तो बिजली की जो समस्या है उसका भी समाधान हो सकता है। जो मेरे नेशनल हाईवे नम्बर 8 पर जो बागाणा में है उसमें बहुत ही बड़ा पहाड़ी और वहां का इतना आवागमन है वहां भी अगर यन्त्र लगायें तो इसकी भी काफी बिजली पैदा हो सकती है और इसका भी समाधान हो सकता है।

सभापति महोदय, इसके अलावा दूसरा हमने देखा है कि इसमें शिल्पकारों के लिए भी...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब आप वाइंड अप करें।

श्री हरीसिंह रावत : हां, बस एक छोटा सा लास्ट में। शिल्पकारों को उत्पादन सहित समय-समय पर इस टाइप की डिग्री और प्रोडक्ट के लिए जो ट्रेनिंग दी गयी है इस टाइप के ट्रेनिंग कैम्प हमारे उधर लगाये जाएं तो उसे भी काफी जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार मिलेगा और उस ट्रेनिंग के हिसाब से जहां-जहां भी कुटीर उद्योग इस टाइप की ट्रेनिंग से होंगे तो हमें भी काफी फायदा मिलेगा। इसी आशा के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री सी.पी. जोशी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, दिन भर की चर्चा के बाद जो बिन्दु नहीं आया है मैं उस पर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने यह फैसला किया है कि हम वैट लागू नहीं करेंगे और जब वैट लागू नहीं करेंगे तो जो कुछ भी हम चर्चा कर रहे हैं सभापति महोदय, उस चर्चा में मैं उद्योग पर तो बाद में आऊंगा लेकिन मैं माननीय खनिज मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि यह सरकार भी इस बात पर गौर करे जिस बात पर मैं आपका

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या यह सम्भव नहीं है कि मिनरल हमारा रा-मैटेरियल अवेलेबल यहां पर है, वैट लागू कर दिया गया है और आपने माइनस डिपार्टमेंट को केवल मात्र रेवेन्यू का सोर्स बना रखा है। मैं यह आंकड़े सहित जो आपने दिये हैं बताऊंगा कि इस सरकार ने या हमारी सरकार या पचास साल में जो भी सरकार रही है उस सरकार ने माइनस को केवल मात्र रेवेन्यू का सोर्स बना रखा है। सभापति महोदय, मैं आंकड़े बताना चाहता हूं सरकार के जो आंकड़े हैं 2003-04 में नान प्लान में खर्चा था 28.55 करोड़ रुपये और प्लान का प्रोविजन था 60.64 करोड़ रुपये और यह 2003-04 के एक्चुअल्स हैं। 2004-05 में 31.39 करोड़ नान प्लान का एक्सपेंडीचर है और 1 करोड़ 44 लाख समथिंग आपका आयोजना का प्रोविजन है और संशोधन में आपने 1.70 किया था और 2005-06 में नान प्लान एक्सपेंडीचर बताया 32.78 करोड़ रुपये और प्लान एक्सपेंडीचर 3.61 करोड़ रुपये। सभापति महोदय, जब 2003-04 में प्लान का एक्सपेंडीचर 60.64 लाख रुपये था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करोड़।

डा. सी.पी. जोशी : मैं जो बोल रहा हूं आपको बहुत सोच-समझ कर बोल रहा हूं। यह आपके ही आंकड़े बता रहा हूं, लाख में ही हैं। आप अभी सुनें। यह लाख में ही दिये हैं यही तो बता रहा हूं मैं। मुझे आश्चर्य हुआ यही तो मैं कहना चाहता हूं कि यह डिपार्टमेंट जिस पर रेवेन्यू के लिए माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद दे रहे हैं उसमें प्लान का एक्सपेंडीचर 2003-04 में मात्र 60 लाख रुपये और अभी 2005-06 में सभापति महोदय, 3 करोड़ 61 लाख रुपये अब ये जो मिनरल्स वैल्थ है ये मिनरल वैल्थ वर्षों से डिपोजिट होती है ये मिनरल वैल्थ एक बार एग्जास्ट हो जाएगी तो इस मिनरल वैल्थ को दुबारा हम नहीं कर सकते और सभापति महोदय, ये आंकड़े मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 2003-04 में आपकी रेवेन्यू थी 449.37 करोड़ रुपये जब आप प्लान में खर्चा 60 लाख का कर रहे थे तब आपका रेवेन्यू था 449.37 करोड़ और अब माननीय मंत्रीजी आपके प्रयास के बाद आज आंकड़ा आया है 638.74 करोड़ रुपये। अब आप उठाकर देख ले यह आंकड़े आपके हैं। 1995-96 से लेकर 2004-05 में

(डा. सी.पी. जोशी)

आपकी रेवेन्यू किस हैड में बढ़ रही है आपकी रेवेन्यू का एक ही हैड है खनिज रियायती शुल्क। दूसरा है जिप्सम के निर्गम पर विकास शुल्क, तीसरा झामर कोटड़ा फास्फरेट पर और चौथा है रामगढ़ क्षेत्र में। सभापति महोदय, यह विभाग केवल मात्र खनिज रियायती शुल्क और किराया इसमें रेवेन्यू कलेक्शन है वह 476 करोड़ से बढकर 610 करोड़ रुपये हुई। सभापति महोदय, यह इसलिए हुआ कि सरकार का जो उत्तरदायित्व था राजस्व कलेक्शन करने का उस उत्तरदायित्व को ट्रांसफर कर दिया ठेके देने के लिये। आपका जो सारा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ यह केवल मात्र आपने ठेके पर जो कलेक्ट करने का काम किया है उसके आधार पर आपका रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। पिछले 50 साल में, यह जो मैंने 2003-04 के आंकड़े बताये हैं इस विभाग ने कोई भी एक्सप्लोरेशन का काम नहीं किया। इस विभाग ने कोई नया मिनरल आइडेंटिफाई नहीं किया है। इस विभाग ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। जिससे कोई एन्टरप्रिन्योर आकर मिनरल वैल्थ को आइडेंटिफाई करने का काम करें। यदि यह काम करता तो विभाग के जो आंकडे हैं इस प्लान के एक्सपेंडिचर में आप जानकर आश्चर्य करेंगे मैं आंकडे दे रहा हूं 2004-05 में बजट अनुमान 1 करोड 2 लाख का रखा था सघन पूर्वेक्षण एवं खनिज सर्वेक्षण योजना और खर्चा किया 96.13 लाख का। 96.13 खर्च किये सर्वेक्षण पर। इसका मतलब यह है कि विभाग कोई भी नया मिनरल वैल्थ या नया डिपोजिट आइडेंटिफाई नहीं करता है। राजस्थान में 50 साल में एन्टरप्रिन्योर आइडेंटिफाई कर रहा है कि मिनरल वैल्थ कहां पर हैं, कहां पर मिनरल की पोटेंशन अवेलेबल है। वह माइन्स पर लीज लगाता हैं और माइन्स किसे मिलती हैं यह विभाग की जो सारी व्यवस्था है यह दर्शाती हैं कि राजस्थान सरकार में इतने रेवेन्यू की चोरी हो रही थी जो रेवेन्यू राजस्थान सरकार का कलेक्शन होना चाहिये था उससे कुछ लोगों की हैसियत बढी और राजस्थान की हैसियत नहीं बढ़ी। राजस्थान की हैसियत बढती तो मंत्री महोदय मुझे खुशी होती कि आज हम यह कहते कि प्लान में इतना खर्चा किया। कोई बात नहीं जो होना था वह हो गया कोई तकलीफ नहीं। क्या आज भी विभाग के पास अगले 25 साल का प्रोस्पेक्टिव प्लान है। हमें बाड़मेर में पैट्रोल मिल गया

(डा. सी.पी. जोशी)

खुशी की बात हैं। रिफाइनरी लगायेंगे हम पर अगले 50 साल में जो मिनरल वैल्थ मिली हुई है उस मिनरल को क्या हमनें आइडेंटिफाई कर लिया। सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हैं भीलवाड़ा, राजसमन्द, सोजत, सिरोही, जौधपुर, मकराना, और अजमेर। यह जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ही सबसे ज्यादा कलेक्शन हो रहा हैं। इन रेवेन्यू डिस्ट्रक्ट में आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है पट्टी। आप क्या कर रहे हैं डवालोमाइट। सभापति महोदय, मैं भी पढा लिखा आदमी हूं मार्बल नाम की कोई चीज नहीं हैं Marble is no mineral. आज राजस्थान में पिछले 50 साल में डवालोमाइट के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी लीज कर दी लोगों को मालूम ही नहीं पडा कि इसमें मार्बल हैं या नहीं। लोगों ने उसके ऊपर अपना राइट बना दिया। नीचे से फाइल जाती थी ऊपर आकर रिजेक्ट हो जाती थी क्योंकि बड़े एरिये में आपने फाइल लगा दी आप डिस्पोज करो मत, नया इलाका लगा सकते नहीं और पूरे 50 साल में राजस्थान में इस डवालोमाइट की जो मेजर लीज है उसने करप्शन का काम किया है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं नये सिरे से राजस्थान में मिनरल वैल्थ को एक्सप्लोर करना है तो यह जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो आधार बना रखा है यह रेवेन्यू कलेक्शन, यह ब्यूरोक्रेसी, यह काम करने वाले अधिकारी हमें गलत आंकड़े देकर हमको खुश करना चाहते हैं।

(18.43 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, 2000-01 में आबंटित लक्ष्य था 400 करोड़ रुपये, संशोधित लक्ष्य था 390 करोड़ रुपये और आपके विभाग ने कलेक्शन किये 370 करोड़ रुपये। 2001-02 में आबंटित लक्ष्य था 448 करोड़ रुपये, संशोधित लक्ष्य था 430 करोड़ रुपये, कलेक्शन हुआ 412.97 करोड़ रुपये। 2002-03 में 495 करोड़ रुपये आबंटित लक्ष्य था संशोधित लक्ष्य था 465 करोड़ रुपये, आपका कलेक्शन हुआ 449 करोड़ रुपये। 2003-04 में 525 करोड़ रुपये का आबंटित लक्ष्य था, संशोधित लक्ष्य था 532 करोड़ रुपये और कलेक्शन हुआ

(डा. सी.पी. जोशी)

513 करोड़ रुपये। यह चार आंकड़े मैंने दिये हैं। यह विभाग के अधिकारी इतने होशियार हैं उन्हें मालूम है नई सरकार आ गई हैं। नई सरकार आने के बाद मंत्रीजी बहुत होशियार है, मंत्रीजी के सामने श्रेय लेने के लिये यदि हमने रेवेन्यु कलेक्शन नहीं बढ़ाया तो सरकार के सामने वाह-वाही नहीं बढ़ेगी। इसलिए पहली बार आपका जो आबंटित लक्ष्य 611 करोड़ था जिसका संशोधित लक्ष्य 625 करोड़ था उसको 638 करोड़ रुपये आपने कलेक्ट करवाये। मंत्रीजी, आप काम्पीटेंट हैं, आपकी मंशा ठीक हैं, इस सरकार की मंशा भी ठीक है पर यह जो आंकड़े 638 करोड़ रुपये के इकट्ठे हुए हैं इसके ट्रेप में आप मत आना। यह जो आंकड़ा इकट्ठा हुआ है यह केवल मात्र सरकार को वाहवाही में लेकर यह अधिकारी ट्रेप करना चाहते हैं। यह वही अधिकारी हैं जिन अधिकारियों ने 1995-96 में 214 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दे रहे थे राजस्थान में। आप आपने टोल टैक्स दिया, टोल टैक्स पर कलेक्शन शुरू हुआ तो 214 करोड़ रुपये का आंकडा 638 पर पहुंच गया। इसका मतलब यह 400 करोड़ रुपये का रेवेन्यू विभाग की कोई प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग से नहीं आया यह कलेक्शन टोल टैक्स के ठेके लगाने के कम्पीटिशन के आधार पर लोगों ने पैसा रेज करने का काम किया तब आपका रेवेन्यू बढ़ा है। विभाग के अधिकारी चोरी कर पैदा कर रहे थे यह पैसा उनके घर पर जा रहा था। सभापति महोदय, खास तौर से समझने की आवश्यकता है विभाग को साइंटेफिक ढंग से डवलप करेंगे तो हम आने वाले समय में राजस्थान की रेवेन्यु का एक बहुत बड़ा सोर्स, आज हम बहुत खुश हो रहे हैं, खुश होना भी चाहिये पैट्रोलियम का हमें पैसा मिलेगा, रायल्टी मिलेगी, हमारी बहबूदी आयेगी, माइन्स डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। पर आपका यह रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा आपका जिस तरह से मिनरल वैल्थ खतम हो रहा है, ग्रेनाइट हो रहा है और राजस्थान का जस्ता, कैलसाइट, यह तो बड़े मिनरल वैल्थ हैं, मोनोपोली है सबसे ज्यादा चोरी इसमें हो रही हैं। कितनी चोरी हो रही है मुझे कहना नहीं चाहिये लेकिन आपका गरीब आदमी एक पत्थर निकालता है. क्योरी ले जाता है उसके सम्बन्ध में सरकार ने यह आंकड़े दिये कि हमने राजस्थान में क्योरी लाइसेंस में 2587 लाइसेंस दिये

हैं। 261 पट्टे दिये हैं और अनुसूचित जाति के 13 पट्टे हैं, अनुसूचित जनजाति को 17 पट्टे दिये हैं। सभापति महोदय, हमने क्योरी पर दिये 2587 और 640 परन्तु वह गरीब आदमी है, उसको पट्टे निकालने हैं। उनमें से किसी को हमने पट्टा दिया है जैम गारमेंट का, कैलसोनाइट का। हम पट्टा देना चाहते है उस गरीब आदमी को कि वह पत्थर निकालने का काम करे। यह जो प्रिसेस मिनरल है उसमें जितनी चोरी हो रही है उसका रेवेन्यू हमको नहीं आ रहा है। डेलीनेशन सबसे पहले करने की आवश्यकता है। यदि आप डेलीनेशन करना चाहते हैं, इफेक्टिव चोरी रोकना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह जो प्रिसेस मिनरल है उस पर सबसे ज्यादा जोर लगाये। जोर लगा नहीं सकते हम क्योंकि उनकी हैसियत बड़ी है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस विभाग में राजस्थान सरकार का उत्तरदायित्व बनता है यह मिनरल वैल्थ चली जायेगी तो आने वाले समय में हमारी रेवेन्यू का एक बहुत बडा सोर्स ड्राई हो जायेगा। मंत्री महोदय, मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूं। डेड रेंट और रायल्टी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वैट का नया कंसेप्ट आया है। डब्ल्यू.टी.ओ. की बात होने लगी है, पेटेंट की बात हो गई है। यह जो रा-मैटेरियल निकल रहा है उसमें हर रा मैटेरियल का एक तरह का प्रोडेक्ट नहीं है। राजस्थान का निकलने वाला रा मैटेरियल इसमें वैल्यु एडेड होकर जो बाहर जा रहा है जिस आदमी को लाइसेंस दे रहे हैं उस लाइसेंस में डेड रेंट और रायल्टी के कंसेप्ट को बदलिए। एक मिनरल जो काम में नहीं आ रहा है, जिसकी क्वालिटी कम है वह भी उतना डेड रेंट देगा और एक क्वालिटी का मिनरल आ रहा है वह भी उतना डेड रेंट देगा। उस मिनरल वैल्थ से राजस्थान की रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी। आज 50 साल हो गये, आपके पास मास्टर प्लान होना चाहिये। आपके पास सूचना उपलब्ध होनी चाहिये कि कितने माइन्स हैं, किसके पास कौनसी क्वालिटी का मिनरल है, कितना उसका प्रोडेक्ट है, यह हमारे पास सूचना नहीं है हमने ब्लाइंड प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस और लीज दे रखी है। हमें मालूम ही नहीं है कि यह एक्स आदमी मिनरल को कहां भेज रहा है, वाई आदमी कहां भेज रहा है।

(डा. सी.पी. जोशी)

एक्सपोर्ट करने वाले क्वालिटी का जो मिनरल है उसकी फीस डिफरेंट होनी चाहिये इसमें वैरिएशन नहीं करेंगे तब तक आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा पायेंगे और चोरी ज्यादा होगी। सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप देखें यदि सम्भव हो तो ऐसे प्रिसेस मिनरल, क्योंकि डिपोजिट एक जैसा नहीं होता डिपोजिट वेरियर करता है। आधा किलोमीटर में आपको अच्छा डिपोजिट मिल जायेगा और उसी आधे किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा ही नहीं। अब आधा किलोमीटर में जिन लोगों ने मोनोपोली करके अच्छी मिनरल की माइनस ले रखी है, जो क्वालिटी का मिनरल है, एक्सपोर्ट हो रहा है वह भी इतना डेडरेंट उनको दे रहा है और एक गरीब आदमी जिसके वन थर्ड में मिनरल निकल रहा है वह भी उतना ही दे रहा है। इसलिए हमें नये सिरे से सोचना होगा क्योंकि यह मिनरल वैल्थ हमारी दुबारा आने वाली नहीं है। यह मैंने आपका फिगर दिया है। विभाग ने केवल एक नियम बदला है कि विभाग के अधिकारी क्लेक्ट नहीं करेंगे, ठेके पर देंगे। एक ठेके के आधार पर आपने 400 करोड़ रुपये पिछले 10 साल में बनाये हैं। आप चाहते तो ठेके नहीं देते। यही अधिकारी थे, यही पैसा कमा रहे थे तो इनकी हैसियत बढ रही थी और राजस्थान के गरीब आदमी का टैक्स का कलेक्शन नहीं हो रहा था। इसलिए सिंगल आधार पर यह परिर्वतन हुआ है, एक परिवर्तन और करके देखिए और यह कहना जरूरी है क्योंकि वैट लागू हो गया है। वैट तो इस पर भी लागू होगा। मैं नहीं समझता कि मंत्रीजी मुझे बतायेंगे मेरा दिमाग छोटा हैं। ज्यादा पढा-लिखा आदमी नहीं हूं, धन्धा भी नहीं किया है मैंने, पर वैट के सम्बन्ध में निश्चित तौर पर जो हमारे मिनरल वैल्थ है इस पर वैट का उपयोग राजस्थान सरकार कैसे करेगी, नहीं करेगी तो आने वाले समय में कितना नुकसान होगा यह हमें समझने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि मिनरल वैल्थ के सम्बन्ध में हमें सोचने की आवश्यकता है। रा मैटेरियल पर सबसे ज्यादा वैल्यु एडेड हो रहा है और यह हो रहा है तो निश्चित रूप से आपका जो प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस देने का, डेड रेंट और रायल्टी का कंसेप्ट है आउटडेटेड कंसेप्ट है। यह कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, निश्चित तौर पर इस पर चर्चा की जानी

चाहिए। मेरा आपसे निवेदन हैं कि इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर चर्चा कराए।

सभापति महोदय, आर.एस.एम.एम. के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। आर.एस.एम.एम. के सम्बन्ध में इसलिए कहना चाहता हूं, जो आंकड़े हैं उठाकर देखिये 2003-04 में 18.67 करोड़ राजस्व दिया और अब आपने राजस्व लगाया है केवल 15 करोड़ रुपये। हम आर.एस.एम.एम. गए थे। आर.एस.एम.एम. के मिनरल वैल्थ का जो एक्सप्लोरेन हो रहा है वहां जो बेस्ट क्वालिटी का जो मिनरल था उसको तो आप एस्ट्रेक्ट कर लिया। सभापति महोदय, हम किस तरह की माइनिंग कर रहे हैं ? जो बेस्ट क्वालिटी की ओवरेवल थी उसको हमने 35-40 एक्सप्लोर करके उसको बेच दिया। अब बेनिफिशियरिज प्लान लगा रहे हैं उसको अपडेट करने के लिए, किसने अलाउ किया ? अध्यक्ष महोदय, यह अनसाइंटिफिक मेंडल माइनिंग करने का, काम करने का। हमने आर.एस.एम.एम. बता दिया। चीफ सेक्रेटरी उसका चैयरमैन हैं। पालिटकली लीडरशीप उसमें कुछ कर नहीं सकती है। पूरे 25-30 साल में उठाकर देख लें। वहां पर आपने जो मोनोपोली फोसपेक्ट आइटम हैं उसमें आप बेस्ट कोर का जो आपने पांच ए, बी, सी, डी, बना रखे हैं उसमें बेस्टकोर का जो प्रोडक्शन है वह आपने निकाल बाहर कर दिया और नीचे लेवल का लोअर ग्रेड का था उसको बेनिफिशियरिज प्लान में कन्वर्ट कर रहे हैं। सभापति महोदय, किसी से पूछा नहीं यह हमने कैसे कर दिया। मैं समझता हूं कि हमें इस सम्बन्ध में भी समझने की आवश्यकता है। यदि प्राइवेट, पब्लिक सैक्टर में इस तरह ब्यूरोक्रेसी के आधार पर इतनी बड़ी मिनरल वैल्थ के एक्सप्लोर करने का काम किया जाय तो आने वाले समय में जितना पोटेंशियल हमें मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, यह एक उदाहरण है आप जाकर चैक करें। यह एक व्यवस्था हो गई। हमारे जो मंत्रीजी है, कोई भी माइंस मिनिस्टर हो उसका आर.एस.एम.एम. में सीधा नहीं हैं। आर.एस.एम.एम. इज हैड बाई दा चीफ सैक्रेटरी के अन्दर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को जिसकी अलग व्यवस्था है आपको निश्चित तौर

(डा. सी.पी. जोशी)

पर, माननीय मंत्री महोदय यह आर.एस.एम.एम. इस बात का उदाहरण है। आज आपका एक क्वालिटी का लाइम स्टोन पडा हुआ है जैसलमेर, बाड़मेर के अन्दर ट्रान्सपोर्टेशन की कोस्ट कम होने के कारण हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर आपको एक मिनरल वैल्थ जो राजस्थान का अवेलेवल है, आपने देखा, आपने खुद ने फोरेन, दो-चार को अलाउ किया कम्पनियों को अपने हवाई सर्वे करने का। 1970 में 14 बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कम्पनियों को आपने हवाई सर्वेक्षण कराया। अभी और हवाई सर्वेक्षण करवा रहे हैं आप। जब आप यह सब चीजें करवा रहें हैं तो आपके पास मिनरल वैल्थ का चार्ट होना चाहिए। मिनरल वैल्थ का चार्ट होगा तब आप व्यवस्था कर पाएंगे। हमारे तो एंटीप्रिन्योर आता है वह कहता मेरी लीव लगवाइये और फिर आप नियम और कानून में कैसे होता है। आदमी आइडेंटीफाई करता है, खुद करता है और फिर उसके बाद अपना अधिकार बनाता है फिर आपके पास आता है कि यह रूल में कैसे आता है।

सभापति महोदय, मार्बल नीति चाहे आपने बनाई हो चाहे आप मार्बल नीति बनाओ, मार्बल में अब आप कुछ बचा ही नहीं है। मार्बल नीति में एक्सपोर्ट करके जो भारत सरकार ने एक्सपोर्ट करने का काम किया था उसमें बहुत बड़ा खेल हो गया। फोरेन में अभी, लेकर आ रहे थे उस समय सरकार ने बाध्यता नहीं की थी उसी इंडस्ट्रीज का माल ला सकते हो। उस समय लोग स्टेटमेंट लेकर आ गए और लाखों पैसा कमा लिया।

अब सरकार को समझ में आ गया उन्होंने कह दिया कि जो माल बाहर भेज रहे हो उसी ट्रेड का माल खरीद सकते हैं, धन्धा खतम हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने 50 साल में रेवेन्यू को आधार मानकर राजस्थान की मिनरल वैल्थ के साथ जो खिलवाड़ किया है, अब समय आ गया वेल्यू एडेड के समय में हम बचा-कुचा मिनरल वैल्थ अवेलेवल है उसका जुडिशियस उपयोग करें तथा उस ज्युडिशियस रेवेन्यू कलेक्शन का आधार बनाए। जब तक हम यह नियम और कानून में नहीं करेंगे तब तक हम यह

(डा. सी.पी. जोशी)

नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि मंत्री महोदय मेरी इस बात पर ध्यान देंगे। मैंने इसलिए कहा था, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैंने यह कहा, यह आपके आंकड़े हैं, आपके प्लान का बजट अवेलेवल है। प्लान का बजट जो डिपार्टमेंट आपका 639 करोड़ रुपये दे दें उसके प्लान का बजट 3 करोड़ 61 लाख रुपये हो, मुझे समझ में नहीं आता है। हम कैसे राजस्थान की बहबूदी की कल्पना करना चाहते हैं। हम रेवेन्यु को आधार बनाकर काम करना चाहते हैं तो आने वाले समय में राजस्थान की जनता के साथ हम न्याय नहीं करेंगे। इस सम्बन्ध में मंत्रीजी, आपका जोश आप में काम करने की जो लगन है, उसका कहीं न कहीं इस डायरेक्शन में उपयोग होना चाहिए। एक्सपर्ट को बुला लीजिए, मैं जो बात कह रहा हूं उसमें हो सकता है सत्यता नहीं हो। इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार को चिन्ता करकें निश्चित तौर पर काम करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि समय बहुत कम है। मैं इस सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं, इण्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। माननीय उद्योग मंत्रीजी बैठे हैं आंकडे उठाकर देख लें। प्लान का बजट पिछली बार सात हजार समथिंग का था अब आठ हजार का कर दिया। इनटर्म दो प्रतिशत आपका इंडस्ट्री का अलोकेशन नहीं बढ़ा है। आपने यह तो कह दिया कि इतने बढ़ा देंगे लेकिन एक हजार करोड़ रुपये बढ़ाने के बाद भी प्लान एक्सपंडीचर में जो प्रतिशत पिछला था 2004-05 में उसके मुकाबले आप 2005-06 का प्रतिवेदन उठाकर देख लें कि बढ़ा कि घटा, किस तरह की स्थिति बनी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बिजली उपलब्ध नहीं है, रा मैटेरियल उपलब्ध नहीं है तो आज दिन तक हमारे आर.एफ.सी. और रीको ने लोन दिया यह डब्ल्यु.टी.ओ., पेटेंट की बातें आ गई हैं, आर.एफ.सी. रीको को इसी आधार पर हम राजस्थान में इण्डस्ट्री डवलप करना चाहते हैं ? मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि आने वाला समय ट्रेड का युग है। आने वाले समय में आई.टी.

(डा. सी.पी. जोशी)

और इस तरह का युग आ गया, यह आपके आर.एफ.सी. और रीको का उठाकर हिसाब-किताब देख लें। आर.एफ.सी. और रीको में पब्लिक का जितना पैसा लगा हुआ है, उसकी लैण्ड की जो कोस्ट उपलब्ध है उसको आप डिस्पोजल कर दें तो भी राजस्थान सरकार के पास बहुत बड़ा पैसा उपलब्ध हो जाएगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज सभापति महोदय बोले।

डा. सी.पीं. जोशी : मैं तो आपको अध्यक्ष बनाना चाहता हूं, सभापति नहीं चाहता हूं, आप कहते हो सभापति....(व्यवधान)

श्री सभापति : सभापति बोलो।

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय यह बहुत बड़ा, आज, उपलब्ध हैं आर.एफ.सी. और रीको के पास जो एक एसेट डवलप है उस एसेट को रेडिकल रिमेन करके डिस्पोज करने की आवश्यक्ता है। आई.टी. का काल सेन्टर कहां लगाएंगे ? आने वाले समय में डिपार्टमेंटल स्टोर और बाहर का गुड्स आ रहा है उसको कहां पर लागू करेंगे। आपका कोई भी लोकल प्रोडक्ट कम्पिटिटी मार्केट में कोई भी एडजेस्ट नहीं करेगा तो वह फैक्ट्री चल नहीं सकती। जितनी फैक्ट्री में हमनें इनवेस्ट किया 50 साल में वह सारी फैक्ट्रियां इररिलेवेंट, रिडेम्प्ट हो गई। उस मशीनरी को डिस्पोज कीजिए। उस लैण्ड का बेस्ट यूटिलाइज करने के सम्बन्ध में आप क्या नियम आर.एफ.सी. और रीको में बनाना चाहते हैं। यह काम हम नहीं करना चाहते। हम तो आर.एफ.सी. और रीको की मीटिंग करके कैसे रेवेन्यू कलेक्शन करने में क्या-क्या छूट दे सकते हैं। हम उनको छूट देकर खुश हो रहे हैं। इसकी लाइबिलिटी बन रही थी 25 करोड़ रुपये, हमने 10 लाख इकट्ठे कर लिये, हमने वाह-वाही ले ली कि हमने 10 लाख रुपये इकट्ठे कर लिए। आप एक साथ बैठकर 50 साल में जितना पैसा आर.एफ.सी. में, रीको में जितना पैसा पब्लिक का लगाया है उसमें इन टर्म्स औफ दी रियल एस्टेट, जमीन उपलब्ध है। मौके की जमीन उपलब्ध है, जमीन का आज बाजार भाव है उसके आधार पर यदि माने तो बहुत बड़ा रेवेन्यू का स्रोत डवलप कर सकते हैं राजस्थान में मात्र केवल यह काम करने के लिए।

सभापति महोदय, आपके पास बिजली, आने वाले समय में किसान के लिए बिजली उपलब्ध कराना भी सरल होगा, इण्डस्ट्रीज के लिए उपलब्ध करना सरल नहीं है। हमारे पास पानी उपलब्ध नहीं है। हमारे पास एक चीज उपलब्ध है, दिल्ली के पास, दूसरा लैण्ड हमारे पास बहुत बड़ी एंस्टेट हैं। माननीय मंत्रीजी इक्विटी शेयर कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जमीन हमारे पास है, उस जमीन की वेल्यू करके इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते और इक्विटी कन्वर्ट करके 5-7 साल बाद रेवेन्यू का सोर्स नहीं बढ़ा सकते। जब दिल्ली में एसीआर शुरू हुआ था तब होटल बनाने के लिए दिल्ली की लोकल सैल्फ सरकार ने होटल के साथ यह व्यवस्था की आज उनके पास परमानेन्ट रेवेन्यू कलेक्शन का काम हो रहा है। आप ऐसे इण्डस्ट्री को आइडेंटिफाई कीजिए। आई.टी. के क्षेत्र में हो, बायोटैक्नोलोजी के क्षेत्र में हो, उनको पैसा देने के लिए आप लैण्ड दीजिए, लैण्ड को पांच साल के बाद रेवेन्यू कलेक्शन के माध्यम से सैल्स टैक्स की छूट की जगह नया काम कराए, तो आने वाले समय में 20-25 साल में रेवेन्यू कलेक्शन का परमानेंट सोर्स बनेगा। हम सब्सिडी देकर, हम सब्सिडी देकर अपनी असेट को उनको देना चाहते हैं और वह लोग इण्डस्ट्री को बन्द करके जमीन को बेंच देंगे यह अधिकार उनको देना चाहते हैं यह नियम और कानून में परिर्वतन करने की आवश्यकता है। इण्डस्ट्री की जमीन में घाटा होकर, इण्डस्ट्री को खतम कर दें, जमीन को बेचकर कहे कि मैं लेबर का पेमेंट करूंगा, यह बम्बई हाई कोर्ट का फैसला, हमें अभी से इस बारे में सचेत होने की आवश्यकता है। राजस्थान में जो लैण्ड है उस लैण्ड को हम कैसे इक्विट में कन्वर्ट करें। 5-7 साल बाद यदि वह प्रोफिट में आ जाए तो उस प्रोफिट में कितना शेयर हमारा है यह भी टैक्स कलेक्शन कान्सेप्ट भी आपको लागू करना पड़ेगा। अभी तक हम टैक्स कलेक्शन में छुट्टी दे दी, सब्सिडी दे दी वाह-वाही ले रहे हैं हमने इतनी सैल्स टैक्स में छूट दे दी, यह काम कर दिया। अब नये सिरे से छूट देने की आवश्यकता नहीं है। इक्विटी कन्वर्ट करके 5 साल, 7 साल बाद, 25 साल तक राजस्थान की रेवेन्यू बढ़े यह नया कान्सेप्ट आपको इसमें लगाना पड़ेगा।

(डा. सी.पी. जोशी)

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं उनकी प्रायोरिटी है टूरिज्म में। होनी चाहिए। राजस्थान में टूरिज्म में ही एक तरीका है जिससे हम राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। जब रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं तो जो हैण्डीक्राफ्ट हमारे पास, जो गांव का गरीब आदमी जो इस कला को जानता है उसकी कैपेसिटी बनाने की, ट्रेड सेन्टर बनाने की आवश्यकता है। उसको माल को खरीदकर, माल देकर उसको बेचने के लिए हम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, बड़े-बड़े इण्डस्ट्रीज के लिए 100 करोड़ में हम इतना कन्सेशन देंगे, 50 करोड़ में इतना कन्सेशन देंगे और वह गांव कर गरीब आदमी जो अपनी कैपेसिटी ब्लिडिंग कर रहा है उसके रा-मैटेरियल की हम क्या व्यवस्था करना चाहते हैं। रा-मैटेरियल और प्रोक्योरमेंट आफ प्रोडक्ट यह दो जिम्मेदारी सरकार ले ले तो गांव के गरीब आदमी में कला है क्षमता है उस हुनर और क्षमता का उपयोग लेकर उसकी माली हालत भी सुधर सकती है। राजस्थान की जी.डी.पी. भी बढ़ सकती है और टूरिज्म का अट्रेक्शन भी बढ़ सकता है। मुझे पता है माननीय सभापति महोदय, टूरिज्म को डवलप करने के लिए इस हब के सम्बन्ध में भी बातें कहीं हमने लेकिन इस हब में जो काम करने के लिए रा-मैटेरियल बना है उस रा-मैटेरियल की छूट के सम्बन्ध में हमने क्या व्यवस्था की। आप फैसला कीजिए हिम्मत करिये। सबसे पहले तो टू बिगिन विद एस.टी. एस.सी. का इन्टरप्रिन्योर है उसको रा मैटेरियल का पैसा आप दीजिए और पेमेंट लीजिए उसका माल बिकने के बाद। तो गरीब आदमी हिम्मत करके माल भी बनायेगा और माल बनाकर काम भी करेगा।

सभापति महोदय ऐसा कौनसा टेड़ है जो गांव का गरीब आदमी नहीं जानता। हमारे यहां हिन्दुस्तान में ओक्यूपेशन के आधार पर बात बनी हुई है। लोगों की क्षमता है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा हैं। हमारे यहां तो यह एसेट रहा है। इस एसेट को हमने खतम कर दिया। आप गांव के गरीब आदमी हो, आपको बाटा का जूता चाहिए, आपको फलाना

(डा. सी.पी. जोशी)

जूता चाहियेगा, हमने गांव के आदमी की हैसियत को खराब कर दिया। इस क्षमता को आज फोरेन का आदमी खरीदना चाहता है। हैण्डीक्राफ्ट के नाम पर राजस्थली बना दें। जयपुर के अन्दर, नाथद्वारा के अन्दर या दूसरी जगह माल खरीदने के सेन्टर बना दें। गांव के गरीब आदमी का शोषण हो रहा है। रा-मैटेरियल के लिए पैसा नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, आगे आइये, हिम्मत करिये।

जैसे आपने किसान के लिए पांच करोड़ की व्यवस्था की है, सी.आर.एम. में नहीं आते, इनके लिए व्यवस्था करें। मंत्रीजी हिम्मत करके फैसला करिये। पांच करोड़ की सब्सिडी हम एस.टी., एस.सी. के आदमी को देंगे, जिसमें काम करने की क्षमता है, उसमें हुनर बढ़ाने की क्षमता है, ट्रेड पैदा करने की क्षमता हैं तो गांव के गरीब आदमी की यह व्यवस्था बनेगी। सभापति महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं। हमने एस.ई.जेड. बनाये। किस लेवल तक हमने एस.ई.जेड. को कंसेशंस दिये हैं। हम एक्सपोर्टर को आधार बनाना चाहते हैं। एक्सपोर्ट में 5 आदमी, 25 आदमी एक्सपोर्ट बन जाएंगे, उनकी हैसियत बढ़ जायेगी और जो एस.सी. और एस.टी. का 16 और 12 प्रतिशत हैं, उनका जो काम करने वाला आदमी है उसकी हैसियत तो नहीं बढ़ेगी। डिस्प्रपोर्शनेट कंसेशंस और सब्सिडी हमारे गरीब आदमी को आगे बढने के लिये रोक रही है, सभापति महोदय। यह मैं आपकी सरकार पर चार्ज नहीं लगाता। मैं तो खुद ही कहता हूं कि नये सिरे से मिड टर्म एप्रेजल कीजिए। आज राजस्थान की बहबूदी बढ़ानी है तो समय आ गया हमें कोई मिड टर्म एप्रेजल की बातें करनी पड़ेंगी तथा रीको और आर.एफ.सी. को बाइण्ड अप करना पड़ेगा। इट बिकेम आउटडेटेड। किसी एण्टरप्रिन्योर को ताकत दे रहे हो। उस एण्टरप्रिन्योर के प्रोडक्ट कोई बेचेगा ही नहीं। दुनिया में अच्छा माल कहीं भी मिल सकता है। डिपार्टमेंटल स्टोर खोलकर वह माल आदमी कहीं से खरीदकर कर सकता हैं तो आप डिपार्टमेंटल स्टोर को सब्सिडी देने की बात करिये। एक डिपार्टमेंटल स्टोर सौ करोड़ का बनना चाहिए जयपुर में। क्या

(डा. सी.पी. जोशी)

तकलीफ है। दुनिया का सबसे बढिया माल यहां मिलना चाहिए तो हम डिपार्टमेंटल स्टोर को सब्सिडी नहीं देंगे, हम तो रीको और उसको सब्सिडी देंगे और 5 साल बाद वह बिजनस खतम हो जाए तो उसके बाद हम क्लेम करें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस सम्बन्ध में भी हमें नये सिरे से सोचने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं निश्चित तौर पर यह आशा करता हूं कि दोनों मंत्रियों में विगर हैं। इनके मन में भी कल्पना है जैसे मेरे मन में भी क़ल्पना हैं। मैं भी मंत्री रह गया 5 साल तक, इस सरकार में शायद आप भी रहना चाहते हैं। याद रखना, वसुन्धराजी की सरकार में परिर्वतन के साथ मंत्री बने हो तो परिर्वतन पूरा होना चाहिए, आधा परिर्वतन नहीं होना चाहिए। यह परिर्वतन करें, गांव के गरीब आदमी की हैसियत बढें, गांव के गरीब आदमी की हैसियत ही नहीं बढ़े, टूरिज्म राजस्थान का नाम रोशन हो। यह मिनरल वेस जो हमारी उपलब्ध है, सभापति महोदय, यह मिनरल-बेस यह 5 साल की नहीं है। 500 साल, 400 साल कितने साल लगते हैं मिनरल बेंस को बनने में, उसको हम बिल्कुल खतम करना चाहते हैं, सभापति महोदय। सभापति महोदय, उस सम्बन्ध में भी अब समय आ गया हैं हम अपने रेवेन्यू कलेक्शन के कंसेप्ट को बदले। मुझे पूरा भरोसा हैं कि माननीय मंत्रीजी, जो बातें मैंने उठायी हैं उसके सम्बन्ध में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद अगर ठीक लगे तो निश्चित तौर पर इस सम्बन्ध में भी कुछ काम करेंगे जिससे राजस्थान में हम जो जिस खनिज की मांग पर चर्चा कर रहे हैं उसका लाभ राजस्थान की जनता को मिल सके, यहां की जी.डी.पी. बढ़ सके और राजस्थान की बहबूदी में हम कंट्रीब्यूट कर सकें। यह बात भी याद रखें, सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री दाताराम गुर्जर।

श्री दाताराम गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय बोलें।

श्री दाताराम गुर्जर : सबके मुंह से ही अध्यक्ष निकल रहा है, क्या मालूम।

डा. सी.पी. जोशी : सम्भावना है।

श्री दाताराम गुर्जर : आज उद्योग और खनन के लिये मांग संख्या 42 और 43 के ऊपर सुबह से चर्चा चल रही है। उसमें मैं भी अपने कुछ सुझाव और कुछ सरकार ने जो कार्य किये, अच्छे कार्य किये, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान में खनिज सम्पदा बहुत अच्छी मात्रा में, यूं कहें कि पूरे देश में अगर देखा जाए तो राजस्थान के मुकाबले में किसी अन्य स्टेट में इतने प्रकार की खनन सम्पदा नहीं है। यह खनिज सम्पदा का एक तरह से संग्रहालय है। इसमें 36 प्रकार के प्रधान और 21 प्रकार के अप्रधान खनिजों का उत्पादन हो रहा है जिनका बिक्री मूल्य भी 2571 करोड़ है। राजस्व भी एक तरह से खनिज से जितनी इस स्टेट को मिल रही है, शायद कोई दूसरा विभाग इनकी तुलना में नहीं है। और इससे बेरोजगारों को रोजगार भी करीब-करीब 7-8 लाख की संख्या में मिल रहा है। इसलिये खनिज दोहन के साथ-साथ रोजगार के भी अवसर लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। इसमें पहले तो खनिज नीति हमारे पूर्व मुख्य मंत्री, महामहिम उप राष्ट्रपति भैंरोसिंहजी शेखावत ने खनिज नीति बनायी, उसके बाद में ही राजस्थान के गरीब और आम व्यक्ति को यह अहसास हुआ कि खनिज भी कोई एक व्यावसायिक साधन बन सकता है। इससे पहले तो बहुत गिने-चुने व्यक्ति ही इस तरफ ध्यान देते थे और कोई-कोई सैंकडों बीघा भी क्या इसमें हजार हैक्टेयर तक की जो मेजर माइनिंग होती थी वह लीज लेते थे और अन्य छोटे कोई भी लीजधारी को इस बात का ज्ञान नहीं होता था। लेकिन इस खनिज नीति बनने के बाद में जो सरलीकरण हुआ उससे आम और गरीब व्यक्ति को भी इसमें व्यवसाय का अवसर प्राप्त हुआ है। अब इसमें कई खामियां जो हैं उसमें अगर थोड़ा सा सरलीकरण किया जाए तो निश्चित रूप से छोटे और

(श्री दाताराम गुर्जर)

बेरोजगार लोगों को भी इसमें रोजगार का अवसर मिल सके और अपना जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। एक तो इसमें अनावश्यक रूप से माइनिंग कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। इसमें कुछ सरलीकरण किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से अगर कोई खनन उसमें काश्त की भूमि में भी है तो उसमें भी वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है। यह एक प्रकार से फिजूल का और एक इसमें ज्यादा जरूरत वाली बात नहीं समझें इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं। सरकारी भूमि में अगर कोई खनिज है उसके लिये भी वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। एक जो आवेदक होता है उसको कितने कार्यालयों के चक्कर लगाने पडतें है। इसमें इस प्रकार की जो यह एक तरह की प्रक्रिया बनी हुई है इसमें कुछ सुधार होना चाहिए।

दूसरा मेरा एक सुझाव यह भी है कि इसके निदेशक का जो आफिस उदयपुर में है, हमारे राजस्थान में हाई कोर्ट भी जोधपुर में था तो लोगों की समस्याओं को देखते हुए जयपुर में एक जैसे ब्रांच रखी गयी उस प्रकार से इसका भी जयपुर में, क्योंकि जयपुर राजधानी है और जयपुर से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है इसलिये एक आफिस यहां चाहे वह अतिरिक्त कोई निदेशक बैठे यहां तो यह भी एक लोगों की सबसे बड़ी जो परेशानी है, और फिजूल खर्चा भी उदयपुर जाने में लोगों का होता है, उदयपुर आफिस में मैं स्वयं भी गया हुआ हूं। जितनी आसानी से यहां कोई काम होता है उस प्रकार से नहीं होता हैं। कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति जब उदयपुर जाता है तो एक-दो रोज में वह तो आफिस की प्रक्रियाएं समझ ही नहीं सकता। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद खनन का जो पट्टा जारी किया जाता है, इसमें खनिज मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी ईमानदारी और कार्यकुशलता जिस प्रकार की है, निश्चित रूप में इसमें कुछ कुछ करके दिखायें, पारदर्शिता आये।

आज, अब यह शायद पिछली सरकार ने शायद लागू किया था ईको फ्रेण्डली और माइनिंग प्लान। इस प्रकार की यह बातें, मैं तो यह सोचता हूं कि कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। इको फ्रेण्डली के नाम पर 20-25 हजार रुपये का अतिरिक्त खर्चा होता है, माइनिंग प्लान के ऊपर भी। और यह जानकारी देने

(श्री दाताराम गुर्जर)

वाला कोई भी टेक्निकल, कोई व्यक्ति यह जानकरी देता है और जो भी बनाकर देता है तो यह अतिरिक्त खर्चा है। इस प्रकार की यह सब चीजें, बहुत अगर आवश्यक नहीं है और फिर भी यह अपनायी गयी हैं तो निश्चित रूप से भ्रमित करने के लिये और अनावश्यक खर्चा बढ़ाने के लिये की गयी हैं। वन क्षेत्रों में जहां वन नहीं हैं और उन जगहों पर खनिज सम्पदा है, उसका दोहन किया जाना चाहिए और इसके लिये दूसरी जगह जहां खनिज नहीं हैं, वहां वन लगाये जा सकते हैं। इसकी एवज में अगर कोई भी खनन करने वाला व्यक्ति या आवेदक कोई भी, तो इसमें इस प्रकार की यह सरल प्रक्रिया हो ताकि इसमें खनन का दोहन भी हो सके और वन भी उसकी जगह लगाया जा सके।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि खनन के अलावा वेस्टेज जो एक तरह से वेस्टेज सामग्री है माइनिंग की उसको डालने के लिये कोई जमीन खरीदी जाए, इस प्रकार के कई सुझाव दिये हैं। मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि माइनिंग ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है या फिर इनके पास में कई नाले भी होते हैं। अगर इस प्रकार पानी को रोकने के लिये वेस्टेज को डाला जाए तो निश्चित रूप से उसका एक तरह से डबल फायदा हो सकता है कि पानी रूकेगा तो निश्चित रूप से वहां वन सम्पदा का भी उसमें ज्यादा विस्तार होगा और पानी का आज़ जल स्तर भी इतना गिरता जा रहा है कि पीने के लिये आज पानी की भी समस्या पैदा होती जा रही है और कई जगह, मेरे क्षेत्र में मैं कहूं कि एक जो नहीं है, बसई नदी जिसमें आज बजरी के प्लाण्ट एक तरह से वे वैधानिक भी नहीं हैं उसमें इतना जल दोहन हो रहा है कि वहां पीने के पानी की नौबत आ रही है लोगों को और इस प्रकार से यह एक तरह से अगर आपके डिपार्टमेंट की इसमें एप्रूवल नहीं है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की रोकथाम होनी चाहिए। और जिस प्रकार से आबकारी विभाग में एक दल होता है जो अवैध रूप से शराब की बिक्री रोकने के लिए या अवैध रूप से जो शराब निकालते हैं उसको रोकने के लिए, उसी प्रकार से इसमें खनिज विभाग में भी एक विजीलेंस पार्टी बनायी जाए तो निश्चित रूप से

(श्री दाताराम गुर्जर)

अवैध खनन भी रुकेगा। ऐसा है नहीं, वन विभाग वाले ही रोकते हैं लेकिन वे भी अक्सर बहुत ही कम, एक तरह से खनन क्षेत्र में हस्तक्षेप कम करते हैं तो इसको निश्चित रूप से यह आप इस प्रकार की टीम गठित करें तो निश्चित रूप से जो अवैध खनन हो रहा है वह रूकेगा, सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी और जितने कर्मचारी आप इसमें काम में लेंगे उतनी ही रेवेन्यू अवैध खनन कम होने से आपको मिल सकती है।

सभापति महोदय, उद्योग क्षेत्र में कई लघु उद्योग और कई बड़े उद्योग लगे हुए हैं। मेरे क्षेत्र में वैसे तो सबसे बडा उद्योग हैं वहां पर कापर माइनिंग का लेकिन वह वर्तमान में इस स्थिति में नहीं है, करीब-करीब अब उसकी हालत एक तरह से दयनीय होती जा रही है। उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में भी उद्योग स्थापित कराने के लिए कोई सार्थक कदम उठायें। आप

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, आपने घंटी बजा दी, मैं पहले कह देता हूं कि वैसे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने कई बातें उठायी कि कागजों में ही हो रहा है और इसमें यह कमियां रहीं हैं, यह कमियां रही हैं। मैंने भी लेखा-परिक्षण की एक रिपोर्ट पढ़ी उसमें 2000 में, 49.44 लाख रुपये कम बताया है, जो राज्य गैर योजना निधि से वित्त में खरीदी गयी आस्तियां, रामगंज, जयपुर में शौरूम 49.21 लाख, फर्नीचर पाइंट 10 लाख का और वस्त्रागार टिनशेड पाइंट 13 लाख का, यह तुलना-पत्र में शामिल नहीं किये गये। बोर्ड के तुलना-पत्र में गबन हानि के मामले नहीं देखना, इस प्रकार के गबन बहुत से हुए हैं। हमने तो न ही पीछे का हिसाब-किताब देखा। माननीय मंत्री महोदय, इसकी जांच करायें तो निश्चित रूप से इनकी बहुत सी कमियां उजागर हो सकती हैं और आये दिन सच्चाई को स्वीकार नहीं करते इस बात का इस सदन के माध्यम से जनता को मालूम पड़ सकता है कि अपनी कमियों को दबाने के लिए ही आये दिन सदन में व्यवधान पैदा करते हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री अशोक कुमार नवलखा।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और 43 पर जो आज चर्चा हो रही है, उसके सम्बन्ध में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान कृषि और खनिज प्रधान क्षेत्र है और हमारी सारी अर्थव्यवस्था कृषि और खनिज पर आधारित है। हमें इस बात की खुशी है कि राजस्थान की हमारी लोकिप्रय सरकार ने अपने इस बजट में कृषि और खनिज को मुख्य आधार मानते हुए इसके समुचित विकास के लिए पूरी तरह से प्रावधान किये हैं।

मैं इस अवसर पर यह निवेदन करना चाहता हूं, मेरा अपना विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा जो कृषि की दृष्टि से और खनिज की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यदि कृषि जिन्सों के आधारित उद्योगों और खनिज आधारित उद्योगों को यदि समय-समय पर प्रोत्साहन दिया जाए और उनको बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई जाए तो निश्चित रूप से इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राजस्थान की सरकार को भी राजस्व की आय निश्चित रूप से मिलेगी। मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अपने क्षेत्र में कृषि का एक अच्छा उत्पादन होता है। गेहूं की पैदावार होती है, मक्का की होती है, अजवाइन होती है, मैथी होती हैं, मूंगफली होती है, सरसों की होती है, सोयाबीन, धना, उड़द, लहसुन, यह ऐसी पैदावार हैं जो कृषि आधारित हैं। इन पैदावार के सम्बन्ध में यदि उद्योग लगाने के सम्बन्ध में ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय में राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार से खनिज के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र पूरी तरह से विख्यात है। वहां का पत्थर उद्योग पूरे एशिया के अन्दर अपना स्थान रखता है। राजस्थान में जो निम्बाहेडा पत्थर उद्योग की खदानें हैं, करीबन 1092 को लाइसेंस है और वहां से 1 करोड़ 38 लाख रुपये की रायल्टी सरकार को, इस बार ठेका भी हुआ, 1 करोड़ 38 लाख रुपये सरकार की आमदनी होती है। मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि यदि खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देवें तो निश्चित रूप से क्षेत्र का

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

समुचित विकस हो सकेगा। कृषि के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि ऐसे उद्योगों की स्थापना से, उनको बढ़ावा देने से कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा और मण्डी में कृषि जिन्स की आवक भी बढ़ेगी। हमारी बोर्डर मण्डी होने से क्षेत्र की कृषि जिन्स मध्य प्रदेश की मण्डियों में जाने से रुकेगी जिसके फलस्वरूप राजस्थान में राजस्व की आय भी बढ़ेगी। मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में पहले मूंगफली की पैदावार अच्छी होती थी, उस समय आज से 15 साल पहले वहां निम्बाहेड़ा में करीबन 32 आयल मिलें मूंगफली का तेल उत्पादित करती थीं। आज स्थिति ऐसी आ गयी है कि मात्र पांच आयल मिलें रह गयी हैं। यह सारे उद्योग धीरे-धीरे बन्द होते जा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो उद्योग-धन्धे चल रहे हैं उनको प्रोत्साहन पूरा मिले और जो इकाइयां बन्द हो गयी हैं, उनको पुनर्जीवित किया जाए। मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि आधारित उद्योगों को हम स्थापित करने के साथ-साथ उनको सैल्स टैक्स में, मण्डी शुल्क में, बिजली में और अन्य प्रकार से भी यदि रियायत देंगे तो निश्चित रूप से ऐसे कृषि आधारित उद्योगों की क्षेत्र में, निश्चि रूप से उद्यमी आगे आएंगे।

मैं इस अवसर पर हमारे माननीय उद्योग मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके मन मे इस क्षेत्र के विकास के लिए काफी उत्कंठा है। हमारा निम्बाहेड़ा क्षेत्र आपके चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, जिससे आप भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं इस अवसर पर माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। मैं इस अवसर पर रायल्टी के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो निम्बाहेड़ा स्टोन निकलता है और निम्बाहेड़ा स्टोन और कोटा स्टोन को सरकार ने एक ही श्रेणी में ले रखा है, जिसके कारण से क्योंकि कोटा स्टोन के बनिस्बत निम्बाहेड़ा को जो स्टोन निकलता है वह थोड़ा रफ क्वालिटी में होता है। उसका स्तर थोड़ी नीचे होता है। यदि आप इसकी श्रेणी विभाजन करके निम्बाहेड़ा

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

स्टोन को अलग करेंगे और उसके अन्दर कुछ रियायतें देंगे तो निश्चित रूप से निम्बाहेड़ा स्टोन को प्रोत्साहन मिलेगा और उसमें क्योंकि गुजरात के अन्दर ही मण्डी है और गुजरात में कोटा स्टोन भी जाता है और निम्बाहेड़ा स्टोन भी जाता है तो प्रतिस्पर्द्धा के इस युग में निम्बाहेड़ा स्टोन भी अपने बाजार में स्थापित हो सकेगा।

मैं इस अवसर पर माननीय खनिज मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस खनिज प्रधान क्षेत्र में पिछले वर्षों, 1980 से 91 के बीच में 9 माइनस एप्रोच रोड, सड़कें बनीं थीं लेकिन 1991 के बाद आज तक न तो कोई सड़क बनी और न इन सड़कों की मरम्मत की ओर कोई ध्यान दिया गया क्योंकि हमारा क्षेत्र खनिज प्रधान क्षेत्र है, वहां पर अभी इस साल 1 करोड़ 38 लाख रुपये की रायल्टी का ठेका हुआ, 15 लाख रुपये आपको किराये के रूप में इसके माइन्सों से मिलते हैं लेकिन इन माइन्स क्षेत्रों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है तो लोगों की और माइन्स क्षेत्र के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और विशेष रूप से माननीय दवे साहब से कुछ ज्यादा हैं क्योंकि आपकी काम करने की शैली और आपकी जो कार्यकुशलता है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे खनिज प्रधान क्षेत्र में जो काम करने वाले लोगों की पूरी भावना है कि हमारे क्षेत्र में जो माइन्स एप्रोच रोड्स हैं, उनका निर्माण होगा और जो पुरानी टूटी हुई सड़कें हैं उनकी मरम्मत भी होगी।

मैं इस अवसर पर माननीय खनिज मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो क्षेत्र है उसके अन्दर जो माइन्स हैं, उसमें 70 परसेंट माइन्स ऐसी हैं जिसमें 7-8 महीने तक पानी भरा रहता है और 20 परसेंट माइन्स ऐसी हैं, जिनके अन्दर वर्षभर पानी भरा रहता है। यदि इन माइन्सों के पानी को पम्प करके कोई योजना तैयार की जाए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा और उस क्षेत्र के अन्दर सिंचाई के रूप में आप यदि उस पानी का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि यह माइन्स

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

चलती है करीबन 400 साल से। 400 सालों से यह माइन्स चल रही हैं और उनका वेस्ट मैटीरियल इतना इकट्ठा हो गया, लाइम स्टोन के रूप में तो इसका निश्चित रूप से इसको यहां से डम्प करके कहीं इसका उपयोग करने की जरूरत है।

मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अन्दर सीमेन्ट उद्योग बहुत अच्छी संख्या में है। सीमेन्ट का उत्पादन अच्छा होता है। यदि इस लाइम स्टोन का उपयोग यदि सीमेंट उद्योग के अन्दर लिया जाए क्योंकि सीमेंट उद्योग दूर पड़ते हैं, यदि उनको रायल्टी में छूट दी जाए,

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उनको ट्रांसपोर्टेशन के अन्दर कुछ मदद दी जाए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के अन्दर जो यह डम्प मैटीरियल, वेस्ट मैटीरियल पड़ा हुआ है, उसका उपयोग हो सकेगा। मैं इस अवसर पर ज़्यादा अधिक नहीं बात कहते हुए, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अभी 15 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और समय बहुत हो चुका है और दो माननीय मंत्रीजी रिप्लाई करेंगे तो पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें। पांच-पांच मिनट में, तो सभी ज्यादा सदस्य भाग ले सकेंगे। श्रीमती ममता शर्मा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से बहुत संक्षिप्त में कुछ कहना चाहूंगी। बूंदी जिले में खासतौर से चावल की खेती होती है और होती भी थी, लेकिन पिछले कई सालों से बारिश में जो कमी आई, पानी में कमी आई तो चावल की खेती उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में पहले हुआ करती थी, अब नहीं हो पाती है और बूंदी में राइस मिल्स हैं करीब 35 और 35 राइस मिलें धीरे-धीरे दम इसलिए तोड़ रही हैं कि चावल की पैदावार भी नहीं होने की वजह से इनको पैडी बाहर से मंगानी पड़ती है और जब पैडी बाहर से मंगानी पड़ती है तो

(श्रीमती ममता शर्मा)

इनके ऊपर 4 प्रतिशत का सैल्स टैक्स लगता है तो उस सैल्स टैक्स को देकर इनको जो पैडी से चावल निकाला जाता है उससे कोई लाभ नहीं हो पाता। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 35 में से 9 राइस मिल बन्द होने के बाद अब केवल 26 राइस मिल्स ही चल रही हैं और केवल एक उद्योग धन्धा बूंदी में एक ही है, हालांकि अब हम बात कर रहे हैं और हमारी माननीया मुख्यमंत्रीजी बहुत प्रयासरत हैं कि किसी तरह से ट्यूरिज्म एक उद्योग के रूप में वहां आये। इसके लिये मैं उनका आभार भी व्यक्त कर रही हूं, धन्यवाद भी कर रही हूं। लेकिन जो उद्योग एग्जस्टिंग हैं, उसको किस तरह बचाया जाये, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगी आपके माध्यम से, कि इस पर वह विचार करें। इन राइस मिल्स को हर छह महीने के अन्दर एक नोटिस पर्यावरण विभाग से मिल जाता है कि आप पाल्यूशन ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाइये। माननीय सभापति महोदय, छोटे-छोटे उद्योग हैं और जितनी राइस मिल्स हैं, उनके ओनर्स ने वह राइस मिल को अपने ही खेतों में लगा रखा है तो उसका जितना भी वेस्ट जाता है, जो पानी निकलता है, वह उन्हीं खेतों में समा जाता है और उसी से काम चल जाता है तो यह जो पाल्यूशन ट्रीटमेन्ट प्लांट के लिये बार-बार इनको कहा जाता है, जो राइस मिल्स सिक होने के कगार पर जा रही हैं, उनको पांच लाख का अगर यह और खर्चा दे देंगे तो उनके लिये एक भारी समस्या आ जायेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि उनको बचाने के लिये, इनके सरवाइवल के लिये आप जो पर्यावरण विभाग है उससे बात करें कि उनको इस बात के लिये तंग नहीं किया जाये।

बूंदी से बिलकुल 6 कि.मी. पर एक रामगंज पंचायत है जहां सोया आयल मिल काफी सालों से चल रही है। माननीय सभापति महोदय, उससे इतना पोल्युशन निकल रहा है और इतना पानी उसका पाल्यूटेड वाटर सामने के गांवों में जा रहा है जहां पशु हानि हो रही है लगातार। हमने कई बार लिखकर दिया, लेकिन सरकार ने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। उनको हिदायत देनी चाहिये आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कि इस पाल्यूटेड वाटर को

(श्रीमती ममता शर्मा)

किसी तरह वहां पहुंचने से रोका जाये, यह करें क्योंकि हैण्डपम्प्स में भी अब दूषित पानी आने लगा है और इससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी जहां तक उद्योग का सवाल है कोटा, हमारा हाड़ौती औद्योगिक नगरी कहलाता था और कानपुर कहलाता था राजस्थान का, लेकिन आज हालत यह है कि धीरे-धीरे एक श्रीराम कैमिकल और अंता में फर्टिलाइजर के अलावा धीरे-धीरे सारी यूनिट्स बन्द हो गयी हैं, जे.के. बन्द हो गया है। हालांकि लगातार जब से आप लोग आये हैं, जनता को यह आश्वासन दिये जा रहे हैं, घोषणाएं किये जा रहे हैं कि हम इसको दुबारा शुरू कर रहे हैं लेकिन उस पर कोई क्रियान्विति, कोई इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगी इस बेरोजगारी को मिटाने के लिये, क्योंकि छोटे-छोटे उद्योग धन्धों की सब ने बात कही है, मैं किसी बात को रिपीट नहीं करना चाहती।

एक बात मैं आपसे और निवेदन करूंगी कि 76 प्रतिशत जो कृषि की खेती पूरे राजस्थान में होती है, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी 69 प्रतिशत खेती हमारे यहां हाड़ौती में सरसों की होती है और सरसों का जो भूसा निकलता है, व न तो पशुओं के खाने के काम में आता है और पाल्यूशन और करता है। उसको जब जलाया जाता है तो उसका धुंआ लोगों को नुकसान भी करता है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से फ्लाई एश थर्मल प्लांट की निकल रहे हैं और उस फ्लाई-ऐश को हम काम में ले रहे हैं, फ्री दे रहे हैं सीमेन्ट प्लांट के लिये। इसके लिये भी आप अपने टैक्निकल मैम्बर जो हों, उनसे बात करें कि इसको मिलाकर कोई ऐसी ईंटे, ब्लाक्स बनाई जाये जो ग्रामीण इलाके में ही काम आ जाये, यह मेरा आपसे एक सुझाव है और मुझे लगता है आप इस पर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि मंत्रीजी काफी क्रिएटिव हैं तो लग रहा है कि इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो यह जो ईंटें बनेंगी, यह ईंटें गांव की गांव में ही और ग्रामीण इलाके में सस्ती भी पड़ेंगी, क्योंकि जो बाहर से ईंटें आती हैं, वहीं यह उसके साथ

(श्रीमती ममता शर्मा)

मिलाकर कोई ऐसा कम्पोनेंट तैयार किया जायेगा तो यह काम आयेंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर आप पूरा विचार करें। जो आपके इंजीनियर हैं, उनसे बात करें तो शायद कोई न कोई नतीजा निकल पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब खनिज मंत्रीजी से कहना चाहूंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अभी से, यह तो अन्याय है और वह भी आपकी तरफ से।

श्री सभापति : छह मिनट हो गये माननीय सदस्य। बोलिये-बोलिये, कनक्लूड करिये। बोलिये।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय सभापति महोदय, यह खानों के एग्रीमेन्ट की जो एक प्रक्रिया है इसमें कुछ न कुछ सुधार लाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार जबरदस्त रूप से व्याप्त है। मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से मंत्रीजी से, कि मंत्रीजी बहुत अच्छी छवि के व्यक्ति हैं और उनके कार्यकाल में इस खान डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार मिटना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि मैं जिस एरिया से आती हूं वहां डाबी एक ऐसा खनिज एरिया है जहां सैंड स्टोन की जबरदस्त खानें हैं। हालांकि उन खानों को देखकर, जो क्षत-विक्षत पिक्चर्स सामने आती हैं, उससे दिमाग भी वैसा ही बनने लगता है लेकिन फिर भी, क्योंकि इसमें माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो आप रायल्टी कलेक्शन करते हैं, रायल्टी कलेक्शन से इल्लीगल खानों को बढ़ावा मिला है क्योंकि लीगल खानें-जो लेसी है और जो नोन-लेसी हैं, जो लेसी हैं इससे भी आप उतनी ही रायल्टी ले रहे हैं और नोन-लेसी हैं उससे भी आप उतनी ही ले रहे हैं। उस पर कम से कम 10 गुना ज्यादा आप लेंगे तो आपको रेवेन्यू का भी लाभ होगा। रेवेन्यू का लाभ ठेकेदारों को हो रहा है। ठेकेदारों से रिकवरी की कोई अवधि आपने तय नहीं कर रखी है। करोड़ की रिकवरी ठेकेदारों के ऊपर हैं जो ऐसे ही जा रहा है। और

(श्रीमती ममता शर्मा)

गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले दो ही डिपार्टमेंट हैं या तो माइन्स हैं या एक्साइज हैं और अब माइनस में फेरबदल करते हैं और माइनस से रेवेन्यू का फायदा नहीं मिलता है। अब तो आयल निकल रहा है। आयल से आप पता नहीं कितने-कितने करोड़ गुना रेवेन्यू अब गवर्नमेंट को मिलेगी तो मेरा आपसे यह कहना है कि इस पर आप जरूर ध्यान दें। रायल्टी कनेक्शन के मामले में इतना भ्रष्टाचार नाके पर होता है जिसका आप अन्दाज नहीं लगा सकते। मैं डाबी का ही बताऊंगी। मेरी जानकारी में ऐसा आया है कि आज भी उनके ऊपर दो करोड़ 70 लाख आज भी बाकी है। जिसकी रिकवरी का कोई पता नहीं है। न तो डिंपार्टमेंट पूछ रहा है, न कोई उनसे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं ? मेरा आपसे इतना सा निवेदन है कि एक अफसर तो आपके नाके पर बैठाना बहुत जरूरी है। खान एरिया की तो हालत यह है कि हर डिपार्टमेंट का हर अफसर खान एरिया में लगवाना चाहता है। एस.एच.ओ. चाहता है कि मेरी ड्यूटी लग जाये, ए.एस.आई. चाहता है कि मेरी ड्यूटी लग जाये। यहां नहीं रहकर वहां जाना चाहता है। एम.ई. यहां आफिस में काम नहीं करके वहां जाना चाहता है क्योंकि भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है जिसका आप कोई अन्दाज नहीं लगा सकते।

इसकी जो स्लरी निकलती है इसके प्रोसेसिंग में, माननीय मुख्य मंत्रीजी के एरिया में, झालावाड़ में इतनी बुरी हालत है स्लरी से, कि जिसका आज अन्दाज नहीं लगा सकते। आप झालावाड़ एण्टर करते हैं तो इसके लिये माननीय मंत्री महोदय, कोई न कोई डम्पिंग कार्ड होना चाहिये। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं भूल गयी किसने ये स्लरी की बात की थी। लेकिन यह अत्यन्त आवश्यक है कि स्लरी को कहीं न कहीं डम्पिंग यार्ड होना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी इसमें सरकार का दखल इसलिए जरूरी है कि मेरे यहां ही डाबी क्षेत्र में धनेश्वर में सिलिका वालों की माइन्स है जो करीब चार किलोमीटर के एरिया में है और कई औरों की भी माइन्स है लेकिन नेशनल हाईवे इन्हीं माइन्स के बीच में से

(श्रीमती ममता शर्मा)

अपना सिक्स लेन निकालने के लिए प्रपोजल कर रहा है, मैं आपसे चाहती हूं कि आप इसमें इतना सा ध्यान रखिये कि जो मिनरल हैं उसको तो कम से कम नहीं दबाया जाए। पता नहीं कितना किलोमीटर जो अन्दर मिनरल है वह उसमें दब जायेगा। यह किसी एक पर्टिकुलर माइन ओनर की बात नहीं है, यह सभी की बात है और गवर्नमेंट की रेवेन्यू की बात है, यह मिनरल की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस पर जरूर से जरूर ध्यान दें। (व्यवधान)

सभापति महोदय, आपने समय बढ़ाया जब तक कि रिप्लाई नहीं हो जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिलकुल। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं...

श्रीमती ममता शर्मा : आप विराजें। मैं आपसे करबद्ध, नम्र निवेदन कर रही हूं कि आप विराज़ जाएं।

श्री सभापति : प्लीज कनक्लूड करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने करबद्ध और नम्र, दोनों किया है न ?

श्रीमती ममता शर्मा : किया है इसीलिए तो बैठे हैं वो, वरना बैठते ही नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह महिला विरोधी हैं, मैंने आपको बताया था न।

श्री बृजकिशोर शर्मा : इसका मतलब यह हुआ कि हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा, करबद्ध और निवेदन, दोनों ही करना पड़ेगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं नहीं बोलूंगा, मेरा पूरा समय इनको दे दिया जाए।

श्री सभापति : प्लीज कनक्लूड करिये। सारा ही दे रखा है पहले से ही।

श्रीमती ममता शर्मा : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में कनक्लूड कर रही हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं एक घण्टे बोलना था, मेरा पूरा समय इनको दे दिया जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो पता पड़ गया आपका कि आप महिलाओं से कितना, वह तो मालूम हो गया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं मातृ शक्ति का सम्मान करता हूं, आपकी तरह महिला विरोधी नहीं हूं। आप हमेशा महिलाओं का विरोध करते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सम्मान करते हैं कि डरते हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो हमारे घर पर लड़ाई कराना चाह रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : घर वाली का तो डर लगता है आपको बाकी महिला विरोधी हो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको तो षड्यंत्र करना है।

श्री सभापति : एक महिला के बीच में दो-दो पुरुष बीच में कहां से आ गये। प्लीज, आप कनक्लूड करिये।

श्रीमती ममता शर्मा : आप तो खड़े ना हों फिर तीसरे।

सभापति महोदय, आज कामां तहसील का एक केस आया है। लिखा है-बृज में भगवान श्री राधाकृष्ण की लीला स्थलियों को डाइनामाइट से उड़ाया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि बहुत अहम् मुद्दा है कि हिन्दुओं के ऊपर यह अत्याचार और वह भी भाजपा के शासन में, जो कभी नहीं होना चाहिए। तो मेरा आपसे कहना है कि इसमें जो, मंत्री महोदय, वहां यह हो रहा है इसको रोकने के लिए आप कुछ न कुछ जरूर प्रयास करेंगे और मैं हमारे विपक्ष के नेता महोदय से कहना चाहूंगी कि अगर वह इस पर

पूरा प्रकाश डाल सकें तो डालें क्योंकि मेरे पास यह मामला अभी दो मिनट पहले ही आया है।

मंत्री महोदय, आप से एक दो-बात और कहना चाहूंगी कि कई-कई ऐसी जगह हैं हमारे क्षेत्र में, आप चाहेंगे तो मैं आपको खसरा नम्बर भी दे दूंगी, जहां बड़े-बड़े प्रभावित लोग इल्लीगल माइनिंग कर रहे हैं। जहां 50-50 साल से भील बसे हुए हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। यहां हाउस में एस.सी., एस.टी. की बात हो रही है लेकिन एस.सी., एस.टी. पर जितना अत्याचार माइनिंग एरिया में हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। एक तो फोरेस्ट और एक माइन, 50-50 साल से काबिल लोगों को वहा से हटाया जा रहा है। मैं आप से निवेदन करूंगी कि उनके कोई न कोई ऐसा प्रावधान करके, सभापति महोदय, जहां कइयों के पास खाते की जमीनें है, खाते की जमीनो में 8 बीघा दूसरी ले ली बाकी खाते की ले ली और उसका माइन में एग्रीमेन्ट कर दिया। अभी-अभी एक केस हुआ कि तीन महीने पहले स्टे खारिज हुआ, आपने एक कमेटी का गठन कर रखा है उस कमेटी की बिना राय के, बिना सलाह के सेंक्शन जारी कर दी गयी। मंत्री महोदय, कहीं न कहीं तो जो भ्रष्टाचार है इसको रोक लगाएं यह मैं आपसे निवेदन कर रही हूं।

अब आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, मैं एक बार और दोनों मंत्रियों से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरी बात पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अर्जुन लाल जीनगर। (अनुपस्थित) श्रीमती राजकुमारी शर्मा। (अनुपस्थित) श्री रामलाल शर्मा। (अनुपस्थित) श्री नवरतन राजोरिया। (अनुपस्थित) श्री अर्जुन लाल मीणा।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-42 और 43 में चर्चा में भाग लेते हुए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि दक्षिणी राजस्थान में जो उदयपुर सम्भाग है वहां पर ग्रीन मार्बल, सोप स्टोन और पिंक मार्बल का भण्डार है, वहां पर अधिकतर

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

माइन्स अभी वर्तमान में बन्द पड़ी हुई हैं, स्टे लगा रखा है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करके उन माइन्स को पुनः चालू करवाए ताकि वहां जो आदिवासी भाई रोज़गार के लिए महाराष्ट्र और गुजरात जा रहे हैं, अधिकतर वहां के मजदूर गुजरात और महाराष्ट्र में अपने रोजगार के लिए जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि उन माइन्स को पुनः चालू कराया जाए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र में जो टी.एस.पी. एरिया है। वहां पर भूरिया कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है उसको पूर्णतः लागू किया जाए क्योंकि वहां जो लोकल आदिवासी है, जो ट्रायबल ने माइन्स के लिए आवेदन कर रखा है, जो माइन्स लेना चाहता है, खनन पट्टा लेना चाहता है निश्चित रूप से उसको प्राथमिकता मिले और तय किया जाए कि उस ट्रायबल को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर पट्टा आबंटन किया जाए।

तीसरा, उद्योग मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आपने उद्योग क्षेत्र में आगामी वर्ष में एक लाख लोगों को नये रोजगार के अवसर सृजित करने का जो लक्ष्य रखा है, मैं आपको मेरी तरफ से हार्दिक आभार प्रेषित करना चाहता हूं। उद्योग मंत्रीजी, यह भी निवेंदन करना चाहता हूं कि निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना जो लागू की है, निश्चित ही तारीफ के काबिल है। इसके लिए भी मैं आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं।

मंत्री महोदय, मेरे सलूम्बर क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में ग्रीन मार्बल की खदानें चल रही हैं वहां पर पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से कानून लागू नहीं हो रहा है। वहां कानून की अनदेखी कर रहे हैं। डम्पिंग की सही व्यवस्था नहीं है, डम्पिंग क्षेत्र भी घोषित नहीं किया गया है और नदी, नाले में खदानों से निकलने वाला मलबा डाल दिया जाता है जिससे बारिश के समय शहर में जो नदी आती है उसमें सारा मलबा आता है जिससे पानी दूषित होता है, पेयजल दूषित होता है इसलिए मेरा निवेदन है कि डम्पिंग का जो एक क्षेत्र निर्धारित किया है उसमें यह डम्पिंग करवाया जाए।

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि पर्यावरण मित्र खनन योजना जो लागू की है वह पूर्ण रूप से लागू की जाए।

मेरा यह भी निवेदन है कि जो क्षेत्र वन क्षेत्र घोषित किया गया है लेकिन वहां एक भी पेड़ नहीं है बल्कि खाली पहाड़ है और वहां पर अभी कई माइन्स चल रही हैं लेकिन वहां वन क्षेत्र घोषित किया गया है, मेरा निवेदन है कि उसको वन क्षेत्र से हटाया जाए।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि सलूम्बर से आठ किलोमीटर क्षेत्र में जो ग्रीन मार्बल की माइन्स है, करीब 40, 45 माइन्स हैं, वहां पर आने-जाने के लिए रोड नहीं है तो मेरा निवेदन बेंड, सर्वणी और मोरिल्ला का एरिया है, जहां पर बड़े-बड़े उद्योगपति की माइन्स है, आर.के. पाले की माइन्स है और बड़े -बड़े उद्योगपति की माइन्स है तो निश्चित रूप से वहां पंचायत हैड क्वार्टर, गांव भी पड़ते हैं तो वहां खनन विभाग की तरफ से सडकें बनायीं जाएं।

दूसरा, एक मेरा यह निवेदन है कि जिन आवेदनकर्ताओं ने अपने स्वयं की भूमि में जो मार्बल है, उन्होंने जो आवेदन कर रखा है वह माइन्स आवेदन पट्टा लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको उस रोक से हटाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द। जय भारत। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री ओ.पी. महेन्द्रा। (अनुपस्थित)

श्री बाबूलाल खराड़ी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : सभापति महोदय. आपने मुझे मांग संख्या 42 और 43 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। मैं आज खनन और उद्योग नीति पर अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में माननीय वसुन्धराजी राजे, मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में उद्योग और खनन की नीति पर जो कदम उठायें हैं वह बड़े सराहनीय हैं वह और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदयाजी को और उद्योग एवं खनिज मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

धन्यवाद के बाद मैं चाहूंगा कि ज्यादा चर्चा हो चुकी है, मेरे क्षेत्र की जो आवश्यकता है, उस पर मैं आपका ध्यान दिलाऊं। कोटड़ा और झाड़ोल ऐसा पिछड़ा और ग्रामीण इलाका है कि वहां के लोग रोजगार के लिए गुजरात और उदयपुर की ओर आते हैं। वहां पर लघु उद्योग लगाये जायें तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। उसके लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय। वहां पर बांस काफी होता है और वह बांस वहां से बाहर जाता है और बांस का वहां कोई उद्योग लगाया जाय, या तो कागज का या बांस के कोई फर्नीचर बनाने का या कोई खिलौने बनाने का, ऐसा उद्योग लगाया जावे तो निश्चित रूप से उस एरिया के लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, उस एरिया में, जैसा पूर्व वक्ता ने कहा था मधुमक्खी, निश्चित रूप से उस एरिया में मधुमक्खियों का काफी वह है जो वन क्षेत्र से लोग निकाल कर लाते हैं और अपना रोजगार करते हैं। तो वहां पर यदि मधुमक्खी पालन का उद्योग चलाया जाय तो निश्चित रूप से उस एरिया में काफी अच्छा चल सकता है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर काफी मात्रा में तेंदू पत्ता होता है और वह तेंदू पत्ता ठेका होकर बाहर जाता है तो क्यों नहीं उस क्षेत्र में तेंदू पत्ते का, बीड़ी का अगर उद्योग लगाया जाय तो वहां पर वहीं रा-मेटेरियल उपलब्ध हो जाय और वहां के लोगों को रोजगार मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर ढाक होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है और उसके पत्ते खराब हो जाते हैं, तो वह भी पत्तल-दोने बनाने के लिए काफी उपयोगी है, वह बड़े पत्ते हैं और वह पत्तल-दोने बन सकते हैं। वह भी अगर उद्योग लगाया जावे तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा खनिज पर। कोटड़ा क्षेत्र में भी खनिज पदार्थ है। एक हमारा क्षेत्र है चूड़ा पंचायत का वियांटा, वियांटा में अवैध रूप से खनन होकर बाहर जा रहा था जिसको हमने रुकवाया। खनन विभाग उसकी जांच करके अगर वहां के लोगों को आबंटित करें तो वहां पर भी काफी

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसी प्रकार महाड़ी में एक माइन चल रही है उसका भी सर्वे करवा कर और अगर वहां के आस-पास के एरिया में और भी कहीं खनन है तो उसको भी वहां के स्थानीय लोगों को दिया जाय तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री नानालाल अहारी।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 42 और 43 पर मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में विश्व भर में जो मार्बल नहीं निकलता है वह मार्बल उदयपुर और डूंगरपुर दोनों जिलों में निकलता है और यह मार्बल विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है और आज इस एरिया की यह स्थिति है कि उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र में कम से कम दो सौ माइन्स लीज पर हैं और आज की तारीख में डिपार्टमेंट के माध्यम से 192 माइन्स कागजों में चल रही हैं। मेरे अन्दाज से एरिया में 60 और 70 माइन्स अभी फिलहाल चल रही है। उसका कारण एक ही है कि अभी राजनगर से आने वाले माननीय सदस्य सी.पी. जोशीजी ने भी बताया था कि उनको दिखवाया जावे कि सभी माइन्स एक प्रकार की है या नहीं, एरिया वहीं है अगर कई माइन्स में क्रेक भी निकलता है, ऐसी स्थिति में माइन्स आनर अपनी माइनस नहीं चला सकता है। दूसरा, मेरा निवेदन था कि जहां पर अधिकांश माइन आनर हमारे उदयपुर जिले से भी बाहर के हैं तो मेरा इसमें आपसे यह कहना है कि वहां के आदिवासी लोगों को भी इसी के बराबर खानों का आबंटन करने का भी अधिकार दिया जावे। इसके साथ ही हमारे आदिवासी एकता परिषद ने 2001 में एक रिट याचिका पेश की थी जिससे हमारे वहां पर माइन्स तीन महीने तक बन्द रही, मजदूरों को रोजगार नहीं मिला। ऐसी कंडीशन में 2003-04 और 2005 में दो वर्ष के लिए रायल्टी का ठेका हुआ था, हाई कोर्ट ने यह माइन्स तीन महीने के लिए बन्द करवा दी और ठेकेदारों

(श्री नानालाल अहारी)

से तीन महीने का रायल्टी का जो पैसा वसूलने के लिए सरकार तत्पर है तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब तीन महीने तक माइन्स नहीं चली, हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर, तो तीन महीने का जो रायल्टी का रुपया है उन्हें माफ कर दिया जावे।

दूसरा, इसी प्रकार से कई संगठन बनाकर इस प्रकार से माइनस में बाधा डालते हैं तो उनको भी रोका जावे। दूसरा मेरा आपसे यह निवेदन है कि माइनिंग एरिया में जितने भी रोड हैं, पहाड़ी एरिया है वहां पर चालीस और साठ टन माल करीब-करीब भरकर आता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं, दो मिनट का समय दें मुझे।

श्री सभापति : हां, बोलिए, बोलिए।

श्री नानालाल अहारी : तो वहां जो रोड बिलकुल खराब अवस्था में हैं, तो मैं खनन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर करोड़ रुपयों का राजस्व प्राप्त हो रहा है तो यहां के रोडस को भी सही करवाया जाय। दूसरा, खनन पट्टों पर लगे हुए प्रतिबन्धों को भी आन्ध्र प्रदेश की समता सामाजिक संस्था व सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये हैं उनको भी हटाया जावे। दूसरा, मेरा एक निवेदन है कि सलूम्बर में एक ओनेक्स मार्बल की जो माइन्स चल रही है और वहां कुछ एरिया फोरेस्ट में आ रहा है, वहां पर पूंजीपतियों और करोड़पतियों ने अभी से अपने प्लांट चालू कर दिये हैं और वहां पर कम से कम 170 लीजें आज की तारीख में लगी हुई हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां के रहने वाले आदिवासी को भी इसमें कम से कम आधा हक तो मिलना ही चाहिए ताकि वे लोग भी अपनी रोजी-रोटी चला सके।

दूसरा, मेरा उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि जब 1977 में आज के जो उप राष्ट्रपतिजी हैं, उन्होंने हमारे ऋषभदेव में एक धागा मिल की स्थापना की

थी और यह एन.एच. 8 पर स्थित है, तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि हमारे यहां पर भारी मात्रा में खनन निकलता है, तो आप गरीबों को या आदिवासी पिछड़े तबके के लोगों को लोन दिलाकर छोटे-छोटे लघु उद्योग दिलावे ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री बी.डी. कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, कोई मैं उद्योग और खनिज विभाग की मांगों पर विस्तृत विचार नहीं रख रहा हूं लेकिन मेरे पास जो सूचनाएं आई हैं उनको मैं सदन के पटल पर भी रखूंगा। भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं जहां हुई हैं, चौरासी कोस की यात्रा, उसमें कुछ स्थान अपने कामां तहसील में आते हैं जिसमें खास तौर से यह खाटशिला। जहां बलरामजी, कृष्णजी अपने सखाओं के साथ जाते थे तो वहां कुछ प्राकृतिक खाट बनी हुई हैं। उसको खाटशिला के नाम से जाना जाता है और वहां पर गाय चराने के वक्त में वह विश्राम करते थे।

इसी प्रकार से यह फिसलनी पट्टी है। जहां पर वह बालक रूप में लीलाएं करते थे तो वहां पर फिसलते थे। ऐसी अनेक फिसलनी पट्टियां हैं।

इसी प्रकार से भीमासुर की गुफा है जहां भीमासुर का वध किया गया था। यह सारे क्षेत्र चौरासी कोस की यात्राओं में आते हैं। बहुत ही हमारी कल्चरल और यह कहना चाहिये कि धार्मिक हैरिटेज का आधार है। इनको संरक्षित और सुरक्षित रखना हमारा कर्त्तव्य है।

इसके अलावा एक चरण पहाड़ी है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरण जगह-जगह दिखाई देते हैं।

इसी प्रकार एक है भोजन थाली। जहां प्राकृतिक रूप से थालियां बनी हुई हैं। इन थालियों में बलरामजी, कृष्णजी और अन्य उनके सखा दोपहर का भोजन किया करते थे।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

यह सारे क्षेत्र कामां पहाड़ी, कामां वन क्षेत्र में आते हैं। डाइनामाइट के विस्फोट से इन क्षेत्रों को उजाड़ा जा रहा है। जो चौरासी कोस की यात्रा है, यहां पर जो पहाड़ियां हैं कम से कम यहां खनन कार्य को बिलकुल रोका जाना चाहिये।

मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि एक एक सुनरा की पहाड़ियां जो इसी चौरासी कोस में उत्तर प्रदेश में आती हैं। वहां पर एक रमेश बाबा नाम के व्यक्ति के अनशन किया। काफी असामाजिक तत्वों ने और जो भू-माफिया हैं, खनन माफिया हैं उन्होंने उन पर हमले किये। वह घबराये नहीं, अकेले आदमी ने आन्दोलन करके कि आप पहले तो मेरे को मारो, फिर यहां पर खनन कार्य करो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस काम को रोका और वहां अवैध खनन को रोका गया। मैं चाहता हूं कि इस पूरी कल्चरल हैरिटेज को बचाने के लिये खनन मंत्रीजी कार्यवाही करेंगे और इस चौरासी कोस की यात्रा में जिन स्थलों का मैंने वर्ण किया था, यह कागज मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं, इसको संरक्षित कीजिये और यहां डाइनामाइट से जो विस्फोट हो रहे हैं उन विस्फोट को रोक कर इन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को जो करीब-करीब दो-ढाई हजार वर्ष पुराने हैं इनको बचाने का काम कीजिये।

(विवरण सदन पटल पर रखा गया)

इसके अलावा उद्योग मंत्रीजी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उद्योग नीति और निर्यात नीति कब तक आ जायेगी ? उसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन होना चाहिये राजस्थान में इतने अधिक कारीगर हैं, हथकरघा से सम्बन्धित सामान है। हमारे यहां जोधपुर में, राजस्थान के गांव गांव में ऐसे हस्तशिल्पी हैं जिनके सामानों को निर्यात करने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक्सपोर्ट के बारे में जो नीति बनाने जा रहे हैं निर्यात नीति राजस्थान की और जो उद्योग नीति बनाने जा रहे हैं उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सपोर्ट करने में सुविधा मिले। आप उद्योग लगाने वालों को क्या सब्सिडी देना चाहते हैं ? जब तक आप लैण्ड सब्सिडी, मुझे तो

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कई बार यह जानकर दुख होता है कि हमारे उद्योग विभाग से सम्बन्धित अधिकारी कुछ निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं है। आप लोग हमारे अधिकारियों को इतना अधिकार दीजिये ताकि गुजरात और महाराष्ट्र की तरह रिलायंस या कोई बड़ा उद्योग इंफोकाम का उद्योग कहीं लगने वाला हो और वहां पर उनकी मीटिंग हो रही हो तो उससे पहले ही एक दूसरे राज्य के अधिकारी उनको खींच लेते हैं कि आप गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में आइये, महाराष्ट्र की जगह गुजरात में आइये। यह वातावरण जब तक राजस्थान में नहीं बनेगा तो उद्योग कैसे लगेंगे।

मैं उद्योग मंत्रीजी से यह भी जानना चाहूंगा कि 1800 करोड़ के उद्योग जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में लगाने के लिये मंजूर किये थे उसमें से कितने उद्योग आपके लगने वाले हैं और आप कृपया यह भी बताएं कि आपकी सरकार आने के बाद कितना विनियोजन राजस्थान में हुआ है और आगे कितना विनियोजन आने की सम्भावना है? क्योंकि जब तक उद्योग धन्धों का विस्तार नहीं होगा तब तक राज्य में एक औद्योगिक वातावरण तैयार नहीं होगा। औद्योगिक वातावरण तैयार नहीं होगा तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उत्पादन और विकास की दर नहीं बढ़ पायेगी। तो राजस्थान की औद्योगिक नीति ऐसी आनी चाहिये जहां पर राजस्थान में हर तरीके से भूमि, पूंजी, संगठन, साहस और हमारी श्रम शक्ति का सम्पूर्ण दोहन करके हम इसका आदर्शतम उपयोग कर सकें।

चूंकि खासतौर से यह दो-तीन पाइंटस आये थे इसलिये मैंने इंटरवीन किया है। मैं चाहता हूं कि खनन मंत्रीजी, उद्योग मंत्रीजी इन बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री नरपत सिंहजी राजवी, उद्योग मंत्री संख्या 42 पर हुए वाद-विवाद का उत्तर देंगे। श्री नरपत सिंहजी राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदय, आज काफी घण्टों तक माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव, की गयी चिन्ता और

(श्री नरपत सिंह राजवी)

पिछले दो दिनों में दिये गये कटौती प्रस्ताव, इनका मुख्य रूप से वर्गीकरण किया जाए तो लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, औद्योगिक रूग्णता एवं निवारण, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं आधारभूत सुविधाओं का सृजन, स्थान विशेष और औद्योगिक विकास, औद्योगिक अवशिष्ट प्रदूषण एवं निवारण व संचालन, इन बिन्दुओं पर मुख्य रूप से सब चर्चा सम्मिलित हुई है। उसके अलावा कुछ सुझाव भी ऐसे आये हैं जिनको मेरे कथन में मैं सम्मिलित करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता को याद दिलाना चाहूंगा कि गुजरात से, चाहे हिमाचल से, गुजरात और महाराष्ट्र से राजस्थान को कम्पेयर करने का औचित्य क्या है? लैंड लाक्ड स्टेट है हमारी और यह सिर्फ बी.जे.पी. के टाइम में लैंड लॉक स्टेट नहीं है, लैंड लाक स्टेट तो हमेशा से रही है लेकिन जो सुविधाएं हम उनको दे सकें, जिन सुविधाओं के कारण एंटरप्रिन्योर यहां पर आकर उद्योग लगाएं और उसका लाभ उठाएं, स्टेट को भी उसका लाभ मिले, उन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिये। गुजरात में विकास अधिक हुआ है तो पोर्ट एरिया है। इम्पोर्ट भी माल वहीं से होता है, एक्सपोर्ट भी वहीं से होता है। उड़ीसा अगर आइरनओर तट पर नहीं होता तो आइरनओर का इतना विकास, इंडस्ट्री का इतना विकास नहीं होता। वेल्यू एडेड अभी भी उतना वहां पर नहीं हो रहा है लेकिन यहां पर हमारा जितना खनिज है उसमें अधिकांश खनिजों पर हमारा वेल्यू एडेड होकर उसके बाद वह निर्यात हो रहा है, या अन्य स्टेट्स में जा रहा है तब जाकर स्टेट को लाभ मिलेगा और जहां-जहां जिन क्षेत्रों में वेल्यू एडिशन नहीं है, हमारा प्रयास यह रहेगा कि वेल्यू एडिशन यहां पर हो ताकि यहां के उद्यमियों को उसका लाभ मिले। यहां पर रोजगार सृजन हो और उसके बाद में उसका अन्य स्टेट में अगर वह वितरित होता है या निर्यात होता है तो वह स्टेट के इंटरेस्ट में रहेगा।

सभापति महोदय, राज्य में अब तक जैसा हमारे पूर्व वक्ता शांति लालजी चपलोत ने कहा 2,62,884 लघु एवं दस्तकारी उद्योग पंजीकृत हुए हैं

(श्री नरपत सिंह राजवी)

जिसमें 4070.29 करोड़ का पूंजी निवेश और लगभग दस लाख सात हजार व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हुआ है। 2004-05 में 11391 लघु एवं दस्तकारी उद्योगों का पंजीयन किया गया जिसमें 430561 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हुआ। उद्योगों में करीब 235.5 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ।

राज्य में वृहद् उद्योगों के बारे में अभी चर्चा हुई थी। वृहद् उद्योग इतने बड़े उद्योग नहीं हैं। 641 वृहद् उद्योग हैं जिनमें 24,292 करोड़ का विनियोजन हुआ है। 1.77 लाख व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हुआ है।

औद्योगिक विकास के लिये नीतिगत निर्णय-बोर्ड आफ इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्गठन कर सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम का एक्ट का प्रारूप बनाकर तैयार कर लिया गया है। जब तक मेंडेटरी उस रूट से जाना नहीं होगा तब तक उसका पूरा लाभ हमको नहीं मिल पायेगा। टाइम बाउंड फाइल क्लीयरेंस और सैंक्शन जब तक मिलना आरम्भ नहीं होगी, तो यह थोड़ा सा डिस्टर्वेंस, इस प्रकार का विलम्ब हो रहा है। सब माननीय सदस्यों की चिन्ता थी। उसमें विलम्ब होना सम्भव है। जब तक मेंडेटरी नहीं करेंगे तो आप्शनल रूट से तो जिस हिसाब से जायेगा तो हम उसको बाध्य नहीं कर सकते।

राज्य में तीव्र गति से औद्योगिक विकास के लिये सुझाव देने के उद्देश्य से इकोनामिक पालिसी रिफार्म कौंसिल, ई.पी.आर.सी. का गठन किया गया है।

राज्य में प्लास्टिक उद्योग के प्रोत्साहन हेतु सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक टैक्नोलाजी, सी.आई.पी.ई.पी. की स्थापना की जा रही है जिसका कार्य माह जुलाई, 2005 में प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है। इसकी स्थापना में लगभग 24 करोड़ का पूंजी निवेश होगा। बीकानेर में सिरेमिक उद्योग के सम्बन्ध में माननीय बेनीवालजी, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की थी, सिरेमिक उद्योग के विकास हेतु सिरेमिक सेंटर की स्थापना की

(श्री नरपत सिंह राजवी)

जायेगी और इसमें 291 लाख रुपये का बजट में प्रस्ताव 2005-06 में किया गया है।

सभापति महोदय, चर्चा यह थी कि अभी जितने भी उद्योग लग रहे हैं उसका लाभ शहरी क्षेत्र में मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में भूमि भवन है उसको कोलेटरल सिक्योरिटी उस आधार पर वह रख देता है और वह उद्योग वहां पर स्थापित हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में अति लघु उद्योग से लेकर के किसी भी प्रकार का उद्योग लगाने में कठिनांई होती है। अपनी खुद की पूंजी वह लगा सकता है या बैंक से दूसरे स्रोत से ले लेगा लेकिन आर.एफ.सी. या रीको उस क्षेत्र में विनियोजन नहीं कर सकता है। उसमें थोड़ी कानूनी प्रावधानों में बाधा थी। इसको सरल करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगे क्योंकि होल्डिंग्स बहुत छोटी हो गयी हैं इसलिए हमने एक प्रावधान किया है, प्रस्ताव मूव किया है जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा क्लियर करने के बाद उसको पारित करवाया जायेगा।

नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में एग्रीकल्चर लैंड जैसे कृषि आधारित कोई चीज अपन ट्रेक्टर भी लें तो ले सकते हैं। किसी भी बैंक से, किसी भी इंस्टीट्यूशंस से उसी आधार पर एक रैड एंट्री उस जमाबन्दी के अन्दर हो जायेगी जिसके आधार पर वह आगे ट्रांजेक्शन सेल नहीं होगी। जब तक कि उसके लोन की पूर्ति नहीं होगी। कोलेटरल सिक्योरिटी रखने के प्रावधान उसमें हम डालना चाह रहे हैं। ताकि छोटे से छोटे गांव के अन्दर अपनी जमीन को वह कोलेटरल सिक्योरिटी के आधार पर रखकर छोटा उद्योग वह स्थापित कर सके और उसको रोजगार उपलब्ध हो सके। यह व्यवस्था होने के बाद में मेरी मान्यता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका लाभ मिलेगा। उससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही है उसमें डीम्ड कन्वर्जन एग्रीकल्चर लैण्ड का भी प्रावधान किया जाये। उस प्रावधान के तहत डीम्ड कन्वर्जन तो उसका करीब 2000-2500 मीटर तक का इंडस्ट्री के अन्दर प्लाट लेकर के, अपनी जमीन में इंडस्ट्री लगाना चाहता है, विभाग ने तो

(श्री नरपत सिंह राजवी)

उसको डीम्ड मान लिया कि यह इंडस्ट्रियल प्लाट है लेकिन उसकी अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में नहीं हो पाया। उसको भी स्ट्रीम लाइन करने की व्यवस्था करना चाह रहे हैं ताकि वह खुद की जमीन में उद्योग लगाना चाह रहें हैं वह भी वहां पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद होने के बाद में चाहे उसको 15 दिन का समय दे दिया जाये। उसके बाद में वह उद्योग लगाने में सक्षम होगा तब जाकर ग्रामीण दस्तकारों को और टाइनी उद्योग और लघु उद्योग स्थापित करने वालों को थोड़ा लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, लघु दस्तकार, लघु दस्तकारी उद्योग के कलस्टर विकसित किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उसके तहत 20 कलक्टर के डायग्नोस्टिक सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में इस वर्ष 2005-06 में पांच कलस्टर्स को विकसित करने की घोषणा की है। यह कलस्टर्स कैथून कोटा, डोरिया साड़ियों का कलस्टर, तलवाड़ा में पत्थर की मूर्तियों का कलस्टर, बानसूर में चर्म रंगाई व चर्म आधारित वस्तुओं का कलस्टर, छीपों का आकोला में रंगाई-छपाई का कलस्टर, दरीबा में हथकरघा कलस्टर, इनको हम इस वर्ष विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : यह तो भारत सरकार जो कार्यक्रम देती है वह सब हैं। आप क्या कर रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम का और यह जितना आप बता रहे हैं तो क्या हमारी यह सरकार का कार्यकाल पूरा होगा उसके पहले हो जायेगा या उसके बाद में होगा।

श्री नरपत सिंह राजवी : आप लोग विधायक रहेंगे तब तक हो जायेगा। चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी, नाराज मत हो, नाराज मत हो।

श्री नरपत सिंह राजवी : नहीं, नहीं ऐसा नहीं है।

श्री जुबेर खान : आप नाराज मत होइये। डेपुटेशन के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा।

श्री नरपत सिंह राजवी : यह वापस आपकी तरफ आने वाले नहीं हैं, चिन्ता ना करें।

श्री ज़ुबेर खान : मुझे तो लग रहा है कि आने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : इतनी गारंटी तो यह खुद भी नहीं दे सकते हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी : सिकन्दरा में निजी सहभागिता पर आधारित स्टोन पार्क की स्थापना करने का...(व्यवधान) कोई बात नहीं, लघु उद्योगों को सहुलियत प्रदान करने के उद्देश्य से आनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गयी है। इस हेतु समस्त जिला उद्योग केन्द्रों को कम्प्युटरीकृत कर दिया गया है।

सभापति महोदय, छोटे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहयोग देने की बात भी आयी थी। राज्य में विभिन्न स्थानों पर 2004-05 में 87 मेले व प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है जिसमें 7356.06 लाख की राशि के उत्पाद के क्रय आदेश प्राप्त हुए हैं। इन उद्योगों को सतत विभिन्न सहयोग प्राप्त हो। भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, झुंझुनूं, कोटा, दौसा, राजसमंद, उदयपुर एवं जैसलमेर में ग्रामीण हाटों का निर्माण करवाया गया है। इसमें जैसलमेर और दौसा के अलावा लगभग बाकी स्थानों पर कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

सभापति महोदय. 2005-06 के बजट में प्रावधान में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्माल स्केल को पंजीकृत इकाइयों को कपेटिव पावर प्लांट पर दर कर [illegible] मुक्त किया गया है और निवेश नीति 200[illegible] के अन्तर्गत [illegible] को घटाकर [illegible] बजट [illegible] इसे बन्द [illegible] कच्चे [illegible]

(श्री नरपत सिंह राजवी)

सभापति महोदय, कोटा स्टोन, मार्बल उद्योग को वर्तमान कर दर से 14 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत किया गया है। इन सभी से लघु उद्योगों को अधिक लाभ मिलेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 2004-05 में 90 हजार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था इसके विपरीत 1,39,000 व्यक्तियों को नियमित रोजगार के अवसर सृजित किये गये हैं। यह मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष जो रोजगार उपलब्ध हैं उसकी गणना नहीं की जा सकती है इसलिए इसमें दर्शाया नहीं है।

सभापति महोदय, मल्टीफाइबर टैक्सटाइल क्षेत्र में मल्टीफाइबर एग्रीमेन्ट एक जनवरी, 2005 से समाप्त होने से राज्य के टैक्सटाइल उद्योग की सम्भावना और तीव्र हुई है। राज्य में उन उद्योगों के विकास के लिए जयपुर में अप्रैल पार्क विकसित किये जाने का कार्य आरम्भ किया है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सीमा पर टैक्सटाइल उद्योग के लिए टैक्सटाइल जोन की स्थापना की जा रही है जिसके लिए जमीन देखी जा रही है और मेरा ख्याल है कि एक-दो महीने में जमीन एक्विजेशन करके प्रोसेस प्रारम्भ कर देंगे। एन.सी.डी.सी. के सहयोग से को आपरेटिव सैक्टर में पावरलूम और स्पिनिंग को राज्य में विकसित किया गया है। तीन बंद पावलूमों को जो कोपरेटिव सैक्टर की यूनिट थी, उनको आरम्भ किया गया है। हथकरघा उद्योग को कलस्टर के रूप में विकसित किये जाने के लिए सम्भावनायें तलाशी जा रही हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान में देश का बहुत बड़ी मात्रा में नमक उत्पादन होता है। लेकिन इस सम्भावना को और अधिक सुदृढ करने का प्रयास बहुत कम समय में किया गया है। राज्य में 77599 एकड़ लवण क्षेत्र हैं। इसमें 12425 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध है जबकि सम्भावनाएं तलाश की जायें तो और अधिक हो सकती हैं। 15.76 लाख टन नमक प्रतिवर्ष इसमें बनाया जा रहा है। नावा में लवण आयुक्त, भारत सरकार के सहयोग से माडल

(श्री नरपत सिंह राजवी)

साल्ट फार्म की स्थापना की गयी है जिस पर 33.33 लाख रुपये का विनियोजन हुआ है। इस योजना का उद्देश्य नमक उद्यमियों व श्रमिकों को अच्छा एवं उत्तम क्वालिटी के नमक का उत्पादन एवं प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाये। योजना का कार्य आरम्भ हो चुका है। लवण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के प्रयोजन से वर्ष 2004-05 में 333.66 लाख रुपये की राशि से दस सड़कों का निर्माण किया गया ताकि उन क्षेत्र को इसका लाभ मिले। वर्ष 2005-06 में लवण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सृजित करने के लिए 360 लाख रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।

सभापति महोदय, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने 6 स्थानों पर जी.एल.आर. स्थापित किये हैं। इनको पाइप लाइन डालकर जी.एल.आर. को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इस पर 57.18 लाख रुपये का व्यय होगा। यह कार्य माह जून, 2005 में पूर्ण हो जायेगा। 2004-05 में 200 नमक मजदूरों को आवास उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके अन्तर्गत 202 नमक मजदूरों के आवास निर्माण हेतु नावा शहर में निःशुल्क भूखण्ड आबंटित किये गये हैं। इन भूखण्डों पर 180 आवासों का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रत्येक मकान पर 40 हजार रुपये का व्यय होगा जिसमें 36 हजार अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे। वर्ष 2005-06 में 300 नमक मजदूर आवास बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने हेतु प्रयास। सभापित महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 10 लाख तक की पूंजी निवेश करने वाले, रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने वाले को पैकेज दिया गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने जब यह मामला ध्यान में लाया गया कि 10 लाख तक की पूंजी निवेश रूग्ण इकाई को खरीदने के बाद या वही व्यवसायी अगर उसको पुनर्जीवित करना चाहता है तो वह उसके लिए मध्यम वर्ग का होगा, लघु और अति लघु के लिए नहीं होगा इसलिए इस वर्ष जो छूट दी गई है उन्हीं प्रावधानों में उसमें 5 लाख तक की पूंजी निवेश के वह सभी लाभ का वह भागीदार होगा।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

रिवाइवल पैकेज। पुनर्वास हेतु प्राप्त किए गए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज का अनुदान 7 वर्ष तक विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट, पूर्व के बिजली बिलों के बकाया दायित्वों पर प्रभारित ब्याज व शास्ति माफ तथा मूल दायित्व को 6 अर्द्धवार्षिक किश्तों में भुगतान की सुविधा। बन्द एवं रूग्ण अवस्था में न्यूनतम प्रभार की माफी, पूर्व के बकाया बिक्री कर दायित्वों पर प्रभारित ब्याज एवं शास्ति माफ कर मूल दायित्व को छह अर्द्धवार्षिक किश्तों में भुगतान करने की सुविधा। यह 5 लाख तक निवेश जो करने वाले हैं इस पूरे वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2006 तक उन पर यह लागू होंगे।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में वे ही इकाइयां पुनर्जीवित हो सकती थीं जो 31 मार्च, 2004 तक रूग्ण घोषित हो गई थी। इस समय सीमा को 1 अप्रैल, 2004 से बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2005 तक किया गया है। अब 1 अप्रैल, 2006 तक पुनर्जीवित की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकेंगे। निर्धारित तिथि तक राज्य के कुल 679 इकाइयों के आवेदन प्राप्त हुए थे इनमें से 375 औद्योगिक इकाइयों को रुग्ण घोषित किया गया। इसी प्रकार राजस्थान वित्त निगम व रीको द्वारा 293 इकाइयों को नए निवेशकों को बेचा गया एवं 71 उद्योगों को मूल ऋणियों को लौटाया गया और नए सिरे से प्रारम्भ करने की व्यवस्था की गई, इसमें लगभग 550 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है। अध्यक्ष महोदय...

श्री सभापति : सभापति महोदय। कई सदस्य बार-बार सभापति महोदय कहते हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदय, क्षमा चाहता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : आपकी नींद खुल गई सभापति महोदय।

श्री सभापति : आसन कभी सोता नहीं है, आप स्वयं सो रहे होंगे।

श्री संयम लोढ़ा : आसन की गर्दन इधर-उधर हो रही थी।

श्री सभापति : मेरे बार-बार टोकने के बाद भी कई माननीय सदस्य अध्यक्ष बोलते रहते हैं। फिर क्या बार-बार इतना ज्यादा टोकूंगा ?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : हम आपको अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं।

श्री सभापति : माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य, मैंने कई बार आपको भी टोका, फिर भी आप बोलते जा रहे थे।

डा. सी.पी. जोशी : हमारे मन में इच्छा है कि आपको अध्यक्ष के रूप में देखें।

श्री संयम लोढ़ा : आपकी विद्वता से राजस्थान की जनता को लाभान्वित करने की मंशा है, सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने वाले सदस्य की।

श्री सभापति : अभी तो आपकी विद्वता का लाभ उठा रहा है यह सदन।

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदय, आपके शुभचिंतकों के मन में क्या है वह तो करीब-करीब सभी सदस्य जानते हैं फिर भी मैं आपके माध्यम से अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि राजस्थली जो पांच बत्ती पर है, काफी वर्षों से आर्टिजन्स का सामान वहां बिकता था और उसके माध्यम से हमारे दस्तकारों को मार्केट उपलब्ध करवाया गया था लेकिन वहां स्थान कम होने और बिल्डिंग पुरानी होने के कारण उसका निर्माण कार्य हाथ में लिया गया। 15 जनवरी, 2004 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा उसका फाउण्डेशन स्टोन ले किया गया। वर्ष इसमें कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। बाकी फ्लोर्स पर कार्य चलता रहेगा लेकिन राजस्थली जो लोस मैकिंग प्रपोजीशन बन गया था पिछले कुछ वर्षों से इस वर्ष रेड से टर्न आउट होकर प्रोफिट मैकिंग में आ जाएगा।

लोस मैकिंग क्लोज्ड हैण्डीक्राफ्ट एम्पोरियम राजस्थली जो आगरा, माउण्ट आबू और उदयपुर में थी उनको रिवाइव करके कामर्शियल लाइन पर लाकर नवम्बर, 2004 तक पुनः आरम्भ कर दिया गया है। 3000 क्राफ्ट्समैन

(श्री नरपत सिंह राजवी)

को कामर्शियल और प्रमोशनल एक्टिविटीज के माध्यम से कारपोरेशन द्वारा बेनिफिट दिया गया है।

कारगो मूवमेन्ट राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या थी। राजस्थान में कई स्थानों पर इनलैण्ड कंटेनर डिपो आरम्भ किए गए थे राजसीको के माध्यम से लेकिन ट्रकों की लाइन इतनी लम्बी रहती थी कि 15-15 दिन तक पोर्ट पर आफ लोड नहीं होता था, व्यापारी इतने दिन वैट नहीं करता इसलिए कोनकोर जो रेलवे द्वारा प्रारम्भ किया गया है, उसके साथ टाइ अप किया है कल ही फाइनलाइज हुआ है। जयपुर जैसे स्थान को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, इससे सामान तुरन्त और शीघ्र उस स्थान पर पहुंचेगा, 15 दिन का विलम्ब नहीं होगा।

105 एस.एस.आई. यूनिट्स को लाभान्वित किया है आयरन और स्टील इस वर्ष देकर, राजसीको के द्वारा, वर्ष 2004-05 में यह संख्या केवल चार थी।

नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फोर वूड टैक्नोलाजी जोधपुर में आरम्भ करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें पूर्व में जो वूड सीजनिंग का प्लांट लगा हुआ था उसी को जर्मन कोलोबोरेशन से पुनः आरम्भ कर रहे हैं, 3 साल तक वे अपनी टैक्नोलाजी और मशीनरी से हमारे को लाभान्वित करेंगे।

सभापति महोदय, पर्यावरण सुधार और संरक्षण हेतु उद्योग विभाग द्वारा कई कदम इस साल सवा साल में उठाए गए हैं। भारत सरकार की टी.सी.आई.डी.एस. योजना अन्तर्गत पाली-मारवाड़ में 18.865 करोड़ रुपए की लागत से सी.ई.टी.पी. आरम्भ की है। उसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। पर्यावरण समस्या के समाधान हेतु मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया था ताकि पूरे मसले का वे अध्ययन कर ले और माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए निर्देशों की पालना हो सके। इस हेतु 407 बीघा भूमि माननीय उच्च न्यायालय की मंशा को कवर करने के लिए रीको द्वारा

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अधिग्रहीत की गई है, वह सूची हमारे पास आ गई है, इस सूची के अनुसार जिनको हटाने के निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं उनके लिए भूमि और प्लाट तैयार हो गए हैं और उनका आबंटन आने वाले 1-2 महीने में कर दिया जाएगा।

बाड़मेर जिले के बालोतरा, बिठूजा और जसौल कस्बे में सी.ई.टी.बी. प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। जसौल में आरम्भ हो गया है, बालोतरा में करीब-करीब कम्पलीट हो चुका है और बिठूजा में अभी आरम्भ नहीं हुआ है, पांच-चार महीने और लगेंगे। यह होने के बाद इस समस्या का समाधान इस क्षेत्र में हो जाएगा।

भीलवाड़ा से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा था कि भीलवाड़ा को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि यह केन्द्रीय योजना है और इसमें हम केन्द्र से सहयोग लेते हैं और इसमें इन्टरप्रिन्योर का भी अंशदान होता है। अंशदान के बारे में चर्चा करने के बाद सी.ई.टी.पी. की जो शर्तें हैं कामन एफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट की वह शर्त एसोसिएशन के सभी माननीय सदस्य तैयार हो जाते हैं तो वहां पर भी इसकी सम्भावना को तलाश कर इसी वर्ष उसको वहां आरम्भ करने का प्रयास करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जोधपुर में करीब 10 करोड़ की लागत से सी.ई.टी.बी. प्लांट पूर्ण कर लिया गया है और वर्ष 2004-05 में इसे आरम्भ किया जा चुका है। इससे जोधपुर के वस्त्र उद्योग की प्रदूषण की समस्या समाप्त हुई है।

हजार्डस वेस्ट के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के आदेश हुए हैं। वर्तमान में गुजरात जाकर इसका डिस्पोजल हुआ करता था। अभी उदयपुर में हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल प्लांट लगाने के लिए रामकी एन ब्यूरो इन्जीनियर्स लिमिटेड, हैदराबाद नाम की फर्म को इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन और चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा सहयोग किया जा रहा है और उसको जल्दी ही पूर्ण कर लेंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

हमारे यहां मार्बल खूब है, ग्रेनाइट भी खूब है, गैंगसा भी खूब लगे हैं लेकिन उनकी अपशिष्ट-स्लरी है उसके बारे में पहले चिंता नहीं की गई, चाहे हमारी सरकार रही हो या दूसरी सरकार रही हो। अब चूंकि पर्यावरण चेतरा अधिक हुई है, कोर्ट्स के निर्देश भी इस प्रकार के हैं। किशनगढ़ में कलस्टर का काम यदि आप पधार कर देंखे तो निश्चित रूप से आपको खुशी होगी कि वहां पर कितना अच्छा काम हुआ है। पूरा डैम्प बनाया है जिसमें अपशिष्ट डालेंगे और बाद में भी उस जमीन का उपयोग हो सकेगा तो वेस्टेज भी नहीं है और उसका उपयोग भी हो सकता है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार राजसमंद और चित्तौड़ में राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की थी कि वहां पर स्लरी डिस्पोजल की कोई व्यवस्था नहीं है, कलस्टर के लिए मैंने पिछली जनवरी में कहा था, लेकिन वहां के एसोसिएशन एक नहीं आ सके थे, मैं स्वयं जाकर वहां पर कोशिश करूंगा कि सबको एक मंच पर लाकर बैठा दें ताकि उससे इस समस्या का समाधान हो सके। यह उस मार्बल व्यवसाय की समस्या नहीं है, यह पूरे राज्य की समस्या है और इसका सामूहिक रूप से हल करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका सबको लाभ मिलेगा।

पत्थर व्यवसाय में स्टोन स्लरी व स्लज के उचित निस्तारण हेतु स्टोन स्लरी, स्लज एवं फ्लाई एश को इस बजट में कर से मुक्त भी किया है ताकि इसका कोई अल्टरनेटिव यूज अगर हो सके तो उसका लाभ राज्य को मिले।

सभापति महोदय, एन्वायर्नमेंटल इम्पेक्ट स्टडीज, कोई भी नया इंडस्ट्रीयल एरिया जो 50 हैक्टेयर या उससे अधिक होगा उसमें इम्पेक्ट स्टडी करना आवश्यक है, उसमें समय लगता है। वर्तमान में एक्जिस्टिंग इंडस्ट्रीयल एस्टेट जो 50 हैक्टेयर से अधिक है, रीको के माध्यम से एन्वायर्नमेन्ट इम्पेक्ट एनेलेसिस सैल अलग से गठित कर इन स्टडीज को साथ-साथ आरम्भ करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एन्वायर्नमेंटल इम्पेक्ट स्टडी में एक साल

(श्री नरपत सिंह राजवी)

जो विलम्ब होता है दिल्ली के माध्यम से कराने में उस समय को कम किया जा सके।

सभापति महोदय, मधुमक्खी पालन के सम्बन्ध में दो माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी। हालांकि यह मेरा विषय तो नहीं है, होर्टीकल्चर और एग्रीकल्चर में यह आता है।

श्री विष्णु मोदी : खादी में आता है।

श्री नरपत सिंह राजवी : नहीं, होर्टीकल्चर में आता है।

श्री विष्णु मोदी : खादी ग्रामोद्योग में मधुमक्खी पालन का प्रोजेक्ट है।

श्री नरपत सिंह राजवी : लोन दिया जाता है। आर.एफ.सी. होटल के लिए भी लोन दे देगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि होटल इसका हो। ढाबे के लिए भी लोन दे देगा, लेकिन वह इंडस्ट्री में नहीं है।

श्री सभापति : आपस में बहस नहीं, प्लीज।

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में इस वर्ष 5 हजार मधुमक्खी कालोनी और 5 हजार मुधमक्खी पालन बाक्स अनुदान हेतु इस वर्ष प्रावधान किया गया है।

(20.22 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदीजी ने एक विषय रखा था कि हस्तशिल्प....

श्री अध्यक्ष : आप निर्वाचन क्षेत्र का नाम लें।

श्री नरपत सिंह राजवी : मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने हस्तशिल्प विकास सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं हुआ यह इन्होंने कहा। मैं आपके माध्यम से इनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि दिनांक 7-2-2005 को इसका गठन कर दिया गया है। इन्होंने कई आंकड़े भी दिये थे, उन आंकड़ों

में थोड़ी सी मिलावट थी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रीको द्वारा भूमि एक्वीजिशन का 600 एकड़ का टार्गेट था जिसके विरुद्ध 769.88 एकड़ आबंटित की गई है। लैण्ड डवलपमेन्ट का 900 का टार्गेट था जिसके अगेंस्ट में 948 एकड़ में डवलपमेन्ट हुआ है। लोन सैंक्शन 80 करोड़ का था उसमें 82.72 करोड़ रुपये सैंक्शन हुआ है। 62 करोड़ रुपये डिसबर्समेन्ट का टार्गेट था इसके अगेंस्ट में 51 करोड़ रुपये डिसबर्समेन्ट हुआ है। रिवाइवल आफ सिक क्लोज्ड यूनिट्स 25 यूनिट का था, 50 यूनिट के हमने प्रयास रीको के माध्यम से किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से जो लोन जिस वित्तीय वर्ष में, गत वित्तीय वर्ष में दिया है उसमें 6 हजार का एम्प्लायमेन्ट जनरेशन का टार्गेट था जिसके अगेंस्ट में 6850 का एचीवमेन्ट हुआ है। ऋण सैंक्शन था 300 करोड़ का जिसके अगेंस्ट में 301 करोड़ का सैंक्शन हुआ है। डिसबर्समेन्ट 200 करोड़ का था जिसके अगेंस्ट में 201 करोड़ का डिसबर्समेन्ट हुआ है। विशेष बात यह है, मैं प्रतिपक्ष के नेता के नालेज में लाना चाहूंगा कि पहले 48 परसेंट एन.पी.ए. था उसको घटाकर 44 प्रतिशत 31 मार्च तक हम ले आये हैं। नम्बर आफ सिक यूनिट्स जो पहले हमारे पजेशन में थी वो 1067 थी 2000-2001 में। वर्तमान में मात्र 436 यूनिट रहीं हैं जिनको भी इस वर्ष और नीचे लाने, उसका डिस्पोजल करने का प्रयास कर रहा हूं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस केश लोन्स एण्ड एडवांसेज जो 2003-04 में 773 करोड़ रुपया था वो 837 करोड़ रुपया 2004-05 में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मूल विषय उठाये थे और वास्तव में उन पर चिन्ता करनी चाहिए, उन पर मनन करना चाहिए। वर्तमान में सिर्फ मैन्युफेक्चरिंग सैक्टर एकमात्र नहीं रह गया है एम्प्लायमेन्ट और रेवेन्यू दोनों सर्विस सैक्टर में भी उतना ही है, एच.आर.डी. डवलपमेन्ट करने के बाद में सर्विस सैक्टर में और इम्प्रूवमेन्ट लाया जा सकता है उसका प्रयास हम करेंगे।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

राजस्थान में बेसिकली स्माल इंडस्ट्रीज में लगभग 2.5 लाख यूनिट हैं। लार्ज और मीडियम सिर्फ 500 हैं। होलिस्टिक भी उसकी लेनी पड़ेगी कि हमको एम्प्लायमेन्ट जनरेशन को भी ध्यान में रखना है। सिर्फ रेवेन्यू हमारा मंतव्य नहीं है और एम्प्लायमेन्ट हम स्माल सैक्टर और टाइनी सेक्टर और काटेज इंडस्ट्रीज के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय को अच्छी तरह ज्ञात है कि बड़ी, मंगोड़ी, पापड़ के माध्यम से एक से डेढ़ लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वो अपने घर में बैठकर बनाते हैं और शाम को जितना बना दिया अगले दिन उनको पहुंचा दिया और दुबारा पापड़ का निर्माण होता है। तो उसको कम से कम रोजगार मिल रहा है। इस प्रकार के सैल्फ हैल्प ग्रुप्स निर्मित करने का हमारा प्रयास है जैसी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता जतायी थी।

लार्ज और मीडियम इकोनोमिक ग्रोथ के लिए जी.डी.पी. के डवलपमेन्ट के लिए आवश्यक है इसमें एक्सपोर्ट ओरियंटेड यूनिट्स, क्योंकि ग्लोबल कंपीटेटिवनेस बनाये रखने के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को भी हमको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इसमें हैंडीक्राफ्ट्स में 6 लाख और जेम्स एण्ड ज्वैलरी में 2 लाख का एम्प्लायमेन्ट हो सकता है। स्किल और टेक्नोलाजी अपग्रेडेशन, यह एक निरन्तर प्रक्रिया है और ग्लोबल टेक्नोलॉजी के सामने इस कंपीटेटिव वर्ल्ड में टिकना है तो टेक्नोलाजी अपग्रेडेशन आवश्यक है। जिस तरह से टफ स्कीम लागू की गई है वो स्वयं दस्तकारों के लिए भी क्या-क्या मशीनें हो सकती हैं, जोधपुर में इसकी एक प्रदर्शनी लगायी थी, एक कार्यशाला भी आयोजित की गई थी और इसके लाभ-हानि के बारे में जानकारी दी थी।

रूडा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में थ्रस्ट एरिया के आधार पर तीन नये, पहले तो सैल्फ हैल्प ग्रुप्स पर फोकस, तीन सेक्शन वूल, लेदर और माइनर मिनरल्स, अब हैण्डलूम, हैण्डीक्राफ्ट और खादी एवं खादी विलेज

(श्री नरपत सिंह राजवी)

इंडस्ट्रीज, इनको भी थ्रस्ट एरिया में सम्मिलित किया है और इसके 20 क्लस्टर की स्टडीज जैसा मैंने आपको निवेदन किया वो निसेट का भी इसमें, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्रीयल एक्सटेंशन एण्ड ट्रेनिंग उसका भी इन्वाल्वमेन्ट इसमें साथ में कर रहे हैं ताकि मास्टर क्राफ्टसमैन को वो ट्रेंड कर दें ताकि हमारे खुद के क्राफ्टमैन को आगे ट्रेंड कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की स्ट्रेंथ है 68 प्रतिशत स्टोन प्रोडक्शन देश का हमारे प्रान्त में है, 50 प्रतिशत मसाला प्रोडक्शन हमारे प्रान्त में है, 40 प्रतिशत ऊन हमारे यहां है, हम दूध के थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नमक के हैं, 40 परसेन्ट एक्सपोर्ट आफ सिंथेटिक ब्लेंडेड यार्न राजस्थान से होता है जिनमें से भी ज्वेलरी का एक्सपोर्ट लगभग एक हजार करोड़ से अधिक पहुंच चुका है। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट और बढ़े, वर्तमान में 700 करोड़ के करीब है यह और बढ़े इसकी सम्भावना और तलाश की जा रही है।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक-दो विषय उठाये थे, माननीय नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उठाये थे. Equity participation is a very good proposition.

लैण्ड को इक्विटी पार्टिसिपेशन में पुल इन करने की स्टडी भी आरम्भ कर दी है। पहले इक्विटी पार्टिसिपेशन कैश में होता था और रीको का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि रिकवरी पिछले 20 वर्षों में नहीं हुई है। इक्विटी पार्टिसिपेशन इन टर्म्स आफ लैण्ड, इसके बारे में सम्भावना तलाश की जा रही है और निश्चित तौर पर इसका लाभ हमको मिलेगा, मेरे रहते हुए मैं इसको करके जाऊंगा यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। यह नया कंसेप्ट है।

हैंडीक्राफ्ट और रूरल हाट के बारे में मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, रा-मैटेरियल उपलब्ध है, बाड़मेर के माननीय सदस्यों ने निवेदन किया था, रा-मैटेरियल उपलब्ध है, सेल्फ हेल्प ग्रुप डवलप करने की आवश्यकता है। अकेले भीलवाड़ा में पहले हमारी सरकार बनने के बाद एक हजार सैल्फ हैल्प

(श्री नरपत सिंह राजवी)

ग्रुप थे, इस एक वर्ष में 600 नये सैल्फ हैल्प ग्रुप और बने हैं। बाड़मेर मे हथकरघा के लिए जो बुनाई का काम कर सकते हैं उसका सैल्फ हैल्प ग्रुप्स करने का कार्यक्रम हमने आरम्भ कर दिया, वहां पर सर्वे हमने आरम्भ करवा दिए और जिस दिन मैं बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य के पास रात को एक बजे पहुंचा था तो उन गांवों में से होता हुआ गया था और अगले दिन, दो दिन बाद वहां पर हमारे विभाग के अधिकारी भी गये थे।

बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या ने राइस समस्या के बारे में चर्चा की थी। यह सोचना पड़ेगा कि एंट्री टैक्स अगर कम करते हैं या मना करते हैं, बंद करते हैं, मैं मेरी तरफ से प्रस्ताव करूं तो मैं ऐसा प्रस्ताव नहीं करूंगा जिसमें कम से कम किसानों को नुकसान हो क्योंकि सिर्फ 35 कार्यक्रमों का लाभ देने के लिए पांच करोड़ की जनता को नुकसान हो या जितने किसानों का नुकसान हो, ऐसा प्रस्ताव मेरे हाथ से तो नहीं जाएगा। उनको किस प्रकार से रिवाइज किया जा सकता है वर्तमान में मैं एक सुझाव जरूर दे सकता हूं कि बासमती प्रोड्यूसिंग एरिया बूंदी नहीं है लेकिन बूंदी का चावल हरियाणा में जाकर पैकेज होकर वह भी एक्सपोर्ट होता है वह राइस प्रोड्यूसिंग में कुछ सहयोग मैं आपसे भी लेना चाहूंगा, आप लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से यहां सं प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजेंगे, केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और यहां पर बासमती प्रोड्यूसिंग एरिया घोषित कर दिया तो निश्चित तौर पर डाइरेक्ट यहां से एक्सपोर्ट चावल होने लगेगा और बासमती एक्सपोर्ट होने के बाद में जितनी यूनिट्स हैं वह बन्द होने के कई कगार पर नहीं आएंगी। आदिवासी क्षेत्र के माननीय विधायकों ने इस क्षेत्र में लोन आदि उपलब्ध नहीं होने के बारे में चिंता जताई। मैं आपको सभी को सदन में अध्यक्षजी, आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां पर सम्भावनाएं हैं, अगर लोन लेने वाले तैयार हैं तो मैं स्वयं वहां पर जाकर कैम्प लगाकर उनको लोन उपलब्ध करवाऊंगा ताकि रोजगार वहां पर उपलब्ध हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. सी.पी. जोशी : सैल्फ हैल्प ग्रुप के लिए बैंको का जो लिंकेज है उसके सम्बन्ध में आपने कोई बात नहीं की। राजस्थान में जब तक सैल्फ हैल्प ग्रुप का बैंक से लिंक नहीं करेंगे तब तक सैल्फ हैल्प ग्रुप हमारा जितना स्ट्रेंथन होना चाहिए वह नहीं होगा।

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं इसको एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूंगा। बाड़मेर में थोड़ा पहले एक ही गांव में 140 परिवार हैं जिसमें खड़ी का काम वह करते हैं, बुनाई का काम करते हैं, वह इंडिविजुअल करते हैं इसलिए एक बेल लेकर आएगा पांच किलोमि की उसमें दो खेसला बनेगा और उसमें थोड़ा बहुत आधा किलोमि बचेगा, उसको वह छोड़ेगा, दो को बेचकर फिर दूसरा सूत लेकर आएगा, हम उसका यार्न बैंक बना रहे हैं, उस यार्न बैंक के आधार पर मैं उस गांव में जो भी पढ़ा लिखा बच्चा है उसको एक दो को तैयार करके सैल्फ हेल्प हेप ग्रुप को वह मानीटर करेगा, यार्न बैंक से यार्न सप्लाई करेगा और जब उसकी राशि उसको वापस मिलेगी तब वह यार्न बैंक से और अतिरिक्त यार्न खरीदकर उसमें यार्न बैंक में रख देगा। इस प्रकार की व्यवस्था हम उसके साथ लिंकेज करने जा रहे हैं ताकि वह कंटीन्यूटी उसके अन्दर रह जाए।

डा. सी.पी. जोशी : बैंकिंग लिंकेज का मतलब है कि सैल्फ हैल्प ग्रुप को बैंक का स्माल क्रेडिट वाला पार्ट है उसके साथ जोड़ने के लिए जितने कामर्शियल बैंक हैं उसमें सैल्फ हैल्प ग्रुप को फैसिलिटी नहीं दी है, नया कंसेप्ट यह आया है कि सेल्फ हैल्प ग्रुप को बैंकिंग के नीचे सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए भी आथोराइज किया जावे, राजस्थान में भी यह लिया जाना चाहिए।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष [illegible]ोदय, [illegible] फाइ[illegible] करना चाहता हूं, नाथद्वारा से [illegible] सदस्य [illegible] बजट के सम्बन्ध में अलग-अलग सुझाव [illegible] उस [illegible] सैल्फ हैल्प [illegible] [illegible]

(श्री नरपत सिंह राजवी)

बैंक से करवाएं ताकि आज की तारीख में जयपुर जिले के अधिकांश सैल्फ हैल्प ग्रुप्स हैं उनको 10 हजार से अधिक का लोन का क्रेडिट लिमिट सैंक्शंड है, उस लेवल तक वह क्रेडिट उनको मिल जाता है क्रेडिट लिंकेज के साथ में सैल्फ हैल्प ग्रुप को आगे आसानी हो जाएगी। इसी हिसाब से एक बार मैं आपको रनिंग करने के बाद उसका क्रेडिट लिंकेज करवा देंगे, निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री मोहन लाल गुप्ता : ज्वेलर्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए विशेष पैकेज की मांग की है और मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जयपुर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो स्थापित हो रहा है उस बारे में और जयपुर के ज्वेलर्स के लिए ज्वेल्स बोरो और हैंडीक्राफ्ट जोन यहां से दो हजार करोड़ का एक्सपोर्ट हो सकता है। (व्यवधान) और मूर्तिकारों के लिए आपने जो योजना बनाई उसके सम्बन्ध में भी विचार करें।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना) : अध्यक्षजी, वन मंत्रीजी बोलें इससे पहले मेरा एक प्रश्न है। वन के भी यही हैं और खनिज के भी यही हैं और एनवायरनमेन्ट के। (व्यवधान) मुझे मेरी बात पूछनी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं तो आप, बोलने से पहले क्या प्रश्न है ? बोलने के बाद तो प्रश्न हो सकता है, पहले क्या प्रश्न है ?

श्री अतर सिंह भड़ाना : नहीं, इसके पहले ही मैं वक्ता हूं आज का, बाद में पूछूं ?

श्री अध्यक्ष : हां, कोई प्रश्न है यदि इनके उत्तर में यदि आपको कोई शंका रहे तो आप अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिएगा।

श्री अतर सिंह भड़ाना : वैसे मेरा नम्बर था अध्यक्षजी, आप तो थी नहीं, इन्होंने मेरा नम्बर नहीं दिया, एन.एस. साहब ने, तो मैं समझ रहा था प्रश्न बनाकर ही पूछ लूं अपनी बात को।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-43 के सम्बन्ध में इस सदन में 28 माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए और माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव के जरिए जानकारी चाही। माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान के अधिकांश व्यक्ति कृषि, पशुपालन और खनिज कार्यों पर आधारित हैं। राजस्थान का दो तिहाई भाग मरुस्थलीय है, विशेष परिस्थितियों के पश्चात् भी राजस्थान की इस पवित्र धरती में खनिज सम्पदा का अथाह भण्डार है। 10 माह के मेरे कार्यकाल में खनिज विभाग में कार्यों को कैसे गति दी जाए, अवैध खनन पर कैसे प्रतिबन्ध लगाया जाए, इसकी रोकथाम की कैसे व्यवस्था की जाए, नई खनिज सम्पदा को किस तरह उजागर किया जाए और राजस्थान के राजस्व की आय में खनिज सम्पदा के जरिए किस प्रकार बढ़ोत्तरी की जाए, इसका प्रयास मैंने अपने 10 माह के कार्यकाल में करने की चेष्टा की। माननीय सदस्यों ने अवैध खनन के बारे में पैट्रोलियम और रिफाइनरी के बारे में लिग्नाइट पर आधारित कोल प्रोजेक्ट के बारे में अपने क्षेत्र के अन्दर जो खनन समस्याएं हैं उन समस्याओं के निस्तारण के बारे में अलग-अलग चर्चा की। उन सभी माननीय सदस्यों के द्वारा जो भी सकारात्मक और जो समस्याओं के बारे में राज्य सरकार को मुझे व्यक्तिशः जानकारी उपलब्ध कराई इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों को तहेदिल से आभार प्रकट करना चाहता है, सहयोग भी देना चाहता हूं और सुझाव भी देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब का कर्तव्य है कि राजस्थान विकास की ओर आगे कैसे बढ़े, राजस्थान समृद्धशाली कैसे बने, राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र और शहरों में जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं का निस्तारण किस प्रकार किया जा सके, यह हम सब लोगों का परम कर्तव्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में खनिज के महत्व के बारे में कहा है, "आकर प्रभवम् कोष कोष दंडे प्रजापते, पृथ्वी कोष छंड ददाभ्याम प्राणते कोषभूषणम," अर्थात् खानें वास्तव में राज्य के अर्थ का परम स्रोत हैं। खनिजों

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

से समृद्ध राज्य ही पृथ्वी के आभूषण होते हैं। इस दृष्टि से राजस्थान जहां 66 तरह के प्रधान और अप्रधान खनिज पाये जाते हैं, निश्चित रूप से भारतवर्ष का आभूषण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज खनिज आम व्यक्ति के लिए हर कार्य के अन्दर चाहे सड़क का कार्य करो, चाहे रेल के निर्माण का कार्य हो, चाहे प्राइवेट पर्सन के द्वारा मकान के निर्माण का कार्य हो, चाहे औषधी उद्योग के अन्दर कोई कार्य हो, खनिज का प्रमुख महत्व है। हर स्थान पर खनिज की महत्ता होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व में जिस गति से विकास के कार्य हो रहे हैं वे सभी खनिज की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देन है। चाहे सड़क निर्माण, रेल निर्माण, बड़े उद्योगों की स्थापना और प्रत्येक गतिविधि में खनिज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप सभी परिचित हैं, राजस्थान को खनिजों का अजायबघर भी कहते हैं क्योंकि यहां पर 68 तरह के खनिज हैं और इनमें 58 खनिजों का उत्पादन प्रदेश में वर्तमान समय में हो रहा है। देश में केल्साईट, बोलेस्टोनाइट खनिज का शत-प्रतिशत उत्पादन और जिप्सम एवं जस्ता का लगभग शत-प्रतिशत उत्पादन हमारे प्रदेश में होता है। प्रदेश में उत्पादित खनिजों का सालाना मूल्य 2500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। खनिज विकास के क्षेत्र में विकास की अपार सम्भावना है। राज्य के पश्चिमी भाग में तेल, प्राकृतिक गैस एवं लिग्नाइट खनिजों के विपुल भण्डार विद्यमान हैं। इन खनिजों के अधिकाधिक भण्डारों को प्रमाणित करने हेतु बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कम्पनियां विस्तृत पर्यवेक्षण कार्य कर रही हैं।

विकास का कार्य हो और उसमें पर्यावरण का प्रभाव न पड़े यह भी सम्भव नहीं है। परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, समग्र विकास के साथ संतुलित विकास होना चाहिए इसके लिए मैं खनिज मंत्री के साथ में वन मंत्री के नाते भी मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। राजस्थान में समग्र विकास हो और समग्र विकास के साथ में संतुलित विकास किया जाए,

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

पर्यावरण के संरक्षण को भी देखा जाए। वन सम्पदा और वन्य की भी सुरक्षा की जाए, उन्हें संरक्षण दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष काफी चुनौतियां भरा रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा, सुरक्षित खनन सुनिश्चित करने के लिए विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई है। इसी क्रम में भरतपुर जिले में जैसे माननीय प्रतिपक्ष के नेता और बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या ने बृजचौरासी कोस के अन्दर जो चिन्ता प्रकट की और आपने जो जानकारी दी कि इस क्षेत्र के अन्दर जहां बृजचौरासी क्षेत्र के अन्दर जहां पर यात्रा की जाती हैं वहां पर फिसलपट्टी उस क्षेत्र के अन्दर भोमासुर की गुफा, चरण पहाड़ी, भोजन थाली, उपरोक्त तमाम क्षेत्र कामां पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं दिनांक 27-1-2005 को राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, जो धर्म के प्रति विशेष और वहां पर चौरासी क्षेत्र कोस की परिक्रमा करने के लिए जो पूरे राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान के लोग वहां पर आते हैं तो चौरासी कोस की परिक्रमा के उस क्षेत्र में जो रमेश बाबा ने प्रस्तावित नक्शा दिया था उस नक्शे को हमारे खनिज विभाग के अधिकारियों ने मौके की जांच कर उसका आंकलन किया गया और आंकलन के पश्चात् जहां-जहां वहां चौरासी कोस की परिक्रमा का जो क्षेत्र है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 19 माइंस आती है उन 19 माइंस के लिए हमने राज्य सरकार के द्वारा रमेश बाबा और धार्मिक क्षेत्र के जन प्रतिनिधि और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यहां पर बुलाकर उनकी राय कायम की, उनसे विचार विमर्श किया और उसके बाद यह निर्णय लिया 27-1-2005 को कि जहां चौरासी कोस की परिक्रमा करने का जो रास्ता है उस रास्ते के अन्दर जो 19 माइंस आती हैं उन 19 माइंस को बन्द करने का निर्णय किया। इससे एक करोड़ की राजस्व की हानि हुई। उसके पश्चात् भी राजस्थान सरकार और भारतवर्ष की तमाम धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार ने यह पहली बार बहुत ही अमुक निर्णय लिया इसकी जानकारी प्रतिपक्ष के नेता को भी मैं देना चाहता हूं।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना क्षेत्र में खान सुरक्षा के सम्बन्ध में कई खानों पर न्यायालय के द्वारा खनिज कार्य बन्द करने के आदेश जारी किये गये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18-2-2004 के तहत अश्वसी चौबीसा बनाम राजस्थान सरकार के अन्दर जो एक निर्णय हुआ उस निर्णय के तहत 20758 खानों को बन्द कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने और हमारे अधिकारियों ने, हमने तत्परता दिखाई, एन्वायर्नमेन्ट और खनिज विभाग के बीच में हमने कैम्प की व्यवस्था की और कैम्प की व्यवस्था करके हर सम्भव स्तर पर हर सब डिविजन के स्तर पर कैम्प की व्यवस्था की और उसके अन्दर 16 हजार माइंस को वापस चालू करवा दिया गया। यह राजस्थान सरकार की पारदर्शिता और राज्य सरकार की खनिज नीति का प्रतीक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आंधी क्षेत्र में खनिज मार्बल का खनिज का कार्य सैण्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए बन्द रखा गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अपना पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मजबूती से रखा है। अभी निर्णय होना शेष है और उम्मीद करते हैं कि निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में होगा। ऐसी हमें आशा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय 2003-04 में विभाग ने 513 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया था और 2004-05 में विभाग को आयलक्ष्य 611 करोड़ रुपये का रखा गया था जिसको बाद में बढ़ाकर 625 करोड़ रुपये किया गया और वर्ष 2004-05 में विभाग ने प्रत्येक स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की, परिणाम यह हुआ कि लक्ष्य से भी अधिक 638.7 करोड़ रुपये के राजस्व की आय प्राप्त हुई जो पिछले वर्ष की आय प्राप्ति से 24 प्रतिशत अधिक है। पिछले 8 साल में जो भी लक्ष्य रखा गया था उसको प्रत्येक आठ वर्ष में कोई भी टार्गेट अचीव नहीं किया गया और इस वर्ष जो टार्गेट दिया गया था 611 उसको बढ़ाकर 620 किया गया और हमारे अधिकारियों की तत्परता के द्वारा, राज्य सरकार की एफीसियेंशी के द्वारा, राज्य सरकार की मानीटरिंग के द्वारा

638 करोड़ रुपये की राजस्व की आय हमें प्राप्त हुई है। मैंने स्वयं ने सम्भाग स्तर पर अधिकारियों की कमेटियों की मीटिंग लेकर मानीटरिंग का कार्य किया उसके परिणाम में पिछले 8 वर्षों में विभाग पहली बार निर्धारित राजस्व लक्ष्य की न केवल प्राप्ति की बल्कि लक्ष्य से भी अधिक राजस्व प्राप्त किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिजों के खोज के कार्य में मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड एवं जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के द्वारा नियोजित तरीके से खोज की जाती है। इस वर्ष विभाग के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 60 परियोजनाओं के तहत विभिन्न खनिजों की खोज का कार्य किया गया जिसके तहत 6975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रीजनल मिनरल सर्वे, 658 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रीजनल जियोलाजिकल मैपिंग और 64.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत जियोलाजिकल मैपिंग और 9934 मीटर छिद्रण तथा 152.1 लाइन किलोमीटर जियोलाजिकल सर्वे का कार्य किया गया। वित्तीय वर्ष 2004 में निम्न खनिजों के भण्डार प्रमाणित किये गये :- जिला झुन्झुनूं, जहां से माननीय अध्यक्ष महोदया आप स्वयं विराजती हैं, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ एवं नागौर में 1960 लाख टन लाइमस्टोन के भण्डार हमें प्राप्त हुए हैं। जिला बाड़मेर एवं नागौर में 308 लाख टन लिग्नाइट के भण्डार हमें मिले हैं। इसके अलावा औद्योगिक खनिज ग्लास व सिरेमिक खनिज इमारती, आयामी प्रिसियस व सेमी प्रिसियस स्टोन आदि खनिजों की खोज बाबत भी विभाग के द्वारा विभिन्न स्थानों पर सर्वेक्षण कार्य किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग में खनन पट्टों के बाबत आवेदन पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी। पिछले कई वर्षों से आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं हो रहा था और पत्रावलियां लम्बित थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निस्तारण की प्रक्रिया में इस वर्ष तेजी लाई गई और 56 साल के इस कार्यकाल में पिछले 6 माह के अन्दर 11577 आवेदन पत्रों का निस्तारण कर 1679 नई खानें स्वीकृत की गईं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निस्तारण की प्रक्रिया में इस वर्ष तेजी लाई गई और पिछले छह महीनों में,

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

56 साल के कार्यकाल से पिछले छह महीनों के अन्दर 11577 आवेदन पत्रों का निस्तारण कर 1679 नई खानें स्वीकृत की गईं जो कि अपने आपमें एक रिकार्ड उपलब्धता है, जिसका नया रोजगार सृजित हुआ है, नये और उद्योगों के आने की सम्भावना बढ़ी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिशुल्क निर्धारण के लम्बित प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर इस वर्ष 8808 प्रकरणों में अधिशुल्क निर्धारण को अन्तिम रूप दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में खनिजों के अवैध खनन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही की गई। राज्य सरकार अवैध खनन को पूर्ण रूप से बन्द करने के लिए कटिबद्ध है। गत वर्ष अनाधिकृत खनन की रोकथाम पर विशेष बल दिया गया जो कि राज्य सरकार की अवैध खनन पर अंकुश लगाने की इच्छा शक्ति जाहिर करता है। वर्ष 2004-2005 में की गई कार्यवाही के तहत अनधिकृत खनन के विरुद्ध बनाये गये 523 प्रकरणों और 83 लोगों के विरुद्ध एफ.आई.आर. लाज की गई। अनधिकृत खनन और निर्गम से माह दिसम्बर तक रुपये 1,43,96,939/- की एवं मार्च तक कुल 1.66 करोड़ रुपये की मांग कायम की गई जिसके विरुद्ध रुपये 81.20 लाख की वसूली की गई। राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन के लिए निदेशालय में एक अधीक्षण अभियन्ता और तीन एम.ई. की एक सतर्कता विजिलेंस की स्थापना की गई ताकि जहां कहीं भी अवैध खनन की जो रिपोर्ट प्राप्त होवे, तत्काल वह अधीक्षण अभियन्ता की टीम है, वह मौके पर पहुंचे और उसका निर्णय करें और जो अवैध खनन कार्य करते हैं, उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करें। अवैध खनन की रोकथाम हेतु स्वीकृत खनन क्षेत्रों में विलर्स भी संधारित किये जा रहे हैं जिसमें वैध एवं अवैध खनन की मौके पर आसानी से पहचान की जा सके। इसके साथ ही जयपुर स्थित मुख्यालय पर अधीक्षण अभियन्ता और एम.ई. की वहां पर एक बिजिलेंस सैल की स्थापना की गई ताकि जहां कहीं भी अवैधानिक रूप से कोई भी शिकायत अगर प्राप्त हो, मौके पर त्वरित गति से जाकर उसकी रोकथाम की जा सके।

इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष खनिज विभाग में अनधिकृत खनन की रोकथाम हेतु सेवानिवृत सैनिकों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध कराये गये ताकि जहां कहीं भी अवैधानिक खनन का कार्य होवे, तत्काल उसकी रोकथाम हो जावे। अजमेर, भीलवाड़ा, आमेट, भरतपुर, बीकानेर और हनुमानगढ़ व गंगानगर में अनधिकृत खनन की रोकथाम बाबत विशेष अभियान चलाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के पास आधुनिक उपकरणों से लैस रासायनिक एवं सिरेमिक प्रयोगशाला है। उसमें धात्विक एवं अधात्विक खनिज नमूनों का रासायनिक विश्लेषण होता है। वर्ष 2004-2005 में 3086 खनिज नमूनों का रासायनिक विश्लेषण किया गया। इसमें विभागीय नमूनों के अतिरिक्त व्यवसायियों एवं अन्य राज्यों से प्राप्त नमूनों का भी निर्धारित राशि वसूल कर विश्लेषण किया गया। प्रयोगशाला में अनुभवी वैज्ञानिक एवं रासायनिक्ष हैं। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार की मंशा रहती है कि खनन गतिविधियां पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, जिस क्षेत्र में वन है वहां खनन नहीं और लेकिन जहां खनिज है वहां पेड़-पौधे नहीं, बिना वजह वहां खनन नहीं रोका जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, खनन विभाग के द्वारा प्रयास है कि 25 लाख पेड़ इस वर्ष लगाये गये। इस वर्ष भी एक लाख से अधिक पौधे और लगाये गये हैं जिनकी देखभाल व संरक्षण एवं सघन पट्टेधारी अथवा उनकी खेती के द्वारा उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है।

जिला कलक्टर के माध्यम से खानों से निकलने वाले मलबे को एक जगह पर डालने हेतु भूमि का चयन कर उसका आबंटन भी कराया जा रहा है। शेष जिलों में भी इस प्रकार की व्यवस्था के लिए जिला कलक्टर महोदय को निर्देश दिये गये हैं।

पट्टाधारियों, खान श्रमिकों एवं आम जनता में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति चेतना जाग्रत करने हेतु समय-समय पर विभिन्न जिलों में पर्यावरण

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

शिविर आयोजित किये जाते हैं जहां पर जन प्रतिनिधियों को, विधायकों को आमन्त्रित किया गया, कार्यशाला व गोष्ठियां की गईं ताकि लोगों की जब तक सहभागिता नहीं होगी, जब तक लोगों के बीच में आपस में सामन्जस्य नहीं होगा, वन एवं पर्यावरण के प्रति जब तक जागरूकता नहीं होगी, तब तक पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया जा सकता, वनों का संरक्षण नहीं किया जा सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेचर के साथ में जब कभी भी खिलवाड़ करने की कोशिश की, नेचर ने आपका साथ देना बन्द कर दिया इसलिए इसका सन्तुलन रखने के लिए यह नितान्त आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग में पहली बार मेरे स्तर पर विभाग के सभी अधिकारियों की नियमित रूप से प्रत्येक माह में बैठकें आयोजित की गई। विभाग के सम्बन्धित कार्यों का विस्तृत विवेचन, आय-व्ययक लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयां और आम आदमी के समक्ष जो भी कठिनाइयां हैं, प्रत्येक महीने में मीटिंग तय करके उनका निस्तारण किया जाता है। सम्भाग स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

वर्ष 1997 से ही सीमेंट उद्योग में विभाग की ब्याज की राशि 20 करोड़ थी। हमने अपनी तरफ से उसमें उच्च न्यायालय के द्वारा वसूली में कोई एक्शन नहीं लेने के निर्देश देने के बाद हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, सीमेंट फैक्ट्री वालों से चर्चा की और उनसे चर्चा करने के बाद में पांच करोड़ रुपये की ब्याज की राशि हमने वसूल की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरानी बकाया के तहत विशेष अभियान चलाकर भू-राजस्व अधिनियम के तहत कई स्थानों पर पुलिस का भी सहयोग लिया गया और प्रभावी कार्यवाही की गई।

राज्य में प्रधान खनिजों की रायल्टी वसूली लगभग सभी स्थानों पर अधिशुल्क वसूली और अधिशुल्क वसूली के ठेके दिये गये हैं जिसमें विभाग की आय में रिकार्ड बढ़ोतरी हुई है।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में खनिज नीति वर्ष 1994 में बनाई गई थी। इस नीति को बदलने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नई जो खनिज नीति है जो कम्प्लीशन होने को है, उसके बारे में नई पालिसी के तहत हर माइन्स के जो माइन्स होल्डर हैं, उनकी एसोसिएशन के सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों के विचार आमन्त्रित किये गये, उनसे मैमोरण्डम लिये गये और सम्भाग स्तर पर इस प्रकार की मीटिंग आयोजित की गई और प्रदेश में भी इस प्रकार से हमारे अधिकारियों के बीच में मीटिंगों का आयोजन किया गया ताकि यह जो खनिज पालिसी जो अभी बनने जा रही है, वह रोजगारोन्मुख होवे और उसमें सरलीकरण किया जावे और राजस्थान की जनता को इस खनिज नीति के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कैसे कर सकें, इस तरह की व्यवस्था का प्रावधान लाने की हम कोशिश कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रायल्टी कलेक्शन में ठेकेदारों के द्वारा कई बार ठेके की राशि निर्धारित समय पर जमा नहीं कराई जाती है। ऐसी राजकीय आय समय पर जमा नहीं हो, इसके लिए बकाया राशि होने पर ठेकेदार को रायल्टी रसीदें जारी करने पर पाबन्दी लगा दी गई। जब तक पुरानी जो ड्यूज हैं, वह जब तक जमा नहीं करायेगा, तब तक उसको रसीद नहीं दी जायेगी अन्यथा क्या होता है अध्यक्ष महोदय, किसी एक्स के नाम से या किसी लोकल पर्सन के नाम से जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसकी कोई जमीन नहीं है, कोई एफ.डी. नहीं होती है और उसके पीछे जो लोग हैं, जो बड़े-बड़े ठेकेदार हैं, जो कहीं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, कोई बिहार के रहने वाले, कोई उड़ीसा के रहने वाले, कोई हरियाणा के रहने वाले हैं, वह ठेके के माध्यम से बाद में ड्यूज रहती है और उनकी रिकवरी नहीं होती है इसलिए इस रिकवरी को सही, ठीक ढंग से रिकवरी करने के लिए हमने ऐसी व्यवस्था की कि जब तक ड्यूज आप नहीं देंगे, तब तक आपको अगले महीने की रसीदें हम अलाट नहीं करेंगे। इससे ड्यूज के बारे में, जो भी ड्यूज थी, उसकी रिकवरी के बारे में बड़े ही प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स हमें प्राप्त हुए हैं।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आबंटन में पारदर्शिता लाने हेतु स्वीकृत योग्य आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु वृत स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया जिसमें आबंटन में पारदर्शिता बनी रहे, खनिज पार सेल्फार के खनिज पट्टों की स्वीकृति की प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। खनिजवार सेल्फार के लिए सीधे ही खनन पट्टा जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई अन्यथा पी.एल. के द्वारा बड़ी-बड़ी जमीनें, बड़े-बड़े क्षेत्र को और जिनको रिजर्व करने के कारण, ये कई वर्षों तक इनको रिजर्व रखते हैं ताकि आम लोगों को इसका फायदा नहीं होता है इसलिए इसका सरलीकरण करने के लिए एम.एल. की व्यवस्था की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व रिकार्ड में खनिज क्षेत्रों के अंकन के बारे में भी हमने निर्णय लिया और अब तक 876 क्षेत्र चिन्हित किये गये जिसमें से 622 में अंकन कार्य पूर्ण हो चुका है। स्थाई स्वीकृति बिन्दु खनन पट्टा के क्वारी लाइसेंसों के स्थाई स्वीकृति बिन्दु के बाद चयन का कार्य भी किया जा रहा है। अब तक 1498 में...

श्री अध्यक्ष : माननीय खनिज मंत्रीजी, अभी एक स्टेटमेन्ट और देना है कटारियाजी को, आप कितना समय और लेंगे ?

श्री संयम लोढ़ा : सदन सन्तुष्ट है इनके जवाब से, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सदन सन्तुष्ट है आपके जवाब से, पढ़ा हुआ मान लें आप तो।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट और देना है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : 1498 स्थान चिन्हित हैं, 678 स्थाई स्तम्भ बनाये गये हैं। ये पिलर्स लगाने के लिए बार-बार जो डिस्पुट होते हैं। एक खनन पट्टाधारी और दूसरे के बीच में डिस्पुट होता है, इसको समाप्त करने के लिए पिलर्स की व्यवस्था की जा रही है।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनरल डाइरेक्ट्री आफ राजस्थान का भी प्रकाशन किया गया है ताकि जो बाहर के इनवेस्टर राजस्थान में आ सकें, उनको जितनी भी जानकारी चाहिए, वह जानकारी इस मिनरल डाइरेक्ट्री के द्वारा मिल सके, ऐसी भी व्यवस्था हमने की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पैट्रोलियम की खोज के अन्वेषण के कार्य को गति प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास किये गये। इसके अन्तर्गत अब तक खनिज तेल के नौ क्षेत्रों की खोज की गई जिसमें सरस्वती, मंगला, ऐश्वर्या, भाग्यम्, विजया, शक्ति प्रमुख है। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का मानना है कि मंगला तेल क्षेत्र की खोज देश में गंधार तेल क्षेत्र के बाद गत दो दशकों में सबसे उल्लेखनीय खोज है। वर्तमान सरकार में पन्द्रह महीने के कार्यकाल में पैट्रोलियम अन्वेषण हेतु कुल 64 कुओं की खुदाई की गई जिसमें उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए। एक प्रकार से रिकार्ड उपलब्धि है जबकि इससे पूर्व 47 वर्षों के दौरान मात्र 124 कुओं की खुदाई की गई, परिणाम भी ज्यादा उत्साहजनक नहीं थे। बाड़मेर-सांचोर बेसिन में अब तक 300 मिलियन टन खनिज तेल के भण्डार सिद्ध किये जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ समय पूर्व आई.ओ.सी. के चेयरमैन मिस्टर रामचन्द्रन, जिन्होंने समाचार-पत्रों में इस प्रकार की बात कही कि राजस्थान के अन्दर मात्र पांच वर्ष तक का ही पैट्रोलियम का डिपोजिट है इसलिए राज्य में रिफाइनरी नहीं लगाई जा सकती। इसी तरह केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्री ने भी...

श्री अध्यक्ष : बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोग बातें कर रहे हैं, सुनिये तो सही।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : पांच साल तक की बात की थी और उन्होंने भी डाइरेक्ट हाईड्रो कार्बन की जो 2003-04 में डीजीएच की जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने जो मैसेज दिये थे, उसमें 380 मिलियन टन का पैट्रोल का यहां पर डिपोजिट बताया था और बड़ी खुशी की बात है अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान ऐसा गरीब प्रदेश है जिसमें पिछले सौ साल में 26 साल अकाल पड़ा

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

और अकाल के अन्दर अधिकांश यहां पर गांव का गरीब व्यक्ति, गांव का किसान यहां से अन्य प्रदेशों के अन्दर मजदूरी के लिए जाता है, यह प्रकृति ने पहली बार हमारे पर प्रसन्न होकर यह धरोहर हमें दी है और इस धरोहर का अगर कोई उपयोग करने का अगर अधिकार बनता है तो वह राजस्थान की इस गरीब जनता का अधिकार बनता है, यहां के रहने वालों का अधिकार बनता है, इसलिए रिफाइनरी राजस्थान में ही लगनी चाहिए, इसी बात पर राजस्थान सरकार, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री इस पर कटिबद्ध थीं और केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्रीजी ने अब इस पर अपनी स्वीकृति दी है, आई.ओ.सी. ने अपनी इच्छा जाहिर की है, ओ.एन.जी.सी. ने केयर्न एनर्जी के साथ राजस्थान में रिफाइनरी लगाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। अगर रिफाइनरी राजस्थान में लगती है, चार हजार करोड़ का इनवेस्टमेन्ट होता है, डाइरेक्ट रूप से पन्द्रह हजार लोगों को रोजगार मिलता है, इनडाइरेक्ट रूप से एक लाख लोगों को रोजगार मिलता है और इस रिफाइनरी के कारण ऐसी सौ इण्डस्ट्रीज, छोटी-बड़ी इण्डस्ट्रीज और वहां लगती हैं तो करीबन एक लाख लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए यह राजस्थान की जनता का अधिकार है, राजस्थान के किसान, गरीब जनता और यहां के रहने वाले लोगों का अधिकार है। इसलिए रिफाइनरी लगेगी, राजस्थान की धरती पर लगेगी।

श्री अध्यक्ष : रिफाइनरी के बाद अब और क्या कहेंगे आप, सबसे बड़ी बात तो कह दी।

श्री संयम लोढ़ा : रिफाइनरी लग गई अध्यक्ष महोदय, बहुत है अब।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान द्वारा केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्री को 3 मार्च, 2005 को पत्र लिखकर इण्डियन आयल कार्पोरेशन के चेयरमैन के भ्रामक वक्तव्य पर गम्भीरता से विचार करने तथा राजस्थान में खनिज तेल के भण्डारों की खोज तथा रिफाइनरी के औचित्य पर प्रकाश डाला है और दबाव डाला है हमने केन्द्र को कि राजस्थान में रिफाइनरी

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

लगनी चाहिए। भारत सरकार के महानिदेशक, हाइड्रो कार्बन द्वारा राज्य में खनिज तेल एवं गैस की उपलब्धियों को देखते हुए राजस्थान के तीन पैट्रोल सम्भावित बेसिनों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया है, यह हमारे लिए खुशी की बात है, राजस्थान की जनता के लिए खुशी की बात है। जो बाम्बे हाई, गुजरात, आसाम के समकक्ष है, साथ ही राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के द्वारा न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी, बीडिंग, एनईपीएलपी, एनईएलपी हेतु राज्य में तीन ब्लाक सम्मिलित किये गये हैं पर माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 जनवरी, 2005 को भी मैंने जिक्र किया था कि रिफाइनरी के साथ-साथ राज्य को मिलने वाले पैट्रोल लाभांश में पचास प्रतिशत हिस्सेदारी हेतु केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला जाय। यह मैंने माननीय सांसद महोदय जितने भी राजस्थान के 25 थे, उनको पत्र के द्वारा निवेदन किया और केन्द्र की सरकार ने एनईएलपी के तहत जो ब्लाक हैं उनके अन्दर पचास प्रतिशत लाभांश बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर लाभांश देने की अपनी स्वीकृति दी। पर एनईएलपी के पहले केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर को पत्र लिखकर संयुक्त अन्वेषण में जारी किये गये राज्य के ब्लाकों से प्राप्त होने वाले पैट्रोलियम लाभांश में राज्य की हिस्सेदारी हेतु मांग की गई। एनईएलपी के अन्दर तो उन्होंने कर दिया, पर माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त अन्वेषण में जारी किये गये राज्य के ब्लाकों के अन्दर, इसमें पचास प्रतिशत की हिस्सेदारी की उन्होंने व्यवस्था नहीं की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये केन्द्र की सरकार से मांग करता हूं कि जब तक यह केयर्न एनर्जी के द्वारा जो ब्लाक का डीलिंग हुआ, चाहे मंगला है, चाहे भाग्यश्री है, इन जो कुओं के अन्दर पैट्रोल निकलता है, इसके अन्दर लाभांश का केन्द्र सरकार एक निर्णय रखे और समानता से देखे और इसमें भी पचास प्रतिशत लाभांश की भागीदारी राज्य सरकार की रखे। मैं आपके जरिये और यहां के पवित्र सदन के जरिये यह मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का बाड़मेर-सांचोर बेसिन...

श्री अध्यक्ष : माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य क्या कह रहे हैं, सुना नहीं आपने। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय, अभी तो बहुत बाकी है। राजस्थान में गहराई में पाये जाने वाले लिग्नाइट भण्डार, मिथेन गैस की खोज के अन्तर्गत बाड़मेर-सांचोर बेसिन, बीकानेर-नागौर बेसिन में कार्य प्रगति पर है। बाड़मेर-सांचोर बेसिन में दो कोलवेड मिथेन ब्लाक और भारत सरकार द्वारा रिलायंस इण्डस्ट्रीज को आबंटित किये गये जिस पर राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, एक खोज मैंने की है, वह मैं बताना चाहता हूं। यह जो...(व्यवधान) मैं वास्तव में सही बात बता रहा हूं, आप इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। यह जो करंट आ रहा है माइको में और एक-दूसरे से आदमी हाथ मिलाये, करंट आता है, उसकी मैंने खोज कर ली है। यह जो कपड़ा लगा हुआ है हमारी सीटों पर, इसका दोष है। एक हफ्ते से लगा हुआ हूं, यह कोई कम बात नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : इसके लिए इनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, खोज के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में 31 हजार 730 लाख टन लिग्नाइट के भण्डार प्रमाणित किये हैं। जिला बाड़मेर में कपूरड़ी, जालीपा, ओसियां में लिग्नाइट के विशाल भण्डार हैं। बीकानेर एवं नागौर में भी लिग्नाइट उपलब्ध है। लिग्नाइट का उपयोग विद्युत उत्पादन में किये जाने हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही आवेदन पत्र आमन्त्रित करने जा रही है जिससे राज्य पावर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए न केवल राज्य बल्कि अन्तरराष्ट्रीय लेवल पर भी इसका प्रचार-प्रसार कर इन ब्लाकों को अलाटमेन्ट करने के लिए राज्य सरकार जल्दी से जल्दी आवेदन पत्र आमन्त्रित करने जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लिग्नाइट भण्डारों का दोहन ओपन कास्ट खनन द्वारा सम्भव नहीं है। भूमिगत गैसिफिकेशन के माध्यम से दोहन

कर व्यावसायिक उपयोग करने हेतु गैस अथारिटी आफ इण्डिया के साथ एम.ओ.यू. किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड सरकार का सबसे बड़ा राजकीय उपक्रम है। वर्ष 2004-05 में 500 करोड़ रुपये से अधिक का व्यवसाय किया गया एवं 65.94 लाख टन खनिज का उत्पादन किया जिसमें 27 लाख टन जिप्सम, 20 लाख टन लाइम स्टोन, 13.42 लाख टन राक फास्फेट और 5.52 लाख टन लिग्नाइट शामिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्पनी ने समस्त व्यय घटाने के बाद 108.73 लाख रुपये का कर पूर्व भुगतान लाभ अर्जित किया है एवं राज्य सरकार को 15.51 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है। कम्पनी के द्वारा सोसियल डवलपमेन्ट के कार्य भी सम्पादित किये गये हैं। 288 लाख रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष में विभिन्न अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, इसके अतिरिक्त कानपुर-उदयपुर में, माननीय गृह मंत्रीजी के जिले में, पेयजल पाइप लाइन के लिए 80 लाख रुपये, बीकानेर में बस स्टैण्ड, स्कूल विकास एवं अस्पताल के लिए 18 लाख, सुनामी पीडितों के लिए 11 लाख, मुख्य मंत्री चिकित्सा कोष के लिए 10 लाख रुपये दिये हैं। इस प्रकार कुल 122 लाख रुपये सामाजिक क्षेत्र के लिए दिये हैं। कम्पनी ने गिरल के आस-पास के गांवों के लिए भ्रमणशील चिकित्सा इकाई उपलब्ध करवायी है। कम्पनी अगले वर्ष 28 करोड़ रुपये विंड एनर्जी विद्युत उत्पादन पर खर्च करेगी और 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। भारत सरकार के उपक्रम फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया मोहनगढ़ में हमीरगढ़ नाड़ा में निःशुल्क मोबाइल चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रवास का कर्यक्रम था उसमें मैंने आर.एस.एम. और फर्टिलाइजर के अधिकारियों से निवेदन किया कि ऐसे डेजर्ट क्षेत्र हैं दूरदराज में चिकित्सा की सुविधा नहीं है इसलिए मोबाइल चिकित्सा की सुविधा की जाए तो उन्होंने दोनों स्थानों पर यह व्यवस्था की। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार...

श्री अध्यक्ष : अब मांग पारित करने के लिए कहो आप।

डा. एन.एस. गुर्जर : अब आप तो मांग पारित कराओ। बहुत कागज हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आपके कहने से नहीं करूंगा।

वर्ष 2004-05 में इसके लिए विशेष अभियान चलाया गया। 10908 वाहनों की जांच की गयी जिसमें 1594 वाहन बिना रवन्ना रसीदों के पाये जाने पर...

श्री अध्यक्ष : अब आप मांग पारित करवाने के लिए कह दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : ...कार्यवाही की गयी। अवैध खनन रोके जाने के लिए विशेष अभियान जारी किये जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के क्षेत्र में खान आबंटन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाये जाने का प्रस्ताव है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा समता बनाम आन्ध्र प्रदेश के मामले में दिये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए नवीन खनन पट्टा आबंटन पर रोक लगायी गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्रावलियां एडवोकेट जनरल के पास विचाराधीन हैं वहां से आने के बाद निश्चित तौर पर इस पर निर्णय किया जायेगा। माननीय सदस्यों ने खनन पट्टा आवेदन पत्रों के निस्तारण में हो रही देरी की तरफ ध्यान दिलाया। 6 माह में 11557 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया। आगे भी समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। लिग्नाइट के भण्डार होने के उपरान्त ताप विद्युत गृह नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया गया। विद्युत उत्पादन योग्य लिग्नाइट भण्डारों का आबंटन किया जाएगा। विद्युत उत्पादन कार्य समय से शुरू हो जाये इसके लिए परफोर्मेंस गारण्टी ली जाएगी। रिफायनरी नहीं लगने पर भी चिन्ता प्रकट की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन कम्पनियों ने राजस्थान में रिफायनरी लगाने के लिए इच्छा प्रकट की है। उन्होंने जो भी टर्म्स एण्ड कंडीशन दी हैं राजस्थान सरकार उस पर विचार कर अपनी तरफ से प्रयास कर जल्दी से जल्दी रिफायनरी कैसे लगे इसके लिए राजस्थान की यशस्वी मुख्य

मंत्री चिन्तित हैं और राजस्थान में लोगों को रोजगार के लिए, उन्नति के लिए, राजस्थान में इन्वेस्टमेन्ट के लिए कृतसंकल्प हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत फर्स्ट शिड्यूल में अंकित लिग्नाइट, कोयला और सभी औद्योगिक खनिजों को हटाने की मांग करता हूं। इसके अन्दर एटामिक खनिज यथावत बना रहे जिनका नियन्त्रण भारत सरकार के द्वारा उनके प्रभाव में रहे बाकी खनिजों को शिड्यूल फर्स्ट से हटाया जाए। इसको नहीं हटाने से पत्रावलियों के निस्तारण में देरी होती है। जो भी खनन पट्टाधारी हैं, जो भी आवेदन करते हैं उसमें बहुत देरी होती है निस्तारण नहीं होता है और उनकी केन्द्र सरकार के अन्दर जो सेन्ट्रलाइज ये व्यवस्था की गयी है, मेरी मांग है और पवित्र सदन के द्वारा सभी की भावनाओं को देखते हुए मैं मांग करता हूं कि यह व्यवस्था हटायी जाए। मात्र शिड्यूल फर्स्ट में एटामिक खनिज को यथावंत रखा जाए और लिग्नाइट, कोयला और सभी औद्योगिक खनिजों को इससे हटाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप मांग पारित करवाने के लिए कहें।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय मंत्रीजी, सोप स्टोन को भी।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं-नहीं, इसके लिए तो कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ेगा।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो पारित करवाने के लिए कह दो अब।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, रायल्टी की दरों में संशोधन के लिए भी और मेजर मिनरल्स के लिए हमने अपनी तरफ से मैंने स्वयं खनिज राज्य मंत्रीजी तत्कालीन थे उनसे सम्पर्क किया और मैंने उनसे मांग की कि तीन साल से मेजर मिनरल की रायल्टी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है उसके बाद में परिणाम यह हुआ कि इसमें मेजर मिनरल के अन्दर बढ़ोतरी की गयी जिसमें 15 करोड़ रुपये राजस्थान की राजस्व आय में बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी होगी...(व्यवधान) आप कहें तो चिट्ठी पढ़ कर बता दूं फिर।

श्री अध्यक्ष : रहने दो आप।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में राजस्थान में खनिज क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए जो आश्वासन दिया था 2003-04 में खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार 4 लाख 60 हजार और अप्रत्यक्ष 21 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था और 2004-05 में 5 लाख 20 हजार प्रत्यक्ष रूप से और 22 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया गया ताकि लोगों को और गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

श्री अध्यक्ष : सदन तो पूर्ण रूप से सन्तुष्ट है आपके जवाब से अब आप मांग पारित करने के लिए कह दो।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी के जवाब के बीच में आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के तमाम सदस्यों की व्यग्रता को मैं जानता हूं और आप लोगों की और माननीय अध्यक्ष महोदय की भी ऐसी भावना है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 43 पारित की जाए।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे सम्बन्धित एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि राजस्व रिकार्ड में...

श्री अध्यक्ष : क्या प्रश्न है आपका ?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैं केवल यह पूछना चाह रहा हूं कि खनिज भूमि के नाम से राजस्व रिकार्ड में आप क्या खनिज भूमि को इन्द्राज कराना चाहते हैं ? यह क्लियर नहीं हुआ है। यह क्लियर कर दें आप। चरागाह भूमि है, वन भूमि है।

श्री अध्यक्ष : विस्तार से तो बता दिया इन्होंने।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैंने कह दिया न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इतना विस्तार से बताया, बाकी तो कुछ रहा ही नहीं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : इसको जरा क्लियर कर दें। ....(व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य चाहें तो यह वापस पढ़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, आप भी पूछ लीजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय मंत्रीजी, मैंने आपसे अलवर जिले की बन्द खानों के बारे में निवेदन किया था उसके बारे में कुछ बता दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की। वास्तव में जहां राजस्व में और खनन का इन्द्राज नहीं हुआ है, मैंने अपने उदबोधन में बताया है कि इन क्षेत्रों में इतने खनन क्षेत्रों में पट्टाधारियों का इन्द्राज हो चुका है और इन्द्राज की कार्यवाही प्रगति पर है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इन्द्राज की कार्यवाही प्रगति पर है करवा दी जाएगी और सम्माननीय शर्मा साहब जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अलवर क्षेत्र से सम्बन्धित जो आपने बातें की मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 12-12-1996 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश हुआ था कि राजस्थान के अन्दर फोरेस्ट और डि-फोरेस्ट को आईडेंटीफाई किया जाए और फोरेस्ट एक्ट में फोरेस्ट की डेफिनेशन नहीं है इसलिए आक्सफोर्ड की डिक्शनरी को आधार बनाया जाए और कमेटी कांस्टीट्यूट हुई इसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए उसकी 2003 के अन्दर, हिन्दुस्तान में 8 रीजनल अधिकारी हैं और हमारे राजस्थान का जो रीजनल अधिकारी जो लखनऊ में बैठता है, 2003 में एक चिट्ठी दी उस चिट्ठी के आधार पर गैर मुमकिन पहाड़, पहाड़ गैर मुमकिन राड़ा, गैर मुमकिन बीहड़, बंजर और बीहड़ा और रूंज ये जो भूमियां हैं इन भूमियों को फोरेस्ट में मानते हुए कार्य को बन्द करने का आदेश दिया। मैंने अपने अधिकारी एन्वायर्नमेंट सैकेट्री, फोरेस्ट सैकेट्री, सैकेट्री माइन्स, ए.सी.सी.एफ. और ये अभी चीफ सैकेट्री

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

हैं उस वक्त ए.सी.एस. थे सभी से बैठ कर उनसे निवेदन किया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है फोरेस्ट और डि-फोरेस्ट को आईडेंटिफाई करने के लिए और बेसिस आफ आक्सफोर्ड की डिक्शनरी को आधार बना कर 2003 की जो बहुगणाजी की चिट्ठी थी यह कोई अथोरिटी नहीं है और न सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन राडा, बीहड़, बंजर और रून्ध को बताया है। इसके बारे में परीक्षण हो रहा है। मैंने फोरेस्ट विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कहा है। 225 पत्रावलियां हैं इसका परीक्षण हो रहा है जब भी इसका परीक्षण हो जायेगा यह पत्रावलियां भिजवा दी जायेंगी।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप लोग भी करिए, कुछ भी नहीं होगा, उनका आदेश मत मानिए।

श्री अतर सिंह भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी प्रश्न है वैसे तो मंत्री महोदय ने व्यापक वक्तव्य दिया है। इन्होंने जो इल्लिगल माइनिंग की बात की है उसमें कोई साइंटिफिक माइनिंग के लिये जो सर्वे करवाने की बात की है क्या राजस्थान में किसी भी माइनिंग का सर्वे करवा कर स्पेसिफिक लोकेशन को कहीं लोकेट किया है ताकि वह वाइबल न हो और जो मेनुअल माइनिंग होती थी अब मैकेनाइज माइनिंग है इसके लिये जो थ्योरी है उसके ऊपर ऐसा कुछ किया है कि आगे आने वाले समय में साइंटिफिक माइनिंग हो थोड़े एरिये में ज्यादा मिनरल निकल कर...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते।

श्री अतर सिंह भड़ाना : भाषण नहीं दे रहा मैंने पूछा है कि साइंटिफिक माइनिंग को लेकर जो इल्लिगल माइनिंग है इस पर रोक के लिये कोई पोजिटिव रूख अपनाया है और जो इन्होंने पेड़ लगाने की बात की है सरफेस डैमेज कम्पन्सेशन पर किसी भी खान पट्टेदार को पेड़ लगाने की बात की है या कोई प्रोग्राम है मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : इनकी भावनाओं की कद्र की जायेगी।

श्री अतर सिंह भड़ाना : कोई भी साइंटिफिक माइनिंग करने की बात इसमें नहीं की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है।

मांगों का पारण

मांग संख्या 42-उद्योग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 85,59,82,000 (पिचासी करोड़ उनसठ लाख बियासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 43-खनिज

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,35,76,000 (चौंतीस करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

वक्तव्य होगा (व्यवधान) वैसे अपोजिशन के कई लोगों ने लिखकर दिया है कि इस पर वक्तव्य 15 तारीख को या उसके बाद दिलवाया जाये। सदन की अनुमति हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री कनकमल कटारा : अभी 10 मिनट में अपना वक्तव्य दे दूंगा, साहब।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 15 अप्रैल, 2005 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.23 बजे शुक्रवार दिनांक 15 अप्रैल, 2005 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

करौली जिला मुख्यालय पर नवीन सर्किट हाउस

212. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली जिला मुख्यालय होते हुये भी यहां पर पुराना सर्किट हाउस है जिसमें मात्र 4-5 कमरे ही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि करौली में कैला देवी एवं मदनमोहनजी जैसे धार्मिक स्थल होने के कारण अति विशिष्ट लोगों का आना-जाना रहता है ? जिसके कारण सर्किट हाउस खाली नहीं मिलता है ?

(3) क्या सरकार करौली में नवीन सर्किट हाउस भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। करौली स्थित डाक बंगले को सर्किट हाउस में परिवर्तित किया गया है तथा इसमें 4 कमरे ही हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि करौली में कैला देवी, मदनमोहनजी जैसे धार्मिक स्थल होने की वजह से आये दिन वी.आई.पी. अतिथियों का आना-जाना रहता है, जिसकी वजह से सर्किट हाउस में आक्यूपेन्सी अधिक रहती है।

(3) जी नहीं। करौली में नवीन सर्किट हाउस बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि वर्तमान सर्किट हाउस के विस्तार, सुसज्जितकरण तथा आधुनिकीकरण के प्रस्ताव विचाराधीन है।

हथरोई ग्राम (जयपुर) की सिवाय चक भूमि का गिफ्ट डीड प्रकरण

213. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबूलाल नागर)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में ग्राम हथरोई, तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 230 व 227 सरकारी सिवाय चक भूमि है ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर अवैधानिक तरीके से की गई गिफ्टडीड निरस्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या सरकार सरकारी भूमि पर गिफ्ट डीड करने व कराने वाले पदाधिकारी व सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रकरण माननीय न्यायालय में लम्बित है। अतः न्यायायल निर्णय के पश्चात् ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

(2) जी नहीं। पंजीयन नियमानुसार होने से कोई अनियमितता नहीं होने के कारण सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

बायतु भोजपी ग्राम पंचायत (बाड़मेर) में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन

215. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के कुछ ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं है? यदि हां, तो कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला बाड़मेर की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की ग्राम पंचायत बायतु भोपजी ऐसी पंचायत है, जहां पंचायत समिति मुख्यालय होते हुये भी ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार अब उक्त ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले की 150 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं। सूची "परिशिष्ट-अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। नई समितियों की व्यवस्थापकीय अनुदान एवं हिस्सा राशि देने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है।

(3) जी हां। बायतु भोपजी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति बायतु में ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है। लेकिन बायतु भोपजी के काश्तकारों को बायतु ग्राम में ही कार्यरत बायतु चिमनजी ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से सहकारिता के लाभ उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-अ

बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायतों के नाम जिनमें ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं :-

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	पंचायत समिति
1.	राजबेरा	शिव
2.	आकली	"
3.	हाथीसिंह की ढ़ाणी	"
4.	झांफली कला	शिव
5.	चोचरा	"
6.	नागडदा	"
7.	मुगेरिया	"
8.	धारवी कला	"
9.	झिणक़ली	"
10.	रेडाणा	"
11.	जयसिंहधर स्टेशन	"
12.	खारची	"
13.	शाहदाद का पार	"
14.	ताणूमानसिंह	"
15.	आसाड़ी	"
16.	बिसू कला	"
17.	चेतरोडी	"
18.	खबडाला	"
19.	बिजावल	"
20.	रोहिड़ी	"

1	2	3
21.	कानासर	"
22.	कंटल का पार	बाड़मेर
23.	बिशाला आगोर	"
24.	आटी	"
25.	बालेरा	बांड़मेर
26.	सियाणी	"
27.	बूठ जेतमाल	"
28.	चूली	"
29.	चाडार मदरूप	"
30.	बुबुगुलेरिया	"
31.	बोला	"
32.	नादं	"
33.	दूदाबेरी	"
34.	जाखड़ों की ढाणी	"
35.	आकोड़ा	"
36.	तारातरा मठ	"
37.	गंगाला	"
38.	रतासर	"
39.	गरडिया	"
40.	रामसर	"
41.	मिठडा	"
42.	हाथीतला	"
43.	सिगोडिया	बायतू
44.	लूणाड़ा	"

1	2	3
45.	जाखड़ा	बायतू
46.	मूंड़ों की ढाणी	"
47.	नगोणी धतरवालों की ढाणी	"
48.	छीतर का पार	"
49.	माधासर	"
50.	सवाउ मूलराज	"
51.	खीपर	"
52.	खोखसर पश्चिम	"
53.	लापून्दडा	"
54.	पूनियों का तला	"
55.	चिड़िया	"
56.	चीबी	"
57.	चोखला	"
58.	बायतू भोपजी	"
59.	धोलानाड़ा	सिणधरी
60.	एड सिणधरी	"
61.	शोभाला जेतमाल	"
62.	करना	"
63.	मालपुरा	"
64.	लोलावा	"

1	2	3
65.	कगाउ	सिणधरी
66.	कादानाड़ी	"
67.	आदर्श चवा	"
68.	बेरीवाला तला	"
69.	नेहरों की ढाणी	"
70.	खरंटिया	"
71.	शिवकर	"
72.	बोड़वा	"
73.	राणासर खुर्द	"
74.	बारासण	धोरीमन्ना
75.	लूणा जागीर	"
76.	सोनड़ी	"
77.	बेरीगांव	"
78.	सुदावेरी	"
79.	चेनपुरा	"
80.	मोखाब खुर्द	"
81.	मंगले की बेरी	"
82.	नवातला राठोरान	"
83.	भतीसर	"
84.	नेहरों की नाड़ी	"

1	2	3
85.	कारटीया	धोरीमन्ना
86.	आलपुरा	"
87.	नेडीनाड़ी	"
88.	गोड़ा	"
89.	डोक	चेहटन
90.	मिठडाऊ	"
91.	गोहड का तला	"
92.	बावड़ी कला	"
93.	देदूसर	"
94.	तालसर	"
95.	रवासर	"
96.	तरला	"
97.	अरटी	"
98.	सालारिया	"
99.	विचड़ासर	"
100.	श्रीरामवाला	"
101.	केलनोर	"
102.	ईटादा	"
103.	गुपाने का तला	"
104.	बावरवाला	"

1	2	3
105.	पोकरासर	चेहटन
106.	आंटिया	"
107.	भलगांव	"
108.	साता	"
109.	भोजारिया	"
110.	ग्वालनाड़ा	बालोतरा
111.	आसोतरा	"
112.	बिठूजा	"
113.	मांजीवाला	"
114.	ढाणी सांखला	"
115.	टापरा	"
116.	असाड़ा	"
117.	तीजियाली रूपजी राजाबेरी	"
118.	सराणा	"
119.	उमरलाई जागिर	"
120.	बनियावास	"
121.	पचपदरा	"
122.	नवातला	"
123.	मण्डली	"
124.	खट्ट	"

1	2	3
125.	धम्बेली	बालोतरा
126.	दूधवा	"
127.	रेवाड़ा मैया	"
128.	चिलानाड़ी	"
129.	सिणली जागीर	"
130.	नवोड़ा बेरा	"
131.	पेवानगर	"
132.	खनोडा	"
133.	साम्भरा	"
134.	आकड़ली बख्शीराम	"
135.	मूल की ढाणी	"
136.	सरवड़ी	"
137.	महिलावास	सिवाना
138.	काठाड़ी	"
139.	गोलिया	"
140.	भागवा	"
141.	कांखी	"
142.	गुडा	"
143.	धारणा	"
144.	इन्द्राणा	"

1	2	3
145.	कुसीप	सिवाना
146.	रमणिया	"
147.	खण्डप	"
148.	सरवड़ी	"
149.	ढीढस	"
150.	सेला	"
151.	सिलोर	"
152.	मवड़ी	"
153.	लालाणा	"
154.	मोतीसरा	"
155.	रानीदेशीपुरा	"
156.	सांवरड़ा	"

आनन्दपुरी पंचायत समिति (बांसवाड़ा) के विकास कार्यों की जांच

216. श्री जीतमल खाट (बागीड़ौरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा पंचायत समिति आनन्दपुरी के विकास कार्यों की जांच कराने हेतु सरकार को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर अवगत कराया गया है? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जीतमल खाट)

(2) क्या सरकार पंचायत समिति आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा के विकास कार्यों की जांच हेतु कलक्टर बांसवाड़ा के पत्र के आधार पर जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के विशेष जांच दल से जांच करवाई जा रही है।

(2) जी हां। जांच प्रगति में है।

गोगुन्दा के जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र

217. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत मादडा में पिपली खेड़ा नामक स्थान पर जनजाति छात्रावास खोला जाकर कोई शिलान्यास किया गया है? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा? उक्त छात्रावास में कितनी छात्राएं अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वाकल क्षेत्र (वास मादडा) में कोई छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार पंचायत समिति गोगुन्दा की पंचायत चित्रावास, मादडीछापर व गुन्दाली के आदिवासी अंचल में जनजाति छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जनजाति छात्रावास मेरपुर (छात्रा) मालवा का चौरा, छाली, झेड व रावछ में छात्र संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के पंचायत मादड़ा में पीपलीखेड़ा ग्राम में छात्रावास स्वीकृत किया गया था। इसका शिलान्यास श्री महावीर भगोरा, तत्कालीन राज्यमंत्री द्वारा दिनांक 12-7-1998 को किया गया था। उक्त छात्रावास का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण वर्तमान में कोई छात्रा अध्ययनरत नहीं है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा वाकल क्षेत्र (वासमादड़ा) में पीपलीखेड़ा में (कन्या) छात्रावास खोलने हेतु निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। छात्रावास निर्माण कार्य अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति गोगुन्दा के चित्रावास, मादड़ा, छापर व मुन्दाली के आदिवासी अंचल में जनजाति छात्रावास खोलने के कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं हैं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) जी नहीं। अभी राज्य सरकार स्तर पर मेरपुर (छात्रा), मालवा का चौरा झेड, छाली (कन्या), रावछ छात्रावासों में छात्र संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्योंकि सरकार बजट की उपलब्धता के आधार पर छात्रावासों में छात्र संख्या बढ़ाने की कार्यवाही करती है और इस कार्य हेतु बजट नहीं रखा गया है।

उजौली ग्राम (अलवर) का विद्युत दुर्घटना प्रकरण

218. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील कोटकासिम के ग्राम उजौली के समीप माह नवम्बर, 2004 में 11 के.वी. की लाइन के तार नीचे लटके होने के कारण दुर्घटना हुई और दो लोगों की मौके पर ही मृत्यु हुई व कई घायल हुये? यदि हां, तो मृतकों व घायलों को कितनी-कितनी सहायता राशि दी गई?

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

(2) क्या यह सही है कि मौके व दुर्घटना के कारण जिलाधीश द्वारा विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों को कार्य में लापरवाही का दोषी मानते हुये निलम्बित किये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों को पुनः बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों व किस आधार पर ? क्या जांच अधिकारी द्वारा मौके पर मौजूद जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक व स्थानीय विधायक से भी बयान लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले की तहसील कोटकासिम के ग्राम उजौली के पास गुजर रही 11 के.वी. लाइन के तार टूटने से ट्रेक्टर में बैठे एक आदमी एवं एक औरत की करन्ट लगने से मृत्यु हुई। जिन्हें कार्यालय आदेश सं. 1325 दिनांक 25-11-2004 द्वारा प्रत्येक को मुआवजा राशि 25000/- रु. स्वीकृत की जा चुकी है तथापि किसी भी व्यक्ति के घायल होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां। उक्त दुर्घटना के लिए जिलाधीश अलवर ने विद्युत वितरण निगम के सम्बन्धित कर्मचारियों की कार्य में लापरवाही की जांच कराने व उन्हें निलम्बित करने के निर्देश दिए थे। निलम्बित किये कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद
1.	श्री एस.पी. वैश्य	कनिष्ठ अभियन्ता
2.	श्री जोगेराम	सहायक-प्रथम
3.	श्री करतार सिंह	सहायक-प्रथम

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी हां। उक्त कर्मचारियों की जांच कार्यवाही जारी रखते हुये उन्हें बहाल कर दिया गया है। विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के पश्चात् उन पर तदनुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस विषय में जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक व स्थानीय विधायक के कोई बयान नहीं लिये गये। प्राथमिक जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-अ

श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (पवस)
जयपुर डिस्काम,
अलवर।

विषय : दिनांक 17-11-2004 को ग्राम अजोली के पास 11 के.वी. के तारों से दुर्घटना होने के क्रम में।

सन्दर्भ : इस कार्यालय के पत्र सं. 60 दिनांक 19-11-2004

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 17-11-2004 को ग्राम अजोली के पास गुजर रही 11 के.वी. लाइन के तार टूटने से ट्रैक्टर में बैठे एक आदमी इस गांव निवासी रोशनलाल एवं उसके साले की विवाहिता पुत्री कमलेश गांव हाजनाका की करन्ट से मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना की जांच के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता तथा श्री आर.एन. गोयल सहायक अभियन्ता तिजारा, श्री एम.एल. सोनी कनि. अभि. तिजारा एवं श्री गजेन्द्र सिंह यादव कनि. अभि. टपूकड़ा की एक संयुक्त जांच कमेटी बनाई। मौके पर जांच कमेटी ने सम्बन्धित कर्मचारियों के बयान लिए जिनके नाम निम्नानुसार हैं :-

1. श्री एस.पी. वैश्य, कनि. अभि., कोटकासिम
2. श्री जागेराम, सहायक-प्रथम, कोटकासिम
3. श्री करतार सिंह, सहायक-प्रथम, कोटकासिम

4. श्री गजराज सिंह, ठेकेदार का आदमी

5. श्री महेन्द्र सिंह, ठेकेदार का आदमी

6. श्री देवी दयाल, ठेकेदार का आदमी

उक्त सभी कर्मचारियों से इस घटना की पूछताछ कर बयान लिए, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

श्री एस.पी. वैश्य, कनि. अभियन्ता कोटकासिम ने बताया कि दिनांक 17-11-2004 को सुबह 8 बजे कोटकासिम कार्यालय में काम कर रहा था तो करीब 9.40 बजे श्री देवीदयाल जो ठेकेदार का आदमी है और 33/11 के.वी. जीएसएस कोटकासिम में कार्यरत है ने बताया कि गजराज का फोन आ रहा है कि अजोली-जोखावास 11 K.V. पर ट्रैक्टर ट्राली जो कि कुट्टी/कड़वी की भरी हुई थी जिसमें ऊंचे-ऊंचे पाइप लगे हुए थे जिसने 11 K.V. के तारों उलझाकर तोड़ दिया लाइन तुरन्त बन्द करवा दी और यह भी ज्ञात हुआ कि वहां लाइन टूटने से एक आदमी और एक औरत की मृत्यु हो गई है तथा ग्रामीणों के आने का तांता ~~लगा~~ हुआ है। स्थिति तनावपूर्ण हो रही है। उक्त सूचना मैंने श्री बी.पी. सुमन, AEN खैरथल जो कि कोटकासिम का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं यह सूचना मैंने लगभग 9.45 बजे उनके निवास स्थान पर टेलीफोन द्वारा दी और मैं तुरन्त थाना कोटकासिम पहुंचकर घटना की सूचना बताई। तब थाने वालों ने बताया कि हमारे पास यह सूचना पूर्व में आ चुकी है और हम घटनास्थल पर जा रहे हैं उसके बाद में मैंने श्रीमान् S.D.M. साहब को भी यह सूचना बताई, इसके उपरान्त मुझे थानों वाले ने घटना स्थल पर जाने से रोक दिया क्योंकि वहां पर मेरे साथ कोई भी घटना घटित हो सकती थी।

श्री एस.पी. वैश्य क. अभि. ने दिनांक 12-11-2004 को अजोली (आकोली) फीडर तार टूटने की रिपोर्ट ठेकेदार के आदमियों से मिली। श्री एस.पी. वैश्य ने लाइन के टूटे हुए तारों को जोड़ने के लिए श्री जागेराम, श्री करतार सिंह, स.-प्रथम तथा ठेकेदार के चार आदमियों को साइड पर भेज दिए। शाम को जब ये उक्त कर्मचारी कार्य करके आए तो इन्होंने बताया कि वहां पर

तीन स्थानों पर कार्य करके आए प्रथम रायपुर फीडर पर नदी में तार टूट गया था उसको जोड़ा उसके बाद कानडंका गांव में ट्रांसफारमर से केबिल हट गई थी उसको लगाया उसके बाद 11 K.V. लाईन का तार जोड़ा।

11 K.V. अजोली/आकोली फीडर के तार ढीले थे उनको जोड़ने के लिए श्री जागेराम, श्री करतार सिंह, स.-प्रथम एचं चार ठेकेदार के आदमियों को भेजा गया था, उक्त कर्मचारियों ने लाइन को पूर्णतया टाइट नहीं की और ढीली ही छोड़ आए। और इसकी जानकारी मुझे नहीं दी। दीपावली के त्यौहार के कारण मैं कार्य में व्यस्त था इसलिए मैं पूरी जानकारी इनसे ले नहीं पाया जिसके कारण यह लाइन पूर्णतया टाइट नहीं हो पाई और ढीली रह गई जिसके कारण यह हादसा हुआ।

श्री जागेराम, श्री करतार सिंह, स.-प्रथम ने बताया कि दि. 12-11-2004 को जब वे 33/11 KV अजोली फीडर से टूटे हुए तारों को ठीक करने गए तो उनके साथ श्री बरखाराम, स.-प्रथम भी साथ गया था फिर अजोली साईड का CCA करतार सिंह को साथ लेकर साइड पर गए जहां तार टूटे हुए थे। 7 पोल की लाइन का एक तार 3 जगहों से टूटा मिला जिसको खींचा गया परन्तु सड़की की ऊंचाई अधिक उठ जाने से तार कुछ ढीला रह गया। तब श्री जागेराम ने साइड कर्मचारियों से कहा कि दीपावली के अवसर पर 2 फेस में सप्लाई चला दों और इस फेस के जम्फर वाट दो तो उस समय गांव अजोली, हाजनाका के कुछ लोकल आदमी जबरदस्ती करने लगे कि लाइन चालू करो चाहे कैसे भी करो। इस पर ठेकेदार का कर्मचारी श्री गजराज एक बल्ली लेकर आया और जो सड़क पर नीचे झुके हुए थे एक इंसुलेटर लेकर बल्ली खडी कर दी और गांव के व्यक्तियों ने कहा कि हमको तीन दिन से पानी नहीं मिल रहा है। तब श्री जागेराम ने कहा कि यह लाइन नहीं चल सकती इससे कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है परन्तु गांव के और भी कई लोगों ने कहा कि रात 11 बजे तक लाइन चला दो जिसके बाद चाहे लाइन काट देना तब लाइन चालू की।

अत: लाइन का काम श्री जागेराम तथा श्री करतार सिंह, स.-प्रथम तथा 4 आदमी ठेकेदार की देखरेख में हुआ जो अपूर्ण रह गया जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।

उक्त तथ्यों को मध्येनजर रखते हुए यह साबित होता है कि निम्नलिखित अधिकारी व कर्मचारी इस हादसे के दोषी पाए जाते हैं क्योंकि इन्होंने टूटी हुई लाइन को तथा ढीली लाइन को पूर्णतया दुरुस्त नहीं किया जिसकी वजह से दिनांक 17-11-2004 को यह दुर्घटना घटित हो गई।

1. श्री एस.पी. वैश्य, कनि. अभि., कोटकासिम

2. श्री जागेराम, सहायक-प्रथम, कोटकासिम

3. श्री करतार सिंह, सहायक-प्रथम, कोटकासिम

अब अजोली/आकोली फीडर की 11 KV लाइन ढीली थी उनको पोल लगाकर टाइट कर दिया गया है बाकी लाइन टाइट करने का कार्य चल रहा है।

उक्त श्री जागेराम तथा श्री करतार सिंह, स.-प्रथम को इस कार्यालय के पत्र सं. 62 एवं 63 दिनांक 20-11-2004 के द्वारा जांच कार्यवाही लम्बित रखते हुए निलम्बित कर दिया गया है। जांच कार्यवाही विचाराधीन है।

संलग्न : 6 व्यक्तियों के हल्पनामें।

Executive Engineer (O&M)
J.V.V.N.L., Kishangarh, Raj.

उदयपुर सम्भाग के क्षतिग्रस्त छात्रावास

219. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही एवं चित्तौड़गढ़ में कितने बालक/बालिका छात्रावास संचालित है ? छात्रों की संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिलों में छात्रावास भवनों की हालत जर्जर है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत कर छात्रों को

(श्री नवनीत नीनामा)

सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में बालक छात्रावास व पीपलखूंट के कन्या छात्रावास की खिड़कियां दरवाजें टूट चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही एवं चित्तौड़गढ़ में 120 बालक/बालिका छात्रावास निम्नानुसार संचालित हैं :-

जिला	छात्रावासों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग
बांसवाड़ा	20	7	27
डूंगरपुर	15	8	23
उदयपुर	26	9	35
सिरोही	14	2	16
चित्तौड़गढ़	13	6	19
योग	88	32	120

छात्रावास स्वीकृत तथा प्रवेशित छात्र संख्या की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सिरोही, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ के छात्रावास भवनों की स्थिति ठीक है। जिला डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के राजकीय छात्रावास भवनों की जर्जर हालत को ठीक करने के लिए बजट का आबंटन दिनांक 31-3-2005 को कर

(समाज कल्याण मंत्री)

दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2005-06 में यह मरम्मत कार्य पूर्ण करवा दिया जावेगा।

(3) जी हां। इनकी मरम्मत के लिए एस्टीमेट प्राप्त किया जा रहा है। एस्टीमेट प्राप्त होने पर तदनुसार राशि प्राप्त कर मरम्मत की कार्यवाही शीघ्र करवायी जावेगी।

परिशिष्ट-अ

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	शहरी/ ग्रामीण	नाम योजना	पंचायत/ नगरपालिका/ नगर निगम	स्थापना वर्ष	बालक/ कन्या	भवन राजकीय/ किराये का	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या वर्ष 2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जिला-बांसवाड़ा								
1.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बड़वास बड़ी	ग्रामीण	अनु. जाति	कुशलगढ़	1999	बालक	किराये का	35	35
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सेनावासा	ग्रामीण	अनु. जाति	घाटोल	1999	बालक	किराये का	52	50
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, तलवाड़ा	ग्रामीण	अनु. जाति	तलवाड़ा	1999	बालक	किराये का	35	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पीपलखूंट	ग्रामीण	अनु. जाति	पीपलखूंट	2004-05	बालक	किराये का	25	0
5.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बड़ी सरवा	ग्रामीण	जनजाति	कुशलगढ़	1989	बालक	राजकीय	35	35
6.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बागीदौरा	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	बागीदौरा	1994	बालक	किराये का	50	50
7.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बजवाना	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	गढ़ी	1985	बालक	राजकीय	35	35
8.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बांसवाड़ा	शहरी	जनजाति	तलवाड़ा	1952	बालक	राजकीय	100	100
9.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बोरी	ग्रामीण	जनजाति	गढ़ी	1971	बालक	राजकीय	70	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छींछ	ग्रामीण	जनजाति	बागीदौरा	1989	बालक	राजकीय	35	35
11.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छोटी बदरेल	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	तलवाड़ा	1986	बालक	राजकीय	50	50
12.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, दानपुर	ग्रामीण	जनजाति	पीपलखूंट	1969	बालक	राजकीय	70	70
13.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गढ़ी	ग्रामीण	जनजाति	गढ़ी	1958	बालक	किराये का	100	70
14.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, घाटोल	ग्रामीण	जनजाति	घाटोल	1953	बालक	राजकीय	125	125
15.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कुशलगढ़	शहरी	जनजाति	कुशलगढ़	1964	बालक	राजकीय	60	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लोहारिया	ग्रामीण	जनजाति	गढ़ी	1975	बालक	राजकीय	35	35
17.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पीपलखूंट	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	पीपलखूंट	1991	बालक	राजकीय	35	35
18.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सज्जनगढ़	ग्रामीण	जनजाति	सज्जनगढ़	1956	बालक	राजकीय	90	35
19.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सरेड़ी बड़ी	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	गढ़ी	1986	बालक	किराये का	35	35
20.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भूंगड़ा	ग्रामीण	जनजाति	-	2004-05	बालक	किराये का	25	0
21.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बागीदौरा	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	बागीदौरा	1985	कन्या	राजकीय	65	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बांसवाड़ा	शहरी	जनजाति	तलवाड़ा	1956	कन्या	राजकीय	60	60
23.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, गढ़ी	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	गढ़ी	1976	कन्या	राजकीय	60	40
24.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, घाटोल	ग्रामीण	जनजाति	घाटोल	1989	कन्या	राजकीय	40	40
25.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, कुशलगढ़	शहरी	जनजाति टीएडी	कुशलगढ़	1982	कन्या	राजकीय	35	35
26.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, पीपलखूंट	ग्रामीण	जनजाति	पीपलखूंट	1999	कन्या	राजकीय	35	35
27.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, सज्जनगढ़	ग्रामीण	जनजाति	सज्जनगढ़	1993	कन्या	राजकीय	35	35
	योग :- 27	-	-	-	-	-	-	1425	1270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जिला-डूंगरपुर								
1.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बनकोड़ा	ग्रामीण	जनजाति	आसपुर	1959	बालक	किराये का	70	70
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भांसोर	ग्रामीण	जनजाति	सागवाड़ा	1966	बालक	किराये का	75	75
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बोखलापाल	ग्रामीण	जनजाति	बीछीवाड़ा	1989	बालक	किराये का	35	35
4.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, चीखली	ग्रामीण	जनजाति	सीमलवाड़ा	1962	बालक	राजकीय	80	80
5.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, डूंगरसारण	ग्रामीण	जनजाति	सीमलवाड़ा	1996	बालक	राजकीय	70	70
6.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गैजी	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	बीछीवाड़ा	1986	बालक	किराये का	35	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खड़लई	ग्रामीण	जनजाति	सागवाड़ा	1965	बालक	राजकीय	60	60
8.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कुआ	ग्रामीण	जनजाति	सीमलवाड़ा	1975	बालक	किराये का	55	55
9.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नवाडेरा	शहरी	जनजाति	डूंगरपुर	1989	बालक	राजकीय	35	35
10.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, ओबरी	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	सागवाड़ा	1989	बालक	राजकीय	35	35
11.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, साबला	ग्रामीण	जनजाति	आसपुर	1956	बालक	राजकीय	80	80
12.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सागवाड़ा	शहरी	जनजाति	सागवाड़ा	1962	बालक	राजकीय	130	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सारोड़ा	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	सागवाड़ा	1986	बालक	किराये का	35	35
14.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सीमलवाड़ा	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	सीमलवाड़ा	1991	बालक	किराये का	35	35
15.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, विकास नगर	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	बीछीवाड़ा	1991	बालक	किराये का	35	35
16.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, भीलूड़ा	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	सागवाड़ा	1986	कन्या	राजकीय	35	35
17.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बीछीवाड़ा	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	बीछीवाड़ा	1992	कन्या	राजकीय	45	45
18.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बूचिया बड़ा	ग्रामीण	जनजाति	सागवाड़ा	1984	कन्या	राजकीय	35	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, चीखली	ग्रामीण	जनजाति	सीमलवाड़ा	1990	कन्या	राजकीय	45	45
20.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, पुनाली	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	डूंगरपुर	1993	कन्या	राजकीय	35	35
21.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, साबला	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	आसपुर	1980	कन्या	राजकीय	35	35
22.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, सागवाड़ा	शहरी	जनजाति	सागवाड़ा	1970	कन्या	राजकीय	80	80
23.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, डूंगरपुर	शहरी	स्वच्छकार	डूंगरपुर	1990	कन्या	राजकीय	35	35
	योग :- 23	-	-	-	-	-	-	1210	1200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जिला-उदयपुर								
1.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, बदराना	ग्रामीण	अनु. जाति	झाड़ोल	1999	बालक	किराये का	35	35
2.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, बल्लभनगर	ग्रामीण	अनु. जाति	भींण्डर	1989	बालक	किराये का	35	35
3.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, फतेह परिसर	शहरी	अनु. जाति	गिर्वा	1961	बालक	राजकीय	70	67
4.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, देवपुरा	ग्रामीण	अनु. जाति	सराड़ा	2004-05	बालक	किराये का	25	0
5.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, चीरवा	ग्रामीण	अनु. जाति	बड़गांव	2004-05	बालक	किराये का	25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, मधुबन, उदयपुर	शहरी	अनु. जाति	गिर्वा	1986	कन्या	राजकीय	60	59
7.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, बड़गांव	ग्रामीण	जनजाति	गिर्वा	1991	बालक	राजकीय	35	29
8.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, भबराना	ग्रामीण	जनजाति	सलूम्बर	1961	बालक	किराये का	70	70
9.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, भीण्डर	शहरी	जनजाति	भीण्डर	1985	बालक	किराये का	25	25
10.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, छानी	ग्रामीण	जनजाति	खैरवाड़ा	1961	बालक	किराये का	60	60
11.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, धरियावद	ग्रामीण	जनजाति	धरियावद	1961	बालक	राजकीय	115	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, प्रताप नगर-1	शहरी	जनजाति टीएडी	गिर्वा	1981	बालक	राजकीय	35	35
13.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, गोगुन्दा	ग्रामीण	जनजाति	गोगून्दा	1986	बालक	किराये का	35	35
14.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, जवास	ग्रामीण	जनजाति	खैरवाड़ा	1989	बालक	राजकीय	35	35
15.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, झाड़ोल (फ.)	ग्रामीण	जनजाति	झाड़ोल	1961	बालक	राजकीय	80	80
16.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, झल्लारा	ग्रामीण	जनजाति	सलूम्बर	1989	बालक	किराये का	35	35
17.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, खैरवाड़ा	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	खैरवाड़ा	1994	बालक	किराये का	35	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, कोटड़ा	ग्रामीण	जनजाति	कोटड़ा	1961	बालक	राजकीय	125	121
19.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, कुरावड़	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	गिर्वा	1982	बालक	किराये का	35	30
20.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, मावली	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	मावली	1982	बालक	राजकीय	25	25
21.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, ओगणा	ग्रामीण	जनजाति	झाड़ोल	1985	बालक	किराये का	35	35
22.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, फलासिया	ग्रामीण	जनजाति	झाड़ोल	1961	बालक	राजकीय	105	105
23.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, सलूम्बर	शहरी	जनजाति टीएडी	सलूम्बर	1982	बालक	किराये का	35	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सनवाड़	शहरी	जनजाति	मावली	1991	बालक	राजकीय	25	23
25.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सायरा	ग्रामीण	जनजाति	गोगून्दा	1994	बालक	किराये का	50	45
26.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, झाड़ोल	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	झाड़ोल	1990	कन्या	राजकीय	35	35
27.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, खैरवाड़ा	ग्रामीण	जनजाति	खैरवाड़ा	1961	कन्या	राजकीय	80	80
28.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, कोटड़ा	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	कोटड़ा	1982	कन्या	राजकीय	35	34
29.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, नाई	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	गिर्वा	1990	कन्या	राजकीय	25	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, सलूम्बर	शहरी	जनजाति टीएडी	सलूम्बर	1994	कन्या	किराये का	35	20
31.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, गोगून्दा	ग्रामीण	जनजाति		2004-05	कन्या	किराये का	25	0
32.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, नीमचमाल	ग्रामीण	जनजाति		2004-05	कन्या	किराये का	25	0
33.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, डबोक	ग्रामीण	जनजाति		2004-05	कन्या	किराये का	25	0
34.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, प्रतापनगर-II, उदयपुर	शहरी	स्वच्छकार	गिर्वा	1981	बालक	राजकीय	35	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, अम्बामाता (मुल्लातलाई)	शहरी	स्वच्छकार	गिर्वा	1981	बालक	किराये का	35	18
	योग :- 35	-	-	-	-	-	-	1600	1412

	जिला-सिरोही								
1.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, अनादरा	ग्रामीण	अनु. जाति	रेवदर	1985-86	बालक	राजकीय	35	31
2.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, कालेन्द्री	ग्रामीण	अनु. जाति	सिरोही	1985-86	बालक	राजकीय	25	23
3.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, रेवदर	ग्रामीण	अनु. जाति	रेवदर	1979-80	बालक	राजकीय	25	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, शिवगंज	शहरी	अनु. जाति	शिवगंज	1979-80	बालक	राजकीय	50	42
5.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, सिरोही-II	शहरी	अनु. जाति	सिरोही	1966-67	बालक	राजकीय	75	63
6.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, वरलो	ग्रामीण	अनु. जाति		2004-05	बालक	किराये का	25	0
7.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, माउण्ट आबू रोड़	शहरी	अनु. जाति		2004-05	बालक	किराये का	25	0
8.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, जवाल	ग्रामीण	अनु. जाति		2004-05	बालक	किराये का	25	0
9.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, अछपुरा (पिण्डवाड़ा)	ग्रामीण	अनु. जनजाति	पिण्डवाड़ा	1985-86	बालक	किराये का	35	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, कैलाश नगर	ग्रामीण	अनु. जनजाति	शिवगंज	1988-89	बालक	किराये का	25	25
11.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, मानपुर; आबूरोड़	ग्रामीण	अनु. जनजाति	आबू रोड़	1963-64	बालक	राजकीय	60	54
12.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, निचलागढ़	ग्रामीण	अनु. जनजाति	आबू रोड़	1956-57	बालक	राजकीय	60	60
13.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, सिरोही-I	शहरी	अनु. जनजाति	सिरोही	1954-55	बालक	राजकीय	60	54
14.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, माउण्ट आबू	शहरी	अनु. जनजाति	आबू रोड़	1982-83	कन्या	किराये का	35	33
15.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, मण्डार	ग्रामीण	अनु. जनजाति		2004-05	कन्या	किराये का	25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, आबू रोड़	शहरी	स्वच्छकार	आबू रोड़	1991-92	बालक	किराये का	25	12
	योग :- 16	-	-	-	-	-	-	610	457

	जिला-चित्तौड़गढ़								
1.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, बंसी	ग्रामीण	अनु. जाति	बड़ी सादड़ी	1980-81	बालक	राजकीय	35	35
2.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, गंगरार	ग्रामीण	अनु. जाति	गंगरार	1980-81	बालक	राजकीय	50	47
3.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, निम्बाहेड़ा	शहरी	अनु. जाति	निम्बाहेड़ा	06/1973	बालक	राजकीय	70	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, साड़ास (गंगरार)	ग्रामीण	अनु. जाति	गंगरार	1999	बालक	किराये का	40	40
5.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, बड़ी सादडी	शहरी	जनजाति	बड़ी सादड़ी	07/1974	बालक	किराये का	35	35
6.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, बेगूं	शहरी	जनजाति	बेगूं	1964	बालक	किराये का	70	47
7.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, बोराव	ग्रामीण	जनजाति	भैंसरोड़गढ़	08/1997	बालक	किराये का	40	40
8.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, छोटी सादड़ी	शहरी	जनजाति	छोटी सादड़ी	08/1992	बालक	किराये का	25	25
9.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, प्रतापगढ़	शहरी	जनजाति	प्रतापगढ़	1956	बालक	राजकीय	95	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, रावतभाटा	शहरी	जनजाति	भैंसरोड़गढ़	08/1987	बालक	किराये का	35	35
11.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, अरनोद	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	अरनोद	02/1991	कन्या	राजकीय	25	25
12.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बेगूं	शहरी	जनजाति	बेगूं	08/1993	कन्या	राजकीय	25	23
13.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, धमोतर	ग्रामीण	जनजाति	प्रतापगढ़	08/1993	कन्या	राजकीय	35	35
14.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, प्रतापगढ़	शहरी	जनजाति	प्रतापगढ़	1964	कन्या	राजकीय	80	80
15.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, सालमगढ़	ग्रामीण	जनजाति टीएडी	अरनोद	1980-81	कन्या	राजकीय	35	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, देवगढ़	शहरी	जनजाति	-	2004-05	कन्या	किराये का	25	0
17.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, राशमी	ग्रामीण	विमुक्त एवं घुमन्तु	राशमी	07/1992	बालक	किराये का	50	30
18.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, चित्तौड़गढ़	शहरी	स्वच्छकार	चित्तौड़गढ़	1980-81	बालक	राजकीय	25	25
19.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, डूंगला	ग्रामीण	स्वच्छकार	डूंगला	07/1989	बालक	राजकीय	40	40
	योग :- 19	-	-	-	-	-	-	835	762

थानागाजी के निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच

220. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में गत पांच वर्षों में कौन-कौन से निर्माण कार्य करवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्यों में सी.सी. व ग्रेवल सड़कों का भी निर्माण करवाया गया ? यदि हां, तो कितने-कितने कार्य करवाये गये ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्यों में से कई कार्य करवाये ही नहीं गए एवं उनका भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माण कार्यों की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अन्तर्गत गत 5 वर्षों में कराये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त कार्यों में 528 सीमेन्ट सड़के एवं 363 ग्रेवल सड़कों का निर्माण कराया गया है।

(3) ग्राम पंचायत आगर पंचायत समिति, थानागाजी के कार्यों के बारे में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई। सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा जांच उपरान्त शिकायत सही पाई गई एवं सरपंच को अयोग्य घोषित किया गया जिसके विरूद्ध सरपंच द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है। शेष किसी पंचायत में इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर जिले में खेलों के विकास हेतु कार्य योजना

221. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या युवा एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला अजमेर में खेलों के विकास हेतु क्या-क्या घोषणायें की गई ?

(2) क्या सरकार द्वारा इन घोषणाओं पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर में खेलों के विकास हेतु चन्द्रवरदाई नगर में हाकी एस्ट्रोटर्फ मैदान की घोषणा की गई है।

(2) जी हां। नगर विकास न्यास अजमेर द्वारा इसके क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। न्यास द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर रु. 100.00 लाख की सैद्धान्तिक स्वीकृति भी दिनांक 24-5-2004 को जारी कर दी गई है। स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

No. F.2-8/2003-SP.I

Government of India

Ministry of Youth Affairs & Sports

Shastri Bhawan, New Delhi-1

Dated the 24th May, 2004

To,

The Secretary,

Department of Youth Affairs & Sports,

Government of Rajasthan,

240, North West Block (SSO Building)

Jaipur-302005

Subject: Central assistance for installation of Synthetic Hockey Surface at Chandravardai Nagar, Ajmer.

Sir,

I am directed to refer to your letter no. 10/15/Sports/96 dt. 12.3.2004 on the subject mentioned above and to inform that technical details forwarded therewith have been found in order. Accordingly, approval of the Ministry is conveyed for providing central assistance of Rs. 1.00 crore (Rupees one crore) or 50% of the actual cost, whichever is less, for installation of Synthetic Hockey Surface at Chandravardai Nagar, Ajmer. Our approval is subject to the fulfilment of following conditions;

(i) In the Notice Inviting Tender (NIT) the technical specifications have to be spelt out. For this purpose, please ensure that the technical specifications are formulated clearly at the very outset, in consultation with SAI, New Delhi, if necessary.

(ii) In the NIT, the technical specifications have to be indicated. Both technical and financial bids should be invited simultaneously in the NIT, in separate packages.

(iii) The technical bids should be opened first and the bidders be appraised. Those who do not qualify technically should be left out of consideration.

(iv) Thereafter, financial bids of those who have qualified technically should be opened for award of tender.

(v) The award of tender should be finalised very urgently;

(vi) The exact details of finalised tender should be intimated immediately to the Ministry.

(vii) That the accounts of the grant will be open to check by the Comptroller and Auditor General of India at his discretion;

(viii) That any unutilised amount together with any amount that might have been wrongly utilised for a purpose other than that for which the grant has been made shall be refunded by the grantee with the least possible delay and, in any case, not later than 15 days from the date of issue of the letter from this Ministry calling for refund of the amount.

(ix) That the grant is adjustable on the basis of actual expenditure. For this purpose, a detailed statement of income and expenditure giving item wise details in respect of the project for which this grant has been given duly signed by a Chartered Accountant and the utilisa-

tion certificate will have to be forwarded to this Department in due Course.

(x) The commitment of the Government of India is valid for two years from the date of issue of this letter, Hence the approved assistance must be claimed within the stipulated period of two years.

(xi) That all the conditions will have to be followed as given in the revised scheme of the Grants for Installation of Synthetic Surface.

2. You are requested to take necessary action as per above immediately and keep this Ministry informed of the progress in the matter

Yours faithfully,

Smt. Devpreet A. Singh
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel/Fax :- 23384408.

आवासीय विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं

222. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने आवासीय विद्यालय कहां-कहां व कब से संचालित हैं ?

(2) इन विद्यालयों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? प्रत्येक विद्यालय में कितने-कितने बच्चे किस-किस कक्षा में अध्ययनरत हैं? इन आवासीय

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

विद्यालयों में अध्यापन हेतु कितना स्टाफ कार्यरत है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन विद्यालयों में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से बच्चों के अध्यापन कार्य बाधित हो गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां कितने कितने पद रिक्त हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि इन विद्यालयों के बच्चों को पूरी सुविधाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन 9 आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। ये निम्न स्थानों पर निम्न अवधि से चल रहे हैं :-

क्र. सं.	आवासीय विद्यालय का नाम	संचालित वर्ष
1.	सलूम्बर	नवम्बर, 2002
2.	कोटड़ा (उदयपुर)	नवम्बर, 2002
3.	कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)	नवम्बर, 2002
4.	प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)	नवम्बर, 2002
5.	आबूरोड़ (सिरोही)	नवम्बर, 2002
6.	खेरवाड़ा (उदयपुर)	जनवरी, 2003
7.	सीमलवाड़ा (डूंगरपुर)	जनवरी, 2003
8.	निवाई (टोंक)	नवम्बर, 2002
9.	शाहबाद (बारां)	नवम्बर, 2002

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) इन आवासीय विद्यालयों में परिशिष्ट-1 के अनुसार निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में पृथक-पृथक कक्षावार अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। इन आवासीय विद्यालयों में अध्यापन हेतु कार्यरत स्टाफ की स्थिति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। यह सही है कि इन विद्यालयों में काफी पद रिक्त हैं। लेकिन बच्चों के अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो, रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी के आधार पर नियुक्ति करते हुए अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है।

(4) जी नहीं। आवासीय विद्यालय के छात्र/छात्राओं को निर्धारित मापदण्डानुसार पूरी सुविधाएं समय पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

परिशिष्ट-1

आवासीय विद्यालय में प्रति छात्र-छात्रा को निःशुल्क सुविधा नीचे अंकित पैटर्न अनुसार देय है।

क्र. सं.	मद	राशि रु.
1.	भोजन व्यय 525/- रु. प्रति छात्र 10 माह हेतु (525x10)	5250/-
2.	स्टेशनरी/पाठ्यपुस्तकें 400/- वार्षिक	400/-
3.	बाल कटिंग 10/- प्रतिमाह 10 माह हेतु	100/-
4.	बनियान अण्डरवियर, शंमीज इत्यादि (एक मुश्त दो जोड़ी)	130/-
5.	केनवास शूज व दो जोड़ी मौजे	180/-
6.	हवाई चप्पल एक जोड़ी	30/-
7.	टावल	40/-

1	2	3
8.	बालों हेतु तेल	40/-
9.	पेन्ट शर्ट दो जोड़ी	500/-
10.	स्वेटर (दो वर्ष में एक बार)	150/-
11.	नहाने व कपड़े धोने का साबुन (15 रु. प्रतिमाह 10 माह तक)	150/-
12.	दन्त मंजन व ब्रुश	60/-
13.	केनवास शुज पालिश	20/-
		7050/-

परिशिष्ट-2

जनजाति उपयोजना/गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की संख्या

क्र. सं.	क्षेत्र/नाम जिला	आवासीय विद्यालय का नाम	कक्षा	6		7		8		9		योग	
			वर्ग	क्षमता	प्रवेशित	क्षमता	प्रवेशित	क्षमता	प्रवेशित	क्षमता	प्रवेशित	क्षमता	प्रवेशित
अ	जनजाति उपयोजना क्षेत्र												
1.	उदयपुर	1. खेरवाड़ा	छात्र	50	42	50	49	50	43	50	43	50	177
		2. सलुम्बर	छात्रा	50	37	50	34	50	31	50	31	50	133
		3. कोटड़ा	छात्रा	50	17	50	35	50	34	50	20	50	106
2.	बांसवाड़ा	4. कुशलगढ़	छात्र	50	49	50	48	50	49	50	49	50	195
3.	डूंगरपुर	5. सीमलवाड़ा	छात्र	50	50	50	50	50	50	50	50	200	200
4.	चित्तौड़गढ़	6. प्रतापगढ़	छात्र	50	35	50	45	50	40	50	37	200	157
5,	सिरोही	7. आबुरोड़	छात्र	50	46	50	47	50	49	50	48	200	190
	योग			**350**	**276**	**350**	**308**	**350**	**296**	**350**	**278**	**1400**	**1158**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ब	गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र												
1.	माडा क्षेत्र टोंक												
	टोंक	9. निवाई	छात्रा	50	50	50	50	50	50	50	50	200	200
2.	सहरिया क्षेत्र												
	बारां	10. शाहबाद	छात्र	50	46	50	43	50	42	50	30	200	161
योग				100	96	100	93	100	92	100	80	400	361
महायोग				450	372	450	401	450	388	450	358	1800	1519

परिशिष्ट-3

जनजाति उपयोजना/गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय में सृजित पदों की स्थिति

क्र. सं.	नाम पद	सलुम्बर			कटड़ा			प्रतापगढ़			कुशलगढ़			आबूरोड़		
		स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	प्रधानाध्यापक	1	1		1	1		1	1		1		1	1		1
2.	अध्यापक ग्रेड-II	4	3	1	4	2	2	4	4		4	4		4	4	
3.	शारीरिक शिक्षक	1	1		1		1	1	1		1		1	1	1	
4.	पुस्तकालयाध्यक्ष							1		1	1	1				
5.	वरिष्ठ लिपिक							1	1		1		1			
6.	कनिष्ठ लिपिक	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1	
7.	अधीक्षक							1	1		1		1			
	योग	7	5	2	7	3	4	10	9	1	10	6	4	7	6	1

खरवाड़ा			सोमलवाड़ा			निवाई			शाहबाद			योग		
स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1		1	1	1		1	1		1	1		9	6	3
4	3	1	4	4		4	4		4	1	3	36	29	7
1	1		1	1		1	1		1	1		9	7	2
												2	1	1
												2	1	1
						1	1		1		1	7	4	3
													1	1
6	4	2	6	6	0	7	7	0	7	3	4	67	49	18

स्थानीय निकायों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण

223. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। नगरीय निकायों को उपकर, शुल्क, उपभोग प्रभार आदि लगाने एवं संग्रहण की प्रभावी कार्यवाही करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के निर्देशान्तर्गत 'टैक्स फ्री बाण्ड' जारी करने की कार्यवाही करने हेतु विभाग द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन का भी गठन किया गया है, जिसके माध्यम से निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के प्रयास किये जो रहे है। निकायों के पास उपलब्ध भूमियों से अतिरिक्त आय अर्जित करने के उद्देश्य से लैण्ड बैंक खोले जाने व भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

पंजीकृत समाचार पत्रों को देय सुविधाएं

224. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में समाचार-पत्र व पत्रकारों का पंजीयन किया जाता है ? यदि हां, तो पंजीबद्ध समाचार-पत्रों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पत्रकारों व लघु समाचार पत्रों को सरकार द्वारा कोई सुविधा प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(3) क्या सरकार राज्य के पत्राकारों व समाचार-पत्रों को दी जा रही सुविधाओं में इजाफा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। विवरण संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय कर लिया गया है। उक्त सुविधा वर्ष 2005-06 से उपलब्ध करा दी जायेगी।

पत्रकारों को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं

1. राज्य के पत्रकारों को राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1995 के तहत अधिस्वीकृत करने की सुविधा है।

2. राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष-2001 के अन्तर्गत पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा हेतु आर्थिक मदद का प्रावधान उपलब्ध है।

3. जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल एवं नगर विकास न्यासों द्वारा भूमि आबंटन करने के प्रावधान है।

4. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास आबंटित करने में 2.5 प्रतिशत कोटा निर्धारित है।

5. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में अधिस्वीकृत पत्रकारों को निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा।

6. अधिस्वीकृत पत्रकारों को रेलवे कूपन के आधार पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट देय है।

7. पत्रकारों को राजकीय/विभागीय अतिथि मानकर राजकीय खर्चे पर भ्रमण करवाना तथा उनके स्वागत सत्कार की व्यवस्था करना।

8. डाक बंगलों में ठहरने की सुविधा।

9. प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को प्रतिदिन प्रेस-विज्ञप्तियां, छायाचित्र सुलभ कराने की सुविधा।

10. पंजीकृत पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों तथा अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान प्रेस अधिस्वीकरण सलाहकार समिति, राजस्थान वर्गीकरण सलाहकार समिति, राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष समिति तथा राजस्थान आवास समितियों में सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान।

11. राजकीय समारोहों, विशिष्ठ व्यक्तियों के कार्यक्रमों, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव की कवरेज हेतु प्रवेश पत्र सुलभ कराये जाते हैं।

सहकारी बैंकों में आरक्षित वर्ग के पदों की पूर्ति

225. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) एवं श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने सहकारी बैंक कार्यरत हैं ? बैंकों के नाम एवं उनके क्षेत्रवार कार्य क्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बैंकों में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों में से कितने पदों पर स्थाई अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कितने लोग दैनिक वेतन भोगी अथवा अनुबंधित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं ? बैंकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बैंकों में अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती करते समय रोस्टर का पालन किया जाता है ? यदि हां, तो रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल कितने

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

अधिकारी/कर्मचारी होने चाहिये तथा कितने वस्तुतः कार्यरत हैं ? बैंकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त बैंकों में बैकलाग को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 27 केन्द्रीय सहकारी बैंक, 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, 38 प्राथमिक शहरी/नागरिक सहकारी बैंक, एक राज्य सहकारी बैंक एवं एक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक कार्यरत है। बैंकों के नाम एवं उनके कार्यक्षेत्र का विवरण परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

(2) उक्त बैंकों में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पदों, स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत स्थाई अधिकारी/कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी एवं अनुबन्धित कर्मचारी का बैंकवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या एवं रोस्टर के अनुसार वस्तुतः कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या का बैंकवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। इन सहकारी बैंकों में कर्मचारियों/अधिकारियों के भर्ती के सयम पालना की जावेगी।

परिशिष्ट-1

राज्य के सहकारी बैंकों के कार्यक्षेत्र का विवरण

क्र. सं.	नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक	कार्यक्षेत्र	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक का नाम	कार्यक्षेत्र	नागरिक सहकारी बैंक का नाम	कार्यक्षेत्र
1.	राज. राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर	राजस्थान राज्य	राज. राज्य सहकारी भूमि	राजस्थान	अजमेर	अजमेर

1	2	3	4	5	6	7
			विकास बैंक लि., जयपुर			
2.	अजमेर	जिला अजमेर	जयपुर	जयपुर	अलवर	अलवर
3.	अलवर	जिला अलवर	दौसा	दौसा	बालोतरा	बाड़मेर
4.	बांसवाड़ा	जिला बांसवाड़ा	सीकर	सीकर	बारां	बारां
5.	बाड़मेर	जिला बाड़मेर	झुन्झुंनूं	झुन्झुंनूं	ब्यावर	नगर पालिका ब्यावर
6.	भरतपुर	जिला भरतपुर, धौलपुर	अजमेर	केकड़ी सब डीवीजन के अतिरिक्त	भरतपुर	भरतपुर
7.	भीलवाड़ा	जिला भीलवाड़ा	नागौर	नागौर	भीलवाड़ा महिला	भीलवाड़ा
8.	बीकानेर	जिला बीकानेर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, बून्दी
9.	बून्दी	जिला बून्दी	केकड़ी	केकड़ी सब डीवीजन	बीकानेर	बीकानेर शहर
10.	चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़गढ़	टोंक	टोंक	बून्दी	नगरपालिका बून्दी
11.	चूरू	जिला चूरू	भरतपुर	भरतपुर	चित्तौड़गढ़	नगरपालिका चित्तौड़गढ़
12.	डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर	अलवर	अलवर	चूरू	चूरू
13.	जयपुर	जिला जयपुर	धौलपुर	धौलपुर	दौसा	दौसा

1	2	3	4	5	6	7
14.	जैसलमेर	जिला जैसलमेर	हिण्डौन	करौली	धौलपुर	धौलपुर बाड़ी राजखेड़ा न.पा.
15.	जालौर	जिला जालौर	सवाईमाधोपुर	करौली के अतिरिक्त	इन्ट्रीगल	जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, नागौर, टोंक
16.	झालावाड़	जिला झालावाड़	कोटा	कोटा	जालौर	जालौर
17.	झुन्झुनूं	जिला झुन्झुनूं	झालावाड़	झालावाड़	झालावाड़	भवानीमण्डी
18.	जोधपुर	जिला जोधपुर	बून्दी	बून्दी	जोधपुर	न.नि. क्षेत्र फलौदी पीपाड़सिटी
19.	कोटा	जिला कोटा, बारां	बारां	बारां	कोटा महिला	कोटा नगर
20.	नागौर	जिला नागौर	जोधपुर	पं.सं. बिलाड़ा व भोपालगढ़ के अतिरिक्त	कोटा	कोटा जिला
21.	पाली	जिला पाली	बिलाड़ा	बिलाड़ा व भोपालगढ़ पंचायत समिति	माधव	सिरोही, जालोर, पाली, उदयपुर, अजमेर, जयपुर
22.	श्रीगंगानगर	जिला श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़	बालोतरा	बाड़मेर	मालवीय	जयपुर जिला

1	2	3	4	5	6	7
23.	सवाईमाधोपुर	जिला सवाईमाधोपुर करौली	जालोर	जालोर	नागौर	नागौर शहर
24.	सीकर	जिला सीकर	पाली	पाली	पाली	पाली, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर 10 किलोमीटर तक
25.	सिरोही	जिला सिरोही	सिरोही	सिरोही	राजस्थान	जयपुर नगरीय क्षेत्र
26.	टोंक	जिला टोंक	जैसलमेर	जैसलमेर	राजलक्ष्मी महिला	जयपुर नगरपरिषद
27.	उदयपुर	जिला उदयपुर, राजसमन्द	उदयपुर	उदयपुर	राजपूताना महिला	जयपुर जिला
28.	दौसा	जिला दौसा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	राजसमन्द	राजसमन्द, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़
29.			डूंगरपुर	पं.सं. सिम्बलवाड़ा	रेलवे एम्पलाईज	जयपुर, अजमेर, कोटा, बांदीकुई, फुलेरा
30.			राजसमन्द	राजसमन्द	सीकर	सीकर न.पा. क्षेत्र
31.			चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़ के अतिरिक्त	स्टारलिंग	जयपुर जिला

1	2	3	4	5	6	7
32.			प्रतापगढ़	पं. सं. अरनोद व प्रतापगढ़	सुमेरपुर	पाली, सिरोही, जालोर
33.			श्रीगंगानगर	अनूपगढ़ व रायसिंह नगर	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
34.			हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	जयपुर अरबन	जयपुर
35.			चूरू	चूरू	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द
36.			बीकानेर	बीकानेर	उदयपुर महिला समृद्धि	उदयपुर
37.					उदयपुर महिला	उदयपुर
38.					चैशाली	जयपुर सम्भाग
39.						
40.						

परिशिष्ट-2

केन्द्रीय सहकारी बैंकों में स्वीकृत पदों/कार्यरत पदों एवं रोस्टर पदों का विवरण

क्र. सं.	बैंक का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत का विवरण			रोस्टर अनुसार पद			कार्यरत		
			स्थाई	दैनिक वेतन पर	अनुबन्ध पर	एस. सी. के	एस. टी. के	ओ बीसी के	एस. सी. के	एस. टी. के	ओबी सी के
1.	अजमेर	109	84	-	-	7	4	1	5	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	अलवर	137	108	-	-	27	15	26	13	-	38
3.	बांसवाड़ा	71	46	-	-	7	6	10	4	7	5
4.	बाड़मेर	136	118	-	-	16	11	20	18	6	66
5.	भरतपुर	122	75	-	27	17	12	22	11	1	30
6.	भीलवाड़ा	136	88	-	18	22	16	26	3	5	7
7.	बीकानेर	80	64	-	-	9	5	12	5	2	21
8.	बून्दी	86	67	-	-	12	8	15	4	5	8
9.	चित्तौड़गढ़	138	91	-	-	10	9	-	7	3	-
10.	चूरू	75	67	-	-	7	5	11	10	1	31
11.	डूंगरपुर	15	13	-	-	2	1	3	2	4	1
12.	जयपुर	174	108	-	19	11	8	15	3	2	16
13.	जैसलमेर	47	28	-	-	5	3	7	6	3	8
14.	जालौर	16	12	-	-	2	1	3	3	2	5
15.	झालावाड़	113	72	-	17	14	9	16	7	8	10
16.	झुन्झुनूं	89	76	-	-	11	8	14	14	2	38
17.	जोधपुर	137	109	-	-	17	12	22	18	6	22
18.	कोटा	192	138	-	1	24	18	32	16	10	28
19.	नागौर	120	86	-	1	8	4	67	3	2	64
20.	पाली	194	171	-	-	32	23	40	22	3	74
21.	श्रीगंगानगर	312	256	-	2	40	30	39	31	19	39
22.	सवाईमाधोपुर	117	88	-	3	14	11	18	12	13	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	सीकर	108	108	-	-	18	12	24	14	4	58
24.	सिरोही	80	51	-	3	5	3	6	12	3	8
25.	टोंक	89	72	-	-	14	10	18	6	5	24
26.	उदयपुर	144	87	-	8	17	11	20	7	4	7
27.	दौसा	60	29	-	7	9	6	10	2	3	2
	योग	**3097**	**2312**	-	**106**	**377**	**261**	**497**	**258**	**123**	**620**
	राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., जयपुर	355	225	28	-	51	38	50	29	20	2
	कुल योग	**3452**	**2537**	**28**	**106**	**428**	**299**	**547**	**287**	**143**	**622**

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर

क्र. सं.	प्राथमिक बैंक	स्वीकृत पद	स्थाई	कर्मचारी दैनिक भोगी	कर्मचारी अनुबन्ध	रोस्टर के अनुसार पद			कार्यरत		
						एस. सी.	एस. टी.	ओ. बी. सी.	एस. सी.	एस. टी.	ओ. बी. सी.
1	जयपुर	51	39	1	-	4	3	5	1	2	.
2	दौसा	14	9	-	1	.	.	.	3	.	2
3.	सीकर	28	28	-	-	2	1	3	3	.	19
4.	झुन्झुनूं	35	34	-	-	3	2	3	2	.	21
5.	अजमेर	14	12	-	-	.	.	1	3	.	.
6	नागौर	34	29	-	-	3	2	3	2	1	21
7.	भीलवाड़ा	36	31	-	-	3	2	4	2	.	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	केकड़ी	9	10	1	-	.	.	.	.	.	6
9.	टोंक	36	35	-	-	3	1	4	7	3	.
10.	भरतपुर	40	46	-	1	3	3	5	.	.	35
11.	अलवर	41	38	-	-	3	3	5	3	1	22
12.	धौलपुर	24	20	3	2	2	.	2	3	.	4
13.	हिण्डौन	26	23	-	-	2	.	2	6	2	2
14.	सवाईमाधोपुर	32	34	-	-	3	1	3	3	6	4
15.	कोटा	31	27	-	-	2	1	2	5	.	3
16.	झालावाड़	46	49	-	-	5	4	5	.	.	11
17.	बून्दी	13	12	1	-	.	.	.	1	.	1
18.	बारां	24	19	-	1	1	.	1	1	.	9
19.	जोधपुर	22	12	-	-	1	1	2	1	.	3
20.	बिलाड़ा	10	7	-	-	.	.	.	.	1	5
21.	बालोतरा	16	16	-	-	.	.	1	3	.	6
22.	जालौर	36	26	-	-	3	1	2	5	1	14
23.	पाली	21	16	-	-	1	.	2	2	2	10
24.	सिरोही	27	27	-	-	.	.	2	4	1	4
25.	जैसलमेर	6	2	-	-	.	.	.	.	.	2
26.	उदयपुर	23	20	-	-	1	1	3	.	.	2
27.	बांसवाड़ा	18	19	-	-	1	.	1	.	4	.
28.	डूंगरपुर	18	17	-	-	.	.	2	1	5	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	राजसमन्द	16	10	-	-	.	.	.	1	.	3
30.	चित्तौड़गढ़	42	36	-	-	4	3	3	5	3	8
31.	प्रतापगढ़	5	6			.	.	.	1	.	.
32.	श्रीगंगानगर	13	11	-	-			1	2	.	9
33.	रायसिंहनगर	9	8	-	-	.	.	.	3	.	3
34.	हनुमानगढ़	16	11	-	-	.	.	1	3	.	6
35.	चूरू	20	20	-	-	1	.	2	1	.	14
36.	बीकानेर	18	13			1	.	1	.	1	7
	योग	871	727	6	5	52	29	71	77	33	266
1.	एसएलडीबी	197	154	-	-	26	19	26	16	6	42
	कुल योग	1068	926	6	5	78	48	97	93	39	308

प्राथमिक नागरिक सहकारी बैंकों में स्वीकृत पदों/कार्यरत पदों एवं रोस्टर पदों का विवरण

क्र. सं.	बैंक प्राथमिक/ नागरिक सहकारी बैंक	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत का विवरण			रोस्टर अनुसार पद			कार्यरत		
			स्थाई	दैनिक वेतन पर	अनुबन्ध पर	एस. सी. के	एस. टी. के	ओ बी सी के	एस. सी. के	एस. टी. के	ओ बी सी के
1.	अजमेर, यूसीबी	26	26	-	-	-	-	-	-	-	7
2.	अलवर, यूसीबी	8	23	-	3	-	-	-	-	-	
3.	बालोतरा, यूसीबी	39	22	-	13	5	4	6	3	3	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	बारां, ना.स. बैंक	42	38	5	8	5	3	7	3	5	12
5.	ब्यावर यूसीबी	9	4	-	5	2	1	-	1	-	-
6.	भरतपुर यूसीबी	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
7.	भीलवाड़ा महिला यूसीबी	18	1	-	13	-	-	-	-	-	-
8.	भीलवाड़ा यूसीबी	56	38	-	-	-	-	-	3	2	6
9.	बीकानेर यूसीबी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	चित्तौड़गढ़ यूसीबी	11	-	9	-	-	-	-	-	-	-
11.	बून्दी यूसीबी	8	5	-	4	-	-	-	-	1	1
12.	चूरू यूसीबी	10	10	-	-	-	-	1	-	-	1
13.	दौसा यूसीबी	8	-	-	11	-	-	-	-	-	-
14.	धौलपुर यूसीबी	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	हन्ट्रिगल यूसीबी	114	13		29	-	-	-	-	-	-
16.	जालौर ना.स. बैंक	52	28	25	22	3	2	5	3	2	5
17.	झालावाड़ ना.स.बैंक	8	8	-	4	-	-	-	-	-	-
18.	जोधपुर ना.स.बैंक	82	70	-	3	11	7	14	12	5	10
19.	कोटा महिला ना.स. बैंक	8	6	-	2	-	-	-	1	-	1
20.	कोटा ना.स. बैंक	100	76	-	14	16	13	8	13	10	8
21.	माधव ना.स. बैंक	295	253	-	-	-	-	-	17	7	69
22.	मालवीया यूसीबी	21	13	-	8	-	-	-	-	-	-
23.	नागौर यूसीबी	12	12	-	4	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	पाली यूसीबी	85	75	1	1	11	8	16	11	4	23
25.	राज. यूसीबी	44	26	5	5	-	-	-	2	-	10
26.	राजलक्ष्मी महिला यूसीबी, जयपुर	30	-	-	26	1	2	3	-	2	6
27.	राजपूताना महिला यूसीबी, जयपुर	13	-	-	13	-	-	-	-	-	-
28.	राजसमन्द यूसीबी	17	17	-	8	1	1	6	1	1	6
29.	रेलवे एम्पो, कोष बैंक, जयपुर	69	55	-	-	5	3	1	3	2	1
30.	सीकर यूसीबी	13	13	-	-	3	2	1	3	2	1
31.	स्ट्रलिंग यूसीबी, जयपुर	14	7	-	2	1	-	1	1	-	1
32.	सुमेरपुर मर्केन्टाईल यूसीबी	7	-	-	7	-	-	-	-	-	1
33.	सवाईमाधोपुर यूसीबी	4	1	1 प्रति. पर	2	-	-	-	-	-	-
34.	दी जयपुर यूसीबी	128	107	-	8	17	13	22	10	6	21
35.	उदयपुर यूसीबी	74	74	-	2	-	-	-	-	-	-
36.	उदयपुर महिला समृद्धि यूसीबी	14	18	1	2	-	-	-	-	-	-
37.	उदयपुर महिला यूसीबी	8	15	-	2	-	2	-	-	2	-
38.	वैशाली अरबन कोपरेटिव बैंक	19	19	-	-	-	-	-	-	2	2
	योग	1473	1080	48	221	81	61	91	87	56	201

चित्तौड़गढ़ जिले के निगम बस सेवा विहीन क्षेत्र

226. **श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले के प्रमुख उपखण्ड मुख्यालयों चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़, बड़ी सादड़ी, कपासन, बैगूं से राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसें राज्य एवं देश के प्रमुख शहरों तक अभी भी संचालित नहीं हो रही है ?

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में रोडवेज बसों के आवागमन के मुख्य मार्ग कौन से हैं तथा कितनी बसें वर्तमान में संचालित हो रही हैं ? मार्ग व बसों के आवागमन की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार यातायात से वंचित मार्गों पर रोडवेज की नई बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में रोडवेज बसों के आवागमन के निम्न मुख्य मार्ग हैं :-

1- चित्तौड़-उदयपुर वाया मंगलवाड़

2- चित्तौड़-उदयपुर वाया मावली

3- चित्तौड़-नाथद्वारा वाया मावली

4- चित्तौड़-बेगूं-बून्दी, कोटा वाया बस्सी

5- चित्तौड़-निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, नीमच

6- चित्तौड़-भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर।

इन मार्गों पर वर्तमान में 420 एकल परिचक्र दैनिक संचालित किये

(यातायात मंत्री)

जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से एवं चित्तौड़गढ़ होकर संचालित बस सेवाओं का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में राजस्थान परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है।

परिशिष्ट-"1"

चित्तौड़गढ़ से एवं चित्तौड़गढ़ होकर निगम द्वारा दैनिक संचालित बस सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र
1	2	3
1.	चित्तौड़गढ़-हरिद्वार वाया भीलवाड़ा-अजमेर-जयपुर-दिल्ली-मेरठ	2
2.	नीमच-दिल्ली वाया निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा-अजमेर-जयपुर	2
3.	चित्तौड़-दिल्ली वाया बेगूं-माडलगढ़-देवली-टोंक-जयपुर-कोटपुतली	1
4.	दिल्ली-चित्तौड़ वाया अजमेर-जयपुर-कोटपुतली	1
5.	नीमच-जोधपुर वाया निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा-ब्यावर	2
6.	चित्तौड़-रतलाम वाया निम्बाहेड़ा-प्रतापगढ़	2
7.	चित्तौड़-सूरत वाया निम्बाहेड़ा-प्रतापगढ़-बासंवाड़ा-बडौदा	2
8.	चित्तौड़-बडौदा वाया निम्बाहेड़ा-प्रतापगढ़-बासंवाड़ा	2
9.	चित्तौड़-अहमदाबाद वाया निम्बाहेड़ा-नीमच-मन्दसौर-प्रतापगढ़-बांसवाड़ा-डूंगरपुर-हिम्मतनगर	4

1	2	3
10.	चित्तौड़-कोटा वाया बेगूं-रावतभाटा	4
11.	उदयपुर-कोटा वाया बेगूं-रावतभाटा	2
12.	चित्तौड़-मन्दसौर वाया निम्बाहेड़ा-नीमच	1
13.	मन्दसौर-जोधपुर वाया निम्बाहेड़ा-नीमच-चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा ब्यावर	1
14.	चित्तौड़-जयपुर वाया भीलवाड़ा-नसीराबाद-श्रीनगर	3
15.	चित्तौड़-जयपुर वाया भीलवाड़ा-अजमेर	2
16.	चित्तौड़-जयपुर वाया बेगूं-माडलगढ़-देवली	3
17.	उदयपुर-जयपुर वाया चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा-श्रीनगर-अजमेर	3
18.	चित्तौड़गढ़-जयपुर वाया भीलवाड़ा-देवली-टोंक	2
19.	चित्तौड़गढ़-मैलाना वाया निम्बाहेड़ा-जावद	2
20.	उदयपुर-कनेरा वाया मंगलवाडा-निम्बाहेड़ा-जावद	2
21.	चित्तौड़गढ़-मन्दसौर वाया निम्बाहेड़ा-प्रतापगढ़	4
22.	चित्तौड़गढ़-रावतभाटा वाया बेगूं	2
23.	चित्तौड़गढ़-नीमच वाया छोटी सादडी	2
24.	छोटी सादड़ी-नीमच वाया धामनिया	12
25.	चित्तौड़गढ़-इन्दौर वाया निम्बाहेड़ा-नीमच-मन्दसौर-रतलाम	2
26.	नाथद्वारा-मैलाना वाया मावली-निम्बाहेड़ा-जावद	2
27.	उदयपुर-नीमच वाया मंगलवाड़-निम्बाहेड़ा	1
28.	चित्तौड़गढ़-नाकोड़ा वाया कपासन-मावली-नाथद्वारा-फालना-जालोर	2

1	2	3
29.	चित्तौड़गढ़-बिजोलिया वाया बेगूं	2
30.	चित्तौड़गढ़-उदयपुर वाया मंगलवाड	24
31.	चित्तौड़गढ़-उदयपुर वाया मावली-कपासन	13
32.	उदयपुर-राशमी वाया कपासन	4
33.	बेगूं-उदयपुर वाया मंगलवाड	1
34.	बेगूं-उदयपुर वाया मावली	1
35.	उदयपुर-भीलवाड़ा वाया मंगलवाड़-चित्तौड़गढ़	4
		119
36.	उदयपुर-निम्बाहेड़ा वाया मंगलवाड	3
37.	चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा	32
38.	भीलवाड़ा-निम्बाहेड़ा वाया चित्तौड़गढ़	1
39.	चित्तौड़गढ़-अजमेर वाया भीलवाड़ा	2
40.	चित्तौड़गढ़-बांसवाड़ा वाया निम्बाहेड़ा-प्रतापगढ़	4
41.	उदयपुर-रेलमगरा वाया कपासन	1
42.	रेलमगरा-चित्तौड़ वाया कपासन	1
43.	कपासन-भीलवाड़ा वाया रूद्व-गंगरार	2
44.	कपासन-भीलवाड़ा वाया राशमी-पहुंना	2
45.	धरियावद-भीलवाड़ा वाया बड़ी सादड़ी	2
46.	बानसी-भीलवाड़ा वाया छोटी सादड़ी-निम्बाहेड़ा-चित्तौड़	2
47.	उदयपुर-साडास वाया कपासन-चित्तौड़गढ़	2

1	2	3
48.	खेरोदा-भीलवाड़ा वाया मंगलवाड़-चित्तौड़गढ़	2
49.	चित्तौड़-नाथद्वारा वाया कपासन	14
50.	चित्तौड़गढ़-कांकरोली वाया कपासन	2
51.	कपासन-निम्बाहेड़ा वाया चित्तौड़गढ़	2
52.	चित्तौड़गढ़-छोटी सादड़ी वाया निम्बाहेड़ा	7
53.	चित्तौड़गढ़-बड़ी सादड़ी वाया निम्बाहेडा-छोटी सादड़ी	1
54.	चित्तौड़गढ़-बड़ी सादड़ी वाया निम्बाहेडा-बिनोता-छोटी सादड़ी	1
55.	बड़ी सादड़ी-छोटी सादड़ी	4
56.	चित्तौड़गढ़-कानोड वाया मंगलवाड	4
57.	चित्तौड़गढ़-निम्बाहेड़ा	13
58.	चित्तौड़गढ़-राशमी वाया कपासन	2
59.	आरणी-चित्तौड़गढ़ वाया राशमी-कपासन	1
60.	कपासन-राशमी	4
61.	चित्तौड़गढ़-बावलास वाया गंगरार	2
62.	चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ वाया निम्बाहेड़ा	2
63.	चित्तौड़गढ़-आकोला वाया कपासन	8
64.	आकोला-चित्तौड़ वाया जासमा	1
65.	निम्बाहेड़ा-जालोदा वाया छोटी सादड़ी	2
66.	छोटी सादड़ी-निम्बाहेड़ा	2
67.	चित्तौड़-उदयपुर वाया बबराना	1

1	2	3
68.	चित्तौड़-जोगनियामाता वाया बेगूं	2
69.	चित्तौड़-बेगूं वाया बस्सी	18
70.	चित्तौड़-माण्डलगढ़ वाया बेगूं	2
71.	चित्तौड़-दोराई वाया बेगूं	2
72.	उदयपुर-कपासन वाया मावली	1
		154
73.	उदयपुर-झालावाड़ पाटन वाया मंगलवाड़-चित्तौड़-बेगूं-रावतभाटा	2
74.	उदयपुर-कोटा वाया बून्दी-बेगूं	4
75.	उदयपुर-बारां वाया रावतभाटा-बेगूं	2
76.	माउन्ट आबू-कोटा वाया रावतभाटा-उदयपुर	2
77.	कोटा-अहमदाबाद वाया रावतभाटा-सिंगोली-जावद-निम्बाहेड़ा-उदयपुर	2
78.	चित्तौड़-डूंगरपुर वाया कपासन-उदयपुर	2
79.	भीलवाड़ा-डूंगरपुर वाया चित्तौड़-कपासन-उदयपुर	2
80.	चित्तौड़-फालना वाया कपासन-कांकरोली	2
81.	भीलवाडा-अहमदाबाद वाया चित्तौड़-कपासन-उदयपुर	2
82.	चित्तौड़-जालौर वाया कपासन-नाथद्वारा	2
83.	चित्तौड़-सिरोही वाया कपासन-उदयपुर	2
84.	जयपुर-डूंगरपुर वाया अजमेर-चित्तौड़-कपासन	2
85.	पिलानी-निम्बाहेड़ा वाया जयपुर-अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़	2

1	2	3
86.	जयपुर-उदयपुर वाया केकड़ी-शाहपुरा-भीलवाड़ा-चित्तौड़-मंगलवाड	2
87.	जयपुर-सांवरियाजी वाया केकड़ी-शाहपुरा-भीलवाड़ा-चित्तौड़	2
88.	जोधपुर-प्रतापगढ़ वाया ब्यावर-भीलवाड़ा-चित्तौड़-निम्बाहेड़ा	2
89.	भरतपुर-बांसवाड़ा वाया जयपुर-अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़-निम्बाहेड़ा-प्रतापगढ़	2
90.	उदयपुर-जावद वाया मंगलवाड-निम्बाहेड़ा	4
91.	उदयपुर-नीमच वाया मंगलवाड-निम्बाहेडा	13
92.	उदयपुर-बड़ी सादड़ी वाया मंगलवाड	6
93.	चित्तौड़-डूंगरपुर वाया मंगलवाड़-मावली	6
94.	भीलवाड़ा-उदयपुर वाया मंगलवाड़	2
95.	उदयपुर-मनासा वाया मंगलवाड़-निम्बाहेड़ा-नीमच	2
96.	ब्यावर-रतलाम वाया भीलवाड़ा-चित्तौड़-निम्बाहेड़ा-नीमच-मन्दसौर	2
97.	भीलवाड़ा-मन्दसौर वाया चित्तौड़गढ़-निम्बाहेड़ा-नीमच	2
98.	बांसवाड़ा-अजमेर वाया प्रतापगढ़-निम्बाहेड़ा-चित्तौड़-भीलवाड़ा	6
99.	छोटी सादड़ी-उदयपुर वाया बड़ी सादड़ी-कानोड	4
100.	अजमेर-रतलाम वाया चित्तौड़-निम्बाहेड़ा-नीमच	4
101.	अजमेर-रतलाम वाया चित्तौड़-निम्बाहेड़ा-प्रतापगढ़	2
102.	उदयपुर-निम्बाहेड़ा वाया मंगलवाड़	2
103.	जयपुर-डूंगरपुर वाया चित्तौड़-मंगलवाड-उदयपुर	2

1	2	3
104.	जयपुर-मनासा वाया चित्तौड़-निम्बाहेड़ा-नीमच	2
105.	झालावाड़-उदयपुर वाया निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़	2
106.	बांसवाड़ा-भीलवाड़ा वाया प्रतापगढ़-निम्बाहेड़ा-चित्तौड़	4
107.	जयपुर-उदयपुर वाया भीलवाड़ा-चित्तौड़-मंगलवाड़	8
108.	अजमेर-खण्डवा वाया भीलवाड़ा-चित्तौड़-निम्बाहेड़ा नीमच-रतलाम	2
		111
109.	जयपुर-बड़ी सादड़ी वाया भीलवाड़ा-चित्तौड़-आवरीमाता	2
110.	पाली-निम्बाहेड़ा वाया भीलवाड़ा-चित्तौड़	2
111.	बीकानेर-निम्बाहेड़ा वाया चित्तौड़-भीलवाड़ा-अजमेर	2
112.	खेतड़ी-उदयपुर वाया जयपुर-अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़	2
113.	अजमेर-इन्दौर वाया भीलवाड़ा-चित्तौड़-निम्बाहेड़ा-नीमच-रतलाम	2
114.	डूंगरपुर-जयपुर वाया भीलवाड़ा-चित्तौड़-बड़ी सादडी-धरियावद	2
115.	जयपुर-बांसवाड़ा वाया चित्तौड़-निम्बाहेड़ा-प्रतापगढ़	4
116.	जयपुर-उदयपुर वाया श्रीनगर-भीलवाड़ा-चित्तौड़-मंगलवाड़	2
117.	भीलवाड़ा-इन्दौर वाया चित्तौड़-निम्बाहेड़ा-नीमच-रतलाम	2
118.	उयदपुर-नीमच वाया बडी सादड़ी-छोटी सादड़ी	8
119.	जोधपुर-इन्दौर वाया भीलवाड़ा-चित्तौड़-निम्बाहेड़ा-नीमच-रतलाम	2
120.	नीमच-दिल्ली वाया निम्बाहेड़ा-चित्तौड़-भीलवाड़ा-अजमेर-जयपुर	2

1	2	3
121.	सरदारशहर-निम्बाहेड़ा	2
122.	चित्तौड़-माउन्ट आबू वाया कपासन-उदयपुर	2
		36
	कुल परिचक्र =	420

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आपूरित पोषाहार सामग्री हेतु निविदा प्रक्रिया

227. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंज मण्डी) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार में किन-किन चीजों का वितरण किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि वितरित की जाने वाली उक्त सामग्रियों की गुणवत्ता ठीक नहीं होती हैं ? यदि हां, तो इसमें सुधार के ये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए ?

(3) क्या यह सही है कि पोषाहार सामग्री निविदा प्रक्रिया के तहत निजी फर्मों से ली जाती है ? यदि हां, तो क्या अवधि पूरी होने के बाद भी बिना शर्त पूर्व निविदादाता की अवधि बढ़ाई जा सकती है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य के 22 जिलों में 0-3 आयुवर्ग के बच्चों को "बेबी मिक्स" पोषाहार एवं 3-6 आयुवर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को "मीठे/नमकीन मुरमुरे" पोषाहार का वितरण किया जा रहा है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

केयर सम्पोषित 7 जिलों (जोधपुर, पाली, बीकानेर, चूरू, भीलवाड़ा, झुन्झुनूं एवं भरतपुर) में सभी श्रेणी के लाभन्वितों को "राजस्थान मिक्स" एवं केयर के सहयोग से "सोया तेल" का वितरण किया जा रहा है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम सम्पोषित 3 जिलों (बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं राजसमन्द) में विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से सभी श्रेणी के लाभान्वितों को "इण्डिया मिक्स" पोषाहार का वितरण किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा वितरित किया जा रहा बेबी मिक्स पोषाहार आई.एस. 7021 एवं मीठे/नमकीन मुरमुरे पोषाहार आई.एस. 9487 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार तथा राजस्थान मिक्स पोषाहार विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार तैयार कराया जाता है।

(3) जी हां। पूरक पोषाहार का क्रय राष्ट्रीय स्तर पर खुली निविदाओं के माध्यम से किया जाता है।

जी हां, अवधि पूरी होने के पश्चात् अनुमोदित फर्मों की अनुबन्ध अवधि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा निविदा शर्तों के अनुसार आपसी सहमति से सक्षम स्वीकृति के उपरान्त बढ़ाई जा सकती है।

राजकीय विद्यालय श्री डूंगरगढ़ (बीकानेर) की छात्रावास भूमि पर अतिक्रमण

228. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री डूंगरगढ़ (बीकानेर) में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे दानदाताओं द्वारा छात्रावास हेतु जमीन दान दी गई है ? यदि हां, तो उक्त जमीन किसके द्वारा कब तथा कितनी दान में दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन मौके पर विद्यालय के कब्जे में है ? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो कब से ?

(श्री मंगला राम गोदारा)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दान दी गई जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा कितनी भूमि पर ?

(4) क्या सरकार अब उक्त जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री कानीराम पुत्र श्री शेरमल पुंगलिया द्वारा दिनांक 9-2-1961 को 11-1/2 पट्टे साईज 168 x 84 = 14112 वर्गगज भूमि दान में दी गई।

(2) उक्त भूमि मौके पर खाली पड़ी है एवं विद्यालय के ही अधीन है।

(3) जी नहीं। दान में दी गई उक्त भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है व कोई अतिक्रमण नहीं है।

(4) चूंकि भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः अतिक्रमियों से मुक्त कराने का प्रश्न ही नहीं रहता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशनभोगी कर्मियों को चिकित्सा सुविधा हेतु अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र की अवधि

329. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में राज्य सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकार द्वारा इण्डोर एवं आउटडोर की क्या-क्या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की दुकानें पर्याप्त मात्रा में नहीं होने एवं सही प्रबन्धन नहीं होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मियों को कतार में खड़े रहने के पश्चात् भी चिकित्सक द्वारा लिखी गई औषधियां उपलब्ध नहीं होती हैं ? यदि हां, तो उक्त के निराकरण के लिए सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि उपभोक्ता भण्डार पेंशनर की दवा उपलब्ध न होने पर अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र केवल एक बार में एक सप्ताह की औषधियों के लिए ही जारी करता है, जिससे पेंशनर को काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करने की अवधि बढ़ाकर एक माह तक करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उपभोक्ता भण्डार द्वारा पेंशनर को जारी अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र से पेंशनर द्वारा क्रय की गई औषधियों के पुनर्भरण बिल प्रस्तुत करने पर 6-6 माह तक भी भुगतान प्राप्त नहीं होता है ? यदि नहीं, तो पेंशनर्स से प्राप्त बिलों का किस माह तक का भुगतान कर दिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य सेवा से सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को इण्डोर एवं आउटडोर की उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-"क" संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। उपभोक्ता भण्डार द्वारा पैंशनर्स को दवाइयां उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग की बीमारियों के इजाल हेतु एक माह की अवधि या चिकित्सक द्वारा लिखी गई अवधि दोनों में से जो कम हो, का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में पैंशनर्स को 31 दिसम्बर, 2004 तक प्राप्त एन.ए.सी. के पेटे बिलों को पारित कर दिया है एवं इनके चैक वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-क

वर्तमान में राज्य सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित अंतरंग एवं बहिरंग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है :-

1. सरकारी अस्पतालों में उस प्रवर्ग की निःशुल्क आवास सुविधा जिसके लिए वह सेवानिवृत्ति से पूर्व हकदार था, परन्तु वह राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के नियम 11 में यथा उपबन्धित के अनुसार आवास उपलब्ध होने के अध्यधीन है।

2. सरकारी अस्पताल, क्लिीनिक, चिकित्सालय सेनिटोरियम आदि में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या।

3. सरकारी अस्प्ताल/चिकित्सालय आदि जहां पैंशनर का उपचार हो रहा हो में उपलब्ध समस्त चिकित्सकीय, शल्य चिकित्सकीय तथा दन्त चिकित्सकीय प्रसुविधाओं का निःशुल्क उपभोग और इसमें

पैथोलोजिकल, बैक्टोरियोलोजिकल, रेडियोलोजिकल साधन या अन्य साधन भी सम्मिलित हैं जिन्हें, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक आवश्यक समझें।

4. सामान्य नर्सिंग सुविधाएं - निःशुल्क।

5. उस सीमा तक ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक दवाइयों का निःशुल्क प्रदाय जिस सीमा तक इनका प्रदाय अन्य रोगियों को उनके अंतरंग/बहिरंग रोगी के रूप में इलाज करते समय किया जाता है।

6. बहिरंग उपचार की दशा में सरकारी अस्पतालों में सामान्य अनुलब्ध ऐलोपैथिक/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक भेषज औषधियां, टीके, सेरा या भेषज शास्त्र से सम्बन्धित अन्य पदार्थों का राजस्थान राज्य पेंशनर्स योजना के लिए अधिकृत औषध दुकानों/भण्डारों से निःशुल्क प्रदायगी की व्यवस्था है।

7. जीवित पेंशनर्स के बच्चे जो शारीरिक विकलांगता के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं उन्हें भी पेंशनर्स के परिवार का सदस्य मानते हुए योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है।

8. पेंशनर्स को इन्ट्राओक्यूलर लैंस व श्रवण यन्त्र के पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की जा रही है।

9. पेंशनर्स को राज्य के बाहर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अस्पतालों से हृदय की बाईपास सर्जरी कराने पर 48000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. पेंशनर्स को राज्य में राजकीय अस्पतालों में बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, पेंशमेकर लगवाने पर अधिकतम 60000/- रुपये, एंजियोप्लास्टी/बैलूनप्लास्टी करवाने पर अधिकतम 35000/- रुपये, स्टेंट लगवाने पर 75000/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

11. पेंशनरों द्वारा राज्य के बाहर अनुमोदित अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी/बैलूनप्लास्टी करवाने पर अधिकतम 35000/- रुपये एवं स्टेंट लगवाने पर 60000/- रुपये तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

12. पेंशनर्स को सरकारी दवा की दुकानों पर दवा अनुपलब्ध होने की स्थिति में एन.ए.सी. के आधार पर दवा क्रय करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

13. राजकीय अस्पतालों में पेंशनर्स द्वारा अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा लेने पर उनकी मेडीकल डायरी में वित्तीय सीमा उपलब्ध नहीं होने के उपरान्त भी अधिकृत चिकित्सक द्वारा डायरी में लिखी गई दवाइयां अधिकृत दवा की दुकानों से पेंशनर्स को उपलब्ध कराई जाती हैं।

14. सरकारी अस्पताल में पेंशनर को अधिकृत चिकित्सक द्वारा लिखे गये टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की दशा में टेस्ट की राशि 500/- रूपये से अधिक होने पर टेस्ट हेतु व्यय की गई राशि की 60 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण किया जाता है। यदि कोई टेस्ट सरकारी अस्पताल में उस समय किसी कारण से उपलब्ध नहीं है तो अस्पताल रेट से पुनर्भरण किया जाता है।

15. राज्य के पेंशनर्स को जो अन्य राज्यों में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं को योजना का सदस्य बनने पर 100/- रुपये प्रतिमाह स्थाई चिकित्सा भत्ता देय है।

16. राज्य के पेंशनर्स जो दूर-दराज गांवों में निवास करते हैं तथा वहां से 10 किलोमीटर तक कोई दवा की अधिकृत दुकान नहीं है तो ऐसे पेंशनर्स चिकित्सा सुविधा के स्थान पर 100/- रुपये प्रतिमाह स्थाई चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु अपना विकल्प दे सकते हैं।

17. पेंशनरों द्वारा राज्य के बाहर अनुमोदित अस्पतालों मं मेडीकल बोर्ड की अनुशंषा एवं सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने पर योजना के अन्तर्गत निर्धारित सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

18. सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर एवं महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर मे पैंशनर्स के लिए निःशुल्क एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

प्रस्तावित राजस्थान हाउस मुम्बई में अन्य राजकीय विभागों का औचित्य

330. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मुम्बई में राजस्थान हाउस के निर्माण का निर्णय लिया गया है ? जिसमें राजकीय विभाग जैसे पर्यटन, सूचना एवं जनसम्पर्क, राजसिको हैण्डलूम विकास निगम आदि के कार्यालय भी स्थानान्तरित होंगे ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसका निर्माण मुम्बई शहर से बहुत — पर होने के कारण पर्यटन जैसे विभाग अपना व्यवसाय उचित ढंग से पायेंगे ? यदि हां, तो इसकी क्या कार्य योजना प्रस्तावित है की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। अन्य रा
औद्योगिक विकास निगम लि ... भूमि
उपलब्ध कराई ... के सामने
हैं जो ... का विकास बहुत

... पर काबिज अन्यत्र

... राज्यकर्मी

... भड़ाना (बयाना) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री

(श्री अतर सिंह भड़ाना)

यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में गांधी नगर के सरकारी आवास कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उनके स्थानान्तरण के पश्चात् डेढ-दो वर्ष तक खाली नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त राजकीय आवासों को खाली करवाये जाने हेतु क्या प्रयास किए गए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्थानान्तरण उपरान्त डेढ़-दो वर्ष तक निवास खाली नहीं कर रहे अनाधिकृत निवासरतों की सूचना परिशिष्ट "क" अनुसार तथा नियमानुसार अनुमति पर निवासरतों की सूचना परिशिष्ट "ख" अनुसार संलग्न है।

(2) विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.1(3)साप्र/2/90 दिनांक 16-4-1990 के द्वारा जिला मुख्यालयों पर (जयपुर सहित) कलक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो अतिरिक्त कलक्टर से निम्न स्तर का नहीं हो, को अनाधिकृत कब्जे को हटाने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः नियमानुसार जिला कलक्टर को परिशिष्ट "क" में उल्लिखित अधिकारियों से आवास रिक्त कराने हेतु लिखा जा चुका है।

परिशिष्ट "क"

जयपुर से स्थानान्तरण होने पर प्रश्न के बिन्दु सं. 1 के क्रम में डेढ़-दो वर्ष तक आवास रिक्त नहीं करने वाले अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	आबंटित आवास सं.	स्थानान्तरण दिनांक
1.	श्री श्रीनिवासराव जंगा (आई.पी.एस.)	II/25, गांधीनगर, जयपुर।	22-5-2003

क्र. सं.	नाम अधिकारी	आबंटित आवास सं.	स्थानान्तरण दिनांक
2.	श्रीमती शान्ति कपूर (अध्यापिका)	III/73, गांधीनगर, जयपुर।	17-5-2003 तक अनुमति थी।

परिशिष्ट-"ख"

जयपुर से स्थानान्तरण होने की स्थिति में निम्नांकित अधिकारियों को डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि की निवास की अनुमति उनकी विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार किराये पर निम्नानुसार दी गई है :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	आबंटित आवास सं.	स्थानान्तरण कार्यमुक्त की दिनांक	अनुमति दिनांक
1.	श्री शिखर अग्रवाल (आई.ए.एस.)	II/60 (ए.वी.एस.) गांधीनगर, जयपुर	19-1-2004	18-7-2005 तक
2.	श्री राजेन्द्र किशन (आर.ए.एस.)	"यू" ब्लाक, एम.आर.ई.सी. कैम्पस, गांधीनगर, जयपुर	25-1-2003	30-6-2005 तक
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार (अधिशासी अभियन्ता)	III/52, गांधीनगर, जयपुर	26-2-2004	31-5-2005 तक

भाटावाला ग्राम में दुग्ध डेयरियों हेतु प्रस्तावित मूलभूत सुविधाएं

332. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर निगम जयपुर द्वारा शहर की दूध डेयरियों को शहरी सीमा से बाहर स्थापित करने हेतु भाटावाला क्षेत्र में क्या-क्या सुविधाएं दिया जाना प्रस्तावित है ? उक्त में से क्या-क्या सुविधाएं दी जा चुकी हैं एवं क्या-क्या शेष हैं ? उक्त सुविधाएं कब तक दी जानी थी एवं अब तक नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे ?

(2) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में आवश्यक सुविधायें यथा; विद्युत् आपूर्ति, पशु चिकित्सालय, जल आपूर्ति एवं डामरीकृत सड़क आदि अब कब तक उपलब्ध करवा दी जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि पशु पालक को डेयरियां बाहर भेजने के बाद एक या दो पशु रखने की अनुमति दी जायेगी ? यदि हां, तो कितने पशु व इस सम्बन्ध में जारी आदेशों एवं निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दूध डेयरियों को शहरी सीमा से बाहर स्थापित करने हेतु भाटावाला में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डामर की सड़क, नाली, बिजली एवं पानी आदि की सुविधाएं दिया जाना प्रस्तावित है। इनमें से अभी तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क, नाली, बिजली की सुविधा दी जा चुकी है। यह क्षेत्र डार्क जोन होने के कारण पानी की कमी है। इसलिये पेयजल सुविधा हेतु तात्कालिक व्यवस्था कर दी गई है। प्रस्तावित सुविधाओं में डब्ल्यू.बी.एम. पर डामरीकरण का कार्य, नाली का कुछ कार्य तथा पेयजल की पूर्ति हेतु स्थाई समाधान का कार्य शेष है। उक्त शेष सुविधाएं लगभग 75 प्रतिशत डेयरी भवनों के निर्माण पूर्ण होने पर उपलब्ध करा दी जावेंगी।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

इसके अतिरिक्त जयपुर नगर निगम द्वारा भाटावाला में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था करवाए जाने के क्रम में 50 लाइटें लगाई जा चुकी है।

(2) विद्युत एवं जलापूर्ति उपलब्ध करवा दी गई है। सड़क के डामरीकरण का कार्य लगभग 75 प्रतिशत डेयरियों के भवनों के निर्माण बाद किया जाना प्रस्तावित है, जिससे सड़कों की अनावश्यक टूटफूट से बचा जा सके। इस क्षेत्र में जयपुर नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर 50 लाइटें लगायी जा चुकी हैं।

(3) जयपुर नगर निगम क्षेत्र में एक दुधारू पशु मय दूध पीता बच्चा बिना नगर निगम की अनुमति (अनुज्ञा) के व्यक्तिगत उपयोग के लिए Jaipur City Municipal Council Bye Laws for Inspection, regulation and Licensing of Premises as milch Cattle Sheds under Section 64(i)(d)(i) Act. 1943 के अनुसार रख सकता है। उक्त Bye Laws की फोटो प्रति संलग्न है।

JAIPUR CITY MUNICIPAL, COUNCIL,

NOTICE

Jaipur, the 27th March, 1946

No. 1054/C.L. - The inhabitants of the Jaipur City Municipality are hereby informed that the Government in their Memo No. 2366/D.D. dated the 9th March, 1946, have sanctioned the bye-laws framed by the Jaipur City Municipal Council under section 64(1) (d) (i) of the City of Jaipur Municipal Act, 1943 for inspection, regulation and licensing of premises used as milch cattle sheds.

The approved bye-laws will be given effect to from 1st May, 1946.

Bye-laws for inspection, regulation and licensing of premises used as Milch Cattel sheds, under section 64(1)(d)(i) of the City of

Jaipur Muncipal Act, 1943.

1. For purpose of these bye-laws a milch cow and a milch bufallo shall mean a cow or a buffalo and shall not include-

(a) Unweaned Calf.

(b) Cow and buffalo maintained in any Pinjrapole.

2. (a) No person shall use or permit being used any building enclosure or land as a shed for two or more than two milch cows or a milch buffalo for business purposes unless the said building enclosure or land has been licensed by the Municipal Council for the purpose and

(b) No person shall keep or permit being kept in any building enclosure or land licensed in manner aforesaid a larger number of milch cows or buffaloes than the number specified in the licence.

3. No building, enclosure or place shall be licensed to be used as a shed for milch cow or buffalo unless-

(a) It has a covered area of at least 40 sq. feet for each milch cow or buffalo,

(b) the roof of the shed shall be at least 8 feet higher above the floor of the shed,

(c) the level of the floor shall be at least six inches higher than the level of the surrounding area,

(d) it is sufficiently ventilated to the entire satisfaction of the Health officer of the Council,

(e) Floor of the shed shall be so sloped as to drain, all the liquid into a properly constructed case-pit or drain,

(f) It is provided with metal receptacles for filth of the capacity of not less than one cubic foot per head of cattle,

(g) the licensed premises shall be clearned twice daily-No-during shall be stored in any premises which is within 15 feet of any habitation.

4. Applications for licences shall be made only by the owner or occupier of the premises in respect of which the licence is required in writing to the Municipal Commissioner in a form, which may from time to time be adopted by the Municipal Council.

5. Licence may be granted on payment of an annual fee of As 8/-.

6. A licence granted under these bye-laws shall be valid upto 31st August succeeding the date of issue.

7. Notwithstanding anything said above, the Municipal commissioner may cancel or revoke any licence granted under these bye-laws at any time on any of the following ground :-

(a) that the permises licensed have become unfit for use as milch cow or buffalo shed.

(b) That the premises licensed or not kept in a sufficiently sanitary condition to maintain the health of the animal kept therein.

(c) that the premises licensed has become a nuisance to the neighbouring residents,

(d) that the refuse of the licensed premises does or is likely to pollute any water supply,

(e) That the premises licensed are not required or cleaned in accordance with the directions of the Health Officer.

8. Any person, committing a breach of any of the provisions of these bye-laws shall be liable, on conviction, to a fine which may extend to Rs. 50 and, if the breach is a continuing one to a further fine, which may extend to Rs. 5 per day.

DEVI SHANKER TEWARI
President,
Municipal Council, Jaipur.

डूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में अवैध खोखे (थड़ी)

333. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र डूंगरगढ़ में अवैध खोखे (थड़ी) है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अवैध खोखों को हटाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि जनहित याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा खोखों को हटाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब व क्या इन आदेशों की पालिका प्रशासन द्वारा पालना की गई ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार व अवैध खोखा मालिकों के बीच कोई समझौता हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या यह सही है कि डूंगरगढ़ शहर का पुराना रोडवेज व निजी बस स्टेण्ड भी अवैध खोखों से घिरा हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों द्वारा खोखे कब से लगाये हुये हैं तथा कितने खोखा मालिकों ने नगरपालिका से अनुमति ले रखी है तथा उन द्वारा कितनी राशि जमा कराई गई है ?

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 26 जनवरी, 2005 को गांधी पार्क के पास लगे अवैध खोखों को हटाया गया था ? यदि हां, तो उस स्थान पर

(श्री रामरतन बैरवा)

पुनः खोखे किसकी लापरवाही के कारण लगे ? क्या सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(6) सरकार द्वारा अब उक्त खोखे कब तक हटा दिये जायेंगे व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इन अवैध खोखों (थड़ी) को हटाने की नियमानुसार कार्यवाही हेतु नगर पालिका द्वारा जिला प्रशासन को पुलिस जाप्ते की व्यवस्था हेतु निवेदन किया गया है। पुलिस जाप्ता उपलब्ध होने एवं इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर द्वारा जारी स्थगन आदेश निरस्त होने पर शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। इन अवैध खोखों (थड़ियों) की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त खोखाधारकों में से 145 खोखाधारकों के बाबत 22 याचिकाकर्ताओं द्वारा मा. उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका प्रस्तुत करने पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 26-2-2001 द्वारा याचिका कर्ताओं द्वारा अपनी याचिकाएं वापस लिये जाने की स्थिति में मुख्य सचिव महोदय को निवेदन करने एवं उनके द्वारा बेदखली के सम्बन्ध में वांछित आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये थे। मुख्य सचिव महोदय द्वारा उनके आदेश दिनांक 8-6-2001 द्वारा अतिक्रमियों को बेदखल कर, लाटरी से आबंटन के निर्देश दिये जाने पर, पालिका ने लाटरी निकाल कर, आबंटियों को नक्शेनुसार आबंटन भी कर दिया था तथा अतिक्रमियों को बेदखल करने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ करने पर जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 5-10-2001 द्वारा कार्यवाही को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया।

(3) जी नहीं। मुख्य सचिव महोदय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में 22 याचिकाकर्ताओं को उनके प्रतिनिधि के माध्यम से

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

दिनांक 8-6-2001 को सुनवाई कर, 145 थड़ी/खोखाधारकों को वैकल्पिक स्थान देने के निर्देश दिये गये।

(4) जी हां। पुराना बस स्टैण्ड तथा बस स्टैण्ड जहां से निजी बसें चलती है एवं आसपास का क्षेत्र लम्बे समय से खोखा/थड़ियों से घिरा हुआ है। इन खोखों/थड़ियों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। इनके द्वारा पालिका से कोई अनुमति नहीं ली गई और ना ही कोई राशि जमा कराई गई।

(5) जी नहीं। दिनांक 26-1-2005 को गांधी पार्क के पास लगे अवैध खोखों को हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः उसी स्थान पर पुनः रखे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता।

(6) इन अवैध खोखों को हटाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने एवं जिला कलक्टर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 5-10-2001 के निरस्त होने पर ही अपेक्षित कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(सूची विस्तुत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

सिरसी रोड़, जयपुर की लिंक रोड़ पर अतिक्रमण

334. **श्री सुरेश मीणा (करौली)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिरसी रोड, जयपुर के दोनों ओर बसी आवासीय कालोनियों को सड़क से जोड़ने हेतु लिंक रोड बनाई गई है ? यदि हां, तो प्रस्तावित नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सिरसी रोड से दीप विहार कालोनी को जोड़ने वाली लिंक रोड को आम चुनावों के दौरान भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में विकास समिति द्वारा भी कई बार लिखित एवं मौखिक शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री सुरेश मीणा)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त लिंक रोड के बन्द हो जाने पर कालोनियों के निवासियों को करीबन दो से तीन किलोमीटर चक्कर लगाकर सिरसी रोड पर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब कब तक लिंक रोड को आम नागरिकों की सुविधा हेतु खोल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जोन-सी बाइपास की पूर्व दिशा में सिरसी रोड, जयपुर के दोनों ओर बसी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आवासीय कालोनियों को सड़क से जोड़ने हेतु लिंक रोड बनायी गयी है। नक्शे की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जोन-सी बाईपास के पश्चिम में सिरसी रोड से दीप विहार कालोनी को जोड़ने के लिए कोई लिंक रोड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं बनायी गयी है। अतः लिंक रोड को अतिक्रमण कर बन्द किया जाना सही नहीं है। इस सम्बन्ध में विकास समिति से शिकायत प्राप्त हुई है। चूंकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई लिंक रोड नहीं बनायी गयी है। अतः प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(3) जी नहीं। दीप विहार कालोनी को सिरसी रोड से जोड़ने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई लिंक रोड नहीं बनाई जाने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(नक्शे की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर के वार्ड संख्या 59 की सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों का नियमन

335. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में माह सितम्बर, 2004

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

में कच्ची बस्ती सर्वे का कार्य किया गया था ? यदि हां, तो इस सर्वे हेतु जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सर्वे में विधान सभा क्षेत्र हवामहल जयपुर के वार्ड सं. 59 की कच्ची बस्तियों का भी सर्वे कार्य किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन बस्तियों का? सर्वेधारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा सर्वे की गई कच्ची बस्तियों का नियमन करने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त सर्वे कार्य हेतु जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र हवामहल जयपुर के वार्ड सं. 59 की 8 कच्ची बस्तियों का सर्वे किया गया है, जिनकी बस्तीवार सूची परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। लेकिन सर्वे पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार नियमन के सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।

(प्रति एवं सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

एशियन विकास बैंक की सहायता से अजमेर शहर के विकास कार्यों की निर्धारित शर्तें

336. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर की अधिकांश सड़कें एशियन

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

विकास बैंक के माध्यम से चलाये जा रहे विकास कार्यों के कारण खुदी हुई हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सड़कें खुदी होने से सामान्य आवागमन प्रभावित है ? यदि हां, तो सरकार इन्हें कब तक ठीक करवाने का विचार रखती है ?

(3) एशियन विकास बैंक से ऋण लेते समय तथा कार्यों का टेण्डर करते समय क्या मूल शर्तें थीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इन शर्तों में खुदाई के साथ-साथ ही रिपेयर करने की शर्त भी है ? यदि हां, तो क्या इसकी अनुपालना हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि सीवरेज लाइन सहित अन्य कार्य मूल ठेकेदार द्वारा ही किए जा रहे हैं अथवा इन्हें सबलेट किया गया है ?

(6) मूल ठेकेदार द्वारा सबलेट किए गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर शहर की वर्तमान में 21.64 किलोमीटर सड़कें खुदी हुई हैं। ये सड़कें पिछले 10 से 120 दिन से खुदी हुई हैं। जहां डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण होना शेष है।

(2) जी हां। सामान्य आवागमन कुछ हद तक प्रभावित होता है। अब तक खुदी हुई सड़कों को 30 अप्रैल तक ठीक करने का लक्ष्य है।

(3) एशियाई विकास बैंक द्वारा इस परियोजना के लिए ऋण अदायगी की मुख्य शर्ते परिशिष्ट "क" पर एवं कार्यों का टेण्डर करते समय की मुख्य शर्तें परिशिष्ट "ख" पर हैं।

(4) जी हां। शर्तों की पालना भी हो रही है। जहां-जहां खुदाई के समय कम गहराई पर भूजल स्तर आ जाता है। वहां पर समय लगने के कारण देरी होती है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(5) जी हां। सभी कार्य मूल ठेकेदार द्वारा ही किये जा रहे हैं।

(6) सभी कार्य मूल ठेकेदार द्वारा किये जा रहे हैं। इसलिए सबलेट किये गये कार्यों का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-"क"

एशियाई विकास बैंक द्वारा इस परियोजना के लिए ऋण अदायगी की मुख्य शर्तें

1. राज्य सरकार के द्वारा जो ऋण राशि नगर स्थानीय निकायों के परियोजना कार्यों हेतु उपलब्ध कराई जायेगी, उसके लिये राज्य सरकार एवं सम्बन्धित स्थानीय निकाय के मध्य ऋण समझौता हस्ताक्षरित होगा एवं उसकी मुख्य शर्तें में संशोधन अथवा समाप्त करना बिना बैंक की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

2. सलाहकारों की नियुक्ति एवं निर्माण अथवा सामग्री हेतु अनुबन्ध आदि बैंक की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही किया जायेगा।

3. परियोजना क्रियान्वयन व्यवस्था

   क) मंत्री, नगरीय विकास की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार समिति का गठन एवं उस समिति को राज्य सरकार की आवश्यक शक्तियां प्रदान करना।

   ख) इस परियोजना की कार्यपालन एजेन्सी नगरीय विकास विभाग होगा, जो इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा।

   ग) इस परियोजना का प्रबन्धन एवं समन्वय परियोजना प्रबन्धन इकाई के द्वारा होगा। इस इकाई का प्रमुख परियोजना निदेशक होगा जिसकी सहायता के लिए योग्य व अनुभवी स्टाफ लगाना एवं यह परियोजना अवधि के लिए नियुक्त होंगे।

घ) प्रत्येक परियोजना शहर में एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्थापित की जायेगी जो परियोजना का क्रियान्वयन करेगी।

4. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विस्तृत अभिकल्पन; कमेपहदद्ध के 15 माह पश्चात् तक उस कार्य हेतु समस्त आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कर लिया जायेगा। परियोजना की पुनर्वास योजना में शामिल नहीं होने वाले अपरिहार्य अस्वैच्छिक पुनर्वास प्रबन्धन के लिये नीतियों एवं प्रक्रियाओं को तदानुरूप परिवर्तित करें।

5. बैंक द्वारा सुझाये गये नीतिगत, संस्थागत एवं वित्तीय सुधारों को, तय की गई समय सारणी अनुसार राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित करना।

6. राज्य सरकार द्वारा जनसहभागिता बाबत एक नीति क्रियान्वित की जायेगी जिसमें कच्ची बस्तियों में महिलाओं के लिए लघु ऋण, महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के कार्यक्रम एवं जनता द्वारा नागरिक सेवाओं के उपयोग हेतु भुगतान करने की इच्छाशक्ति उत्पन्न करना शामिल हो।

7. परियोजना शहरों के स्थानीय निकायों के राजस्व सुधार हेतु राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न उपाय क्रियान्वित किये जायेंगे जिनमें निम्न भी शामिल होंगे-

क) गृहकर एवं भूमि व भवन कर का यौक्तिकीकरण (rationalisation) करना। गृहकर की मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार जिससे की वार्षिक किराये मूल्य में संशोधन एवं आत्म मूल्यांकन (self Assessment) को बाध्य किया जा सके।

ख) नगर निगम/परिषद की राजस्व में बढ़ोतरी हेतु अन्य उपाय जैसे कि भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, नगर निगमों/परिषदों की समत्तियां, जो किराये पर दी गई हो, से बाजारी दर पर किराया वसूल करना।

ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि समस्त परियोजना शहरों की नगर निगमों/परिषदों का क्लोजिंग बैलेन्स 2004 तक सकारात्मक हो।

8. राज्य सरकार के द्वारा जल आपूर्ति में अनुदान घटाया जाये जिससे कि परियोजना शहरों की जलदाय योजनाएं वित्तीय सम्पोषणता (Financial sustainability) प्राप्त कर सकें। इसके लिए निम्न कार्य अपेक्षित हैं:-

क) ऐसे उपाय किये जाय जिससे कि मार्च, 2004 तक गैर राजस्व जल घटकर 30 प्रतिशत से अधिक न हो। इनमें कलेक्शन एफीशियेन्सी (Collection Efficiency) में सुधार कर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने एवं जल आपूर्ति विच्छेद नीति के क्रियान्वयन जैसे उपाय शामिल हों।

ख) जल की दर में इस प्रकार वर्ष 2001 में निरन्तर वृद्धि की जाये जिससे कि मार्च, 2005 तक पूर्ण संचालन-संधारण लागत की वसूली उपभोक्ताओं से हो सकें एवं वर्ष 2011 तक संचालन अनुपात (operational ratio) 1.2 प्राप्त किया जा सके।

9. राज्य सरकार के द्वारा परियोजना शहर के सिवरेज व्यवस्था के संचालन-संधारण व्यय हेतु पर्याप्त कर राजस्व सुनिश्चित कर इसके लिए विशेष रूप से आबंटित की जायेगी।

10. उच्च अधिकार प्राप्त समिति एवं बैंक की सहमति से परियोजना शहरों की क्षमता निर्माण हेतु एक योजना नवम्बर, 1999 तक तैयार की जाय जो निर्धारित समय सारणी के अनुसार क्रियान्वित हो।

11. निम्न परिस्थितियों में बैंक के द्वारा ऋण निरस्त किया जा सकता है :-

(अ) यदि बैंक को कभी भी इस बात का समाधान हो गया कि ऋण राशि द्वारा पोषित किसी अनुबन्ध में, जैसे सामग्री क्रय, सलाहकारों की नियुक्ति या कार्य क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार

हुआ है अथवा आपत्तिजनक प्रक्रिया अपनाई गई हो एवं इस सम्बन्ध में भारत सरकार के द्वारा समय पर एवं समुचित कार्यवाही नहीं की गई।

(ब) यदि बैंक को कभी भी इस बात का समाधान हो गया कि ऋण राशि द्वारा पोषित किसी अनुबन्ध में ऋण समझौते में निर्धारित की गई प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।

12. ऋण खाते में से राशि निकालने की अन्तिम तारीख 30 जून, 2005 होगी, अथवा अन्य दिनांक जो बैंक एवं भारत सरकार की सहमति से निर्धारित की जायें।

13. इस परियोजना के लेखों का अलग से संधारण होगा एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद परियोजना लेखों का अंकेक्षण बैंक की सहमति से नियुक्त स्वतन्त्र अंकेक्षणकर्ता के द्वारा कराया जाकर बैंक को प्रेषित करना होगा।

परिशिष्ट "ख"

<u>कार्यों का टेण्डर करते समय की शर्तें</u>

प्रत्येक कार्य के टेन्डर में विस्तृत शर्तें दी हुई हैं जिनमें कि सैकड़ों पृष्ठ हैं। जहां तक सड़क मरम्मत का कार्य है इस सम्बन्ध में टेण्डर में उल्लेख है कि ठेकेदार जो सीवर लाइन डालता है उसी का दायित्व सड़क की मरम्मत करने का है।

सड़क की मरम्मत का कार्य इंडियन रोड कांग्रेस (भारत सरकार के सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय) द्वारा जारी स्पेसिफिकेशन अनुसार किये जाने की शर्त टेण्डर में दी हुई है। बिटुमन रोड एवं डब्ल्यू.बी.एम. रोड का माप स्क्वायर मीटर में एवं कंक्रीट रोड का माप क्यूबिक मीटर में (1:3:6 व 1:4:8 ग्रेड कांक्रीट के लिए अलग-अलग) लिया जाता है। दर कम्पलीट कार्य की है अर्थात् सभी प्रकार के प्लांट्स, मशीनरी व उपकरण के किराये की दर, दर में

सम्मिलित है जैसा कि बिल आफ क्वांटिटीज में तथा ड्राइंग व स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है।

ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह सभी वर्किग सर्विसेज को पुन: वास्तविक स्थिति में ठीक करेगा एवं इस सब की दरें, ठेके की दी गई दरों में सम्मिलित है।

हाईवे क्रासिंग कार्य

यदि किसी हाईवे को क्रास करना है तो ठेकेदार विस्तृत रूप से इसकी कार्यप्रणाली एवं कार्य का विवरण प्रस्तुत करेगा।

कार्य शुरू करने से पूर्व एवं अएप्रूवल लेने के बाद ही कार्य करेगा एवं भुगतान भी अप्रुव्ड कार्य का ही किया जावेगा।

इलेक्ट्रिसिटी व पानी का इंतजाम

कार्य में प्रयोग में आने वाले पानी व बिजली का ठेकेदार स्वयं इंतजाम करेगा एवं इसका कोई अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा।

अजमेर रोड, जयपुर की आवासीय कालोनियों की सडकों पर अतिक्रमण

337. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर रोड पर निर्मोही नगर, प्रेमनगर, मोदी नगर जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित हैं ? यदि हां, तो इनका अनुमोदन/नियमितीकरण कब किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कालोनियों में सीवरेज लाइन, सड़क तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि निर्मोही नगर से अजमेर रोड को जोड़ने वाली सड़क पर फैक्ट्री मालिकों द्वारा अवैध कब्जे कर रखें हैं ? क्या सरकार

(श्री रामकिशोर मीणा)

उक्त कब्जे हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि प्रेमनगर एवं सिरोही नगर को जाने वाली सड़क सकड़ी है जिसमें एक ही गाड़ी आ जा सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क को नियमानुसार चौड़ी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर रोड पर स्थित निर्मोही नगर, प्रेम नगर, मोदी नगर योजनाऐं प्राधिकरण से अनुमोदित है। उपरोक्त योजनाओं का अनुमोदन/नियमितीकरण निम्नानुसार तिथियों को किया गया-

योजना का नाम	अनुमोदित की तिथि	कैम्प का दिनांक
निर्मोही नगर (श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.)	28-2-2002	13-3-2002
प्रेम नगर (श्री माधव नगर गृ.नि.स.स.)	28-2-2002	13-3-2002
मोदीनगर (गुलाबबाड़ी गृ.नि.स.स.)	7-6-2002	26-6-2002

(2) जी नहीं। उपरोक्त योजनाओं में डामर की सड़कें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाई जा चुकी है एवं मोदी नगर कालोनी में सुविधा क्षेत्र की चारदिवारी बनाई जा चुकी है। अन्य सुविधाएं जैसे नाले के कार्य में पानी की निकासी हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण तथा क्षेत्र के लो-लाइन एरिये में होने के कारण सीवरेज का कार्य तकनीकी रूप से सम्भव नहीं।

(3) जी नहीं। निर्मोही नगर से अजमेर रोड को जोड़ने वाली सड़क पर फैक्ट्री मालिकों का अतिक्रमण नहीं है। निर्मोही नगर की सड़क, योजना के

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ग्राम सुशीलपुरा के खसरा नं. 207/2/2/1 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा खातेदारी भूमि पर आकर बन्द हो जाती है। उक्त भूमि पर एक फैक्ट्री निर्मित है जो कि वर्तमान में बन्द है निर्मोही नगर से अजमेर को जाने के लिए प्रेमनगर में से सीधा रास्ता उपलब्ध है जिस पर आवागमन जारी है।

(4) अजमेर रोड से प्रेम नगर व निर्मोही नगर को जाने वाली सड़क प्रेमनगर योजना के अनुमोदित मानचित्र अनुसार 30 फीट चौड़ी अनुमोदित है उक्तानुसार भूखण्डधारियों को 30 फुट सड़क मानते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही की गई तथा उपरोक्त सड़क मौके पर पुराने मकानात बने होने के कारण विभिन्न स्थानों पर 17 फुट से 25 फुट तक उपलब्ध है। उपरोक्त कारण से सड़क मौके पर सकड़ी है। योजना की अनुमोदित 30 फुट सड़क का निर्माण योजना के भूखण्डधारियों के द्वारा चाहे जाने पर एवं सड़क की भूमि पर किये गये अतिक्रमण खाली होने पर सड़क का निर्माण करा दिया जायेगा। योजना में एक लेन चौड़ी डामर की सड़क बनाई जा चुकी है।

जिलाधीश (भवन निर्माण) जयपुर द्वारा वर्ष 1958 में स्वीकृत ऋण की वसूली

338. **श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कार्यालय जिलाधीश (भवन निर्माण) जयपुर, जिला जयपुर द्वारा अल्प/मध्यम गृह निर्माण योजनान्तर्गत वर्ष 1958 में दिये गये ऋण की वसूली हेतु जनवरी, 2005 में नोटिस दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त व्यक्तियों द्वारा कब-कब कितना-कितना ऋण किस-किस योजना में लिया गया एवं कब-कब कितनी-कितनी राशि जमा कराई गयी तथा कितनी राशि बकाया रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय की पत्रावली संख्या : भवन निर्माण/74 एल.आई.जी.एच. 468/1918 द्वारा भवन निर्माण हेतु ऋण स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन को व कितनी राशि ? इनसे सरकार द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी राशि की वसूली की गई ? व जमा कराई गई राशि व ऋण का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है। अनुलग्नक 'क'।

(2) विवरण संलग्न है। अनुलग्नक 'ख'।

(3) जी हां। श्री रामप्रसाद वर्मा को 6,250/- रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। विवरण संलग्न है। अनुलग्नक 'ग'।

(सूची आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

गांधी नगर जयपुर का क्षतिग्रस्त बरसाती नाला

339. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि गांधीनगर जयपुर में गांधी नगर क्लब, प्राथमिक विद्यालय से नेहरू बालोद्यान के पूर्वी दरवाजे तक बरसाती नाला जगह-जगह से टूटा हुआ है ? यदि हां, तो इस नाले की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

उत्तर

जी हां। गांधी नगर में नाली मरम्मत व अन्य कार्यों हेतु तकमीना बनाया गया है, कार्य की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य करवाया जा सकेगा।

मन्दिर श्री रघुनाथ, ग्राम चींसा (कोटा) की भूमि का पंजीयन प्रकरण

340. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चींसा तहसील दीगोद में श्री रघुनाथ मन्दिर की पूजा अर्चना श्री दौलत राम बैरागी के दोहिते (दत्तक पुत्र) श्री रूपनारायण व श्री महावीर बैरागी करते हैं तथा गत 80 वर्षों से यही परिवार इस मन्दिर की पूजा अर्चना करता आ रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री नन्द बिहारी बैरागी निवासी गढ़ेपान की शिकायत व देवस्थान विभाग, कोटा के निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर इस भूमि का पंजीयन श्री नन्द बिहारी बैरागी के नाम कर दिया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित शिकायत व निरीक्षक की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आयुक्त, देवस्थान को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मौके की सच्चाई जानने का प्रयास किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री रघुनाथ मन्दिर, ग्राम चींसा तहसील दीगोद की पूजा अर्चना श्री नन्द बिहारी के परिवार द्वारा की जाती रही है। वर्तमान में भी मन्दिर की पूजा श्री नन्द बिहारी एवं श्री महावीर द्वारा की जा रही है।

(2) जी नहीं। श्री नन्द बिहारी बैरागी के नाम मन्दिर प्रन्यास का पंजीयन उनके द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर विधिसम्मत प्रक्रिया की पालना करते हुए किया गया है न कि शिकायत के आधार पर।

(3) जी हां। देवस्थान विभाग में प्राप्त शिकायत की जांच निरीक्षक देवस्थान विभाग कोटा द्वारा मौके पर ग्राम चींसा जाकर की गई है।

जालौर जिले में देवस्थान की परिसम्पत्तियों का आय-व्यय

341. **श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालौर में सरकार की देखरेख वाले कुल कितने मन्दिर हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मन्दिरों के अन्तर्गत कुल कितनी परिसम्पत्तियां हैं तथा उसका क्या उपयोग हो रहा है?

(3) सरकार द्वारा उक्त मन्दिरों एवं उनकी परिसम्पत्तियों की देखरेख के लिए किन्हें व कितने पुजारियों को नियुक्त किया गया?

(4) क्या उपरोक्त व्यक्तियों को सरकार द्वारा वेतन, भत्ते या मानदेय दिया जाता है? यदि हां, तो कितना-कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त मन्दिरों एवं परिसम्पत्तियों से सरकार को कुल कितनी आय होती है तथा उनके रख-रखाव पर कुल कितना व्यय होता है ? गत पांच वर्षों के आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जालौर जिले में देवस्थान विभाग के प्रबन्धाधीन एक भी मन्दिर स्थित नहीं है।

(2) जालौर जिले में देवस्थान विभाग के प्रबन्धाधीन एक भी मन्दिर स्थित नहीं है।

(3) जालौर जिले में देवस्थान विभाग के प्रबन्धाधीन एक भी मन्दिर स्थित नहीं है। अतः कोई परिसम्पत्ति होने एवं पुजारियों के नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(देवस्थान मंत्री)

(4) जालौर जिले में देवस्थान विभाग के प्रबन्धाधीन एक भी मन्दिर स्थित नहीं है।

(5) जालौर जिले में देवस्थान विभाग के प्रबन्धाधीन एक भी मन्दिर स्थित नहीं है।

ब्यावर की क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनें

342. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के शहरी क्षेत्र में जीर्ण-शीर्ण खम्भे एवं विद्युत वायरिंग बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं कैसे ?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के शहरी क्षेत्र के जीर्ण-शीर्ण खम्भे बदलने हेतु समय-समय पर विद्युत खम्भे बदलने एवं तार सही करने का कार्य किया जाता रहा है। ब्यावर शहर में ब्यावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा लगाये गये एच.टी. एवं एल.टी. के कई पाइप के गोलाकार खम्भे जो जमीनी सतह पर गल जाने के कारण कमजोर हो गये थे उन्हें वेल्डिंग करके मफिंग करा दी गई है। जो खम्भे वेल्डिंग द्वारा ठीक नहीं किये जा सकते उन्हें बदलने का कार्य प्रस्तावित है। यह कार्य ठेके पर दिया जाना प्रस्तावित है। चांगगेट से पांच बत्ती तक के समस्त गोलाकार खम्भे बदलने का कार्य डिवाइडर के कार्य के साथ ही पूर्ण करने हेतु प्रयास किया जावेगा।

जनता बाजार, जयपुर क्षेत्रान्तर्गत खराब विद्युत मीटरों की जांच

343. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विद्युत वितरण निगम के जोन (ई-प्रथम) जनता बाजार, जयपुर के द्वारा अब तक कितने नये इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाये जा चुके हैं एवं

(श्री भंवरू खान)

अब कितने मीटर लगाये जाने शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने उपभोक्ता हैं जिनकी शिकायत पर खराब हुए इलैक्ट्रोनिक मीटर अब तक बदले जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खराब मीटर कब-कब जांच हेतु लेबोरेटरी में भिजवाये गये एवं इनकी जांच रिपोर्ट क्या-क्या एवं कब-कब प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रभावित उपभोक्ताओं से वसूली गई अधिक राशि का समायोजन मीटर की जांच रिपोर्ट आने पर उनके आगामी बिलों से किया गया?

(5) क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर विद्युत वितरण निगम के जयपुर नगर वृत के अन्तर्गत ई-जोन-प्रथम उपखण्ड में कुल 21622 विद्युत उपभोक्ता हैं। इनमें से अब तक 11,573 उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाये जा चुके हैं तथा 10,049 उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाये जाने शेष हैं जो मीटरों की उपलब्धता के अनुसार बदले जा रहे हैं।

(2) उपरोक्त उपखण्ड में खराब मीटर की 93 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन्हें बदला जा चुका है।

(3) उपरोक्त मीटरों की टेस्टिंग फीस जमा होने के बाद वे जांच हेतु लेब में समय-समय पर भिजवाये गये थे। लेब रिपोर्ट के आधार पर 22 मीटर

(ऊर्जा मंत्री)

खराब, 14 मीटर बन्द तथा 4 मीटरों में छेड़छाड़ व बोडी सील टूटना पाया गया, शेष 53 मीटर सही पाये गये।

(4) प्रभावित 93 उपभोक्ताओं में से 22 उपभोक्ताओं के मीटर खराब पाये गये उनसे वसूल की गयी अधिक राशि का रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार समायोजन कर दिया गया है।

(5) जी नहीं। इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अजीतगढ़ (सीकर) ग्रिड सब स्टेशन द्वारा विद्युत उपभोग

344. श्री रामलाल (चौमूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चौमूं स्थित 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन से प्रतिदिन कितनी मेगावाट बिजली सप्लाई की जाती है तथा इस सब स्टेशन से कौन-कौन से 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन पर विद्युत सप्लाई की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, चौमूं से 132 के.वी. सब स्टेशन, अजीतगढ़ को भी विद्युत सप्लाई की जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि अजीतगढ़ ग्रिड सब स्टेशन द्वारा 4 मेगावाट विद्युत के स्थान पर 15 मेगावाट विद्युत प्रतिदिन उपभोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 220 के.वी. चौमूं से औसतन 67 मेगावाट से 90 मेगावाट बिजली सप्लाई की जाती है। उक्त सब स्टेशन से निम्न 132 के.वी. जी.एस.एस. को सप्लाई दी जाती है :-

1. 132 के.वी. जी.एस.एस., गोविन्दगढ़

2. 132 के.वी. जी.एस.एस., रामपुरा डाबड़ी

(ऊर्जा मंत्री)

3. 132 के.वी. जी.एस.एस., मारखी

4. 132 के.वी. जी.एस.एस., अजीतगढ़

5. 220 के.वी. जी.एस.एस., चौमूं लोकल सप्लाई

(2) जी हां। 220 के.वी. जी.एस.एस. चौमूं से 132 के.वी. जी.एस.एस. अजीतगढ़ को भी विद्युत सप्लाई की जाती है।

(3) जी नहीं। अजीतगढ़ ग्रिड सबस्टेशन को आबंटित विद्युत भार 8 मेगावाट है तथापि उसके द्वारा 12 से 15 मेगावाट तक विद्युत भार का उपभोग किया गया। यह रबी की सीजन में एक तरफ की लाइन खराब होने पर दूसरे ग्रिड स्टेशनों से जुड़े 33/11 के.वी. के सब स्टेशनों को अजीतगढ़ ग्रिड सबस्टेशन से जोड़ने के कारण हुआ।

फार्म हाउस योजना का विशेष श्रेणी में परिवर्तन

345. श्री अमराराम (धोद) (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विद्युत कनेक्शनों हेतु विशेष एवं सामान्य श्रेणी की दो ही श्रेणियां हैं ? यदि हां, तो नई कृषि कनेक्शन नीति से पूर्व फार्म हाउस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में दिये गये कृषि कनेक्शन की दर विशेष श्रेणी से दुगुनी लेने का क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार फार्म हाउस योजना में जारी कृषि कनेक्शनों को विशेष कृषि कनेक्शन श्रेणी में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विद्युत कनेक्शन देने हेतु दो ही श्रेणियां (सामान्य श्रेणी एवं विशेष श्रेणी) प्रचलित है।

(ऊर्जा मंत्री)

नई कृषि कनेक्शन नीति, 2004 (संशोधित 18-9-2004) से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म हाउस श्रेणी में कृषि कनेक्शन उन आवेदकों को ही जारी किये गये जो उस श्रेणी में कनेक्शन लेना चाहते थे। विशेष श्रेणी व फार्म हाऊस श्रेणी चूंकि भिन्न श्रेणी है अतः इनकी दर भी भिन्न ही रखी गयी है। नई कृषि कनेक्शन नीति-2002 (संशोधित 18-9-2004) में यह श्रेणी नहीं है इसलिए अब उनकी वरीयता भी भिन्न नहीं है एवं अब फार्म हाउस श्रेणी में आवेदित कनेक्शनों पर भी विशेष श्रेणी की वर्तमान दर ही लागू होगी।

(2) फार्म हाउस श्रेणी में जारी कृषि कनेक्शनों को विशेष श्रेणी में परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है तथापि कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18-9-2004) में निहित प्रावधान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जारी किये जा चुके फार्म हाउस श्रेणी कनेक्शनों को भी उनकी सामान्य श्रेणी की उसी गांव के नीचे वरीयता वाले आवेदकों के कनेक्शन जारी होने की तिथि से सामान्य कृषि श्रेणी में परिवर्तित करने का प्रावधान है। इस परिवर्तन के पश्चात् सामान्य श्रेणी की दर लागू होगी।

वृद्धजन कल्याण योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

346. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य वृद्धजन कल्याण योजना कब से लागू की गई और इसका प्रारूप क्या है ? प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वृद्धजन कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य वृद्धजन नीति में वर्ष 2004-05 के लिये 40 लाख वृद्धजनों को सहायता पहुंचाने का ल[illegible] निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत किस-किस जिले के कितने-कितने वृद्धजन को लाभ पहुंचाया गया ? जिलेवार संख्या [illegible]ची सदन [illegible] मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य वृद्धजन नीति राज्य में 9 दिसम्बर, 2004 से लागू की गई है। इसका प्रारूप संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(प्रारूप पुस्तिका पुस्तकालय में रखी गयी)

कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

347. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ कम्पोनेन्ट प्लान के तहत केन्द्रीय सहायता राज्यों को दी जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 1991 से 2004 तक राजस्थान को कितनी राशि स्वीकृत हुई और कितनी आबंटित की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत एवं आबंटित राशि में से कितनी राशि अनुसूचित जाति के कल्याण कार्यों पर व्यय की गई तथा कितनी राशि केन्द्र को वापस कर दी गई ?

(3) उक्त योजना के तहत कौन-कौन से कल्याणकारी कार्य कराये जा सकते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1990-91 से वर्ष 2004-05 तक स्वीकृत एवं आबंटित राशि की सूचना परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत आबंटित राशि में से अनुसूचित जाति के कल्याण कार्यों पर व्यय राशि की सूचना परिशिष्ट-1 के कालम 6 पर उपलब्ध है।

(समाज कल्याण मंत्री)

इन वर्षों में विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत आबंटित राशि में से कोई राशि वापिस नहीं लौटायी गयी है।

(3) योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कल्याणकारी कार्यों की सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त, विभाग द्वारा निगम को हस्तान्तरित एवं निगम द्वारा योजनाओं पर व्यय की गई राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

वर्ष	केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि	केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित राशि	संस्थापन हेतु उपलब्ध राशि	योजनाओं की क्रियान्विति हेतु उपलब्ध राशि	योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
1990-91	1107.54	1107.54	11.08	1096.46	770.65
1991-92	1150.44	1150.44	11.50	1138.94	630.51
1992-93	1162.90	1162.90	11.63	1151.27	929.16
1993-94	1829.89	1829.89	18.30	1811.59	898.52
1994-95	887.37	887.37	8.87	878.50	3602.30
1995-96	1828.25	1828.25	18.28	1809.97	2259.89
1996-97	1619.91	1619.91	16.20	1603.71	1881.83
1997-98	2279.81	2279.81	22.80	2257.01	2285.48

1	2	3	4	5	6
1998-99	2575.48	2575.48	25.76	2549.72	2002.71
1999-2000	2792.68	2792.68	83.78	2708.90	1999.68
2000-01	3738.96	3738.96	112.17	3626.79	2137.83
2001-02	3005.41	3005.41	90.16	2915.25	2486.71
2002-03	3422.90	3422.90	102.69	3320.21	3911.23
2003-04	2984.25	2984.25	89.53	2894.72	3608.94
2004-05	2366.68	2366.68	71.00	2295.68	2122.52 (upto Feb., 05)
योग :- वर्ष 1990-91 से 2004-05	**32752.47**	**32752.47**	**693.75**	**32058.72**	**31527.96**

परिशिष्ट-2

विशेष केन्द्रीय सहायतान्तर्गत अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ कराये जाने वाले कार्यों की सूची

विशेष केन्द्रीय सहायता के दिशा-निर्देशानुसार अनुसूचित जाति के लिए व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं संचालित की जायेंगी जिनसे उनका आर्थिक विकास हो। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति/परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। लाभान्वित करने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार योजनाओं को सम्मिलित किये जाने की सूची उपलब्ध कराई है अर्थात् इन योजनाओं से लक्ष्य समूह को लाभान्वित किया जा सकता है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) कृषि-

1. अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन।

2. अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए बीज, उर्वरक, मिनी किट्स एवं कीटनाशक दवाओं का वितरण।

3. अनुसूचित जाति के कृषकों की भूमि पर वाणिज्यिक फसलों की खेती से सम्बन्धित कार्यक्रम।

4. कृषि विभाग के सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति के कृषकों की भूमि में उन्नत कृषि कार्यक्रमों का कृषि विभाग के मांध्यम से संचालन।

5. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि के विकास एवं परिवर्द्धन हेतु सहायता।

(2) उद्यान-

1. अनुसूचित जाति की भूमि में फल एवं सब्जी को बढ़ावा।

2. अनुसूचित जाति के कृषकों को फल एवं सब्जी उगाने एवं विक्रय हेतु प्रशिक्षण।

3. उपरोक्त के आधार पर लघु नर्सरी एवं बीज फार्म की स्थापना।

(3) भूमि सुधार-

1. अनुसूचित जाति के जिन परिवारों को भूमि आबंटित की गई, उस भूमि के विकास एवं भूमि जोतने में सहायता।

2. जिन ब्लाक में अनुसूचित जाति की 50 प्रतिशत या इससे अधिक की जनसंख्या हो, उनमें भूमि रिकार्ड को तैयार कराना।

(4) लघु सिंचाई-

1. अनुसूचित जाति के उस वर्ग/समुदाय के क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जाति के 50 प्रतिशत या इससे अधिक लाभार्थी हैं, वहां चेक डैम,

नालियां, जलसंग्रहण, कुएं, ट्यूबवैल, सामूहिक जलोत्थान योजना जैसे कार्यक्रमों को संचालित करना।

2. व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं के अन्तर्गत कूप गहरा करना, नवीन कूप निर्माण कराना, ट्यूबवैल्स, सिंचाई हेतु पम्प सैट, फार्म पॉण्ड्स आदि के लिए सहायता/अनुदान।

(5) भू-संरक्षण-

1. भू-संरक्षण उपायों के साथ खाद्य एवं अन्य प्रजातियों हेतु वृक्षारोपण।

(6) पशुपालन-

1. अनुसूचित जाति के परिवारों हेतु दुधारू पशु, मुर्गीपालन, बकरी/भेड़/सुअर एवं बतख इकाइयों की पूर्ति।

2. अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में डेयरी एवं मुर्गीपालन सहकारी समितियों का गठन एवं सहायता।

(7) वनारोपण-

1. अनुसूचित जाति के परिवारों हेतु सामाजिक एवं कृषि आधारित वृक्षारोपण का विकास।

(8) मत्स्य पालन-

1. अनुसूचित जाति के परिवारों हेतु मत्स्य पालन हेतु सहायता।

2. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मत्स्य उत्पादन एवं संग्रहण सम्बन्धी प्रशिक्षण।

3. अनुसूचित जाति मत्स्य पालक सहकारी समितियों का विकास।

4. अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों को मछली पकड़ने के लिए नाव, जाल आदि क्रय करने हेतु सहायता/अनुदान।

(9) ग्राम एवं लघु उद्योग-

1. आधुनिक उत्पादन विधियों के आधार पर परम्परागत अनुसूचित जाति के कारीगरों को कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण।
2. अनुसूचित जाति के कारीगरों/हस्त शिल्पियों को लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता।
3. अनुसूचित जाति के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण।
4. मधुमक्खी पालन
5. रेशमी कीट पालन व्यवसाय
6. अनुसूचित जाति परिवारों के लिए नवीन हस्तकला कार्यक्रमों को लागू करना।

(10) सहकारिता-

1. परम्परागत व्यवसायों जैसे चर्म कार्य, बुनाई एवं ईंट निर्माण कार्यों में नवीन सहकारी समितियों का निर्माण व विद्यमान समितियों को सुदृढ़ करना।
2. उपरोक्त सहकारी समितियों, श्रम समितियों एवं अन्य समितियों जिनमें अनुसूचित जाति के सदस्यों का बाहुल्य हो, को सुदृढ़ करना।
3. अनुसूचित जाति समितियां जो उत्पादन एवं उपभोज्य वस्तुओं में कार्यरत हैं, उनके लिए कार्यशील पूंजी हेतु सहायता प्रदान करना।
4. सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्रबन्ध एवं प्रशासन में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।
5. सहकारी समितियों को उत्पादन प्रक्रिया/विपणन में सहायता।

(11) शिक्षा-

1. निम्न साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की स्थापना एंव संचालन।

2. अनुसूचित जाति के विद्यमान विद्यालय/छात्रावासों की समुचित देखभाल एवं मरम्मत।

(12) अनुसूचित जाति महिला-

1. अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं उनकी समितियों के उत्पादन एवं विपणन में सहायता।

2. पारिवारिक आय को बढ़ाने हेतु अनुसूचित जाति की महिलाओं को योजनाओं में प्रशिक्षण।

(13) पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी-

1. परिवार आधारित आर्थिक कार्यक्रमों में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण कार्यक्रमों में सुधार।

(14) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम -

1. जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत एवं अधिक हो, वहां होम्योपैथिक, प्राकृतिक स्वास्थ्य एवं यौगिक क्रियाओं हेतु डिस्पेन्सरी, अस्पताल व केन्द्रों की स्थापना।

2. चल चिकित्सा, डिस्पेन्सरियों की स्थापना ताकि अनुसूचित जाति केन्द्रित क्षेत्रों के लक्षित हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान हो सके।

3. अनुसूचित जाति की बस्तियों में विद्युत आपूर्ति एवं रोशनी का प्रावधान।

4. अनुसूचित जाति की बस्तियों में जहां पानी का अभाव हो, उनमें पेयजल व्यवस्था का प्रावधान।

5. जिन क्षेत्रों/खण्डों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत या अधिक हो उनमें ग्राम लिंक सड़कों एवं छोटे सामुदायिक केन्द्रों का विकास।

पुश्तैनी व्यवसाय के आधार पर मुस्लिम वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा

348. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

क्या यह सही है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में कुम्हार, तेली, छीपा (हिन्दु) जातियों को उनके पुश्तैनी धन्धों के आधार पर सम्मिलित किया गया था? यदि हां, तो गैर हिन्दु मोयला मुसलमान, कुम्हार, तेली, छीपा (मुसलमान) जातियों का पुश्तैनी धन्धा हिन्दू कुम्हार, तेली, छीपा जातियों की तरह एक होने के बावजूद इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पिछड़ा वर्ग आयोग की अभिशंसा के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा गैर हिन्दू मुस्लिम जाति/वर्ग की कुम्हार, तेली व छीपा को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रमांक 31, 18 व 8 पर शामिल किया गया है। परन्तु पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा गैर हिन्दू मोयला मुसलमान जाति/वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की अभिशंसा नहीं किये जाने पर राजस्थान सरकार ने इसे अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं किया है।

अनुसूचित जाति वित्त विकास नि.म द्वारा वितरित ऋ. की वसूली

349. श्री महीपाल सिंह र दव (बानसूर) : क्या समाज कल्र ण मं: यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति वित्त विकास नि.म द्वारा जिला जयपुर में टेन्ट हाउस एवं मुर्गीपालन के लिए अनुसूचित ज ति व. के आवेदकों को ऋण मुहैया कराया गया है ? यदि हां, तो गत पांच व र्षों में किस किस आवेदक को कितनी राशि दी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यों के पेटे ऋण लेने वाल ने आज तक ऋण राशि की किश्तों का भुगतान सरकार को नहीं किर है ? यदि हां, तो समय पर किश्त जमा नहीं कराने के लिए कौन-कौन ऋण: री जिम्मेदार है ? इन ऋणधारियों एवं इनके जमानतियों के विरूद्ध वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार इन ऋणधारियों या इनके जमानतियों से ऋण राशि वसूल कर नवीन जरूरतमन्द आवेदकों को रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक टेन्ट हाउस व मु.. पालन योजनान्तर्गत दिये गये ऋणधारियों की सूची मय ऋण राशि के परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त कार्यों के लिए विगत पांच व र्षों में 29 ऋणधारियों में से 14 ने ऋण राशि की एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया है। (जिसकी सूची परिशिष्ट-1 के कालम सं. 8 के विशेष विवरण में उल्लेख अनुसार है।)

(समाज कल्याण मंत्री)

सभी दोषी ऋणधारियों को समय-समय पर नोटिस दिये गये एवं जमानतियों को भी नोटिस जारी किये गये। ऋणधारियों एवं जमानतियों से ऋण वसूली नहीं होने के फलस्वरूप अब ऋणधारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु अभिभाषक नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। स्वरोजगार की परियोजनाओं में आवेदकों को लाभान्वित कराया जाना सतत् कार्यक्रम है।

परिशिष्ट-"1"

वर्ष 1999-2000

क्र. सं.	नाम आवेदक/मय वल्दियत	परियोजना का नाम	ऋण राशि	देय किश्त राशि	प्राप्त किश्त राशि	बकाया राशि	वि. विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	खैंराती लाल/हनुताराम खटीक निवासी-जयपुर	टैण्ट हाऊस	1,61,000	1,86,360	37.954	1.48,406	
2.	मोहन लाल/घासी राम डुबरिया खौराबिसल जयपुर	टैण्ट हाऊस	1,55,000	1,79.420	27.942	1,51,478	
3.	महेन्द्र कुमार/रामलाल बैरवा, जयपुर	टैण्ट हाऊस	1,61,000	1.86,360	65,226	1.21,134	
4.	अशोक कुमार/हरलाल खटीक मण्डी खडीकान, जयपुर	टैण्ट हाऊस	1,61,000	1.86,360	-	1,86,360	पुर्णतया डिफाल्टर

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	शम्भुदयाल/रामसहाय हाडिया प्रागपुरा तह. कोटपुतली जयपुर	टैण्ट हाऊस	1.55,000	1,79,420	80,609	98.811	
6.	सुनील कुमार/सीताराम, निवासी-कोटखावदा, जयपुर	टैण्ट हाऊस	1.55,000	1,79,420	1.79.420	-	
7.	आनन्दी लाल/भंवर लाल बलाई जयपुर	टैण्ट हाऊस	1,54,452	1.78,780	1.87.268	71,512	
8.	नरोतमदास/बाबूलाल बलाई खिरनी फाटक, जयपुर	टैण्ट हाऊस	1,55,000	1,79,420	-	1,79,420	पुर्णतया डिफाल्टर
9.	भैरू लाल/सूजाराम मीणा ग्राम-फुटयास, पो. भानपुर, जयपुर	टैण्ट हाऊस	1.59,019	1,65,654	1.38,045	27,689	
10.	[illegible]लिगम/बिरदी चन्द खटीक बस्ती, जयपुर	मुर्गीपालन	2,68,000	2,12.835	50.270	1,62,565	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	सीताराम/नानगराम चन्देल बस्सी, जयपुर	मुर्गीपालन	2,68,000	2,12,835	20,270	1,92,565	
12.	चिरंजी लाल/नारायण लाल बस्सी, जयपुर	मुर्गीपालन	2,53,978	2,12,835	10,000	8,02,835	
13.	अशोक कुमार/भूरामल चन्देल बस्सी, जयपुर	मुर्गीपालन	2,60,000	2,12,835	10,000	2,82,835	
14.	पन्नालाल/नानकचन्द रैगर बस्सी, जयपुर	मुर्गीपालन	2,60,000	2,12,835	-	2,12,835	पुर्णतया डिफाल्टर
वर्ष 2000-2001							
1.	बलदेव दास/रामचन्द दास रावत, जयपुर	मुर्गीपालन	2,58,691	1,77,186	-	1,77,186	पुर्णतया डिफाल्टर

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	श्रीमती गीता देवी/सीताराम बलाई सिरसी, जयपुर	मुर्गीपालन	2,58,588	1,77,838	-	1,77,838	पुर्णतया डिफाल्टर
3.	मक्खन लाल/पूलम चन्द बड़गुर्जर कोटखावदा, जयपुर	मुर्गीपालन	2,60,000	1,46,594	-	1,46,594	पुर्णतया डिफाल्टर
4.	सरदार मल/गणपत राम मीणा जयपुर	मुर्गीपालन	2,58,691	1,77,186	41,664	1,35,442	
5.	सीताराम/नानगराम बस्सी, जयपुर	मुर्गीपालन	2,60,000	1,62,180	-	1,62,180	पुर्णतया डिफाल्टर
6.	सीताराम/दुलीचन्द बुनकर गोविन्दगढ़, जयपुर	मुर्गीपालन	2,58,691	1,77,106	-	1,77,106	पुर्णतया डिफाल्टर
7.	बंशीधर/रिछपाल बलाई अमरसर, जयपुर	मुर्गीपालन	2,58,691	1,77,106	20,836	1,56,278	
8.	सीताराम/नानगराम मीणा खौराबीसल, जयपुर	मुर्गीपालन	2,58,691	1,77,106	-	1,77,106	पुर्णतया डिफाल्टर

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	मांगीलाल/छितर मल खटीक कानोता, जयपुर	मुर्गीपालन	2,58,691	1,77,106	-	1,77,106	पुर्णतया डिफाल्टर
10.	ताराचन्द/देवीचन्द मेहतर जयपुर	मुर्गीपालन	2,58,691	1,77,106	-	1,77,106	पुर्णतया डिफाल्टर
11.	लालचन्द/लक्ष्मीनारायण मनोहरपुर, .जयपुर	मुर्गीपालन	2,59,653	1,77,789	-	1,77,769	पुर्णतया डिफाल्टर
12.	रामकिशोर/मूलचन्द गोयल चार दरवाजा बाहर मण्डी खटीकान, जयपुर	टैण्ट हाऊस	1,54,785	1,46,576	46,783	99,793	वर्ष 2000-2001
वर्ष 2001-2002							
1.	बनवारी लाल/मदनलाल गा.पो. मलिकपुर, जयपुर	मुर्गीपालन	2,60,000	1,39,704	-	1,39,704	पुर्णतया डिफाल्टर

1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ष 2002-2003							
1.	रामदेव/गंगाराम रैगर मु.पो. रामजीपुरा कला, वाया-रेनवाल	मुर्गीपालन	2,68,000	1,53,890	13,900	1,39,990	
वर्ष 2003-2004							
1.	श्री रामबक्स बुनकर/बिरदीचन्द बुनकर ग्राम-चिमनपुरा, पो.-अणतपुरा, जयपुर	मुर्गीपालन	2,56,000	59,264	-	59,264	पुर्णतया डिफाल्टर

परियोजना प्रबन्धक
जिला कार्यालय राज. अनु. जाति
जनजाति वित्त एवं विकास
सह. निगम, जयपुर

राशमी पंचायत समिति (चित्तौड़गढ़) के विकलांग विद्यार्थी को छात्रवृत्ति

350. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ? यदि हां, तो कितनी व इसके मानदण्ड क्या हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति राशमी में वित्तीय वर्ष 2002-2003 व 2003-04 में कितने विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें,

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति राशमी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ऊंचा में अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थी मोहन लाल जाट पुत्र श्री देवाजी जाट को कक्षा पांच व छह की वर्ष 2002-03 व 2003-04 की छात्रवृत्ति दी गई है ? यदि हां, तो कितनी व कब तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा विकलांग विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र में दस माह के लिए प्रतिमाह निम्नानुसार छात्रवृत्ति दी जाती है :-

कक्षा 1 से 4 तक	40/- रुपये
कक्षा 5 से 8 तक	50/- रुपये

	दिवसीय छात्र	आवासीय छात्र
कक्षा 9 से प्रथम वर्ष स्नातक	85/-	140/-
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष स्नातक	125/-	180/-
स्नातकोत्तर, बी.ई., बी.टेक., एम.बी.बी.एस., एल.एल.बी., बी.एड., एम.एड. तथा अन्य व्यावसायिक कोर्स	170/-	240/-

छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के मापदण्ड निम्नानुसार हैं :-

1. छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।

2. छात्र/छात्रा के अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय 40,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।

3. छात्र/छात्रा पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति/भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्था/ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो।

4. छात्र/छात्रा के पास प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता का प्रमाण्-पत्र होना चाहिये।

5. छात्र/छात्रा गत वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति राशमी में सत्र 2002-03 में 12 विकलांग छात्रों को 5300/- रुपये व सत्र 2003-04 में 19 विकलांग छात्रों को 8400/- रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है।

(3) जी नहीं। छात्र मोहन लाल जाट पुत्र श्री देवाजी जाट 40 प्रतिशत निःशक्त नहीं होने के कारण निःशक्तता की श्रेणी में नहीं आता है। इस कारण छात्रवृत्ति नहीं दी गई।

सहकारी समिति इटावा के मृतक कर्मी के आश्रित को नियुक्ति

351. श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक आधार पर नौकरी दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला कोटा में कितनी क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में मृतक

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने के प्रकरण कब से लम्बित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति इटावा में कार्यरत मृतक कर्मचारी स्व. श्री राधेश्याम गोयल के आश्रितों में से किसी को भी नौकरी प्रदान नहीं की गई है, जबकि उसके पश्चात् मृतक कर्मचारी श्री राधेश्याम प्रजापति के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अब उक्त स्व. श्री राधेश्याम गोयल के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त प्रकरण में प्राथमिकता के नियमों की अवहेलना करने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या सरकार पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) जिला कोटा में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने के प्रकरण किसी भी क्रय-विक्रय सहकारी समिति का लम्बित नहीं है। विभाग के द्वारा सम्बन्धितों को सूचित कर दिया गया है।

(3) स्व. श्री राधेश्याम गोयल के आश्रित श्रीमती सावित्री देवी गोयल द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मृत्यु के लगभग 10 वर्ष पश्चात् दिनांक 18-1-1999 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जबकि रजिस्ट्रार महोदय के आदेश क्रमांक प.15(28)सविरा/बैंक-2/89 दिनांक 29-8-1998 के अनुसार मृतक के आश्रित द्वारा आवेदन निधन के 45 दिवस की अवधि में

(सहकारिता मंत्री)

प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। श्रीमती सावित्री देवी द्वारा दिनांक 18-1-1999 को प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लिखित किया कि उनके पति के स्वर्गवास के समय बच्चे अवयस्क थे, इसलिए बच्चों के वयस्क होने के बाद प्रार्थना पत्र लगाया गया। चूंकि श्रीमती सावित्री देवी द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के समय संस्था में स्वीकृत स्टाम्प स्ट्रेंथ के विरुद्ध कोई पद रिक्त नहीं होने से अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई। स्व. श्री राधेश्याम प्रजापति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का निधन 10-6-1997 को संस्था कार्य करते हुए गोदाम की चद्दर टूटने से हो गया था। श्री राधेश्याम प्रजापति की आश्रित श्रीमती बर्फा बाई द्वारा दिनांक 16-7-1997 को ही अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त दिनांक 5-9-1997 को ही कर्मचारी चयन कमेटी की बैठक दिनांक 1-9-1997 के निर्णय अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी गई।

(4) स्व. श्री राधेश्याम गोयल की पत्नि श्रीमती सावित्री देवी द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के समय संस्था में स्वीकृत स्टाप स्ट्रेंथ के विरुद्ध कोई पद रिक्त नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं दी गई, रिक्त पद होने पर नियमानुसार विचार कर लिया जायेगा।

(5) उक्त प्रकरण में नियमों की अवहेलना नहीं की गई। इसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-2) विभाग

संख्या : एफ.5(51)कार्मिक/क-2/88 जयपुर, दिनांक : 31-12-1996

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, मृत सरकारी कर्मचारियों के

आश्रितों की अनुकम्पात्मक आधारों पर भर्ती को विनियमित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (i) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 है।

(ii) ये राजस्थान राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - जब तक सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है तथा इसमें अन्य कोई ऐसा अधिकारी सम्मिलित है जिसे, सरकार द्वारा सुसंगत सेवा नियमों, यदि कोई हों, के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का पालन करने के लिए किसी भी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हों;

(ख) "मृत सरकारी कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में नियोजित किया गया था और इसमें राजस्थान राज्य के संवर्ग का अखिल भारतीय सेवाओं का वह सदस्य भी सम्मिलित है जिसका वेतन राज्य की समेकित निधि के प्रति विकलनीय था और जिसकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गयी थी और जो :-

(i) स्थायी था, या

(ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा था, या

(iii) अर्जेण्ट/अस्थायी नियुक्ति पर नियमित रिक्ति के प्रति नियुक्त किये गये थे और जिसने इस रूप में एक व र्ष की निरन्तर सेवा कर ली थी;

(ग) "आश्रित" से पति या पत्नि, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैधरूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है जो मृत सरकारी कर्मचारी पर, उसकी मृत्यु के समय, पूर्णतः आश्रित थे;

(घ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ड.) "विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष" से ऐसे विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष अभिप्रेत है जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय सेवा कर रहा था/थी;

(च) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है'

3. निर्वचन - जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों के निर्वचन के लिए राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 8) उसी तरह लागू होगा जैसे वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है.

4. विस्तार - ये नियम अनुकम्पात्मक आधार पर, मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति को शासित करेंगे और ये किसी पद-विशेष के लिए कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करेंगे

5. कतिपय शर्तों के अध्यधीन नियुक्ति - जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित को इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नि का कोई एक पुत्र, अविवाहित

पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हों, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो:

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करती है।

6. पदों का चयन - (1) आश्रित की, उसकी शैक्षिक अर्हताओं के अनुसार और सेवा की अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर अधीनस्थ सेवाओं/मंत्रालयिक सेवाओं/चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले केवल वेतनमान संख्या 1 से 9 तक के पदों पर, मृत कर्मचारी की रैंक और प्रास्थिति को विचार में लाये बिना, नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा।

(2) इन नियमों के अधीन किसी पद पर एक बार नियुक्ति कर दिये जाने पर, इन नियमों के अधीन आश्रित प्रसुविधा उपभोग की गयी मान ली जायेगी और मामले पर किन्हीं भी परिस्थिति में किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

(3) किसी आश्रित की नियुक्ति किये जाने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं का समाधान करेगा कि उसके चरित्र और शारीरिक योग्यता तथा सम्बन्धित नियमों में विहित अन्य सामान्य शर्तों को देखते हुए वह सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

8. आयु - आश्रित को नियुक्ति के समय सम्बन्धित सेवा नियमों के अधीन के पद के लिए विहित आयु सीमा के भीतर होना चाहिए।

परन्तु :-

(i) किसी विधवा के लिए कोई ऊपरी (अधिकतम) आयु सीमा नहीं होगी।

(ii) अन्य के लिए ऊपरी (अधिकतम) आयु सीमा उस कालावधि में पांच व. तक शिथिलनीय रहेगी या 40 वर्ष की आयु तक की जो भी कम हो, होगी

(iii) आयु की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख, नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख होगी। एक उपयुक्त पद की व्यवस्था करने में बीता समय आश्रित को निरर्हित नहीं करेगा यदि वह उस कालावधि के दौरान अधिकायु हो जाता है।

9. प्रक्रि त्मक अ आएं : दि - प्रारम्भिक नियुक्ति के समय चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं, जैसे, प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, आश्रित से 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा के ो और ऐसा न होने पर उसकी नियुक्ति सम. त होने के दायित्व ! न हो.ो। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञेय अनुज्ञात नहीं की जा । ऐसी अर्हता अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं की जायेगी।

टिप्पणी :- इस नियम. के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष अभ्यर्थियों की संख्या को विचार में लाये बिना प्रत्येक वर्ष ऐसी परीक्षा (टेस्ट) आयोजित करेगा।

10. प्रक्रिया - (1) किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी पति या पत्नी स्वयं के या किसी अन्य आश्रित के नियुक्ति के लिए आवेदन करें.।

(2) जहां मृत सरकारी कर्मचारी का कोई जीवित पति या पत्नी न हो, वहां मृत सरकारी के किसी भी आश्रित भी द्वारा आवेदन किया जायेगा और अन्य आश्रितों को उसकी अभ्यर्थिता के लिए अपनी सहमति देनी होगी : परन्तु यह कि आश्रितों में से एक से अधिक द्वारा नियोजन चाहा जाये तो विभागाध्यक्ष सम्पूर्ण परिवार, विशेष कर अवयस्क सदस्यों के समग्रहित और कल्याण को देखते हुए किसी एक का चयन करेगा।

(3) ऐसा आवेदन उपाबन्ध "क" के रूप में संलग्न प्ररूप में मृत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 45 दिन के भीतर विभागाध्यक्ष को किया जायेगा। अभ्यर्थी आवेदन के स्तम्भ 7 में उल्लिखित परिवार के सभी सदस्यों की मासिक आय (सभी स्रोतों से) के समर्थन में एक शपुथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(4) अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा और राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा आदि के मामलों में जहां अधिकारी सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थापित किये जाते हैं, आवेदन उस विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से उस सेवा को नियन्त्रित करने वाले प्रशासनिक विभाग को किये जायेंगे जहां मृत सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय पदस्थापित था।

(5) प्रशासनिक विभाग का यह दायित्व होगा कि वह आश्रितों को अपने स्वयं के विभाग में नियुक्ति दे और किसी भी दशा में इस दायित्व को अन्य विभाग को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

(6) उपयुक्त पद रिक्त न होने की दशा में नियोजन उपलब्ध कराने के लिए आवेदन "पहले आए पहले पाए" के आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे जायेंगे यदि निम्नतर वेतनमान में कोई पद तुरन्त उपलब्ध हो तो उक्त निम्नतर पद का आवेदक को प्रस्ताव किया जा सकता है

औ आवेदक के लिए यह विकल्प होगा कि वह र. तो आवेदित पद के लिए प्रतीक्षा करे या उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करे। यदि आवेदक उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करता है तो वह : वेदित उच्चतर पद के लिए अपना दावा खो देगा और उसका नाम प्र क्षा सूची में नहीं रखा जायेगा। परन्तु यदि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 2 व के भीतर नियुक्ति के लिए कोई पद उपलब्ध नहीं होता है तो मामला अन्य विभाग में नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को निर्देशित किया जायेगा।

(7) राज्य संवर्गों वाली सेवाओं, जैसे कार्मिक विभा द्वारा नियन्त्रित अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक से , राजस्थ न सचिवालय सेवा, के सदस्यों की मृत्यु की दशा में, आवेदन सचिव, कार्मिक विभाग को किया जायेगा और यह कार्मिक विभाग का दायित्व हो कि वह किसी उपयुक्त पद की व्यवस्था करे।

1.. - : ध्य रोही प्रभाव - इन नियमों के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, ये नियम और इनके अधीन जारी किय ये कोई आदेश प्रभाव में रहेंगे।

12. डल वि ग - कार्मिक (क-2) विभाग इन नियमों को प्र सित करने के, प्रयोजनार्थ नोडल विभाग के रूप में कार्य करे और वह ऐसा कोई सामान्य या विशेष आदेश कर सकेगा जो वह इन नियम के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

13. शंकाओं का निराकरण - यदि इन नियमों के लागू करने, निर्वचन और विस्तार सम्बन्धी कोई शंका उत्पन्न हो तो उसे सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम हो ।

14. कठिन इयों के निराकरण की शक्ति - राज्य सरकार किन्हीं कठिना इयों के निराकरण के प्रयोजनार्थ (उसकी विद्यमानता के लिए जिसके लिए वह

एक मात्र निर्णायक है) इन नियमों के किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन के लिए ऐसा कोई साधारण या विशेष आदेश दे सकेगी जैसा वह खरे व्यौहार के हित में या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

15. निरसन एवं व्यावृत्ति - विद्यमान राजस्थान सेवा काल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1975 और उनके अधीन जारी किये गये किसी भी आदेशों को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

परन्तु इस प्रकार निरसित/अतिष्ठित किये गये नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की हुई समझी जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

सूरजमल केड़वाल

उप. शासन सचिव

गुलाबपुरा स्पिन फैड में महाप्रबन्धक पद पर नियुक्ति

352. श्री रामलाल (बनेड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गुलाबपुरा स्पिन फैड की टप योजना की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गुलाबपुरा स्पिन फैड में महाप्रबन्धक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो इसे कब तक स्थाई रूप से भरने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) गुलाबपुरा इकाई के लिए टफ योजनान्तर्गत पुनर्वास/आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा से 30.25 करोड़ रु. के प्रस्ताव

(सहकारिता मंत्री)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये थे। निगम द्वारा 25.00 करोड़ रु. की परियोजना स्वीकृत की गई। जिसमें गुलाबपुरा हेतु निगम के पत्र दिनांक 13-12-2004 से 5.37 करोड़ रु. और 2-2-2005 से 0.40 करोड़ रु. स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसमें से दिनांक 11-3-2005 तक 5.37 करोड़ रु. स्पिनफैड को प्राप्त हो चुके हैं। प्राप्त राशि में से 2.05 करोड़ रु. राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम लि., जयपुर से लिये गये ऋण को मय ब्याज के चुकाया गया है। शेष 3.31 करोड़ रु. टफ योजना की क्रियान्विति हेतु कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग की गई। उपरोक्त प्राप्त राशि में से इकाई को पुनः दिनांक 20-11-2004 को चालू कर उत्पादन प्रक्रिया प्रारम्भ की गई जो दिनांक 17-7-2004 को कार्यशील पूंजी के अभाव में स्थगित की गई थी। इकाई उत्पादन प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ होने की दिनांक 20-11-2004 के पश्चात् माह जनवरी, 2005 तक नकद लाभ में रही है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा महाप्रबन्धक पद पर पदस्थापन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

सहकारी बैंकों/संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लम्बित जांच

353. श्री जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य के सहकारी बैंकों एवं सहकारी संस्थानों में कार्यरत कितने अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच विचाराधीन है? सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राज्य की सहकारी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध 1552 जांचें विचाराधीन हैं। कर्मचारियों के विरुद्ध जांच एक सतत् प्रक्रिया है। जांच पूर्ण हो जाने पर प्रचलित कानून/नियम/निर्देशों के अनुकूल युक्तियुक्त कार्यवाही की जाती है।

तलवास ग्राम पंचायत (बूंदी) के पूर्व सरपंच से बकाया वसूली

354. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उप परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर द्वारा ग्राम पंचायत तलवास, जिला बून्दी की वर्ष 1978-79 से 1980-81 की आडिट रिपोर्ट में सरपंच के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना एवं अन्य में अधिक भुगतान एवं गबन के मामले में रुपये 268312.25 की गम्भीर अनियमितताओं के आरोप लगाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त राशि की वसूली बाबत् क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अधिक भुगतान एवं गबन के मामले की उक्त राशि 268312.25 की वसूली की जा चुकी है ? यदि हां, तो किस तारीख को और कितनी राशि की तथा शेष राशि की वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राशि की वसूली हेतु पंचायत समिति, नैनवां के द्वारा पत्र संख्या 768 दिनांक 19-12-2003 व 914 दिनांक 9-3-2004 व 108 दिनांक 27-4-2004 तथा 395 दिनांक 20-11-2004 से आडिट में लगाये गये आक्षेपों की अनुपालना प्रेषित करने हेतु ग्राम पंचायत तलवास को निर्देशित किया गया। ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव तलवास के द्वारा पत्र संख्या 1596-603 दिनांक 11-3-2004 से तत्कालीन सरपंच श्री हनुमान प्रसाद राठौर को आक्षेप की राशि जमा कराने हेतु एवं आक्षेपों का जवाब प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा गया।

(2) जी नहीं। अपितु आंशिक वसूली की जा चुकी है।

अधिक भुगतान एवं गबन की राशि रु. 2,68,312.25 में से 7-1-1983 को रुपये 20.00 दिनांक 16-10-1982 को रु. 637.12 दिनांक 9-10-1986 को 297.50 व 10-10-1986 को 239.80 व दिनांक 13-3-2004 को 529.00 कुल

1723.42 रु. की वसूली दी जा चुकी है त 43,_93.33 रुपये की वसू ेष की अनु के पर निरस्त की ई है। 2,22,695.50 रुपये की वसूली की कार्यवाही विकास अधिकारी पंचायत समिति, नैनवां के स्तर से डी. आर. एक्ट के तहत की जा रही है एवं सरपंच हनुमान प्रसाद राठौर के विरुद्ध देई थाना नैनवां में प्रथम सूचना रिपोर्ट 94/83 दर्ज कराई ई , जिस पर एस.जे.एम. नैनवां न्यायालय में केस नम्बर 184/2003 दर्ज है जो वर्तमान में निलंबित है विभाग के पत्रांक 425 दिनांक 10-3-2005 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बूंदी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

सीमलवाड़ा पंचायत समिति (डूंगरपुर) के सरपंचों द्वारा सामुदायिक भवन निजी उपयोग में लेना

355. सुरेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर की पंचायत समिति, सीमलवाड़ा की ग्राम पंचायत झरनी, झड़ा व ोकड़ा के पिछले पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं से निर्मित कार्यों के अधूरे होने की शिकायतें सिरों या जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार को की गई हैं ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार उक्त अधूरे कार्यों को पूरा करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सीमलवाड़ा की ग्राम पंचायत झरनी, जोरावरपुरा, ोकड़ा एवं लड़ा के सरपंचों द्वारा सार्वजनिक सामुदायिक भवन को अपने निजी उपयोग के लिये निजी कब्जे में ले रखा है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायतें प्राप्त होने पर पंचायत समिति स्तर पर जांच कमेटी का गठन किया गया।

(2) वर्ष 2003-04 तक के अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाया जा चुका है।

(3) जी नहीं।

बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन पंचायत मुख्यालय

356. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कितनी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बने हुए हैं तथा कितनी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की भवन रहित पंचायतों हेतु पंचायत भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 40 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बने हुए हैं तथा 2 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भवन रहित पंचायतों में पंचायत भवन बनाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है, विभिन्न योजनाओं में बजट की उपलब्धता अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत अपना भवन स्वयं बनवा सकती है।

परिशिष्ट-अ

ग्राम पंचायतों की सूची जहां पंचायत भवन बनें हुए नहीं है

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत
1.	गूडंधिरया
2.	बडियाल खुर्द

नाम पंचायतों की सूची जहां पंचायत भवन बने हुए हैं

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत
1.	आभानेरी
2.	एचेडी
3.	अनन्तवाड़ा
4.	अरनिया
5.	बडियाल कला
6.	बैजूपाड़ा
7.	बालाहेड़ी
8.	बसवा
9.	भाडेडा
10.	भावता भावती
11.	बिवाई
12.	देलाड़ी
13.	धनावड़
14.	ढिगारिया भीम
15.	गादरवाड़ा गूजरान
16.	झाझीरामपुरा
17.	गोलाड़ा

1	2
18.	गुढाआशिकपुरा
19.	गुढा कटला
20.	गुढलिया
21.	गुल्लाना
22.	हिगोटा
23.	करनावर
24.	कोलाना
25.	कोलवा
26.	लोटवाड़ा
27.	मङू खुर्द
28.	मूही
29.	नंदेरा
30.	नांगलझागरवाडा
31.	निहालपुरा
32.	पंडितपुरा
33.	पिचूपारा कला
34.	पिचूपारा खुर्द

1	2
35.	प्रतापपुरा
36.	पुन्दरपाड़ा
37.	रलावता
38.	रू..लावास कला
39.	उनबडा .व
40.	चादेरा

बामनवास व बौंली पंचायत समिति को राजस्व विभा. से प्राप्त रा..

357. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

पंचायत समिति बामनवास व बौंली को राजस्व विभा. से प्राप्त सिवाय चक व चरा.ह भूमि शास्ति की राशि व. 2003-04 में किस-किस ग्राम पंचायत को कितनी-कितनी कब हस्तान्तरित की .ई ? विवर . . . पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

व. 2003-04 में पंचायत समिति .ली की . म पंच यत खिरा को चरागाह पैनल्टी के अन्तर्गत दिनांक 27-1-2004 को रा.. रु. 632./- एवं पंचायत समिति बामनवास की . ाम पंचायत गुर्जर बडोदा को दि. .क 31-12-2003 को राशि रु. 2000/- हस्तान्तरित की गई है

सिवाय चक के अन्तर्गत कोई राशि जमा नहीं होती है।

पर्यटन विकास निगम में पदोन्नति समिति की लम्बित बैठकें

358. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई)** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम में विभागीय पदोन्नति समिति की अन्तिम बैठक कब व किस-किस कैडर हेतु की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निगम में गत 15 वर्षों से विभिन्न कैडरों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब सभी कैडरों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम में विभागीय पदोन्नति समिति (पुनरावलोकन) की अन्तिम बैठक का आयोजन दिनांक 16-1-2001 को प्रबन्धकों से वरिष्ठ प्रबन्धकों के पद पर पदोन्नति हेतु किया गया था।

(2) निगम में गत वर्षों में विभिन्न कैडरों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं किये जाने की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) सम्बन्धित संवर्गों में विधिक एवं नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर पर्यटन विकास निगम में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जावेगी।

परिशिष्ट "अ"

विभागीय पदोन्नति समिति के सम्बन्ध में सूचना

क्र. सं.	संवर्ग	भर्ती का प्रकार	कुल पद	कार्यरत/ रिक्त पद	अन्तिम बैठक दिनांक/वर्ष	पुनरावलोकन दिनांक/वर्ष	वर्ष जिस हेतु बैठक आयोजित की जानी है	विशेष विवरण
1.	व. प्रबन्धक	पदोन्नति द्वारा	22	20/2	20-11-1995	16-1-2001	2003-04	16 जनवरी, 2001 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई है। प्रबन्धकों की अन्तरिम वरिष्ठता सूची आदेश 12445 दिनांक 31-1-2004 द्वारा जारी की जा चुकी है। अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी किये जाने हेतु प्रबन्धकों

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है।
2.	प्रबन्धक	50 प्रतिशत सीधी भर्ती से 50 प्रतिशत पदोन्नति से	40	25/15	26-8-1993	-	-	वर्तमान में पदोन्नति के कोटे में कोई पद रिक्त नहीं है। सीधी भर्ती के कोटे को पदोन्नति के कोटे में परिवर्तन करने हेतु संचालक मण्डल की 100वीं बैठक में 10-8-2001 को परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है।
3.	सहायक प्रबन्धक	100 प्रतिशत पदोन्नति से	54	54/0	26-8-1993	-	1993-94 (पुनरावलोकन)	कोई पद रिक्त नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	गृह सहायक	85 प्रतिशत सीधी भर्ती 15 प्रतिशत पदोन्नति	174	171/3	-	-	-	पदोन्नति के कोटे में कोई पद रिक्त नहीं। निगम कर्मचारियों के आकस्मिक निधन व सेवा समाप्ति के कारण पद रिक्त हुए हैं। गृह सहायकों की वरिष्ठता सूची का वाद न्यायालय में लम्बित है व सेवा समाप्ति का भी विवाद न्यायालय में लम्बित है।
5.	व. अधीक्षक उद्यान	पदोन्नति	1	0/1				कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	सहायक अभियन्ता	सीधी भर्ती/ पदोन्नति	4	3/1				सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पद सहायक अभियन्ता के पुनः पैत्रिक विभाग (सा.नि.वि.) में सेवाएँ स्थानान्तरित होने के कारण पद रिक्त हुआ है। अभी तक अन्य सहायक अभियन्ता को प्रतिनियुक्ति पर नहीं मांगा गया है।
7.	सहायक प्रबन्धक प्रशासन	पदोन्नति	20	21/0			1993-94 (पुनरावलोकन)	पुनरावलोकन समिति की बैठक आयोजित की जानी है (वरिष्ठता सूची में परिवर्तन के कारण)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	कार्यालय सहायक	85 प्रतिशत सीधी भर्ती 15 प्रतिशत पदोन्नति	42	42/0	4-1-1999			पदोन्नति के कोटे में कोई पद रिक्त नहीं।
9.	उप व. प्र. (वित्त)	पदोन्नति द्वारा	14	14/0	12-5-1994			पदोन्नति के कोटे में कोई पद रिक्त नहीं।
10.	उप व. प्र. (प्रशासन)	पदोन्नति द्वारा	6	5/1	26-8-1993		2003-04	प्रबन्धकों की अन्तरिम वरिष्ठता सूची जारी की जा चुकी है। अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जानी है।
11.	प्रबन्धक, वित्त	पदोन्नति द्वारा	19	14/5	7-6-1993			सहायक प्रबन्धक (वित्त) की वरिष्ठता सूची विवादित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	प्रबन्धक, प्रशासन	पदोन्नति द्वारा	12	12/0	16-12-1994	-	1997-98	तदर्थ आधार पर पदोन्नति दिये जाने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जानी है।
13.	स्टेनो ग्रेड-1	पदोन्नति द्वारा	7	6/1	23-8-1993			1 पद हिन्दी स्टेनों ग्रेड-1 के निधन के कारण रिक्त। हिन्दी स्टेनोग्राफर कार्यरत नहीं।

सीकर जिले में महिला एवं बाल विकास हेतु संचालित योजनाएं

359. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला सीकर में कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार महिलाओं एवं बालकों के विकास हेतु जिला सीकर में कोई नया कार्यक्रम घोषित अथवा कोई नई योजना शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सीकर में पंचायत समितिवार योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत चयनित पंचायत समिति का नाम
1.	समेकित बाल विकास सेवा योजना	नीमकाथाना, पिपराली, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, दांतारामगढ़, खण्डेला, श्रीमाधोपुर एवं धोद कुल 1509 आंगनबाड़ी केन्द्र।
2.	"जननी" योजना (सहयोगिनी)	सभी उक्त 8 पंचायत समितियों के कुल 1023 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर।
3.	महिला विकास कार्यक्रम	
(1)	स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम	सभी उक्त 8 पंचायत समितियों में।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

1	2	3
(2)	स्वयं सिद्धा योजना	श्री माधोपुर (20 ग्राम पंचायत)
(3)	किशोरी शक्ति योजना	केवल नीमकाथाना पंचायत समिति (प्रति वर्ष 20 आंगनबाड़ी केन्द्र बारी-बारी से)
(4)	सामुहिक विवाह योजना	सभी उक्त 8 पंचायत समितियों में (जिला स्तर से)
(5)	बालिका समृद्धि योजना	सभी उक्त 8 पंचायत समितियों में।

(2) जी नहीं। वर्तमान में संचालित सभी कार्यक्रम जिले की सभी 8 पंचायत समितियों में चल रहे हैं। स्वयं सिद्धा योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जा सकता है।

ब्यावर-कानूजा बस मार्ग का विस्तार

360. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली के ग्राम कानूजा के लिए ब्यावर डिपो से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की यात्री बस सेवा का संचालन किया गया था ? यदि हां, तो कब से कब तक व कितनी बसें इस मार्ग पर संचालित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बस को राजस्व घाटा बताकर बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो घाटे के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

(3) क्या सरकार राजस्व आय बढ़ाने एवं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ब्यावर-कानूजा से आगे काछवली वाया जिलेलावआसन, जसाखेड़ा, कलालिया, सूरजपुरा भीम प्रस्तावित मार्ग स्वीकृत कर उक्त मार्ग पर पुनः बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। माह जनवरी, 1993 से माह मई, 2003 तक उक्त मार्ग पर दैनिक 4 एकल परिचक्रों का संचालन किया गया था। वर्तमान में 2 परिचक्रों का संचालन किया जा रहा है।

(2) जी हां। माह मई, 2003 से 2 परिचक्रों का संचालन बन्द करने का मुख्य कारण पर्याप्त यात्रीभार न मिलने से अनार्थिक रहना है। इस मार्ग पर गत 3 माह में औसतन 28 प्रतिशत यात्रीभार एवं 5.00 रुपये आय प्रति कि.मी. प्राप्त हुआ जो संचालन लागत से भी कम है।

(3) प्रस्तावित मार्ग का सर्वे कराए जाने के उपरान्त ही नियमों के अन्तर्गत निजी मार्ग खोला जाना सम्भव है। मार्ग खोले जाने के उपरान्त ही निजी वाहन स्वामी तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने की स्थिति में बसों का संचालन सम्भव हो सकेगा।

पथ परिवहन निगम द्वारा नई बसों की खरीद

361. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नई बसों को खरीदने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कितनी बसें खरीदी गई और प्रत्येक बस की कितनी कीमत है तथा किस-किस कम्पनी से खरीदी गई ? यदि चैसिस खरीदे हैं तो प्रत्येक चैसिस की क्या कीमत है ?

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि कम्पनियों से चैसिस खरीद कर बाडी बनाने का ठेका किसी अन्य फर्म को दिया गया है ? यदि हां, तो किस फर्म को और किस लागत पर किन-किन फर्मों ने टेण्डर किये थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य पथ परिवहन निगम ने इस एक वर्ष में अनेक मार्गों पर चलने वाली पूर्व की बसों को बन्द करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में किस-किस रोड पर जाने वाली किन-किन बसों को बन्द किया गया ? जिन बसों को बन्द किया गया है उससे उन जिलों में कितनी हानि कम हुई ?

(4) क्या राज्य पथ परिवहन निगम उक्त बन्द बसों को जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए पुनः चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में किन-किन मार्गों पर ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 में 300 नये चैसिस खरीदने का निर्णय लिया गया है। इसके क्रम में 180 चैसिस लीलैण्ड एवं 120 चैसिस टाटा निम्न दरों पर खरीदे जाने के क्रय आदेश मैसर्स अशोक लीलैण्ड लि. एवं मैसर्स टाटा मोटर्स लि. जयपुर को जारी किए जा चुके हैं :-

क्र. सं.	चैसिस का मेक	प्रति चैसिस दर रुपये में
अ-	लीलैण्ड चीता 203"	6,85,455.68
ब-	लीलैण्ड वाईकिंग 222"	7,25,424.12
स-	टाटा एलपी/एलपीओ टीसी 52/55	6,94,440.00

(यातायात मंत्री)

(2) जी हां। उक्त चैसिसों पर विभिन्न प्रकार की बस बाडीज निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खुली निविदाएं आमन्त्रित की गईं। जिसके तहत जिन जिन फर्मों से निविदाऐं प्राप्त हुई तथा प्राप्त निविदाओं में से जिन-जिन फर्मों को बस बाडी निर्माण हेतु कार्य आदेश जिस दर पर जारी किए गए को दर्शाते हुए विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। लेकिन जिन बस सेवाओं को पर्याप्त यात्रीभार एवं आय प्रति कि.मी. अत्यधिक कम प्राप्त हो रहा था उन बस सेवाओं को अवश्य बन्द किया गया है। गत एक वर्ष में जिस-जिस आगार द्वारा जिन-जिन मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन बन्द किया है उनकी आगारवार सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है। निगम के प्रायः सभी आगार जिला मुख्यालयों पर ही स्थित है और निगम में लाभ-हानि की गणना भी आगारवार ही की जाती है। व्यय की विभिन्न मदों में वृद्धि के कारण हानि में कमी की गणना किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) जी नहीं। क्योंकि जिन बस सेवाओं को बन्द किया गया है वे हानि में चल रही थी।

परिशिष्ट-"1"

चैसिसों पर विभिन्न प्रकार की बस बाड़ीज निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खुली निविदायें आमन्त्रित की गई, जिसके तहत निम्न फर्मों से निविदायें प्राप्त हुई :-

(अ) **सुपर एक्सप्रेस ब्ल्यू-लाइन**

- मैसर्स हरीश एण्डस्ट्रीज प्रा.लि., मेरठ
- मैसर्स हरियाणा कोच बाडी बिल्डर्स, रोहतक
- मैसर्स आमेरिया ब्रादर्स, जयपुर
- मैसर्स राजस्थान बाड़ी बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स, जयपुर

- मैसर्स मोहिन्द्रा कोच फैक्ट्री प्रा.लि., जयपुर
- मैसर्स श्याम कोच इन्जीनियर्स, जयपुर
- मैसर्स भारत इन्जीनियर्स वर्क्स, पठानकोट
- मैसर्स स्टार कोच एन्टरप्राईजेज, जयपुर
- मैसर्स भारत मेटल फैब्रीकेटर्स, जयपुर
- मैसर्स एशिया बाड़ी बिल्डर्स एण्ड मैन्यू, जयपुर
- मैसर्स राजिन्द्र कोच इण्डस्ट्रीज, जालन्धर
- मैसर्स विश्वकर्मा बस बाड़ी सेन्टर प्रा.लि., जयपुर

(ब) डीलक्स स्टार लाइन

- मैसर्स अमर कोच बिल्डर्स, जालन्धर
- मैसर्स आमेरिया ब्रादर्स, जयपुर
- मैसर्स मोहिन्द्रा कोच फैक्ट्री प्रा.लि., जयपुर
- मैसर्स एशिया बाड़ी बिल्डर्स एण्ड मैन्यू, जयपुर

(स) हाई टैक नान एसी सिल्वर लाइन-

- मैसर्स मोहिन्द्रा कोच फैक्ट्री प्रा.लि., जयपुर
- मैसर्स एशिया बाड़ी बिल्डर्स एण्ड मैन्यू, जयपुर
- मैसर्स अमर कोच बिल्डर्स, जालन्धर
- मैसर्स जेसीवीएल लि., चण्डीगढ़

(द) हाई टैक एसी पिन्क लाइन-

- मैसर्स मोहिन्द्रा कोच फैक्ट्री प्रा.लि., जयपुर
- मैसर्स जेसीवीएल लि., चण्डीगढ़

उपरोक्त प्राप्त निविदाओं में से निम्न फर्मों को निम्न दरों पर बस बाडीज निर्माण हेतु कार्य आदेश जारी किये गये है :-

(अ) सुपर एक्सप्रेस ब्ल्यू-लाइन - दर रु. 2,85,000.00 प्रति बस बाडी बिना सीट

1- मैसर्स आमेरिया ब्रादर्स, जयपुर

2- मैसर्स मोहिन्द्रा कोच फैक्ट्री प्रा.लि., जयपुर

3- मैसर्स श्याम कोच इन्जीनियर्स, जयपुर

4- मैसर्स स्टार कोच एन्टप्राईजेज, जयपुर

5- मैसर्स भारत मेटल फैब्रीकेटर्स, जयपुर

6- मैसर्स एशिया बाडी बिल्डर्स एण्ड मैन्यू, जयपुर

(ब) डीलक्स स्टार लाइन - दर रु. 4,62,800.00 प्रति बस बाडी बिना सीट

1- मैसर्स मोहिन्द्रा कोच फैक्ट्री प्रा.लि., जयपुर

(स) हाई टैक एसी पिन्क लाइन - दर रु. 14,29,073.00 प्रति बस बाडी सीट सहित

1- मैसर्स मोहिन्द्रा कोच फैक्ट्री प्रा.लि., जयपुर

उपरोक्त सुपर एक्सप्रेस ब्ल्यू लाइन एवं डीलक्स स्टार लाइन वाहनों के लिये पैसिन्जर सीट्स निगम द्वारा क्रय कर उपलब्ध कराई जाती है। जिनकी दरें क्रमशः 67,491/- रु एवं 1,52,940/- रु. प्रति बस सैट हैं।

परिशिष्ट-"2"

गत एक वर्ष में निगम द्वारा बन्द की गई सेवाओं का आगारवार एवं मार्गवार विवरण

क्र. सं.	आगार	मार्ग का नाम
1.	डीलक्स	जयपुर-गंगानगर (रात्रि सेवा)
2.	वैशालीनगर	जयपुर-राहोली वाया चाकसू
		जयपुर-अराई वाया दूदू
3.	विधाधरनगर	चांदपोल-करीरी-बिलान्दरपुर
		चांदपोल-किशनमानपुरा वाया हस्तेड़ा
		चांदपोल-बधाल वाया कालाड़ेरा
4.	बीकानेर	बन्द न कर अन्य आगारों को स्थानान्तरित
5.	गंगानगर	गंगानगर-यमुनानगर
		गंगानगर-दिल्ली वाया डबवाली
		गंगानगर-कटरा
		गंगानगर-भटिण्डा
		गंगानगर-पटियाला
		गंगानगर-बीजबायला
		गंगानगर-ताखरावाली
		गंगानगर-5 केके
		गंगानगर-रोजडी
6.	अनुपगढ़	अनुपगढ़-भिवानी वाया सूरतगढ़-हनुमानगढ़-सांगरिया-सिरसा हिसार-हासी

1	2	3
		अनुपगढ़-झुन्झुनूं वाया सूरतगढ़
7.	कोटा	कोटा-बून्दी
		कोटा-जयपुर वाया केशोरायपाटन-लाखोरी-इन्द्रगढ़-टौंक
		कोटा-भवानीमण्डी-खण्डवा
		कोटा-गुना वाया इकलेरा-मनोहरथाना
		कोटा-ब्यावरा वाया इकलेरा-मनोहरथाना कालीपीठ-राजगढ़
		कोटा-पिड़ावा-झालावाड़
		कोटा-बकानी वाया झालावाड़-पाटन-तीनधार
		कोटा-टाकरवाड़ा वाया बुडादीत
		कोटा-बीकानेर वाया बून्दी-देवली-केकड़ी-अजमेर-नागौर-नोखा का संचालन अजमेर-बीकानेर के मध्य बन्द
8.	टौंक	टौंक-सीरस-टौंक
		टौंक-डागरथल-टौंक
		जयपुर-डागरथल
		जयपुर-मनोहरथाना
9.	चितौड़	चम्बल डैम-बेगूं
10.	सिरोही	सिरोही-कोटड़ा
		सिरोही-खेतकाजी वाया नाणा-बेड़ा-बाली
11.	फलौदी	फलौदी-जोधपुर-उदयपुर-बांसवाड़ा
		फलौदी-नागौर-जयपुर

1	2	3
12.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़-अजमेर
13.	सरदारशहर	अन्य आगार को स्थानान्तरित

निगम द्वारा संचालित बसों का किराया निर्धारण

362. श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों की प्रति किलोमीटर दर क्या है ? क्या सभी जगह दर समान है ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर-जैसलमेर के बीच 300 किलोमीटर की दूरी होते हुए भी 50 रुपये के किराये पर निगम की बसें चल रही हैं जो करीब 17 पैसे प्रति किलोमीटर की दर है ? क्या इस दर से इतने कम किराये पर बसें चलाने में सरकार को हानि नहीं हो रही है ?

(3) क्या सरकार पूरे राज्य में 17 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बसें संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा संचालित बसों की श्रेणीवार प्रति कि.मी. किराया दर राज्य शासन द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की हुई हैं :-

1.	साधारण बस सेवा	33 पैसा	प्रति कि.मी. प्रति यात्री
2.	द्रुतगामी	40 पैसा	प्रति कि.मी. प्रति यात्री
3.	सेमीडीलक्स	46 पैसा	प्रति कि.मी. प्रति यात्री
4.	डीलक्स	67 पैसा	प्रति कि.मी. प्रति यात्री
5.	वातानुकूलित	120 पैसा	प्रति कि.मी. प्रति यात्री

उक्त श्रेणीवार दरें समान नहीं है।

(यातायात मंत्री)

(2) जी नहीं। जोधपुर से जैसलमेर की दूरी 281 कि.मी. है जिसका किराया रियायती दर से वर्तमान में 70/- रु. प्रतियात्री वसूल किया जा रहा है जिसमें 2/- रुपये बीमा राशि भी सम्मिलित है। उक्त किराया 17 पैसा प्रति कि.मी. प्रतियात्री की दर से न लिया जाकर 24 पैसा प्रति कि.मी. प्रतियात्री की दर से वसूल किया जा रहा है।

निजी वाहनों की प्रतिस्पर्धा में कम किराये पर बसें चलाने के कारण निगम को हानि हो रही है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के स्तर पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तथा निजी मालिकों की स्टेज कैरिज के किराये की दर प्रति किलोमीटर के आधार पर निर्धारित की जाती है। लेकिन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं निजी बस मालिक इस निर्धारित अधिकतम किराया दर से कम राशि किराये के रूप में वसूल करने के लिए स्वतन्त्र है।

चौमूं-जयपुर मार्ग पर संचालित पुष्पक बस सेवा

363. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चौमूं-जयपुर के मध्य चलने वाली पुष्पक बसों की संख्या कितनी हैं तथा प्रतिदिन इन बसों से निगम को कितना लाभ प्राप्त होता है ?

(2) क्या सरकार यातायात के दबाव को देखते हुए बसों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चौमूं-जयपुर के मध्य वर्तमान में 4 पुष्पक बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों से निगम को प्रतिदिन लाभ की अपेक्षा 4/- रु. प्रति कि.मी. की हानि हो रही हैं।

(यातायात मंत्री)

(2) जी हां। इस सन्दर्भ में जयपुर-चौमूं उपनगरीय मार्ग खोला जाकर निजी वाहन स्वामियों को भी अनुज्ञा-पत्र जारी करने की व्यवस्था की गई है तथा निजी वाहन स्वामियों को भी इस मार्ग पर अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किए जा सकते हैं।

अन्तरराज्यीय मार्गों पर पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन

364. **श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के किस-किस जिले (सम्भागीय मुख्यालयों एवं 200 कि.मी. तक के मार्गों को छोड़कर) से अन्तरराज्यीय बसों का संचालन निजी ट्रेवल्स एजेन्सी (निजी बस मालिकों) द्वारा सम्बन्धित मार्ग का मार्ग पथकर देकर संचालित किया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के संचालन का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अन्तरराज्यीय मार्गों पर बसों का संचालन परस्पर अन्तरराज्यीय करार के अन्तर्गत होता है। इसके अतिरिक्त आल इण्डिया परमिट तथा टेम्परेरी परमिट के आधार पर अन्तरराज्यीय बसों का संचालन सम्भव है। अन्तरराज्यीय करार में वर्णित मार्ग पर नियमानुसार अनुज्ञापत्र प्राप्त कर तथा नियमों के अनुरूप ही कर अदायगी कर ही संचालन किया जाता है। किन्तु पर्यटक अनुज्ञापत्रधारी वाहन उन पड़ोसी राज्य में संविदा वाहन के रूप में संचालित किए जा सकते हैं जिन राज्यों का आथराइजेशन वाहन स्वामी द्वारा प्राप्त किया गया है।

(यातायात मंत्री)

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा समय-समय पर विभिन्न राज्यों से हुए अन्तरर्राज्यीय पारस्परिक करार के तहत वाहनों का संचालन किया जा रहा है।

भीम के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम बस सेवा

365. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम के ताला-लसानी-टाटगढ़-बग्गड़ मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया है ? यदि हां, तो वर्तमान में निजी बसों के संचालन किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मार्ग पर कुल संचालित निजी बसों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निजी बसें जो देवगढ़ से भीलवाड़ा मार्ग पर चलती हैं परमिट होने के बावजूद भी कतिभरिया होते हुए नहीं जाती ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त बसों के परमिट निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। देवगढ़ से भीम वाया ताल लसानी एवं देवगढ़ से भीम वाया बग्गड़ टाटगढ़ मार्ग का राष्ट्रीयकरण दिनांक 1-1-2005 को किया गया है। राष्ट्रीयकरण की योजना के पश्चात् इन मार्गों पर निजी बसों का संचालन नहीं है।

(2) राष्ट्रीयकरण के बाद उक्त मार्गों पर निजी बसों का संचालन नहीं है।

(3) यह गांव भीलवाड़ा से देवगढ़ मार्ग पर जारी अनुज्ञापत्रों में सम्मिलित नहीं है। अतः बसों का इस गांव में होकर संचालन नहीं है।

मंगलवाड़ चौराहा (चित्तौड़गढ़) बस स्टैण्ड पर निगम बसों का ठहराव

366. **श्री रणधीर सिंह भीण्डर** (बल्लभनगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मंगलवाड़ चौराहा, जिला चित्तौड़गढ़ पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निर्धारित बस स्टैंड है ? यदि हां, तो उक्त स्टैण्ड पर कौन-कौन सी बसें रूकती हैं और कितनी बसें मुख्य मार्ग पर ही रूक कर चली जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जो बसें मुख्य मार्ग पर खड़ी होती हैं वह टिकिट खिड़की के पास नहीं ठहरतीं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग से गुजरने वाली ब्ल्यू लाइन बसों सहित सभी निगम बसों का ठहराव स्थल उक्त टिकट खिड़की के पास स्थित निगम बस स्टैण्ड पर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। लेकिन वर्तमान में मंगलवाड़ चौराहे पर निगम का बुकिंग कार्यालय राष्ट्रीय उच्च मार्ग 79 के फोर लेन हो जाने के कारण अस्तित्व में नहीं है। मंगलवाड चौराहे से गुजरने वाली निगम की समस्त बसें रूककर जाती है तथा वे मुख्य मार्ग पर ही खड़े होकर यात्री उतारती/चढ़ाती हैं।

इन बसों की मार्गवार सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) उक्त मार्ग के चार लेन का बन जाने से टिकिट खिड़की अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से चौराहे के प्रत्येक मार्ग पर बसों का पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है।

(3) मंगलवाड़ चौराहे पर निगम का बुकिंग कार्यालय अब अस्तित्व में नहीं है। निगम की समस्त ब्ल्यू लाइन बसें पूर्व से ही मंगलवाड़ चौराहे के चारों मार्गों पर रूक रही हैं।

परिशिष्ट-1

मंगलवाड़ चौराहे पर रुकने वाली निगम बसों की मार्गवार सूची

क्र. सं.	संचालित आगार	मार्ग का नाम	संचालित एकल परिचक्र
1.	चित्तौड़	चित्तौड़-उदयपुर	24
		निम्बाहेड़ा-उदयपुर	2
		कानोड़-उदयपुर	2
		चित्तौड़-कानोड	4
		निम्बाहेड़ा-उदयपुर	2
		चित्तौड़-बांसवाड़ा	2
		भीलवाड़ा-उदयपुर	2
		चित्तौड़-	2
		बेगूं-उदयपुर	2
2.	बारां	बारां-उदयपुर	2
3.	वैशालीनगर	जयपुर-उदयपुर	6
4.	डूंगरपुर	चित्तौड़-डूंगरपुर	4
		जयपुर-डूंगरपुर	2
5.	उदयपुर	जावद-उदयपुर	4
		नीमच-उदयपुर	14

1	2	3	4
		बड़ीसादडी-उदयपुर	2
		मन्दसौर-उदयपुर	2
		छोटीसादडी-उदयपुर	2
		चित्तौड़-उदयपुर	2
		निम्बाहेड़ा-उदयपुर	2
		जयपुर-उदयपुर	2
6.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा-उदयपुर	4
7.	बांसवाड़ा	अजमेर-बांसवाड़ा	2
		जयपुर-बांसवाड़ा	2
8.	झालावाड़	झालावाड़-उदयपुर	2
		पाटन-उदयपुर	2
9.	खेतड़ी	सिंघाना-उदयपुर	2
			102

करजी ग्राम (दानपुर) का महिला छात्रावास भवन

367. श्री अर्जुन सिंह (रानपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दानपुर के ग्राम करजी के महिला छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री अर्जुन सिंह)

(2) क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि करजी छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का यह कार्य राज. राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है। निगम द्वारा नियुक्त प्रथम ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूरा नहीं करना कार्य अपूर्ण रहने का एक मात्र कारण है।

(2) जी हां। सरकार उपरोक्त भवन शीघ्र पूर्ण करने का विचार रखती है। वर्तमान में कार्य अन्य ठेकेदार को आबंटित कर दिया गया है। जिसके इकरार अनुसार माह जून, 2005 तक कार्य पूर्ण हो जावेगा।

थानागाजी के माडा ग्राम

368. श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कितने माडा ग्राम हैं ? क्या सरकार इन गांवों में माडा का बजट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कुल 60 ग्राम माडा में चयनित हैं। सूची संलग्न है।

विभाग द्वारा जिलेवार एवं मदवार राशि का आबंटन किया जाता है। वर्ष 2004-05 में अलवर जिले के लिए आइटमवाईज राशि के आबंटन की प्रति संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

जिले से प्राप्त प्रस्ताव एवं राशि की उपलब्धता के अनुसार ही राशि की स्वीकृति जारी की जाती है।

थानागाजी में कार्य प्रस्तावित करने हेतु जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पृथक से लिख दिया गया है।

परिशिष्ट-1

थानागाजी के अन्तर्गत आने वाले माडा योजना में चयनित

गांवों की सूची

क्र. सं.	जिला
1.	झांकड़ी
2.	मैजोड
3.	अंगारी
4.	जयसिंहपुरा
5.	डूमेड़ा
6.	कालेड
7.	समेरा
8.	रूध हमीरपुर
9.	हमीरपुर
10.	निटाटा
11.	गुवाडा बिरखडी
12.	गुवाडा राडी

1	2
13.	जैतपुर गूजरान
14.	लेहसवा
15.	गुवाडा नीरमा
16.	गुवाडा रामजी
17.	गुवाडा भूरियावाली
18.	रूंध झिरी
19.	गुवाडा कूण्डाल
20.	सांवतसर
21.	झिरी
22.	जगन्नाथपुरा
23.	जैतपुर ब्राहाम्ण
24.	गुवाडा डाबर
25.	गुवाडा सीरा
26.	गुवाडा चासी
27.	गुवाडा सिलीबावड़ी
28.	गुवाडा कल्याण
29.	गुवाडा परवाल
30.	सिलीबावड़ी
31.	गुवाडा हनुमान

1	2
32.	गुवाडा साइवर
33.	गुवाडा कालोत
34.	गुवाडा भगवान
35.	गुवाडा नानावत
36.	गुवाडा जम्मावार
37.	गुवाडा व्यास
38.	गुवाडा सोती
39.	रूध सिलीबावड़ी
40.	मुण्डियावास
41.	टोडी लुहारान
42.	टोडी निजरान
43.	काबलीगढ़
44.	डेरा
45.	खरीका
46.	कालालाका
47.	किशोरी
48.	गोपालपुरा
49.	गोविन्दपुरा
50.	लालपुरा

1	2
51.	चाहा का बास
52.	रूंध लालपुरा
53.	रूंध लोधावास
54.	लोठावास
55.	चांदपुरा
56.	कुण्ड़ला
57.	गुवाडा नैडोली
58.	श्यामपुरा
59.	गुवाडा लालमैया
60.	रूंध पथपड़ी
61.	गुवाडा हार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अलवर

जिला-अलवर

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	समिति का नाम					विक्रेता						योग	
		बिखरी		भाड़ा		बिखरी		भाड़ा					
		आबंटन	लक्ष्य	आबंटन	लक्ष्य	आबंटन	लक्ष्य	आबंटन	लक्ष्य	आबंटन	लक्ष्य	आबंटन	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंशपूंजी अनुदाय	0.60	120	1.50	300							2.10	
2.	छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि	3.57	102	2.10	60							5.67	
3.		1.12	32	2.10	60							3.22	
4.	हैण्ड पम्प निर्माण	1.00	2	1.00	2							2.00	
5.	आश्रम छात्रावास			12.01	3							12.01	
6.	नवीन आश्रम छात्रावास हेतु सारा सामान											0.00	
7.	निःशुल्क पुस्तकें वितरण			0.15	120							0.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	आश्रम छात्रावासों में विशेष कोचिंग			0.81	3							0.81	
9.	आश्रम छात्रावासों का व्यय											0.00	
10.												0.00	
11.	आश्रम छात्रावास भवन निर्माण											0.00	
12.	अन्य निर्माण											0.00	
13.	कृषि यन्त्रों का वर्गीकरण			0.30	3					0.30	3	0.60	
14.	सेन्टर							4.68	3			4.68	
15.						11.88	22	10.80	20			22.88	
16.	पावर फेयर अनुदान					1.50	15	1.50	16			3.00	
17.	एनीकट					10.00	1	10.00	1			20.00	
18.	विद्युत/यूनिट पम्प सैट पर अनुदान					1.60	18	2.00	20			3.80	
19.	सामुदायिक कृषि निर्माण					2.50	1	5.00	2			7.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.						1.50	15	1.70	17			3.20	
21.						0.90	6	0.90	6			1.80	
22.												0.00	
23.						0.90	9					0.90	
24.						2.00	20					2.00	
25.										4.00	2	4.00	
26.										18.75	15	18.75	
27.										4.00	2	4.00	
28.										1.75	1	1.75	
29.										1.50	1	1.50	
	योग	6.29		19.97		32.78		36.58		30.30		125.92	

गोगुन्दा के जनजाति परिवारों को आवास सुविधा

369. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की जनजाति उप योजना क्षेत्र में जनजाति परिवारों को आवास सुविधा हेतु किस-किस परिवार को कितनी-कितनी सहायता कब स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी जनजाति परिवारों को आवास सुविधा हेतु स्वीकृत सहायता राशि का पूरा भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में दिनांक 29-5-2003 को जनजाति उपयोजना क्षेत्र कोटड़ा के 13 लाभार्थियों को आवास सुविधा हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया था। सहायता राशि 20,000/- रुपये प्रति आवास थी जिसमें से 10,000/- रुपये टी.ए.डी. मद से व श्रम के पेटे 10,000/- रुपये अकाल राहत मद से गेहूं के रूप में देय थे। लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जनजाति परिवारों को प्रति आवास 10,000/- रुपये नकद एवं 10,000/- रुपये श्रम पेटे गेहूं के रूप में देय थी। जो कि टी.ए.डी. एवं अकाल राहत से स्वीकृत थी। टी.ए.डी. मद में स्वीकृत 10,000/- रुपये प्रति आवास की दर से 11 लाभार्थियों को पंचायत समिति कोटड़ा द्वारा भुगतान कर दिया गया है। शेष दो आवास अन्य योजना में स्वीकृत होने से कोई भुगतान नहीं किया गया। श्रम पेटे भुगतान गेहूं के रूप में अकाल राहत मद से किया जाना था। उस समय अकाल राहत के अन्य कार्य सम्पादित होने से लाभार्थियों द्वारा निजी आवास निर्माण में रुचि नहीं ली गई। फलस्वरूप आवास कार्य अकाल राहत समाप्त होने से शुरू नहीं किये गये जिससे गेहूं का भुगतान नहीं हो

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

पाया इसके लिए लाभार्थी स्वयं जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने अकाल राहत कार्य चलने के दौरान कार्य प्रारम्भ नहीं किये थे।

परिशिष्ट-अ

पंचायत समिति कोटड़ा के जनजाति परिवारों को आवास सुविधा हेतु सहायता स्वीकृति टी.ए.डी. मद 10,000/- रुपये, अकाल सहायता 10,000/- प्रति आवास

क्र. सं.	नाम मय पिता	जाति	चयनित क्रमांक	ग्राम पंचायत
1.	हीरा/केसा	अनुसूचित जनजाति	14/8	पड़ावली खुर्द
2.	लसमा/वालाराम	अनुसूचित जनजाति	2/1	डांग
3.	मसरू/अरजा	अनुसूचित जनजाति	48/3	गोगरूद
4.	ओदा/धन्ना	अनुसूचित जनजाति	7/4	मालवा का चौरा
5.	मन्ना/काला	अनुसूचित जनजाति	152/8	गोगरूद
6.	चुन्ना/हकरा	अनुसूचित जनजाति	66/17	बेकरिया
7.	मीठा/लखा	अनुसूचित जनजाति	31/8	मेवाड़ो का मठ
8.	भीमा/काना	अनुसूचित जनजाति	2/13	उखलियात
9.	नाना/देवा	अनुसूचित जनजाति	295/12	बेकरया
10.	रामा/उदा	अनुसूचित जनजाति	1/1	मालवा का चौरा

1	2	3	4	5
11.	रूपा/हंसा	अनुसूचित जनजाति	76/16	गोगरूद
12.	भीखी/चमना	अनुसूचित जनजाति		मालवा का चौरा
13.	चापी/सका	अनुसूचित जनजाति	9/1	गोगरूद

नोट- एजेन्सी का नाम - पंचायत समिति कोटड़ा

टौंक जिले में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत स्वीकृत राशि

370. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टौंक जिले में कौन-कौन से कार्यक्रम संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में किस-किस संस्था/सोसायटी को कितनी-कितनी राशि कब-कब जारी की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सभी संस्थाओं/सोसायटियों ने प्रस्तुत कर दिया है? यदि नहीं, तो कौन-कौनसी संस्था/सोसायटी ने कितनी-कितनी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिन संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये उन्हें डिफाल्टर घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त कार्यक्रमों के तहत किन-किन संस्थाओं द्वारा अनियमितताएं करने के प्रकरण सामने आये और इन प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत बी.पी.एल. एवं गरीब परिवारों का सामाजिक/आर्थिक विकास किया जाता है, जो समूहों के सदस्यों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये है तथा निम्न गतिविधियों की उप परियोजनायें संचालित कर किया जाता है :-

1. आयसृजन
2. भूमि आधारित
3. सामुदायिक ढांचागत
4. सामाजिक कार्य

(2) जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के अन्तर्गत उप परियोजना की राशि का उपयोग समान रूचि समूहों द्वारा किया जाता है। उप परियोजनाओं की स्वीकृति के पश्चात् उसकी लागत राशि का चैक समान रूचि समूहों के खाते में परियोजना द्वारा सीधे ही जमा करवाया जाता है तथा इसका सम्पूर्ण उपयोग समान रूचि समूहों द्वारा स्वयं ही किया जाता है। डीपीआईपी में समान रूचि समूह बनाने का कार्य, उनकी उप परियोजनाओं को जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई से स्वीकृत कराना तथा उप परियोजनाओं को क्रियान्वयन करने में सहयोग करना इत्यादि कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं (NGOs) द्वारा किये जाते हैं। जिनके लिये उन्हें कुल राशि 12500 रु. दो वर्ष के समय में समान रुचि समूह/पंचायत द्वारा समय-समय पर कार्य पूर्ण करने पर देय होते है। संस्थाओं को कार्य प्रारम्भ करने हेतु 10 प्रतिशत राशि अग्रिम दी जाती है, संस्था के द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों में से अग्रिम राशि का समायोजन कर लिया जाता है।

इस तरह से एक उप परियोजना जिसकी राशि लगभग 2.50 लाख से 3.00 लाख रु. औसत होती है, उसका सम्पूर्ण उपयोग समान रुचि समूह/पंचायत द्वारा स्वयं ही किया जाता है तथा स्वयं सेवी संस्थाओं को 12500 रु. राशि दो वर्ष में उक्त उप परियोजनाओं में समान रुचि समूहों के गठन एवं तत्पश्चात् किये जा रहे कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिये दिये जाते हैं।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

टौंक जिले में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को गत तीन वर्षों में जारी की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर तथा पंचायत समितियों के माध्यम से किये जो रहे कार्यों में जारी की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जैसा कि संख्या-2 पर उल्लिखित किया गया है कि उप परियोजनाओं की राशि एनजीओ को नहीं दी जाती है तथा यह सीधे समान रूचि समूह/पंचायत को उप परियोजना के आधार पर अग्रिम राशि उनके खाते में जमा कराई जाती है। जिसका उपयोग करने पर समान रुचि समूह/पंचायत द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। जिन संस्थाओं/पंचायतों के कार्यों के यू.सी./सी.सी. प्रस्तुत कर दिये गये हैं, उसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) समान रूचि समूह/पंचायत द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उप परियोजना पूर्ण होने पर प्रस्तुत किये जाते हैं। जिन समान रुचि समूहों ने अपने कार्य पूर्ण कर लिये हैं उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो रहे हैं। चूंकि परियोजना का क्रियान्वयन अभी चालू है। अतः उपयोगिता प्रमाण-पत्र उप परियोजना के पूर्ण होने पर प्राप्त होना अपेक्षित है।

(5) टौंक जिले में कार्यरत संस्थाओं द्वारा अनियमितताएं करने का मुख्य प्रकरण स्वयं सेवी संस्था-बायफ, टोडारायसिंह के सम्बन्ध में सामने आया था। जिसकी जांच हेतु जिला स्तर पर समिति गठित की गई थी तथा गठित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट को राज्य सरकार को भिजवाया गया था। उक्त प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा शिकायत को निराधार पाया गया। शिकायत विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

Districtwise Details of the NGOs & Amount Released 31/01/2005

S. No.	District	Year	S. No.	NGO	Block	No. of Villages	Cost of Agreement (Rs. In Lac.)	Adv. Against Agreement (In Rs.)		Cost of work done (In Rs.)		
								Ist Adv.	IInd Adv.	Amt. paid	Amt. Adjusted against adv.	Total
1.	Tonk	Ist Project Year	1.	CECOEDECON	Uniara & Toda-raisingh	59	69.27	396200		3820304	396200	4216504
2.		IIst Project Year	2.	BAIF	Todaraisingh	43	21.5	215000		849391	215000	1064391
3.		IIIrd Project Year	3.	Srijan	Devli	67	34.84	696800				
4.			4.	Gramin Vikas Samiti	Malpura	61	30.5	305000	305000			
5.			5.	Gramin Vikas Shodh & Takniki Kendra	Malpura & Todaraisingh	71	35.5	355000	355000	361951	157776	519727
6.			6.	Shiv Shiksha Samiti	Uniara	62	30.44	289400	289400	170692	310683	481375
7.			7.	Gram vikas navywak mandal	Malpura	55	27.5	275000	275000	253124	68751	321875
8.		IVst Project Year	8.	S.R. Society	Niwai	60	30	300000	270000	259551	150000	409551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.			9.	Advantage India	Uniara; Tonk	70	35	350000		407586	245000	652586
10.			10.	Marudhara Academy	Niwai	60	30	300000	300000	393028	345000	738028
11.			11.	IIRM	Tonk	70	35	350000	350000	193125	210000	403125
12.			12.	Gram Chetna Kendra	Niwai	60	30	300000				
13.		Small NGO	13.	Shri Laxmi Nathji Vikas & Prashikshan Sansthan	Devli	30	15	150000	150000	127082	33334	160416
14.			14.	Jan Sewa Khadi Gra-modyog Vikas Samiti	Tonk	30	15	150000	150000	162747	137502	300249
15.			15.	Adarsh Gram Udyog Samiti	Uniara, Tonk	66	29.66	296563	296563	83347	131808	215155
16.			16.	Shri Dev Narayan Gran Vikas Sans.	Devli	30	15	150000	116666	30747	50001	80748
17.			17.	Rajasthan Chamber of Commerce and Industry	Tonk, Tonk	61	30.5	305000	266875	257525	198212	455737
Total No. of Villages						**955**	**514.71**	**5183963**	**3E+06**	**7370200**	**2649267**	**10019467**

परिशिष्ट-'ब'

पंचायत समितियों के माध्यम से टौंक जिले में डीपीआईपी के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों का विवरण

ब्लाक-उनियारा

क्र. सं.	गांव का नाम	सी.आई.जी. का नाम/उप परियोजना का नाम	राशि का हस्तान्तरण		प्रथम किश्त/दिनांक		यू.सी. प्राप्ति हां/दिनांक	द्वितीय किश्त/दिनांक		यू.सी. प्राप्ति हां/दिनांक	तृतीय किश्त/दिनांक		सी.सी. प्राप्ति हां/दिनांक	कुल राशि
			दिनांक	डीपी आईपी										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	नया गांव/ककोड	ग्राम विकास संस्था, नया गांव	30-12-2004	199058	274257	5-6-2003								274257
2.	हरदतपुरा/रूपपुरा	ग्राम विकास संस्था, हरदतपुरा	30-12-2003	274792	109917	23-6-2003	-	164875	18-3-2004	-	274792	27-7-2004		549584
3.	सोप/सोप	ग्राम विकास संस्था, सोप	26-12-2003	540000	159300	23-6-2003	3-9-2003	318600	11-9-2003	15-10-2003				477900
4.	अलीगढ़	ग्राम विकास संस्था, अलीगढ़	30-12-2003	630000	195300	23-6-2003	22-11-2003	390600	10-12-2003	30-1-2004				585900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	देवपुरा कलां/ रानीपुरा	ग्राम विकास संस्था, देवपुराकलां	23-6-2003	313875	125550	23-6-2003								125550
6.	सरदारपुरा/ ककोड	ग्राम विकास संस्था, सरदारपुरा	30-12-2003	422100	130850	23-6-2003								130850
7.	अमीनपुरा/ हैदरीपुरा	ग्राम विकास संस्था, अमीनपुरा	30-12-2003	270000	79650	23-6-2003		28350	30-12-2003	17-8-2004	162000	15-9-2004		270000
8.	सरदारपुरा/ रानीपुरा	ग्राम विकास संस्था, सरदारपुरा	23-6-2004	297835										
9.	अल्लाहपुरा/ पाटोली	ग्राम विकास संस्था, अल्लाहपुरा	5-3-2004	349463	139221	31-3-2003	24-6-2003	139222	2-7-2003	30-8-2004				278443
10.	नाहरी/ पाटोली	ग्राम विकास संस्था, नाहरी	5-3-2004	353574	139221	31-3-2003	24-6-2003	139222	2-7-2003	30-8-2003				278443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	रामपुरा धाकड़ान/ ककोड़	ग्राम विकास संस्था, रामपुरा धाकड़ान	30-12-2003	687051	262845	13-3-2003								262845
12.	विजयपुरा/ रूपपुरा	ग्राम विकास संस्था, विजयपुरा	14-1-2004	261509	96640	13-3-2003	30-7-2003	96640	31-7-2003	10-10-2003	48320	7-4-2004		241600
13.	विजयगढ़/ रानीपुरा	ग्राम विकास संस्था, विजयगढ़	30-12-2003	448530	175230	13-3-2003								175230
14.	विजयनगर /रानीपुरा	ग्राम विकास संस्था, विजयनगर	30-12-2003	298594	118148	13-3-2003								118148
15.	हुक्मपुरा/ पलाई	ग्राम विकास संस्था, हुक्मपुरा	30-12-2003	302400	121068	2-5-2003	24-6-2003	121068		26-6-2003				242136
16.	बालागढ़/ ककोड़	ग्राम विकास संस्था, बालागढ़	30-12-2003	213985	79110	13-3-2003					213985	30-12-2003		293095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.	ककोड/ ककोड	ग्राम विकास संस्था, ककोड	30-12-2003	661952	261405	13-3-2003								261405
18.	पाटाली/ पाटाली	ग्राम विकास संस्था, पाटाली	30-12-2003	348053	139221	31-3-2003	24-6-2003	139222	2-7-2003		69610	6-4-2004		348053
19.	सावनभादवा /रानीपुरा	ग्राम विकास संस्था, सायनभादया	30-12-2003	165273	61550	30-12-2003								61550
20.	गाडोली/ पाटोली	ग्राम विकास संस्था, गाडोली	30-12-2003	642150	256860	13-3-2003	5-6-2003	256860	5-6-2003					513720
21.	हासोलाई/ ककोड	ग्राम विकास संस्था, हांसोलाई	30-12-2003	233956	92070	13-3-2003								92070
22.	श्रीपुरा/ रूपपुरा	ग्राम विकास संस्था, श्रीपुरा	30-12-2003	207581	71685	30-3-2003	30-7-2003	71685	31-7-2003	9-7-2004	64211	30-12-2003		207581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.	नया गांव/ रानीपुरा	ग्राम विकास संस्था, नयागांव	30-12-2003	457699	175230	28-3-2003								175230
24.	मोटिस की झौंपडी/ ककोड	ग्राम विकास संस्था, मोटिस की झौपड़ी	30-12-2003	440100	176040	30-12-2003								176040
25.	रहमानपुरा/ चौरू	ग्राम विकास संस्था, चौरू	30-12-2003	261000										
26.	पाडली/ हदरीपुर।	ग्राम विकास संस्था, पाडली	5-3-2004	81900	24160	23-6-2003	7-11-2004	48640	5-3-2004	20-8-2004				72800
ब्लाक-निवाई														
1.	सिरस/ सिरस	ग्राम विकास संस्था, सिरस	30-12-2003	900000	360000	30-12-2003								360000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ब्लाक-टोडारायसिंह														
1.	बाससोनया/ बासेडा	ग्राम विकास संस्था, बाससोनया	3-7-2003	196470										
2.	गोपालपुरा	ग्राम विकास संस्था, गोपालपुरा	30-12-2003	132750	56604	30-12-2003	24-3-2004	76146	7-7-2004					132750
3.	खेडुल्या खुर्द	भोलेशंकर बायफ सीआइजी	27-3-2004	373667	123988	31-3-2003	12-9-2003	122691	5-2-2004	-	63291	27-3-2004		309970
4.	छानबास सूर्य	ग्राम विकास संस्था, छानबाससूर्य	5-3-2004	297630	285412	23-4-2003	-	228330	2-7-2003	30-6-2003	285412	6-4-2004	26-3-2004	799154
5.	निमेडा/ मुण्डियाकलां	ग्राम विकास संस्था, निमेडा	30-12-2003	141378	56551	24-4-2003								56551
6.	बरवास	ग्राम विकास संस्था. बरवास	31-3-2003	663750										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	बालापुरा/ मेहरू	ग्राम विकास संस्था, बालापुरा	23-6-2003	324574	324574	23-6-2003	17-3-2004	259659	24-3-2004		324574	10-12-2004	8-12-2004	908807
8.	टोपा/ दाबडदम्बा	ग्राम विकास संस्था, टोपा	30-12-2003	720000	255600	3-7-2003	9-1-2004	640000	11-6-2004					895600
ब्लाक-देवली														
1.	टोडा का गोठडा	ग्राम विकास संस्था, टोडा का गोठडा	30-12-2003	540000	159300	23-6-2003	29-9-2003	432000	30-12-2003					591300
2.	देवली/भांची	ग्राम विकास संस्था, देवली भांची	30-12-2003	390123	132750	23-4-2003	2-7-2003	265500	7-7-2003		312098	30-12-2004	20-8-2004	710348
3.	देवली भांची/ कारोला	ग्राम विकास संस्था, कारोला	23-4-2003	132750	53100	23-4-2003	5-6-2003	53100	7-7-2003					106200
4.	स्यावता	ग्राम विकास संस्था, स्यावता	23-6-2003	329220										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	दयड़ायास	ग्राम विकास संस्था, दयड़ायास	28-2-2004	896400	401400	31-3-2004	31-7-2004	796800	28-2-2004				4-8-2004	1198200
6.	टोकरावास	ग्राम विकास संस्था, टोकरावास	30-9-2003	450000	200000	31-3-2004	1-11-2004	400000	21-12-2004				1-11-2004	600000
ब्लाक-मालपुरा														
1.	चांदसेन	ग्राम विकास संस्था, चांदसेन	30-12-2003	444600										

परिशिष्ट-'स'

टौंक जिले में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	स्वयं सेवी संस्था का नाम	शिकायतकर्त्ता का नाम, पता, दिनांक	शिकायत का विवरण	जांच के बाद की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1.	एडवान्टेज इंडिया, टौंक	श्रीमती सरोज शर्मा, सामुदायिक सहजकर्ता, निवासी अलीगढ़, टौंक दिनांक 15-7-2004	अस्पष्ट कारणों की जांच करने व साथ ही मई-04 से वर्तमान तक भुगतान करने बाबत्।	प्रकरण जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति, जिला कलक्टर, टौंक में विचाराधीन है।
2.	बायफ संस्था, टोडारायसिंह	मुन्ना नमदगार, खाजी कटला, मालपुरा दिनांक 19-1-2004	स्वयं सैवी संस्था बायफ द्वारा भ्रष्टाचार अनियमितता एवं हेराफेरी करने के सम्बन्ध में	प्रकरण जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति, जिला कलक्टर, टौंक में विचाराधीन है।
3.	बायफ संस्था, टोडारायसिंह	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित	टोडारायसिंह क्षेत्र में सी.आई.जी. समूह को दिलाई	प्रकरण जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं

1	2	3	4	5
		समाचार दिनांक 6-10-2003	गई सहायता में अनियमितता के सम्बन्ध में।	सतर्कता समिति, जिला कलक्टर, टौंक में विचाराधीन है।
4.	बायफ संस्था, टोडारायसिंह	समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार दिनांक 5 सितम्बर, 2003	गरीबी उन्मूलन परियोजनान्तर्गत मोतीछेदन की घटिया मशीनें आपूर्ति करने एवं इस कार्य हेतु कच्चे माल की आपूर्ति फर्म द्वारा नहीं करने बाबत् एवं प्रशिक्षण नहीं देने बाबत्।	इस प्रकरण में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, टोंक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टौंक एवं कोषाधिकारी टोंक की समिति जांच हेतु गठित की गई थी। समिति के द्वारा दी गई रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवायी गयी तथा प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा शिकायत को निराधार पाया गया।
5.	डेयरी, टौंक	माननीय श्रीमान् जीत	केवल रोहतक से ही भैंसे क्रय	जिला परिषद टौंक की साधारण बैठक

1	2	3	4	5
		राम चौधरी, विधायक मालपुरा	करवाने के सम्बन्ध में।	में माननीय विधायक महोदय ने भैंसे सिर्फ रोहतक से ही क्यों खरीदी जा रही हैं, इस सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके क्रम में नोडल अधिकारी डेयरी ने अवगत कराया की रोहतक के अलावा नारनोल व महेन्द्रगढ़ से क्रय की जा रही हैं, एवं भविष्य में हरियाणा के किसी भी शहर या गांव से क्रय की जायेगी।

महुआ में सांसद/विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

371. श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र महुआ में गत दो वर्षों में सांसद एवं विधायक कोटे में कितने कार्य कहां-कहां स्वीकृत किये गये तथा विधायक की अभिशंषा करने के कितने दिन बाद स्वीकृत किये गये ? विवरण एवं सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर)

(2) उक्त अवधि में विधायक/सांसद कोटे में महुआ क्षेत्र में स्वीकृत कार्य कितने व कहां-कहां पूर्ण हुए तथा कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं, इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधायक/सांसद कोटे से स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों हेतु निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र महुआ में गत दो वर्षों में सांसद कोटे से 13 कार्य (परि.-1) एवं विधायक कोटे से 117 कार्य (परि.-2) स्वीकृत किये गये। विधायक महोदय की अभिशंषा करने के जितने दिनों बाद कार्य स्वीकृत किये गये उनका विवरण संलग्न परि.-1 व 2 के कालम संख्या 3 व 4 पर अंकित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र महुवआ में स्वीकृत कार्यों में से विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के 101 व सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के 13 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। विधायक कोटे के परि.-2 के कालम संख्या 6 में वर्णित 16 कार्य अपूर्ण हैं। इन्हें अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जायेगा। सूची संलग्न परि.-1 व 2 संलग्न हैं।

(3) विधायक/सांसद कोटे से स्वीकृत किये जाने वाले अनुमत कार्यों की प्रति संलग्न परि.-3 एवं 4 पर उपलब्ध हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

रोटू ग्राम पंचायत (नागौर) में जलग्रहण विकास कार्य

372. श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रोटू, तहसील जायल, जिला नागौर में वाटर शेड योजना स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो योजना का मूल

(श्री हेमाराम चौधरी)

स्वरूप क्या है ? योजना पर कुल कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की जायेगी तथा कार्य किस एजेन्सी के माध्यम से करवाया जायेगा ? यह कार्य कब शुरू व कब तक पूर्ण होगा ?

(2) योजना गांव के कौन से हिस्से में बनाई जायेगी ? नक्शे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) योजना में लाभान्वित होने वाले किसानों का नाम तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, बी.पी.एल. कार्डधारी इसमें कितने-कितने व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) योजना में लाभान्वित को चयन करने का आधार क्या रहेगा तथा चयन का अधिकार किस के पास रहेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, ज़ायल के ग्राम रोट् में दसवें बैंच के लिये वाटरशेड योजना स्वीकृत हुई है।

मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत इस परियोजना के 508 हैक्टेयर क्षेत्रफल के लिये राशि रुपये 30.00 लाख निर्धारित है। परियोजना के कार्यों हेतु लागत राशि का 85 प्रतिशत, सामुदायिक संगठन एवं प्रशिक्षण हेतु 5 प्रतिशत व प्रशासनिक मद में 10 प्रतिशत व्यय किये जाने का प्रावधान है। कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया जावेगा। स्वीकृति दिनांक 1-11-2004 से 5 वर्ष की अवधि में कार्य पूरे किये जाने का प्रावधान है।

(2) ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुसार योजना गांव के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बनाई गई है। नक्शा परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(3) योजना में लाभान्वित होने वाले किसानों की सूची परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है। अनुसूचित जाति के 28 व्यक्ति एवं बी.पी.एल. कार्डधारी 36 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जावेगा।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(4) योजना में अनुसूचित जाति एवं गरीब किसानों को जलग्रहण मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जावेगा तथा चयन करने का अधिकार ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के पास रहेगा।

(नक्शा/सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सिरोही जिले में विभिन्न योजनाओं में आबंटित राशि

373. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही में गत 5 वर्षों से किस-किस योजना में कितनी कितनी राशि किस-किस पंचायल समिति को आबंटित की गई ? आबंटित राशि का योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति द्वारा आबंटित राशि का पंचायतों को किस आधार पर आबंटन किया गया ? आबंटित राशि का योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2003-04 तक गत 5 वर्षों में आबंटित राशि का वर्षवार, योजनावार एवं पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

(2) पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायतों को राशि का आबंटन योजनाओं की मार्गदर्शिकानुसार किया गया है। ग्राम पंचायतों को आबंटित राशि का वर्षवार एवं योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर अवलोकनीय है।

(विवरण आदि विस्तुत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या - 75

(स्थगित)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

घाटोल तहसील की पंचायत समिति पीपलखूंट को माही डेम से पानी उपलब्ध करवाने बाबत

मान्यवर,

जिला बांसवाड़ा में माही डेम नाम का बड़ा तालाब बनाया गया है। जिससे जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल की आधी जमीन में पीसत होती है व आधी जमीन पंचायत समिति पीपलखूंट की सुखी पड़ी है।

अतः मेरा राज्य सरकार व मान्य सिंचाई मंत्री व माननीय मुख्य मंत्री महोदय से नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न लिखित गांवों की कृषि भूमि माही डेम के वेग वाटर से लगी हुई है। वे गांव हैं क्रमश :-

क्र. सं.	नाम पंचायत	नाम गांव	नाम पंचायत	नाम गांव
1.	नायन	1. नायण	रोहनिया	1. रोहनिया
		2. बाबडी		2. ठाकरा
		3. गोटडा		3. राणपुर
		4. सालिवा		4. भमीडी
		5. माडवी		5. मण्डली
2.	पृथ्वीपुरा	1. पृथ्वीपुरा	कुपडा	1. कुपडा
		2. खडीपावाणी		2. आखापुर
		3. खैरवाडा		3. हरो
				4. सागबारी

योग चार ग्राम पंचायतों के 17 गांवों की कृषि भूमि की सिंचाई विभाग द्वारा

(श्री नवनीत नीनामा)

सर्वे करा लिफ्ट योजना बनाई जाकर कृषि को पानी पिलाया जाकर आदिवासी किसानों को राहत दिलाई जावे इसी आशा और विश्वास के साथ सूखा ग्रस्त गांवों की जानकारी दे रहा हूं।

श्री नवनीत नीनामा
घाटोल

नवलगढ़ की सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में

मान्यवर,

नगरपालिका नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

मान्यवर, नगरपालिका नवलगढ़ में सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों से सफाई व्यवस्था के नाम पर काफी सरकारी धन का दुरूपयोग किया जा रहा है। वहां बिना विधिवत निविदा प्रक्रिया अपनाये ही गलत तरीके से व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए सफाई का ठेका छोड़ दिया जाता है।

पिछले वर्ष भी ठेका देने के लिए जो निविदा प्रक्रिया अपनाई गई वह भी बहुत ही गलत तरीके से की गई एवं उसमें भी काफी सरकारी राशि का दुरूपयोग होने पर भी सफाई व्यवस्था नहीं हो पाई। इस हेतु सफाई सिर्फ कागजों में ही होती है।

वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्रों में गन्दगी का यह आलम है कि सभी रास्तें नालियां, बस्तियों में गन्दगी के ढेर लगे हुए हैं, कहीं कोई सफाई व्यवस्था का नाम नहीं है। यहां के वार्ड पार्षद एवं नागरिक भी नगरपालिका प्रशासन से बार-बार आग्रह करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। कई जन प्रतिनिधियों ने भी मुझे अवगत कराया है कि नगरपालिका में सफाई व्यवस्था का आग्रह करने पर वहां के अधिशासी अधिकारी भी सही व्यवहार नहीं करते हैं

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

तथा असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए यह कहते हैं कि स्वायत्त शासन विभाग में बतौर रिश्वत राशि ली जाती है। अतः वहां से स्वीकृति लाना सम्भव नहीं है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां के नागरिकों की तरफ ध्यान देकर सफाई व्यवस्था में लापरवाही करने वाले लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।

श्रीमती प्रतिभा सिंह

नवलगढ़

दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. में पिछले कुछ माह से हो रही जबरदस्त आर्थिक अनियमितता

मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान इस और दिलाना चाहता हूं कि उपरोक्त बैंक के अधिकारी गम्भीर अनियमितता कर रहे हैं जिससे बैंक व सरकार को आर्थिक हानि हो रही है। जैंसे मै. नागौरी इण्डस्ट्रीज को दिये गये अग्रिम की वसूली अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही की गई ऋण की प्रतिभूति स्वरूप रीको में स्थित तीन भूखण्ड बैंक के रहन थे। जिसमें एक भूखण्ड पर गोदाम व चार दीवारी निर्मित है इस भूखण्ड को कुर्क कर नीलामी से पूर्व इसका मूल्यांकन 17.50 लाख रुपये आंका गया इसके अलावा इसमें करीब 5 लाख की ईटे टीन सैड व गार्डर आदि विक्रय योग्य थे नीलामी में ईकाई स्वामी ने बैंक प्रबन्ध निदेशक से मिली भगत कर डमी व्यक्ति से 3 लाख बोली दिलवाकर इकाई स्वामी को 20 लाख से ऊपर की सम्पति का 3 लाख में पुनः मालिक बनवा दिया।

अध्यक्ष महोदय इसी प्रकार रायसिंहनगर के एक नर्सिंग होम के पक्ष में 10 लाख ऋण रिपेयर के नाम से स्वीकृत किया गया जब कि नर्सिंग होम निर्माण के लिए अन्य दो व्यवसायिक बैंकों से ऋण लिया हुआ था जो अवधि पार था। बैंक में इस उद्देश्य से ऋण स्वीकृत करने का कोई नियम नहीं है। क्लिनिक के

(डा. सुरेश चौधरी)

लिये 10 लाख ऋण की स्वीकृति से पूर्व शीर्ष बैंक से अनुमोदन करवाना आवश्यक है। जो नहीं हुआ। नियमों के विरूद्ध व्यावसायिक बैंक के दोषी नर्सिंग होम को 10 लाख अग्रिम ऋण में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसी प्रकार टैक्टर व उपक्रम ऋण अग्रिम किये गये है। जिसकी अक्टूबर, 2004 से फरवरी, 2005 तक सख्या 77 है। जो तीन वर्षों के इस मद के ऋण वितरण से अधिक है। इसमें करीब दो दर्जन वयक्तियों द्वारा ट्रैक्टर बेच भी दिये हैं। कइयों ने तो उपकरण खरीदे ही नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय इस प्रबन्ध निदेशक के रहते हुए ऐसी भूमि जिस पर कभी खेती हुई ही नहीं उसे नहरी मानकर 40 से 50 हजार रुपये प्रति बीघा तक अग्रिम ऋण दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बैंक के ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरन्त बिलम्बित कर पुख्ता जांच करवाकर समुचित कार्यवाही करें। जिससें भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।

डा. सुरेश चौधरी

भादरा

शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में 132 केवी. सब स्टेशन की स्थापना

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में विद्युत आपूर्ति हेतु माननीय मेघवाल के प्रयत्न से उनके गृहमंत्री कार्यकाल में आज से 7 वर्ष पूर्व 132 केवी. ग्रिड हेतु रायला से विद्युत लाइन खींची हुई है परन्तु बाद में कांग्रेसी कुशासन में ग्रिड स्थापित नहीं हो सका लाखों रुपये व्यर्थ में लगे हुए हैं। ग्रिड स्थापना हेतु भूमि भी अलाट हो चुकी है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि शाहपुरा जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है इसके विकास हेतु 132

(श्री रामरतन बैरवा)

केवी. सब स्टेशन स्थापित किया जाये। ताकि शाहपुरा की जनता को लाभ पहुंच सके।

श्री रामरतन बैरवा
शाहपुरा

चिड़ावा नगरपालिका के चेयरमैन एवं ई.ओ. को हटाने बाबत

महोदय,

श्रीमानजी से निवेदन है कि चिड़ावा नगरपालिका के ई.ओ. श्री शंकरलाल के लिए मैंने बार-बार शिकायत की कि यह समय पर ड्यूटी पर नहीं आता है। और एमएलए लैण्ड के पैसे 9 व दस माह तक भी नहीं देता है कार्य करवाने के उपरान्त कमीशन के पैसे लेकर ही देता है सड़कों पर घटिया सामग्री लगी हुई है। और वार्डों के परिसीमिन में भी भारी घोटाला किया है। इसकी शिकायत के बा५८ू भी श्रीमान जिला कलक्टर झुंझुनुं के द्वारा परिसीमिन करवाकर ठीक किया है। इस प्रकार का घपला करना भ्रष्टाचार की सरेआम बढोतरी करना व सड़कों में 25 प्रतिशत कमीशन लेकर घटिया कार्य करवाने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल हटायें या उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाये और पूर्व में करवाये गये घटिया कार्य की एक साथ ज़ांच करवाने की कृपा करें। जिससे सरकार की छवि भी ठीक होये। भ्रष्ट लोगों के मुंह पर पट्टी बांधी जाये और वहां के चेयरमैन व ई.ओ. मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसलिये मेरा अनुरोध है कि तत्काल उनको वहां से हटाया जाये और जांच तत्काल करवाकर भ्रष्ट लोगों को दण्डित करवायें और गरीब जनता को न्याय दिलवाने की कृपा करें। अगर उन पर कार्यवाही नहीं की गई तो जनता आन्दोलन पर उतारू हो सकती है इसलिये समय रहते जांच करवाने की कृपा करें।

श्री श्रवण कुमार
पिलानी

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनी सड़कों में घटिया सामग्री लगाने के सम्बन्ध में

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत तहसील करौली व तहसील सपोटरा जिला करौली में सड़कों का निर्माण हुआ है। इन सड़कों पर घटिया सामग्री लगाई गई है जैसा कि कुडगांव से गेड़ई सड़क। जिसके कारण बनते ही ये सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। दूसरे इनमें से कुछ पुरानी सड़कों पर ग्रामीण क्षेत्रों में इतना अतिक्रमण हुआ है जिसके कारण आमने-सामने से वाहन बचकर नहीं निकल पाते हैं। किसानों ने खेतों की डोर सड़क के दोनों तरफ लगाकर इन्हें संकड़ा कर दिया है। विशेष तौर से बापौती ग्राम से बाजना ग्राम को जाने वाली सड़क (तहसील सपोटरा जि. करौली) को मांगरोल ग्राम में दोनों तरफ अतिक्रमण कर भारी संकरा कर दिया गया है। इसके पश्चात् इस ग्राम से ग्राम बाजना तक दोनों तरफ किसानों ने सड़क को डोले लगाकर इतना संकरा किया है कि वाहनों का आसानी से निकल पाना मुश्किल हो गया है। इसी प्रकार कच्ची सड़क जो कि पीतूपुरा ग्राम से ग्राम गुढाकर (तहसील व जिला करौली) जाती है उस पर बीच पर पड़ने वाले ग्राम बिचपुरिया में बाहुबली मालदार किसानों ने अपने मकानों के चौक की बाउण्ड्री बढ़ाकर इन्हें इतना संकरा कर दिया है कि वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। सम्बन्धित अधिकारियों को की गई शिकायत भी बेअसर है, उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटवाये हैं।

आपसे निवेदन है कि इन अतिक्रमणों को हटवाये ताकि सड़कों पर से आवागमन सुलभ हो सके और तहसील करौली व सपोटरा के तहसीलदारों व जिला कलक्टर करौली को आदेश दिलवाये कि वे भविष्य में अतिक्रमण नहीं होने दें।

धन्यवाद।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
गंगापुर

जोधपुर के लिए प्रस्तावित नेशनल हाईवे संख्या 65 के निर्माण में विसंगतियों बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पाली शहर के पास सुमेरपुर रोड से जोधपुर के लिए प्रस्तावित बाइपास नेशनल हाईवे संख्या 65 बन रहा है जिसके अनुसार चिह्नीकरण डिमार्केशन हो गया है। इसमें सेन्ट्रल लाइन से सौ-सौ फीट दोनों तरफ भूमि अवाप्ति की गयी हैं, जिसके बदले में वहां के लोगों को मुआवजा दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त तरसीम की जा चुकी है। वर्तमान में जिस पर (सेन्टरलाइन) ठेकेदार द्वारा सडक निर्माण कार्य किया जा सकता हैं, वह नक्शे के अनुसार सीधी आनी चाहिए, लेकिन वह मौके पर टेड़ी मेड़ी जा रही हैं तथा सीधी लाइन सेन्टर लाइन पर निर्माण कार्य नहीं हो रहा हैं।

महोदय, नक्शे के अनूसार माजिन लाइन जो कि खेत हैं, को ठेकेदार द्वारा छेड़ा गया है तथा खसरा ग्राम मण्डिया 001, 742, 740, 745/ 748/2, 747 ग्राम मण्डली कुछ खसरों से प्रभावित होती है। यह रोड अवाप्त शुदा भूमि की रकबों में फेरबदल करके निकाला जा रहा है। इसमें ग्राम मण्डिया के खसरा नम्बर 748/2 का खातेदार प्रभावित होता है, परन्तु उक्त भूमि खातेदार से अवाप्त नहीं की गयी तथा न ही मुआवजा दिया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग नक्शे के अनुसार ग्राम मण्डली के खसरा नम्बर 208/1, 208/2, 203, 212, 232, 229/1 की भूमि आती है, लेकिन धारा 6 में भूमि अवाप्त नहीं की गयी, जबकि उक्त खातेदार की भूमि आज भी सड़क के मौके पर नक्शे अनुसार आती है। शेष खसरों को भूमि अवाप्त अनुसार तथा रकबों के अनुसार निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है।

महोदय, यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम मौजा मण्डली व मण्डिया के सीमा चिन्ह नम्बर 32 के अनुसार सड़क की सेन्टर लाइन की दूरी 237 फीट होती है। परन्तु मौके पर निशांनात 112 फुट किये जाकर निर्माण कार्य हो रहा हैं। यह कार्य ठेकेदार एवं भू-माफिया की मिलीभगत से हो रहा है। जिससे खातेदार प्रभावित हो रहा है।

(श्री मदन राठौड़)

अतः विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही अनदेखी व ठेकेदार की मिलीभगत से हो रहे गलत निर्माण कार्य को रूकवा कर, नक्शे के अनुरूप ही निर्माण कार्य करने हेतु पाबन्द किया जाये।

इसी प्रकार नेशनल हाइवे 8 पर, जयपुर-किशनगढ़ के मध्यम 6 लाइन रोड पर लगे टोल टैक्स बेरियर पर, विधायकों के निजी वाहनों से भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। जिस वाहन में विधायक स्वयं यात्रा करते हो, उनसे टोल टैक्स वसूली रोकने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाए। जिस वाहन पर विधान सभा द्वारा प्रदंत एमएलए स्टीकर लगा हो या विधानसभा द्वारा प्राप्त परिचय पत्र दिखाने पर, उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाये।

श्री मदन राठौड़
सुमेरपुर

सामुदायिक चिकित्सालय चौमूं में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के अतिरिक्त पद स्वीकृत करने के सन्दर्भ में

मान्यवर,

सामुदायिक चिकित्सालय चौमूं के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से क्रमोनित कर सामुदायिक चिकित्सालय में क्रमोनित कर दिया गया लेकिन पीएचसी के लिए निर्धारित चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ अभी तक नहीं लगाया गया। वर्तमान समय में इस चिकित्सालय में चौमूं के लगभग 20 कि. मी. की दूरी के गरीब मरीज इस चिकित्सालय में उपचार हेतु आते हैं जिनका प्रतिदिन औसतन आउटडोर 400 से 450 रहता है। लेकिन स्टाफ की कमी के कारण मात्र 5-6 मरीजों को ही भर्ती किया जाता है शेष को जयपुर के लिए रैफर कर दिया जाता है। कई मरीज तो इतनी गम्भीर चौट ग्रस्त होते हैं जिनको जयपुर रैफर करने के बाद जयपुर पहुंचने से पूर्व ही दम तोड़ देते हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस चिकित्सालय में सीएचसी के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ लगाने

का श्रम करें। जिससे चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ते हुए मरीज को बचाया जा सके।

श्री रामलाल शर्मा
चौमूं

सहकार मार्ग, जयपुर से नगर निगम मुख्यालय जाने वाले मार्ग पर शौचालय/मूत्रालय निर्माण की मांग

मान्यवर,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत राज्य सरकार एवं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में नगर निगम एवं जे.डी.ए. द्वारा अनेक स्थानों पर शौचालय/मूत्रालयों का निर्माण आम जनता को राहत पहुंचाने हेतु किया जा रहा है, यह बहुत ही स्वागतयोग्य कदम है। परन्तु इसके साथ-साथ मैं राज्य सरकार का ध्यान जयपुर शहर के सहकार मार्ग से नगर निगम मुख्यालय को जाने वाली मुख्य सड़क पर शौचालय/मूत्रालय के न होने के कारण आम जनता एवं विभिन्न राजकीय कार्यालयों में आने-जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस मार्ग पर राज्य की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था विधान सभा उपस्थित है, साथ ही लाल कोठी शमशान घाट है एवं इसके अतिरिकत वित्त भवन, विद्युत भवन, पेंशन भवन, आवासन मण्डल कार्यालय में आने-जाने वाले व्यक्ति भी इसी रास्ते का उपयोग करते हैं परन्तु इस मार्ग पर कोई शौचालय/मूत्रालय नहीं होने की वजह से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसका सबब यह होता है कि राहगीर एवं विभिन्न कार्यालयों में आने-जाने वाले तथा विधान सभा भवन में प्रवेश करने वाले महानुभाव भी यत्र-तत्र अपनी शंका से निवृत्त होते हैं जो बहुत ही कष्टदायी है। हास्यास्प्रद स्थिति तो तब देखने को मिली, जब मैंने स्वयं ने अनेक मर्तबा

राज्य के सर्वोच्च सदन के मुख्य द्वार के साइड में कोने में लोगों को अपनी शंका का समाधान करते देखा। यह हम सबके लिए बहुत ही सोचनीय बिन्दु है।

अतएव मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार एवं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया सहकार मार्ग से नगर निगम को जाने वाले मुख्य मार्ग पर शमशान घाट अथवा विधान सभा भवन के नजदीक शौचालय/मूत्रालय का निर्माण करवा कर आमजन को राहत पहुंचायें।

धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री के.डी.बाबर
लक्ष्मणगढ़

ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न मदों में बढोतरी करने बाबत

महोदय,

प्रत्येक गांव, प्रदेश और देश की इकाई होता है और गांव का विकास ही प्रदेश और देश का विकास है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु विभिन्न मदों में बढोतरी कर गांवों के विकास को अधिक गति प्रदान की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की विकास सम्बन्धी सारी अपेक्षाएं विधायक से ही होती हैं जब कि विधायक के पास ग्रामीणों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मात्र 60 लाख रुपये प्रतिवर्ष ही होते हैं। यदि विधायक कोष को 60 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ प्रतिवर्ष कर दिया जावे तो निश्चित रूप से विधायक अपने क्षेत्र की अपेक्षाओं को काफी हद तक पूरा करने में सक्षम हो सकेगा।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु गुरु गोलवरकर जन सहभागिता जैसी महती

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

योजना प्रदेश को दी जिसके माध्यम से गांवों का काफी विकास होना सम्भव हुआ है।

मा. अध्यक्ष महोदय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बहुत परिवार जिनके पास आवास तक की पूर्ण व्यवस्था नहीं होती ऐसे परिवारों के लिये इन्द्रा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यरत है लेकिन इन योजनाओं में मात्र 3-4 लोग ही प्रत्येक पंचायत से लाभान्वित होते हैं। बी.पी.एल. परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु मुख्य मंत्री आवास योजना भी प्रारम्भ कराई जानी चाहिए। साथ ही विधायक कोष का कुछ हिस्सा बीपीएल परिवारों के आवास हेतु निश्चित कर दिया जावे तो इन परिवारों को काफी राहत प्राप्त हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्र के कुछ ऐसे गरीब लोग जो गम्भीर बीमारी के चलते धनाभाव में राज्य स्तरीय चिकित्सालय में जाकर महंगा इलाज नहीं करा पाते हैं और सही उपचार नहीं उपलब्ध मिलने से वहां दम तोड़ देते हैं ऐसे गरीब असहाय लोगों को राज्य स्तर की चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु भी विधायक कोष का कुछ हिस्सा निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि गरीब असहाय व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा कर सके।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार

पिड़ावा

उदयपुर ग्रामीण एवं सराड़ा विधान सभा क्षेत्र के थानों का परिसीमन निरस्त करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण एवं सराड़ा जिला उदयपुर के निम्न गांवों का माह सितम्बर, 2004 में परिसीमन निम्न प्रकार किया गया है। स्थिति निम्नानुसार है :-

(श्री रघुवीरसिंह मीणा)

क्र. सं.	गांव का नाम	सितम्बर, 2004 से पूर्व थाना	सितम्बर, 2004 से वर्तमान	सितम्बर, 2004 से पूर्व कोर्ट	वर्तमान कोर्ट
1.	खंजूरी	थाना गो. विलास	थानाजा.मा.	उदयपुर	सराड़ा सलूम्बर
2.	बारापाल	-	-	-	-
3.	चांदनी	-	-	-	-
4.	बोरीकुआं	-	-	-	-
5.	गोज्या	-	-	-	-
6.	टीड़ी	-	-	-	-
7.	अमरपुरा	-	-	-	-
8.	जाबट्	-	-	-	-
9.	धावडी तलाई	-	-	-	-
10.	कोडिया खेत, तोरण तालाब	-	-	-	-
10.	पडवा, पाटीया, जाबला	-	ऋषभदेव	-	खैरवाड़ा
11.	बारां	-	ऋषभदेव	-	खैरवाड़ा
12.	चणावदा	-	-	-	-
13.	सरो	-	-	-	-

उपरोक्त गांवों की जनता को सितम्बर, 2004 से पूर्व कानूनी मदद लेने के लिए थाना के गो. वि. में जाना पड़ता था व न्यायालय उदयपुर में जाना पड़ता था। अब सितम्बर, 2004 में थाना माइन्स जाना पडता है व थाना जावर माइन्स की न्यायालय सराड़ा लगती है जो सराड़ा की न्यायालय में

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से लिंक कोर्ट सलूम्बर जाना पड़ता है एवं गांव चनावडा व बारां एवं सरों का थाना ऋषभदेव है जिसकी कोर्ट खैरवाड़ा लगती हैं जो कोर्ट के कार्य से खैरवाड़ा जाना पड़ता है।

जबकि उपरोक्त गांवों की जनता चाहती है कि हमारा पुलिस थाना गोवर्द्धन विलास रहे व न्यायालय उदयपुर रहे ताकि उदयपुर जाने व आने के लिए सही समय पर यातायात के साधन उपलब्ध हो जाते हैं व कम समय में उदयपुर जाना व आना हो सकता है तथा जनता की यह भी सोच है कि उदयपुर एक काम से जायेंगे तो जिला मुख्यालय व पंचायत समिति गिर्वा एवं जनरल अस्पताल तथा तहसील गिर्वा, सार्वजनिक विभाग तथा अन्य विभागों से सम्बन्धित कार्य भी देख सकते हैं व निस्तारण कराये जा सकते हैं।

अतः उपरोक्त गांवों की जनता की भावना एवं सोच को ध्यान में रखते हुए उक्त गांवों का परिसीमन निरस्त कराकर पूर्व स्थिति में पुनः करने की कृपा करावें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा
सराड़ा

जाखमूण्ड ग्राम पंचायत जिला बूंदी में खनन कार्य तत्काल बन्द कराने बाबत

महोदय,

पंचायत समिति तालेडा बूंदी के ग्राम पंचायत जाखमूण्डा से एक किलोमीटर के अन्दर ही खानें आबंटित की हुई हैं। इसी पंचायत के ग्राम तुलसी जहां जनजाति समुदाय का भील समाज ही निवास करता है वहां जाने का मार्ग अवरूद्ध कर दिया गया है। जाखमूण्ड से जाने वाला मार्ग जो ग्राम तुलसी, पीली की खान जाता है अवरुद्ध हो जाने के कारण वहां के ग्रामवासी

(श्रीमती ममता शर्मा)

अत्यन्त परेशान हैं वहां पर एक क्रेशर भी लगा लिया गया है जिसके कारण पर्यावरण की दृष्टि से लोग अत्यन्त परेशान है। पहली बात तो जब भी खान में ब्लास्टिंग होता है तो मकानों में कम्पन होता है। इन मकानों में क्रेक आने लगे हैं।

दूसरी बात क्रेशर के कारण इससे धूल घरों में जम जाती है, बच्चे धूल के कारण बीमार रहने लगे हैं।

ग्राम पंचायत जाखमूण्ड में जिन बड़े-बड़े खान मालिकों की खानें हैं उन्हें बन्द कराया जाये अथवा उस गरीब जनता के लिये कुछ न कुछ बन्दोबस्त किया जाये।

उक्त खानें गांव की आबाद भूमि से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर हैं जिसके कारण गांव के लोगों का जीना दूभर हो रहा है। पूरे क्षेत्र का पर्यावरण दूषित हो चुका है। ऐसी परिस्थितियों में उक्त खानों से खनन कार्य तत्काल बन्द किया जावें ताकि ग्रामीण जनता चैन से सांस ले सके एवं शुद्ध प्राण वायु सेवन कर सके।

श्रीमती ममता शर्मा
बूंदी

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-42-उद्योग पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-42 मुख्य शीर्ष उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय,

श्री बत्ती लाल (टोड़ाभीम)

1. राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ)

2. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

3. बूंदी जिले में एवं हिन्डौली विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)

4. विभाग द्वारा बीकानेर में ऊन उद्योग तथा अन्य उत्पादों हेतु बेहतर वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्र शेखर बैद (तारानगर)

5. रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा

6. सरकार द्वारा उद्योगों के सम्बन्ध में बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)

7. उद्योगों को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा पर्याप्त प्रयास नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

8. सिकन्दरा में स्टोन पार्क की शीघ्र व्यवस्था करने एवं कुटीर उद्योग को और सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

9. ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने को बढ़ावा देने के लिये ज्यादा सब्सिडी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)

10. बूंदी में मुख्य उद्योग चावल को सरकार द्वारा रियायत नहीं देने से उत्पन्न स्थिति एवं पर्यटन को नये उद्योग में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरी सिंह रावत (भीम)

11. लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर बेरोजगारी की समस्या के समाधान पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

12. अप्रवासियों को राजस्थान में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद)

13. कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लगे उद्योग में बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए स्थानीय ग्रामीणों को प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा)

14. नाथद्वारा में निर्मित "हाट बाजार" प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

15. गांवों में व्यापक स्तर पर कुटीर उद्योग स्थापित करने एवं तहसील मुख्यालय व पंचायत मुख्यालयों पर उद्योग शिविर लगाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)

16. निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी तहसील में कृषि जिन्स आधारित उद्योगों की स्थापना व उन्हें विशेष छूट देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

17. निम्बाहेड़ा तहसील क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने तथा निम्बाहेड़ा स्टोन को कर में विशेष रियायत देने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

18. मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर की बन्द पड़ी रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)

19. गंगरार तहसील व राशमी तहसील में रीको क्षेत्र खोलने व उद्योग की स्थापना कराने एवं छोटे-छोटे उद्योग धन्धों की स्थापना के लिये ऋण सुविधा आसान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

20. सिरोही जिले में उद्योगों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी)

21. लघु उद्योगों की स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)

22. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में औद्योगकि क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली)

23. उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्र में कई उद्योगों के बन्द होने से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

24. उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स में कई महीनों से श्रमिकों को वेतन नहीं मिलने से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)

25. मारवाड-जंक्शन में रुग्ण इकाइयों को पुनः प्रारम्भ करने व उद्योगों से प्रदूषण की समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार)

26. सवाई माधोपुर जिले में औद्योगिक विकास की आवश्यकता एवं बेरोजगारी को उद्योगों से रोजगार मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)

27. बानसूर एवं बहरोड क्षेत्र में स्थित उद्योगों में 50 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. बानसूर एवं बहरोड क्षेत्र में शराब फैक्ट्रियों में ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने से उत्पन्न भयंकर वायु एवं जल प्रदूषण के कारण बढ़ती बीमारियों तथा फसलों के खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

29. डूंगरपुर जिले में लघु गृह उद्योग लगाने के बारे में आवश्यक आर्थिक सहायता न देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

30. राज्य में रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित नहीं किये जाने से राज्य को हो रही हानि, रोजगार एवं उत्पादन की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली)

31. विधान सभा क्षेत्र करौली में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा)

32. अलवर जिले की तहसील-तिजारा स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा श्मशान, कब्रिस्तान, धार्मिक स्थलों, ड्रेनेज कार्य व अन्य विकास-कार्य न किये जाने पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)

33. राज्य में नये उद्योगों में नये निवेश कराने एवं रुग्ण उद्योगों को पुनः चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

34. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के रीको औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की कमी से उद्यमियों को हो रही परेशानी एवं उक्त औद्योगिक क्षेत्रों की बन्द इकाइयों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. धौलपुर जिले में बन्द पड़े वृहत, लघु, मध्यम एवं लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करने हेतु योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल)

36. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों को उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत कर बैंकों को भेजने के बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों को ऋण राशि नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्र शेखर बैद (तारानगर)

38. विभाग द्वारा राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)

39. मकराना में मार्बल उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ)

40. लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर की स्थापना पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)

41. हनुमानगढ़-नोहर में उद्योगों की कमी को दूर करने हेतु नये उद्योग लगाने हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर)

42. राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं रायपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चण्डावल में औद्योगिक विकास क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

43. सीकर जिले में उद्योगों के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

44. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय बायतु पर सूखी वनस्पति से रेशे प्राप्त करने के संयंत्र लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. बाड़मेर जिले में नये उद्योग स्थापित करने के लिये विशेष योजना का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)

46. रीको क्षेत्र परबतसर से एन.एच. 7 मकराना रोड़ तक पेवर सड़क स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. औद्योगिक क्षेत्र परबतसर को विकसित करने हेतु और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया)

48. विधान सभा क्षेत्र फलासिया में मधुमक्खी पालन उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के वन क्षेत्र में बांस, तेन्दूपत्ता व छीलापत्ता की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता को देखते हुए यहां बांस उद्योग, बीड़ी उद्योग व पत्तल-दोना उद्योग की इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के ग्राम नयाबास, खजूरिया, सांडमारिया, वेराकातरा में प्रचुर मात्रा में लाइम स्टोन माइन्स में खनन कार्य को देखते हुये यहां सीमेन्ट उद्योग लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा)

51. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में मार्बल की प्रचुर मात्रा में खनिज भण्डार होने की दशा में यहां मार्बल ट्रेडिंग/कटिंग उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नानालाल अहारी)

52. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा जो नेशनल हाइवे पर अवस्थित है सूती धागा उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)

53. श्रीगंगानगर शुगर मिल में फैली अव्यवस्था के कारण शहर में प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु शुगर मिल को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा)

54. राज्य सरकार द्वारा उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. शेखावाटी एवं गुढ़ा क्षेत्र में नये उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विभाग द्वारा राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

57. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के सींगाना में उद्योग स्थापित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)

58. अजमेर में नये उद्योग स्थापित करने के लिये आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने व रीको इण्डस्ट्रियल क्षेत्र का विस्तार करने एवं स्थानीय कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिये विशेष पैकेज देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)

59. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में हीरावाला, इण्डस्ट्रीज में किसी एक स्थान पर रीको द्वारा फायर ब्रिगेड की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

60. विभाग द्वारा सिमको व डालमिया डेयरी, भरतपुर, सीमेन्ट फैक्ट्री सवाईमाधोपुर, जे.के. कोटा तथा जयपुर मेटल को पुनः प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के प्रदेश से पलायन को रोकने की स्थायी व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. प्रदेश में उद्योगों के लिये आबंटित भूमि का दूसरा उपयोग करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता के लिये।

63. विभाग द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को आकर्षित करने के लिये औद्योगिक माहोल व सुविधायें मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. प्रदेश में बन्द पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनः प्रारम्भ कराने के लिये विशेष पैकेज देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)

65. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा छोटे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराकर लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के किशनगढ़-रेनवाल व फुलेरा औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं, नये उद्योगों की स्थापना व उक्त क्षेत्रों में औद्योगिक समस्याओं का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

67. विभाग द्वारा चौमूं विधान सभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों का समुचित विकास करने हेतु सकारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामलाल शर्मा)

68. विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित लघु उद्योग स्थापित करने और औद्योगिक विकास के लिये उद्योगों को विशेष रियायतें देकर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

69. विभाग द्वारा खैरथल विधान सभा क्षेत्र के बीबीराणी में हैण्ड पम्प के पुर्जों के उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खैरथल में बिजली के तार केबल्स के छोटे उद्योग लगाने हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

71. विभाग द्वारा खैरथल विधान सभा क्षेत्र के गांव बहादुरपुर में प्लास्टिक के छोटे उद्योग लगाने हेतु पहल करने पर चर्चा के लिये।

72. विभाग द्वारा खैरथल विधान सभा क्षेत्र के किशनगढ़बास में शिक्षित बेरोजगारों को हैण्डलूम उद्योग लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

73. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने हेतु कारगर कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली)

74. विभाग द्वारा राज्य में रूग्ण उद्योगों को राहत देने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई)

75. विभाग द्वारा मधुमक्खी पालन के लिये समर्थन मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

76. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई व आस-पास चल रहे पत्थर उद्योग को रीको औद्योगिक क्षेत्र बांदीकुई में चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)

77. विभाग द्वारा औद्योगिक विकास से सम्बन्धित सभी निगमों का एकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विभाग द्वारा राज्य में लघु उद्योगों को विकसित करने हेतु समुचित प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विभाग द्वारा राज्य में हस्तशिल्प, मूर्तिकला आदि क्षेत्र के उद्योगों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-43-खनिज पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

1. हिन्डौली विधान सभा क्षेत्र एवं बूंदी जिले में खनिज की विपुल सम्भावनाओं के मद्देनजर विभाग को खनन में पहल करनें के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)

2. जिला बीकानेर में जिप्सम के खनन की वर्तमान नीति पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा)

3. राज्य में खनिजों के खनन में हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)

4. खनिज विभाग द्वारा खनिज लीज आबंटन पर प्रतिबन्ध लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह देवडा (रानीबाड़स)

5. जालौर जिले में हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरी सिंह रावत (भीम)

6. राज्य में खनिज सम्पदा को बढ़ावा देने एवं रोजगार सर्जन हेतु कारगर कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)

7. खनिज विभाग द्वारा राजस्व ग्रामों के समीप कम दूरी पर खान आबंटन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

8. राज्य में अवैध खनन को रोकने एवं खनिज सम्पदा के उपयोग पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)

9. राज्य में खनिज के दोहन हेतु विभाग द्वारा विशेष उपाय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)

10. राज्य में अवैध खनन रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

11. विभाग द्वारा वर्तमान खनिज निदेशक की पदोन्नति नियम विरुद्ध करने एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विचाराधीन प्रकरणों से सम्बन्धित अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. विभाग द्वारा अनियमितता के दोषी अधिकारियों को शीर्ष पदों पर पदोन्नत नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13. राज्य में नई खनिज नीति बनाने व खनिज भूमि का डिमार्केशन करने एवं अवैध खनन को रोकने हेतु विभाग की पहल पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)

14. विभाग द्वारा निम्बाहेड़ा तहसील के खनिज क्षेत्र की सड़कों के निर्माण एवं क्षेत्र के प्रसिद्ध पत्थर उद्योग को प्रोत्साहन के लिए विशेष कार्य योजना बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

15. विभाग द्वारा अलवर जिले में गैर वन क्षेत्रों में खनन कार्य हेतु स्वीकृति देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)

16. चित्तौड़गढ़ जिले में कास्या पट्टी की खानों की आबंटन प्रक्रिया को सरल बनाने व छोटे-छोटे पट्टे दिये जाने एवं अवैध रूप से किए जा रहे खनन पर रोक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी)

17. प्रदेश की खनन नीति के बारे में पुनर्विचार करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)

18. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में बन्द पड़ी मार्बल की खानों को पुन: चालू करवाने एवं टी.एस.पी. क्षेत्र में भूरीया कमेटी की सिफारिशें लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)

19. विभाग द्वारा अलवर जिले की बन्द खानों को चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)

20. राज्य में प्रचुर मात्रा में लिग्नाइट होने के कारण ताप विद्युत घर बनाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. पैट्रोल रिफाइनरी राजस्थान में नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. मेवाड़ में वन क्षेत्र के नाम पर हजारों की संख्या में खानें बन्द होने तथा उससे उत्पन्न बेरोजगारी की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार)

23. विभाग द्वारा सवाई माधोपुर जिले एवं प्रदेश में खनिज उद्योगों के माध्यम से विकास एवं रोजगार हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)

24. खनिज विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं को खान आबंटन नहीं करने से युवकों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली)

25. विधान सभा क्षेत्र करौली में खनन मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

26. राज्य में खनिज सम्पदा दोहन हेतु डीफोरेन्ट करने, मार्बल ग्रेनाइट एवं चेजा पत्थर की एक दर होने से गरीब मजदूरों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

27. राज्य में खनिज सम्पदा का सही दोहन नहीं होने से राज्य को हो रही हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)

28. टोंक जिले में अवैध खानें चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. राजस्थान में भारी तादाद में खानें बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

30. धौलपुर जिले में खनिज विभाग द्वारा अपनी भूमि का डिमार्केशन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. खनिज विभाग द्वारा धौलपुर के पट्टाधारियों द्वारा रवन्ना होने के बावजूद भी रायल्टी ठेकेदारों द्वारा जबरन रायल्टी वसूल करने एवं राशि को एडजेस्ट कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. धौलपुर जिले में खनिज उद्योग को विकसित करने के लिए सड़क,

(श्री बनवारी लाल)

चिकित्सा व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)

33. राजस्थान में खनिज सम्पदा के दोहन की सम्भावनाओं पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ)

34. विभाग द्वारा रायल्टी राशि की वसूली एक ही बार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.डी. देवल (रायपुर)

35. रायपुर विधान सभा क्षेत्र में नदियों से अवैध बजरी ली जाने व अवैध खनन पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा)

36. बिजोलिया खनन क्षेत्र में अवैध खानों के आबंटन एवं खान आबंटियों द्वारा आबंटन की शर्तों के पालन न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी)

37. विधिवत आबंटित खानों के खाना धारियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं खान क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

38. विभाग द्वारा सीकर में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में अवैध खनन को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

39. बाड़मेर जिले में निकलने वाले खनिज पदार्थों का अधिकतम लाभ बाड़मेर जिले के निवासियों को ही देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)

40. मकराना मार्बल मण्डी पर लागू रायल्टी दरें राज्य की अन्य समकक्ष मार्बल मण्डियों के समान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया)

41. विधान सभा क्षेत्र फलासिया में उपलब्ध खनिज पदार्थों एवं उनके दोहन की स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलासिया के ग्राम नयाबास खजूरिया, साण्डमारिया, वेराकातरा की लाइम स्टोन माईन्स को स्थानीय आवेदनकर्ताओं को ही प्राथमिकता से आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा)

43. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा एवं आसपास के क्षेत्र में स्थानीय आवेदनकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर खान आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. राज्य में न्यायालय के आदेशानुसार बन्द कर दी गई खानों की बन्द अवधि की भी रायल्टी माइन्स ठेकेदारों द्वारा जबरन वसूली को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विभाग द्वारा सलूम्बर वन क्षेत्र की माइन्स को स्थानीय आवेदनकर्ताओं को ही आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विभाग द्वारा खान आबंटन पर लगे प्रतिबन्ध को हटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नानालाल अहारी)

47. राज्य में बन्द पड़ी खानों का पुर्नआबंटन कर शीघ्र चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)

48. राज्य में अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा)

49. टौंक जिले में अवैध खनन रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा (गुढ़ा)

50. शेखावाटी की अरावली क्षेत्र में खनिज के विपुल भण्डार के मद्देनजर विकास हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)

51. अजमेर जिले के काकणदा-भूड़ाभाप ग्राम में जिंक खनिज के विपुल भण्डारों से जिंक उत्खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)

52. अलवर जिले में खानों के बन्द करनें के कारण उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

53. बृज चौरासी परिक्रमा क्षेत्र में बेरोजगारी की स्थिति हेतु नगर, पहाड़ी व कामां (भरतपुर) की आने वाली खानों को बन्द करने से पूर्व अन्यत्र स्थानान्तरित या आबंटन की कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. प्रदेश की खनिज सम्पदा के पर्याप्त दोहन के लिए कारगर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. वन रहित क्षेत्रों में खनन कार्यों को अनावश्यक रोके जाने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

56. खनिज विभाग द्वारा मैं. जय अम्बे एसोसिएट्स मुरैना जिसे भरतपुर जिले में अधिशुल्क राशि संग्रहण का ठेका दिये जाने के बाद विभाग द्वारा नाके स्थापित करने में देरी से खानें बन्द होने के फलस्वरूप अतिरिक्त अधिशुल्क राशि में छूट प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. खनिज विभाग में वर्षों से व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)

58. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के छोटी डूंगरी, कालख में अवैध रूप से हो रहे खनन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

59. राज्य में पैट्रोलियम निदेशालय में अन्य विभागों के निदेशालयों के अनुरूप अधिकारियों व कर्मचारियों का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

60. कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विभाग द्वारा राज्य में खनिज क्षेत्रों को चिन्हित कर उनके दोहन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)

62. विभाग द्वारा राज्य में अवैध खनन को रोकने हेतु समुचित कार्यवाही करने एवं बेरोजगारों को खनन आबंटन में वरीयता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. राज्य में पैट्रोलियम पदार्थों के दोहन में गति लाने एवं पैट्रोलियम निदेशालय में समुचित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सदस्य-सूची

बुधवार, 13 अप्रैल, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सामान्य प्रशासन	
-जयपुर स्थित राजकीय आवासों पर काबिज अन्यत्र पदस्थापित राज्यकर्मी	386
श्री अध्यक्ष	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 का पारण	301
-खनिज-मांग संख्या 43 का पारण	301
अनुपस्थिति अनुमति	
-श्री भवानी जोशी, सदस्य को सत्रांत तक सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति	70
स्थगन प्रस्ताव	
-विधान सभा सदस्यों से टोल टैक्स वसूला जाना	71
श्री अमराराम (धोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-फार्म हाउस योजना का विशेष श्रेणी में परिवर्तन	412
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-गंगानगर शुगर मिल में हुई अनियमितताओं की जांच	6

नाम	पृष्ठ संख्या

महिला एवं बाल विकास

-समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय राशि 37

स्थगन प्रस्ताव

-विधान सभा सदस्यों से टोल टैक्स वसूला जाना 72

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वित्त

-पेंशनभोगी कर्मियों को चिकित्सा सुविधा हेतु अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र की अवधि 382

स्थगन प्रस्ताव

-विधान सभा सदस्यों से टोल टैक्स वसूला जाना 77

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरीय विकास एवं आवासन

-जिलाधीश (भवन निर्माण) जयपुर द्वारा वर्ष 1958 में स्वीकृत ऋण की वसूली 405

स्वायत्त शासन

-जयपुर के वार्ड संख्या 59 की सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों का नियमन 396

अनुदान की मांग

-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार 253

-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार 253

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा)

अनुदान की मांग

-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार 82

-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार 82

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अर्जुन सिंह बामनिया (दानपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-करजी ग्राम (दानपुर) का महिला छात्रावास भवन	470
श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	243
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	243
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-चित्तौड़गढ़ जिले के निगम बस सेवा विहीन क्षेत्र	371
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	89
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	89
स्थगन प्रस्ताव	
-विधान सभा सदस्यों से टोल टैक्स वसूला जाना	75
श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-उजौली ग्राम (अलवर) का विद्युत दुर्घटना प्रकरण	315
श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-गंगानगर शुगर मिल में हुई अनियमितताओं की जांच	1

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय राशि	18
श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न मदों में बढ़ोत्तरी करने बाबत	509
श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-थानागाजी के माडा ग्राम	471
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-थानागाजी के निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच	345
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पर्यटन	
-पर्यटन विकास निगम में पदोन्नति समिति की लम्बित बैठकें	448
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	142
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	142

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)	-
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-सीकर जिले में महिला एवं बाल विकास हेतु संचालित योजनाएं	455
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-सहकार मार्ग, जयपुर से नगर निगम मुख्यालय जाने वाले मार्ग पर शौचालय/मूत्रालय निर्माण की मांग	508
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-पुश्तैनी व्यवसाय के आधार पर मुस्लिम वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा	421
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	161
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	161
श्री गजेन्द्र सिंह (नागौर), राज्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-रैणी एवं राजगढ़ (अलवर) पंचायत समिति की फार्म हाउस योजनान्तर्गत लम्बित कृषि कनेक्शन	41
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-गंगानगर शुगर मिल में हुई अनियमितताओं की जांच	16

नाम	पृष्ठ संख्या
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों के आपराधिक मामलें	48
डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-सहकारी बैंकों/संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लम्बित जांच	441
श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-आनन्दपुरी पंचायत समिति (बांसवाड़ा) के विकास कार्यों की जांच	313
श्री जीतराम (मालपुरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सामान्य प्रशासन	
-प्रस्तावित राजस्थान हाउस मुम्बई में अन्य राजकीय विभागों का औचित्य	386
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	133
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	133
तारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय राशि	33
स्थगन प्रस्ताव	
-रामगढ विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्राम विद्युतीकृत होने के उपरान्त भी कृषि एवं घरेलू कनेक्शन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति	45
-विधान सभा सदस्यों से टोल टैक्स वसूला जाना	74

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जोगाराम पटेल (लूणी)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	183
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	183
श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
देवस्थान	
-जालौर जिले में देवस्थान की परिसम्पत्तियों का आय-व्यय	408
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-सहकारी बैंकों में आरक्षित वर्ग के पदों की पूर्ति	359
श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	122
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	122
श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	214
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	214
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-बायतु भोजपी ग्राम पंचायत (बाड़मेर) में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन	305

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	239
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	239
श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बनी सड़कों में घटिया सामग्री लगाने के सम्बन्ध में	505
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-ब्यावर की क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनें	409
श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-वृद्धजन कल्याण योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति	413
श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़), मंत्री	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 की प्रस्तुति	82
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	261
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों के आपराधिक मामले	68

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-उदयपुर सम्भाग के क्षतिग्रस्त छात्रावास	320
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-घाटोल तहसील की पंचायत समिति पीपलखूंट को माही डेम से पानी उपलब्ध करवाने बाबत	500
श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	257
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	257
श्री निर्भय लाल (रूपवास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि	414
श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-नवलगढ़ की सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में	501
श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-इटावा सहकारी समिति के मृतक कर्मी के आश्रित को नियुक्ति	431

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आपूरित पोषाहार सामग्री हेतु निविदा प्रक्रिया	379
श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-गंगानगर शुगर मिल में हुई अनियमितताओं की जांच	10
श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-राशमी पंचायत समिति (चित्तौड़गढ़) के विकलांग विद्यार्थी को छात्रवृत्ति	430
श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	255
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	255
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-हथरोई ग्राम (जयपुर) की सिवाय चक भूमि का गिफ्ट डीड प्रकरण	303
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	259
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	259

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्यां 42 पर विचार	120
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	120
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-स्थानीय निकायों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण	357
डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	173
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	173
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-गंगानगर शुगर मिल में हुई अनियमितताओं की जांच	8
श्री भंवरू खान (फतेहपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-जनता बाजार, जयपुर क्षेत्रान्तर्गत खराब विद्युत मीटरों की जांच	409
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
देवस्थान	
-मन्दिर श्री रघुनाथ, ग्राम चींसा (कोटा) की भूमि का पंजीयन प्रकरण	407

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) के राजकीय विद्यालय की छात्रावास भूमि पर अतिक्रमण	380
श्री मदन दिलावर (अटरू), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-समेकित बाल-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय राशि	35
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	126
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	126
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जोधपुर के लिए प्रस्तावित नेशनल हाईवे संख्या 65 के निर्माण में विसंगतियाँ बाबत	506
श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	246
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	246
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जाखमूण्ड ग्राम पंचायत जिला बूंदी में खनन कार्य तत्काल बन्द कराने बाबत	512

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय राशि	37
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	164
श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा वितरित ऋण की वसूली	422
श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-गोगुन्दा के जनजाति परिवारों को आवास सुविधा	479
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-गोगुन्दा के जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र	314
श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन पंचायत मुख्यालय	444
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	205
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	205

नाम	पृष्ठ संख्या
मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-गंगानगर शुगर मिल में हुई अनियमितताओं की जांच	11
जन संपर्क	
-पंजीकृत समाचार पत्रों को देय सुविधाएं	357
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों के आपराधिक मामलें	62
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	177
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	177
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-आवासीय विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं	349
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-उदयपुर ग्रामीण एवं सराड़ा विधान सभा क्षेत्र के थानों का परिसीमन निरस्त करने बाबत	510
श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-मंगलवाड़ चौराहा (चित्तौड़गढ़) बस स्टैण्ड पर निगम बसों का ठहराव	468

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	165
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	165
श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-अन्तरराज्यीय मार्गों पर पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन	466
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-गंगानगर शुगर मिल में हुई अनियमितताओं की जांच	12
महिला एवं बाल विकास	
-समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय राशि	21
स्थगन प्रस्ताव	
-विधान सभा सदस्यों से टोल टैक्स वसूला जाना	71
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-अजमेर रोड, जयपुर की आवासीय कालोनियों की सड़कों पर अतिक्रमण	403
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-गांधी नगर जयपुर का क्षतिग्रस्त बरसाती नाला	406

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-तलवास ग्राम पंचायत (बूंदी) के पूर्व सरपंच से बकाया वसूली	442
तारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय राशि	40
स्थगन प्रस्ताव	
-विधान सभा सदस्यों से टोल टैक्स वसूला जाना	73
श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-गंगानगर शुगर मिल में हुई अनियमितताओं की जांच	15
श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-डूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में अवैध खोखे (थड़ी)	393
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में 132 केवी. सब स्टेशन की स्थापना	503
श्री रामलाल (बनेड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-गुलाबपुरा स्पिन फैड में महाप्रबन्धक पद पर नियुक्ति	440

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-अजीतगढ़ (सीकर) ग्रिड सब स्टेशन द्वारा विद्युत उपभोग	411
यातायात एवं परिवहन	
-चौमूं-जयपुर मार्ग पर संचालित पुष्पक बस सेवा	465
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-चौमूं के सामुदायिक चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के अतिरिक्त पद स्वीकृत करने के सन्दर्भ में	507
श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-ब्यावर-कानूजा बस मार्ग का विस्तार	456
श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत), मंत्री	
अनुदान की मांग	
-खनिज-मांग संख्या 43 की प्रस्तुति	82
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	281
श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर पश्चिम), राज्य मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04	81
श्री विष्णु मोदी (मसूदा)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	148
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	148

नाम	पृष्ठ संख्या
स्थगन प्रस्ताव	
-विधान सभा सदस्यों से टोल टैक्स वसूला जाना	76
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	195
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	195
श्री वीरेन्द्र मीणा (लालसोट), राज्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-गंगानगर शुगर मिल में हुई अनियमितताओं की जांच	2
श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
देवस्थान	
-जालौर जिले में देवस्थान की परिसम्पत्तियों का आय-व्यय	408
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-सहकारी बैंकों में आरक्षित वर्ग के पदों की पूर्ति	359
श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	188
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	188
श्री श्रवणकुमार (पिलानी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-चिड़ावा नगरपालिका के चेयरमैन एवं ई.ओ. को हटाने बाबत	504

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-एशियन विकास बैंक की सहायता से अजमेर शहर के विकास कार्यों की निर्धारित शर्तें	397
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-अजमेर जिले में खेलों के विकास हेतु कार्य योजना	346
श्री संयम लोढा (सिरोही)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-सिरोही जिले में विभिन्न योजनाओं में आबंटित राशि	499
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-गंगानगर शुगर मिल में हुई अनियमितताओं की जांच	9
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों के आपराधिक मामलें	45
डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
स्वायत्त शासन	
-भाटावाला ग्राम में दुग्ध डेयरियों हेतु प्रस्तावित मूलभूत सुविधाएं	389
श्री समर्थ लाल मीणा (राजगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-रैणी एवं राजगढ़ (अलवर) पंचायत समिति की फार्म हाउस योजनान्तर्गत लम्बित कृषि कनेक्शन	41

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय राशि	35
श्री सी. डी. देवल (रायपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-निगम द्वारा संचालित बसों का किराया निर्धारण	464
डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	224
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	224
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-गंगानगर शुगर मिल में हुई अनियमितताओं की जांच	12
महिला एवं बाल विकास	
-समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय राशि	23
श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	143
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	143
श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)	
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	198
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	198

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुंभलगढ़)	
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों के आपराधिक मामले	59
डा. सुरेश चौधरी (भादरा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. में पिछले कुछ माह से हो रही जबरदस्त आर्थिक अनियमितता	502
श्री सुरेश मीणा (करौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
नगरीय विकास एवं आवासन	
-सिरसी रोड, जयपुर की लिंक रोड पर अतिक्रमण	395
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सामान्य प्रशासन	
-करौली जिला मुख्यालय पर नवीन सर्किट हाउस	303
श्री सुशील कटारा (चौरासी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-सीमलवाड़ा पंचायत समिति (चौरासी) के सरपंचों द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण में अनियमितता	443
श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-महुआ में सांसद/विधायक कोष से स्वीकृत कार्य	496

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
यातायात एवं परिवहन	
-पथ परिवहन निगम द्वारा नई बसों की खरीद	457
तारांकित प्रश्नोत्तर	
महिला एवं बाल विकास	
-समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय राशि	18
श्री हरीसिंह रावत (भीम)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-भीम के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम बस सेवा	467
अनुदान की मांग	
-उद्योग-मांग संख्या 42 पर विचार	220
-खनिज-मांग संख्या 43 पर विचार	220
श्री हीरालाल (निवाई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-टोंक जिले में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत स्वीकृत राशि	481
श्री हीरालाल (बामनवास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-बामनवास व बोंली पंचायत समिति को राजस्व विभाग से प्राप्त राशि	447

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
आबकारी	
-गंगानगर शुगर मिल में हुई अनियमितताओं की जांच	5
श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-रोट्र ग्राम पंचायत (नागौर) में जलग्रहण विकास कार्य	497